सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

४३

(मार्च-जून १९३०)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

भूमिका

इस खण्डमें मार्च, १९३० से जून, १९३० तककी सामग्री दी जा रही है। गांधीजी के नेतृत्वमें भारतीय स्वातन्त्र्य-अभियान इस समय ऐसे निर्णायक कदम उठा रहा था, जिनसे जन-जागरणकी प्रक्रिया अकस्मात् अत्यन्त तीव्र हो उठी और जनता तथा सरकार पूर्ण रूपसे दो विपक्षी खेमोंमें बँट गये। कांग्रेसने गांधीजी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करनेका अधिकार दिया और उन्होंने नमक-सत्याग्रहके रूपमें इस आन्दोलनका सूत्रपात दाडी-कूचसे किया, जो इस कालकी सर्वाधिक प्रसिद्ध घटना है और जिसे उक्त अभियानका प्रतीक माना जा सकता है। इस सत्याग्रहकी पार्श्व-भूमि भी उतनी ही उत्तेजक थी जितना स्वयं सत्याग्रह। एक ओर जहाँ देश-भरमें जगह-जगह सत्याग्रही सत्याग्रह कर रहे थे और केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान-मण्डलोंके भारतीय सदस्य उनके प्रति सहानुभूतिमें अपने पदोंसे त्यागपत्र दे रहे थे, वहाँ दूसरी ओर सरकार धड़ाधड़ सामूहिक गिरफ्तारियाँ कर रही थी और अपना दमन-चक्र अधिकाधिक तेज करती जा रही थी।

आन्दोलनका आरम्भ गाधीजी ने उस ऐतिहासिक पत्रसे किया जो उन्होंने २ मार्चको वाइसरायको लिखा और एक अंग्रेज युवक रेजिनाल्डके जरिये भेजा। विरोधीके प्रति किसी भी तरहकी दुर्भावनाका सर्वथा अभाव सत्याग्रहका सार-तत्त्व है; उक्त पत्रको इस तरह भेजकर उन्होने सत्याग्रहके इस सार-तत्त्वको अत्यन्त प्रभावशाली ढगसे अभिव्यक्ति दी। उस पत्रमें ब्रिटिश शासनके अधीन "हिन्दुस्तानकी तबाहीका दर्द-भरा किस्सा" बयान किया गया था। उसमें बताया गया था कि किस प्रकार मालगुजारीके भारसे "रैयतका दम निकला जा रहा" था, सरकारने भारतके नामपर किस तरह उचित-अनुचित सभी तरहकी देनदारियाँ ओढ़ रखी थी और किस प्रकार वाइसरायको उसकी "तनख्वाहके रूपमें ५,००० से भी अधिक भारतीयोकी औसत कमाई" देनेवाली यह "विदेशी सरकार दुनियाकी सबसे ज्यादा खर्चीली" सरकार थी। गाधीजी ने वाइसरायको "इन बुराइयोंको तत्काल दूर करनेके लिए" आमन्त्रित करते हुए अपना यह इरादा भी स्पष्ट कर दिया कि अगर "मेरे इस पत्रका आपपर कोई असर न होगा तो इस महीनेकी ग्यारहवी तारीखको मैं अपने आश्रमके जितने साथियोको ले जा सकूँगा, उतने साथियोंके साथ नमक-सम्बन्धी कानूनको तोडनेके लिए कदम बढ़ा-ऊँगा।" भंग करनेके लिए इस कानूनको चुननेका कारण बताते हुए उन्होंने लिखा, "गरीबोंके दृष्टिकोणसे यह कानून मुझे सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण मालूम होता है।"

गाधीजी ने यह समझानेका पूरा प्रयास किया कि आन्दोलन समूची व्यवस्थाके विरुद्ध था, किसी भी–अंग्रेज या भारतमें उसके किसी भी वैध हितके विरुद्ध नही। 'यंग इंडिया'में अपने एक लेखमें उन्होने इस बातको और जोर देकर स्पष्ट किया: "अंग्रेजोकी यह आलोचना मैं उनके मनुष्य-रूपकी नही बल्कि शासक-जातिके रूपकी

कर रहा हूँ। मनुष्यके नाते तो वे उतने ही अच्छे हैं जितने अच्छे हम हैं।" (पृ० २७५)। भारतीय जनताको अंग्रेज जातिकी देनको — उदाहरणार्थ, समयकी पाबन्दी, वाक्-संयम, बस्तियोंकी सफाईकी व्यवस्था और सुघड़ता, स्वतन्त्र विचार और स्वतन्त्र निर्णय (पृ० १६) आदिको — उन्होंने बड़ी शालीनतासे स्वीकार किया। किन्तु अंग्रेजोंके सम्पर्कके सुप्रभावोंको स्वीकार करते हुए भी उनका दृढ़ मत था कि अंग्रेजी हुकूमत तो हर तरहसे अभिशाप ही थी — शासितोंके लिए भी और शासकोंके लिए भी। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारतके स्वातन्त्र्य-संग्रामका "उद्देश्य भारतको और उसी तरह इंग्लैंडको भी मुक्त करना है" और "मैं उसका [इंग्लैंडका] सच्चा और समझदार मित्र होनेका दावा करता हूँ और साथ ही भारतका भी उतना ही सच्चा और समझदार सेवक होनेका।" (पृ० ५८)। हिंसाके विस्फोटकी आशंका तो अंग्रेज अफसरोंके खिलाफ ही नहीं, भारतीय अधिकारियोंके विरुद्ध भी थी। अतः उन्होंने एक अनुयायीको आगाह करते हुए लिखा कि हमें संघर्ष "डायर"के नहीं, "डायर-शाही"के विरुद्ध करना है। "इसका विचार हमें इस तरह करना चाहिए" कि अगर कोई अधिकारी हमारा "सगा भाई हो तो हम उसके प्रति कैसा व्यवहार करेंगे।" (पृ० ३९०)।

गांधीजी किसी-न-किसी रूपमें सार्वजनिक हिंसा भड़क उठनेके खतरेके प्रति पूरी तरह सचेत थे। ऐसी हिंसाके भयसे ही वे बहुत दिनों तक सविनय अवज्ञा शुरू करनेसे अपना हाथ रोके रहे थे। वैसे बाह्य रूपसे कहीं कुछ नया घटित नहीं हुआ था, परन्तु अब उनका आन्तरिक द्वन्द्व समाप्त हो चुका था और उनको स्पष्ट लगने लगा था कि सविनय अवज्ञा शुरू करनेका सबसे ठीक समय आ पहुँचा है, परिस्थितियाँ उसके लिए पूरी तरह पककर तैयार हो चुकी हैं (पृ० ४६)। भड़ौंचकी एक सभामें उन्होंने कहा: "मुझमें आत्म-विश्वास न था। मुझे कहींसे भी ईश्वरका नाद सुनाई नहीं देता था, मैं आत्माकी उस सूक्ष्म आवाजको सुन नहीं पा रहा था। . . . तब एकाएक यह अवसर कैसे उपस्थित हो गया?" इसका जवाब देते हुए वे स्वयं कहते हैं कि अचानक उन्हें "विश्वास हो गया कि यही उचित अवसर है और यदि यह अवसर नहीं है तो फिर कभी कोई अवसर आनेवाला नहीं है।" (पृ० १३०-३१)। लेकिन वे इस बातपर दृढ़ थे कि संघर्षको अहिंसामय रहना चाहिए। उन्हें विश्वास था कि उनके गिरफ्तार किये जानेपर भी आन्दोलनकी बागडोर उनके "उन्हीं साथियोंके हाथोंमें" होगी "जो अहिंसाको धर्म-रूप मानते हैं।" (पृ० ४९)। सच्ची अहिंसाको वे एक अत्यन्त क्रियाशील शक्ति मानते थे और इसलिए चाहते थे कि "ब्रिटिश सल्तनतकी संगठित हिंसा-शक्ति और देशके हिंसक दलकी बढ़ती हुई असंगठित हिंसा-शक्तिके मुकाबलेमें इस जबरदस्त अहिंसक शक्तिको खड़ा" कर दें। और इस प्रसंगमें उन्होंने यह भी कहा कि "जोखिम उठाये बिना, और अक्सर भारीसे-भारी जोखिम उठाये बिना, सत्यकी कभी जीत नहीं हुई।" (पृ० ६-७)। ऐसी चेतावनी दी गई थी कि भारतमें इतिहास अपने-आपको दोहरायेगा। इसके उत्तरमें गांधीजी ने कहा था: "ठीक है, अगर यही होना है, तो हो। मगर

जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो इस आन्दोलनको स्थगित नही कर सकता। अगर करूँगा तो कायरताके आरोपका भागी बनूंगा।" (पृ० ४५)। वे जनताके क्रोधके सम्भावित विस्फोटको अस्वाभाविक नही मानते थे; "क्योकि जब अत्याचारका बोल-बाला होता है तब" अत्याचार-पीड़ितोके अन्दर क्रोधकी आग सुलगती ही रहती है। "उनकी कमजोरीके कारण उनका क्रोध छिपा रहता है और जहाँ जरा भी बहाना मिलता है कि वह अपनी पूरी भयकरताके साथ फूट निकलता है। सविनय अवज्ञा उच्छृंखल और जीवनको तबाह करनेवाली इस छिपी हुई शक्तिको सुनियन्त्रित और जीवनका निर्माण करनेवाली शक्तिके रूपमें परिणत करनेवाला ऐसा सबसे बड़ा उपाय है जिसका प्रयोग करनेका परिणाम पूर्ण सफलता ही होता है।" (पृ० १३९)। इस प्रकार सत्याग्रही एक ओर सरकार द्वारा बरती जानेवाली हिंसा और दूसरी ओर अहिंसामें विश्वास न रखनेवाले भारतीयों द्वारा की जानेवाली हिंसाके विरुद्ध सघर्षरत थे। और गाधीजी के विचारसे, वे "यदि अपने धर्मके प्रति ईमानदार हैं तो या तो इस संघर्षसे विजयी होकर निकलेंगे या फिर इन चक्कियोके बीच बिलकुल पिस जायेंगे।" (पृ० ३१५)।

वाइसरायने गाधीजी की अपीलका जो उत्तर दिया, उसमें केवल खेद व्यक्त किया गया था कि गांधीजी "एक ऐसा रास्ता अख्तियार करने जा रहे हैं जिस से स्पष्टत: कानून भंग होगा और सार्वजनिक शान्ति खतरेमें पड़ जायेगी।" गाधीजी ने इसपर टिप्पणी की: "मैंने तो घुटने टेककर रोटीकी भीख माँगी थी और मिला यह पत्थर।" उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि वाइसराय "उस राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करते है जो आसानीसे हार नही मानता, सहज ही अपने कियेपर पश्चात्ताप नही करता। . . . शारीरिक शक्तिका दबदबा वह तुरन्त स्वीकार करता है। . . . उसपर प्रतिरोध-रहित मूक कष्ट-सहनका भी असर हो सकता है।" "कानून-भंग होने" की बातके सम्बन्धमें उनका दो टूक जवाब यह था: "इस राष्ट्रको केवल एक ही विधान मालूम है—ब्रिटिश प्रशासकोंकी इच्छा; और यह राष्ट्र शान्ति भी एक ही प्रकारकी जानता है—सार्वजनिक कारागारकी शान्ति। . . . मै इस कानूनको अस्वीकार करता हूँ और राष्ट्रके हृदयको अपनी भावनाओकी अभिव्यक्तिका अवकाश न देकर उसका दम घोटनेवाली, जबरन् थोपी गई इस शान्तिसे उत्पन्न विषण्ण एकरसताको भंग करना मैं अपना पुनीत कर्त्तव्य मानता हूँ।" (पृ० ५५-५६)।

१९२०-२१ के असहयोग आन्दोलनसे इस बारका सविनय अवज्ञा आन्दोलन इस बातमें भिन्न था कि गांधीजीने इस अवसरपर जनताके आर्थिक कष्टो और उसकी राजनीतिक स्वतन्त्रताके अर्थपर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि "मैंने राष्ट्रीय माँगको एक नई दिशा दी है," उसमें "राष्ट्रको स्वतन्त्रताकी विषय-वस्तुसे अवगत कराने" की कोशिश की है। (पृ० ६३)। असहयोग आन्दोलन तो पंजाब और खिलाफतके अन्यायोसे राहत दिलानेके लिए छेड़ा गया था, परन्तु इस बार गाधीजी ने ब्रिटिश शासनकी आलोचनामें इस शासनके अधीन देशके आर्थिक, राजनीतिक, सास्कृतिक और आध्यात्मिक विनाशपर जोर दिया और जनताको उस खर्चीले विदेशी शासन-तन्त्रके "कुचल डालनेवाले बोझो" से अविलम्ब राहत दिलानेकी अपील की। (पृ० ६)।

उनकी दलील थी कि "स्वतन्त्रताकी लालसाके पीछे जो उद्देश्य है" उसे यदि हम सदा सामने नहीं रखेंगे "तो इस बातका पूरा खतरा है कि हमें मिलनेवाली स्वतन्त्रता" का रूप तबतक इतना बदल चुकेगा कि "वह उन करोड़ों मूक और मेहनतकश इन्सानोंके लिए किसी लायक नही रह जायेगी जिनके लिए इसे लेना योग्य है।" (पृ० ४)। यह बात गांधीजी को तब तो और भी जरूरी लगती थी जब वे देखते थे कि "जो लोग स्वातन्त्र्य-संग्राममें लगे हुए हैं उन्हें इस मार्गपर आर्थिक अन्यायके बोझने प्रवृत्त नही किया है। वे इस चीजको महसूस नही करते। उनको तो इस रास्तेपर चलनेकी प्रेरणा नैतिक तथा आत्मिक दृष्टिसे किये जानेवाले अन्यायके बोझसे ही मिली है। इस अन्यायको उनकी रग-रग महसूस करती है। . . . इस नागफाँसको तोड़नेकी अधीरतामें वे यह भी नही जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उनके लिए तो इतना ही सोचना काफी है कि वे कुछ कर रहे हैं, चाहे उस क्रियाका परिणाम उनका विनाश ही क्यों न हो।" (पृ० ५८)।

जनताकी असहनीय दशाकी चिन्ता गांधीजी के मनको चैन नहीं लेने दे रही थी। वे यरवडा जेलमें अपने लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित सौ रुपये मासिकका मामूली-सा भत्ता भी पूरा लेनेको तैयार नही थे। उन्होंने जेलोंके महा-अधीक्षकके नाम अपने पत्रमें लिखा: "मेरे मनपर तो यह चीज (अगर ऐसा कहा जा सकता हो, तो कहिए) एक भूतकी तरह छाई हुई है कि हम सब करोड़ों मेहनतकश लोगोंको चूसकर सुखका जीवन जी रहे हैं।" और उनको इस बातसे काफी पीड़ा होती थी कि उनके भोजनपर बहुत खर्च बैठता था। (पृ० ४२२)। उन्होंने कूच शुरू होनेसे पहले १२ मार्चकी सुबहकी प्रार्थना-सभामें अपने भाषणमें स्वयंसेवकोंसे कहा: "हम गरीबसे-गरीब, कंगालसे-कंगाल और कमजोरसे-कमजोर लोगोंके प्रतिनिधि बनना चाहते हैं।" इसलिए जिनमें इसकी सामर्थ्य न हो, उन्हें उन्होंने संघर्षमें शामिल होनेसे मना किया। (पृ० ६५)। कूचके दौरान स्वयंसेवकोंका राशन बिलकुल नपातुला होता था और नियमानुसार निश्चित मात्रासे अधिक स्वीकार करनेकी अनुमति किसीको नही थी। (पृ० ७७)। कूचके दौरान एक स्थानपर स्थानीय कार्यकर्त्ताओंको उन्होंने इसलिए फटकारा कि उन लोगोंने सूरतसे एक मोटर-लारीमें दूध मँगाया था और कूचमें रातके समय मिट्टीके तेलके बड़े-बड़े हण्डे जलानेकी व्यवस्था की थी। उन्होंने स्थानीय कार्यकर्त्ताओंसे यह महसूस करनेकी अपील की कि इससे उनको कितनी पीड़ा होती है और आग्रह किया कि "स्वयंसेवक एक-एक कौड़ीका हिसाब मुझे दें।" (पृ० १५३)। उन्होंने 'यंग इंडिया' में इस बातको दो बार दोहराया: "हिसाब ठीक-ठीक रखा जाये और जब-तब प्रकाशित भी किया जाये। हिसाबकी किताबोंकी जाँच हर हफ्ते लेखा-परीक्षकसे कराई जाये।" (पृ० ३२५)। "सारी आमदनी और खर्चका बिलकुल ठीक-ठीक और व्यवस्थित हिसाब रखना चाहिए। इस हिसाबको समय-समयपर लेखा-परीक्षकसे जँचवा लिया जाये।" (पृ० ३२८)।

जनताने कूचके प्रति जो उत्साह दिखाया वह कल्पनातीत था। पहले ही दिन कूचका मार्ग आश्रमसे नगरकी सीमातक और उसके बाहर दूर-दूरतक जन-समुदायसे खचा-

खच भरा हुआ था। वह दृश्य गांधीजी को ईश्वरके आशीर्वाद-जैसा लगा। (पृ० ८७)। उन्होंने मीराबहनको लिखा: "कलका प्रदर्शन अहिंसाकी विजय थी।" (पृ० ७०)। ६ अप्रैलसे राष्ट्र-व्यापी सविनय अवज्ञाके आरम्भके बाद तो ऐसा लगने लगा मानो गुजरातकी जनता एक सगठित दलकी भाँति उठ खड़ी हुई है। (पृ० २२०)। राष्ट्रको उनका सन्देश था: "आज सत्याग्रहीके हाथमें यह मुट्ठी-भर नमक भारतके आत्म-सम्मानका ही क्या, वास्तवमें उसके सर्वस्वका प्रतीक बन गया है। इसलिए चाहे मुट्ठी कुचल दी जाये, पर अपनी इच्छासे उस मुट्ठीका नमक किसीको न लेने दिया जाये।" (पृ० २२१) उनके आह्वानका राष्ट्रपर जो असर हुआ, उसे देखकर उन्होंने स्वय लिखा: "सभी गाँव उठ खड़े हुए हैं। लोग ऐसा शानदार उत्साह दिखायेंगे, इसकी उम्मीद मैंने नही की थी।" (पृ० २६७)। महादेव देसाईको लिखे एक पत्रमें उन्होने कहा कि लगता है जैसे "मेरे विचारोको पंख लग गये हैं, यहाँतक कि वचन और कर्मके बिना भी वे अपना काम करते जान पडते हैं।" (पृ० २२२)। गांधीजी ने बादमें महादेव देसाईकी सजाके बारेमें टिप्पणी करते हुए आन्दोलनकी स्वत.स्फूर्त और अपने पैरों चल सकनेकी शक्तिको स्वीकार किया। बडे-बडे नेताओकी गिरफ्तारी भी इतनी सामान्य बात हो गई थी कि उसकी ओर लोगोका ध्यान ही नहीं जाता था। पराक्रमो और पराक्रमियोकी इस बहुलताको गाधीजी ने एक "शुभ लक्षण" माना और उसकी एक सुन्दर उपमा देते हुए लिखा: "हम सूर्यकी किरणोकी ओर ध्यान नहीं देते, हालाँकि प्रत्येक किरण उतनी ही महत्त्वपूर्ण होती है जितना स्वय सूर्य। जब हम सूर्यकी पूजा करते हैं तो वास्तवमें प्रत्येक किरणको अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं", क्योंकि समस्त किरणें एक साथ जो-कुछ करती हैं, सूर्य उसकी चरम परिणति ही तो है। "इसी प्रकार हम भारत-स्वातन्त्र्य-रूपी सतत वर्द्धमान सूर्यकी प्रतिदिन आराधना करते हैं, उस सूर्यकी जो धीरे-धीरे भारतके आकाशमें उदित हो रहा है।" (पृ० ३७६)। इस तरह इस आन्दोलनको सच्चे जन-आन्दोलनका रूप लेते देखकर उन्होने सर मार्टिन कानवेकी इस उक्तिको सानुमोदन उद्धृत किया कि "विचारोका निवास जन-समुदायके मानसमें होता है। . . . वही मानव-समाजमें इन्हें धीरे-धीरे प्रचारित करता है। . . . हमारे वैचारिक जीवनका आधार जन-समुदायपर ही है।" उन्होंने उसमें इतना और जोड़ दिया: "यदि अहिंसा जन-साधारणको प्रभावित नही कर सकती तो व्यक्तियो द्वारा उसकी उपासना करना बिलकुल बेकार है। अहिंसाको मै ईश्वरकी सबसे बडी देन मानता हूँ। ईश्वरकी सारी देन पर उसकी सृष्टिके सभी प्राणियोका समान अधिकार है। उसपर संसार-त्यागी सन्यासियो और सन्यासिनियोंका एकाधिकार नहीं होता।" (पृ० ३२३-२४)।

इस राष्ट्रीय जागरणका सबसे अधिक उल्लेखनीय पक्ष था — संघर्षमें शामिल होनेके लिए महिलाओका उछाह। परन्तु गाधीजी उनको स्वय आगे आकर नमक-कानून भंग करनेमें हाथ बँटानेको, या जहाँ पुलिसके हमलेकी सम्भावना हो उस भीड़में उनके जान-बूझकर शामिल होनेको किसी भी हालतमें प्रोत्साहन देनेको तैयार नही थे। उनके विचारसे, "बहनोंका इस तरह अपने-आपको खतरेमें डालना, . . .

पुरुषोंसे स्त्रियोंके प्रति जिस वीरोचित व्यवहारकी अपेक्षा की जाती है, उस वीरतासे नियमके विरुद्ध" था। (पृ० २७९)। आश्रमकी महिलाओंको समझाते हुए उन्होंने कहा: "जैसे हिन्दू गायको नही मारते उसी प्रकार अंग्रेज लोग जहाँतक सम्भव होता है स्त्रियोंपर हमला नही करते। यदि हिन्दू लड़ाईमें जाते हुए अपने साथ गायको ले जायें, तो उसे कायरता माना जायेगा। इसी प्रकार यदि हम स्त्रियोंको साथ ले जायें, तो उसे कायरता माना जायेगा।" (पृ० १४)। लेकिन "इस अहिंसक युद्धमें उनका योगदान, पुरुषोंकी अपेक्षा कहीं बड़ा होना चाहिए," क्योंकि यदि शक्तिसे पशु-बलका नहीं, वल्कि नैतिक वलका बोध होता है तो महिलाएँ पुरुषोंसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। गांधीजी का विचार था कि नमक-कर-विरोधी आन्दोलन चाहे जितना मोहक क्यों न हो, स्त्रियोंके लिए "अपनी प्रवृत्तियाँ उसीतक सीमित रखना अशर्फी देकर कोयला लेनेंके समान होगा।" (पृ० २२६)। वे चाहते थे कि महिलाएँ इसके बजाय शराबके ठेकों और विदेशी वस्त्रोंकी दुकानोंपर धरना देनेका काम अपने हाथोंमें ले लें। "शराब और अफीम वगैरहसे इनका सेवन करनेवालोंका नैतिक पतन होता है। विदेशी कपड़े देशकी आर्थिक नींवको कमजोर वनाते हैं और करोड़ों लोगोंकी वेकारीका कारण वनते हैं।" इसलिए इन दोनोंका वहिष्कार अपने हाथोंमें लेकर महिलाएँ स्वतन्त्रताकी लड़ाईमें पुरुषोंसे कहीं अधिक योगदान कर सकती थी। (पृ० २२६-२७)। तदनुसार, गांधीजी ने १३ अप्रैलको महिला कार्य-कर्त्रियोंका एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें धरना देनेका काम संगठित करनेके लिए एक समिति गठित की गई। शराबके ठेकोंपर धरना देनेके इस विशेष कार्यको अपने हाथोंमें लेने लायक निर्भयता और आत्म-विश्वास हासिल करनेके लिए महिलाओंको प्रोत्साहित करते हुए, गांधीजी ने लिखा: "मनुष्य-मात्रमें राम और रावण रहते हैं। यदि स्त्रियाँ अपने हृदयमें निवास करनेवाले रामकी सहायतासे काम करें तो मनुष्योंमें रहनेवाला रावण सिर नहीं उठा सकता। स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुषोंमें राम देरसे जागता है। जिसे राम राखे उसे कौन चाखे? और जिससे राम रूठे, उसे कौन राखे?" (पृ० २८३)।

गांधीजी विदेशी वस्त्रोंके वहिष्कार और उसके स्थानपर खादीको प्रतिष्ठित करनेके कामको इतना अधिक महत्त्व देते थे कि उन्होंने रास्तेमें पड़नेवाले प्रत्येक गाँवके लोगोसे खादीके कामकी प्रगतिके वारेमें पूरा ब्योरा माँगा और खादीकी वढ़ी हुई माँग पूरी करनेके लिए उसका उत्पादन वढ़ानेके उद्देश्यसे गाँव-गाँवमें कताईका काम शुरू करनेके लिए लोगोंसे कहा। वम्बईके एक खादी-कार्यकर्त्ता जेराजाणीको लिखते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि लोगोंको यह जतला देना चाहिए कि खादी रुपये-पैसेके नही, हाथ-कते सूतके वदले ही वेची जायेगी। उन्होंने कहा: "ऐसा करनेसे ही लोग समझ सकेंगे कि खादी विदेशी वस्त्रका व्यापार करने-जैसा सौदा नहीं है; बल्कि यह तो जनताकी शक्तिका, उसकी भावनाका मापदण्ड है।" (पृ० ३२०)।

सविनय अवज्ञाके आरम्भके फलस्वरूप देश-भरमें जन-जागरणका यह जो वातावरण व्याप्त था, उसमें वेसुरा स्वर वस एक ही सुनाई पड़ा; वह था कुछ मुसलमान नेताओंका, विशेषकर मौलाना शौकत अलीका। उन्होंने आवाज उठाई कि

आन्दोलन स्वराज्यके लिए नही, हिन्दू राजके लिए चलाया जा रहा है और मुसलमानोंके विरुद्ध है। गांधीजी ने उत्तरमें बतलाया कि सविनय अवज्ञा "आन्तरिक शक्तिके विकासकी और इस प्रकार एक जीवन्त विकासकी प्रक्रिया" है। और उन्होने मुसलमानो, सिखो, ईसाइयो, पारसियों तथा अन्य लोगोको इस सघर्षमें शामिल होनेको आमन्त्रित किया। (पृ० ६१)। गांधीजी ने मौलाना द्वारा उनपर किये गये व्यक्तिगत आक्षेपोका यह उत्तर दिया: "मैं तो आज भी वही नन्हा-सा आदमी हूँ जो १९२१ में था। . . . मै मुसलमानोका . . . दुश्मन कभी नही बन सकता, भले ही उनमें से कोई एक अथवा बहुत-से लोग मेरे अथवा मेरे लोगोंके साथ चाहे जैसा व्यवहार करें।" (पृ० ६२)। परन्तु उक्त आरोपका इससे भी अधिक विश्वासोत्पादक उत्तर था — अब्बास तैयवजी और इमाम बावजीरको आन्दोलनके "अधिनायक" या "प्रथम सेवक" नामजद करना।

सरकारने कूचके दौरान प्रशंसनीय धैर्यका परिचय दिया, जिसके लिए गाधीजी ने उसकी सार्वजनिक रूपसे सराहना की। (पृ० १८)। परन्तु उनको इसका पूरा भरोसा नही था कि सरकार नमक-कानूनके वास्तविक उल्लंघनको भी इसी प्रकार सहन करेगी। आगेकी घटनाओंने उनकी आशकाको सही सिद्ध कर दिया। सविनय अवज्ञा आरम्भ होनेके पहले ही दिनसे पुलिसने सत्याग्रहियोसे गैर-कानूनी नमक छीननेके लिए बलप्रयोग शुरू कर दिया। गाधीजी ने दृढतापूर्वक कहा: "सत्याग्रहियोके हाथका नमक राष्ट्रके सम्मानका प्रतीक है। वह तबतक नही दिया जा सकता जबतक कोई जबरदस्ती हाथको तोडकर उसे छीन न ले।" (पृ० २११)। सरकारने सत्याग्रहियोके दृढ संकल्पका उत्तर दिया और अधिक बलप्रयोगके द्वारा — विशेषकर कराची, कलकत्ता, पेशावर और चटगाँवमें छिटपुट हिंसा भड़क उठनेके बाद। गाधीजी ने हिंसाकी इन घटनाओकी निन्दा करते हुए कहा कि जनताकी ओरसे की जानेवाली हिंसा देशके मार्गमें उतनी ही बड़ी बाधा है जितनी कि सरकारकी ओरसे की गई हिंसा। परन्तु उन्होंने उन घटनाओके कारण संघर्ष बन्द करनेसे इनकार कर दिया। जल्दी ही सरकारका दमन-चक्र इतनी तेजीसे चलने लगा कि गांधीजी को उसे "गुण्डा-राज" की सज्ञा देनी पड़ी। (पृ० ३७९-८१)। उन्होंने जनताका आह्वान किया कि "इस संगठित गुण्डागर्दीका वह अधिक कष्ट सहकर जवाब दे।" (पृ० ३८१)। उन्होने ४ मईको वाइसरायके नाम अपने एक पत्रमें पुलिसके अत्याचारोका वर्णन करते हुए लिखा: "आतंकके शासनका यह पहला ही चरण है और मुझे लगता है कि यदि सारे देशको इसकी चपेटमें आकर तबाह होनेसे बचाना है तो मुझे कोई ज्यादा बडा कदम उठाना चाहिए और इस प्रकार यदि सम्भव हो तो आपके क्रोधको ऐसा मोड देना चाहिए जिससे भले ही आप और भी कठोरतासे काम ले, लेकिन जो-कुछ करे वह साफ ढंगसे करें।" उन्होने यह भी लिखा कि यदि बार-बार मेरे चेतावनी देनेके बावजूद लोग हिंसाका मार्ग अपनायेंगे तो "मैं अपने-आपको इसके लिए उससे अधिक जिम्मेदार नही मान सकता जितना कि एक मनुष्यको दूसरे मानव-प्राणीके कार्य-व्यवहारके लिए अपनेको अनिवार्यतः जिम्मेदार मानना चाहिए। . . . इतिहासका फतवा यह होगा कि ब्रिटिश सरकार चूंकि अहिंसाको समझती नही थी इसलिए वह उसे बरदाश्त

नहीं कर सकी और परिणामत: उसने लोगोंको हिंसाके लिए उकसाया। क्योंकि हिंसा को वह समझती थी और उससे निबट सकती थी।" (पृ० ४१०-१२)।

गांधीजी को ५ मईको आधी रातके समय गिरफ्तार करके यरवडा जेल भेज दिया गया। वहाँ उनको १८२७ के अधिनियम २५ के अन्तर्गत "जबतक सरकार उचित समझे तबतक कैदमें" रखनेके लिए नजरबन्द कर दिया गया। (पृ० ४२०)। एक बार जेलमें पहुँच जानेपर उन्होंने आन्दोलनकी समस्याकी ओरसे अपना मन हटाकर 'गीता' की सीखके अनुसार अनासक्त भावसे अपने-आपको जेल-जीवनकी नई दिनचर्या में रमा लिया। उन्होंने जेलसे मीराबहनके नाम अपने पहले ही पत्रमें लिखा: "मैं बिलकुल स्वस्थ, सानन्द हूँ। बहुत दिनोंसे आराम नहीं मिला था, सो अब खूब आराम कर रहा हूँ।" (पृ० ४२३)। उसी दिन (१२-५-१९३०) नारणदासके नाम अपने पत्रमें उन्होंने अपनी दिनचर्या कुछ विस्तारसे बताते हुए उन्हें अपने स्वास्थ्य-के बारेमें सूचित किया। एक लम्बे अर्सेसे चली आ रही तनावकी स्थितिसे छुटकारा पानेसे उनके दिमागको कितना आराम-चैन मिला, इसकी सबसे अच्छी झलक उनके उस पत्रमें मिलती है जो उन्होंने आश्रमके बच्चोंको बिना पंखोंके उड़नेकी सलाह देते हुए लिखा: "सच्चे अर्थोंमें पंछी तो वही है जो बिना पंखके उड़ सके।" (पृ० ४२७)। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक पत्रमें गंगाबहन वैद्यको लिखा: "सब बहनों और बच्चोंका मुझे रोज ध्यान आता है, लेकिन मैं उनके बारेमें कोई चिन्ता नहीं करता। मैं हर क्षण काममें लगा रहता हूँ और इसीमें शान्ति है। मैं काममें ही प्रभुके दर्शन कर सकता हूँ।" (पृ० ४३४)।

सरकार आन्दोलनको कुचलनेके लिए जो कदम उठा रही थी, उनको लेकर गांधीजी के मनमें वाइसरायके विरुद्ध कहीं भी कोई कटुता नहीं थी। लेकिन उन्होंने जेलसे लिखे अपने एक पत्रमें वाइसरायको याद दिलाया: "आपने इस सीधे-सादे तथ्यको नजरअन्दाज कर दिया है कि जिस क्षण जनसाधारण बहुत बड़ी तादादमें अवज्ञाका सहारा लेना शुरू करता है, उसी क्षण वह अवज्ञा अवज्ञा नहीं रह जाती।" (पृ० ४३२)। यह सत्याग्रहका चरम रूप था, उसकी वह स्थिति थी जब सत्याग्रहीको इस सत्यकी अनुभूति होती है कि "ईश्वर हम सबमें है। इसलिए अनेक होते हुए भी हम सब एक हैं।...एकका पाप सबका पाप है। इसलिए हम दुष्टोंको मारते नहीं, उनके लिए कष्ट सहन करते हैं।...सत्याग्रही अपना प्रत्येक काम प्रायश्चित्तके रूपमें ही करता है।...खुद भी अपनेको पापी समझता है।" (पृ० ८६-८७)।

इस पूरे कालमें परिव्याप्त भावनाका स्वर राजनीतिककी अपेक्षा धार्मिक ही अधिक है। महादेव देसाईको लिखे गये एक पत्रमें यह बड़े सुन्दर ढंगसे व्यक्त हुआ है। पत्र आलोचनात्मक है, पर गांधीजीकी मन:स्थितिका अच्छा परिचायक है: "सम्भव है, मैं स्वयं भी भूल कर जाता होऊँगा।...आजकल मैं जो विचार करता हूँ वह केवल प्रार्थना-रूप है। इसमें मैं बुद्धिका प्रयोग नहीं करता। केवल अपने हृदयको टटोलकर देख लेता हूँ।...सच बात तो यह है कि सरकार खुद भी नहीं जानती कि उसकी स्थिति कैसी है और वह क्या करना चाहती है। यह सब उसके लिए और संसारके लिए नई बात है।" (पृ० ३३७-३८)।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित संस्थाओं, व्यक्तियों, पुस्तकोंके प्रकाशकों तथा पत्र-पत्रिकाओंके आभारी हैं :

संस्थाएँ : साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास और संग्रहालय (साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन ऐंड मेमोरियल ट्रस्ट), नवजीवन ट्रस्ट, गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि व संग्रहालय, नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालय, नई दिल्ली; स्वार्थमोर कालेज, फिलाडेल्फिया; इलाहाबाद नगरपालिका संग्रहालय और स्वराज्य आश्रम, बारडोली।

व्यक्ति : श्री नारणदास गांधी, श्री क० मा० मुंशी और श्री जमनादास गांधी, राजकोट; श्रीमती मीराबहन, गाडेन, आस्ट्रिया; श्रीमती गंगाबहन वैद्य, बोचासण; श्रीमती सीतादेवी और श्री घनश्यामदास बिड़ला, कलकत्ता; श्री शान्तिकुमार मोरारजी, बम्बई; श्रीमती प्रेमाबहन कंटक, सासवड; श्री बनारसीलाल बजाज, वाराणसी; श्री फूलचन्द शाह, सुरेन्द्रनगर; श्री जयरामदास दौलतराम और श्रीमती राधाबहन चौधरी, नई दिल्ली; श्री हरिभाऊ उपाध्याय, अजमेर; श्री ए० सुब्बाराव, राजाराम, जिला गोदावरी; श्रीमती वसुमती पण्डित, सूरत; श्री हमीद कुरैशी, अहमदाबाद; श्रीमती सुशीलाबहन गांधी, फीनिक्स, डर्बन; श्रीमती प्रेमलीला ठाकरसी, पूना और श्री मुन्नालाल, सेवाग्राम।

पुस्तकें : 'ऐट द फीट ऑफ महात्मा गांधी', 'बापूकी विराट् वत्सलता', 'बापुना पत्रो-४ : मणिबहेन पटेलने', 'बापुना पत्रो-५ : प्रेमाबहन कंटकने', 'बापुना पत्रो-६ : गं० स्व० गंगाबहेनने', 'बापुना पत्रो-९ : नारणदास गांधीने', 'ए बच ऑफ ओल्ड लैटर्स', 'पब्लिक फिनांस ऐंड आवर पावर्टी', तथा 'स्पीचेज ऐंड राइटिंग्ज ऑफ महात्मा गांधी', 'महात्मा गांधी' (अलबम) तथा 'महात्मा गांधी : सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया'।

पत्र-पत्रिकाएँ : 'अमृतबाजार पत्रिका', 'आश्रम समाचार', 'बॉम्बे क्रॉनिकल', 'गुजराती', 'हिन्दू', 'लीडर', 'लिबर्टी', 'मॉडर्न रिव्यू', 'नवजीवन', 'प्रजाबन्धु', 'यंग इंडिया' तथा 'हिन्दी नवजीवन'।

अनुसन्धान व सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुस्तकालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयका अनुसंधान और सन्दर्भ विभाग (रिसर्च ऐंड रिफरेंस डिवीजन) और श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र हैं। प्रलेखोंकी फोटो-नकल तैयार करनेमें मदद देनेके लिए हम सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभाग, नई दिल्ली के भी आभारी हैं।

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री गांधीजी के स्वाक्षरोंमें मिली है उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जोकी स्पष्ट भूलोंको सुधारकर दिया गया है।

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करनेमें अनुवादको मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषा सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारनेके बाद अनुवाद किया गया है। और मूलमें प्रयुक्त शब्दोके संक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हैं। नामोंको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणमें संशय था उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजी ने अपने गुजराती लेखोमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजी ने किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है, लेकिन यदि कोई ऐसा अश उन्होंने अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमें छापा गया है। भाषणकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाधीजी के कहे हुए नही हैं, बिना हाशिया छोडे गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। भाषणो और भेंटकी रिपोर्टोंके उन अशोंमें जो गाधीजी के नहीं हैं, कुछ परिवर्तन किया गया है और कही-कही कुछ छोड़ भी दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है वहाँ दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है। परन्तु जहाँ वह उपलब्ध नही है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोमें की गई है, और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोमें केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजी की सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ़ आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नही हुआ वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं।

साधन-सूत्रोंमें 'एस० एन०' सकेत साबरमती सग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गांधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका, 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गाधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) द्वारा संगृहीत पत्रोका और 'एस० जी०' सेवाग्राममें सुरक्षित सामग्रीका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमि देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट भी दिये गये हैं। अन्तमें साधन-सूत्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

चित्र-सूची

गांधीजी : दांडी-तटसे नमक उठाते हुए	मुखचित्र
दांडी मार्चका मानचित्र	पृष्ठ ६४ के सामने
("एक संदेश" की प्रतिकृति)	„ १९२ „
(१९३० में गांधीजी)	„ १९३ „

विषय-सूची

भूमिका — पाँच
आभार — तेरह
पाठकोंको सूचना — पन्द्रह
चित्र-सूची — सोलह
१. ठक्कर बापाकी झोली (२-३-१९३०) — १
२. दो पत्र (२-३-१९३०) — १
३. पत्र: लॉर्ड इर्विनको (२-३-१९३०) — २
४. भाषण: साबरमती आश्रममें (२-३-१९३०) — ९
५. पत्र: ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (३-३-१९३०) — ११
६. पत्र: मनमोहनदास गांधीको (३-३-१९३०) — ११
७. पत्र: रेहाना तैयबजीको (५-३-१९३०) — १३
८. टिप्पणियाँ: साबरमती आश्रमकी प्रार्थना-सभामें (५-३-१९३०) — १३
९. पत्र: विट्ठलदास जेराजाणीको (५/६-३-१९३०) — १४
१०. नमक-कानूनके दण्ड-विषयक खण्ड (६-३-१९३०) — १४
११. सरकारी कर्जका विश्लेषण (६-३-१९३०) — १५
१२. उस पत्रके बारेमें (६-३-१९३०) — १५
१३. विद्यार्थी और चारित्र्य (६-३-१९३०) — १७
१४. सरकारी कर्ज (६-३-१९३०) — १९
१५. अशासन बनाम कुशासन (६-३-१९३०) — २१
१६. अश्लील साहित्य (६-३-१९३०) — २२
१७. तार: जवाहरलाल नेहरूको (६-३-१९३०) — २३
१८. पत्र: जयसुखलाल गांधीको (६-३-१९३०) — २३
१९. पत्र: तहमीना खम्भाताको (६-३-१९३०) — २४
२०. पत्र: बहरामजी खम्भाताको (६-३-१९३०) — २४
२१. पत्र: पुंजाभाईको (६-३-१९३०) — २५
२२. पत्र: जवाहरलाल नेहरूको (७-३-१९३०) — २५
२३. वक्तव्य: वल्लभभाई पटेलकी गिरफ्तारीपर (७-३-१९३०) — २६
२४. तार: जॉन हेनीज होम्सको (७-३-१९३० या उसके पश्चात्) — २६
२५. एक पुस्तककी प्रस्तावना (८-३-१९३०) — २७

२६. 'द्रौपदीना चीर' की प्रस्तावना (८-३-१९३०) २७
२७. 'राजकथा' की प्रस्तावना (८-३-१९३०) २८
२८. पत्र : व्रजकृष्ण चाँदीवालाको (८-३-१९३०) २८
२९. भाषण : अहमदाबादमें (८-३-१९३०) २९
३०. मिल-मालिक संघके सदस्योंसे बातचीत (८-३-१९३०) ३१
३१. भाषण : प्रार्थना-सभा, साबरमती आश्रममें (९-३-१९३०) ३२
३२. अन्तिम परीक्षा (९-३-१९३०) ३३
३३. सत्याग्रही-दलका कूच (९-३-१९३०) ३५
३४. पत्र : मणिबहन पटेलको (९-३-१९३०) ३७
३५. पत्र : सतीन डी० गुप्तको (१०-३-१९३० के पूर्व) ३८
३६. भाषण : प्रार्थना-सभा, साबरमती आश्रममें (१०-३-१९३०) ३८
३७. सन्देश : आन्ध्र देशके लिए (११-३-१९३० के पूर्व) ४०
३८. भेंट : एच० डी० राजाके साथ (११-३-१९३० या उसके पूर्व) ४१
३९. भेंट : 'मैंचेस्टर गार्जियन' के प्रतिनिधिको (११-३-१९३० या उसके पूर्व) ४२
४०. सन्देश रिकार्ड किये जानेके सम्बन्धमें (११-३-१९३० या उसके पूर्व) ४२
४१. प्रश्नोत्तर (११-३-१९३० या उसके पूर्व) ४३
४२. भाषण : प्रार्थना-सभा, साबरमती आश्रममें (११-३-१९३० या उसके पूर्व) ४८
४३. भाषण : प्रार्थना-सभा, साबरमती आश्रममें (११-३-१९३०) ४९
४४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (११-३-१९३०) ५१
४५. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (११-३-१९३०) ५२
४६. तार : भवानीदयाल संन्यासीको (११-३-१९३० या उसके पश्चात्) ५२
४७. सन्देश : बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके लिए (१२-३-१९३० के पूर्व) ५३
४८. सरदार वल्लभभाई पटेल (१२-३-१९३०) ५३
४९. परिचित उत्तर (१२-३-१९३०) ५५
५०. चहुँमुखी अभिशाप (१२-३-१९३०) ५६
५१. मेरे बारेमें भ्रामक प्रचार (१२-३-१९३०) ५९
५२. जैसा वह नहीं है (१२-३-१९३०) ५९
५३. नई दिशा (१२-३-१९३०) ६२
५४. भाषण : प्रार्थना-सभा, साबरमती आश्रममें (१२-३-१९३०) ६४
५५. चन्दोलासे चलते समय दिया गया विदाई-सन्देश (१२-३-१९३०) ६६
५६. भेंट : हरिदास टी० मजुमदारसे (१२-३-१९३०) ६६
५७. भाषण : असलालीमें (१२-३-१९३०) ६७

५८. पत्र : नारणदास गांधीको (१२-३-१९३० के पश्चात्) ६९
५९. बंगाल-आसाममें हिन्दी (१३-३-१९३०) ६९
६०. पत्र : मीराबहनको (१३-३-१९३०) ७०
६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१३-३-१९३०) ७१
६२. पत्र : रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको (१३-३-१९३०) ७१
६३. पत्र : गंगाबहन झवेरीको (१३-३-१९३०) ७२
६४. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको (१३-३-१९३०) ७२
६५. पत्र : कुसुम देसाईको (१३-३-१९३०) ७३
६६. पत्र : महादेव देसाईको (१३-३-१९३०) ७३
६७. भाषण : बारेजामें (१३-३-१९३०) ७४
६८. भाषण : नवागाँवमें (१३-३-१९३०) ७५
६९. बातचीत : समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे (१४-३-१९३०) ७७
७०. पत्र : वसुमती पण्डितको (१४-३-१९३०) ७८
७१. पत्र : सुशीला गांधीको (१४-३-१९३०) ७९
७२. पत्र : कुसुम देसाईको (१४-३-१९३०) ७९
७३. भाषण : वासणामें (१४-३-१९३०) ८०
७४. पत्र : नारणदास गांधीको (१५-३-१९३०) ८२
७५. पत्र : व्रजकृष्ण चाँदीवालाको (१५-३-१९३०) ८२
७६. भाषण : डभाणमें (१५-३-१९३०) ८३
७७. भाषण : नडियादमें (१५-३-१९३०) ८४
७८. पत्र : दुर्गा गिरिको (१५-३-१९३० को या उसके पश्चात्) ८५
७९. हम सब एक हैं (१६-३-१९३०) ८६
८०. प्रयाण (१६-३-१९३०) ८७
८१. 'भगवद्गीता' अथवा 'अनासक्तियोग' (१६-३-१९३०) ८९
८२. पत्र : अब्बास तैयबजीको (१६-३-१९३०) ९०
८३. पत्र : वसुमती पण्डितको (१६-३-१९३०) ९०
८४. पत्र : नारणदास गांधीको (१६-३-१९३०) ९१
८५. भाषण : बोरीयावीमें (१६-३-१९३०) ९१
८६. पत्र : मीराबहनको (१७-३-१९३०) ९२
८७. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (१७-३-१९३०) ९३
८८. पत्र : सुशीला गांधीको (१७-३-१९३०) ९३
८९. पत्र : कुसुम देसाईको (१७-३-१९३०) ९४

९०. पत्र: प्रभावतीको (१७-३-१९३०) ९४
९१. पत्र: नारणदास गांधीको (१७-३-१९३०) ९५
९२. पत्र: गंगाबहन वैद्यको (१७-३-१९३०) ९६
९३. पत्र: जयप्रकाश नारायणको (१७-३-१९३०) ९६
९४. भाषण: आनन्दमें (१७-३-१९३०) ९७
९५. स्वयंसेवकोंसे बातचीत (१७-३-१९३०) १००
९६. भाषण: सत्याग्रहियोंके समक्ष (१७-३-१९३० के पश्चात्) १०१
९७. महान् तत्त्वदर्शी (१८-३-१९३०) १०२
९८. पत्र: रामानन्द चटर्जीको (१८-३-१९३०) १०३
९९. भाषण: बोरसदमें (१८-३-१९३०) १०३
१००. पत्र: जवाहरलाल नेहरूको (१९-३-१९३०) १०७
१०१. भाषण: रासमें (१९-३-१९३०) १०७
१०२. पत्र: नारणदास गांधीको (१९-३-१९३०) ११०
१०३. टिप्पणियाँ: नमक-कर; इसे कैसे तोड़ें; घटाया नहीं बढ़ाया है; दीनबन्धु एन्ड्रयूज (२०-३-१९३०) ११०
१०४. विद्यार्थी क्या पसन्द करेंगे? (२०-३-१९३०) ११३
१०५. सरकारकी क्षुद्रता (२०-३-१९३०) ११५
१०६. यदि सच है तो अच्छा (२०-३-१९३०) ११६
१०७. स्वराज्य और रामराज्य (२०-३-१९३०) ११७
१०८. भाषण: कारेलीमें (२०-३-१९३०) ११८
१०९. पत्र: गंगादेवी सनाढ्यको (२०-३-१९३०) ११८
११०. पत्र: अब्दुलकादिर बावजीरको (२१-३-१९३०) ११९
१११. पत्र: कुसुम देसाईको (२१-३-१९३०) ११९
११२. भाषण: गजेरामें (२१-३-१९३०) १२०
११३. भाषण: अंखीमें (२१-३-१९३०) १२१
११४. सन्देश: महाराष्ट्रको (२२-३-१९३०) १२२
११५. भेंट: यूसुफ मेहरअलीको (२२-३-१९३०) १२२
११६. पत्र: मीराबहनको (२३-३-१९३० के पूर्व) १२४
११७. पत्र: कुसुम देसाईको (२३-३-१९३०) १२४
११८. पत्र: प्रेमाबहन कंटकको (२३-३-१९३०) १२५
११९. भाषण: बुवामें (२३-३-१९३०) १२५
१२०. भाषण: समनीमें (२३-३-१९३०) १२६

१२१. पत्र: महादेव देसाईको (२४-३-१९३०) १२६
१२२. पत्र: मीराबहनको (२५-३-१९३०) १२७
१२३. पत्र: ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२५-३-१९३०) १२८
१२४. भाषण: त्रालसाकी सार्वजनिक सभामें (२५-३-१९३०) १२८
१२५ पत्र: सुशीला गांधीको (२६-३-१९३०) १२९
१२६. भाषण: भड़ौंचमें (२६-३-१९३०) १३०
१२७. भाषण: अंकलेश्वरमें (२६-३-१९३०) १३३
१२८. पत्र: मीराबहनको (२६-३-१९३० के पश्चात्) १३४
१२९. खोदा पहाड़ निकली चुहिया (२७-३-१९३०) १३५
१३०. 'राजाका प्राप्य राजाको दो' (२७-३-१९३०) १३६
१३१. राजद्रोह धर्म है (२७-३-१९३०) १३७
१३२. स्वयंसेवकोंका प्रतिज्ञा-पत्र (२७-३-१९३०) १३९
१३३. कुछ सुझाव (२७-३-१९३०) १४०
१३४. टिप्पणियाँ: खद्दरकी कमी; मीराबाई प्रबन्धक नहीं (२७-३-१९३०) १४३
१३५. तलवारका न्याय (२७-३-१९३०) १४४
१३६. सन्देश: हिन्दुस्तानी सेवा दलको (२७-३-१९३०) १४५
१३७. भाषण: प्रार्थना-सभा, सजोदमें (२७-३-१९३०) १४५
१३८. भाषण: सजोदमें (२७-३-१९३०) १४६
१३९. भाषण: माँगरोलमें (२७-३-१९३०) १४७
१४०. पत्र: शान्तिकुमार मोरारजीको (२८-३-१९३०) १४८
१४१. भाषण: रायमामें (२८-३-१९३०) १४९
१४२. भाषण: स्वयंसेवकोंके समक्ष (२८-३-१९३०) १५०
१४३. भाषण: उमराछीमें (२८-३-१९३०) १५०
१४४. भाषण: भटगाममें (२९-३-१९३०) १५१
१४५. बहिष्कारकी मर्यादा (३०-३-१९३०) १५५
१४६. मुखियों और मतादारोंके बारेमें (३०-३-१९३०) १५८
१४७. भाषण: ओलपाड ताल्लुकेमें (३०-३-१९३० को या उसके पूर्व) १५९
१४८. भाषण: साँधियेरमें (३०-३-१९३०) १६०
१४९. भाषण: देलाडमें (३०-३-१९३०) १६२
१५०. पत्र: रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको (३१-३-१९३०) १६४
१५१. पत्र: जवाहरलाल नेहरूको (३१-३-१९३०) १६५
१५२. भाषण: छापरभाठामें (१-४-१९३०) १६६

१५३. भाषण : सूरतमें (१-४-१९३०) १६७
१५४. पत्र : गंगाबहन वैद्यको (२-४-१९३०) १७१
१५५. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको (२-४-१९३०) १७१
१५६. भाषण : डिंडोलीमें (२-४-१९३०) १७२
१५७. टिप्पणियाँ : 'मुझे नहीं मिलेगा तो किसीको नही लेने दूँगा'; अतिरंजित कथन; सच्ची लगन; मोतीलालजी की दानशीलता (३-४-१९३०) १७३
१५८. ६ अप्रैलको याद रखें (३-४-१९३०) १७६
१५९. मद्यपान-निषेध (३-४-१९३०) १७७
१६०. पत्र : कपिलराय मेहताको (३-४-१९३०) १७८
१६१. भाषण : वाँझकी प्रार्थना-सभामें (३-४-१९३०) १७८
१६२. भाषण : नवसारीमें (३-४-१९३०) १७९
१६३. भाषण : धामणमें (३-४-१९३०) १८२
१६४. पत्र : रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको (४-४-१९३०) १८३
१६५. भाषण : वेजलपुरमें (४-४-१९३०) १८३
१६६. वक्तव्य : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको (५-४-१९३०) १८५
१६७. एक सन्देश (५-४-१९३०) १८६
१६८. सन्देश : अमेरिकाको (५-४-१९३०) १८६
१६९. भाषण : दांडीमें (५-४-१९३०) १८९
१७०. पत्र : नारणदास गांधीको (६-४-१९३० के पूर्व) १९१
१७१. सूरत जिलेमें दिये भाषणोंके अंश (६-४-१९३० के पूर्व) १९३
१७२. बहनोंके प्रति (६-४-१९३०) १९५
१७३. अन्त्यजोंके लिए कुएँ (६-४-१९३०) १९७
१७४. टिप्पणियाँ : कुछ प्रश्न; निर्दयी पुरुषोंके प्रति (६-४-१९३०) १९८
१७५. स्वदेशी (६-४-१९३०) १९९
१७६. अहमदाबादके मिल-मालिकोंसे (६-४-१९३०) २०२
१७७. पत्र : रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको (६-४-१९३०) २०४
१७८. पत्र : लाला दुनीचन्दको (६-४-१९३०) २०४
१७९. भेंट : फ्री प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको (६-४-१९३०) २०५
१८०. भाषण : दांडीमें (६-४-१९३०) २०६
१८१. पत्र : महादेव देसाईको (६-४-१९३०) २०७
१८२. पत्र : नारणदास गांधीको (६-४-१९३०) २०८

१८३. पत्र : मीराबहनको (६-४-१९३०) २०९
१८४. पत्र : मीराबहनको (७-४-१९३० या उसके पूर्व) २०९
१८५. बर्बरतापूर्ण (७-४-१९३०) २१०
१८६. वक्तव्य : समाचार-पत्रोंको (७-४-१९३०) २१२
१८७. पत्र : महादेव देसाईको (७-४-१९३०) २१३
१८८. पत्र : प्रभावतीको (७-४-१९३०) २१४
१८९. पत्र : नारणदास गाधीको (७-४-१९३०) २१४
१९०. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको (७-४-१९३०) २१५
१९१. सन्देश : स्वयसेवकोको, आटमें (७-४-१९३०) २१५
१९२ सन्देश : काठियावाड़के लोगोंके लिए (७-४-१९३०) २१६
१९३. सन्देश : गुजरातके नाम (७-४-१९३०) २१६
१९४. पत्र : कलावती त्रिवेदीको (७-४-१९३० या उसके पश्चात्) २१७
१९५. पत्र : मीराबहनको (८-४-१९३०) २१७
१९६. पत्र : अमीना तैयबजीको (८-४-१९३०) २१८
१९७. पत्र : रामेश्वरदास पोद्दारको (८-४-१९३०) २१८
१९८ पत्र : महादेव देसाईको (८-४-१९३०) २१९
१९९. भाषण : आटमें (८-४-१९३०) २१९
२००. सन्देश : राष्ट्रके नाम (९-४-१९३०) २२०
२०१. पत्र : महादेव देसाईको (९-४-१९३०) २२२
२०२. भाषण : भीमराडमें (९-४-१९३०) २२४
२०३. भारतकी महिलाओसे (१०-४-१९३०) २२६
२०४. टिप्पणियाँ : बधाई, एक दुष्टतापूर्ण आक्षेप (१०-४-१९३०) २२८
२०५. अनैतिक आधार (१०-४-१९३०) २३०
२०६. एक अंग्रेज भाईकी समस्या (१०-४-१९३०) २३२
२०७. कुछ शर्तें (१०-४-१९३०) २३५
२०८. पत्र : घनश्यामदास बिडलाको (१०-४-१९३०) २३६
२०९. सन्देश : बम्बईके नागरिकोंको (१०-४-१९३०) २३६
२१०. सन्देश : ब० प्र० कां० कमेटीको (१०-४-१९३०) २३७
२११. पत्र : मीराबहनको (१०-४-१९३०) २३७
२१२. पत्र : अब्बास तैयबजीको (१०-४-१९३०) २३८
२१३. पत्र : नारणदास गांधीको (१०-४-१९३०) २३८
२१४. पत्र : महादेव देसाईको (१०-४-१९३०) २३९

२१५. पत्र: प्रेमाबहन कंटकको (१०-४-१९३०) २४०
२१६. पत्र: लीलावतीको (१०-४-१९३०) २४०
२१७. पत्र: प्रभावतीको (१०-४-१९३०) २४१
२१८. पत्र: रुक्मिणी बजाजको (१०-४-१९३०) २४१
२१९. पत्र: जयसुखलाल गांधीको (१०-४-१९३०) २४२
२२०. पत्र: बनारसीलाल बजाजको (१०-४-१९३०) २४२
२२१. भाषण: स्वयंसेवकोंके समक्ष (१०-४-१९३०) २४३
२२२. भेंट: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको (१०-४-१९३०) २४३
२२३. भेंट: 'हिन्दू'के प्रतिनिधिको (१०-४-१९३०) २४४
२२४. भाषण: अबरामाकी सार्वजनिक सभामें (१०-४-१९३०) २४५
२२५. तार: एन० सी० केलकरको (११-४-१९३०) २४७
२२६. पत्र: रेहाना तैयबजीको (११-४-१९३०) २४७
२२७. पत्र: महादेव देसाईको (११-४-१९३०) २४८
२२८. पत्र: नारणदास गांधीको (११-४-१९३०) २४८
२२९. पत्र: नारणदास गांधीको (११-४-१९३०) २४९
२३०. पत्र: महादेव देसाईको (११-४-१९३०) २४९
२३१. पत्र: शिवानन्दको (११-४-१९३०) २५०
२३२. पत्र: चिमनलालको (११-४-१९३०) २५१
२३३. पत्र: व्रजकृष्ण चाँदीवालाको (११-४-१९३०) २५१
२३४. पत्र: सीतलासहायको (११-४-१९३०) २५२
२३५. वक्तव्य: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके लिए (११-४-१९३०) २५२
२३६. सन्देश: हंसा मेहताके लिए (१२-४-१९३० के पूर्व) २५३
२३७. बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षको लिखे पत्रका अंश (१२-४-१९३० के पूर्व) २५३
२३८. पत्र: व्रजकृष्ण चाँदीवालाको (१२-४-१९३०) २५४
२३९. पत्र: नानुभाई दवेको (१२-४-१९३०) २५४
२४०. गिरफ्तारियाँ और जंगली न्याय (१३-४-१९३०) २५५
२४१. मिल-मालिक और खादी (१३-४-१९३०) २५६
२४२. बहनोंसे (१३-४-१९३०) २५७
२४३. सन्देश: 'हिन्दू'के लिए (१३-४-१९३०) २५९

२४४. पत्र : महादेव देसाईको (१३-४-१९३०) २५९
२४५. भाषण : गुजरात महिला परिषद्, दांडीमें (१३-४-१९३०) २६०
२४६. भाषण : दांडीमें (१३-४-१९३०) २६१
२४७. पत्र : गुलाम रसूल कुरैशीको (१३-४-१९३०) २६५
२४८. पत्र : लक्ष्मीदास श्रीकान्तको (१३-४-१९३०) २६५
२४९. पत्र : मीराबहनको (१४-४-१९३० या उसके पूर्व) २६६
२५०. तार : मोतीलाल नेहरूको (१४-४-१९३०) २६६
२५१. अपील : भारतके नौजवानोंसे (१४-४-१९३०) २६७
२५२. पत्र : मोतीलाल नेहरूको (१४-४-१९३०) २६७
२५३. पत्र : महादेव देसाईको (१४-४-१९३०) २६८
२५४. पत्र : कुसुम देसाईको (१४-४-१९३०) २६८
२५५. पत्र : मणिलाल वी० देसाईको (१४-४-१९३०) २६९
२५६. पत्र : महादेव देसाईको (१४-४-१९३०) २६९
२५७. तार : मोतीलाल नेहरूको (१५-४-१९३०) २७०
२५८. पत्र : बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षको (१५-४-१९३०) २७०
२५९. पत्र : लक्ष्मीदास श्रीकान्तको (१५-४-१९३०) २७१
२६०. पत्र : महादेव देसाईको (१५-४-१९३०) २७१
२६१. भाषण : उंबेरमें (१५-४-१९३०) २७२
२६२. पत्र : महालक्ष्मी माधवजी ठक्करको (१६-४-१९३०) २७४
२६३. अस्पृश्यता (१७-४-१९३०) २७४
२६४. राक्षसी कर (१७-४-१९३०) २७६
२६५. सिंहावलोकन (१७-४-१९३०) २७८
२६६. अध्यक्षका सम्मान (१७-४-१९३०) २८१
२६७. स्त्रियोंका विशेष कार्यक्षेत्र (१७-४-१९३०) २८१
२६८. 'सत्याग्रह-युद्ध' (१७-४-१९३०) २८५
२६९. कांग्रेस-अध्यक्ष जेलमें (१७-४-१९३०) २८६
२७०. पत्र : नारणदास गांधीको (१७-४-१९३०) २८६
२७१. भेंट : फ्री प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको (१७-४-१९३०) २८७
२७२. भाषण : वेजलपुरमें स्वयंसेवकोंके समक्ष (१७-४-१९३०) २८९
२७३. पत्र : मीराबहनको (१७-४-१९३०) २९१
२७४. पत्र : शौकत अलीको (१७-४-१९३०) २९१
२७५. स्वयंसेवकोंको सलाह (१७-४-१९३०) २९३

२७६. तार: मोतीलाल नेहरूको (१८-४-१९३०) २९३
२७७. तार: एन० आर० मलकानीको (१८-४-१९३०) २९४
२७८. पत्र: रावजीभाई एन० पटेलको (१८-४-१९३०) २९४
२७९. पत्र: नारणदास गांधीको (१९-४-१९३०) २९५
२८०. पत्र: क० मा० मुन्शीको (१९-४-१९३०) २९५
२८१. पत्र: गंगाबहन वैद्यको (१९-४-१९३०) २९६
२८२. भाषण: पटेलोंकी सभा, वेजलपुरमें (१९-४-१९३०) २९६
२८३. बारडोलीमें दिये गये भाषणके अंश (१९-४-१९३०) २९८
२८४. 'पब्लिक फिनांस एंड आवर पावर्टी' की प्रस्तावना (२०-४-१९३०) २९९
२८५. टिप्पणियाँ: सावधान; अहमदाबादके मिल-मजदूर (२०-४-१९३०) ३००
२८६. सन्देश: धोलेरा और वीरमगाँवके लोगोंको (२०-४-१९३०) ३०१
२८७. कलकत्ता और कराची (२०-४-१९३०) ३०१
२८८. विदेशी वस्त्रोंके व्यापारी (२०-४-१९३०) ३०२
२८९. पत्र: नारणदास गांधीको (२०-४-१९३०) ३०४
२९०. पत्र: जमनादास गांधीको (२०-४-१९३०) ३०५
२९१. पत्र: क० मा० मुन्शीको (२०-४-१९३०) ३०५
२९२. पत्र: महादेव देसाईको (२०-४-१९३०) ३०६
२९३. भेंट: 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिको (२०-४-१९३०) ३०७
२९४. विदेशी वस्त्र-विक्रेताओंको सलाह (२०-४-१९३०) ३०८
२९५. काला शासन (२१-४-१९३०) ३०९
२९६. पत्र: मीराबहनको (२१-४-१९३०) ३१२
२९७. पत्र: गंगाबहन वैद्यको (२१-४-१९३०) ३१३
२९८. पत्र: महादेव देसाईको (२१-४-१९३०) ३१४
२९९. भेंट: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको (२१-४-१९३०) ३१५
३००. पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको (२२-४-१९३०) ३१६
३०१. पत्र: हेमप्रभा दासगुप्तको (२२-४-१९३०) ३१६
३०२. भाषण: पटेलोंके समक्ष, सूरतमें (२२-४-१९३०) ३१७
३०३. पत्र: नारणदास गांधीको (२२-४-१९३०) ३१७
३०४. पत्र: हरिभाऊ उपाध्यायको (२३-४-१९३०) ३१८
३०५. पत्र: ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२३-४-१९३०) ३१८
३०६. पत्र: नारणदास गांधीको (२३-४-१९३०) ३१९
३०७. पत्र: विट्ठलदास जेराजाणीको (२३-४-१९३०) ३१९

३०८. हिन्दू-मुस्लिम एकता (२४-४-१९३०) ३२१
३०९. जन-आन्दोलन (२४-४-१९३०) ३२३
३१०. खरा हिसाब रखनेकी जरूरत (२४-४-१९३०) ३२५
३११. शराबकी दुकानोंपर धरना (२४-४-१९३०) ३२५
३१२. धरना कैसे दें (२४-४-१९३०) ३२७
३१३. हमारी मिलें और विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार (२४-४-१९३०) ३२८
३१४. तकलीके द्वारा बहिष्कार (२४-४-१९३०) ३३०
३१५. विदेशी कपड़ोंके व्यापारी (२४-४-१९३०) ३३२
३१६. सलाम अथवा बेंत? (२४-४-१९३०) ३३३
३१७. भेंट: 'हिन्दू' के प्रतिनिधिको (२४-४-१९३०) ३३४
३१८. पत्र: रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको (२४-४-१९३०) ३३५
३१९. पत्र: मीराबहनको (२४-४-१९३० के बाद) ३३५
३२०. पत्र: डोरोथी डि' सूबाको (२५-४-१९३०) ३३६
३२१. पत्र: अब्बास तैयबजीको (२५-४-१९३०) ३३६
३२२. पत्र: महादेव देसाईको (२५-४-१९३०) ३३७
३२३. पत्र: नारणदास गांधीको (२५-४-१९३०) ३३८
३२४. पत्र: जमनादास गांधीको (२५-४-१९३०) ३३९
३२५. भाषण: पन्नारमें (२५-४-१९३०) ३४०
३२६. पत्र: ए० सुब्बारावको (२६-४-१९३०) ३४१
३२७. पत्र: नारणदास गांधीको (२६-४-१९३०) ३४१
३२८. पत्र: नारणदास गांधीको (२६-४-१९३०) ३४२
३२९. पत्र: महालक्ष्मी एम० ठक्करको (२६-४-१९३०) ३४२
३३० भाषण: अंमेटीमें (२६-४-१९३०) ३४३
३३१. भाषण: बलसाडमें (२६-४-१९३०) ३४३
३३२. भाषण: छरवाडामें (२६-४-१९३०) ३४६
३३३. सन्देश: अमेरिकाको (२७-४-१९३० के पूर्व) ३५०
३३४. वाइसरायको लिखे पत्रका मसविदा (२७-४-१९३० अथवा उसके पूर्व) ३५३
३३५. गुजरातकी महिलाओंसे अपीलका मसविदा (२७-४-१९३० के आसपास) ३५५
३३६. विट्ठलभाई लल्लूभाईका श्राद्ध (२७-४-१९३०) ३५६
३३७. रासका उत्साह (२७-४-१९३०) ३५७

३३८. टिप्पणियाँ: हड़तालें; घरनेमें जोखिमें (२७-४-१९३०) ३५८
३३९. इमाम साहब (२७-४-१९३०) ३५९
३४०. बहिष्कार और खादी (२७-४-१९३०) ३६०
३४१. मेरी कसौटी (२७-४-१९३०) ३६३
३४२. पत्र: अमीना तैयबजीको (२७-४-१९३०) ३६४
३४३. आसफअलीको लिखे पत्रका अंश (२७-४-१९३०) ३६४
३४४. पत्र: लीलावती आसरको (२७-४-१९३०) ३६५
३४५. पत्र: रामेश्वरदास बिड़लाको (२८-४-१९३०) ३६५
३४६. पत्र: नरहरि परीखको (२८-४-१९३०) ३६६
३४७. भेंट: 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिको (२८-४-१९३०) ३६७
३४८. पत्र: नरहरि परीखको (२९-४-१९३०) ३६७
३४९. भाषण: बिलीमोरामें (२९-४-१९३०) ३६८
३५०. छद्म सैनिक कानून (२९-४-१९३०) ३६९
३५१. पत्र: मीराबहनको (२९-४-१९३०) ३७०
३५२. पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको (२९-४-१९३०) ३७०
३५३. भेंट: 'लीडर' के प्रतिनिधिको (२९-४-१९३०) ३७१
३५४. वक्तव्य: नमककी क्यारीमें विष मिलाये जानेके सम्बन्धमें (३०-४-१९३०) ३७१
३५५. दिल्लीके पत्रकारोंको बधाइयाँ (३०-४-१९३०) ३७२
३५६. पत्र: नरहरि परीखको (३०-४-१९३०) ३७२
३५७. पत्र: नरहरि परीखको (३०-४-१९३०) ३७३
३५८. पत्र: गंगाबहन वैद्यको (३०-४-१९३०) ३७३
३५९. पत्र: गंगाबहन वैद्यको (३०-४-१९३०) ३७४
३६०. पत्र: वसुमती पण्डितको (३०-४-१९३०) ३७४
३६१. पत्र: मणिबहन पटेलको (अप्रैल १९३०) ३७५
३६२. स्वराज्यके कार्यकर्त्ताओंके लिए प्रतिज्ञा (अप्रैल १९३०) ३७५
३६३. पत्र: अमीना कुरैशीको (१-५-१९३० अथवा उसके पश्चात्) ३७६
३६४. महादेव देसाई और उनके उत्तराधिकारी (१-५-१९३०) ३७६
३६५. पत्र-लेखकोंसे (१-५-१९३०) ३७८
३६६. गुण्डा-राज (१-५-१९३०) ३७९
३६७. टिप्पणियाँ: अध्यक्षका इस्तीफा; सीमा-प्रान्त; वादा पूरा करनेकी जरूरत; राष्ट्रीय स्त्री-सभा; समुद्र-पारसे (१-५-१९३०) ३८२

३६८. प्रश्नोत्तर (१-५-१९३०) ३८५
३६९. शराब और पारसी (१-५-१९३०) ३८७
३७०. 'अहिंसाकी विजय' (१-५-१९३०) ३८८
३७१. पत्र: अब्बास तैयबजीको (१-५-१९३०) ३८९
३७२. पत्र: नरहरि परीखको (१-५-१९३०) ३८९
३७३. ओलपाडमें दिये गये भाषणके अंश (१-५-१९३०) ३९०
३७४. भाषण: रादेरमें (१-५-१९३०) ३९२
३७५. पत्र: सुशीला गांधीको (१-५-१९३० के पश्चात्) ३९३
३७६. पत्र: पुरुषोत्तम गांधीको (२-५-१९३०) ३९३
३७७. पत्र: विट्ठलदास जेराजाणीको (२-५-१९३०) ३९४
३७८. पत्र: राधा गांधीको (२-५-१९३०) ३९४
३७९. पत्र: कुसुम देसाईको (२-५-१९३०) ३९४
३८०. पत्र: जानकीदेवी बजाजको (२-५-१९३०) ३९५
३८१. पत्र: नरहरि परीखको (२-५-१९३०) ३९५
३८२. सन्देश: बम्बईकी साहू सभाके लिए (२-५-१९३०) ३९६
३८३. पत्र: जे० सी० कुमारप्पाको (३-५-१९३०) ३९६
३८४. पत्र: नारणदास गांधीको (३-५-१९३०) ३९६
३८५. वी० ए० सुन्दरम्को प्रमाणपत्र (३-५-१९३० के आसपास) ३९७
३८६. खेड़ावासियोंके प्रति (४-५-१९३०) ३९८
३८७. वकीलोंका धर्म (४-५-१९३०) ४०१
३८८. टिप्पणियाँ: शराबकी दुकानोंपर धरना; एक पारसी बालिकाकी भेंट ४०३
(४-५-१९३०) ४०३
३८९. मुद्रणालयोंपर छापा (४-५-१९३०) ४०४
३९०. खादीके विषयमें चेतावनी (४-५-१९३०) ४०५
३९१. काकासाहब (४-५-१९३०) ४०६
३९२. तार: मोतीलाल नेहरूको (४-५-१९३०) ४०७
३९३. पत्र: वाइसरायको (४-५-१९३०) ४०८
३९४. पत्र: डा० सैयद महमूदको (४-५-१९३०) ४१२
३९५. पत्र: पद्मावतीको (४-५-१९३०) ४१३
३९६. भेंट: जे० बी० कृपलानीको (४-५-१९३०) ४१४
३९७. भाषण: सूरतमें (४-५-१९३०) ४१६
३९८. अल्पसंख्यकोंकी समस्या (५-५-१९३० के पूर्व) ४१७

३९९. टिप्पणी: जे० बी० पेनिंगटनके पत्रपर (५-५-१९३० के पूर्व) ४१८
४००. पत्र: बम्बईकी सत्याग्रह-समितिको (५-५-१९३० के पूर्व) ४१८
४०१. मध्यरात्रिमें गिरफ्तारी (५-५-१९३०) ४२०
४०२. भेंट: 'डेली टेलीग्राफ'के प्रतिनिधिको (५-५-१९३०) ४२१
४०३. पत्र: ई० ई० डॉयलको (१०-५-१९३०) ४२२
४०४. पत्र: मीराबहनको (१२-५-१९३०) ४२३
४०५. पत्र: नारणदास गांधीको (१२-५-१९३०) ४२४
४०६. पत्र: प्रेमाबहन कंटकको (१२-५-१९३०) ४२६
४०७. पत्र: गंगाबहन वैद्यको (१२-५-१९३०) ४२६
४०८. पत्र: आश्रमके बालकोंको (१२-५-१९३०) ४२७
४०९. पत्र: बलभद्रको (१२-५-१९३० या उसके पश्चात्) ४२८
४१०. पत्र: कस्तूरबा गांधीको (१२-५-१९३० या उसके पश्चात्) ४२८
४११. आश्रमवासियोंको लिखे गये पत्रोंके अंश (१२-५-१९३० या उसके पश्चात्) ४२९
४१२. पत्र: कुसुम देसाईको (१२-५-१९३० या उसके पश्चात्) ४३०
४१३. पत्र: रमाबहन जोशीको (१२-५-१९३० या उसके पश्चात्) ४३०
४१४. देवदास गांधीको लिखे पत्रका अंश (१३-५-१९३०) ४३१
४१५. पत्र: वाइसरायको (१८-५-१९३०) ४३१
४१६. पत्र: मीराबहनको (१८-५-१९३०) ४३३
४१७. पत्र: गंगाबहन वैद्यको (१९-५-१९३०) ४३४
४१८. पत्र: मणिबहन पटेलको (१९-५-१९३०) ४३५
४१९. पत्र: नरहरि परीखको (२०-५-१९३०) ४३५
४२०. पत्र: प्रेमलीला ठाकरसीको (२०-५-१९३०) ४३५
४२१. पत्र: प्रभावतीको (२०-५-१९३०) ४३६
४२२. भेंट: 'डेली हैरॉल्ड'के प्रतिनिधिको (२०-५-१९३०) ४३७
४२३. पत्र: नारणदास गांधीको (१८-२१-५-१९३०) ४३९
४२४. पत्र: रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको (२२-५-१९३०) ४४१
४२५. पत्र: मीराबहनको (२५-५-१९३०) ४४१
४२६. पत्र: सरलादेवीको (२५-५-१९३०) ४४३
४२७. पत्र: चन्द्रशंकर शुक्लको (२५-५-१९३०) ४४३
४२८. पत्र: सुशीला गांधीको (२६-५-१९३०) ४४४
४२९. पत्र: नारणदास गांधीको (२६-५-१९३०) ४४४

४३०. पत्र : जानकीदेवी बजाजको (२६-५-१९३०) ४४५
४३१. पत्र : जमनाबहन गांधीको (२६-५-१९३०) ४४६
४३२. पत्र : निर्मला गांधीको (२६-५-१९३०) ४४६
४३३. पत्र : राधा गांधीको (२६-५-१९३०) ४४७
४३४. पत्र : मैत्री गिरिको (२६-५-१९३०) ४४७
४३५. पत्र : गंगाबहन झवेरीको (२६-५-१९३०) ४४८
४३६. पत्र : गोमती मशरूवालाको (२६-५-१९३०) ४४८
४३७. पत्र : मोतीबहनको (२६-५-१९३०) ४४९
४३८. पत्र : डा० प्राणजीवनदास मेहताको (२६-५-१९३०) ४४९
४३९. पत्र : रतिलाल मेहताको (२६-५-१९३०) ४५०
४४०. पत्र : मणिबहन परीखको (२६-५-१९३०) ४५०
४४१. पत्र : मीठूबहन पेटिटको (२६-५-१९३०) ४५१
४४२. पत्र : अमीना कुरैशीको (२६-५-१९३०) ४५१
४४३. पत्र : शान्ताको (२६-५-१९३०) ४५२
४४४. पत्र : सोनामणिको (२६-५-१९३०) ४५२
४४५. पत्र : कलावती त्रिवेदीको (२६-५-१९३०) ४५३
४४६. पत्र : गंगाबहन वैद्यको (२६-५-१९३०) ४५३
४४७ पत्र : पी० जी० मैथ्यूको (२६-५-१९३०) ४५४
४४८. पत्र : पैट्रिक क्विनको (२७-५-१९३०) ४५४
४४९. पत्र : मोहनलाल भट्टको (२७-५-१९३०) ४५५
४५०. पत्र : ई० ई० डायलको (३०-५-१९३०) ४५५
४५१. पत्र : पैट्रिक क्विनको (४-६-१९३०) ४५६
४५२. पत्र : आर० वी० मार्टिनको (११-६-१९३०) ४५७
४५३. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको (१६-६-१९३० या उसके पूर्व) ४५८
४५४. पत्र . रामानन्द चटर्जीको (१८-६-१९३०) ४५९
४५५. पत्र : पैट्रिक क्विनको (१८-६-१९३०) ४६०
४५६. पत्र : मीराबहनको (२२-६-१९३०) ४६०
४५७. पत्र : पैट्रिक क्विनको (२२-६-१९३०) ४६१
४५८. पत्र : नारणदास गांधीको (२२/२३-६-१९३०) ४६२
४५९. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको (२३-६-१९३०) ४६४
४६०. पत्र : कलावती त्रिवेदीको (२४-६-१९३०) ४६५
४६१. पत्र : पैट्रिक क्विनको (२६-६-१९३०) ४६५

४६२. पत्र : प्रभावतीको (२७-६-१९३०) ४६६
४६३. पत्र : प्रभावतीको (२९-६-१९३०) ४६६
४६४. पत्र : रुक्मिणी बजाजको (२९-६-१९३०) ४६७
४६५. पत्र : कलावती त्रिवेदीको (२९-६-१९३०) ४६७
४६६. पत्र : बनारसीलाल बजाजको (२९-६-१९३०) ४६७
४६७. पत्र : रेहाना तैयबजीको (३०-६-१९३०) ४६८
४६८. पत्र : मीराबहनको (३०-६-१९३०) ४६८
४६९. पत्र : पुरुषोत्तम गांधीको (३०-६-१९३०) ४६९
४७०. पत्र : लीलावती आसरको (३०-६-१९३०) ४६९
४७१. पत्र : मुन्नालालको (३०-६-१९३०) ४७०
४७२. पत्र : सुशीला गांधीको (३०-६-१९३०) ४७१
४७३. पत्र : नारणदास गांधीको (३०-६-१९३०) ४७१
४७४. पत्र : गंगाबहन वैद्यको (३०-६-१९३०) ४७४
४७५. पत्र : कमला नेहरूको (३०-६-१९३०) ४७४

परिशिष्ट

१. नमक-अधिनियमके दाण्डिक खण्ड ४७५
२. गांधीजी के साथ दाँडी-कूच करनेवाले लोगोंकी सूची ४७७
३. अल्पसंख्यकोंके विषयमें जवाहरलाल नेहरूकी टिप्पणी ४७८
४. 'डेली टेलीग्राफ' के विवरणसे उद्धरण ४८१

सामग्रीके साधन-सूत्र ४८३
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ४८५
शीर्षक सांकेतिका ४८९
सांकेतिका ४९३

१. ठक्कर बापाकी झोली

ठक्कर बापा द्वारा भेजे गये निम्नलिखित ब्योरेके[1] बारेमें मैं और क्या कहूँ? चाहे जैसा संकट हो, भले ही रणभेरी बज रही हो, फिर भी धनवान लोग इस कार्यके लिए और ऐसे बुजुर्ग सेवकके नामपर अपनी थैलियोंका मुँह अवश्य खोल देंगे। अब इस सम्बन्धमें मारवाड़के नहीं, गुजरातके जुगलकिशोर बिड़लाको मदद देनी चाहिए। इसीमें गुजरातकी शोभा है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २-३-१९३०

२. दो पत्र

एक नवयुवक लिखता है:[2]

सभी माता-पिता ऐसे नहीं होते। उदाहरणार्थ, एक माताने गुजरात विद्यापीठके विद्यार्थी और सत्याग्रहके लिए उद्यत अपने पुत्रको नीचे लिखा पत्र भेजा है:[3]

यह माता धन्य है। अगर भारतमें ऐसी बहुत-सी माताएँ हों तो हमारी लड़ाईका अन्त बहुत अच्छा हो और यह लड़ाई शीघ्र ही समाप्त हो जाये। सौभाग्यसे ऐसी माताएँ और ऐसे पिताओंकी तादाद पर्याप्त रूपमें बढ़ती जा रही है। दो धनवान कुमारियोंके माता-पिताने भी अपनी पुत्रियोंको पूरा-पूरा प्रोत्साहन दिया है और उन्होंने उनकी संयत स्वतन्त्रतापर किसी प्रकारका अंकुश नहीं लगाया है। मैंने स्वतन्त्रताके लिए 'संयत' विशेषणका जान-बूझकर प्रयोग किया है, क्योंकि स्वतन्त्रता संयत और स्वेच्छाचारपूर्ण, दोनों ही प्रकारकी हो सकती है।

उक्त नवयुवकके साथ जैसा हुआ, उस तरह जहाँ पिता और शिक्षक शुभ इच्छाका विरोध करें वहाँ सोलह वर्षसे अधिक उम्रके बालिग पुत्र या पुत्रीको चाहिए कि वह उन दोनोंको विनयपूर्वक समझाये और न माननेपर उनकी आज्ञा या इच्छाकी

१. इसमें जुगलकिशोर बिड़ला द्वारा दान की गई रकमसे अन्त्यजोंके लिए जो ४९ कुएँ खोदे गये थे उनका हवाला दिया गया था और पैसेकी कमीके कारण जिन ३७ गाँवोंमें काम बन्द करना पड़ा था उनकी सूची दी गई थी।

२. पत्रका अनुवाद यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखकने शिकायत की थी कि माता-पिता अपने बालकोंकी राष्ट्रीय भावनाओंको दबानेका प्रयास करते हैं। उसने अपने खादीधारी पिताका उल्लेख करते हुए लिखा था कि वे विदेशी धर्मस काममें लाते हैं।

३. पत्रका अनुवाद यहाँ नहीं दिया गया है। माताने आशीर्वाद देते हुए पुत्रको जेल जानेकी अनुमति दी थी।

सादर अवज्ञा करे। ऐसे समय यही प्रत्यक्ष धर्म है। इस पत्रमें पिताका जिस रूपमें वर्णन किया गया है, यदि वह सच हो, और पिता अपने-आपको पहचान गये हों तो उनसे मेरी विनती है कि वे खादीकी प्रतिष्ठा बढ़ायें, लड़केको आशीर्वाद दें, उसके यज्ञकार्यमें उसे प्रोत्साहित करें और स्वयं चाय तथा थर्मसको त्याग दें। चायकी कोई जरूरत नहीं है, और थर्मस-जैसी चीज उनके गरीब घरकी शोभा नहीं बढ़ाती। जो विदेशी चीजें स्वास्थ्य आदिको बनाये रखने या ऐसे ही अन्य मामलोंमें जरूरी हैं, उनसे मुझे कोई द्वेष नहीं है। लेकिन कौन-सी चीज आवश्यक है, यह सदा एक विचारणीय प्रश्न है। खादी पहननेमें देशप्रेम और मर्यादाकी जो भावना विद्यमान है, उसे समझ लेना चाहिए। केवल खादी पहनने-भरसे हर तरहकी मनमानी करनेका परवाना कदापि नहीं मिलता; यह तो अन्य अनावश्यक चीजोंके उपभोग पर अंकुश रखनेकी दिशामें पहला कदम और चिह्न है। यहाँ पानी या दूसरी किसी भी चीजको गरम बनाये रखनेका सस्ता और देशी उपाय बता दूँ। गरम पानी वगैराको ठीक तरह से बन्द हो सकनेवाले बरतनमें रखकर उसके चारों ओर अच्छी तरह गरम कम्बल या रुई लपेट दें और फिर उसे किसी डिब्बे या सन्दूकमें रख छोड़ें। इस तरह रखनेसे कोई भी चीज रखते समय जितनी गरम होगी, चौबीस घण्टे तक वह उतनी ही गरम बनी रहेगी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २-३-१९३०

३. पत्र : लॉर्ड इर्विनको

सत्याग्रहाश्रम, साबरमती
२ मार्च, १९३०

प्रिय मित्र,

इसके पहले कि मैं सविनय अवज्ञा शुरू करूँ, और शुरू करनेपर जिस जोखिमको उठानेके लिए मैं इतने सालोंसे हिचकिचाता रहा हूँ, उसे उठाऊँ, इस उम्मीदसे मैं आपको यह पत्र लिखने जा रहा हूँ कि अगर समझौतेका कोई रास्ता निकल सके तो उसके लिए कोशिश कर देखूँ।

अहिंसामें मेरा वैयक्तिक विश्वास तो जाहिर ही है। जान-बूझकर मैं किसी भी प्राणीको चोट नहीं पहुँचा सकता, तो फिर किसी मनुष्यको — भले ही उसने मेरा या जिन्हें मैं अपना समझता हूँ उनका बड़ेसे-बड़ा अहित ही क्यों न किया हो — चोट पहुँचानेकी तो बात ही क्या? इसलिए यद्यपि अंग्रेजी सल्तनतको मैं एक अभिशाप मानता हूँ, लेकिन मैं यह कभी नहीं चाहता कि एक भी अंग्रेजको या भारतमें उपार्जित उसके एक भी उचित हितको किसी तरहका नुकसान पहुँचे।

गलतफहमीसे बचनेके लिए मैं अपनी बातको जरा और साफ किये देता हूँ। यह सच है कि मैं भारतमें अंग्रेजी राज्यको एक अभिशाप मानता हूँ, लेकिन इस

कारण मैं यह तो कभी नहीं मानता कि सब-के-सब अंग्रेज दुनियाके दूसरे लोगोंके मुकाबले ज्यादा दुष्ट हैं। मुझे बहुतेरे अंग्रेजोंके साथ गहरी दोस्ती रखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है; यही नही, बल्कि अंग्रेजी राज्यने हिन्दुस्तानको जो नुकसान पहुँचाया है उसके बारेमें बहुतेरी हकीकतें तो मुझे उन अनेक अंग्रेजोकी लिखी चीजोंसे ही मालूम हुई हैं, जिन्होंने उस शासनके बारेमें कठोर सत्य निर्भीकतापूर्वक प्रकट किया है।

और मैं अंग्रेजी राज्यको अभिशाप-रूप क्यो मानता हूँ?

इस कारणसे कि इस राज्यने क्रमिक शोषणकी प्रणालीके द्वारा और अपने तन्त्रके तबाह कर डालनेवाले फौजी और दीवानी खर्चके द्वारा, जिसे कि यह देश कभी बरदाश्त नही कर सकता, इस भूमिके करोड़ो मूक मानवोको दरिद्र बना दिया है।

राजनैतिक दृष्टिसे इस राज्यने हमें लगभग गुलाम बनाकर रख छोड़ा है। इसने हमारी संस्कृति और सभ्यताकी बुनियादको हिला दिया है और लोगोंसे हथियार छीन लेनेकी सरकारी नीतिने तो हमारी आत्माको कुचल ही डाला है। अब तो बस यही शेष रह गया है कि हममें से किसीको कोई मामूलीसे-मामूली हथियार भी न रखने देनेका कानून बना दिया जाये। आन्तरिक शक्तिसे रहित हम लोगोपर इस नीतिका प्रभाव यह हुआ है कि हम लगभग कायरताजन्य असहायावस्थामें पहुँच गये है।

अपने दूसरे बहुत-से भाइयोंके साथ-साथ मैं भी यह आशा लगाये बैठा था कि प्रस्तावित गोलमेज परिषद्से ये सब शिकायतें शायद रफा हो जायें। लेकिन जब आपने साफ-साफ कह दिया कि आप कोई ऐसा आश्वासन नहीं देंगे कि आप या ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्यकी किसी योजनाका समर्थन अनिवार्यतः करेंगे, तब मैंने महसूस किया कि गोलमेज परिषद् वह समाधान नहीं दे सकती जिसके लिए देशके प्रबुद्ध लोग ज्ञानपूर्वक और करोड़ों मूक मानव अनजाने मनसे तरस रहे है। यहाँ यह कहनेकी तो जरूरत ही नही होनी चाहिए कि इस मामलेमें पालियामेंटका आखिरी फैसला करनेका हक छीन लेनेका कोई सवाल नही था। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें मन्त्रिमण्डलने इस आशासे कि पालियामेंटकी अनुमति तो मिलेगी ही, पहलेसे ही अपनी नीति निर्धारित कर ली थी।

इस तरह दिल्लीकी मुलाकातका[1] कोई नतीजा न निकलनेके बाद मेरे और पण्डित मोतीलाल नेहरूके सामने १९२८ की[2] कलकत्ता कांग्रेस द्वारा पास किये गये गम्भीर प्रस्तावपर अमल करानेके लिए कदम उठानेके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नही रह गया था।

पर आपकी घोषणामें जिस 'डोमीनियन स्टेटस' (औपनिवेशिक स्वराज्य) शब्दका जिक्र है, अगर वह शब्द अपने सच्चे अर्थमें प्रयुक्त किया गया होता तो पूर्ण स्वराज्यके प्रस्तावसे[3] चौकनेका कोई कारण ही न था। क्योंकि 'डोमीनियन स्टेटस' का अर्थ लगभग पूर्ण स्वाधीनता ही है, इस बातको क्या जिम्मेदार ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने

१. यह मुलाकात २३ दिसम्बर, १९२९ को हुई थी; देखिए खण्ड ४२।

२. देखिए खण्ड ३८, पृष्ठ २८५-७।

३. यह प्रस्ताव २३ दिसम्बर, १९२९ को लाहौर कांग्रेस द्वारा पास किया गया था; देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ ३२३-२५।

खुद ही कबूल नहीं किया है? लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ब्रिटिश सरकारकी कभी यह नीयत ही नहीं थी कि भारतवर्षको निकट भविष्यमें 'डोमीनियन स्टेटस' दे दिया जाये।

लेकिन ये सब तो बीती बातें हैं। आपकी घोषणाके बाद तो ऐसी अनेक घटनाएँ घट चुकी हैं, जिनसे ब्रिटिश राजनीतिका रुख साफ जाहिर हो जाता है।

यह बात दिनके उजालेकी तरह साफ नजर आ रही है कि जिम्मेदार ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंके मनमें ब्रिटेनकी नीतिमें कोई ऐसा परिवर्तन करनेका इरादा नहीं है जिससे भारतके साथ इंग्लैंडके व्यापारको जरा भी नुकसान पहुँचनेकी सम्भावना हो या जिसके कारण भारतके साथ इंग्लैंडके आर्थिक लेन-देनके औचित्य-अनौचित्यकी निष्पक्षतापूर्वक और गहरी छानबीन करना आवश्यक हो जाये। किन्तु यदि हिन्दुस्तानके शोषणकी प्रक्रियाको समाप्त करनेके लिए कुछ नहीं किया जाता तब तो भारत उत्तरोत्तर अधिकाधिक तेजीसे चूसा ही जाता रहेगा। आर्थिक मामलोंसे सम्बन्धित सदस्य महोदय कहते हैं कि १/६ अनुपात तो एक निश्चित तथ्य है। इस तरह कलमके एक ही इशारेसे भारतके करोड़ों रुपये बाहर खिंचे चले जाते हैं और जब इस और ऐसे ही दूसरे बहुतेरे निश्चित तथ्योंको मिटानेके लिए विनयपूर्ण ढंगकी सीधी कार्रवाईकी जा रही है तो आप भी धनवानों और जमींदारों वगैरहसे यह अनुरोध किये बिना नहीं रह सकते कि वे देशमें उस अमन-कानूनकी रक्षाके नामपर इस प्रयत्नको कुचलनेमें आपकी मदद करें जिसके भारसे दबकर भारतका सत्यानाश हो रहा है।

यदि जनताके नामपर काम करनेवाले लोग स्वतन्त्रताकी लालसाके पीछे जो उद्देश्य है उसे सभी सम्बन्धित लोगोंके सामने नहीं रखते तो इस बातका पूरा खतरा है कि हमें मिलनेवाली स्वतन्त्रता एक ऐसे बोझसे दबी हुई स्वतन्त्रता होगी जिसके कारण वह उन करोड़ों मूक और मेहनतकश इन्सानोंके लिए किसी लायक नहीं रह जायेगी जिनके लिए स्वतन्त्रता माँगी जा रही है और जिनके लिए इसे लेना योग्य है। इसीलिए इधर कुछ दिनोंसे मैं लोगोंको स्वतन्त्रताका सच्चा मतलब समझाता रहा हूँ।

अब इससे सम्बन्धित कुछ खास बातें आपके सामने पेश करनेका साहस करता हूँ।

जिस मालगुजारीसे सरकारको इतनी अधिक आमदनी होती है, उसीके भारसे रैयतका दम निकला जा रहा है। स्वतन्त्र भारतको इस नीतिमें बहुत-कुछ हेर-फेर करना होगा। जिस स्थायी बन्दोबस्तकी तारीफके पुल बाँधे जाते हैं, उससे सिर्फ मुट्ठी-भर धनवान जमींदारोंको ही फायदा पहुँचता है, रैयतको नहीं। रैयत तो अब भी पहलेकी ही तरह असहाय है। वे ऐसे काश्तकार-भर हैं जिन्हें जमींदार जब चाहे बेदखल कर सकते हैं। इसलिए लगानमें तो काफी कमी करनी ही है, साथ ही पूरी राजस्व-व्यवस्थामें ऐसा परिवर्तन करना है जिससे उसका मुख्य उद्देश्य रैयतकी भलाई करना बन जाये। लेकिन ब्रिटिश सरकारकी नीति तो रैयतको चूसकर निष्प्राण बना देनेकी प्रतीत होती है। यहाँतक कि उसके जीवनके लिए आवश्यक नमक-जैसी चीजपर भी इस तरह कर लगाया जाता है कि उसका सबसे अधिक भार उन्हींपर पड़ता है — भले ही उसका कारण यही क्यों न हो कि यह कर

लगाते हुए निष्ठुरतापूर्ण निष्पक्षता बरती गई है। नमक ही एक ऐसी चीज है, जिसे गरीब लोग व्यक्तिके रूपमें और समूहके रूपमें भी धनवानोके मुकाबले अधिक खाते हैं। इस बातका विचार करनेसे तो यह कर गरीबोंके लिए और अधिक भार-रूप जान पड़ता है। शराब और दूसरी नशीली चीजोंसे होनेवाली आमदनीका जरिया भी ये गरीब ही हैं। ये चीजें लोगोकी तन्दुरुस्ती और नैतिकता दोनोंकी जड़ें खोखली करनेवाली हैं। इसका बचाव व्यक्तिगत स्वातन्त्र्यके बहाने, जो कि झूठा बहाना है, किया जाता है; लेकिन वास्तवमें इससे जो आमदनी होती है, उसीके लिए इसे कायम रखा जा रहा है। सन् १९१९ में जो सुधार जारी किये गये, उनके अनुसार इन मदोंकी आमदनी चतुराईके साथ नामधारी निर्वाचित मन्त्रियोंके जिम्मे कर दी गई, जिससे सब तरहकी नशीली चीजोका व्यवहार बन्द करनेसे होनेवाला नुकसान उन्हीको सहना पड़े और इस तरह देश-हितके काम करना उनके लिए शुरूमें ही नामुमकिन हो जाये। अगर कोई अभागा मन्त्री इस आमदनीसे हाथ धोना चाहे भी तो वह ऐसा नही कर सकता, क्योकि उस हालतमें वह शिक्षा-विभागका खर्च पूरा नही कर सकेगा और मौजूदा हालतमें शराबके अलावा आमदनीका कोई दूसरा जरिया खड़ा करना उसके लिए मुमकिन नही है। और यदि करोका यह भार गरीबोंको ऊपरसे पीस रहा है तो उधर प्रमुख सहायक उद्योग, अर्थात् हाथ-कताईके विनाशने उनकी उपार्जनकी क्षमताको खत्म कर दिया है। हिन्दुस्तानकी तबाहीका यह दर्द-भरा किस्सा अधूरा ही रह जायेगा, यदि उसके नाम जो कर्जा लिया गया है, उसका जिक्र इस सिलसिलेमें न किया जाये। इन कर्जोंके बारेमें हालमें अखबारोंमें काफी चर्चा हो चुकी है। स्वतन्त्र भारतका यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह इस तरहके तमाम कर्जोंकी पूरी-पूरी जाँच एक निष्पक्ष अधिकरण द्वारा कराये और इस जाँचके फलस्वरूप जो कर्ज अन्यायपूर्ण और अनुचित ठहरे, उसे देनेसे इनकार करे।

यह जाहिर है कि मौजूदा विदेशी सरकार दुनियामें सबसे ज्यादा खर्चीली है और इसे बनाये रखनेकी गरजसे ही ये सारे अन्याय किये जा रहे हैं। आप अपने वेतनको ही ले लीजिए। वह माहवार २१,००० रुपयेसे भी ज्यादा है। इसके सिवा उसमें भत्ता और दूसरे सीधे-टेढ़े आमदनीके जरिये है ही। इंग्लैंडके प्रधान मन्त्रीको सालाना ५,००० पौंड, यानी, मौजूदा विनिमय-दरके हिसाबसे माहवार ५,४०० रुपयेसे कुछ अधिक मिलता है। जिस देशमें हरएक आदमीकी औसत रोजाना आम-दनी दो आनेसे भी कम है, उसमें आपको रोजाना ७०० रुपयेसे भी अधिक मिलते हैं। उधर इंग्लैंडके बाशिन्दोंकी औसत दैनिक आय लगभग दो रुपये है और वहाँके प्रधान मन्त्रीको रोजाना सिर्फ १८० रुपये ही मिलते हैं। इस तरह आप अपनी तन-ख्वाहके रूपमें ५,०००से भी अधिक भारतीयोंकी औसत कमाईका हिस्सा ले लेते हैं; उधर इंग्लैंडके प्रधान मन्त्री सिर्फ ९० अंग्रेजोंकी कमाई ही लेते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप इस आश्चर्यजनक विषमता पर ध्यानपूर्वक थोड़ा विचार कर देखें। एक कठोर लेकिन सच्ची हकीकतको ठीकसे समझानेके लिए मुझे आपका व्यक्तिगत उदाहरण पेश करना पड़ा है; नही तो निजी तौरपर मेरे दिलमें

आपके लिए इतनी इज्जत है कि मैं ऐसी कोई बात आपके बारेमें नहीं कहना चाहूँगा जिससे आपके दिलको ठेस पहुँचे। मैं जानता हूँ कि आपको जो तनख्वाह मिलती है उसकी जरूरत आपको नही है। मुमकिन है कि आप अपनी सारी-की-सारी तनख्वाह दानमें दे डालते हों। पर जिस प्रणालीने ऐसी खर्चीली व्यवस्था बना रखी है, उसे तुरन्त तिलांजलि देना ही उचित है। जो दलील आपकी तनख्वाहके लिए ठीक है वही सारे तन्त्रपर लागू होती है।

मतलब यह कि जब राज्य-प्रबन्धके खर्चमें बहुत ज्यादा कमी कर दी जायेगी, तभी राज्यकी आमदनीमें बहुत-कुछ कमी की जा सकेगी और यह तभी हो सकता है जब कि राज-काजकी सारी नीति ही बदल दी जाये। इस तरहका परिवर्तन बिना स्वतन्त्रताके नही हो सकता। मेरी रायमें इन्ही भावोंसे प्रेरित होकर २६ जनवरीको लाखों ग्रामवासी स्वातन्त्र्य-दिवस मनानेके लिए की गई सभाओंमें बिना किसीके कहे-सुने सहज ही शामिल हुए थे। उनके लिए तो स्वाधीनताका मतलब उक्त कुचल डालनेवाले बोझोंसे छुटकारा पाना है।

इंग्लैंड जिस तरह इस देशको लूट रहा है, सारा हिन्दुस्तान उसका एक स्वरसे विरोध कर रहा है, तो भी मैं देखता हूँ कि इंग्लैंडका कोई भी बड़ा राजनैतिक दल इस लूटको बन्द करनेके लिए तैयार नही है।

लेकिन यदि भारतको एक राष्ट्रके रूपमें जीवित रहना है, यदि इस देशकी जनताको भूखों रखकर तिल-तिलकर मारनेकी प्रक्रिया बन्द करनी है तो कोई-न-कोई इलाज जल्दी ही ढूँढ़ निकालना होगा। आपके द्वारा प्रस्तावित परिषद् वह इलाज नही है। दलीलोंसे वास्तविकताकी प्रतीति करानेका अब कोई सवाल ही नही रहा है। अब तो सवाल दो पक्षोंकी ताकतोंकी आजमाइशका है। इंग्लैंडको इस वास्तविकताकी प्रतीति हो या न हो, वह तो अपनी सारी ताकत लगाकर भारतके साथके व्यापारको और भारतमें कायम अपने स्वार्थोंको बनाये रखना चाहेगा ही। सो इस यमपाशसे छुटकारा पानेके लिए जितनी ताकत जरूरी है उतनी ताकत इकट्ठा करना अब भारतके लिए लाजिमी हो गया है।

इसमें तो किसी भी पक्षको शक नहीं है कि हिन्दुस्तानमें जो हिंसक दल है, आज चाहे वह जितना असंगठित और उपेक्षणीय हो, फिर भी दिनों-दिन उसका बल बढ़ता जा रहा है और वह प्रभावशाली बन रहा है। उस दलका और मेरा ध्येय तो एक ही है। पर मुझे यकीन है कि हिन्दुस्तानके करोड़ों मूक लोगोंको जिस आजादीकी जरूरत है, वह इसके दिलाये नही मिल सकती। इसके अलावा, मेरा यह विश्वास दिनों-दिन बढ़ता ही जाता है कि शुद्ध अहिंसाके सिवा और किसी भी तरीकेसे ब्रिटिश सरकारकी इस संगठित हिंसाके प्रवाहको रोका नहीं जा सकता। बहुतेरे लोगोंका यह खयाल है कि अहिंसा कोई सक्रिय शक्ति नही है। लेकिन अपने अनुभवसे, जो निस्सन्देह बहुत सीमित है, मैं यह जानता हूँ कि अहिंसा एक जबरदस्त सक्रिय शक्ति है। ब्रिटिश सल्तनतकी संगठित हिंसा-शक्ति और देशके हिंसक दलकी बढ़ती हुई असंगठित हिंसा-शक्तिके मुकाबलेमें इस जबरदस्त अहिंसक शक्तिको खड़ा

करनेका मेरा इरादा है। अगर मैं हाथ-पर-हाथ धरे बैठा रहा तो इन दोनों हिंसक शक्तियोको खुलकर खेलनेका मौका मिल जायेगा। अहिंसाको मैंने जिस रूपमें जाना है, उस रूपमें उसकी कार्य-साधक शक्तिमें समस्त सन्देहोंसे परे अविचल श्रद्धा रखते हुए भी यदि मैं और अधिक प्रतीक्षा करता हूँ तो वह पापपूर्ण कृत्य होगा।

यह अहिंसक शक्ति सविनय अवज्ञा द्वारा व्यक्त होगी। फिलहाल तो सिर्फ सत्याग्रह आश्रमके लोगो द्वारा ही इसकी शुरुआत होगी, लेकिन बादमें तो जो भी लोग इस आन्दोलनकी स्पष्ट मर्यादाओको जानते हुए इसमें शरीक होना चाहेंगे, सब शरीक हो सकेंगे।

मैं जानता हूँ कि अहिंसात्मक संघर्ष शुरू करके मै पागलोका-सा साहस कर रहा हूँ, वैसी ही जोखिम उठा रहा हूँ। लेकिन जोखिम उठाये बिना, और अकसर भारीसे-भारी जोखिम उठाये बिना, सत्यकी कभी जीत नही हुई है। जो राष्ट्र किसी ऐसे राष्ट्रका जाने या अनजानें शोषण करता रहा है जो जनसंख्याकी दृष्टिसे उससे बड़ा है, जो उससे अधिक प्राचीन और उसके जैसा ही सभ्य-सस्कृत है, उस राष्ट्रके लोगोंका हृदय-परिवर्तन करनेके लिए चाहे जितनी जोखिम क्यो न उठानी पडे, कम ही है।

'हृदय-परिवर्तन' शब्दका प्रयोग मैं जान-बूझकर कर रहा हूँ, क्योकि मैं अपने मनमें यही महान् आकाक्षा लेकर चल रहा हूँ कि अहिंसाके द्वारा अंग्रेजोका हृदय-परिवर्तन करके भारतके साथ उन्होंने जो अन्याय किया है, उसे देखनेकी सामर्थ्य उन्हें दे सकूँ। मैं आपके देशभाइयोका बुरा नही चाहता। अपने देशभाइयोकी तरह ही मैं उनकी भी सेवा करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने हमेशा उनकी सेवा ही की है। सन् १९१९ तक मैंने आँखें बन्द करके उनकी सेवा की। लेकिन जब मेरी आँखें खुली और मैंने असहयोगकी आवाज बुलन्द की तब भी मेरा मकसद उनकी सेवा करना ही था। जिस हथियारका मैंने अपने प्रियसे-प्रिय सम्बन्धीके खिलाफ नम्रतासे, पर कामयाबीके साथ इस्तेमाल किया है, वही हथियार मैंने सरकारके खिलाफ भी उठाया। अगर यह बात सच है कि मैं भारतीयोंके समान अंग्रेजोको भी चाहता हूँ तो यह बात ज्यादा देरतक छिपी नही रहेगी। बरसोतक मेरी परीक्षा लेनेके बाद जैसे मेरे कुनबेवालोने मेरे प्रेमके दावेको कबूल किया, वैसे ही अग्रेज भी किसी दिन कबूल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाईमें आम जनता मेरा साथ देगी और अगर उसने साथ दिया तो — सिवा उस हालतके कि अंग्रेज लोग समय रहते ही समझ जायें — उसके कष्ट-सहनसे कठोरसे-कठोर लोगोंके भी हृदय पसीज जायेंगे।

सविनय अवज्ञाके द्वारा हम ऐसी ही बुराइयोंका विरोध करेंगे जिनके कुछ उदाहरण मैंने ऊपर दिये है। ब्रिटेनसे अपने सम्बन्ध तोड़ डालनेकी हमारी इस इच्छाका कारण ऊपर गिनाई गई ये बुराइयाँ ही है। इनके मिटते ही रास्ता साफ हो जायेगा और फिर सुलहके लिए दरवाजे खुल जायेंगे। भारतके साथ अग्रेजोंके व्यापारमें से यदि लोभका पाप धुल जाये तो हमारी आजादीको कबूल करनेमें अग्रेजोको कोई कठिनाई न होगी। अतएव मैं आपको इन बुराइयोंको तत्काल दूर करने और इस प्रकार एक सच्ची परिषद्के आयोजनका मार्ग प्रशस्त करनेके लिए आमन्त्रित

करता हूँ। इस परिस्थितिमें जो परिषद् होगी उसमें शामिल होनेवाले पक्षोंमें कोई छोटा या बड़ा नही होगा, बल्कि वे बराबरीके पक्ष होंगे और उनका उद्देश्य स्वेच्छा-जनित सहयोगके द्वारा केवल मानव-समाजका कल्याण करना और पारस्परिक सहायता तथा दोनोंके लिए समान रूपसे लाभदायक व्यापारकी शर्तें तय करना होगा। बद-नसीबीसे देशमें आज जो साम्प्रदायिक झगड़े फैले हुए हैं उन्हें आपने बेवजह जरूरतसे ज्यादा महत्त्व दिया है। यह तो ठीक है कि किसी भी सरकारकी योजना तैयार करनेमें इनका खयाल रखना जरूरी होगा, लेकिन जो सवाल साम्प्रदायिक झगड़ोंसे परे हैं और जिनके कारण सब कौमोंको समान रूपसे हानि उठानी पड़ती है, उन सवालों-का इन झगड़ोंसे कोई सरोकार ही नही है। लेकिन अगर ऊपर लिखी बुराइयोंको दूर करनेका कोई इलाज आप नही ढूँढ़ निकालेंगे और मेरे इस पत्रका आपपर कोई असर न होगा तो इस महीनेकी ग्यारहवी तारीखको[1] मै अपने आश्रमके जितने साथियोंको ले जा सकूँगा, उतने साथियोंके साथ नमक-सम्बन्धी कानूनको तोड़नेके लिए कदम बढ़ाऊँगा। गरीबोंके दृष्टिकोणसे यह कानून मुझे सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण मालूम होता है। आजादीकी यह लड़ाई खासकर देशके गरीबसे-गरीब लोगोके लिए है। अतः यह लड़ाई इस अन्यायके विरोधसे ही शुरू की जायेगी। आश्चर्य तो यह है कि हम इतने सालोंतक इस क्रूरतापूर्ण एकाधिकारको स्वीकार करके चलते रहे। मैं जानता हूँ कि मुझे गिरफ्तार करके मेरी योजनाको निष्फल बना देना आपके हाथमें है, परन्तु मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद लाखों आदमी अनुशासित ढंगसे इस कामको अपने सिर उठा लेंगे और नमक-कानूनको, एक ऐसे कानूनको तोड़नेके लिए दिया जानेवाला सारा दण्ड खुशी-खुशी भोगेंगे जो विधान-पुस्तकको विरूपित कर रहा है और इसलिए जो कभी बनाया ही नही जाना चाहिए था।

मै आपको अनावश्यक रूपसे या कमसे-कम मेरे लिए जहाँतक सम्भव है वहाँ तक किसी धर्मसंकटकी स्थितिमें नही डालना चाहता। अगर आप सोचते हों कि मेरे पत्रमें कोई सार है और अगर आप इन मामलोंपर मुझसे बातचीत करना योग्य समझते हों तथा यदि इस उद्देश्यसे आप यह चाहते हों कि मैं इस पत्रको प्रकाशित न करूँ तो आप पत्र मिलते ही इस आशयका तार भेजकर मुझे सूचित करें।[2] फिर मै इसका प्रकाशन सहर्ष रोक रखूँगा। लेकिन एक कृपा अवश्य कीजि-एगा। वह यह कि अगर आप इस पत्रके सारसे सहमत न हो सकें तो मैंने अपने लिए जो रास्ता तय कर लिया है, उससे मुझे विमुख न करें।

इस पत्रको किसी भी तरहसे धमकी न समझें। इसे लिखना तो एक सविनय प्रतिरोधीका सीधा-सादा और पवित्र कर्त्तव्य था, जिसे उसे पूरा करना ही था। इसलिए मैं इसे विशेष रूपसे एक ऐसे नौजवान अंग्रेज मित्रके हाथ भेज रहा हूँ जो

१. गांधीजीने १२ मार्चको कूच आरम्भ किया था।

२. वाइसरायने उत्तरमें इस बातके लिए केवल दुःख-भर प्रकट किया था कि गांधीजी "एक ऐसा रास्ता अख्तियार करनेकी सोच रहे हैं जिससे स्पष्टतः कानून भंग होगा और सार्वजनिक शान्ति खतरेमें पड़ जायेगी।"

भारतीय पक्षके औचित्यमें विश्वास रखते हैं और जिनकी अहिंसामें पूरी श्रद्धा है और जिन्हें, ऐसा लगता है मानो, ईश्वरने इसी कामके लिए मेरे पास भेजा।[1]

आपका सच्चा मित्र,
मो० क० गांधी

परमश्रेष्ठ लॉर्ड इर्विन
वाइसराय हाउस
नई दिल्ली-३

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-३-१९३० तथा एस० एन० १६६२४ से भी।

४. भाषण : साबरमती आश्रममें[2]

२ मार्च, १९३०

जब-कभी आश्रमकी मारफत कोई विवाह सम्पन्न होता है तो मैं आशीर्वादके साथ दो शब्द भी कह देता हूँ। श्री शंकरलाल और उमियाके विवाहके अवसरपर मैंने जो आशा व्यक्त की थी, मैं फिर वैसी ही आशा व्यक्त करना चाहता हूँ।

भाई बनारसी, तुमसे मुझे बहुत-कुछ आशा रखनेका अधिकार है। तुम्हारी नम्रता और धर्मभावना आदिको देखकर मुझे बहुत आनन्द हुआ है। मुझे आशा है कि तुम यथाशक्ति देशके कार्यमें लगे रहोगे तथा इसके लिए रुक्मिणीको भी प्रेरित करोगे। सप्तपदीकी प्रतिज्ञाके अर्थको भलीभाँति हृदयंगम करके उसका पालन करनेका प्रयत्न करो। प्रतिज्ञामें कहा गया है कि हम एक-दूसरेके मित्र बनेंगे; किन्तु मित्रता तो तभी मानी जायेगी जब तुम एक-दूसरेके दोषोंको दूर करोगे। इस संसारमें जो राग-द्वेष दिखाई पड़ते हैं उसका कारण एक-दूसरेके दोष देखना है। जब लोग विषय-भोगकी ही बात सोचते हैं तभी राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पति-पत्नीके बीच विषय-भोगका सम्बन्ध न होकर सच्ची मित्रताका सम्बन्ध रहे। मैं जानता हूँ कि इसका पालन करना कठिन है, किन्तु प्रयत्न करनेवालेके लिए यह तनिक भी कठिन नही है। प्रतिज्ञा लेते हुए वधू कहती है कि तुम मेरे मित्र हो, देवता हो। इस बार

१. यह पत्र-वाहक रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्स थे। टु लिव इन मनकाइंडमें इस प्रसंगका उल्लेख करते हुए वे कहते हैं : "गांधीजी ने आग्रह किया कि मैं पत्रको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लूँ और तभी इसे वाइसरायके पास ले जाऊँ। वे नहीं चाहते थे कि इस पत्रके मज़मूनसे पूरी तरह सहमत हुए बिना मैं इसमें अपनेको शामिल करूँ। दरअसल इस पत्रको लेकर मुझे इसलिए भेजा गया था कि यह चीज इस बातका प्रतीक समझी जाये कि यह संघर्ष केवल भारतीयों और अंग्रेजोंके बीचका ही संघर्ष नहीं था।. . ." देखिए "उस पत्रके बारेमें", ६-३-१९३० भी।

२. बनारसीलाल बजाज तथा मगनलाल गांधीकी पुत्री रुक्मिणी गांधी (रुखी) के विवाहके अवसरपर।

प्रतिज्ञाके उक्त शब्दोंको हटा देनेकी मेरी इच्छा हुई थी; किन्तु मैंने उन्हें यह मानकर बना रहने दिया कि ऐसा करनेसे कोई भ्रम पैदा न हो जाये। फिर भी मैं भविष्यमें गुरु और देवता शब्दोंको हटा देना चाहता हूँ। इसका कारण यह है कि पति स्वयंको देवता और गुरु माने, यह ठीक नहीं है। दूसरेकी सेवा करनेवाला तो सहज ही उसके लिए देवता और गुरु बन जाता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि आज जो प्रतिज्ञा की जा रही है, वह झूठ है। रुक्मिणीने अच्छी तरह समझ-बूझकर तुम्हें गुरु और देवता माना है। अतः तुम उसके लायक बनो। उसे फूलकी तरह सँभालकर रखना। प्रान्त-भेदके कारण उत्पन्न होनेवाली बातोंको सहन करना। मारवाड़ और गुजरातमें जो सम्बन्ध स्थापित हुआ है वह पुष्पित और पल्लवित हो। अन्य लोगोंके लिए तुम्हारा सम्बन्ध आदर्श रूप हो।

रुखी, बनारसीको मैंने नहीं बल्कि मगनलालने पसन्द किया था। मैंने तो सिर्फ उसका उत्तराधिकारी होनेकी योग्यता पानेका प्रयत्न किया है। मगनलालने तुझसे जो आशा की थी, तू उसे पूरी करना। यह तो तू जानती है कि उसका पूरा जीवन सेवामय था। उसका यह संस्कार मुझमें भी आ जाये, इस विचारसे मैं उसके आसन पर बैठ गया हूँ। मेरे अपने विचार तो तू जानती ही है। तू उन विचारोका अनुसरण करे, यही नही, तुझे अपने पिता और पितामहका नाम रोशन करना चाहिए। मेरी महत्त्वाकांक्षा तो यह है कि तेरी सास आदिको तुझमें स्वार्थका नाम-निशान तक नजर न आये तथा तेरे हाथों ऐसा कोई काम न हो जिससे मुझे, खुशालभाई, देवभाभी या सन्तोकको शर्मिन्दा होना पड़े। तेरे किसी भी कामपर यदि कोई लांछन आया तो वह दुःखकी बात होगी। विषय-भोगमें भी संयम रखना श्रेयस्कर होगा। संयमके लिए ही विषय-भोग करना। स्वभाववश हमें कुछ बातें करनी पड़ती हैं, जैसे प्रार्थनाके समय संगीत। यह एक प्रकारका भोग है; क्योंकि मधुरता तो भोग है। किन्तु यह भोग त्यागके लिए है। इसी प्रकार विवाह भी भोग है, किन्तु इसके बावजूद हमें यह समझ लेना चाहिए कि उसका उद्देश्य संयम है। विषय-भोगको स्वीकार करनेका हेतु उससे छुटकारा पाना है। तू तो दक्षिण आफ्रिकासे ही यह शिक्षा लेती आ रही है। इसलिए सदा सेवा करती रहना और ऐसे काम करना जिनसे बनारसीको आश्रमकी गुजराती कन्याके साथ विवाह करनेका पश्चात्ताप न हो। यदि उसमें गुरु-देवता बननेकी योग्यता न भी हो तो तू ऐसी आदर्श स्त्री बनना जिससे तेरे द्वारा उसमें ऐसी योग्यता आ जाये। तुम दोनों दीर्घायु होओ, यह मेरा हार्दिक आशीर्वाद है।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२९६)की नकलसे।

५. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

सोमवार, ३.४५ प्रातःकाल
[३ मार्च, १९३०][1]

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारे खतकी मैं राह देख रहा था। छगनलाल और काशीबहनसे तो सुना कि तुमारा बुखार चला गया और राजी हुआ।

दूधमें घी लेनेसे हजम हो जाय तो अवश्य ले लो। दूध थोडा लेनेसे और रोटीमें लेनेसे काम चले तो भी अच्छा है। वैद्योका अनुभव यह बताता है कि जो दूधसे बंधकोष्ट होता है उसका फल छोड़कर और चीजोसे भी ऐसा हि होगा। परतु उसकी कोई दरकार नहि है। जिससे अच्छा हो जाय ऐसा करो।

अब रही बात दिल्लीकी। मा और भाईको तारसे रोको। कहो कि तुमारा अब तो जेलमें जानेका नहि है। और अब तुमारे कामोमें दखल भी न दें। तो भी यदि तुमारे पास आवे तो दृढ रहो, विनयसे कह दो अब तुमारे पर ऐसा दबाव डालनेकी आशा छोड दें। उनके दु.खकी बरदास करो। ऐसा एक वखत भी होगा तो वे शांत हो जायगे।

महादेव दिल्ही नहि गया है। रेनल्ड्स खत लेकर गया है।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० २३७५ की फोटो-नकलसे।

६. पत्र : मनमोहनदास गांधीको

३ मार्च, १९३०

भाईश्री मनमोहनदास,

आपकी भेजी हुई दोनो पुस्तके मिली। आप देखते ही हैं कि नमक-सम्बन्धी पुस्तकका उपयोग हो रहा है। यदि आपको इतनी जानकारी और हो तो उसे प्राप्त कर मुझे भेजिएगा कि नमक-कर उगाहनेमें कितना खर्च होता है? कोई कहता है ८ प्रतिशत, कोई २० प्रतिशत। अन्य करोंको उगाहनेमें होनेवाले खर्चके साथ इस खर्चकी तुलना भी कीजिएगा।

१. तिथिका निर्धारण "पत्र : लॉर्ड इर्विनको", २-३-१९३० से किया गया है। यह पत्र वाइसरायको रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्स द्वारा भिजवाया गया था।

आपके पास नमकपर यदि अन्तिम एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट (शासकीय विवरण) हो तो भेजें, यदि आपके पास उसकी एक ही प्रति हो तो मैं उसे वापस भेज दूँगा।

अब आपकी कपासके बारेमें लिखी पुस्तकके सम्बन्धमें। मैं इसे पढ़ रहा हूँ। आप लिखते हैं कि प्राचीन कालमें बुनाई और कताई सम्भवतः सहायक धन्धे नहीं अपितु स्वतन्त्र धन्धे रहे होंगे। बुनाई और कताई दो स्वतन्त्र क्रियाएँ हैं। बुनाई (मुख्यतः) स्वतन्त्र धन्धा था और आज भी है। कताई हमेशासे (मुख्यतः) सहायक धन्धा रहा है, यह बात हम आज भी हजारों दृष्टान्तोंसे सिद्ध कर सकते हैं। १९१९ में पुनरुद्धार आन्दोलनके आरम्भके समय भी ऐसे दृष्टान्त मौजूद थे। यह भेद महत्त्वपूर्ण है। इसलिए आप समझ ही लेंगे कि यह जो भूल बन पड़ी है वह गम्भीर है। अनुभव-ज्ञानके अभावमें ऐसी भूलें होती ही रहेंगी; ऐसी भूलें उन लेखकोंसे भी हुई हैं जिन्होंने आपसे अधिक अध्ययन किया है, जो आपसे अधिक गहरेमें उतरे हैं। लेकिन विनम्र अभ्यासीके लिए अपने बचावमें यह दलील देना व्यर्थ है। आप मुगल-कालके बारेमें लिखते हुए कहते हैं, "मुस्लिम साम्राज्यमें इतनी मार-काट हुआ करती थी कि धन्धे आदि चल नहीं सकते थे।" आपकी इस मान्यतामें दो दोष हैं। यह मार-काट कभी व्यापक नहीं होती थी। अकबरसे पूर्व किसी मुसलमान बादशाहने कभी गाँवोंमें प्रवेश नहीं किया था। सारी मार-काट शहरोंमें हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त शहरोंमें होनेवाली मार-काटका असर भी कारीगर-वर्ग पर कम ही होता था। इस अन्धेरपूर्ण राज्यमें भी हम आज कारीगरोंको काम करते हुए देखते हैं। प्राचीन कालमें शासनतन्त्र केवल राजनयिकोंके वर्गको ही स्पर्श करता था। यह तो आजके युगकी ही विशेषता है कि सरकारोंको समस्त जनताको अपने अधिकारमें ले लेनेका लोभ होता जा रहा है और इस बातमें अंग्रेजी राज्यने अधिकसे-अधिक निपुणता प्राप्त की है। उसकी यही निपुणता हमें नेस्तनाबूद किये दे रही है, क्योंकि उस राज्यका अस्तित्व परोपकारके लिए नहीं है।

फुरसत मिलनेपर सवेरेके समय मैं यह पत्र लिख रहा हूँ; क्योंकि मैं आपसे महत्त्वपूर्ण योगदानकी आशा रखता हूँ।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६) की फोटो-नकलसे।

७. पत्र : रेहाना तैयबजीको

सत्याग्रहाश्रम, साबरमती
५ मार्च, १९३०

प्रिय रेहाना,

यह पत्र तो बोलकर ही लिखाना होगा। अन्यथा तुम्हें पत्र लिख नही सकता।

तुम्हें किसी भी चीजका इस्तेमाल करने या न करनेकी तो पूरी छूट है ही, लेकिन मै समझता हूँ, पिताजी और माताजी ने जो स्थिति अपनाई है उसके खिलाफ भी कुछ नही कहा जा सकता। गृहस्थीके सूत्रधार तो वही लोग है। तुम नम्रतापूर्वक कुछ सुझाव तो दे सकती हो, लेकिन तुम्हें उनकी इच्छाओका बुरा नही मानना चाहिए। इनसे अच्छे माता-पिताकी तो कोई भी आशा नही कर सकता। इतना ही काफी है कि जहाँतक तुमसे बनता है, तुम पाश्चात्य सुखोपादानोका प्रयोग नही करती। अपने प्रति कठोर और अपने आसपासके लोगोके प्रति उदार रहकर तुम उन्हें जितना प्रभावित कर सकती हो, उतना और किसी तरीकेसे नही कर सकती।

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजी (एस० एन० ९६१५) की फोटो-नकलसे।

८. टिप्पणियाँ : साबरमती आश्रमकी प्रार्थना-सभामें

५ मार्च, १९३०

१२ तारीखको प्रातःकाल आन्दोलन आरम्भ हो जायेगा। अतः मेरे साथ भाग लेनेवाले सभी लोगोको पाँच दिनमें तैयार हो जाना पडेगा। भोजन-पानीकी चिन्ता आपको नही करनी चाहिए। ईश्वरपर भरोसा रखनेसे हमें सब-कुछ मिल जायेगा।

एक नवयुवकने पूछा कि हमें किस ओर कूच करना है। चलते-चलते मुस्कराते हुए उसके प्रश्नका उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा :

हम लोग पेथापुरकी तरफ पैदल कूच करेंगे। हमारे साथ एक घोडा रहेगा और यदि मेरी तबीयत ठीक न हुई तो मैं उसका उपयोग करूँगा। श्री अब्बास तैयबजी तथा पचास लोगोकी टुकड़ीके साथ मैं कूच करूँगा। प्रत्येक व्यक्तिको अपने साथ 'गीता की एक प्रति रखनी चाहिए। यदि जरूरत पड़ी तो हम जेलमें भी सविनय कानून-भग करेंगे। सिर्फ पुरुष ही हमारे साथ जायेंगे। स्त्रियाँ तथा बच्चे आश्रममें ही रहेंगे।

किसीके यह सुझानेपर कि हमें चार-पाँच स्त्रियोंको अपने साथ रखना चाहिए, गांधीजी ने कहा :

स्त्रियोंको सत्याग्रह करनेका पूरा अवसर मिलेगा। जैसे हिन्दू गायको नहीं मारते उसी प्रकार अंग्रेज लोग जहाँतक सम्भव होता है स्त्रियोंपर हमला नही करते। यदि हिन्दू लड़ाईमें जाते हुए अपने साथ गायको ले जायें तो उसे कायरता माना जायेगा। इसी प्रकार यदि हम स्त्रियोंको साथ ले जायें तो यह कायरता मानी जायेगी। भविष्यमें होनेवाले आन्दोलनमें तो बच्चे भी मारे जायेंगे, यह जानते हुए भी यदि हम बच्चोंको साथ रखेंगे तो यह मूर्खता ही होगी।

मैं चाहता हूँ कि यह आन्दोलन एकाध मासमें समाप्त हो जाये, किन्तु यह तो बहुत दिनोंतक चलेगा।

[गुजरातीसे]

गुजराती, ९-३-१९३०

९. पत्र : विट्ठलदास जेराजाणीको

५/६[1] मार्च, १९३०

भाईश्री जेराजाणी,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें भाई शंकरलाल जहाँ जानेके लिए कहें वहाँ चले जाना। ऐसे कामके लिए मेरी अनुमति प्राप्त करनेकी कोई जरूरत नहीं। जब मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस होगी तब तुम जहाँ भी होगे वहाँसे तुम्हें बुला लूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९७६९) की फोटो-नकलसे।

१०. नमक-कानूनके दण्ड-विषयक खण्ड

बम्बई नमक-कानून और भारतीय नमक-कानूनसे शब्दशः अथवा संक्षिप्त रूपमें उद्धृत निम्नलिखित खण्डोंको[2] देखनेसे स्पष्ट हो जायेगा कि उन्हें लागू करनेका क्या मंशा रहा है। बम्बई कानून १८८२ के भारतीय कानूनकी ही परिष्कृत आवृत्ति है। बम्बई कानूनके अधिकांश दण्ड-विषयक खण्डोंसे प्रकट होता है कि मूलको और भी सख्त रूप दे दिया गया है। जाहिर है कि इस कानूनके प्रयोगके अनुभवसे यह परिवर्तन आवश्यक जान पड़ा। केन्द्रीय कानूनसे केवल एक खण्ड लिया गया है। पाठकगण उस विचित्र खण्डको लक्षित किये बिना न रहेंगे जिसमें कहा गया है कि अगर नमक-कर वसूल करनेवाले अधिकारी 'कायरता'से काम लेते पाये जायेंगे तो उनका यह आचरण जुर्म माना जायेगा और इसके लिए तीन साल तककी सजा दी जा

१. यह पत्र ५ तारीखको लिखवाया गया था और गांधीजी ने इसपर ६ को हस्ताक्षर किये थे।
२. देखिए परिशिष्ट १।

सकती है। 'कायरता' शब्दकी कोई परिभाषा नही की गई है। लेकिन समझदार पाठकोको यह समझनेमें कोई कठिनाई नही होगी कि एक ऐसे कानूनके प्रयोगके सन्दर्भमें, जिसकी चपेटमें करोड़ो आदमी, स्त्री-पुरुष, बूढ़े-जवान, शारीरिक दृष्टिसे अक्षम और सक्षम सभी आ जाते है, इस शब्दका क्या अर्थ हो सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-३-१९३०

११. सरकारी कर्जका विश्लेषण

श्रीयुत हरिदास मजुमदारने सरकारी कर्जके विषयमें एक लेख लिखा है। नीचे उसका सार दे रहा हूँ[1] जिससे पाठक समझ सकते है कि यह कर्ज क्या चीज है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-३-१९३०

१२. उस पत्रके बारेमें

जैसा कि अखबारोंका अनुमान था, वाइसराय साहबके नाम मेरा पत्र २ मार्चको रवाना हो गया। अखबारवालोंने पत्रकी बातोके सम्बन्धमें कई अटकले लगाई है, मगर उनमें से अधिकांश गलत है। मैं चाहता हूँ कि सवाददाता और समाचार भेजने-वाली एजेंसियाँ समाचारोको केवल 'पैसा कमाने'का जरिया बनानेके बजाय लोक-हितका खयाल रखा करें। अगर पत्रमें सर्व-साधारणके कामकी कोई बात होती तो अवश्य ही पण्डित जवाहरलाल नेहरूने उसे जाहिर किया होता। लेकिन उसे छापनेसे पहले दिल्लीसे उसके जवाबकी राह देख लेना मुनासिब समझा गया। मैं लड़ाई करनेको तुला नही बैठा हूँ। अगर हो सके तो उसे टालनेके लिए मैं कोई बात उठा नही रख रहा हूँ। लेकिन जिस घड़ी मुझे मालूम हो जायेगा कि अब किसी सम्माननीय समझौतेकी गुजाइश नही रह गई है, उसी घडी मै लडाई छेड देनेके लिए तैयार हूँ। समाचारोको अप्रत्यक्ष स्रोतोसे और प्रायः उलटे-सीधे साधनोसे बटोरकर उन्हें समयसे पहले छापना पत्रकारोका काम नही होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि दुनिया-भरमें सबसे बडा माना जानेवाला पत्र अपनी इस बातके लिए मगरूर है कि वह छिपे तौर पर ऐसे समाचार भी प्राप्त कर सकता है, जिसे दूसरी एजेंसियाँ प्राप्त नही कर सकती। जिन समाचारोको लोग कुछ समयके लिए लोकहितकी दृष्टिसे गुप्त रखना चाहते है, उन्हें छापकर वह पत्र अभिमानसे फूल उठता है। लेकिन अंग्रेज जनता

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

'टाइम्स' के इस व्यवहारको इसलिए सह लेती है कि उसके संचालकोंमें धनवान और प्रभावशाली लोग है। हमने अपने शासकोंके इस व्यवहारकी बिना विचारे, आँख मूंद कर नकल की है, और यह नकल सिर्फ समाचारोंके छापने तक ही सीमित नही रही है, बल्कि अधिक महत्त्वकी कई बातोंमें भी हम उनके अन्धे नकलची बन गये हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी यह आवाज अरण्यरोदन-सी है, हालांकि मैं यह बात अधिकारपूर्वक कहता हूँ, क्योंकि अगर चार साप्ताहिकोंको[1] सफलतापूर्वक चलाना पत्रकारिताका व्यावहारिक अनुभव माना जा सकता है तो मुझे इस कलाका लगातार २० सालसे ज्यादाका निजी अनुभव है। खैर, चाहे जो हो, शीघ्र ही जो लड़ाई छिड़नेवाली है, उसमें अन्य बातोंके साथ हर चीजमें अंग्रेजोंकी इस अन्धी नकल पर हमला करना भी शामिल है। आशा है, इसके कारण कोई मुझे अग्रेज-विरोधी वृत्तिका दोषी नही ठहरायेगा। सच तो यह है कि मुझे अपने विवेकपर गर्व है। मैंने धन्यवादपूर्वक अग्रेजोसे उनके कई गुण सीखे है। समयकी पाबन्दी, वाक्-संयम, सार्वजनिक स्वास्थ्य-सफाई और सुघड़ता, स्वतन्त्र विचार, स्वतन्त्र निर्णय और दूसरी कई बातें मैंने अंग्रेजोंके सम्पर्कमें रहकर सीखी हैं। इनके लिए मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन चूँकि मुझमें शुरूसे ही गुलामीकी मनोवृत्तिका नामोनिशान नही रहा है और न मेरे दिलमें कभी यह विचार ही आया कि किसी अधिकारी या अन्य अंग्रेजकी दोस्तीका लाभ उठाकर अपना भौतिक स्वार्थ साधूं, इसलिए मुझे अंग्रेजोसे पूरी तरह अनासक्त रहकर उन्हे पहचानने, उनका अध्ययन करनेका विरल सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतएव जब कि यह लड़ाई शुरू होनेवाली है, मै अपने सहयोगी पत्रकारोको सावधान कर देना चाहता हूँ कि वे समाचार छापने या पानेके लिए अंग्रेजी तरीकोंकी नकल न करें। मेरे महात्मा बननेसे बहुत पहले और जब हिन्दुस्तानके सार्वजनिक जीवनमें मेरा कोई महत्त्वका स्थान नही था उस समय मैंने जो मौलिक तरीका इस बारेमें अख्तियार किया था, मेरे सहयोगी उसका अध्ययन करके देखें। निःसन्देह मामला बड़ा टेढ़ा था, लेकिन अन्य क्षेत्रोंकी भाँति ही मैंने पत्रकारिताके क्षेत्रमें भी यह अनुभव किया कि शुद्ध प्रामाणिकता और सच्चा व्यवहार सर्वोत्तम नीति हैं। छोटे रास्तेसे निकलनेकी कोशिशमें, हम जितनी दूरी बचाना चाहते हैं, उससे कमसे-कम दुगुनी दूरी ज्यादा तय करनी पड़ जाती है; क्योंकि उस राहसे लौटना तो पड़ता ही है। मै ये सारी बातें अपने साथी पत्रकारोंको उपदेश देनेके लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस गरजसे कह रहा हूँ कि आगामी लड़ाईमें उनका शुद्ध सहयोग मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा — फिर चाहे वे मेरे राजनीतिक लड़ाईके तरीकोंको पसन्द करें या उनकी मुखालफत करे। जो जोखिम मै उठा रहा हूँ, मेहरबानी करके वे उसे ज्यादा न बढ़ायें। मै उम्मीद करता हूँ कि वे एक नियमका पालन करेंगे और वह यह कि जबतक मेरे नजदीकी और किसी अधिकारी व्यक्तिसे समाचारोंकी जाँच न करा लें, वे कोई भी समाचार अपने पत्रमें न छापें।

१. इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, और हिन्दी नवजीवन।

इस लम्बी भूमिकाके बाद मैं पाठकोंसे यह कह दूँ कि वाइसराय साहबके निजी सचिव तक हाथों-हाथ पहुँचानेके लिए यह पत्र एक खास पत्रवाहकके साथ भेजा गया था। ये पत्रवाहक एक नौजवान अंग्रेज मित्र श्री रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्स हैं। कुछ महीने पहले ये हिन्दुस्तान आये हैं और उन्होंने हिन्दुस्तानके पक्षको सम्पूर्णतया अपना पक्ष बना लिया है। मेरे लिए तो यह पत्र भेजना एक धार्मिक कार्य था, जैसी कि यह सारी लड़ाई है। और एक अंग्रेज मित्रको मैंने अपना पत्रवाहक इसलिए चुना कि मैं अपने ऊपर एक और अंकुश लगा लेना चाहता था ताकि मुझसे एक भी अंग्रेजको तकलीफ पहुँचानेका कोई काम इरादतन न हो सके। अगर मुझे अपनी बातका थोड़ा भी खयाल है तो अनजाने होनेवाली भूलपर भी इस पसन्दके कारण अपने-आप अंकुश बना रहेगा। मुझे यह देखकर भी खुशी होती है कि मुझे एक ऐसे काममें, जिसमें मेरी सारी कोशिशोंके बावजूद अंग्रेजोंकी जान जानेका खतरा मौजूद है, एक संस्कारवान्, बहुविद् और निष्ठावान अंग्रेजका निःस्वार्थ सहयोग बिना माँगे ही मिल गया है।

जहाँतक खुद पत्रकी बात है, जब वह पाठकोंके सामने जायेगा तो वे देखेंगे कि वह कोई अन्तिम चेतावनी नहीं है, बल्कि अपनेको अंग्रेजोंका मित्र माननेवाले व्यक्तिका लिखा एक मैत्रीपूर्ण पत्र है, हालाँकि उसमें जो-कुछ कहा गया है सो बिलकुल दो टूक कहा गया है। लेकिन अभी कुछ दिन पाठक धीरजसे उसकी प्रतीक्षा करें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-३-१९३०

१३. विद्यार्थी और चारित्र्य

पंजाबके एक अवकाश-प्राप्त स्कूल इन्स्पेक्टर लिखते हैं:[1]

इन नारोंके बारेमें तो मैं 'यंग इंडिया' के अभी हालके ही एक अंकमें विस्तारपूर्वक लिख चुका हूँ।[2] मैं पूरी तरह मानता हूँ कि 'डाउन विद द यूनियन जैक' (ब्रिटिश झण्डा मुर्दाबाद)के नारेमें हिंसाकी गंध है। इसी तरहके और भी आपत्तिजनक नारे आजकल चल पड़े हैं। अहिंसाको कार्य-साधक नीति माननेवालों को भी उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे कोई लाभ नहीं, उलटे नुकसान हो सकता है। संयमी नौजवान ऐसे नारे नहीं लगा सकते। सत्याग्रहके तो ये विरुद्ध हैं ही। अब हम इन पत्र-लेखकके दूसरे प्रश्नपर विचार करेंगे। स्पष्ट है कि वे इस बातको भूल गये कि अधिकारियोंने जैसा बोया है, वैसा ही वे आज काट भी रहे हैं। हमारे विद्यार्थियोंमें आज जो भी चारित्रिक दोष पाये जाते हैं, उन सबके लिए मौजूदा

१. पत्रका अनुवाद यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखकने विद्यार्थियोंमें बढ़ती हुई हिंसा और घृणाकी वृत्ति तथा अनुशासनहीनताके सम्बन्धमें गांधीजी की सलाह माँगी थी।

२. देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ ५१०-१२।

शिक्षा-प्रणाली ही जिम्मेदार है। मेरी सलाह या सहायता अब काम नहीं दे सकती। अब तो शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियोके पक्षको अपना बनाकर उनका नेतृत्व करते हुए उन्हें विजय दिलाना ही इसका उपाय है। विद्यार्थी अपने देशका दर्दनाक इतिहास जानते हैं। दूसरे देशोंने किस तरह स्वतन्त्रता प्राप्त की है, यह भी वे जानते है। अब उन्हें अपने देशकी आजादीके लिए काम करनेसे रोकना मुमकिन नही। अगर उन्हें अपने ध्येयकी प्राप्तिके लिए ठीक रास्तेसे नही ले जाया गया तो ठीक लोगोंके परामर्शके अभावमें उनकी अपरिपक्व बुद्धि जो मार्ग उन्हें सुझायेगी, वे उसी मार्ग पर चलेंगे। चाहे जो हो, मैं तो उन्हें अपना मार्ग बता चुका हूँ। अगर नौजवानोंके इस उत्साहका कारण मैं ही हूँ, तो मेरे लिए यह हर्षकी बात है। मैं उस उत्साहको सही दिशा देनेकी भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर वे मेरी कोशिशोंके बावजूद गलत रास्तेपर चलते है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे सिर नही डाली जा सकती।

अमृतसरके बम-काण्डसे मुझसे ज्यादा दुःख और किसको हो सकता है? उसमें एक सर्वथा निर्दोष युवक प्रतापसिंहकी जान गई, जिसे मारना निश्चय ही बम फेंकने-वालेका उद्देश्य नही था। हमारे विद्यार्थियोमें जिस चारित्र्यकी कमीका जिक्र शिक्षा विभागके उक्त अवकाश-प्राप्त निरीक्षकने किया है, ऐसे हिंसात्मक कार्य निश्चय ही उसीके कारण होते हैं। लेकिन यहाँ चारित्र्य शब्दका प्रयोग करना शायद बहुत उचित न हो। मतलब उस तत्त्वसे है जो चरित्रको स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करता है। अगर बम फेंकनेवालेका इरादा सचमुच ही खालसा कॉलेजके आचार्यको मारनेका था, तो यह हममें फैले हुए एक भयंकर और गम्भीर रोगका सूचक है। आज शिक्षकों और विद्यार्थियोके बीच सजीव सम्बन्ध नही है। सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त शिक्षण-संस्थाओंके शिक्षक स्वभावतः यह महसूस करते है कि सरकारके प्रति वफादारीका इजहार करना और दूसरोंको वफादार बननेकी सीख देना उनका कर्त्तव्य है — भले ही उनमें सच्ची वफादारी हो या न हो। पर विद्यार्थियोंमें सरकारके प्रति वफादारीके भाव नहीं रह गये हैं। वे अधीर हो उठे है और इसी अधीरताके कारण अब वे आत्मसंयम खो बैठे हैं। यही वजह है कि वे अपनी शक्ति ऐसे कार्योमें लगाते है जिनका औचित्य सन्दिग्ध है। लेकिन इन सब घटनाओंके कारण मैं यह नही महसूस करता कि मुझे अपनी लड़ाई बन्द कर देनी चाहिए; उलटे मुझे तो यही एक मार्ग साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि इन दोनों पक्षोंकी हिंसाके दावानलसे जूझते हुए मैं या तो उसपर विजय प्राप्त करूँ या फिर स्वयं उसमें जलकर खाक हो जाऊँ।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ६-३-१९३०

१४. सरकारी कर्ज

सरकारी कर्जपर कांग्रेस द्वारा पास किये गये प्रस्तावके परिणामस्वरूप अब इस विषयपर काफी महत्त्वपूर्ण साहित्य सामने आ रहा है। 'बॉम्बे क्रॉनिकल' इस विषयपर 'पॉलिटिकस' द्वारा लिखी तथ्यपूर्ण लेख-माला प्रकाशित करके एक बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। वित्तीय समस्याएँ बराबर एक नीरस विषय हुआ करती हैं। इस विषयको समझनेके लिए काफी एकाग्रचित्त होने और कुछ पूर्व-अध्ययनकी भी आवश्यकता होती है। यह तो हमारे विद्वान् अर्थशास्त्रियोका काम है कि वे इन समस्याओंको ऐसे रोचक ढगसे सामने रखें जिससे लोग इन्हें समझ सके। 'पॉलिटिकस' द्वारा लिखी लेख-माला इसी दिशामें एक प्रयास है। मगर मै निश्चयपूर्वक ऐसा नहीं कह सकता कि उसके विषयके निरूपणको और भी सरल नही बनाया जा सकता — भले ही उसके लिए कुछ और भी विस्तारसे क्यो न लिखना पड़े। उस लेख-मालासे मै पाठकोके विचारार्थ दो चीजें यहाँ दे रहा हूँ। तमाम उपलब्ध आँकड़ोपर विचार करनेके बाद 'पॉलिटिकस' निष्कर्ष-रूपमें कहता है :

> सभी प्रकारकी सरकारी संस्थाओं द्वारा अलग-अलग उद्देश्योंसे और अलग-अलग रूपोंमें लिया गया कुल सरकारी कर्ज इस समय १२ अरब रुपयेसे कुछ ही कम होगा। यह भारतमें प्रति वर्ष उत्पादित तमाम वस्तुगत सम्पदाका आधा है। और उस सम्पदासे देशके प्रत्येक मनुष्यको मुश्किलसे दिनमें केवल एक वक्त मोटे-झोटे किस्मका खाना दिया जा सकता है—सो भी तब जब कि हम मानव-जीवनकी अन्य सभी आवश्यकताओंको अलग रख दें।

यदि यह कथन सच हो तो भारतके खिलाफ किये गये एक घोर अपराधकी साक्षी भरता है। इससे प्रकट होता है कि इन कर्जोंको अधिकांशतः ऐसी मदोमें लगाया जाता है जिनका उत्पादनसे कोई सम्बन्ध नही है। यदि ये कर्ज सही ढंगके होते तो हमारी सम्पत्तिमें इतनी वृद्धि तो अवश्य हुई होती जिससे हममें से प्रत्येकको खानेके लिए बहुत काफी मिल जाता। कुल कर्जका हवाला दे देनेके बाद 'पॉलिटिकस' इन दायित्वोंके नैतिक औचित्यपर विचार करते हुए अन्तमें अपना मत इन शब्दोंमें व्यक्त करता है :

> लेकिन यहाँ इस बातका उल्लेख फिर करना होगा कि अभी तक ये कर्ज सरकारने भारतकी जनताकी राय जाननेकी चिन्ता किये बिना लिये है। भारतकी जनताको १९१९-२० के सुधार अधिनियमके अधीन भी कर्ज लेने-न-लेने और उसके भुगतानका दायित्व अपने सिर लेने-न-लेनेके बारेमें मत देनेका अधिकार नहीं दिया गया है। अतएव हमारी राजनीतिक परिपक्वताकी स्वीकृतिके साथ — चाहे वह स्वीकृति औपनिवेशिक स्वराज्यके ही रूपमें क्यों न हो — लगाई गई ऐसी कोई भी शर्त विधान और अन्तरात्मा दोनों ही

> धरातलोंपर अस्वीकार्य होनी चाहिए जो भारतकी जनतापर भविष्यमें सदाके लिए एक ऐसा बोझ डाल देगी जिसे अपने सिर डालनेकी उसने न पहले स्वीकृति दी थी और न बादमें उस कार्रवाईकी पुष्टि ही की थी। बेशक, किसी भी न्यासीको न्यासको समाप्त करते समय अपनी व्यवस्थाका पूरा हिसाब-किताब देनेका अधिकार है ताकि बादमें वे लोग, जिनके हकमें न्याय चलाया जाता था और जिन्होंने अब न्यासकी सम्पत्ति स्वयं सँभाल ली है, उस न्यासीपर कोई दावा या जवाबी दावा न करें। मगर इसका मतलब यह नहीं कि न्यासी न्यासको भंग करते समय न्यासकी जायदादपर जो भी दावे करे उन सबको वे लोग, जिनके हकमें न्यास चलाया जाता था, बिना किसी छान-बीनके स्वीकार करके अपने सिर ओढ़ लें।

कांग्रेसके प्रस्तावका[1] भी कुल मतलब इतना ही है। हाँ, उसमें एक यह सुझाव भी जरूर रखा गया है कि इन सौदोंकी जाँच-पड़ताल करनेके लिए कोई ऐसी समिति नियुक्त की जाये जिसके सम्बन्धमें किसीको कोई आपत्ति या शंका न हो।

मगर उनमें अपनी इच्छा थोपनेकी शक्ति है, जब कि हमने अबतक उस इच्छाका विरोध करनेकी शक्तिका विकास अपने अन्दर नहीं किया है। तभी तो सर मैलकम हेली, उनके द्वारा जो-कुछ कहनेकी खबर छपी है, वह सब कह सके। वे संयुक्त प्रान्तकी विधान-परिषद्में बोल रहे थे। अपने अभिभाषणके दौरान उन्होंने कहा:

> सबसे पहले तो सविनय अवज्ञा आन्दोलनको विफल बनानेके लिए हर वैध उपायसे काम लिया जायेगा, और यदि ये वैध उपाय पर्याप्त नहीं सिद्ध होंगे तो हम कानूनमें ऐसी धाराएँ जुड़वानेका प्रयत्न करेंगे जिनसे हमारा उद्देश्य पूरा हो सके।

मानों इतना काफी नहीं था, उन्होंने जोशमें भरकर कहा:

> मुझे यह भी लग सकता है कि यदि सरकारको इस अवसरपर उस दानवी रूपका भी कुछ परिचय देना पड़ा जिसके बारेमें मुझसे इतनी शिकायतें की गई हैं तो वह बिलकुल गलत ही न होगा।

मुझे विश्वास है कि सत्याग्रहियोंने खूब सोच-समझ लिया है कि अपने इस कदमके लिए उन्हें कहाँतक कुरबानी देनी पड़ सकती है। और शासक लोग अपने उस प्रशंसनीय रूपका परिचय दें, यह तो भारतके लिए कोई नई बात नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि इस आन्दोलनको ऐसा रूप दिया जायेगा जिससे क्रोधका यह उबाल अपने-आप उफन-उमड़कर चुक जाये। प्रतिकारमें हाथ न उठानेके नियमका यह अनिवार्य परिणाम है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-३-१९३०

१. देखिए खण्ड ४२।

१५. अशासन बनाम कुशासन

स्पष्ट है कि यह पत्र[1] प्रकाशनार्थ लिखा गया है। इस उम्रमें भी श्री पेनिंगटन जितना परिश्रम करते है और जिस चीजमें उनका विश्वास है उसका समर्थन वे जितनी उत्कटतासे करते हैं उसके लिए वे सदैव प्रशंसाके पात्र रहेंगे। प्रोफेसर कुमारप्पा अपना बचाव करनेमें आप ही काफी समर्थ है — उनकी ओरसे किसी और-को कुछ कहनेकी ज़रूरत नही है। वे आजकल एक गाँवमें हैं, इसलिए उनसे सम्पर्क स्थापित करना जरा कठिन है। लेकिन श्री पेनिंगटन द्वारा बताये तथ्योका उनके पास कोई उत्तर हो या न हो, मैं जो-कुछ कहने जा रहा हूँ, वह तो अपने अनुभवसे कह ही सकता हूँ। श्री पेनिंगटन-जैसे लोग जो 'तथ्य' पेश कर सकते है, उनमें से अधिकाश भले ही सच्चे हो, लेकिन उनसे राष्ट्रवादी चिन्तकोके निष्कर्षोंमें कोई अन्तर नही पड़ता, और न उन तथ्योके आधारपर ऐसे निष्कर्ष ही निकालना तर्कसंगत लगता है जो निष्कर्ष श्री पेनिंगटन-जैसे लोग निकालते है। एक कोयलके कूकनेसे वसन्त नही आ जाता। उसी तरह देशके किसी उपजाऊ और समृद्ध हिस्सेमें चन्द एकड़ जमीनके लिए दी गई ऊँची कीमतोंसे एक महादेशकी सामान्य खुशहाली भी सावित नही होती। जहाँ-तहाँ देखी जानेवाली समृद्धिके इक्के-दुक्के तथ्योके मुकाबले एक गम्भीर और कठोर तथ्य यह है कि भारत देशके रूपमें सामान्य रूपसे दरिद्र है। इस दरिद्रताको भारतके गाँवोंमें जानेका कष्ट उठानेवाला कोई भी आदमी अपनी आँखोसे देख सकता है। ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित शान्तिके पीछे कोई कल्याण-कर उद्देश्य नही है। भारतके लिए तो उसका महत्त्व उतना ही है जितना कि गुलामो-के लिए उस जागीरका हो सकता है, जिसका मालिक उनको आपसमें लड़ने नही देता, अपनी जागीरकी बाहरी दुश्मनोसे रक्षा करता है और गुलामोंसे उतनी नियमितताके साथ काम करवा लेता है जितनी नियमितताके साथ काम करनेसे वह जागीर उस मालिककी स्वार्थ-सिद्धिके साधनके रूपमें टिकी रहे। इस काल्पनिक जागीरमें रहनेवाले गुलामोमें जब अपनी स्थितिके बारेमें जागरूकता आयेगी तो वे और कोई उपाय न रहनेपर गुलामीके बजाय अराजकताको कहीं अधिक पसन्द करेंगे। इसी प्रकार अगर मेरे सामने और कोई चारा न होगा तो मैं वर्तमान शासन तथा इसकी दी हुई जिस शान्तिका इतना ढिंढोरा पीटा जाता है, उसके बजाय अराजकताको ज्यादा पसन्द करूँगा। बेशक, कुशासनसे अशासन बेहतर है। और जहाँतक

१. इसका अनुवाद यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इस पत्रमें जे० बी० पेनिंगटनने २८ नवम्बर, १९२९ से २३ जनवरी, १९३० तकके यंग इंडियाके अंकोंमें प्रकाशित जे० सी० कुमारप्पाकी "सरकारी वित्त-व्यवस्था और हमारी गरीबी" शीर्षक लेख-मालाकी आलोचना की थी। जे० बी० पेनिंगटनने ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित शान्तिसे भारतको हुए कतिपय लाभोंका उल्लेख किया था और भारतकी स्वतन्त्रताके सम्बन्धमें कुछ आशंकाएँ व्यक्त की थीं।

उन मित्रोंकी बात है जो मुझे 'सम्मानकी दृष्टिसे देखते रहनेको अत्यन्त उत्सुक हैं', मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैं उनके इस स्नेहकी बराबर कद्र करूँगा, किन्तु यदि उसे मैं अपनी आत्माके आदेशका पालन करते हुए कायम नहीं रख सकता तो मैं उस स्नेहके बिना ही अच्छा हूँ। आत्माको खोकर यदि मैं सारी दुनियाका भी स्नेह-सम्मान अर्जित कर पाता हूँ तो वह स्नेह-सम्मान किस कामका?

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-३-१९३०

१६. अश्लील साहित्य

कोई देश और कोई भाषा अश्लील साहित्यसे मुक्त नहीं है। जबतक स्वार्थी और व्यभिचारी लोग दुनियामें रहेंगे, तबतक अश्लील साहित्य प्रकाशित करनेवाले और पढ़नेवाले भी रहेंगे। लेकिन जब ऐसे साहित्यका प्रचार प्रतिष्ठित माने जानेवाले अखबारोंके द्वारा होता है, और उसका प्रचार कलाके नाममें या सेवाके नामसे किया जाता है, तब वह भयंकर स्वरूप धारण कर लेता है। इस प्रकारका कुछ अश्लील साहित्य मुझे मारवाड़ी समाजने भेजा है और प्रतिष्ठित मारवाड़ी लोगोंकी ओरसे प्रकाशित एक वक्तव्यकी प्रति भी मुझे भेजी गई है। इस वक्तव्यमें मारवाड़ी समाजको जाग्रत किया गया है और बताया गया है कि ऐसे साहित्यका, जो कलाके नामपर केवल धन कमानेके लिए प्रकाशित होता है, समाजको बहिष्कार करना चाहिए। जिस पत्रको विशेषतया ध्यानमें रखकर यह वक्तव्य प्रकट किया गया है, वह 'चाँद' नामक मासिकका "मारवाड़ी अंक" है। मैं उसे पूरा न तो पढ़ सकता हूँ और न पढ़नेकी इच्छा ही है; लेकिन जो-कुछ मैं पढ़ पाया हूँ, वह इतना गंदा और इतना बीभत्स है कि कोई भी मनुष्य, जिसके मनमें विवेक है या समाजके हितका जरा भी खयाल है, कभी ऐसी बातें नहीं छापेगा। सुधारके नामसे ऐसी चीजोंको छापना अनावश्यक और हानिकारक है। 'चाँद' के समान गंदे गीत गानेवाले लोग अखबार नहीं पढ़ा करते। पढ़नेवाले दो प्रकारके ही हो सकते हैं। एक पढ़े-लिखे कामुक लोग, जो अपनी वासनाको किसी-न-किसी प्रकार तृप्त करना चाहते हैं; दूसरे निर्दोष-बुद्धि, जो आजतक व्यभिचारमें नहीं फँसे हैं, परन्तु जिनकी बुद्धि परिपक्व भी नहीं है, जो लालचमें पड़कर विकारके वशमें हो सकते हैं। ऐसे लोगोंके लिए गंदा साहित्य घातक है। यही सब लोगोंका अनुभव भी है। मुझे उम्मीद है कि प्रतिष्ठित मारवाड़ी सज्जनोंके वक्तव्यका असर 'चाँद' के संपादक इत्यादि पर होगा, वे अपने इस अंकको वापस ले लेंगे और दुबारा ऐसा गंदा साहित्य प्रकट न करनेकी कृपा करेंगे। इससे भी बढ़कर कर्त्तव्य तो इस बारेमें मारवाड़ी समाज और सर्व-साधारण समाजका है। वह ऐसा गंदा साहित्य न कभी खरीदे और न पढ़े ही। हिन्दी पत्रोंके संपादकोंके सिरपर दोहरा बोझ है; क्योंकि हिन्दीको हम राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं और इसलिए इस भाषाकी रक्षा करनेका विशेष धर्म उन्हें प्राप्त होता है। मेरे

जैसा राष्ट्रभाषाका पुजारी राष्ट्रभाषामें उत्कृष्ट विचारोंको प्रकट करनेवाली पुस्तकोंकी ही प्रतीक्षा करेगा। इसलिए यदि सम्भव हो तो हिन्दी साहित्य सम्मेलनको एक भाषा-समिति नियुक्त करनी चाहिए, जिसका धर्म प्रत्येक नई पुस्तककी भाषा, विचार आदिकी दृष्टिसे परीक्षा करना हो। इस परीक्षामें जो पुस्तकें सर्वोत्तम मानी जायें और जो गंदी ठहरें, समिति उनकी एक फेहरिस्त तैयार करे और अच्छी पुस्तकोंका प्रचार तथा गंदी पुस्तकोंका बहिष्कार करनेके लिए जनताको प्रेरित करे। ऐसी समिति तभी सफल हो सकती है, जब उसके सदस्य साहित्य-ज्ञान और साहित्य-सेवाके लिए ही अपने-आपको अर्पित कर दें।

हिन्दी नवजीवन, ६-३-१९३०

१७. तार : जवाहरलाल नेहरूको

अहमदाबाद
६ मार्च, १९३०

जवाहरलाल नेहरू
इलाहाबाद

पत्र[1] प्रकाशनार्थ प्रेसको दे दिया है। बारह तारीखकी सुबह साठ लोगोंके साथ कूच आरम्भ कर रहा हूँ।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल सं० १७८, १९३०
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१८. पत्र : जयसुखलाल गांधीको

साबरमती आश्रम
६ मार्च, १९३०

चि० जयसुखलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। अभी तुम्हें वहाँसे हटाना मुझे ठीक नहीं लगता। १२ तारीखको आश्रमके अधिकांश पुरुषोंके साथ कूच करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एम० एम० यू० – ३) की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए "पत्र; लॉर्ड इर्विनको", २-३-१९३०।

१९. पत्र : तहमीना खम्भाताको

६ मार्च, १९३०

प्रिय बहन,

यदि भाई खम्भाता तुरन्त ही इस संघर्षमें शामिल हो जायेंगे तो इससे तुम्हारी भावनाओंको ठेस पहुँचेगी, यह बात मैं अच्छी तरहसे समझता हूँ। अभी तो मैं तुमसे सहमत हूँ। अन्ततक यही हो, ऐसा तो तुम नहीं चाहती ना? जहाँतक बने वहाँतक शरीरकी रक्षा करना हमारा धर्म है। लेकिन जब शरीरका त्याग करके ही धर्मकी रक्षाका प्रसंग सामने आ जाये तब शरीरका त्याग करना ही धर्म बन जाता है। इसलिए मुझे इस बातका पूरा यकीन है कि जब ऐसा समय आयेगा, उस समय तुम दोनों बलिदान देनेके लिए अवश्य तैयार मिलोगे। इतना याद रखना, जो ईश्वरके नाम पर लड़ते हैं उन्हें सारे दुःख सहन करने लायक शक्ति भी ईश्वर दे ही देता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ७५४४)की फोटो-नकलसे।

२०. पत्र : बहरामजी खम्भाताको

६ मार्च, १९३०

भाईश्री खम्भाता,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम आश्रममें कभी नहीं रहे, फिर भी मैंने तुम्हें आश्रमवासीकी अपेक्षा अधिक माना है। तुम 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' नियमपूर्वक पढ़ते हो, यह बात तथा तुम्हारा व्यवहार मुझसे छिपा नहीं है। तुम लड़ाईमें शामिल होनेके नितान्त योग्य हो। लेकिन तुम अभी उतावली न करो। तहमीना बहनकी भावनाकी कद्र करो। उसके कहनेमें थोड़ा वजन भी है। आज तुम शरीरके प्रति लापरवाही दिखाते हो; [इस तरह] यह जेलमें कबतक टिका रह सकेगा, इसे विश्वासपूर्वक कौन कह सकता है? इसलिए नम्रताका रुख अख्तियार करना ही बेहतर है। अतएव मेरी तुमको यह सलाह है: तुम किसी कठिन समयके लिए अपने-आपको [गिरफ्तारीसे] बचाये रखो। बम्बईमें ही यदि कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो तो खुशीके साथ उसमें कूद पड़ना। उस समय तहमीना बहन भी इनकार नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें प्रोत्साहित करेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। इतना ही नहीं, यदि आवश्यकता जान पड़ी तो खुद भी उसमें शामिल हो जायेगी। और मैं यह मानता हूँ कि इस अन्तिम लड़ाईमें बहनोंको भी अन्ततः शामिल होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जब बम्बईमें अशान्तिका

वातावरण होगा उस समय तुम्हारा धर्म शान्ति बनाये रखनेके कार्यमें जुट जानेका होगा; इसलिए बेहतर यही है कि फिलहाल तुम 'रिजर्व' में रहो। कुछ-एक लोगोको तो रहना ही पड़ेगा।

इस सबके बावजूद तुमने मुझे जो पत्र लिख भेजा सो ठीक ही किया।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ७५४५) की फोटो-नकलसे।

२१. पत्र : पुंजाभाईको

साबरमती आश्रम
६ मार्च, १९३०

भाईश्री पुंजाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला।

१२ तारीखको कूच करना है। यदि तुम इस कूचमें शामिल ही होना चाहते हो तो कूच आरम्भ होनेसे पहले मुझसे मिल लेना ठीक होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४०१०)की फोटो-नकलसे।

२२. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

७ मार्च, १९३०

प्रिय जवाहरलाल,

सीतला सहायसे बात करनेके बाद मैंने उनको वहाँ भेजनेका निर्णय किया है। उन्हीको तय करने दो कि वे वहाँ क्या-कुछ कर सकते हैं। तुम क्या-कुछ होता है, उस पर नजर रखना। फिर यदि तुम दोनो तय करो कि उनको लौट आना चाहिए तो वे वापस आ सकते हैं। उनकी पत्नी और बच्चे यही रहेंगे और वे स्वयं अपने निर्वाहके लायक आश्रमसे ले सकते हैं। बाकी बातें वे स्वयं ही तुमको बतलायेंगे।

तुम्हारा,
बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू कागजात, १९३०।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

२३. वक्तव्य : वल्लभभाई पटेलकी गिरफ्तारीपर

७ मार्च, १९३०

सरदार वल्लभभाई पकड़े गये और उन्हें सजा हो गई, यह एक शुभ शकुन है। यह देखना है कि इस शुभ शकुनका हम किस प्रकार उपयोग करते है। लड़ाई छिड़ गई है; और अब हमें उसे अन्ततक लड़ना है। सरदारकी गिरफ्तारी तथा उन्हें दी गई सजाके विरोधमें हमें आम हड़ताल करनी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मिल-मालिक मिल बन्द कर दें, विद्यार्थी अपनी पाठशालाओंमें न जायें तथा सभी दुकानदार अपनी दुकानें बन्द रखें। मुझे गुजरातसे अहिंसाका पालन करनेकी बात कहनेकी जरूरत नही है। हमारी लड़ाई आदिसे अन्ततक अहिंसक है।

[गुजरातीसे]
गुजराती, ९-३-१९३०

२४. तार : जॉन हेनीज होम्सको

[७ मार्च, १९३० या उसके पश्चात्][1]

अमेरिकामें मेरा प्रतिनिधित्व करनेका अधिकार किसीको नही दिया गया है। यह आन्दोलन सर्वथा शान्तिमय है। कांग्रेसका अहिंसाका सिद्धान्त ज्यो-का-त्यो है। इस आन्दोलनमें सर्वसाधारणके शरीक हो जानेपर स्थिति क्या होगी, यह कहना कठिन है, लेकिन हजारों लोग उत्तेजनाके गम्भीरसे-गम्भीर कारण होनेपर शान्ति बनाये रखनेको कृतसंकल्प है। सैनिक प्रतिरोधकी तो कोई दबी जुबान भी बात नही करता। कोई भी राष्ट्रवादियोंको शस्त्र-सज्जित नही कर रहा है। बहुत ही कठोर नियन्त्रणोके अधीन सविनय अवज्ञा १२ तारीखको शुरू की जा रही है।

गांधी

अंग्रेज (एस० एन० १६६३७) की फोटो-नकलसे।

१. यह अमेरिकासे ६ मार्च, १९३० को भेजे गये और आश्रममें उसके अगले दिन प्राप्त तारके उत्तरमें भेजा गया था। उक्त तारमें गांधीजी को सूचित किया गया था कि शैलेन्द्रनाथ घोष नामक एक व्यक्ति अपनेको कांग्रेस और गांधीजी का प्रतिनिधि बताकर वहाँ भारतीय स्वातन्त्र्य-संघर्षकी गलत तसवीर पेश कर रहा है। उसका कहना है कि भारत सैनिक शक्तिके बलपर स्वतन्त्रता प्राप्त करनेको कटिबद्ध है और इस उद्देश्यसे लाखों राष्ट्रवादियोंको शस्त्र-सज्जित कर रहा है। यह जानकारी देनेके बाद होम्सने कहा था कि इससे गांधीजी के अहिंसात्मक तरीकोंमें विश्वास रखनेवाले उन अमेरिकियोंपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जो भारतके अहिंसात्मक स्वातन्त्र्य-संग्रामके प्रति सहानुभूति रखते हैं। अन्तमें उन्होंने गांधीजी से इस स्थितिका निराकरण करने को कहा था।

२५. एक पुस्तककी[1] प्रस्तावना

साबरमती
८ मार्च, १९३०

रचनात्मक उपायोसे भारतकी अमूल्य सम्पत्ति गायोकी रक्षा करनेमें जिन लोगोकी दिलचस्पी हो उन्हें इन पृष्ठोमें लिखी सुन्दर सामग्रीसे विचारका काफी मसाला मिलेगा।

मो० क० गांधी

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३२७) की फोटो-नकलसे।

२६. 'द्रौपदीना चीर' की प्रस्तावना

सत्याग्रह आश्रम, साबरमती
८-३-१९३०

जो लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे खादीके विषयको समझना चाहते हैं या यह जाननेके इच्छुक है कि कताई धार्मिक कर्त्तव्य क्यों है, उनके लिए भाई वालजी देसाई द्वारा लिखित ये प्रकरण अत्यन्त रोचक सिद्ध होंगे।

मोहनदास करमचन्द गांधी

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२७३) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: वालजी गो० देसाई

१. पुस्तकके नामका पता नहीं चलता।

२७. 'राजकथा' की प्रस्तावना

सत्याग्रह आश्रम, साबरमती
८-३-१९३०

राजा और प्रजाके कर्त्तव्यको जानना आज एक प्रस्तुत विषय है। राजाका कर्त्तव्य क्या है, अच्छा राजा कौन है और बुरा कौन, प्राचीन कालमें राजा कैसे राजगद्दी पर बैठता था और कैसे उसे राजगद्दीसे उतारा जाता था, आदि बातोंकी जानकारी हमें वालजी देसाईके इस लेख-संग्रहसे मिलती है।

मोहनदास करमचन्द गांधी

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२७२) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: वालजी गो० देसाई

२८. पत्र: ब्रजकृष्ण चांदीवालाको

शनिवार [८ मार्च, १९३०][1]

चि० ब्रजकृष्ण,

यदि तुमारेमें शक्ति है तो यह धर्म है।

माताजी से कह दो इस वखत जान-बुझकर जेलमें नहि जाना है।

कोई घर पर आकर पकड़ जायगा तो जाना हि होगा।

माताजी को शांतिसे दिल्ली जाना चाहीये।

यदि नहि जायगी तो भी तुमारे तो बिजापुर जाना हि होगा।

ऐसा कहकर तुम बिजापुर चले जाओ। माताजी कुछ भी करे प्राण त्याग भी करे लेकिन धर्म नहि छुट सकता है और इस मौकेपर भीरु बनना अधर्म है। तुमारा कर्तव्य शरीरको अच्छा करके कर्तव्यमें डटे रहनेका है। माताजी यहां रहेगी तो उनकी रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे। भाई साहब तो समझ गये है ऐसा मुझसे कहा था; इसलीये मैं मानता हुं कि माता भी मान जायगी। कैसा भी हो, तुमारा मार्ग बिलकुल साफ है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

जानेके पहले मुझे एक मिनिटके लीये मीलो।

जी० एन० २३७६ की फोटो-नकलसे।

१. तिथि ऐट द फीट ऑफ बापूसे ली गई है।

२९. भाषण : अहमदाबादमें

८ मार्च, १९३०

मैं यह जानता हूँ कि मेरी आवाज आप सब लोगो तक नही पहुँच सकेगी। पहली बात तो यह कि मेरी आवाजमें पहले जितनी ताकत थी उतनी आज तो बची भी नही है; फिर लोगोके इतने बडे समुदाय तक किसी व्यक्तिकी आवाज पहुँच भी नही सकती। जो भाई-बहन मेरी [जितनी] आवाज सुन सकें, वे उससे ही सन्तोष मान लें। जो लोग मेरी आवाज न सुन सकें यदि वे शान्त रहे और बादमें अपने पासवाले व्यक्तिसे भाषणका आशय सुन-समझ ले तो [शान्तिके कारण] अधिक लोग मेरी बात सुन सकेंगे।

मुझे आपको कोई नई बात नही बतानी है। अहमदाबादके नागरिको तथा पूरे हिन्दुस्तानसे मुझे जो-कुछ कहना था वह मैं कह चुका हूँ। अब तो वह समय सामने है जब मेरी और आपकी अन्तिम परीक्षा होने जा रही है। इस मामलेमें सरकारने मेरे और आपके रास्तेको सहज बना दिया है। मैंने स्वप्नमें भी नही सोचा था कि सरदार वल्लभभाईकी जेलयात्राका समय आ पहुँचा है। मैं समझता हूँ कि सरदार वल्लभभाईने गुजरातकी और विशेष रूपसे इस शहरकी मेरी अपेक्षा सैकडो गुनी अधिक सेवा की है। अत: वे मुझसे पहले ही जेलमें जा विराजे तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नही है। यह उनका और आपका सौभाग्य है; किन्तु उन्होंने पहले जेल जाकर मुझे विषम परिस्थितिमें डाल दिया है। मुझे किसी-न-किसी तरह गिरफ्तार होना है। सरकारने अनुचित रूपसे नमकपर कब्जा कर रखा है। मुझे उससे यह कब्जा छीनना है। मुझे नमक-कानून रद करवाना है। मैं इसे पूर्ण स्वराज्यकी दिशामें एक या पहला कदम मानता हूँ। इस आन्दोलनमें सरदार वल्लभभाई हमारे साथ नही रह सकेंगे। हिन्दुस्तानके लोग अब बेचैन हो उठे हैं और स्वतन्त्रता प्राप्त किये बिना उन्हें चैन नही मिल सकता। मेरी आवाज किसी-न-किसी तरह सरकार तक तो पहुँच ही जायेगी। गुजरातमें पूरी तरह शान्ति बनी रहनी चाहिए। वल्लभभाईने सत्याग्रहके दौरान बारडोलीमें जो पूर्ण शान्ति बनाये रखी उनकी उस सेवाके पुरस्कार-स्वरूप सरकारने उन्हें यह जेलकी सजा दी है।

सरदार वल्लभभाई-जैसे स्वतन्त्र और स्वाधीनता-प्रेमी व्यक्तिका सरकार और किसी प्रकार सम्मान नही कर सकती, यह तो हम बरसोंसे जानते थे। हम सब अपने काममें इस प्रकारसे जुट जायें कि हम वर्षोंसे जिस [आजादी] का नाम जपते रहे है, उसे प्राप्त कर ले। २६ तारीखको हमने जो प्रतिज्ञा की थी, उसका पालन करनेके लिए हमें सविनय अवज्ञा करनी चाहिए। हालाँकि वल्लभभाईने नमक-कानून नहीं तोड़ा था, किन्तु सरकारने उन्हे गिरफ्तार करके मेरा दाहिना हाथ तोड़ दिया है। यदि एक वल्लभभाईको पकड़कर जेलमें बन्द कर दिया गया है तो अहमदाबादके

बहन-भाइयो, आप वल्लभभाईके प्रतिनिधिके रूपमें उनका काम अपने हाथ में ले लें। यदि आपको वल्लभभाईसे प्रेम हो और आप बलिदान देनेके लिए तत्पर होकर आये हों तो तैयार हो जायें। यदि आप उनके त्यागका अनुकरण करनेको तैयार हो तो हम सरकारको और दुनियाको यह दिखा सकेंगे कि शुभ मनोरथ किस खूबीसे सफल होते हैं। ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि वह हमें इस कार्यके लिए त्याग करनेकी शक्ति दे।

आश्रमके लोगोंकी टुकड़ीके साथ बुधवारको प्रातःकाल कूच करनेके अपने निश्चय पर मैं आज भी दृढ़ हूँ। आशा है यहाँ आये हुए सभी लोग अपने कर्त्तव्यका पालन करेंगे। सरदार वल्लभभाईने सन्देश भिजवाया है कि गांधीके गिरफ्तार कर लिये जानेपर क्या करना होगा, यह वे अपने भड़ौचके भाषणमें बता चुके हैं। उन्होंने जेलमें पहुँचकर अपने इन शब्दों पर मुहर लगा दी है और सरकार भी तदनुसार हम सबकी कद्र करेगी। मैं यहाँ आपसे कोई प्रस्ताव पास करनेको नहीं कहूँगा। यहाँ आनेके पहले मैंने आप क्या [प्रतिज्ञा] करेंगे सो निश्चित कर रखा है और मैं आशा करता हूँ कि आप उसपर अमल करेंगे।

> हम अहमदाबादके नागरिक — स्त्री-पुरुष — निश्चय करते हैं कि सरदार वल्लभभाई पटेलने जिस मार्गको अपनाया है हम सब लोग उसी मार्ग पर चलेंगे या पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करेंगे। पूर्ण स्वराज्य प्राप्त किये बिना न तो हम शान्तिसे बैठेंगे और न सरकारको शान्तिसे बैठने देंगे। हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तानको शान्ति और सत्यके द्वारा ही स्वाधीनता मिलेगी।

आज १५ वर्षसे मैं जिस प्रकारकी बात देशके लोगों और विशेषकर अहमदाबादके नागरिकोंसे कहता आ रहा हूँ तथा स्थानीय मजदूरोंकी हड़तालके समय उनसे जो दृढ़ प्रतिज्ञा करवाई गई थी वैसी ही दृढ़ प्रतिज्ञा यहाँ उपस्थित हजारों भाई-बहन करें और उसके पक्षमें अपने हाथ उठायें। यदि आप उस प्रतिज्ञाका पालन कर सकें तभी हाथ उठायें।[1]

आपने जो शान्तिपूर्वक आम हड़ताल की उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि अहमदाबादके छात्र-छात्राएँ सरदार वल्लभभाई तथा हिन्दुस्तानके प्रति अपने कर्त्तव्यका पालन करेंगे।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, १०-३-१९३०

१. इसपर हजारों हाथ उठाये गये।

३०. मिल-मालिक संघके सदस्योंसे बातचीत

८ मार्च, १९३०

रा० शा०[1] कोषका ब्याज मजूर-महाजन सघको दिया जाता था, इससे मुझे सन्तोष था और मै समझता हूँ कि उससे आपको भी सन्तोष था। किन्तु अब यह पैसा मिलना बन्द हो गया है। मैंने मं०[2] सेठसे प्रार्थना की थी कि यह पैसा देना बन्द न किया जाये किन्तु वह नहीं दिया जा रहा है। आपत्ति यह रही कि प्रबन्धमें मिल-मालिकोका हाथ होना चाहिए। यह तो सैद्धान्तिक मतभेदकी बात है। मजूर-पाठशालाका संचालन किस प्रकार किया जाये, यह कल्पना तो महाजनोकी है और वे उसे स्वयं चलाते हैं। इससे निरीक्षकोको भी सन्तोष हुआ है। मैंने भी उसका निरीक्षण किया है और हर बार उसे प्रगतिकी ओर बढ़ते पाया है। चाहे जो हो, जिस संस्थाको हम दान देते है, उसके प्रबन्धमें हमारा कोई हाथ नही हो सकता। क्योकि तब उसे दान नही कहा जा सकता। जब मैंने आपसे दान देनेकी प्रार्थना की थी उस समय भी यह बात मैंने आपको समझाई थी। इस पर आपने कहा था कि मेरे कामोका स्वरूप तो राजनीतिक और सार्वजनिक दोनों ही होता है। मैंने आपको समझाया और आपने इसे सामाजिक कार्य मानकर इसके लिए उक्त पैसा दिया। विचार-विमर्शके फलस्वरूप आपने मेरी बात रख ली थी। किन्तु अब आपका प्रबन्ध-कार्यमें भाग लेनेकी माँग करना उचित नही है। मेरा सुझाव है कि आप एक "कमेटी ऑफ इस्पेक्शन" (निरीक्षक समिति) बना लें। यदि आपको ऐसा लगे कि ठीक-ठीक काम नहीं चल रहा है तो आप दान देना बन्द कर दें। सरकार भी प्रबन्ध-सचालनमें भाग नही लेती किन्तु देख-रेख करती है। आप निरीक्षकके रूपमें जो करना उचित समझें, सो करें। इसपर भी यदि आप पैसा न देना चाहें तो मै आपको दूसरा सुझाव दूँगा। वहाँ जो पाठशाला, जो मान्टेसरी स्कूल चल रहा है उसके कारण लोग आश्चर्यचकित रह गये है, प्रो० मिलर, इन्हें आप पैसा दें। . . .[3] मजदूरोको इस पैसेकी आवश्यकता है। आप मजदूरोकी वेतन-वृद्धिका उल्लेख करते है, किन्तु मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि वहाँ बड़े लोगोंके बच्चे भी पढ़ते हैं और वे भी पूरी फीस नहीं देते। आप चाहते है कि यह पाठशाला मजदूर जो दो पैसे बचा पाते हैं उनसे चलाई जाये। मजदूर लड़नेके लिए कोई रकम थोड़े ही इकट्ठी करते है। इसके लिए तो आप लोगोको मेरा आभार मानना चाहिए।

गुजराती (एस० एन० १६६५७)की माइक्रोफिलमसे।

१. राष्ट्रीय शाला कोष।

२. मंगलदास।

३. यहाँ एक वाक्य अस्पष्ट है।

३१. भाषण: प्रार्थना-सभा, साबरमती आश्रममें[1]

जिन सिद्धान्तोंको मैं जीवन-भर अमूल्य मानता रहा हूँ उन सिद्धान्तोंको मैं ऐसे समयमें कब छोड़ सकता हूँ जब उनको कसौटीपर कसा जा रहा हो। चेचकका टीका लेना एक गन्दी क्रिया है, इसमें बहुत नुकसान है और इसे तो मैं गोमांस खानेके बराबर मानता हूँ। परन्तु जब मेरे ही बच्चे एक-एक करके खत्म हो रहे हों[2] तो मुझे अपने सिद्धान्तसे मुँह मोड़ लेना चाहिए और सार्वजनिक रूपसे कहना चाहिए कि टीका लगवानेमें कोई हर्ज नहीं है तो मेरे सत्यकी क्या कीमत रह जायेगी, मेरी ईश्वर-श्रद्धाका क्या अर्थ होगा? यदि सारा आश्रम वीरान हो जाये तो भी यदि मुझे अपने सिद्धान्तमें तत्त्वतः कोई भूल न दिखाई दे तो मैं इस सिद्धान्तसे चिपका रहूँगा, यही मेरा धर्म है। अपने बच्चोंको खोना किसे अच्छा लगता है? इसलिए जिन माता-पिताओंको टीकेमें सुरक्षा महसूस होती हो वे भले अभी टीका लगवा लें — जिनकी इच्छा होगी उनका मैं विरोध तो कदापि नहीं करूँगा अपितु इसका प्रबन्ध कर दूँगा; लेकिन मैं अपनी श्रद्धाको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं टीका लगवानेकी बातको किस तरह प्रोत्साहन दे सकता हूँ?

मेरे इस हृदय-मन्थनमें एक और विचार मुझे रह-रहकर साल रहा है। मृत्यु जन्मसे तनिक भी जुदा नहीं है, जीवन और मृत्यु तो एक ही सिक्केके दो पहलू है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो फिर यदि तीन बच्चोंकी मृत्युसे मैं डर जाता हूँ तो मेरी यह मान्यता किस कामकी, मेरी ईश्वर-श्रद्धा किस काम की? जो युद्ध इस समय हमारे सिरपर मँडरा रहा है उसमें तीनकी नहीं, कदाचित् हजारों और लाखों लोगोंके प्राणोंकी आहुति देनी पड़ेगी; इस बातसे डरकर यदि मैं यह युद्ध बन्द कर देता हूँ तो मेरी ईश्वर-आस्थाका कोई अर्थ न रह जायेगा। मैं यह क्यों न मानूँ कि इतने थोड़े ही दिनोंमें मृत्युके अनेक बार दर्शन करवाकर भगवान् शायद मेरे हृदयको और भी कठिन और मजबूत बनाना चाहता हो, युद्धके लिए मुझे और भी तैयार कर रहा हो?

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ९-३-१९३०

१. अंग्रेजीमें यह यंग इंडियासे लिया गया है। हिन्दीमें नवजीवनसे लिया गया है और यंग इंडिया वाले पाठसे इसे मिला लिया गया है।

२. आश्रममें तीन बच्चे शीतला निकल आनेसे मृत्युके ग्रास बन गये थे।

३२. अन्तिम परीक्षा

यहाँसे रविवारको सवेरे वाइसराय साहबको पत्र भेज[1] दिया गया है, जो उन्हें मंगलवारको मिल गया होगा। जैसा कि पत्रमें सूचित किया जा चुका है, वाइसरायके पत्रकी प्रतीक्षा करनेके बाद उक्त पत्र प्रकाशनार्थ समाचार-पत्रोंको दे दिया गया। इस अंकमें पाठकोंको उसका अनुवाद देखनेको मिलेगा।

ईश्वरकी कृपा हुई तो बुधवारको सवेरे पौ फटते ही मैं कूच करनेकी आशा रखता हूँ। सूरतकी ओरके कार्यकर्त्ताओंके कथनानुसार उस तरफ आसानीसे नमक पकानेकी काफी सहूलियतें हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना है कि सम्भवतः वहाँ पूर्ण शान्ति भी रखी जा सकेगी, और साथ ही आम लोगोंकी ओरसे मदद भी मिल सकेगी। सूरत जिलेमें भी जलालपुर ताल्लुकेमें पहले प्रवेश करनेका निश्चय किया गया है। सन् १९२१ में जब बारडोलीसे स्वराज्यकी लड़ाई शुरू की गई थी, तब भी जलालपुर ताल्लुकेकी ओरसे माँग पेश की गई थी और वहाँके कई मधुर संस्मरण आज भी मुझे याद हैं। इन दिनों भी वहाँ रचनात्मक काम अच्छी तरह चल रहा है। नमक बनानेकी सुविधाएँ भी उस ताल्लुकेमें बहुत हैं। लोगोंमें उत्साह है, और वे हर तरहसे खुद लड़ाईमें हाथ बँटानेको तैयार हैं। यह सरदार वल्लभभाईकी मान्यता है; और इसीलिए उन्होंने नमक-कानूनकी सविनय अवज्ञा करनेके लिए जलालपुर ताल्लुकेको पसन्द किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वहाँतक मैं या मेरे साथी पहुँचेंगे भी या नहीं; अर्थात् सरकार हमें पहुँचने भी देगी या नहीं। मैं मानता हूँ कि सरकार हमें पहुँचने नहीं देगी। अगर मैं बीचमें ही पकड़ लिया गया, तो भी मुझे यह उम्मीद है कि जलालपुर ताल्लुका इस लड़ाईमें पूरी तरह हाथ बँटायेगा। सरदारको तो इस बातका पूरा विश्वास है। लेकिन मेरा लोभ इससे कहीं अधिक है। इस बार मैं पूरे गुजरातसे सहायताकी आशा रखता हूँ। अगर गुजरातने पहल की तो मुझे इसमें जरा भी शक नहीं कि सारा हिन्दुस्तान जाग उठेगा। लोगोंमें जबरदस्त जागृति उत्पन्न होनेके अवसरों पर खून-खराबी होनेका भय तो हमेशा बना ही रहता है। हमारा यह अहिंसात्मक युद्ध भी इस भयसे मुक्त नहीं है। पर जहाँ हिंसा-अहिंसाका सवाल ही नहीं है, यदि वहाँ खून-खराबी हो तो किसीको दुःख नहीं होता। बहुत-से लोग तो उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन इस युद्धमें ऐसे लोगोंका एक बड़ा समुदाय है जो खून-खराबीका स्वागत करनेके बजाय उसे रोकना ही अपना धर्म समझता है। इस डरके कारण अबतक मैं स्वयं सविनय अवज्ञा टालता रहा था, और सर्व-साधारणको भी वैसा करनेसे रोकनेकी कोशिश करता रहा था। लेकिन अब खून-खराबीकी जोखिम उठाकर भी मैं इस बार आखिरी कदम उठानेके लिए तैयार हो गया हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि फिलहाल किसी दूसरे तरीकेसे मैं जनता

१. देखिए "पत्र : लॉर्ड इर्विनको", २-३-१९३०।

को युद्धके लिए तैयार नहीं कर सकता। दूसरी ओर मैं यह देखता हूँ कि सरकारकी संगठित हिंसा दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाती है, और उतनी ही तेजीसे इस संगठित हिंसाका हिंसासे प्रतिकार करनेवाला दल भी शक्तिशाली होता जा रहा है। अतः यदि अहिंसामें हिंसाको रोकनेकी शक्ति हो या मुझमें अहिंसा है तो इस दोहरी हिंसाको रोकनेका कोई अहिंसक मार्ग मुझे मिल ही जाना चाहिए। मेरे विचारमें, जो मार्ग मैं आज अपना रहा हूँ, यही वह मार्ग है। किन्तु यदि यह वह मार्ग नही है तो इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि अब मुझे लोगोंकी प्रगतिके मार्गमें बाधक नहीं होना चाहिए। मुझे यह साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं केवल खादी-कार्यसे ही सन्तुष्ट होकर बैठ जाऊँ तो मैं अपनी अहिंसाको लज्जित करूँगा। मुझे इस बारेमें जरा भी शंका नही है कि अहिंसामें खादीकी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक शक्ति है। साथ ही मैं यह भी मानता हूँ कि स्वराज्य-प्राप्तिके अहिंसात्मक मार्गमें खादी एक आवश्यक साधन है। मैं यह भी निःसन्देह मानता हूँ कि बिना खादीके मिला हुआ स्वराज्य स्वराज्य नहीं होगा। यह भी बिलकुल सच है कि खादीके कार्यमें जो प्रगति हुई है, यदि वह प्रगति न हुई होती तो आज मैं जिस तरीकेसे काम करनेकी तैयारी कर रहा हूँ, उस तरीकेसे काम करनेके लिए आवश्यक आत्मविश्वास मुझमें कभी न पैदा हुआ होता। मगर यह भी स्पष्ट है कि खादी-उत्पादनके सिवा अब और भी काम होना चाहिए। खादीको अधिक प्रोत्साहन देनेके लिए भी लोगोंमें अपेक्षाकृत अधिक जागृतिकी आवश्यकता है। इस जागृतिके साथ-साथ यदि अहिंसा भी बनी रहे तो निःसन्देह स्वराज्य हमें आज ही मिल सकता है। इन विचारोंके कारण मैं युद्धमें कूद रहा हूँ। पाठक जानते हैं कि ये विचार रास्ता सूझनेके बाद पैदा हुए हैं। मैं मानता हूँ कि मनुष्य महान् कार्य अन्तर्नादकी प्रेरणासे ही करता है। उसका यह अन्तर्नाद दैवी भी हो सकता है और आसुरी भी। अन्तर्नाद सुनाई पड़नेपर तदनुकूल तर्क मनुष्यको मिल जाते हैं, मैंने स्वयं इस बातका अनुभव किया है और बहुतोंके ऐसे अनुभव भी मैं जानता हूँ।

यह तो दिनके आलोककी तरह स्पष्ट है कि अगर यह अन्तर्नाद झूठा अर्थात् आसुरी हो तो मुझे रास्तेसे हट जाना चाहिए। परन्तु मैं अपने अन्तर्नादको दैवी मानता हूँ और इसलिए जो मार्ग मुझे सूझ पड़ता है उसपर चलते हुए मर मिटने या उसे सफल सिद्ध करनेके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है।

इसलिए मैं इस लड़ाईको अन्तिम परीक्षा मानता हूँ। जो इसमें शामिल होना चाहें वे भी इसे अन्तिम परीक्षा समझकर ही शामिल हों।

अगर इस लड़ाईमें बेशुमार लोग शामिल हुए और शान्ति बराबर बनी रही तो हम इतने थोड़े समयमें पूर्ण स्वराज्य पा सकते हैं कि जिसकी हममें से कोई कल्पना तक नहीं कर सकता।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ९-३-१९३०

३३. सत्याग्रही-दलका कूच

इस दलमें लगभग १०० लोगोके होनेकी सम्भावना है। इस समय आश्रममें रहनेवालोंके सिवा जो अन्य लोग आश्रमके नियमोंका पालन करते है और जानेको उत्सुक है तथा जिन्हें साथ ले जाना आवश्यक है, मै उन्हे भी ले रहा हूँ। इसलिए मै अन्तिम सूची तैयार नही कर पाया हूँ।

१२ मार्चको सवेरे ६।। बजे कूच शुरू होगा। अबतक जो कार्यक्रम तैयार हुआ है वह इस प्रकार है:

बुधवार, तारीख १२		असलाली
बृहस्पतिवार, तारीख १३	प्रातःकाल	बारेजा
	सायंकाल	नवागाँव
शुक्रवार, तारीख १४	प्रातःकाल	वासणा
	सायंकाल	मातर
शनिवार, तारीख १५	प्रातःकाल	डभाण
	सायंकाल	नडियाद
रविवार, तारीख १६	प्रातःकाल	बोरियावी
	सायंकाल	आणंद
सोमवार, तारीख १७	प्रातःकाल	नापा
	सायंकाल	बोरसद
मंगलवार, तारीख १८	प्रातःकाल	रास
	सायकाल	बदलपुर

इन गाँवोके मुखियो और सेवकोंसे मेरा निवेदन है कि वे नीचे लिखी सूचनाओको ध्यानमें रखें।

आशा है कि हर स्थानपर दल सवेरे ८ बजेके पहले पहुँच जायेगा और १०से १०।। के बीच भोजनके लिए बैठ जायेगा। मुमकिन है, पहले दिन असलाली पहुँचते-पहुँचते ९।। बज जायें। दोपहर या रातको ठहरनेके लिए किसी मकानकी आवश्यकता नही होगी; छायादार साफ जगह मिल जाये, इतना ही काफी है। जहाँ छायादार, साफ जगह न हो वहाँ बाँस और घास-फूसका कामचलाऊ मंडप डलवा देना काफी होगा। इन दोनो चीजोका बादमें पूरा उपयोग किया जा सकता है।

यह मान लिया गया है कि भोजन गाँववाले ही करायेंगे।

भोजनके लिए सीधा-सामान मिलनेपर दलके लोग अपने हाथसे रसोई बना लेंगे। भोजनका सामान दिया जाये या बना-बनाया भोजन; किन्तु वह बहुत ही सादा होना चाहिए। हाथकी मोटी रोटी, चपाती अथवा खिचड़ी, शाक और दूध या दहीके सिवा और किसी चीजकी जरूरत नहीं है। कोई पक्वान्न या मिठाई यदि बनी भी होगी

तो वह ली नहीं जायेगी। शाक सिर्फ उबाला हुआ होना चाहिए। उसमें तेल, मिर्च-मसाला, मिर्च—लाल या हरी, पिसी हुई या साबूत—न डाली जायें। मैं चाहता हूँ कि सब जगह निम्नलिखित ढंगसे खाना तैयार किया जाये :

सवेरे कूच करनेसे पहले राब और मोटी रोटी दी जाये। राब बनानेका काम हमेशा दलके जिम्मे ही रहने दिया जाये।

दोपहरको भाकरी, शाक और दूध या मट्ठा दिया जाये।

साँझको कूच करनेसे पहले चने और मुरमुरे दिये जायें।

रातको खिचड़ी और शाक तथा मट्ठा या दूध दिया जाये।

घी फी आदमी कुल मिलाकर तीन तोलेसे ज्यादा किसी हालतमें नहीं होना चाहिए। एक तोला राबमें, एक तोला भाकरी पर ऊपरसे, और एक तोला रातको खिचड़ीमें। मेरे लिए सवेरे, शाम और दोपहरको अगर मिल सके तो बकरीका दूध, और सूखी किशमिशें अथवा खजूर और तीन खट्टे नीबू काफी होंगे।

मुझे उम्मीद है कि इस तरहके सादे भोजनके प्रबन्धके सिवा और किसी तरहका खर्च गाँववाले नही करेंगे।

हर गाँव और आसपासके गाँवोंके लोगोंसे मिलनेकी मैं आशा रखूंगा।

सोनेके लिए जरूरी बिछौना वगैरा सामान हरएक आदमीके पास होगा, अतएव सोनेके लिए साफ जगहके सिवा गाँववालोंको और किसी तरहका प्रबन्ध करनेकी जरूरत न होगी।

गाँववालोंका दलके लिए पान-सुपारी या चायका खर्च उठाना निरर्थक होगा।

यदि हरएक गाँवमें सफाईका ठीक-ठीक प्रबन्ध किया जाये तो अच्छा होगा। सत्याग्रहियोंके लिए पाखानेकी जगह पहलेसे ही मुकर्रर कर ली जाये तो अच्छा होगा। नजदीक ही कुछ आड़ हो तो अच्छा हो। यह स्पष्ट है कि यदि गाँववाले अबतक खादीका उपयोग न करते हों तो अब करने लगें।

मैं चाहूँगा कि हरएक गाँवके बारेमें नीचे लिखी सूचनाएँ तैयार रखी जायें :

१. आबादी : स्त्री-पुरुषों — हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों इत्यादिकी संख्या।

२. अस्पृश्योंकी संख्या।

३. मदरसा हो तो उसमें पढ़नेवाले बालक-बालिकाओंकी संख्या।

४. चरखोंकी संख्या।

५. खादीकी माहवार खपत।

६. पूर्ण खादीधारियोंकी तादाद।

७. फी आदमी कितना नमक खर्च होता है? मवेशी वगैराके लिए कितने नमकका उपयोग होता है?

८. गाँवमें गाय-भैंसोंकी संख्या।

९. लगान कितना दिया जाता है? लगानकी दर क्या है?

१०. गोचर-भूमि है? यदि है, तो कितनी?

११. लोग शराब पीते हैं? शराबकी दुकान कितनी दूर है?

१२. अस्पृश्योंके लिए पढ़ने-लिखनेकी या अन्य सुविधाएँ हों तो उनका उल्लेख।

ये सब सूचनाएँ एक साफ कागजपर लिखकर मेरे पहुँचते ही यदि मुझे दे दी जायें तो अच्छा होगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ९-३-१९३०

३४. पत्र : मणिबहन पटेलको

९ मार्च, १९३०

चि० मणि,

तेरे पत्रकी तो मैं रोज बाट देखता था। तेरी याद किये बिना एक दिन भी नही गया। परन्तु तुझे मैं लापरवाह लगूँ, सो समझ सकता हूँ। मेरी करुणाजनक स्थिति इसके लिए जिम्मेदार है। मुझे सिर उठाकर किसीको देखने तकका समय नही मिलता। तू कहाँ है, क्या हो रहा है इत्यादि जानकर सतोष कर लिया करता था।

बापू[1] तो तेरे बारेमें कुछ कह ही नही गये।[2] उन्हें [अपनी गिरफ्तारीके बारेमें] कहाँ मालूम था? तुझे वहीं रहना है जहाँ तू शान्त और सुखी रह सके। जेलमें तो समय आनेपर जरूर जा सकेगी। इस बारेमें महादेवने लिखा है। जानता हूँ, आश्रममें तुझे अच्छा लगेगा। परन्तु मेरी राय है कि यह ठीक नही। फिर भी इसमें निग्रह काम नहीं देता। इसलिए शान्त रहता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तू जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे।

मैं मंगलवारतक गिरफ्तार होनेकी आशा रखता हूँ।

तू हिम्मत बनाये रखना। अपना शरीर सुधारना।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती मणिबहन
ठि० डाह्याभाई वल्लभभाई पटेल
श्रीराम निवास
पारेख स्ट्रीट
बम्बई-४

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो–४ : मणिबहेन पटेलने

१. तात्पर्य सरदार वल्लभभाई पटेलसे है।

२. मणिबहन उस समय बीमार थीं और बम्बईमें इलाज करवा रही थीं।

३५. पत्र : सतीन डी० गुप्तको

[१० मार्च, १९३० के पूर्व]

मैं जानता हूँ कि मेरी अनुपस्थितिमें कोई नया नेता देशके सामने आयेगा। हर आदमी अपने-आपको नेता बनाकर आन्दोलनका संचालन करे। इस आन्दोलनकी सफलता सर्वसाधारणके अहिंसामें दृढ़ विश्वासपर निर्भर है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १०-३-१९३०

३६. भाषण : प्रार्थना-सभा, साबरमती आश्रममें[1]

१० मार्च, १९३०

आजकल आप लोग काफी तादादमें प्रार्थना-सभामें आते हैं, यह अच्छी बात है। मेरा तो यह कहना है कि आप इससे भी ज्यादा संख्यामें आयें और प्रार्थनामें भाग लें। लेकिन एक शर्त है। यदि आप केवल कुतूहलवश आते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपमें से कोई भी व्यक्ति न आये। यदि आप भजनमें भाग लेनेके इरादेसे आते हैं, तब तो बहुत सुन्दर बात है। लेकिन प्रश्न उठता है, आप इससे पहले क्यों नहीं आते थे और अब एकाएक कैसे आने लगे। सम्भव है, आप केवल प्रार्थनाके लिए आते हों; और यह भी सम्भव है कि आपको इस संघर्षमें दिलचस्पी हो।

भजन और प्रार्थनाको अगर आप एक कानसे सुनकर दूसरे कानसे निकाल देते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप न आयें। लेकिन यदि आप आत्मशुद्धि और आत्मदर्शनके लिए आते हों तो अवश्य आयें। मैं नहीं मानता कि केवल कानसे सुननेवाले और तोतेकी तरह ओठोंसे ईश्वरका नाम रटनेवाले व्यक्तिको उसका नाम लेनेसे कोई लाभ होता है। हममें और तोतेमें भेद है। यदि आप इतना भी नहीं समझते तो आपके यहाँ आनेका परिश्रम व्यर्थ जायेगा और हमारी शान्तिमें भी खलल पड़ेगा। हम शहरसे इसीलिए इतनी दूर आये हैं कि हमें बाह्य शान्ति मिले और भारतवर्षकी सेवा करनेकी योग्यता प्राप्त कर सकें।

और यदि आप सचमुच शुद्ध हृदयसे प्रार्थनामें भाग लेनेके लिए, उसका रसास्वादन करनेके लिए आते हैं तो उस शुद्धताकी जो बाह्य निशानी है वह अवश्य दिखाई देनी चाहिए। आप सब विदेशी कपड़ोंका त्याग करें और उन्हें जला डालें, इस बातकी अपेक्षा मैं आपसे अवश्य करता हूँ। खादीके अनेक गुण कहे जाते हैं। आप उन सब

१. प्रार्थना-सभाके अन्तमें दिये गये भाषणका यह संक्षिप्त सार है। इस प्रार्थना-सभामें लगभग दो हजार लोग उपस्थित थे।

कारणोंको मानें या न मानें, लेकिन एक बात तो सब लोग स्वीकार करते हैं कि खादी पहनकर हम गरीबसे-गरीब लोगोंके साथ सम्बन्ध स्थापित कर पाते हैं और खादी पहननेसे हमें हमेशा इस एक बातकी याद हो आती है कि इसे पहनकर हम हिन्दुस्तानके अत्यन्त गरीब लोगोंकी थोड़ी मदद करते हैं।

लेकिन दूसरा कारण तो यह है कि अहमदाबादके भूषण, वीर सरदार वल्लभभाई पटेल इस समय जेलमें विराजे हुए हैं। उनके लिए क्या आप इतना भी नहीं करेंगे? मैं अपनी ओरसे आपसे इतना ही कहूँगा कि खादीने जो प्रगति की है वह न की होती तो आज हम जो आन्दोलन चला रहे हैं वह न चला पाते। इस प्रगतिसे ही मुझे आशा बँधी कि हिन्दुस्तानके घर-घरमें शान्तिका सन्देश पहुँच गया है। कारण, जिन्हें खादी अच्छी लगती है उन्हें शान्तिप्रिय होना ही चाहिए। जिसे शान्तिमें विश्वास न हो, जिसे अहिंसापर भी आस्था न हो वह व्यक्ति या तो बाह्य मर्यादाके पालनके लिए, अथवा लोगोंको धोखा देनेके लिए या खादीकी बिक्री बढ़ानेके लिए खादी पहनता होगा।

अब आप जिस अन्य वस्तुके लिए यहाँ आते हैं उसके बारेमें कुछ शब्द कहता हूँ। कल कोई पौन सौ व्यक्तियोंको लेकर मैं कूच आरम्भ करनेवाला हूँ। सभी कह रहे हैं कि भीषण युद्ध होनेवाला है और सारी दुनियाकी आँखें इस ओर लगी हुई हैं।

विचार कीजिए, आप सब लोग यहाँ तो निर्भय होकर आ जाते हैं। लेकिन गोलियोंकी बौछारके सामने आप टिके रह सकते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मान लीजिए, सत्याग्रहके युद्धके बदले मैंने यह कहा होता कि मैं १२ तारीखको गोलीबारी करनेवाला हूँ अथवा लाठी चलानेवाला हूँ, अथवा गोलियों और लाठियोंकी बात जाने दें, पत्थर फेंकनेवाला हूँ, अथवा जिससे मिलूँ उसे तमाचा मारनेवाला हूँ तो क्या सरकारने मुझे अभी तक बाहर रहने दिया होता? संसारके इतिहासमें आप एक भी ऐसा उदाहरण नहीं बता सकते जहाँ साम्राज्यको गोलीसे उड़ा देनेकी धमकी देनेवाले व्यक्तिको सम्राट् अथवा लोकतन्त्र सहन करता हो — फिर भले वह अमेरिका हो अथवा रूस। मगर आज यहाँ तो सरकार सोचमें पड़ गई है।

आज तो मैं नमक-कानूनको तोड़नेकी बात करता हूँ, लेकिन यदि कल यह कहूँ कि हम साबरमतीमें डूबकर मरनेवाले हैं तो सरकार क्या करेगी, आप क्या करेंगे? सरकार कदाचित् हमें बचानेके लिए आश्रमको घेर लेगी? और आप लोग हमसे ऐसा न करनेके लिए विनती करेंगे। लेकिन आप आज यहाँ केवल तटस्थ रहकर तमाशा देखनेके लिए नहीं आये हैं। यह चीज आपको अच्छी लगती है। कानून-भंग और जेलसे मैंने आपको इतना परिचित करा दिया है कि आपको इसमें रस आने लगा है। इसलिए अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक कदम और आगे बढ़ें। हिन्दुस्तानके सात लाख गाँवोंमें यदि दस-दस व्यक्ति भी नमक बनानेके लिए निकल पड़ें तो यह राज्य, यह सरकार क्या कर सकती है? अभी तक कोई भी ऐसा बादशाह नहीं हुआ है जिसने बिना किसी कारणके किसीको तोपके आगे कर दिया हो। इस तरह शान्तिसे कानून-भंग करके हम सहज ही सरकारको बुजदिल बना सकते हैं। आप सब इस लड़ाईका रहस्य समझ सकें, इसीलिए यह सब कहता हूँ। यदि

आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है, तो बेहतर हो कि आप मेरा और अपना समय नष्ट न करें।

यदि आप केवल हमें और हमारे आन्दोलनको आशीर्वाद देने आये हैं तो उस आशीर्वादका कोई ठोस रूप होना चाहिए। मै आशा करता हूँ कि हम इस युद्धको कमसे-कम पैसेसे लड़ सकेंगे। १९१८ में खेड़ा सत्याग्रहके समय मैंने चन्दा इकट्ठा करनेके कुछ सुझावोंको नामंजूर कर दिया था। बारडोलीमें एक अपील जारी की गई थी और उसके उत्तरमें लोगोंने मुक्त हृदयसे पैसा दिया था, लेकिन उसमें प्राप्त बहुत-सी रकम बचा ली गई थी और अब उस राशिको रचनात्मक कार्योंमें लगाया जा रहा है। अतएव इस समय मै आपसे कोई धन देनेके लिए नही कहता। जब हमारे कष्टोंकी अति हो जायेगी तब आप लोग बिना कहे धनकी सहायता देंगे। लेकिन मै चाहता हूँ कि आप साहससे काम लें तथा इस लड़ाईमें, जो भीषण होगी और लम्बी चलेगी, अधिकसे-अधिक लोग भाग लें। मैं अहमदाबादसे, उन वल्लभभाईके अहमदाबादसे जो पहलेसे ही जेलमें है, निश्चय ही यह आशा करता हूँ कि वह हमें असंख्य स्वयंसेवक प्रदान करेगा और एक-के-बाद-एक जत्था गिरफ्तार होता जायेगा तथा जेल जाता रहेगा; इस तरह यह सिलसिला कभी नहीं टूटेगा। आपसे मैं कमसे-कम इतनी बातकी अपेक्षा रखता हूँ। ईश्वर आपको शक्ति दे और आप कसौटी पर पूरे उतरें![१]

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १६-३-१९३०

३७. सन्देश: आन्ध्र देशके लिए[२]

[११ मार्च, १९३०के पूर्व]

यह संघर्ष ऐसा है जिसमें अन्तिम निर्णय हो जायेगा। ईश्वर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। इस संघर्षको तबतक जारी रखना है जबतक कि सत्याग्रह करनेके लिए सामने आनेवाला एक भी आदमी शेष है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १४-३-१९३०

१. अन्तिम अनुच्छेद १२-३-१९३० के यंग इंडियासे लिया गया है।

२. यह सन्देश राजमुन्द्री नगर कांग्रेस कमेटीके तत्त्वावधानमें ११ मार्चको आयोजित एक सार्वजनिक सभामें पढ़ा गया था।

३८. भेंट: एच० डी० राजाके साथ[1]

[११ मार्च, १९३० या उसके पूर्व]

आगामी संघर्ष और उसमें नौजवानोंकी भूमिकाके बारेमें गांधीजी से मेरी लम्बी बातचीत हुई। गांधीजी ने कहा:

मैं १२ तारीखकी सुबह यह संघर्ष पूरी उत्कटताके साथ आरम्भ करूँगा। इसे तबतक चलाना है जबतक कि हम उद्देश्यको प्राप्त न कर ले। या तो हम इस संघर्षमें दुनियासे मिट जायेंगे या इसमें से पूर्ण स्वतन्त्रताका उपभोग करनेवाले एक स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमें निकलेगे। इस सघर्षमें हम अपना कदम पीछे हटाये बिना सीना तानकर गोलियोंका सामना करेगे। इस सक्रिय सविनय अवज्ञा-संघर्षमें हम पुरुषो तथा स्त्रियोसे जेलोको भर देंगे, लेकिन किसी भी हालतमें पीछे नही हटेंगे।

जब मैंने उनसे पूछा कि उनकी गिरफ्तारीके बाद लोगोंको क्या करना चाहिए तो गांधीजी ने जबाव दिया:

हाँ, मैं तो किसी भी क्षण गिरफ्तार कर लिये जानेकी उम्मीद करता हूँ। लेकिन मेरी गिरफ्तारीके बाद भी संघर्ष चलता रहना चाहिए। प्रान्त, जिला अथवा ताल्लुकेकी काग्रेस कमेटियोंको आन्दोलनका संगठन करना चाहिए।

इस संघर्षमें युवक संगठन क्या भूमिका अदा कर सकते है?

युवक संगठनोको स्वयंसेवक तैयार करने चाहिए और इन स्वयसेवकोको कांग्रेस कमेटियोंके सुपुर्द कर देना चाहिए। ये कमेटियाँ ही यह तय करेंगी कि क्या करना है। अगर किसी जगहकी काग्रेस कमेटी अपना काम नहीं कर पाती तो युवक सग-ठनको वह काम अपने हाथमें लेकर करना चाहिए। . . .

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-३-१९३०

१. यह सम्पादकके नाम लिखे एक पत्रके रूपमें छपा था।

३९. भेंट: 'मैंचेस्टर गार्जियन' के प्रतिनिधिको

साबरमती आश्रम
[११ मार्च, १९३० या उसके पूर्व][1]

मैं नहीं जानता कि लन्दनमें गोलमेज कान्फरेंस करनेसे भारतको कोई लाभ होगा। भारतीय ही भारतीयके खिलाफ लड़ें, मैं दुनियाको यह दुःखद दृश्य देखनेका मौका न देना चाहूँगा, लेकिन कान्फरेंस हुई तो अभी उसमें जैसे लोगोंको शामिल करनेकी बात है, उससे यही प्रतीत होता है कि वहाँ वैसा ही दृश्य उपस्थित होगा। मैं उसमें समय नहीं बरबाद करूँगा। मुझे आशा है कि मेरा आन्दोलन सफल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आन्दोलनसे हिंसा नहीं भड़केगी, लेकिन अगर वैसा हुआ तो भी मैं अपना कदम पीछे नहीं हटा सकता। मैंने एक बार नेहरू रिपोर्टका समर्थन किया था, मगर तबसे स्थिति बहुत-कुछ बदल गई है।

मैं स्वीकार करता हूँ कि हो सकता है, यह अन्तिम अवसर साबित हो और अगर मैं इस अवसरका लाभ नहीं उठाता तो और कोई अवसर शायद कभी आये ही नहीं। क्रान्तिकारी और बेशक, हिंसावादी आन्दोलनका जोर खूब बढ़ा है। अतएव जल्दीसे-जल्दी कार्रवाई करनेकी आवश्यकता स्पष्ट है। धार्मिक वैमनस्यका सवाल और देशी राज्योंकी समस्या, ये तो गौण प्रश्न हैं और जबतक सत्ता हमारे अपने हाथोंमें नहीं आ जाती तबतक इनका समाधान नहीं हो सकता। मै नहीं समझता कि अब मैंने जो हल सामने रखा है, उसके अलावा भारतकी समस्याका कोई और हल भी है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ११-६-१९३०

४०. सन्देश रिकार्ड किये जानेके सम्बन्धमें[2]

[११ मार्च, १९३० या उसके पूर्व]

यदि मेरे सन्देशमें सचाई है तो मैं जेलके बाहर रहूँ या भीतर, लोग उसकी ओर अवश्य ध्यान देंगे। लेकिन यदि उसमें कोई सचाई नहीं है तो अपनी सब कोशिशोंके बावजूद, बल्कि ग्रामोफोनकी मददसे भी, आप उसे जनता तक नहीं पहुँचा सकेंगे। हम जो सत्याग्रह आरम्भ करने जा रहे हैं, यदि वह सचमुच सत्याग्रह, अर्थात् सत्यका आग्रह है और यदि हम सत्य और अहिंसाके आधारपर आगे

१. स्पष्ट है कि १२ मार्च, १९३० को कूच करनेके पहले ही गांधीजी ने यह भेंट दी थी।

२. राजेन्द्रप्रसादने सुझाव दिया था कि गांधीजी का सन्देश रिकार्ड कर लिया जाये ताकि उनकी गिरफ्तारीके बाद उसे बजाया जा सके। इसके उत्तरमें उन्होंने उपर्युक्त शब्द कहे।

बढ़नके लिए तैयार हूँ तो लोग मेरे शब्दोंको सुनें अथवा न सुनें, मेरी आवाज उनके कानों तक पहुँचे अथवा न पहुँचे, यह आन्दोलन अवश्य सफल होगा। इसलिए इस तरहका रिकार्ड न तो जरूरी है और न इससे कोई मदद मिलनेवाली है।

[अंग्रेजीसे]

ऐट द फीट ऑफ महात्मा गांधी

४१. प्रश्नोत्तर[1]

[११ मार्च, १९३० या उसके पूर्व]

प्र० : आप कैसी सरकार चाहते हैं?

उ० : मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ जो जनताकी इच्छा पूरी करे, जनता जो कहे वही करे।

प्र० : यानी आप लोकतन्त्र चाहते हैं?

उ० : शब्दोंके झमेलेमें मैं नही पड़ता, और सरकारका बाह्य रूप क्या हो, इसकी चिन्ता मैं कभी नही करता।

प्र० : लेकिन उसके तरीकोंकी चिन्ता तो करते हैं?

उ० : हाँ, उनकी तो मैं बहुत चिन्ता करता हूँ, लेकिन सरकारके रूपकी नहीं।

प्र० : तब तो आपको राजतन्त्रपर भी कोई आपत्ति नहीं होगी?

उ० : मैंने कहा न कि सरकारके रूप और तन्त्रकी मैं ज्यादा परवाह नही करता।

प्र० : अच्छा तो अब यह बताइए कि आपके लोकतन्त्रका स्वरूप क्या होगा?

उ० : मुझे नही मालूम। मेरा मतलब तो सिर्फ तरीकेसे है और तरीकेसे मेरा तात्पर्य यह है कि कोई सरकार जनताकी इच्छा किस तरह पूरी करती है। इसके दो ही तरीके हैं: एक तो है फरेब और जोर-जबरदस्तीका तरीका और दूसरा है अहिंसा और सत्यका तरीका। जोर-जबरदस्तीमें झूठ और फरेब तो बराबर शामिल ही रहता है, अहिंसामें उसके लिए कोई स्थान नही होता।

प्र० : लेकिन क्या अहिंसामें झूठ-फरेब नहीं हो सकता?

उ० : नही, यह असम्भव है। फरेब तो अपने-आपमें एक प्रकारकी हिंसा है।

प्र० : मगर मैंने तो अहिंसाके साथ फरेबको भी चलते देखा है। चीनकी ख्याति दुनियाके एक सबसे शान्तिपूर्ण देशके रूपमें है, लेकिन अगर मैं बताऊँ कि वहाँ कितना झूठ और फरेब चलता है तो आप चकित रह जायेंगे।

उ० : मैं फिर यही कहता हूँ कि शब्दोंके झमेलेमें मैं नही पड़ता। एक राष्ट्रके रूपमें चीनी लोग दुनियाकी सबसे अधिक शान्तिप्रिय जातियोंमें से हैं, लेकिन अगर वहाँ फरेब भी चलता है तो फिर वह शान्ति सच्ची और सहज नही हो सकती। अगर मैं मनमें किसीके प्रति दुर्भावना रखता हूँ लेकिन उसे व्यवहारसे प्रकट नही करता तब

१. इन प्रश्नोत्तरोंकी रिपोर्ट महादेव देसाईने तैयार की थी और ये "कूचसे पहले बातचीत" शीर्षकसे छपे थे।

भी मेरा आचरण हिंसात्मक ही माना जायेगा। अहिंसा या शान्तिसे मेरा तात्पर्य उस शान्तिसे है जो आन्तरिक बलके बोधसे आती है। अगर मुझमें वह शान्ति, वह अहिंसा है तो मेरे अन्दर घृणा हो ही नहीं सकती। हिंसाका अर्थ आवश्यक रूपसे किसीको शारीरिक क्षति पहुँचाना ही नहीं होता। मैं हर व्यक्तिको जो बात समझानेको उत्सुक हूँ वह यह है कि मैं नहीं चाहता, भारत सन्दिग्ध तरीकोंसे अपने लक्ष्यको प्राप्त करे। यह सम्भव है या नहीं, यह तो अलग बात है। मेरे वर्तमान प्रयोजनके लिए तो इतना ही काफी है कि जो भी व्यक्ति [स्वराज्यकी प्राप्तिकी] योजना बनाये और जनताका नेतृत्व करे वह पूरी तरह खरा हो और उसके अन्दर अहिंसा और सत्यका निवास हो। अहिंसा अपना काम यन्त्रवत् नहीं करती, वह तो एक जीवन्त शक्तिकी तरह ही काम करती है। इसीलिए मैंने कांग्रेसकी कार्य-समितिसे अपनी अहिंसाकी योजनापर अमल करनेके लिए निर्बाध सत्ताकी माँग की।

प्र० : मगर गांधीजी, क्या आप ऐसा नहीं समझते कि विदेशी मालका बहिष्कार सविनय अवज्ञासे कहीं अधिक प्रभावशाली साबित होगा?

उ० : वर्षों पूर्व मैंने यह निरर्थक नारा सुना था और उसके स्थानपर मैंने विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारको मान्यता दी। इसका कुछ असर भी हुआ, लेकिन तमाम विदेशी मालके बहिष्कारकी योजनाका तो कोई प्रभाव ही नहीं हुआ।

प्र० : मेरा तो खयाल है कि बंगालमें ब्रिटिश मालके बहिष्कारका आन्दोलन सफल रहा, मगर अन्य किसी प्रान्तने उसे आजमाकर देखा ही नहीं?

उ० : नहीं, वह थोड़ा-बहुत चलकर विफल हो गया था। अहमदाबाद और बम्बईकी मिलोंने राष्ट्रको देशी मिलोंके कपड़ोंके नामपर विदेशी कपड़े मुहैया किये और जब उन्होंने शुद्ध देशी मिलोंके कपड़े भेजे भी तो उनकी कीमतें बहुत ज्यादा रखीं।

प्र० : यही तो मैं कहना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि उस योजनाको ठीक-से आजमाया नहीं गया।

उ० : अगर नहीं आजमाया गया तो उसका मतलब यह है कि लोग इसे आज-माना नहीं चाहते थे। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मेरा विश्वास इसमें कभी नहीं जमा और इसीलिए मैंने इसे समर्थन भी नहीं दिया।

प्र० : लेकिन क्या सविनय अवज्ञाकी अपेक्षा विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारको आजमा-कर देखना आसान नहीं होगा?

उ० : नहीं। दरअसल वह बहुत ज्यादा कठिन है। विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारके लिए आपको ३० करोड़ लोगोंके सहयोगकी आवश्यकता होगी, लेकिन सविनय अवज्ञाके लिए तो आपके पास केवल दस हजार दृढ़निश्चय स्त्री-पुरुष हों तो उतनेमें ही काम चल जायेगा।

प्र० : सो कैसे? उन सबको जेलोंमें तो बन्द किया जा सकता है और जैसे ही उनको जेलोंमें बन्द किया कि सारा किस्सा खत्म।

उ० : उनको यह प्रयोग करके तो देखने दीजिए। सरकार इन सारे लोगोंको फाँसीके तख्तेपर लटकाकर ही इनसे नजात पा सकती है। अगर ये लोग विश्वस्त

और सच्चे हैं तो इनकी उपस्थिति-मात्र सरकारके लिए जानलेवा परेशानीका कारण होगी।

प्र० : क्या ये जेलमें भी सरकारके लिए चिन्ताका कारण होंगे?

उ० : इतना तो है ही कि सरकार उन्हें बहुत लम्बे अरसे तक जेलोंमें नही रख सकती। सचाई यह है कि १९२१में हमारे पास दस हजार तो क्या, ५ हजार सच्चे सविनय प्रतिरोधी भी नही थे। हर राजनीतिक कैदी सविनय प्रतिरोधी ही नही होता।

प्र० : आपके आन्दोलनसे क्या हिंसा भड़कनेका खतरा नहीं है?

उ० : हो सकता है, उससे हिंसा भड़क उठे, हालाँकि मैं तो ऐसी स्थिति न आने देनेके लिए भरसक कोशिश कर रहा हूँ। मगर आज हिंसा भड़कनेका कहीं अधिक खतरा है, क्योंकि आज मैं जिस प्रकारके अहिंसात्मक आन्दोलनकी बात सोच रहा हूँ, वैसे किसी आन्दोलनके अभावमें लोगोंके सामने अपने रोष और असन्तोषको सही दिशा देनेका कोई उपाय नही है।

प्र० : हाँ-हाँ, मैंने ऐसा तो सुना है कि आप कहते हैं कि आप हिंसाको रोकनेके ही उद्देश्यसे यह आन्दोलन प्रारम्भ करने जा रहे हैं।

उ० : हाँ, यह मेरी एक दलील तो है, मगर सबसे निर्णायक दलील नही। मेरी दूसरी और सबसे बड़ी दलील यह है कि यदि अहिंसाको अपनी क्षमता सिद्ध करनी है तो उसका उपयुक्त समय यही है। कुछ क्षेत्रोंमें इसे निष्क्रिय, यहाँतक कि निर्वीर्य उपाय माना जाने लगा है। इसे अपने-आपको इस कलंकसे मुक्त कराना है। और जब इसका प्रयोग अत्यन्त प्रभावकारी ढंगसे किया जाये तो इसे घातकसे-घातक बाहरी बाधाओंके बावजूद सफलतापूर्वक काम कर सकना चाहिए। सच तो यह है कि अहिंसामें सहज ही वह शक्ति विद्यमान है जो समस्त बाहरी बाधाओंको निरर्थक बना देती है। इसके विपरीत, भीतरी बाधाएँ, जैसे झूठ-फरेब, घृणा और दुर्भावना, इस आन्दोलनके लिए घातक सिद्ध होंगी। अबतक तो मैं यह कहा करता था कि "पहले मुझे हिंसात्मक तत्त्वोंपर काबू पा लेने दो।" मगर अब मुझे इस बातकी प्रतीति होती जा रही है कि अहिंसाकी शक्तिको सक्रिय बनाकर ही हिंसात्मक तत्त्वोंपर काबू पाया जा सकता है।

मगर मैं लोगोंको ऐसा कहते सुनता हूँ कि भारतमें इतिहास अपने-आपको दोहरायेगा। ठीक है, अगर यही होना है तो हो। मगर जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो इस आन्दोलनको स्थगित नही कर सकता। अगर करूँगा तो कायरताके आरोप-का भागी बनूँगा। मुझे तो उस प्रणालीके खिलाफ, जो हिंसापर आधारित है, मरते दमतक लड़ना है और इस तरह राजनीतिक हिंसापर काबू पाना है। जब सच्ची और सजीव अहिंसा क्रियाशील हो उठेगी तो आम जनता पर भी उसका प्रभाव अवश्य होगा और वह बहादुरोंकी तरह उठ खड़ी होगी।

प्र० : लेकिन आपके जेल भेज दिये जानेके बाद तो आन्दोलन आपके नियन्त्रणमें नहीं रह जायेगा?

उ० : दक्षिण आफ्रिकाका आन्दोलन अपने उत्तरार्धमें मेरे नियन्त्रणमें नही रह गया था। उन दिनों मेरे कुछ किये बिना ही यह खूब जोर पकड़ता गया। हजारों लोग

सहज ही उसमें शामिल हो गये। उन सबको जाननेकी बात तो दूर रही, मैंने उनके चेहरे भी नहीं देखे थे। वे उस आन्दोलनमें इसलिए शरीक हुए कि उन्हें लगा कि उन्हें शरीक होना ही है। उन्होंने शायद मेरा नाम-भर सुना था, लेकिन उन्होने तुरन्त देख लिया कि वह उनकी मुक्तिका आन्दोलन था; उन्होंने यह जाना कि एक आदमी तीन पौंडी कर के खिलाफ लड़नेको तैयार है और बस इतना ही जानकर सब संघर्षमें कूद पड़े। और कैसी जबरदस्त कठिनाइयोकी उपेक्षा करके? उनकी खानें उनके लिए जेल बना दी गईं; जो लोग उनपर रात-दिन अत्याचार करते थे, उन्हीको उनके वॉर्डर बना दिया गया। वे जानते थे कि इस संघर्षमें कूदनेका मतलब यह है कि उन पर कहर बरपा किया जायेगा। मगर तब भी वे तनिक नही डिगे, जरा भी विचलित नहीं हुए। यह सब एक चमत्कार ही था।

प्र० : लेकिन क्या इस आन्दोलनसे देशमें पहलेसे ही मौजूद फूट और मतभेदोंमें और भी वृद्धि नहीं होगी?

उ० : मुझको ऐसी कोई आशंका नही है। हिंसात्मक तत्त्वोंकी ही तरह फूट और विभेद डालनेवाली शक्तियोंको भी काबूमें रखा जा सकता है। हो सकता है, हिंसामें विश्वास करनेवाला पक्ष मेरे कार्योंके प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया न दिखाये; सम्भव है, जन-साधारण अविवेकसे काम ले। लेकिन मै आशावादी हूँ और मानव-स्वभावकी अच्छाईमें मेरा अखण्ड विश्वास है। हिंसामें विश्वास रखनेवाला पक्ष मुझे अपना तरीका आजमाकर देखनेका पूरा अवसर देगा और सर्वसाधारणकी प्रतिक्रिया उसके सहज स्वभावके ही कारण बिलकुल ठीक होगी। हो सकता है, मैं कल्पना-लोकमें विचरण कर रहा होऊँ। लेकिन कोई भी सेनापति समस्त आकस्मिक परिस्थितियोंके मुकाबलेकी तैयारी पहलेसे नही कर सकता। मैं तो इसे अपने जीवनमें प्राप्त एक सुनहला मौका मानता हूँ। इस आन्दोलनको मैंने न्योता नही दिया है। मुझे तो लगभग न चाहते हुए कलकत्ता जाना पड़ा था। वहाँ मैंने एक समझौता किया और उसके बारेमें भी यही कहूँगा कि मुझे वैसा करना पड़ा। दो सालकी अवधिके स्थानपर मैंने एक सालकी अवधि रखी, सो सिर्फ इसलिए कि उसमे किसी तरहके नैतिक सिद्धान्तका कोई सवाल नही था। लाहौरमें लगभग सभी प्रस्ताव मुझे ही सोचने और तैयार करने पड़े। वहाँ मैंने हिंसा और अहिंसाकी शक्तियोंको साथ-साथ पूरी तरह खुलकर काम करते देखा; और मैंने पाया कि अन्ततः अहिंसाने हिंसाको परास्त कर दिया है।

प्र० : कुछ समय पहले तो आपने कहा था कि अभी सविनय अवज्ञाके लिए ठीक अवसर नहीं आया है। तबसे अबतक ऐसा क्या हो गया जिससे आपने अपना विचार बदल दिया?

उ० : मेरा निश्चित मत है कि अब उसके लिए बिलकुल ठीक समय आ गया है। कारण आपको बताता हूँ। इस अवधिमें बाहर तो कुछ नही हुआ है, लेकिन मेरे अन्तरमें जो द्वन्द्व चल रहा था वह समाप्त हो गया है; और अब मेरा दृढ विश्वास है कि इस आन्दोलनका अवसर तो कब-का आ चुका है। इससे बहुत पहले भी इसे मैं मजेसे आरम्भ कर सकता था।

प्र० : और वह अन्तरका द्वन्द्व क्या था?

उ० : आपको मालूम ही है कि मैंने बराबर एक ही चीजसे मार्ग-दर्शन ग्रहण किया है। वह चीज है अहिंसाके प्रति मेरा रवैया। किन्तु तब मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि बढ़ते हुए हिंसात्मक वातावरणके बीच मैं अहिंसाके प्रति अपने रवैये-को कार्य-रूप किस प्रकार दूं। लेकिन अब मुझे दिनके उजालेके समान साफ नजर आ रहा है कि मैंने जो रास्ता अख्तियार किया है उसपर चलते हुए वास्तवमें मैं उस खतरेको बहुत कम कर देता हूँ जो मैं उठाने जा रहा हूँ।

प्र० : क्या आपको पूरा यकीन है कि नमक-आन्दोलनके परिणामस्वरूप आपको जेल भेज दिया जायेगा?

उ० : मुझे इस बातमें रत्त-मात्र भी सन्देह नही है। हाँ, यह तो मैं नही कह सकता कि यह कब होगा, लेकिन मुझे यह जरूर लगता है कि ज्यादातर लोग इस स्थितिके जितनी देरसे आनेकी बात सोचते होंगे उससे बहुत पहले ही यह आयेगी। मै उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही ऐसी स्थिति आ जायेगी जिससे कोई ठीक ढंगकी परिषद् बुलाना आवश्यक हो जायेगा। वह 'राउण्ड टेबल कांफरेंस'की तरह कोई गोलमोल किस्मकी परिषद् नही होगी, बल्कि 'स्क्वेयर टेबल कांफरेंस' होगी, जिसमें विभिन्न पक्ष अपनी बात ईमानदारीसे साफ-साफ कहेंगे और जिसमें शरीक होनेवाले हर व्यक्तिको इसका भान होगा कि वह कहाँ खडा है। अभी तो मैं उस परिषद्की ठीक-ठीक रूप-रेखा नही बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वह परिषद् भारतमें एक स्वतन्त्र सविधानकी स्थापनाके उपायोपर आपसमें मिल-बैठकर विचार करनेके लिए एक बिलकुल बराबरीके पक्षोकी परिषद् होगी।

प्र० : वाइसरायके साथ चल रही वार्त्ता जो एकाएक बीचमें ही खत्म हो गई, उसके लिए क्या आप ही जिम्मेवार नहीं थे?

उ० : मैं जानता हूँ कि कुछ क्षेत्रोमें लोगोका ऐसा ही खयाल है। जनताने भी कुछ समयतक मुझे दोष दिया, लेकिन अब वह वास्तविकताको समझ गई है।

प्र० : क्या आप निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि आपने जो स्थिति अपनाई, वह युवा पीढ़ीके प्रभावके दबावके कारण नहीं अपनाई?

उ० : नहीं, बिलकुल नही। मैं गोलमेज कांफरेंसके लिए कभी भी उत्सुक नही था। हाँ, जितना आगे जा सकता था उतना आगे तो मैं अवश्य गया। मगर जिस मुख्य वस्तु का मैं बराबर आग्रह करता रहा वह यह थी कि कांग्रेसको भारतकी आवश्यकताओंके अनुरूप औपनिवेशिक स्वराज्यकी योजना तैयार करनेके प्रश्नको ही हाथमें लेना चाहिए। अगर वाइसरायने हामी भर दी होती तो मैं उनसे खुशी-खुशी दूसरे मुद्दोपर विचार करनेको कहता।

प्र० : मतलब यह कि उस योजनाके कुछ वर्ष बाद क्रियान्वित किये जानेपर आपको कोई आपत्ति नहीं थी?

उ० : यदि योजना ऐसी होती कि वह कुछ समय बाद ही क्रियान्वित की जा सकती तो मैं उसे वही अस्वीकार कर देता। मगर मुझे वाइसरायके साथ हुई बात-

चीतके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहना चाहिए। जनताको इसके बारेमें ज्यादा जानना होगा तो किसी दिन जान लेगी। लेकिन आपको इतने-भरके लिए आश्वस्त कर दूँ कि सच्चे औपनिवेशिक स्वराज्यकी योजना तैयार करनेका कोई सवाल ही नहीं उठा था।

प्र० : अब मैं बस एक सवाल आपकी प्रसिद्ध ग्यारह-सूत्री माँगके बारेमें पूछना चाहूँगा। अगर इनमें से कुछ बातें स्वीकार कर ली जायें तो क्या समझौतेके लिए रास्ता बन जायेगा?

उ० : अगर सरकार कुछ मुख्य बातें स्वीकार कर ले और इसके साथ ही शेष माँगें यथाशीघ्र स्वीकार कर लेनेका वचन दे दे तो मैं कांफरेंसके प्रस्तावपर विचार करनेको तैयार रहूँगा। मगर उन तमाम माँगोंकी न्याय्यता पहले स्वीकार कर ली जानी चाहिए। आप यह तो मानेंगे ही कि उनमें कुछ नया नही है। अधिकांश माँगें तो दादाभाई नौरोजीके समयसे ही की जाती रही है।

प्र० : मान लीजिए, सरकार सैनिक और असैनिक खर्चमें कटौती करनेकी आपकी माँग स्वीकार कर लेती है तो क्या आप इसे उसकी सदाशयताका पर्याप्त प्रमाण नहीं मानेंगे?

उ० हाँ, तब तो मुझे अपनी स्थितिपर गम्भीरतासे फिर विचार करना होगा, लेकिन यह सब इस बातपर निर्भर होगा कि जो-कुछ दिया जाता है वह किस भावसे दिया जाता है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २०-३-१९३०

४२. भाषण : प्रार्थना-सभा, साबरमती आश्रममें

[११ मार्च, १९३० या उसके पूर्व][1]

मै फिरसे यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जिस ध्येयकी प्राप्तिके लिए हम कूच कर रहे हैं, या तो हम उस ध्येयको प्राप्त करेंगे अथवा उसको प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हुए अपने प्राण दे देंगे। अब हम अपना कदम पीछे नहीं ले सकते। जबतक हिन्दुस्तानको स्वराज्य नही मिल जाता, तबतक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। यह आखिरी लड़ाई है। मेरा साथ देनेवाले सैनिकोंको यह जान लेना चाहिए कि वे वापस नहीं लौट सकते। जो सैनिक विवाहित है उन्हें अपनी पत्नियोंसे अनुमति ले लेनी चाहिए और स्वातन्त्र्य-युद्धका प्रथम सैनिक होनेके नाते पत्नियोंको उनका अभिनन्दन करना चाहिए। आश्रमसे हमारी यह विदाई घरसे विदाई लेनेके समान है। पूर्ण सफलता प्राप्त होनेपर ही हम यहाँ वापस लौट सकेंगे।

[गुजरातीसे]
गुजराती, १६-३-१९३०

१. साधन-सूत्रके अनुसार यह भाषण विशाल जनसमूहके सामने १० या ११ मार्चको दिया गया था।

४३. भाषण: प्रार्थना-सभा, साबरमती आश्रममें

११ मार्च, १९३०

बहुत सम्भव है कि आज आपके सामने मेरा यह अन्तिम भाषण हो। सवेरे यदि सरकार मुझे कूच करने देगी तो भी साबरमतीके पवित्र किनारेपर तो यह अन्तिम भाषण ही होगा। अथवा हो सकता है कि मेरे जीवनका यह अन्तिम भाषण हो।

मुझे जो कहना था सो मै आपसे कल कह चुका हूँ। भविष्यमें आपको क्या करना चाहिए, सो मैं आपसे कहूँगा। मान लीजिए कि कल सवेरे सरकार मुझे पकड़ लेती है और मेरे साथियोको भी पकड लेती है तो भी जलालपुर तक कूचका जो कार्यक्रम है वह चलता रहना चाहिए और इसके लिए स्वयंसेवकोंकी जो भरती होनी चाहिए वह गुजरातसे ही होगी। पिछले पन्द्रह दिनोसे मैं जो देख-सुन रहा हूँ उससे मुझे विश्वास है कि भरतीमें व्यक्तियोकी अखंड धारा बहती रहेगी।

लेकिन यदि हम सब पकड़े जायें तो तनिक भी अशान्ति नही होनी चाहिए। हमें अपनी पूरी शक्तिका शान्तिके मार्गके लिए ही उपयोग करना है। कोई भी व्यक्ति क्रोधके आवेशमें न करने योग्य कार्य नही करेगा। ऐसी मेरी आप लोगोसे विनती है और ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। मेरे ये शब्द सारे हिन्दुस्तानमें पहुँच जाने चाहिए। यदि यह टुकड़ी नष्ट हो जाती है और मैं भी खप जाता हूँ तो मेरा कार्य पूरा हो जायेगा। उसके बाद कांग्रेसकी कार्य-समिति जिस तरहसे इस आन्दोलनका सचालन करेगी उस तरहसे आपको चलना होगा। कार्य-समितिने जो प्रस्ताव पास किया है उसका अर्थ यही है। मेरे उन साथियोके हाथमें, जो अहिंसाको धर्मके रूपमें मानते है, इसके बाद भी लगाम होगी। लेकिन हमें मान लेना चाहिए कि काग्रेस जो कार्यक्रम तय करना चाहे सो कर सकती है। जबतक मै जलालपुर नही पहुँच जाता तबतक काग्रेसकी ओरसे मैंने जिस वस्तुकी माँग की है उसके विरुद्ध कुछ नही होना चाहिए। लेकिन यदि सरकार मुझे पकड़ लेती है तो पूरी जिम्मेदारी काग्रेसपर आ जाती है। इसीसे जो व्यक्ति अहिंसाको व्यवहार रूपमें नही बल्कि धर्मके रूपमें मानता होगा वह बैठ नही जायेगा। लेकिन यदि सरकार मुझे गिरफ्तार कर लेगी तो काग्रेसके साथ मेरी शर्त खत्म हो जायेगी। ऐसा होनेपर नाम दर्ज करवानेमें ढील नही होनी चाहिए। जिस-जिस स्थानपर नमक-कानून भंग किया जा सकता है उस स्थानपर यह शुरू किया जाना चाहिए। कानून भंग करनेके तीन रास्ते हैं। जहाँ नमक आसानीसे बनाया जा सकता हो वहाँ बनाना, यह अपराध है। इस नमकको जो ले जायेगा अथवा बेचेगा वह अपराध करेगा और जकातके बिना नमक खरीदनेवाला व्यक्ति भी अपराधका भागी होगा। नमक कानूनको भंग करनेका यह सबसे आसान तरीका है। जलालपुर ताल्लुकेमें नदीके किनारे बहुत-सा प्राकृतिक नमक पड़ा है। इसे उठाना गुनाह है। इसलिए यहाँसे जो व्यक्ति नमक उठाना चाहे वह उठा सकता है।

लेकिन केवल यही काम करके हमें सन्तोष नहीं मान लेना है, अपितु जहाँ स्थानीय कार्यकर्त्ता हों, कांग्रेसकी ओरसे प्रतिबन्ध न हो, कार्यकर्त्ताओंमें आत्मविश्वास हो वहाँ उन्हें जो युक्ति सूझ पड़े वे उस युक्तिसे काम ले सकते हैं। मेरी एक ही शर्त है। हमने शान्ति और सत्यके द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञा ली है; उसका पालन कर जिसे जो करना हो सो करनेकी छूट है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अपनी जवाबदेहीपर प्रत्येक व्यक्ति चाहे जो करने लग जायेगा। जहाँ नेता हो वहाँ वह जितना कहे उतना ही लोग करें लेकिन जहाँ नेता ही न हो वहाँ इस कार्यक्रममें विश्वास रखनेवाले मुट्ठी-भर लोगोंको भी अपने आत्मविश्वासके बलपर जो करना चाहें सो करनेका अधिकार है; वह उनका अधिकार ही नहीं धर्म है। संसारके इतिहासमें जहाँ-जहाँ जनताका नेतृत्व करनेके लिए व्यक्ति आगे आये थे, उनमें ऐसा ही आत्म-विश्वास, दृढ़ता और साहस था। और यदि हममें स्वराज्य लेनेकी उग्र इच्छा हो तो हममे इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि जैसे-जैसे सरकार हमारे लोगोंको गिरफ्तार करती जायेगी वैसे-वैसे हम निडर बनते जायेंगे और हमें लोग मिलते चले जायेंगे।

यदि सरकार मुझे पकड़ ले तो कोई यह न मानें कि अब जनताका नेतृत्व करनेके लिए कोई नहीं रहा। नेतृत्व करनेवाला मैं नहीं, वह तो जवाहरलाल है। उसमें नेतृत्व करनेकी शक्ति है। लेकिन सच बात तो यह है कि अब नेतृत्व करने लायक कोई बात नहीं रही। जहाँ निडरताका मन्त्र मिला है, जहाँ मरनेका मन्त्र मिला वहाँ कौन किसका नेतृत्व करेगा? लेकिन यदि हममें निडरता नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी तो वह हमें जवाहरलाल भी नहीं दे सकते।

अन्य अनेक काम भी पड़े हुए हैं। हम शराबकी दुकानों पर, विदेशी कपड़ोंकी दुकानों पर धरना दे सकते हैं। महसूल देना बन्द करनेकी हममें शक्ति हो तो हम वह भी बन्द कर सकते हैं। वकील हों तो वकालत छोड़ दें, मुवक्किल हों तो अदा-लत छोड़ दें, सरकारी नौकर हों तो सरकारी नौकरी छोड़ दें। आज तो चारों ओर इतनी निराशा फैली हुई है कि यदि नौकरी छूट जाये तो कँपकँपी छूटने लगती है। ऐसी निराशा रखनेवाला कोई भी व्यक्ति स्वराज्यके योग्य नहीं है। लेकिन यह निराशा किसलिए? सरकारी नौकर तो देशमें बहुत करके पाँच-सात लाख होंगे। तो इनके अलावा और लोग कहाँ जायें? स्वतन्त्रताके जमानेमें भी सरकारी नौकरियाँ इससे अधिक नहीं होंगी। कारण कि आज कलक्टरके पास जितने गुमाश्ते हैं उतने गुमाश्तोंकी स्वराज्यके कलक्टरको जरूरत न रहेगी। कलक्टर स्वयं ही गुमाश्ता बनेगा। इस भिखारी देशमें कलक्टरको एक व्यक्ति कागज उठानेके लिए, दूसरा झाड़ूबुहारीके लिए, तीसरा व्यक्ति पाखाना साफ करनेके लिए, चौथा व्यक्ति खाना पकानेके लिए, पाँचवाँ व्यक्ति कागज लाने-ले जानेके लिए चाहिए! यह बात भला कैसे निभ सकती है? इतना खर्च हमारा कंगाल देश सहन नहीं कर सकता। इसलिए यदि हममें समझ आ गई हो तो हमें ऐसी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, फिर भले ही हम जज हों अथवा चपरासी। जजको तो यह बात कठिन जान पड़ेगी, लेकिन चपरासीको क्यों मुश्किल लगेगी? चपरासी तो चाहे जहाँ नौकरी करे, इतने पैसे तो उसे मिल ही जायेंगे।

स्वतन्त्रताकी समस्याका यह अत्यन्त सहज हल है। जो-जो लोग जिस तरहसे सरकारके साथ सहयोग करते हों — महसूल देकर, खिताब धारणकर, अदालतोंमें जाकर, नौकरी करके, स्कूलो-पाठशालाओंमें बच्चोंको भेजकर — उन सबका अथवा जितनेका त्याग किया जा सके त्याग करके वे सरकारसे असहयोग कर सकते है। जो लोग जिन साधनोको कम कर सकते हैं, कम कर ले; और इसमें स्त्रियाँ भी पुरुषोके जितना भाग ले सकती हैं।

इसे सब कोई भले ही मेरी वसीयत जानें। कूच आरम्भ करनेसे पहले, जेल जानेसे पहले मुझे आप लोगोको इतना ही सन्देश देना था। जिस युद्धका आरम्भ कलसे अथवा एकाध घटेमें, जब मैं पकडा जाऊँ, तबसे होनेवाला है वह युद्ध स्वराज्य मिलने तक कभी बन्द न हो। हमारी एक टुकडी पकडी जाये तो दस तैयार है, यह सुननेके लिए मैं आतुर रहूँगा। इस समय भारतमें मैंने जो काम शुरू किया है उसे पार उतारनेवाले लोग पड़े हुए हैं। मेरी मान्यता है कि हमारा मामला सच्चा है। हमारे साधन शुद्धतम है और जहाँ साधन शुद्ध है वहाँ परमेश्वर है। इस तरह जहाँ इन तीनो वस्तुओका संगम हो वहाँ पराजय-जैसी कोई चीज हो ही नही सकती। सत्याग्रही जेलके बाहर हो अथवा भीतर, वह सदा विजयी है। यदि वह सत्यको छोड़ता है, शान्तिका त्याग करता है, अपने हृदयकी आवाजको नही सुनता तो वह निश्चय ही हारता है। इसलिए यदि सत्याग्रही पर हार-जीत लागू होती है तो उसके लिए स्वयं सत्याग्रही ही जिम्मेदार है। ईश्वर आपका कल्याण करे! आइये, आप और हम उससे प्रार्थना करे कि कल प्रातःकाल आरम्भ होनेवाले युद्धमें कोई विघ्न न आये।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १६-३-१९३०

४४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

[११ मार्च, १९३०]

प्रिय जवाहरलाल,

अब रातके १० बजनेको है। यहाँ जोरोकी अफवाह फैली हुई है कि मैं रातमें ही पकड लिया जाऊँगा। मैंने तुम्हे खास तौर पर तार इसलिए नही दिया कि संवाददाता लोग अपनी खबरें मजूरीके लिए पेश करते हैं और सभी पूरी गतिसे काम कर रहे है। तार देने लायक कोई खास बात थी भी नही।

घटनाएँ असाधारण रूपसे ठीक चल ही रही हैं। स्वयसेवकोंके नाम धड़ाधड़ आ रहे है। टोली कूच करती ही रहेगी, भले ही मैं पकड लिया जाऊँ। मैं गिरफ्तार न हुआ तो मेरी तरफसे तारोकी आशा रख सकते हो, नही तो मैं हिदायतें छोड़े जा रहा हूँ।

मेरे पास कोई खास बात कहनेको मालूम नहीं होती। मैं काफी लिख गया हूँ। आज शामको रेतीपर प्रार्थनाके लिए जमा हुई विशाल भीड़को मैंने अन्तिम सन्देश दिया था।

भगवान् तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें भार वहन करनेकी शक्ति दे।

तुम सबको प्यार,

बापू

[अंग्रेजीसे]
ए बंच ऑफ ओल्ड लैटर्स

४५. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

साबरमती आश्रम
११ मार्च, १९३०

भाई सतीशबाबू,

यह मेरा कमसे-कम जेलके बाहरका आखरी खत हो सकता है। कल मुझे पकड़ ही लेंगे, ऐसा विश्वास है और ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तुम्हारे खत मिल चुके हैं। मैं उत्तर क्या लिखूं? जो-कुछ हो सकता है वह किया जाय। मैं 'गीता'की एक नकल भेजनेका कह देता हूँ। तैयार हो चुकी है।

हेमप्रभादेवीको अलग खत भेजनेका मुझको समय नहीं रहा है। दोनोंको सर्व त्याग करनेकी ईश्वर शक्ति दें और हर समय मतैक्य समझनेका ज्ञान दें और सेवा-मार्गके लिये दीर्घायु करें।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १६३६की फोटो-नकलसे।

४६. तार : भवानीदयाल संन्यासीको[1]

[११ मार्च, १९३० को या उसके पश्चात्]

आपकी सफलताकी कामना करता हूँ।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६६६८)की माइक्रोफिल्मसे।

१. यह भवानीदयाल संन्यासीके ११ मार्च, १९३०को प्राप्त निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था: "शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटीकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली है। आपकी गिरफ्तारीके बाद सत्याग्रह आरम्भ करूँगा। आशीर्वाद चाहता हूँ।"

४७. सन्देश : बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके लिए

[१२ मार्च, १९३० के पूर्व]

जमनालालजी के सम्बन्धमें मुझे बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीका तार मिला। मैं कमेटीके इस विचारसे सहमत हूँ कि अभी जमनालालजी का बम्बईमें रहना उनके कही अन्यत्र रहनेकी अपेक्षा देशके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। मैंने उनसे बातचीत की है और उन्होंने बम्बईको यथाशक्ति अधिकसे-अधिक समय देनेका निश्चय किया है। मैं तो अब यही आशा करूँगा कि बम्बई उनकी उपस्थितिका अधिकसे-अधिक लाभ उठायेगा और इस स्वातन्त्र्य-संग्राममें प्रमुख हिस्सा लेगा, जैसा कि वह सदा करता रहा है। मै आशा करता हूँ कि सरदार वल्लभभाईकी गिरफ्तारीपर बम्बईकी प्रतिक्रिया इस घटनाकी विशिष्टताके अनुरूप हुई होगी।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १३-३-१९३०

४८. सरदार वल्लभभाई पटेल

सरदार वल्लभभाई ही वह व्यक्ति है जिन्होने इन उथल-पुथलके दिनोमें गुजरातमें शान्ति बनाये रखी है। यही वह सुयोग्य व्यक्ति है जिनकी अध्यक्षतामें अहमदाबाद नगरनिगम द्वारा किये गये कार्योंकी सरकारने भी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की। इन्हीके अविश्रान्त परिश्रमने १९२७ में गुजरातके बाढ़-पीड़ित जनोके दिलोमें हौसला भरा, और जब सरकारका तन्त्र बेकाम हो गया तब इनके कार्यकर्त्ताओने हजारो लोगोकी जानें बचाई। अभी हालमें बारडोलीमें होनेवाले उस शान्तिपूर्ण संघर्षके सूत्रधार यही थे, जिसके परिणामस्वरूप दोनो पक्षोंके लिए सम्मानजनक समझौता सम्पन्न हो सका। यह शान्तिदूत, गुजरातियोके हृदय-मन्दिरका यह देवता, उनका यह बेताजका बादशाह आज एक कैदी है और उसे कैद इसलिए किया गया है कि उसने भाषणोपर एक ऐसे समयमें पाबन्दी लगानेवाले आदेशकी उपेक्षा की जब कि शान्ति भंग होनेकी तनिक भी आशंका नही थी। अधिकारियोंको मालूम था कि वे नमक अधिनियमकी धाराओंको तोड़ने नही गये थे। वे तो केवल मेरे कूचके लिए तैयारी करने गये थे। मगर सरकारको उन्हें किसी-न-किसी बहाने जेल भेजना था। वाइसराय महोदय मेरी कानून तोड़नेकी योजनासे दुःखी हैं। मगर कानूनका ऐसा भ्रष्ट उपयोग करनेकी कार्रवाई, कानूनके नामपर व्यक्तिकी स्वतन्त्रतापर हाथ डालनेके इस दुष्कृत्यके बारेमें क्या कहा जाये?

और सरदार कहाँ और किस हालतमें है? वे एक काल-कोठरीमें है — वैसी ही काल-कोठरी जैसी कि आमतौर पर होती है; वहाँ कोई रोशनी नही है, वहाँ

उन्हें बाहर सोनेकी सुविधा नहीं है। उन्हें जो खाना दिया जा रहा है उससे उन्हें पेचिश होनेकी सम्भावना है; क्योंकि भोजनमें तनिक-सी गड़बड़ी होनेसे ही उन्हें यह बीमारी हो जाती है। उन्हें धार्मिक पुस्तकोंके अलावा और कोई पुस्तक देनेकी मनाही है। एक सत्याग्रहीकी हैसियतसे वे विशेष व्यवहारकी अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन किसी साधारणसे-साधारण अपराधीको भी, यदि उससे सुरक्षाको कोई खतरा न हो तो, ऐसी गर्मीके मौसममें खुले आकाशके नीचे सोनेकी इजाजत क्यों नहीं दी जानी चाहिए? अगर किसी जरायमपेशा व्यक्तिको पढ़ने-लिखनेके लिए रोशनीकी जरूरत हो तो उसके लिए उसका प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्या किसी हत्यारेको कुछ पढ़कर अपने अन्दर सुबुद्धि जगानेसे रोकना उचित है? और सरदार वल्लभभाईको वैसा आहार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए जो उनके स्वास्थ्यके लिए आवश्यक है? लेकिन यह तो जेल-व्यवस्थामें सुधारका सवाल है। सरदार वल्लभभाई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि अगर उन्हें मनुष्यके लिए आवश्यक सुख-सुविधाओंसे वंचित रखा जायेगा तो उनका हौसला टूट जायेगा। क्या विद्वान् पत्रकार और नाटककार श्रीयुत खाडिलकरको अभी कुछ ही दिन पहले इसी प्रकारके दुर्व्यवहारका शिकार नहीं होना पड़ा? भारतीय जेलोंमें भद्दा और अशोभन व्यवहार करके सत्याग्रहकी भावनाको खत्म नहीं किया जा सकता। बस, प्रस्तावित [गोलमेज] कांफरेंसकी उपादेयतामें विश्वास रखनेवाले लोग इतना जान लें कि व्यावहारिक रूपमें औपनिवेशिक स्वराज्यका मतलब सचमुच क्या होता है।

गुजरात — नहीं, गुजरात ही क्यों, सारा भारत — उस सर्वोच्च कानूनकी सत्ताको प्रतिष्ठित करनेकी तैयारी कर रहा है जो कानूनके नाम पर चलनेवाली घोर अव्यवस्था और अराजकताको समाप्त कर देगा। अधिकारियोंने वल्लभभाईको इस आशासे जेलमें डाला है कि उनकी अनुपस्थितिमें उनका काम बिखर जायेगा। लेकिन शीघ्र ही उन्हें मालूम हो जायेगा कि वह काम इतनी अच्छी तरह चलता रहेगा मानों वे अपने लोगोंके बीच सशरीर उपस्थित हों।

पुनश्च:

अभी-अभी सूचना मिली है कि अब सरदारके साथ पहलेसे अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें जिस साहित्य और आहारकी आवश्यकता होगी, वह उन्हें दिया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-३-१९३०

४९. परिचित उत्तर

प्रिय श्री गांधी,

परमश्रेष्ठकी इच्छानुसार आपको यह सूचित कर रहा हूँ कि आपका २ मार्च का पत्र उन्हें मिल गया। उन्हें यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि आप एक ऐसा रास्ता अख्तियार करने जा रहे हैं जिससे स्पष्टतः कानून भंग होगा और सार्वजनिक शान्ति खतरेमें पड़ जायेगी।

आपका विश्वस्त,
जी० कनिंघम
निजी सचिव

पाठक ऐसे उत्तरसे परिचित ही हैं। वे देखेंगे कि इस जवाबमें जिस बातको उन्हें सिद्ध करना है, उसीको मान लिया गया है; और हम जो कदम उठाने जा रहे हैं, उसके लिए अगर और कारणकी आवश्यकता रह गई थी तो वह इस घिसे-पिटे जवाबसे पूरी हो जाती है। मैंने तो घुटने टेककर रोटीकी भीख माँगी थी और मिला यह पत्थर।

वाइसराय चाहते तो गरीबोको नमकपर जो कर चुकाना पडता है, उसे समाप्त करके मुझे निष्क्रिय बना दे सकते थे। इस करको चुकानेमें उन्हें प्रतिवर्ष ५ आने अर्थात् लगभग अपनी तीन दिनकी कमाई देनी पडती है। मै तो नही जानता कि भारतके अलावा किसी और देशमें भी किसीको यदि उसकी सालाना आमदनी ३६० रुपये हो तो ३ रुपये कर-स्वरूप दे देने पड़ते हो। वाइसरायके सामने यह घिसा-पिटा जवाब देनेके अलावा और भी बहुत-से रास्ते थे। लेकिन अभी वह समय नही आया है कि वे उनमें से कोई रास्ता अख्तियार करते। वे उस राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करते हैं जो आसानीसे हार नही मानता, सहज ही अपने कियेपर पश्चात्ताप नही करता। अनुनय-विनयसे उसका हृदय नहीं पिघलता। शारीरिक शक्तिका दबदबा वह तुरन्त स्वीकार करता है। वह मुक्केबाजीके किसी दंगलको घंटो तक साँस रोककर बिना थके-ऊबे देख सकता है। वह फुटबालका ऐसा खेल जिसमें खिलाड़ियोंकी हड्डियाँ चटख गई हो, उन्मत्त उल्लासके साथ देख सकता है। युद्धके खून जमा देनेवाले विवरण वह परम आह्लादके साथ पढ़ सकता है। उसपर प्रतिरोध-रहित मूक कष्ट-सहनका भी असर हो सकता है। मगर हम चाहे जितनी जोरदार और कायल करनेवाली दलील दें, वह उससे प्रभावित होकर उन करोड़ो रुपयोकी ओरसे मुँह नहीं मोड़ सकता जो वह प्रतिवर्ष भारतसे लूटकर ले जाता है। सो वाइसराय महोदयके उत्तरसे मुझे कोई आश्चर्य नही हुआ।

लेकिन अगर मेरे पत्रका आशय वही है जो उसमें प्रकट किया गया है तो मैं जानता हूँ कि नमक कर का और उसीके साथ बहुत-सी अन्य बुराइयोंका भी खात्मा

तय है। अब यह तो समय ही बतायेगा कि अपने पत्रमें मैंने जो-कुछ कहा उसमें से कितना सही था।

उत्तरमें कहा गया है कि मैं एक ऐसा रास्ता अख्तियार करने जा रहा हूँ जिससे स्पष्टतः कानून भंग होगा और सार्वजनिक शान्ति खतरेमें पड़ जायेगी। इस सरकारने विधि-विधानोंकी पुस्तकोंका अम्बार लगा दिया है, किन्तु इन सबके बावजूद इस राष्ट्रको केवल एक ही विधान मालूम है — ब्रिटिश प्रशासकोंकी इच्छा; और यह शांति भी एक ही प्रकारकी जानता है — सार्वजनिक कारागारकी शान्ति। भारत एक विशाल कारागार ही तो है। मैं इस कानूनको अस्वीकार करता हूँ और राष्ट्रके हृदयको अपनी भावनाओंकी अभिव्यक्तिका अवकाश न देकर उसका दम घोटनेवाली जबरन थोपी गई इस शान्तिसे उत्पन्न विषण्ण एकरसताको भंग करना मैं अपना पुनीत कर्त्तव्य मानता हूँ।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १२-३-१९३०

५०. चहुँमुखी अभिशाप

> अंग्रेजी हुकूमतका व्यक्तिगत चरित्र, नारियोंकी स्थिति, सार्वजनिक चेतनाकी जागृति, बच्चों, बीमारों तथा गरीबों और शारीरिक दृष्टिसे अक्षम जनोंके प्रति लोगोंके दृष्टिकोण पर जो स्वस्थ प्रभाव पड़ा है उसकी तुलनामें उससे इस देशपर पड़नेवाला जबरदस्त आर्थिक बोझ कुछ नहीं है।

ये शब्द हैं 'इंडियन डेली मेल'के ७ मार्चके अंकके। आज भी इस तरहसे अंग्रेजी हुकूमतका बचाव किया जायेगा, इसकी आशा मैंने नहीं की थी। यह बचाव मुझे पन्द्रह वर्ष पूर्वके उस प्रसंगका स्मरण दिलाता है, जब एक सम्मेलनमें एक विद्वान् भारतीयने कहा था कि अंग्रेज सिपाहियोंको अपने मालिकके रूपमें देखकर मुझे गर्वका अनुभव होता है, क्योंकि मैं अपने सारे ज्ञानके लिए अपने अंग्रेज प्राध्यापकोंका ऋणी हूँ। इस सम्मेलनमें एक गवर्नर और उनकी पत्नी भी मौजूद थीं। जब मैंने इस विद्वान्‌को ऐसा उद्‌गार व्यक्त करते सुना और गवर्नर महोदयकी पत्नीको उसपर जोरोंसे तालियाँ बजाते देखा तो मेरा सिर शर्मसे झुक गया। ऊपर मैंने जिन दो उद्‌गारोंको उद्धृत किया है, वे हमारी सांस्कृतिक पराजयके उदाहरण हैं और यह पराजय हमारे भौतिक पराभवसे भी अधिक बुरी है।

यदि हम सांस्कृतिक दृष्टिसे पराजित नहीं होते तो यह बात बहुत आसानीसे समझ सकते थे कि यदि हमपर कोई ठीक नैतिक प्रभाव हुआ है तो वह अंग्रेजी हुकूमतका नहीं, बल्कि अंग्रेजोंके साथ सम्पर्कमें आनेका ही प्रभाव है। ये दोनों चीजें निश्चय ही अलग-अलग हैं और यदि परस्पर एक-दूसरेके विरुद्ध हों तो आश्चर्य नहीं। अंग्रेजोंके साथ सम्पर्क ईश्वरका वरदान हो सकता है, जबकि अंग्रेजी हुकूमत बिलकुल

अभिशाप हो सकती है। और अंग्रेजोंके सम्पर्कका लाभ हमें उनके शासनके बिना भी मिल सकता है। अंग्रेजोके सम्पर्कके सत्प्रभावको जानते हुए भी यदि मैं अंग्रेजी हुकूमत-को अभिशाप कहूँ तो वैसा कहना बिलकुल सही होगा। खुद मैं तो उपर्युक्त वाक्य-में अंग्रेजोके सम्पर्क या अंग्रेजी हुकूमतका जो गुणगान किया गया है, उससे बहुत हदतक असहमत हूँ। साथ ही यह भी नही भूलना चाहिए कि लेखकने जिस प्रभाव-की चर्चा की है उससे भारतका जनसाधारण सर्वथा अछूता है। और चन्द शिक्षित लोगोपर इसका जो नैतिक प्रभाव पडा है और जिस प्रभावके कल्याणकारी अथवा अकल्याणकारी होनेके बारेमें मतभेदकी काफी गुजाइश है, वह क्या करोड़ो लोगोके सर्वथा दरिद्र बना दिये जानेकी पर्याप्त क्षतिपूर्ति है? हममें से चन्द शिक्षित लोगो पर इसका जो नैतिक प्रभाव पड़ा है, उसका स्वरूप क्या है? इस प्रभावसे हम क्या सर्वसाधारणकी अपेक्षा अधिक सत्यनिष्ठ बन पाये है, अधिक शुद्ध और पवित्र बन पाये है, ज्यादा संयत और ज्यादा दयालु बन पाये है? इसने क्या हमें सर्वसाधारणकी अपेक्षा अधिक बहादुर बनाया है? क्या चद शिक्षित लोगोकी पत्नियाँ साधारण जनोकी पत्नियोंसे, जो अपने-अपने खेत-खलिहानोमें जुटकर काम करती है और जिन्हे अपने-अपने पतियोसे कोई परेशानी नहीं होती, अधिक अच्छी अवस्थामें है? क्या यौन रोगोकी दृष्टिसे, जो मनुष्यकी नैतिक निष्ठाकी अचूक कसौटी है, हमारी स्थिति जनसाधारणसे अच्छी है? क्या हम उनसे कम स्वार्थी है? हम गरीबो तथा शारीरिक दृष्टिसे अक्षम लोगोके लिए क्या करते है? हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओमें भी कटौती करके उनके लिए कितना अलग करके रख देते है? मनको व्यथित करनेवाली इस तरहकी और बातें मैं नही गिनाना चाहता। मुझे तो लगता है कि नगर-जीवनकी चार-दीवारीमें बन्द रहते-रहते और यह जीवन हमें जो अपेक्षाकृत अधिक सुख-सुविधाएँ देता है उन सुख-सुविधाओका उपभोग करते-करते हम इतने आलसी और उदासीन हो गये है कि भारत के गाँवोंकी अवस्थाका अध्ययन कर ही नही सकते और न यह सोच सकते हैं कि सचमुच हम कहाँ है।

और न हम आर्थिक कष्टका मतलब ही पूरी तरहसे समझते है। यहाँके आर्थिक कष्टपर औसतका नियम लागू ही नहीं होता। सो इस तरह कि भारतमें इस कष्टने मनुष्यको मनुष्य रहने ही नही दिया है। वह तो मनुष्य-रूपमें एक ऐसा भारवाही पशु है जिसे पूरा दाना-पानी देना मुश्किल पड़ रहा है। वह दिन-दिन छीजता चला जा रहा है। उससे जो पैसा लिया जाता है, उसका उपयोग कभी भी उसकी स्थिति सुधारनेमें नही किया जाता। वह समस्त नैतिक तथा अन्य सत्प्रभावोंसे अछूता है।

लेकिन विचाराधीन लेखमें कहा गया है कि भारतके देशी राज्योकी स्थिति ज्यादा बुरी है। यदि ऐसा हो तो उसकी दोषी भी अंग्रेजी हुकूमत ही है। राजाओंके सामने अच्छा बननेके लिए कोई प्रेरणा-प्रलोभन ही नही है। उन्हें तो हर तरहसे गलत रास्ते चलनेके लिए लुभाया जाता है। आज वे पहलेकी अपेक्षा अधिक गैर-जिम्मेदार है। एक समय रैयत इन राजाओंके अत्याचारके खिलाफ विद्रोह कर सकती थी, किन्तु आज इन्हें मनमें खौफ पैदा करनेवाली अंग्रेजोंकी शक्तिका संरक्षण प्राप्त

है। यह सच है कि यदि ये राजा कोई सत्कार्य करना चाहें तो उन्हें कोई रोकने-वाला नहीं है। लेकिन उन्हें शैशवावस्थासे ही जिन कृत्रिम सुख-सुविधाओंमें पाला-पोसा जाता है उसने उनमें मौज-मजे और तड़क-भड़कके लिए ऐसी रुचि पैदा कर दी है जिसे छोड़नेको वे तैयार नही है और उस पर उन्हें बचपनसे ही जिस प्रकार सबसे अलग-थलग रखा जाता है उससे वे अपनी प्रजासे इस तरह कटकर अलग हो जाते है कि वे अपने ही देशमें अजनबी बन जाते है। प्राचीन संस्कृतिके लिए यह सचमुच बहुत श्रेयकी बात है कि तमाम प्रतिकूल प्रभावों और परिस्थितियोंके बीच भी यदा-कदा कुछ-न-कुछ सुन्दर उदाहरण सामने आ ही जाते है। हमारा और उनका विकास रोककर खड़ी अंग्रेजी हुकूमतके जानलेवा बोझको जरा हमारे कन्धे परसे उतार दीजिए और फिर देखिए कि वे और हम उसी प्राचीन देशके स्वतन्त्र अंगोंके रूपमें कितनी तेजीसे प्रगति करते है। लेकिन यदि वे उस सुनहली जंजीरको, जो उन्हें ब्रिटिश पादपीठसे बाँधकर रखे हुए है, गलेसे लगाये रखना चाहें तो वे बखुशी वैसा करें। देशी राज्योंसे बाहरका भारत जाग्रत है और अब वह इस जुएको और अधिक दिनों तक अपने कन्धेपर रहने देनेको तैयार नही है, भले ही उसे उतार फेंकनेके प्रयत्नमें उसे टूट जाना पड़े।

वाइसरायको लिखे अपने पत्रमें मैंने भारतके आर्थिक शोषणपर जो खास तौरसे जोर दिया वह मेरे उद्देश्यके लिए अनिवार्य था। लेकिन इस देशको हुई नैतिक और आत्मिक हानि, जो विदेशी शासनका सीधा परिणाम है, इसके साथ किये गये आर्थिक अन्यायसे भी शायद ज्यादा भयंकर है। यह तो स्पष्ट ही है कि जो लोग स्वातन्त्र्य-संग्राममें लगे हुए है उन्हें इस मार्गपर आर्थिक अन्यायके बोझने प्रवृत्त नहीं किया है। वे इस चीजको महसूस नहीं करते। उनको तो इस रास्तेपर चलनेकी प्रेरणा नैतिक तथा आत्मिक रूपसे किये जानेवाले अन्यायके बोधसे ही मिली है। इस अन्यायको उनकी रग-रग महसूस करती है। सम्पूर्ण वातावरणमें व्याप्त अपमान और अप्रतिष्ठाकी गन्ध, उनका यह बोध कि वह पूराका-पूरा महादेश जिसकी वे संतान है, एक सुदूरस्थ द्वीपसे आये मुट्ठी-भर लोगोंके पैरोंपर असहाय पड़ा हुआ है, उनके मनको खुद अपने प्रति घृणा और वितृष्णासे भर देता है। इस नागफाँसको तोड़नेकी अधीरतामें वे यह भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उनके लिए तो इतना ही सोचना काफी है कि वे कुछ कर रहे है, चाहे उस क्रियाका परिणाम उनका विनाश ही क्यों न हो। मेरा दावा है कि मैंने भारतको इस चहुँमुखी अभिशापसे मुक्त होनेके लिए उत्तम साधन दिया है। इस साधनका उद्देश्य भारतको और उसी तरह इंग्लैंडको भी मुक्त करना है। वह दिन दूर नही जब ब्रिटेनकी जनता यह स्वीकार करेगी कि मैं उसका शत्रु नहीं हूँ। मै उसका सच्चा और समझदार मित्र होनेका दावा करता हूँ और साथ ही भारतका भी उतना ही सच्चा और समझदार सेवक होनेका।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-३-१९३०

५१. मेरे बारेमें भ्रामक प्रचार

कुछ मुसलमानोंके बीचसे मेरी साख उठ गई है, इसलिए मुसलमानोके अखबारोंमें मेरे बारेमें बहुत प्रकारकी भ्रामक बातें कही जा रही हैं और मुझे गलत रूपमें पेश किया जा रहा है। इसके सबसे ताजा नमूनेकी ओर एक भाईने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। इसका आशय यह है कि मैंने इमाम साहबको, जो आश्रममें रहते हैं और यावज्जीवन देश-सेवाका व्रत लेनेवाले मेरे एक सम्मानित साथी कार्यकर्त्ता हैं, आश्रमके सत्याग्रहियोमें शामिल नही होने दिया। इस आरोपके अनुसार उनके खिलाफ मेरा एतराज यह था कि वे राष्ट्रीय उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए अहिंसाको एक धार्मिक विश्वासकी तरह स्वीकार नही कर सकते। तथ्य इससे बिलकुल उलटा है। आश्रमके सत्याग्रहियोंकी सूचीमें इमाम साहबका नाम शामिल है। उन्होने खूब सोच-विचारकर अपना नाम दिया था। खुद मुझे तो 'कुरान' में अहिंसाका सन्देश साफ दिखाई पड़ा है। इमाम साहब कूचमें इसलिए शामिल नही हो रहे है कि वे बहुत कमजोर हैं और उतना श्रम नही कर सकते। लेकिन पूरी सम्भावना है कि जब वास्तवमें अवैध नमक तैयार करनेका काम शुरू होगा तब वे गिरफ्तार होनेके लिए सामने आ जायेंगे। दो मुसलमान कूचमें शामिल होनेवाले हैं, क्योकि उन्हें स्वराज्य-प्राप्तिके लिए अहिंसाके सिद्धान्तको अगीकार करके चलनेमें कोई अड़चन दिखाई नही देती। इस प्रकार यह आरोप दो तरहसे निराधार है। लेकिन बात यह है कि ज्यो ही किसी व्यक्तिकी मन्शामें सन्देह पैदा हो जाता है, उसका किया हर काम दोषमय दिखाई देने लगता है। आन्दोलनकी वर्तमान योजना ऐसी है कि वह अन्ततः सारी शंकाओंको दूर कर देगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-३-१९३०

५२. जैसा वह नहीं है

खबर है कि मौलाना शौकत अलीने कहा कि स्वतन्त्रता-आन्दोलन स्वराज्य-प्राप्तिका नही, बल्कि मुसलमानोके खिलाफ हिन्दू राज्य स्थापित करनेका आन्दोलन है और इसलिए मुसलमान इससे अलग ही रहें। यह खबर पढनेके बाद मैंने मौलाना साहबको तार भेजकर पूछा कि क्या यह खबर सही है। उन्होने उत्तर देनेकी कृपा की और अपने उत्तरमें उन्होने इस खबरकी पुष्टि की है। मौलाना साहबने इस आन्दोलनपर एक गम्भीर आरोप लगाया है। जरूरी है कि इसका सदाके लिए निराकरण कर दिया जाये। यह आन्दोलन और चाहे जो हो, हिन्दू राज्यकी स्थापना-के लिए तो नहीं ही है, और न मुसलमानोंके खिलाफ है। इस आरोपका पूरा उत्तर

स्वयं इस आन्दोलनमें ही मौजूद है। कांग्रेसने अन्तिम असहयोगकी दिशामें पहला कदम उठाया है। कोई भी कांग्रेसी किसी विधान मण्डलमें प्रवेश नहीं कर सकता और सरकारी पद स्वीकार करनेका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी तरह कोई कांग्रेसी न सरकारसे किसी प्रकारकी कृपाकी याचना कर सकता है और न उसे स्वीकार ही कर सकता है। क्या हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नका केन्द्र-बिन्दु राजनीतिक सत्ताका — इस लड़ाईमें लूटके मालके रूपमें प्राप्त सरकारी पदोंका — बँटवारा ही नहीं है? जब इस आन्दोलनसे सम्बद्ध किसी व्यक्तिके मनमें स्वतन्त्रता-प्राप्तिसे पूर्व किसी प्रकारकी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनेकी कोई लालसा ही नहीं है तब फिर यह आन्दोलन मुसलमान-विरोधी अथवा हिन्दू राज्यकी स्थापनाके लिए कैसे हो सकता है? हाँ, यह सच है कि कांग्रेसने स्थानिक निकायोंमें प्रवेश करनेकी छूट अब भी दे रखी है। मगर इन दिनों कलकत्तामें जो-कुछ हो रहा है उससे तो मैं ऐसा सोचने लगा हूँ कि उस समय कमजोरी दिखानेके बजाय मुझे इन संस्थाओंके भी बहिष्कार पर आग्रह रखना चाहिए था। इन प्रलोभनोंसे मुक्त रहनेमें ही कांग्रेसकी भलाई है। अभी तो ये संस्थाएँ देशभक्तोंके लिए राष्ट्र-सेवाके साधन होनेके बजाय, भोले-भाले या स्वार्थी लोगोंको फँसानेवाले जालोंका ही काम करती हैं। मगर मुझे विश्वास है कि मौलाना साहबने जब इस आन्दोलनको मुसलमानोंके खिलाफ बताया तब उनके मनमें इन स्थानीय संस्थाओंका खयाल नहीं था। जहाँतक मैं अनुमान लगा सकता हूँ, उनके इस विश्वासका एकमात्र आधार यही हो सकता है कि जो लोग इस आन्दोलनमें शरीक हैं वे इस आन्दोलनके सहज गुणके ही कारण अधिक स्वावलम्बी, ज्यादा दबंग और अपनी स्वतन्त्रतापर हाथ डालनेवालोंका प्रतिरोध करनेमें अधिक सक्षम हो जायेंगे, और चूँकि उनमें बहुत बड़ा बहुमत हिन्दुओंका है, इसलिए हिन्दू लोग कालान्तरमें मुसलमानोंकी अपेक्षा अधिक सशक्त हो जायेंगे। लेकिन मैंने मौलाना साहबको जैसे बहादुर आदमीकी तरह जाना है, उसको देखते हुए तो उनका इस तरह सोचना उनकी गरिमाके अनुकूल नहीं होगा। इसलिए उन्हें जनताके सामने यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनके इस गम्भीर आरोपका आशय क्या है।

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यदि इस अध्यायके अन्ततक केवल हिन्दू लोग ही सही भावनाके साथ इस आन्दोलनमें भाग लेते हैं तो वे एक ऐसी अहिंसक शक्तिके रूपमें सामने आयेंगे जिसकी गति दुनियामें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इससे तो सीधा-सादा निष्कर्ष यही निकलता है कि जो लोग इस आन्दोलनसे अलग हैं, वे जितनी जल्दी हो सके, इसमें शामिल हो जायें और मैं यह भविष्यवाणी करता हूँ कि यदि आन्दोलन निर्धारित मार्गपर चलता रहा तो एक दिन खुद मौलाना साहब तथा दूसरे मुसलमान और सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि भी इसमें शामिल होंगे।

इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि नमक कानूनको रद करानेके लिए सभी समान रूपसे उत्सुक हैं। क्या नमककी जरूरत सभीको नहीं होती, क्या इसका इस्तेमाल सभी नहीं करते? यही तो वह कर है जो सभीपर समान रूपसे लागू होता है।

सविनय अवज्ञा आन्तरिक शक्तिके विकासकी और इस प्रकार एक जीवन्त विकासकी प्रक्रिया है। नमक करका विरोध करनेसे किसी भी समुदायके हितोंकी हानि नही होनेवाली है। इसके विपरीत, अगर यह विरोध सफल हो जाता है तो इससे जितना फायदा इसमें भाग लेनेवाले लोगोका होगा उतना ही इससे अलग रहने-वालोका भी होगा।

अब जरा अपना लक्ष्य प्राप्त करनेके इस सर्वरूपेण राष्ट्रीय साधनके मुकाबले उस गोलमेज परिषद्के उस कूटनीतिक और कृत्रिम साधनको रखकर देखिए जिसमें हित-बद्ध पक्ष परस्पर विरोधी हितोंका प्रतिनिधित्व करेंगे और इन तमाम भारतीय पक्षोंका सूत्र-सचालन करेगा उनके ऊपर बैठा सर्वोपरि और सर्वशक्तिमान ब्रिटिश पक्ष। यह परिषद्, जिसके पीछे जनताका बल नही है और जिसमें एक ओर तो कमजोर भारतीय पक्ष होगें और दूसरी ओर सशक्त ब्रिटिश पक्ष, और चाहे जो दिला दे, स्वराज्य तो नही दिला सकती। अतएव वर्तमान परिस्थितियोमें अगर इसका कोई नतीजा निकल सकता है तो यही कि ब्रिटेनके प्रभुत्वकी जड़ें इस देशमें और भी जम जायेंगी।

ऐसी परिषद्से सत्याग्रहियोका क्या काम? उनका काम तो सिर्फ राष्ट्रीय शक्ति पैदा करना और उसको सुरक्षित रखना है। साम्प्रदायिकतासे उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि परिस्थितियाँ उन्हें साम्प्रदायिक समाधानके लिए बाध्य कर देती हैं तो वे इस बातके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि वे ऐसे ही समाधानकी बात सोचेंगे जो सभी सम्बन्धित पक्षोके लिए सन्तोषजनक हो। फिर समझमें नही आता कि इस आन्दोलनको मौलाना साहब मुसलमानोके खिलाफ अथवा हिन्दू राज्यकी स्थापनाके लिए चलाया गया आन्दोलन कैसे कह सकते हैं।

दुर्भाग्यसे यह तथ्य सही है कि आन्दोलनमें भाग लेनेवाले मुख्यतः हिन्दू ही हैं। मगर आन्दोलनका बहिष्कार करनेकी गुहार लगाकर तो मौलाना साहब इस स्थितिको और बढावा ही दे रहे हैं। लेकिन ऐसा हो तो भी यदि हिन्दू सत्याग्रही अपने लिए नही, बल्कि भविष्यके स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्रके तमाम अंगोंके लिए — मुसल-मानो, सिखों, ईसाइयों, पारसियो तथा अन्य सभी लोगोके लिए — लड़ रहे हो तो उस स्थितिके आनेपर भी कोई चिन्ताकी बात नही है।

और यह भी देख पाना बहुत आसान है कि जब सत्याग्रहियोका प्रभाव इतना बढ़ जायेगा कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकेगी तब भी सविधानकी रचना करते समय उनकी राह कोई भी रोक सकता है। एक ही अवस्था ऐसी हो सकती है जब इस आन्दोलनसे अलग रहनेवाले लोग — चाहे वे मुसलमान हो या हिन्दू — सत्या-ग्रहियोंके सामने असहाय हो जायेंगे। वह अवस्था तब आयेगी जब सत्याग्रही लोग अंग्रेजोंको यहाँसे भगा देंगे या जब अंग्रेज नाराज होकर अथवा ऊबकर यहाँसे खुद ही चले जायेंगे। लेकिन अव्वल तो सत्याग्रही लोग, यदि उनका साधन सदा अहिंसा-मय बना रहता है तो ऐसा करेंगे ही नही। दूसरी ओर सबसे बडी बात यह है कि मुसलमान लोग इस सघर्षमें शरीक होकर खुद अपनी और देशकी सहायता कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर जनता हिंसाका सहारा नहीं लेती तो सविनय प्रतिरोधका अनिवार्य परिणाम अंग्रेजोका हृदय-परिवर्तन होगा। उस दशामें वे इस

बातको अपना कर्त्तव्य समझेंगे और यह उनका प्रायश्चित्त होगा कि खुद नुकसान उठाकर वे उन अनेक समस्याओंके समाधानमें हमारी मदद करें, जिन समस्याओंको खड़ा करनेके लिए तब वे अपने-आपको जिम्मेदार मानेंगे। वे एक स्वतन्त्र और संगठित सरकारका श्रीगणेश करनेके लिए पूर्णतः समकक्षियों और मित्रोंकी तरह हमारी सहायता करेंगे।

और जहाँतक खुद मुझसे मौलाना साहबकी चिढ़की बात है, इसके सम्बन्धमें मुझे ज्यादा-कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है। चूँकि मेरे मनमें उनके प्रति कोई चिढ़ नहीं है, इसलिए मैं यह भविष्यवाणी करता हूँ कि जब उनका क्रोध शान्त हो जायेगा और वे देखेंगे कि उन्होंने मुझे जिन अनेक दोषोंका भागी माना है उनका दोषी मैं नहीं हूँ तो वे फिर मुझको 'अपनी उसी जेब' में रख लेंगे जिस जेबमें रहनेका सौभाग्य मुझे मानों अभी कलतक प्राप्त था। क्योंकि उनकी जेबसे मैं खुद बाहर नहीं आया हूँ। उन्होंने ही मुझे उसमें से निकाल फेंका है। मैं तो आज भी वही नन्हा-सा आदमी हूँ जो १९२१ में था। अंग्रेजोंके प्रतिनिधियोंने हमारे खिलाफ जो ढेर सारे अन्याय किये हैं उस ढेरमें अंग्रेज लोग भले ही और भी वृद्धि कर डालें, किन्तु मैं उनका शत्रु नही बन सकता। इसी प्रकार मैं मुसलमानोंका भी दुश्मन कभी नहीं बन सकता, चाहे उनमें से कोई एक अथवा बहुत-से लोग मेरे अथवा मेरे लोगोंके साथ चाहे जैसा व्यवहार करें। मनुष्यकी कमियोंसे मैं इतनी अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि किसी भी आदमीके खिलाफ, चाहे वह कुछ करे, मेरे मनमें चिढ़ हो ही नहीं सकती। मेरा उपचार तो यह है कि जहाँ-कहीं बुराई दिखाई दे, उसे दूर करनेकी कोशिश करूँ और जिस प्रकार मैं नहीं चाहूँगा कि मुझसे बार-बार जो गलतियाँ होती हैं उनके लिए कोई मुझे चोट पहुँचाये उसी प्रकार मैं खुद भी बुराई करनेवालोंको चोट पहुँचाना नहीं चाहूँगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-३-१९३०

५३. नई दिशा

विधान सभामें वाइसरायके भाषणपर लिखे अपने लेखमें[1] मैंने ग्यारह-सूत्री माँगकी चर्चा की थी और फिर वाइसरायके नाम अपने पत्रमें भी इनमें से कुछ माँगोंका उल्लेख किया। अब इन माँगोंको लेकर जो विवाद छिड़ गया है, उससे मुझे स्पष्ट हो गया है कि उन माँगोंको प्रकाशमें लाना कितना आवश्यक था। कुछ आलोचकोंका कहना है कि ये माँगें पूर्ण स्वराज्य तो क्या, औपनिवेशिक स्वराज्यकी दृष्टिसे भी बहुत अपर्याप्त हैं। स्पष्ट है कि उन्होंने मेरे उक्त लेख या पत्रको ध्यानसे नहीं पढ़ा होगा। अगर वे उन्हें दोबारा पढ़ें तो उनमें इस बातका स्पष्ट उल्लेख पायेंगे कि इन माँगोंका स्वीकार किया जाना स्वतन्त्रताके प्रश्नपर विचार करनेके लिए बुलाई जानेवाली कांफरेंसकी प्रारम्भिक भूमिका है।

१. देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ ४४७-५१।

इसलिए जहाँ मैंने इस मामलेको जिस रूपमें पेश किया है, उसके खिलाफ की गई आलोचनामें कोई सार नही है, वही मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस ग्यारह-सूत्री योजनामें मैंने राष्ट्रीय माँगको एक नई दिशा दी है। जिस प्रकार १९२१ में खिलाफत तथा पजाबपर ढाये गये जुल्मोको स्वराज्यके प्रश्नसे अलग रखना आवश्यक था और मै कहता था कि हमारे अपने प्रयत्नोसे उनका निराकरण करा लेनेका मतलब मेरे लिए स्वराज्य है, उसी प्रकार संघर्षकी शुरुआतसे पहले इन ग्यारह माँगोपर जोर देना, बल्कि उनकी स्वीकृतिको स्वराज्य कहना भी मेरे लिए आवश्यक हो गया है। कारण, यदि इन्हें स्वराज्यमें शामिल नही किया जाता तो फिर राष्ट्रके लिए स्वराज्यका कोई मतलब ही नही रह जायेगा, और यदि हम अपने अन्दर इतनी शक्तिका विकास कर लेते हैं कि हम इन माँगोंको स्वीकार करवा सकें तो समझना चाहिए कि एक स्वतन्त्र सविधान प्राप्त करनेकी दृष्टिसे भी हममें पर्याप्त शक्ति आ गई है।

अब मै बातको जरा स्पष्ट करके सामने रखूं। एक प्रस्ताव है, जिसमें एक ओर तो भारतीय मिल-उद्योगको संरक्षण देनेकी बात कही गई है और दूसरी ओर साम्राज्यके मालको प्राथमिकता देनेकी। इसे मैं एक खतरनाक जाल कहता हूँ, विशेष-कर जब कि प्रस्तावित गोलमेज परिषद्के सम्बन्धमें औपनिवेशिक स्वराज्य शब्दोका प्रयोग बड़े जोरोंसे किया जा रहा है। यदि औपनिवेशिक स्वराज्य, बल्कि पूर्ण स्व-राज्यकी भी स्वीकृतिके साथ-साथ ऐसी शर्तें लगा दी जाती है कि ब्रिटेनके कपड़ेको बराबर प्राथमिकता दी जाती रहेगी तो औपनिवेशिक स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वराज्यका करोड़ो आम लोगोके लिए या देशी मिलोंके लिए कोई मतलब नही रह जायेगा। जिन चीजोका उत्पादन भारत अपनी आवश्यकताको देखते हुए पर्याप्त मात्रामें करनेमें सक्षम है, ब्रिटेनकी उन चीजोको यहाँ किसी भी हालतमें प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। अन्य देशोके साथ वह भी विदेशी व्यापारमें शरीक हो सकता है, लेकिन आन्तरिक व्यापारमें तबतक किसीको साझेदार कैसे होने दे सकता है जबतक कि उसमें अपनी जरूरतें अपने ही उत्पादित मालसे पूरी करनेकी क्षमता है? भारतको यह अधिकार है और उसका यह कर्त्तव्य है कि वह अपने विकासमान उद्योगोको हर मित्र शक्तिके खिलाफ — चाहे वह इग्लैंड ही क्यो न हो — संरक्षण प्रदान करे। मिल-मालिकोंके लिए जो जाल बिछाया गया है, उसमें यदि वे अपने पैर डालते है तो उनका यह काम गलत और देशभक्तिके विरुद्ध होगा। भले ही अन्य तमाम विदेशी कपड़ोंपर प्रतिबन्धात्मक आयात-कर ही क्यों न लगा दिया जाये तथापि उन्हें ब्रिटेनके कपड़ेको प्राथमिकता देनेकी योजनासे कोई सरोकार रखनेसे दृढ़तापूर्वक इनकार कर देना चाहिए।

अब फिर मैं अपने असली मुद्देपर आता हूँ। मैंने जिस नई दिशाकी बात कही है, वह राष्ट्रको स्वतन्त्रताकी विषय-वस्तुसे अवगत करानेमें निहित है। उसे यह मालूम होना चाहिए कि इस स्वतन्त्रताका सर्वसाधारणके लिए क्या मतलब होगा। अभी हालमें इन पृष्ठोमें एक युवक संघके जिस पत्रकी आलोचना की गई थी उसमें बहुत अर्थ भरा हुआ था। सर्वसाधारणको, उसके लिए स्वराज्यका जो मतलब होगा वह

भी और जो नहीं होगा वह भी, अवश्य जान लेना चाहिए। यदि उसकी मुख्य बातोंको बराबर सामने नहीं रखा जाता और उनके पक्षमें जनमत तैयार नहीं किया जाता तो ऐसी सम्भावना है कि उन्हें नजरअन्दाज कर दिया जाये अथवा जान-बूझकर उनकी बलि दे दी जाये। मैं समझता हूँ कि राजकीय ऋणके सवालपर जो विवाद हुआ है, उसके फलस्वरूप अब किसी भी प्रतिनिधिके लिए राष्ट्रपर, जबतक कि उसे इस बातका भरोसा न हो जाये कि यह सारा ऋण राष्ट्रीय हितोंकी सिद्धिके लिए लिया गया था तबतक, इसके भुगतानका दायित्व डालना असम्भव हो गया है। इसी प्रकार मैं यह भी आशा करता हूँ कि किसी भी भावी संविधानमें राष्ट्रको इतना भारी असैनिक और सैनिक खर्च उठानेके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मैंने स्थितिको स्पष्ट करनेके लिए उदाहरणस्वरूप जो मुद्दे पेश किये हैं और जो अनेक और मुद्दे पेश कर सकता हूँ, उन सबके बारेमें भी ऐसा ही कहा जा सकता है।

इसलिए मेरे दिमागमें जो योजना है वह यह कि एक-एक कर अथवा एक ही साथ इन तमाम मुद्दोंकी ओर राष्ट्रका ध्यान आकृष्ट करूँ और स्वतन्त्रताकी तैयारीके रूपमें इन सबके समाधानकी माँग करूँ।

यदि हमें शान्तिमय साधनोंसे आजादी हासिल करनी हो तो यह योजना सबसे जल्दी सफलता दिलानेवाली है। सत्याग्रह अपना काम इसी तरह करता है। यह लोगोंको सत्ता छीननेकी नहीं, बल्कि बलपूर्वक सत्ता हस्तगत कर लेनेवालेको अपने दृष्टिकोणका इतना कायल कर देनेकी शक्ति देता है कि अन्ततः वह या तो सत्ता छोड़कर अलग हो जाता है अथवा अपने दोषोंको त्यागकर उन लोगोंकी सेवाका एक साधन-मात्र बन जाता है जिनके साथ उसने अन्याय किया है। सत्याग्रही राष्ट्रको अपने अन्दर छिपी शक्तिको पहचाननेका रास्ता-भर दिखा दें तो उनका काम पूरा हो जाता है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १२-३-१९३०

५४. भाषण : प्रार्थना-सभा, साबरमती आश्रममें

[१२ मार्च, १९३०][1]

अब यदि भगवान्‌की इच्छा होगी तो हम यहाँसे ठीक साढ़े छः बजे कूच कर देंगे। जो लोग इस कूचमें शामिल होना चाहते हों वे ठीक ६-२० पर वहाँ पहुँच जायें। यदि हमारा पहला कदम शुद्ध रहा तो बादके कदम भी अच्छे और शुद्ध होंगे। मणिलाल हमारे साथ चल रहा है अतः उसे कुछ बातोंपर ध्यान देना चाहिए। चूँकि वह मेरा पुत्र है इसलिए उसे हमारे साथ चलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। किन्तु इस

१. साधन-सूत्रमें तारीख नहीं दी गई है। किन्तु स्पष्टतः यह भाषण कूच करनेसे पहले १२ तारीखको प्रातःकाल दिया गया होगा।

बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि वह मेरा पुत्र है; और मैं भी यह नही भूल सकता कि मैं उसका पिता हूँ।

अपने सिरपर भारी जिम्मेवारी लेकर रवाना होनेवाले हम आश्रमवासियोंके पास एक ही पूँजी है। हम विद्वत्ताकी डींग तो हाँक नही सकते। हमने जो व्रत लिये हैं और आश्रम-जीवनकी प्रतिज्ञा की है, हमें उन व्रतोंका ही पालन करते रहना है। ये ७२ लोग[1] आश्रम-नियमावलीको फिरसे जाँच ले और अपने जाने, न जानेकी बातपर विचार कर लें। जिन आश्रमवासियोंका कोई आश्रित है उसके लिए उन्हें आश्रमसे पैसा नही मिल सकता। आश्रमके भरोसे किसीको इस लड़ाईमें भाग नही लेना चाहिए। यह लड़ाई नाटक नही है; बल्कि यह आखिरी लड़ाई है। यदि उपद्रव हुआ तो हम अपने ही लोगोंके हाथों मारे जा सकते हैं। उस हालतमें भी हम तो सत्याग्रहीके नाते अपना काम पूरा कर चुके होंगे। हमने तो हिन्दू-मुस्लिम एकताका व्रत लिया है और हम गरीबसे-गरीब, कंगालसे-कंगाल और कमजोरसे-कमजोर लोगोंके प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। यदि हममें इतनी शक्ति न हो तो हमें इस लड़ाईमें भाग नही लेना चाहिए। मैंने तो यहाँ लौटकर न आनेकी प्रतिज्ञा नही की है; किन्तु आप या तो मरकर या स्वराज्य लेकर ही लौटेंगे। यदि धीरू बीमार हो जाये तो छगनलाल जोशी यहाँ दौड़े नही आयेंगे। यदि आश्रममें आग लग जाये तो भी हम वापस नही लौट सकते। केवल वही लोग इस कूचमें भाग ले सकते हैं जिनका अपने सगे-सम्बन्धियोंके प्रति कोई विशेष कर्त्तव्य नही है।

यह तो जिन्दगी-भरकी फकीरी और जिन्दगी-भरका ब्रह्मचर्य है। वे तो यहाँसे ब्रह्मचर्यका संकल्प करके चले है और अपने उसी संकल्पपर डटे रहेंगे। जो मनुष्य सत्यपरायण है और जो कहता है वही करता है, वह बहादुर आदमी है। धोखेबाज आदमी बहादुर नही होता। अकेलेमें मैं किसी व्यक्तिसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे तो एक मिनटकी भी फुरसत नही है। मै यह खासकर मणिलालसे कह रहा हूँ लेकिन आप सबसे भी मेरा यही कहना है।

हम जीवन-मरणका धर्मयुद्ध करने जा रहे है, एक व्यापक यज्ञ करने जा रहे है, जिसमें हम अपनी आहुति दे देना चाहते हैं। यदि आप लोग अक्षम सिद्ध होंगे तो लज्जाका भागी मैं होऊँगा, आप लोग नही। मुझे भगवान्‌ने जो शक्ति दी है वह आप सबमें भी है। आत्मा-मात्र एक है। मेरी आत्मा जाग्रत हो चुकी है, अन्य लोगोंकी आंशिक रूपसे जाग्रत हुई है।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी

१. वस्तुतः ७८; नामोंकी सूचीके लिए देखिए परिशिष्ट २।

५५. चन्दोलासे चलते समय दिया गया विदाई-सन्देश[1]

१२ मार्च, १९३०

मेरे प्रति आपका अतिशय प्रेम आपको यहाँतक खींच लाया है। आपने मेरे प्रति अपने प्रेमका बड़ा सजीव प्रदर्शन किया है। इस प्रेमकी मैं कद्र करता हूँ। . . . पिछली रात मेरे गिरफ्तार होनेकी अफवाह थी। ईश्वर महान् है, उसकी लीला विचित्र है। इस समय मैं यहाँ आपसे विदा लेनेके लिए खड़ा हूँ। लेकिन अगर मैं जेलमें भी होता तो आपकी शक्तिके बलपर मैं वापस आ जाता। वास्तवमें आप लोगोंकी शक्ति ही हमें स्वराज्य दिलायेगी। आप लोग अब वापस जाइए और मनमें यह संकल्प कीजिए कि आप इस संघर्षमें अपना योगदान देंगे। खादी-कार्यका प्रचार कीजिए, जरूरत पड़नेपर सविनय प्रतिरोधीके रूपमें सामने आनेके लिए तैयार रहिए। अपने कदम तनिक भी डगमगाने न दीजिए। मगर अभी तो आपको वापस घर ही जाना है, और मुझे सीधे समुद्र-तट पर। आप अभी मेरे साथ नही जा सकते। लेकिन बादमें दूसरी तरहसे आपको मेरा साथ देनेका अवसर मिलेगा। . . .

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १८-३-१९३०

५६. भेंट: हरिदास टी० मजुमदारसे

असलाली

१२ मार्च, १९३०

जब हमारे प्यारे सेनानी दोपहरका भोजन कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या इस तरह लगातार ग्यारह मीलसे अधिक चलनेसे आप थक नहीं गये हैं?

बहुत तो नही थका हूँ, लेकिन वैसे पूछा जाये तो थक जरूर गया हूँ। अलबत्ता, यह मामूली थकावट है। मैं खुद यह देखकर चकित हूँ कि मै लगातार इतनी दूर कैसे चल सका। आप जानते है कि इधर कुछ दिनोसे मुझे दूरतक चलनेकी आदत नही है। . . .

१. गांधीजी ने एक विशाल जुलूसके बीच ७८ स्वयंसेवकोंके साथ सुबहके साढ़े छः बजे साबरमती आश्रमसे प्रस्थान किया। सात मील चलकर साढ़े आठ बजे सब लोग चन्दोला तालाब पहुँचे। वहाँ गांधीजी ने, जो लोग उनको विदा देने आये थे, उनके सम्मुख भाषण दिया। उस अवसरपर दिया यह सन्देश हरिदास टी० मजुमदार द्वारा क्रॉनिकलके सम्पादकको भेजे पत्रसे लिया गया है। मजुमदार गांधीजी के साथ कूच करनेवाले स्वयंसेवकोंमें से एक थे।

फिर मैंने पूछा कि दक्षिण आफ्रिकामें आपने जो ३,००० पुरुषों, स्त्रियों और बच्चोंके कूचका संगठन किया था उसमें और समुद्र-तटकी ओर की जानेवाली इस कूचमें क्या समानता है ?

इस कूचका भी तौर-तरीका तो वही है, हालाँकि संगठन दूसरे ढंगसे किया गया है। आत्मबल उसका भी अस्त्र था और इसका भी है। लेकिन जहाँ दक्षिण आफ्रिकामें ३,००० व्यक्ति थे, वहाँ इस कूचमें केवल ७९ हैं। फिर दक्षिण आफ्रिकामें हमारे चारों ओरका वातावरण प्रतिकूल था — सामाजिक वातावरण भी और राजनीतिक भी। इसलिए वहाँ हमें अपने खाने-पीनेका सामान साथ लेकर चलना पड़ता था। यहाँ हम अनुकूल वातावरणके बीच कूच कर रहे हैं और हमें साथमें खानेकी चीजें लेकर नहीं चलना पड़ता। दक्षिण आफ्रिकाके कूचके मार्गमें इस कूचकी अपेक्षा ज्यादा बड़ी कठिनाइयाँ थीं।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १८-३-१९३०

५७. भाषण : असलालीमें

[१२ मार्च, १९३०]

अब आप सिर्फ खादी पहनकर या चरखा चलाकर शान्त होकर न बैठ जायें और यह भी न मानें कि आपको जो-कुछ करना था सो कर चुके।

आप अपने ही गाँवकी बात लें : १७०० की आबादीके लिए ८५० मन नमक चाहिए। २०० बैलोंके लिए ३०० मन नमक चाहिए। इस प्रकार कुल ११५० मन नमककी जरूरत होगी। पक्के एक मनपर सरकार सवा रुपया कर लेती है, तो ११५० मन अर्थात् पक्के ५७५ मन नमकपर आप ७२० रुपये कर देते हैं।

बैलको २ मन नमक देना चाहिए। और आपके गाँवमें ८०० गाय, भैंस और पड़ियाँ हैं। यदि आप उन्हें नमक देते हों, या चमड़ा कमानेमें नमक काममें लाते हों अथवा नमकका व्यवहार खादके रूपमें किया जाता हो तो फिर आप ७२० रुपयेसे इतना कर और अधिक देते हैं।

क्या आपका गाँव सालाना इतना कर दे सकता है? जिस हिन्दुस्तानमें प्रति व्यक्ति औसत आमदनी ७ पैसे मानी जाती है अर्थात् जिस देशमें लाखों लोगोंको १ पैसा भी नहीं मिलता, वे भले ही भूखों मरते हों, या भीख माँगकर गुजारा करते हों किन्तु नमकके बिना तो उनका भी काम नहीं चलता। ऐसे लोगोंका नमक न मिलने या महँगा मिलनेपर क्या हाल होता होगा ?

जो नमक पंजाबमें ९ पाई प्रति मनकी दरसे बिकता है, जिस नमकके ढेरके-ढेर गुजरात-काठियावाड़के समुद्र-तटपर तैयार होते रहते हैं उसे गरीब आदमी मनका डेढ़ रुपया दिये बिना नहीं पा सकते। और फिर उसे कीचड़में फेंक देनेके लिए

अंग्रेज सरकार पैसे देकर आदमी रखती है। क्या इस सरकारको गरीबोंकी हाय न लगेगी? किन्तु बेचारे गरीब गाँववालोंमें इस करको उठवा देनेकी शक्ति नहीं है। हमें वह शक्ति प्राप्त करनी है।

जो कर देने योग्य नहीं है, उसे उठा देनेका जहाँ अधिकार होता है वह प्रजातन्त्रात्मक राज्य कहलाता है। जब जनताको यह निर्णय करनेका अधिकार हो कि कोई भी कर या चीज किस समय दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए तो उसे प्रजातन्त्रात्मक राज्य कहा जा सकता है।

किन्तु हमें ऐसा अधिकार नहीं है और न यह अधिकार महान् कहे जानेवाले हमारे प्रतिनिधियोंको है। केन्द्रीय विधान सभामें पण्डित मालवीयजी ने कहा कि सरकारने जिस प्रकार वल्लभभाईको पकड़ा है उसका नाम न्याय नहीं, अन्याय है, मनमानी है। और इस प्रस्तावका समर्थन किया था जिन्ना साहबने। इसपर सरकारी अधिकारीने कहा कि हमारे मजिस्ट्रेट साहबने वही किया है जो कोई भी नमकहलाल करता; यदि उन्होंने इसके विपरीत किया होता तो वे नमकहराम माने जाते। किन्तु फिर तो इस दाढ़ी (अब्बास साहब) को और मुझे भी गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि मैं तो खुले आम नमक बनानेके बारेमें भाषण भी देता हूँ।

हम ऐसी सरकारकी स्थापना करना चाहते हैं जो जनताकी इच्छाके विरुद्ध किसी भी व्यक्तिको न पकड़ सके, पली-भर घी न ले सके, [बेगारमें] गाड़ियाँ न ले सके और हमारा पैसा न ले सके।

ऐसी सरकारकी स्थापनाके दो उपाय हैं, एक लाठी मारनेका हिंसात्मक उपाय और दूसरा अहिंसात्मक या सविनय अवज्ञाका। हमने अपना धर्म समझकर दूसरा रास्ता चुना है। और इसीलिए सरकारको नोटिस देकर हम नमक बनानेको निकले हैं।

हुक्का, बीड़ी, और शराबपर कर लगानेकी बात मेरी समझमें आती है। और यदि मैं राजा होता तो आपकी अनुमति लेकर प्रति बीड़ी १ पाई कर लगा देता। यदि बीड़ियाँ महँगी जान पड़ें तो उसके व्यसनी बीड़ी पीना छोड़ सकते हैं। लेकिन भला नमकपर भी कर लगाया जा सकता है?

अब यह कर उठ जाना चाहिए। हमें यह संकल्प कर लेना चाहिए कि हम नमक बनायेंगे, खायेंगे, लोगोंमें बेचेंगे और ऐसा करते हुए यदि जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल जायेंगे। गुजरातकी ९० लाखकी आबादीमें यदि हम बच्चों और बहनोंको छोड़ दें और जो बाकी ३० लाख लोग रह जाते हैं यदि वे नमक कानूनकी सविनय अवज्ञा करनेको तैयार हो जायें, तो सरकारके पास इतने लोगोंको जेलखानेमें रखनेकी जगह ही नहीं होगी। हाँ, सरकार कानून भंग करनेवालोंकी पिटाई करवा सकती है और उनपर गोलियाँ भी चलवा सकती है। किन्तु आजकी सरकारें आसानीसे इस हद तक नहीं जा सकती। लेकिन हमने तो संकल्प कर लिया है कि यदि सरकार हमें मार डालना चाहती हो तो भले मार डाले।

नमक कर तो अब खत्म हो ही जाना चाहिए। आश्रमसे लेकर ठेठ चन्दोला तालाबतक ७ मील लम्बे रास्तेमें जन-सागरने उमड़कर हमें आशीर्वाद दिया; और यह

दृश्य तो देवोंके भी देखने लायक था। यह एक शुभ चिह्न है। यदि हम एक ही सीढ़ी ऊपर चढ़ सकें तो स्वातन्त्र्य-प्रासादकी बाकी सीढ़ियाँ हम खटाखट चढ़ जायेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १६-३-१९३०

५८. पत्र : नारणदास गांधीको

दाडी कूचके दौरान
[१२ मार्च, १९३०के पश्चात्]

चि० नारणदास,

तुम्हारे पत्र मिलते रहते हैं। रणछोडभाईके लिए काम निकालना — फिर वह काम भले ही मेहनतका क्यों न हो। अध्यापकका काम हो तो वह भी उनके साथ सलाह-मशविरा करके तय करना।

पूंजाभाई आजकलके मौसममें बाहर सो सकते हैं; बाहर सोनेसे मच्छर नहीं काटेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०९१)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

५९. बंगाल-आसाममें हिन्दी

पाठकोंको पता होगा कि सन् १९२८ में कलकत्तामें एक हिन्दी प्रचार समितिकी स्थापना की गई थी। समितिके कोषाध्यक्ष श्री घनश्यामदास बिड़ला थे। इस समितिके कार्यका विवरण और हिसाब मेरे पास आ गया है। विवरणमें से निम्नलिखित बातें नीचे दे रहा हूँ :[1]

इससे मालूम होता है कि इस दिशामें कुछ-न-कुछ काम अवश्य हो रहा है। इस कार्यके और भी बढ़नेकी बहुत गुंजाइश है। प्रत्येक पाठशालाका खर्च स्थानीय मददसे पूरा करनेका प्रयत्न किया जा रहा है, और यह स्तुत्य है। इसी तरह सफलता प्राप्त हो सकती है। आरंभ भले ही मुख्य केन्द्रसे किया जाये, अन्तमें तो सारा स्थानिक कार्य स्वावलंबी ही बन जाना चाहिए। तभी प्रचारकार्य विस्तृत और स्थायी रूप पकड़ सकता है। बंगाल और आसाम ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें हजारों लोगोंको हिन्दी पढ़ाई जा सकती है। इस कार्यके दो विभाग तो हैं ही : एक शिक्षा और दूसरा

१. यहाँ नहीं दिया गया है।

स्थानीय सम्मेलनका व्याख्यान द्वारा प्रचार-कार्य। एक तीसरे विभागकी और आवश्यकता है, और वह है शिक्षाको सुलभ करनेके उपायोंका संशोधन। तज्ज्ञ और तत्परायण शिक्षक पाठ्यक्रमको शीघ्रतासे सफल बनानेके लिए प्रतिदिन उपायोंकी खोज करते रहते हैं। बंगला और असमिया भाषाओंके बहुतेरे शब्द हिन्दीसे मिलते-जुलते हैं। इस विषयपर परिचय करानेवाली पुस्तकें लिखना, स्वयंशिक्षक तैयार करना, हिन्दी-बंगला और बंगला-हिन्दीके छोटे-छोटे शब्दकोश प्रकाशित करना और नागरी लिपिमें बंगला पुस्तकें तथा बंगला लिपिमें हिन्दी पुस्तकें छापना आदि काम बहुत ही जरूरी है। ऐसी पुस्तकें स्वावलंबी बन सकती है, जैसे कि मद्रासमें आज लगभग बन चुकी हैं। जब पुस्तकें सचमुच ही उपयोगी और अच्छी होती है, तब उनकी प्रतिष्ठा अपने-आप बढ़ जाती है और लोगोंसे उन्हें प्रोत्साहन भी खूब मिलता है।

एक बात और। बंगाल मारवाड़ी व्यापारियोंका एक बड़ा केन्द्र है। बंगालमें हिन्दी-प्रचारका काम इन्ही भाइयोंकी एक खास जिम्मेदारी है। अतः इस प्रचार-कार्यमें धनाभावके कारण कोई रुकावट नही पड़नी चाहिए।

हिन्दी नवजीवन, १३-३-१९३०

६०. पत्र : मीराबहनको

१३ मार्च, १९३०

चि० मीरा,

जबतक समय है, तुम्हें पत्र लिखने चाहिए और वह भी पूरे विस्तारसे या जितने विस्तारसे लिखनेका समय मिले उतने विस्तारसे। कलका प्रदर्शन अहिंसाकी विजय थी। मैं जानता हूँ कि इस संग्राममें हर जगह और हर समय ऐसा ही नहीं होगा, परन्तु यह एक महान् और अच्छा प्रारम्भ था।

तुम धीरज रखना, किसी बातकी चिन्ता न करना और उन लोगोंके प्रति उदार बनना जो तुम्हारी इच्छानुसार न बरतें। तुम्हारा मुख्य काम स्त्रियों और बच्चोंमें है।

निगाह रखना कि रेजिनाल्ड अपनी सँभाल रखे और उतावली न करे।

हर बात पूरी तरह व्यवस्थित होनी चाहिए।

तुम्हारा रोजनामचा पूरा रखा जाये।

और मेरी चिन्ता न करना। जबतक भगवान्‌को मेरी जरूरत है, वह मुझे ठीक रखेगा।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५४२६)से; सौजन्य : मीराबहन; जी० एन० ९६६०से भी।

६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

१३ मार्च, १९३०

प्रिय जवाहरलाल,

आशा है, तुम्हें मेरा वह पत्र[1] मिल गया होगा, जो आखिरी हो सकता था। मेरी होनेवाली गिरफ्तारीकी जो खबर मुझे दी गई थी, वह बिलकुल विश्वस्त बताई गई थी। परन्तु हम दूसरी मजिल तक सुरक्षित पहुँच गये हैं। तीसरी आज रातको शुरू करेंगे। मैं तुम्हें कार्यक्रम[2] भेज रहा हूँ। सभी साथियोका आग्रह है कि मुझे कार्य-समितिके लिए अहमदाबाद नही जाना चाहिए। इस सुझावमें काफी बल है। इसलिए कार्य-समिति उस जगह आ जाये, जहाँ उस दिन हम हो या तुम अकेले आ सकते हो। यह भावना कि हम लडाईको पूर्ण किये बिना स्वेच्छासे वापस नही लौटेंगे, अच्छी तरह पोषित की जा रही है। मेरे वापस जानेसे इसमें कुछ बट्टा लग जायेगा। जमनालालजी ने मुझे बताया कि उन्होने इस बारेमें तुम्हें लिखा था। आशा है, कमलाका स्वास्थ्य अच्छा होगा।

मैंने कल कह दिया था कि तुम्हें पूरे तार भेजे जायें।

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

[अंग्रेजीसे]
ए बंच ऑफ ओल्ड लैटर्स

६२. पत्र : रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको

१३ मार्च, १९३०

प्रिय रेनॉल्ड्स,

अपना पूरा ध्यान रखना। 'यंग इंडिया' की देख-रेख करनेके अलावा आश्रमके कार्योंमें भी पूरे तन-मनसे रुचि लेना। मेरी लालसा है कि यह शान्ति, शुचिता और शक्तिका घर बन जाये। तुम्हें मैं इस कामको आगे बढ़ानेके लिए ईश्वरका भेजा वरदान मानता हूँ।

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५४३१) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : स्वार्थमोर कालेज, फिलाडेल्फिया।

१. देखिए "पत्र : जवाहरलाल नेहरूको", ११-३-१९३०।
२. यह उपलब्ध नहीं है, देखिए "सत्याग्रही-दलका कूच", ९-३-१९३०।

६३. पत्र : गंगाबहन झवेरीको

१३ मार्च, १९३०

चि० गंगाबहन झवेरी,

मैं समझता हूँ कि तुम संयुक्त रसोईमें शामिल हो गई होगी; लेकिन क्या तुम रहोगी भी छात्रालयमें ही? नानीबहनको दूध और फलोंपर ही रहना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो उसकी तबीयत अवश्य ठीक हो जायेगी।

यह बहनोंके लिए अपूर्व अवसर है। यदि आश्रमकी आन्तरिक प्रबन्ध-व्यवस्थाका भार बहनें अपने कन्धोंपर उठा लेंगी तो मैं समझता हूँ यह एक महान् कार्य होगा।

अधिक लिखनेके लिए समय नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३०९९)की फोटो-नकलसे।

६४. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

१३ मार्च, १९३०

चि० प्रेमा,

तू पागल तो है ही, लेकिन तेरा पागलपन मुझे प्यारा लगता है। तू आशासे अधिक अनन्यतासे काम कर रही है और ईश्वर तेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ रख रहा है। अधीर मत होना। आवाजको हलकी करना। धीरे-धीरे बोलनेसे गलेकी गिल्टियोंको नुकसान नहीं होगा।

कुसुमसे कहना कि उसकी जीभका अभी थोड़ा और उपचार बाकी है; जब डाक्टरकी इच्छा हो तब यह इलाज कराया जाये।

मुझे पत्र लिखना। ज्यादा लिखनेका मुझे समय नहीं है।

बापू

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–५ : कुमारी प्रेमाबहेन कंटकने

६५. पत्र : कुसुम देसाईको

१३ मार्च, १९३०

चि० कुसुम[1],

तेरा पत्र मिला। यह पत्र कल मिलना चाहिए था, परन्तु प्यारेलाल भूल गये। आज जब बा का पत्र पूरा कर रहा था, तब यह मेरे हाथमें आया।

छात्रालयमें जानेका निश्चय हुआ, यह बहुत ठीक हुआ है।

अब दूधीबहनको समझाना। वे अलग रहती है इसके बजाय छात्रालयमें रहें तो उनकी देखभाल की जा सकती है। सरोजिनीको काममें लगा देना। उसे जोर देकर कहनेमें सकोच मत करना। शांतुके[2] दाँत हरिभाईको[3] दिखा देना। सब बीमारोंकी खबर देना। डायरी लिखना न भूलना। 'गीता'का अध्ययन अच्छी तरह करना। गुजराती फाइल निबटा डालना। दिन-भरका कार्यक्रम भेज देना। मुझे कब पकड़ा जायेगा इसका कोई पता नहीं चलता। जब इच्छा हो तब पकड़ें। तू तो नियमपूर्वक पत्र लिखती रहना। अभी एक दिन तो वहाँसे मोटर आयेगी।[4] फिरसे हरिभाईके बारेमें लिखनेका प्रयत्न करना।[5] हारना नही।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १७९२)की फोटो-नकलसे।

६६. पत्र : महादेव देसाईको

१३ मार्च, १९३०

चि० महादेव,

तुम्हारा पत्र मिला। भगवान् तुम्हें सब-कुछ देगा। हम कह सकते हैं कि आश्रमने अभी तक अपने नामको रोशन किया है। तथापि जिसे सही अर्थोंमें जागृति कह सकते है वह तो अभी आनी बाकी है। हम अपनी इस छोटी-सी सफलतापर एकदम खुशीसे फूल नहीं सकते। यदि मैं गिरफ्तार न होऊँ तो तुम चक्कर लगा

१. आश्रमवासी पुरुषोंकी अनुपस्थितिमें कुसुम देसाई आश्रमके मन्त्रीके रूपमें काम किया करती थीं।

२. चरखा-संघका विद्यार्थी।

३. अहमदाबादके डाक्टर श्री ह० म० देसाई।

४. अहमदाबादसे।

५. कुसुम देसाई अपने दिवंगत पति हरिभाई देसाईका जो जीवन-वृत्तान्त लिखनेवाली थीं उसकी ओर संकेत किया गया है।

ही जाना। दुर्गाको उपवाससे जो हानि-लाभ हुआ हो, मैं उसका ब्योरा जानना चाहता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मेरा उसे अलगसे पत्र लिखनेका विचार था लेकिन अब नही लिखता।

गुजराती (एस० एन० ११४७१)की फोटो-नकलसे।

६७. भाषण : बारेजामें

१३ मार्च, १९३०

कूच करनेके बाद यह हमारा दूसरा पड़ाव है और जिस प्रकार पहले पड़ाव पर मुझे गाँवके बारेमें जानकारी मिल गई थी उसी प्रकार यहाँ भी मिली है। उसे पढ़कर मुझे दुःख हुआ है। अहमदाबादके इतने पास होनेके बावजूद खादीकी खपत, खादी पहननेवाले तथा चरखेके खानोंमें शून्य लगा हुआ है। उत्तर और दक्षिण भारतके अपने दौरेके समय मैंने खादी पहननेवाले हज्जामसे ही हजामत करानेका नियम बना लिया था। किन्तु यहाँ तो आप खादीसे बहुत दूर हैं। खादी स्वतन्त्रताकी लड़ाईकी नीव है। खादी सभीको प्रिय है; किन्तु आजकल खादीके बारेमें लोग कुछ ऐसा मानने लगे हैं कि यदि हम खादी पहनेंगे तो जेल जाना पड़ेगा और जान देनी पड़ेगी। यह तो बहुत ही दुःखकी बात है कि बारेजा गाँवमें खादी पहननेवाला एक भी व्यक्ति नही है। यहाँ खादी-भण्डार है; आप इस कमीको तो निश्चय ही दूर कर सकते हैं। मोटी या कुरूप होनेके कारण हम अपनी माँ को छोड़कर उसके बदले किसी अन्य सुन्दर महिलाको माँ नही मान लेते। विदेशी कपड़ोंसे हमें स्वाधीनता कभी नही मिल सकती। मैं आप सब लोगोसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐश-आरामको छोड़कर आप इस ढेरमें से खादी लें।

आजकल सरदार तो जेलमें हैं; और मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि आप हमारी इस लड़ाईमें भाग लें। आप सब लोग सोच-विचार करके इस लड़ाईमें भाग लेनेके लिए तैयार रहें। आज हमारे गाँवोकी हालत अनेक प्रकारसे चिन्ताजनक हो उठी है। इन सैनिकोंकी मददसे आप अपने गाँवोकी सफाई कर सकेंगे। इस काममें बहुत ज्यादा समय नही लगता। थोड़ी जागरूकता और कुशलताकी ही जरूरत होती है। यहाँकी आबादी तो २५००के लगभग है। आप चाहें तो इस गाँवको चमका सकते हैं। और जितनी चाहें, उतनी सुविधाओंकी व्यवस्था कर सकते हैं। यदि आप यह काम करेंगे तो इससे आपको खेतीके काममें भी मदद मिलेगी और उससे आपमें शक्ति भी आयेगी। स्कूलोंमें जो शिक्षा दी जाती है उसे मैं सच्ची शिक्षा ही नही मानता। इस गाँवमें ईसाई और मुसलमान भी काफी संख्यामें हैं। आप सब

मिलकर बहुत-कुछ कर सकते हैं। पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिए तो हम सबको एक होना ही पड़ेगा।

भंगियोंके बारेमें तो आप यही मानते हैं न कि वे इस धरतीके अधमतम प्राणी है। हम उनके लिए तो कुछ करते ही नही। उन्हें नीच मानकर हम स्वयं ही नीच बन जाते है।

किन्तु मैंने जो-कुछ कहा उसके सिवा मैं फिलहाल कुछ और बातें कहना चाहूँगा। यह सरकार जो जुल्म कर रही है हम तो उसके मुकाबिले स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका संकल्प करके निकले हैं। यदि हम अपनी ही व्यवस्था नही कर सकते तो शासन कैसे चलायेंगे? अतः आपको व्यवस्थित बननेकी चेष्टा करनी चाहिए। आप गोरक्षाके बारेमें भी विचार करें। इस दलमें मेरे साथ गायसे सम्बन्धित समस्याके विशेषज्ञ भी हैं। वे इस मामलेमें आपकी सहायता कर सकेंगे। आप धीरे-धीरे सुधार करते हुए गोरक्षाके प्रश्नको भी हल कर सकते है। आप इन सब बातो पर विचार करें। हमने सरकार के विरुद्ध जो लड़ाई ठान दी है उसमें दस-बीस या लाखो व्यक्तियोके काम आ जानेपर भी यह लड़ाई खत्म होनेवाली नही है। और हमें ये सभी काम साथ-साथ ही करने हैं।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, १६-३-१९३०

६८. भाषण: नवागाँवमें

१३ मार्च, १९३०

खेडा जिलेमें प्रवेश करते हुए मुझे कड़वे-मीठे कुछ सस्मरण याद आ रहे हैं। खेड़ा जिलेमें काम करके ही मैं आपके जीवनमें घुल-मिल सका हूँ। मैंने यहांके लगभग सभी गाँव देखे है। बहुत-सी जगहोमें पैदल गाँवमें घूमा हूँ। मै अब इस नवागाँवमें लड़ाईके दिनोमें आया हूँ। हमारा यह तीसरा पडाव है। पहला पडाव असलालीमें था, दूसरा बारेजामें और अब तीसरा नवागाँवमें है। वल्लभभाईको खेडा जिलेसे बहुत आशा थी। इस जिलेमें गिरफ्तार होकर उन्होने सम्मान अर्जित कर लिया।

सरकारने कोई मनमाना बहाना ढूँढकर उन्हे पकड़ लिया क्योंकि सरकार यह जान गई थी कि यदि वे बाहर रहेंगे तो खेड़ा जिलेमें सरकारकी हुकूमत नही बल्कि वल्लभभाईकी हुकूमत चलेगी। सरकारने तो मनमाने ढगसे मजिस्ट्रेटपर दबाव डालकर नोटिस निकलवा दिया और वे पकड लिये गये। जहाँका वातावरण ही कलुषित हो, वहाँ बेचारा मजिस्ट्रेट क्या करे। अबतक हममें इतना त्याग और आत्मविश्वास नही आ पाया है कि कोई मजिस्ट्रेट सरकारसे यह कह सके कि ऐसा नोटिस मैं नही निकाल सकता। सरकार द्वारा दिया जानेवाला वेतन किस कामका है? और फिर यह वेतन देता कौन है? वेतन देनेवाला तो ईश्वर ही है, यह बात मजि-

स्ट्रेटको समझानेवाला मैं कौन होता हूँ? मेरी क्या बिसात है? मजिस्ट्रेटके लिए तो ईश्वर, खुदा, परवरदिगार सब-कुछ सरकार ही है।

खेड़ा जिलेकी पाटीदार और धाराला, दोनों जातियाँ बहादुर हैं। इन जातियोंके लोग ऐसी सरकारके विरुद्ध क्या करेंगे, यह पूछनेके पहले [मैं बता दूँ कि] आपके सभी मतादारोंने मेरे सामने बड़ी बहादुरी दिखाई है।[1] उन सभीने जब मुखियापद न लेनेका निर्णय किया तो दूसरे मुखियोंने इस्तीफे दे दिये। आप सबने इस्तीफे दिये इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। यदि आप सबने किसी दबावमें आकर इस्तीफे दिये हों तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना-अपना इस्तीफा वापस ले लें। इससे मुझे दुःख नहीं होगा; इतना ही नहीं बल्कि दबाव डालनेवालोंके विरुद्ध मैं आपकी रक्षा करूँगा। यह सत्यकी लड़ाई है, झूठी मदद लेकर मैं जीत हासिल नहीं करना चाहता।

लगातार कई दिन-रातके हृदय-मंथनके बाद मैंने इस आखिरी लड़ाईमें अपनी जानकी बाजी लगा दी है तथा अपने साथियोंको भी इस तरह अपने प्राण न्योछावर कर देनेके लिए मैंने साथ ले लिया है। मुझे तो सत्यके बलपर ही यह लड़ाई जीतनी है। इसमें यदि आप मेरा साथ देंगे तो अच्छा है। यदि आप इस्तीफा न दें तो उससे भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।

स्वराज्य प्राप्त कर लेनेके बाद तो भंगी भी वल्लभभाईको धमका सकेगा। वल्लभभाई जेलमें कहा करते थे कि चपरासीसे लेकर ऊपरके सभी अधिकारी भारतीय हैं, ऐसी स्थितिमें मैं उनसे क्या लड़ूँ। आप इस बातको याद रखें। इस सरकारके राजमें तो 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली बात है। मेरे-जैसे व्यक्तिके लिए तो इनकी बन्दूकें और गोला-बारूद कंकर और धूलके समान हैं। किन्तु आपको फिलहाल काम करके इस सरकारको अपनी ताकत दिखानी है।

यदि आपको पूर्ण स्वराज्य लेना हो तो मुखिया और मतादारोंको अपने वचनका पालन करना चाहिए। मुखिया और मतादार तुलसीदासजी के इन वचनोंका पालन करें:

रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्रान जाहुं बरु वचनु न जाई।

यहाँ उपस्थित सभी लोगोंके सामने मैं यह याद दिला देना चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुननेके बाद सच-सच कहें कि आपमें इस्तीफा देनेकी हिम्मत है या नहीं। खेड़ा जिलेके निवासियोंने मुझे अपने प्रेमसे शराबोर कर दिया है। इस जिलेके निवासी पहले वचन देकर फिर मेरी पीठमें छुरा न भोंके।

यदि आप ईमानदारीसे अपने इस्तीफे वापस ले लेंगे तो मैं आपको बहादुर मानूँगा और जमे रहेंगे तो भी बहादुर मानूँगा।[2] राम-राज्यकी स्थापनाके लिए हमने

१. विभिन्न गाँवोंके मतादारों और मुखियोंने इस्तीफे दे दिये थे। देखिए "भाषण: बासणामें", १४-३-१९३०।

२. इसपर मुखिया तथा मतादारोंने बताया कि उन्होंने स्वेच्छासे इस्तीफे दिये हैं तथा मुखियाने गाँवकी ओरसे १२५ रु० गांधीजी को भेंट किये।

जो लड़ाई छेड़ी है उसमें गरीब-अमीर सभी मुझे आर्थिक सहायता देनेको तैयार हैं किन्तु आपसे तो मैं बलकी आशा करता हूँ। यदि आप मेरे पीछे-पीछे नमक बनाने निकलेंगे तो उससे मेरा सवा सेर खून बढ जायेगा। आप सबको अपने रास्तेपर लाकर मै सभीको यशका भागी बनाना चाहता हूँ। मै आपसे इस्तीफे माँग सकता हूँ, पैसे माँग सकता हूँ किन्तु फिलहाल तो मैं इस लड़ाईके लिए सैनिक माँगता हूँ। इस नमक कानूनको तो स्त्री-पुरुष, युवा और बच्चे सभी तोड़ सकते है।

मैंने नवागाँवके आँकड़े देखे है। इस एक हजारकी बस्तीमें सिर्फ एक खादीधारी है और कसम खानेको एक चरखा है। मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि अबसे आप खादीका व्रत लें। ऐसा करके आप हर साल ५,००० रुपये बचा सकेंगे। बहनें भी चरखा चलाकर अपनी काफी शक्ति बढ़ा सकती है।

आप यह याद रखें कि आपने जो इस्तीफे दिये है उसके पीछे मुझे भगवान्का हाथ दिखाई देता है और खेड़ा जिलेमें यह शुभ मुहूर्त हुआ है। भगवान्को मेरे हाथों इतना काम कराना है; इसलिए मै अपने जीवनकी यह आखिरी लडाई लड़ रहा हूँ। मैंने जो अपना हाड़-पजर आपके सामने खोलकर रख दिया है, उसको चलाने-फिरानेवाला तो ईश्वर है और यदि कोई अच्छा काम कराना होगा तो वही उसे करेगा। अब हम रामनाम लेते हुए अलग हो जायेंगे।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, १६-३-१९३०

६९. बातचीत: समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे[1]

नवागाँव

१४ मार्च, १९३०

समाचारपत्रोके जो प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है उन्हें मै कुछ आश्वासन देना चाहता हूँ क्योकि मैंने आश्रमके नियमोके बारेमें कुछ सख्ती बरती है। मै लोगोसे भीख माँग रहा हूँ; हालाँकि मुझे भीख माँगनेका अधिकार नही है। अतः लोगोकी भिक्षाके बलपर मैं सबको अपने साथ नही ले जा सकता। हमें वर्तमान समाचारपत्रोकी सहायताकी आवश्यकता तो है ही। किन्तु इस लडाईका स्वरूप कुछ अलग ही है। यदि इस लड़ाईके प्रति उनके मनमें श्रद्धा हो तो उन्हें इसमें मदद देनी चाहिए। मेरी वजहसे किसीको कुछ लिखनेकी जरूरत नही; वे चाहे तो मेरी आलोचना भी कर सकते हैं। गाँवके लोगोंसे मैं नपा-तुला सीधा लेता हूँ; और नियमानुसार कोई भी उससे अधिक नही ले सकता। सभी आश्रमवासियो और समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि उन्हें किसी अतिरिक्त चीजकी आवश्यकता हो तो वे मेरी अनुमतिसे ही वह चीज ले सकते है। आखिरकार [पत्र] प्रतिनिधि भी तो परोपकारका ही काम करने आये है न?

१. यह बातचीत प्रातःकालीन प्रार्थना-सभाके बाद हुई थी।

७८ मनुष्योंकी यह टुकड़ी जो-कुछ करेगी, लाखों लोग उसका अनुकरण करनेको निकल आयेंगे। यदि हम अपनेमें त्याग-वृत्तिका विकास नहीं करेंगे तो लोग हमारी निन्दा करेंगे। यदि लोगोंको हमारे बारेमें जरा भी अविश्वास होगा तो वे इस पूरी लड़ाईकी ही निन्दा करेंगे। इसलिए हमें जोर-जबरदस्तीसे नहीं बल्कि प्रेमसे ही काम करना है। जिस प्रकार पर्वत रजकणोंका समूह है उसी प्रकार संसारके सभी महान् कार्य सजातीय हैं। यदि हम कोई विजातीय कार्य करेंगे तो उसका परिणाम कुछ और ही होगा। गंगामें हर तरहके पानीको पवित्र करनेका गुण है। इसी कारण हर तरहकी गन्दगीको वह अपनेमें समा लेती है।

यदि सत्याग्रही सत्यको पहचानकर यह लड़ाई लड़ेंगे तो हिन्दुस्तानकी तो बात ही क्या, वे सारी दुनियाको यह बता सकेंगे कि यह धर्मयुद्ध है। कल मैंने जो भाषण दिया था वह भी मेरी सबसे प्रार्थना ही थी।

जो बीमार पड़ता है वह अपनी लापरवाहीके कारण ही बीमार होता है। बीमार पड़ जानेवाले लोगोंके लिए यह नियम रखा है कि जो जहाँ बीमार पड़े उसे वहीं छोड़ दिया जाये। मैं आप सबसे नहीं मिल सकता इस बातका तो मुझे दुःख है ही। इसलिए आपको जब-कभी काम हो तो आप मुझसे मिल लें। मुझपर कामका भार होनेके कारण आपसे मिलनेका मुझे समय ही नहीं मिलता।

मैं सब लोगोंको यह सलाह दूंगा कि विशेष रूपसे अनुमति प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति यहाँ न आये। पहलेसे अनुमति लेकर ही कोई व्यक्ति हमारे साथ चल सकता है। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगोंको यहाँ आनेके बाद लौट जानेकी इच्छा होने लगती है वे जहाँ रहते हों वहीं रहकर अपना काम करें, सभीको सविनय कानून भंग करना सिखायें और स्वयं भी उसका पालन करें।

[गुजरातीसे]
प्रजाबन्धु, १६-३-१९३०

७०. पत्र : वसुमती पण्डितको

१४ मार्च, १९३०

चि० वसुमती,

तुम्हारे लिए जो व्यवस्था की गई है उसकी मुझे पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। अपनी दिनचर्या लिख भेजना। तबीयतका समाचार देना। 'गीता'का अनुवाद ठीक-ठीक समझमें आता है या नहीं सो मुझे लिखना। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना। मन पूरी तरहसे शान्त रहता है या नहीं?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

कमलाको आशीर्वाद। वह क्या काम करती है?

गुजराती (एस० एन० ९२८१)की फोटो-नकलसे।

७१. पत्र : सुशीला गांधीको

१४ मार्च, १९३०

चि० सुशीला,

तुम्हें कितनी बधाई दूं? अपने विवाहसे पहले जब तुम मुझसे पहली बार मिली थीं तुम्हारी दृढ़तासे तो मैं तभी परिचित हो गया था। लेकिन तुमने प्रकट रूपसे जिस दृढ़ताका परिचय दिया है वह तो मेरी धारणासे भी कहीं अधिक है। यदि तुम्हारा मन वहाँ शान्त न रहे तो अकोला जानेमें तनिक भी संकोच न करना। तुम्हारा मन शान्त रहे, तुम्हारा और सीताका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो तुम्हारे वहाँ रहनेकी बात मुझे अच्छी लगती है। क्योंकि इस समय आश्रम स्त्रियोंके लिए सर्वोत्तम पाठशाला है। वहाँ आजकल जो अनुभव मिल रहा है वह अन्य किसी समय नहीं मिलेगा। मणिलालकी चिन्ता तुम कदापि न करना। भगवान्‌ने उसे स्वास्थ्य तो अच्छा ही दिया है और वह भोला बादशाह किसी बातमें दुःख नहीं मानता। उसकी बहादुरीकी तो कोई सीमा नहीं। उसे क्या परेशानी हो सकती है? वह मेरी सेवामें रहता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७६५)की फोटो-नकलसे।

७२. पत्र : कुसुम देसाईको

१४ मार्च, १९३०

चि० कुसुम,

कृष्णकुमारीकी आँखें जलती हों तो उसे हरिभाईको दिखाना। चन्द्रकान्तासे कहना कि उससे मैं बड़ी आशा रखता हूँ। शान्तुके दाँत हरिभाईको दिखा देना और जो हिलते हैं उन्हें उखाड़ देनेको कहना। धीरूके और अन्य कोई बीमार हो तो उनके स्वास्थ्यके समाचार भेजना।

अपनी दिनचर्या भेजना। रहनेकी कोठरी अलग ही है न? वहाँ कैसा लगता है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १७९३)की फोटो-नकलसे।

७३. भाषण : वासणामें[1]

१४ मार्च, १९३०

आप लोगोंने हमारा बड़े उत्साहसे स्वागत किया है और कोई कसर नहीं रखी। आपने यह मण्डप बनाया और मेरे लिए एक झोंपड़ी तैयार की। मुझे वह बहुत अच्छी लगी है। आपने मेरी रुचिके अनुसार व्यवस्था की, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। किन्तु आपके गाँवके बारेमें मेरे मनमें एक तरहकी शंका उठ खड़ी हुई है, जिसे मैं एक सत्याग्रहीके तौरपर आपको बताना चाहता हूँ। मनुष्यका अपने मनके सभी विचारोंको प्रकट करना व्यावहारिक नहीं माना जाता। किन्तु मैं तो अपनेको बहुत व्यावहारिक मानता हूँ। जो व्यावहारिकता जगत्के कल्याणके विरुद्ध हो, वह सर्वथा त्याज्य है। अपने इस दृष्टिकोणके कारण मैंने या मेरे संगी-साथियोंने कभी कुछ गँवाया नही है। मेरे साथ दलमें पाँच अन्त्यज है और कुछ मुसलमान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 'यह व्यक्ति ऐसे लोगोंको साथ लाता है इसलिए उसे तो गाँवके बाहर ही ठहराना चाहिए', ऐसा सोचकर कहीं आपने अपनी मुसीबत तो नहीं टाली है? इस बारेमें पहले मैंने लोगोंसे जाँच करनेको कहा; किन्तु बादमें मैंने इस सभामें ही यह बात पूछना तय किया। मेरे पास तो जो-कुछ भी है वह सब आपको सौंपकर मुझे जलालपुर पहुँचना ही है। मेरे साथ तो सिर्फ विद्यार्थी हैं। सच्चे विद्यार्थी वे हैं जो हमेशा ज्ञानके भूखे होते हैं और जो जगत्को पाठशाला तथा प्रकृति व मानव-जातिको पुस्तक समझकर उसकी गुत्थियोंको सुलझाकर कुछ सीखनेका प्रयत्न करते हैं। बहुत-से सन्त लिखना-पढ़ना नहीं जानते थे किन्तु अच्छी तरह सोच-विचार सकते थे इसलिए वे ऐसे ही विद्यार्थी थे। यहाँके अन्त्यजोंके मुहल्लेका निरीक्षण करनेके लिए मैंने कुछ लोगोंको भेजा था।

यह तो सत्य और अहिंसाकी लड़ाई है, और हम सच्चे सत्याग्रही हैं; इसलिए आप मेरी इस भविष्यवाणीको सच मानें कि एक दिन ऐसा आयेगा जब अंग्रेजोंको हमसे माफी माँगनी पड़ेगी। श्री वल्लभभाईने जान-बूझकर अंग्रेजोंकी मदद करनेमें रात-दिन एक कर दिया। उन्होंने जनताकी सेवा की और उसका बदला सरकारने उन्हें गिरफ्तार करके चुकाया है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि श्री वल्लभभाई-जैसे व्यक्तिको गिरफ्तार किया गया है किन्तु इसके लिए सरकारको माफी माँगनी पड़ेगी, हालाँकि श्री वल्लभभाईको इसकी जरा भी चिन्ता नहीं है। मेरे तो वे हाथ-पैर ही थे। यदि उन्होंने इस जिलेमें काम न किया होता तो मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आज आपके सामने इतना भी बोल पाता।

आप नमक कानूनका क्या उत्तर देनेवाले हैं? आप सबको अपनेको सुधारना और सरकारके विरुद्ध लड़ना है। हम अन्त्यज भाइयोंकी सेवा करके पूर्ण स्वराज्य

१. यह सभा दोपहर बाद ३ बजे हुई थी।

लेनेकी तैयारी कर सकते है। मैं यह कामना करता हूँ कि आपके गाँवके बारेमें मेरे मनमें जो सन्देह था वह सच न हो। आप लोग सबकी सेवा करें। नमक कानून रद्द हो जाने या अन्य कर रद्द हो जानेसे भला कही स्वराज्य मिलनेवाला है? स्वराज्य मिलना इतनी सहज बात नही है। यह तो एक उपाय है और इस उपायके सहारे हम स्वराज्य प्राप्त करनेके अपने उद्देश्य तक पहुँच सकेंगे।

नवागाँव, वावडी, आगम, महेलज सभी गाँवोंके मुखियोने इस्तीफे देकर ठीक ही किया है। पाँच रुपल्लीके लिए मुखियोने सरकारकी नौकरी क्यो स्वीकार की? यदि मुखियोको कलक्टर बुलाये तो उन्हे कहना चाहिए कि "लाओ हमारे सरदारको और लगान कम करो।" सरकारी नौकरी छोड़नेका मतलब है आई बलाको अपने घरसे खदेड़ना। मुखियोने जो काम किया है वह पुण्यका काम किया है। जब सत्ता हमारे हाथमें आ जायेगी तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सरकारके किसी भी कानूनको न माननेका नाम सत्याग्रह है। इस सत्याग्रहका एक अंग नमक कानून तोड़ना है। यह हमारा धर्म है; हमारा अधिकार है। इस लड़ाईमें मुझे आपकी सहायताकी आवश्यकता है। मुझे पैसोकी नहीं, मनुष्योकी सहायता चाहिए।

मेरे कार्यक्रममें दूसरी चीज खादी है। यह कितनी बुरी बात है कि सूचीमें चरखा और खादी पहननेवाले लोगोके खानेमें आपके गाँवके आगे शून्य लगा हुआ है। यदि अब तक आपने खादी पहनना शुरू नही किया है तो अब तो आप जागें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप खादीके द्वारा अपने गरीब देशकी मदद करे। मै तो यह चाहता हूँ कि आप लोगोंमें कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे जो खादी न पहनता हो। मै आपको खादी पहननेका निमन्त्रण देता हूँ। बहनोके लिए तो कातना एक प्राचीन यज्ञ है। आप पहले तो पचयज्ञ करते थे। उनमें पहला था चूल्हा-यज्ञ। मेरी माँ पहले गो-ग्रास निकालती थी और यज्ञ करती थी। दूसरा था चक्की-यज्ञ। तीसरा झाडू-यज्ञ, चौथा चरखा-यज्ञ और पाँचवाँ यज्ञ था पानी भरनेका। आज तो हम इन सब यज्ञोंको भूल बैठे है। हम लोगोंमें स्वार्थकी भावना पैदा हो जानेसे ऐसा हुआ। यदि आप धर्मका पालन करना चाहते हो तो आपको फिर चरखा-यज्ञ करना चाहिए। ईश्वर आपको सन्मति दे और आप तदनुसार व्यवहार करे।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, १६-३-१९३०

७४. पत्र : नारणदास गांधीको

दाँडी कूचके दौरान
१५ मार्च, १९३०

चि० नारणदास,

जो रकम मिले उसे 'नवजीवन'के हिसाबमें डालना।

मैं मैंथ्यूको लिख तो रहा हूँ। उसका काम ही ऐसा है। जबतक उसका मन काममें नहीं लगता तबतक उसका गां० से० सं० में[1] जाना भी व्यर्थ है।

प्रभुदाससे लिखनेके लिए कहना। अभी तो मुझे चलते हुए कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०९०)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

७५. पत्र : व्रजकृष्ण चाँदीवालाको

[१५ मार्च, १९३०][2]

चि० व्रजकृष्ण,

तुमको सख्त शब्द कहते हुए मुझे दुःख हुआ। परंतु अनिवार्य था। तुमारा हृदय-दौर्बल्यको मैं नीकालना चाहता हुं। तुमारी शक्तिका पूरा उपयोग तब तक नहिं हो सकता है जब तक तुमारा हृदय दृढ़ नहिं होगा। हृदयकी कोमलता आवश्यक है। सच्ची कोमलताके लीये दृढ़ता अत्यावश्यक है। कौटुंबिक संबंध निर्मल बनता है। मोहका नाश होता है। मुझको मीलनेका लोभ भी छोड़ देना चाहीये। मैं जो-कुछ दे सकता था तुमको दे चुका हुं। तुमारा समय आनेसे तुमारे भी जेलमें जानेका होगा। अब तो वहांका काम तुमारी जेल है। इसलीये किसी आवश्यक कारण विना विजापुर मत छोड़ो। शरीरको अच्छा बनाओ और जो मदद दे सकते हैं देते रहो।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० २३७७ की फोटो-नकलसे।

१. गांधी सेवा संघ।
२. तिथि ऐट द फीट ऑफ बापूसे ली गई है।

७६. भाषण : डभाणमें

[१५ मार्च, १९३०]

मुझे पता चला है कि कनकापुरासे भी एक मुखिया, एक मतादार और एक चौकीदारने इस्तीफा दे दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपने उक्त इस्तीफे स्वेच्छासे ही दिये होंगे और मुझे आशा है कि किसी अधिकारीके दबाव डालनेपर आपमें से कोई झुकेगा नही और माफी माँगते हुए कोई अपना इस्तीफा वापस नही लेगा। जब हमने एक बार प्रतिज्ञा कर ली है तो भले ही हमारी जान चली जाये, किन्तु हम अपनी प्रतिज्ञाको भंग नहीं होने देंगे।[1]

आपके मुखियाने इस्तीफा दे दिया है किन्तु उनके बूढ़े काकाने तो अपना नाम स्वयसेवकके रूपमें दर्ज करवाया है। नवयुवक ही इस लड़ाईमें भाग ले सकते हो, ऐसी कोई बात नही है। यह धर्मयुद्ध, अहिंसात्मक युद्ध है और इसमें बच्चे भी भाग ले सकते हैं। कुछ-एक स्त्रियोंके नाम भी मेरे पास पहुँच चुके है। १५ वर्षके बालकोंके नाम भी मेरे पास आये है और उनका नाम स्वीकार करते हुए मुझे कोई संकोच नही हुआ।

मेरे पास कुछ अन्य वृद्ध लोगोंके नाम भी आये है और उनका कहना है कि जेलके बाहर मरनेकी बजाय जेलमें मरनेमें क्या बुराई है। किन्तु सोच-विचारकर ही मै उन्हे अपने साथ नही लेता। दांडी पहुँचने पर मैं पहले उन्हें बुलाऊँगा और पहले उन्हें जेलमें पहुँचा दूँगा।

आशा है कि आसपासके गाँवोंके मुखिया और मतादार भी इस्तीफे दे देंगे।

हम दावा तो गोरक्षा [या गोसेवा]का करते है किन्तु अब हमें उसे गोरक्षाके वजाय भैंस-रक्षा या भैंस-सेवा कहना चाहिए। इस डभाण गाँवमें तीन सौ भैंसोंपर तीन गायें है। इससे ज्ञात होता है कि हमें पशु-पालनका ज्ञान नही है। इस जिलेमें रोगियों या गोसेवा व्रतधारियोके लिए गायका दूध या घी प्राप्त करना असम्भव है। मुसलमानों या अंग्रेजोंके हाथोंसे गायोको बचा लेना या छुड़ाना ही गोसेवा नही है; वह तो गोवध हो जाता है। गोसेवाका यह उलटा अर्थ है।[2]

मुसलमान जितनी गायोंकी हत्या करते हैं उसकी अपेक्षा सैकड़ो गुनी अधिक गायें कटनेके लिए आस्ट्रेलिया भेज दी जाती है। यदि आप चाहते हो कि गायें विदेश न भेजी जायें तो आप सब लोगोंको गो-पालनकी कला सीखकर तदनुसार अमल करना चाहिए।

भैंसके दूधका स्वाद मुझे याद नही पड़ता इसलिए गाय और भैंसके दूधका अन्तर मै नही बता सकता। किन्तु वैद्योंने यह सिद्ध कर दिया है कि भैंसका दूध-घी

१. यह और इसके बादके तीन अनुच्छेद १६-३-१९३० के प्रजाबन्धुसे लिये गये हैं।

२. यह और इसके बादके दो अनुच्छेद ३०-३-१९३० के नवजीवनमें प्रकाशित स्वराज गीतासे लिये गये हैं।

गायके दूध-घी जितना सात्त्विक नहीं होता और यूरोपके लोग तो भैंसके दूधको छूते तक नही।

यह तो धर्मयुद्ध है, अहिंसात्मक युद्ध है। इसमें तो स्त्रियाँ और बच्चे भी भाग ले सकते हैं। सामान्य सिपाहीके हाथों होनेवाला कोई भी काम सत्याग्रही सिपाहीके हाथों नही हो सकता। आपके गाँवमें ८०० मन नमककी खपत होती है और इस प्रकार आप नाहक इस सरकारको पैसा देते है। आपके द्वारा दिया गया पूरा कर ज्योंका-त्यों सरकार डकार जाती है। हम इस बोझको अपने सिरसे उतार फेंकना चाहते हैं और इसलिए पूर्ण स्वराज्य माँगते है। यदि आपमें हिम्मत हो तो सरकारी नौकरियाँ छोड़ दें, नमक सत्याग्रहमें सैनिकके रूपमें अपना नाम दर्ज करा दें और विदेशी कपड़ोंको जलाकर खादी धारण कर लें। आप शराब पीना छोड़ दें। आपके पास ऐसी बहुत-सी चीजें हैं जिनके माध्यमसे आप स्वाधीनता प्राप्त करनेकी कुंजी पा सकते है।[1]

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, १६-३-१९३०, नवजीवन, ३०-३-१९३० तथा गुजराती, २३-३१९३०

७७. भाषण : नडियादमें

१५ मार्च, १९३०

मैं नडियाद कई बार आया हूँ और यहाँ कई बार भाषण भी दिये है किन्तु मैंने इतनी अधिक भीड़ कभी नहीं देखी। आज हम गुलामीकी जंजीरोंमें जकड़े हुए हैं, जिनसे हम मुक्त होना चाहते हैं। आप यहाँ मेरी या मेरे ८० साथियोंकी वजह से नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करनेकी दृष्टिसे आये हैं। अहमदाबादसे रवाना होकर यहाँ पहुँचनेतक हमें बहुत आशीर्वाद मिले है, मानों आशीर्वादोंकी बाढ़ आ गई हो। आप भी इसके साक्षी हैं।

खेड़ा जिलेमें वल्लभभाईने बहुत काम किया है। बाढ़के समय उन्होंने हजारो लोगोंको बचाया था और वही वल्लभभाई अब जेलमें पड़े है। खेड़ा जिलेमें तो मैंने भी थोड़ा-बहुत काम किया है। इस प्रकार आपका कर्त्तव्य तिहरा है। वल्लभभाईको गिरफ्तार करनेका मतलब आप ही लोगोंको गिरफ्तार करना है। उन्हें खेड़ामें गिरफ्तार करनेका मतलब खेड़ाको गिरफ्तार करनेके समान है। इस गिरफ्तारीसे वल्लभभाईका तो सम्मान बढ़ा है; किन्तु आपका अपमान हुआ है। इस अपमानका बदला आप किस प्रकार ले सकेंगे? पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करके ही तो आप इस अपमानका बदला ले सकेंगे। और पूर्ण स्वराज्य आप किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे? जो मार्ग मैंने अपनाया है उसी मार्गको अपनाकर आप पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। यह दो और दो चारकी तरह स्पष्ट है।

१. यह अनुच्छेद २३-३-१९३० के गुजरातीसे लिया गया है।

मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी न करे। आखिर सरकारी नौकरीमें क्या धरा है? सरकारी नौकरी करनेसे जुल्म करनेकी ताकत आती है। सरकारी नौकरीमें मिलता ही क्या है? अपने बल-बूतेपर आदमी हजारों रुपये कमा सकता है। यहाँके मुखियोने इस्तीफे दे दिये है। किन्तु इससे क्या होता है? नडियाद तो गोवर्धनराम, मणिलाल नभुभाई-जैसे साहित्यिकोका नगर है। क्या यहाँ ऐसे विद्वान् व्यक्तियोकी विरासत देखनेको मिलेगी? विद्वानोके इस नगरके विद्यार्थियोंका कर्त्तव्य क्या है? आपको इन सब बातोंका उत्तर देना है। आप सभीको स्वयंसेवक बन जाना होगा। मैं जेल चला जाऊँ या जैसे ही कांग्रेसकी ओरसे आदेश मिले आप जेल जानेके लिए तैयार हो जायें तो मैं यह समझूँगा कि नडियादने कुछ किया है।

नडियादकी जनसंख्या ३१ हजार है। आप लोग तीन लाख दस हजार रुपये कपडेपर खर्च करते है। यदि यह रुपया बाहर जानेकी बजाय आपके ही घरमें रहे तो? तो यह कहा जा सकेगा कि आपने प्रकृतिके सुन्दरतम नियमका पालन किया। गोवर्धनराम और मणिलालके वारिसोंको भी मै यह सीधा हिसाब लगानेको कहता हूँ। यदि आप ऐसा नही करेंगे तो नडियादकी इज्जत चली जायेगी। नडियाद, जो गुजरातकी नाक है, क्या इतना भी नही कर सकेगा? भगवान् आपको ऐसा करनेकी शक्ति दे!

[गुजरातीसे]

गुजराती, २३-३-१९३०

७८. पत्र : दुर्गा गिरिको[1]

[१५ मार्च, १९३० को या उसके पश्चात्][2]

चि० दुर्गा,

तेरा अच्छे अक्षरोंमें लिखा गया अच्छा पत्र मिला है। महावीरके बारेमें तूने जो लिखा है, सो ठीक है। जो सबको समान समझना जानता है, वह जीतता है। काकाका शंकर भी इस काफिलेमें आ पहुँचा है। सेवाके कामोमें भली-भाँति लीन हो जाना। किसी भी काममें आलस न करना। हम सब तो यहाँ मजेमें है। मैत्रीसे कहना कि वह आलस जरा भी न करे। लाल पानीमें हाथ डुबाती है न? खानेमें मर्यादा रखे।

बापूके आशीर्वाद

बापूकी विराट् वत्सलतासे

१. मूल गुजराती उपलब्ध नहीं है।

२. पत्रमें द० बा० कालेलकरके पुत्र शंकर द्वारा इसी दिन दांडी-कूचमें सम्मिलित होनेका उल्लेख है, जिसके आधारपर यह तारीख निर्धारित की गई है।

७९. हम सब एक हैं

ईश्वर हम सबमें है। इसलिए अनेक होते हुए भी हम सब एक ही हैं। मै तो इस सत्यका प्रतिक्षण दर्शन करता हूँ। हम सबमें वह समान रूपसे जाग्रत नही रहता अथवा हममें से हरएक का हृदय एक जैसा नही होता इसीलिए वह एक रूपमें दिखाई नही पड़ता — ठीक उसी तरह, जिस तरह कि जुदा रंग और जुदा ढंगके दर्पण-में चीजें जुदा रंग और आकार-प्रकारकी दिखाई देती है।

इस सत्यके अनुसार एकका पाप सबका पाप है। इसलिए हम दुष्टोंको मारते नही, उनके लिए कष्ट सहन करते हैं। इस विचारसे सत्याग्रहकी उत्पत्ति हुई, और इसीसे कानूनकी सविनय अवज्ञा शुरू हुई। आपराधिक, हिंसक, या अविनय अवज्ञा पाप है, और इसलिए त्याज्य है। अहिंसक अवज्ञा पुण्य हो सकती है, धर्म हो सकती है। इन्हीं विचारोके आधारपर दीनबन्धु ऐन्ड्रयूज बहुधा कहा करते है कि वे अंग्रेजोकी तरफसे प्रायश्चित्त कर रहे हैं, इसीलिए मीराबहन आश्रममें आई है और रेजीनाल्ड रेनॉल्ड्स भी इसी कारण आश्रममें आकर रह रहे है।

श्री खड्गबहादुर गिरिको सब लोग जानते है। एक व्यभिचारीके व्यभिचारको सहन न कर सकनेके कारण उन्होने उसका खून किया और फिर कानूनकी शरण ली। इससे पहले श्री गिरि आश्रममें रह चुके थे। अपने वक्तव्यमें उन्होंने अपनेको आश्रमके सिद्धान्तोंको माननेवाला बताया था। मै उनका तात्पर्य समझ नही सका था, तो भी उस समय इस कृत्यकी जाँच करनेके लिए तैयार न था, और यही वजह थी कि उन दिनों बहुतेरे लोगोंने मेरे नाम जो कड़ी चिट्ठियाँ भेजी थीं, उनका उत्तर न देकर मैं चुप बना रहा। उस समय अपनी राय जाहिर करना मैंने अपना धर्म नहीं समझा। यही भाई अब इस धर्मयात्रामें भाग लेने आ पहुँचे हैं। गाड़ी चूक जानेसे वे एक दिन देरसे पहुँचे थे। इसलिए बिना मेरी आज्ञाके आ नही सकते थे, जिससे उन्हे आश्रममें रुक जाना पड़ा। मेरा यह विश्वास होनेसे कि इस युद्धका आरम्भ आश्रमके नियमोंका पालन करनेवालों द्वारा ही होना चाहिए, मैंने उन्हें लिखा: "अगर आपको आश्रमके सब नियम मंजूर हो तो आप आ जायें।"

लेकिन इस लेखमें ये सब बातें तो अप्रासंगिक हैं। ये तो सिर्फ भाई खड्ग-बहादुरका परिचय करानेके लिए ही लिखी गई हैं। उनका नाम देनेका कारण तो यह है कि खड्गबहादुर गिरि भी दूसरोंके पापका प्रायश्चित्त करने आये है। और पहली ही टुकड़ीमें शामिल होनेका आग्रह करते हुए उन्होंने नीचे लिखे कारण बताये हैं:[1]

इस पत्रमें महावीरका जिक्र है। महावीर स्वर्गीय दलबहादुर गिरिका पुत्र है। स्वयं दलबहादुर गिरि भी इन्हीं विचारोंके कारण १९२१ के असहयोग आन्दोलनमें शामिल हुए थे और जेल भी गये थे। जेलसे वे पेचिशकी सख्त बीमारी लेकर छूटे

१. पत्रका अनुवाद यहाँ नहीं दिया जा रहा।

थे। पर यह बीमारी उनके लिए घातक सिद्ध हुई। उन्होंने अपनी विधवा पत्नीको आश्रममें आकर रहनेकी सलाह दी थी। विधवाने आश्रम आनेका अपना निश्चय व्यक्त किया। दलबहादुर गिरिसे मेरी जान-पहचान हो चुकी थी। उन्होने मरते समय जो इच्छा प्रकट की थी उसे, और तदनुसार काम करनेवाली उनकी पत्नीकी इच्छाको मै टाल न सका। उनकी इच्छाको पूरा करना मैंने अपना धर्म समझा। इस विधवा माताने अपने पुत्रको इस युद्धमें सम्मिलित होनेके लिए प्रेरित किया। नौ वर्षसे बालक महावीर आश्रममें रह रहा है। एक संरक्षककी हैसियतसे दलमें शामिल होनेकी अनुमति मैंने महावीरको दे दी। ऐसे बालक जो पूरे पन्द्रह वर्षके हो चुके हो, वे चाहें तो उन्हें शामिल होनेकी अनुमति दी जा चुकी थी। महावीर स्वेच्छासे और गुरुजनोका आशीर्वाद प्राप्त करके युद्धमें शामिल हुआ है। उसके सम्बन्धमें मेरा अनुभव मधुर है।

सम्भव है इन तथ्योसे पाठक इस युद्धको अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे, और सत्याग्रह क्या चीज है, यह भली भाँति जान सकेंगे। यह पूरी कल्पना अहिंसाकी अमोघ शक्तिके असीम विश्वासपर रची गई है। सत्याग्रही अपना प्रत्येक काम प्रायश्चित्तके रूपमें ही करता है। राजा या प्रजाके पापोमें वह अपनेको भागीदार मानता है और खुद भी अपनेको पापी समझता है। जिसके सम्बन्धमें जहाँतक पापकी सम्भावना है, वहाँतक वह पापी ही है। जिसमें विकारकी सम्भावना है वह विकारी है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १६-३-१९३०

८०. प्रयाण

अहमदाबादके हजारों नागरिक भाई-बहन ११ तारीखको रात-भर जागे। हजारोंने आश्रमको घेर लिया। रात-भर अफवाह उड़ती ही रही: 'ये आये, वे आये।' अपने चेहरेको गम्भीर बनाकर दो बार मेरे कानमें कोई कह गया: "विश्वसनीय खबर है कि आज शामको एक खास गाड़ी आयेगी और उसमें आपको मांडले भेजनेके लिए ले जाया जायेगा।" मेरे लेखे तो जेलके भीतर और जेलके बाहर रहना एक ही बात है; इस कारण मुझपर इस खबरका असर नही हुआ और मै आरामसे सो गया। लेकिन अपने आसपास मजदूरो और मालिकोको रात-भर घेरा डाले हुए देखकर मुझे आनन्द हुए बिना न रहा। 'वे' आखिरकार नहीं आये और ईश्वरने हमें ठीक समय, निश्चित क्षणपर रवाना किया। चन्दोला तालाब तक विदा देनेको आये हुए नर-नारियोकी भीड़में से हम गुजरे। इस दृश्यको मै कभी नही भुला सकता। मेरे लिए तो वह ईश्वरका आशीर्वाद था। ऐसे दृश्यके बावजूद मै यह क्यों मानूँ कि इस युद्धमें जीत न होगी? अमीर और गरीब दोनों अपने ठीक अनुपातमें उपस्थित थे। अगर इस दृश्यका कोई मतलब हो तो वह यह है और इतना तो जरूर है कि सब लोगों

को स्वाधीनता चाहिए, और यह स्वाधीनता वे शान्तिपूर्ण मार्गसे ही पाना चाहते हैं। आश्रमसे एलिस ब्रिज तक कतारोंमें खड़े हुए स्त्री-पुरुषोंकी आँखोंमें मैंने विष नहीं, अमृत देखा। मुझे उनकी आँखोंमें अंग्रेजी राज्य या अंग्रेज अफसरोंके प्रति गुस्सा नहीं बल्कि यह विश्वास और तज्जन्य आनन्द दिखाई दिया कि अब तो पूर्ण स्वराज्य आ ही रहा है।

इस अवसरपर शासकोंने भी बुद्धिमानीसे काम लिया। रास्तेमें मुझे एक भी सिपाही नहीं दिखाई दिया। जहाँ लोग उत्सव मनाने आये हों, वहाँ भला सिपाहीका क्या काम है, सिपाही क्या कर सकता है?

अहमदाबादके नागरिकोंने पिछले दिनों मेरे प्रति विश्वास प्रकट किया है, अगर वह कायम रहा और सारे देशमें फैल गया तो थोड़े ही प्रयत्नसे पूर्ण स्वराज्य मिल जायेगा। अगर पूर्ण स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो उसे पानेमें हमें कितना समय लगना चाहिए! साँस लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अतः सहज ही मेरी साँस चलती रहती है। लम्बे अरसेसे चली आ रही गुलामीने हमारे मनमें यह भ्रम पैदा कर दिया है कि गुलामी ही हमारी कुदरती हालत है। पर सच्ची बात तो यह है कि गुलामी किसी भी आदमीकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। तीस करोड़ स्त्री-पुरुष जब स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका पक्का निश्चय कर लेंगे तो वे अवश्य स्वतन्त्र हो जायेंगे। १२ तारीखका दृश्य इस निश्चयका एक चिह्न था।

लेकिन मैं इस तरह जल्दी भुलावेमें नहीं आता। देखनेमें आता है कि सारी दुनिया-में जन-समाजका प्रवाह भेड़ियाधसानकी तरह होता है। यही हाल १२ तारीखको भी था। एक-दूसरेकी देखा-देखी बहुत-से लोग निकल पड़े थे; या यों कहा जाये कि इस तरह उत्सवमें भाग लेना ही बहुतोंके त्यागका आरम्भ और अन्त था। अगर बात ऐसी ही हो तो वह आजादीकी निशानी नहीं थी। जब एक लाख आदमी तीस करोड़ मनुष्योंको दबायें और उस दबावसे अपना पिण्ड छुड़ानेके लिए तीस करोड़ मनुष्य एक होकर मेहनत करें तो थोड़ी-सी मेहनत और बहुत ही कम त्याग से वे गुलामीके बन्धनोंको काट सकते हैं। लेकिन कुछ-न-कुछ त्याग तो होना ही चाहिए। यह निरा बच्चोंका खेल नहीं है। यह विचार कर सकने वालोंकी मेहनतसे प्राप्त होता है। इसलिए अगर तीस करोड़ खादी पहननेवाले न हों तो भी तीस लाख सविनय कानून तोड़नेवाले तो तैयार हों? इस स्वराज्य-यज्ञमें जितने ज्यादा लोग भाग लेंगे उतना ही परिश्रम उनमें बँट जायेगा। अगर कम हुए तो उन्हें ज्यादा बोझ उठाना पड़ेगा। क्योंकि स्वराज्य पानेके लिए परिश्रम तो जितना चाहिए उतना लगेगा ही। इसलिए सवाल यही उठता है कि वह परिश्रम कौन करे और किस तरह करे। इस कूचको सफल बनानेका तात्कालिक दायित्व गुजरातियोंपर है। कूचको सफल बनानेका मतलब दलको नियमानुसार भोजन कराना और उसकी खातिरदारी करना ही नहीं है। यह काम तो गाँवोंके महाजन प्रेमपूर्वक कर ही रहे हैं। कूचको सफल बनानेका अर्थ है, उसमें भरती होनेके लिए स्त्री-पुरुषोंका निकल पड़ना — तैयार हो जाना। इसके जलालपुर पहुँचते ही नमक कानूनकी सविनय अवज्ञा करनेवालोंकी टुकड़ियाँ तैयार

रहनी चाहिए और हरएक गाँवको ऐसे 'भगी' [कानून भंग करनेवाले] तैयार रखने चाहिए जो मौका पड़नेपर अपनेको होम सकें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १६-३-१९३०

८१. 'भगवद्गीता' अथवा 'अनासक्तियोग'

'गीता' पढ़ते, विचारते और उसका अनुसरण करते हुए अब मुझे चालीस सालसे ज्यादा हो चुके हैं। मित्रोंने यह इच्छा प्रकट की थी कि मैं गुजरातियोको बताऊँ कि मैंने 'गीता'को किस रूपमें समझा है। फलतः मैंने उसका अनुवाद शुरू किया। विद्वत्ताकी दृष्टिसे देखने लगूँ तो अनुवाद करनेकी मेरी अपनी योग्यता कुछ भी नही ठहरती; हाँ, आचरण करनेवालेकी दृष्टिसे वह साधारणतया ठीक मानी जा सकती है। यह अनुवाद अब प्रकाशित हो चुका है।[1] बहुत-से अनुवादोके साथ मूल संस्कृत भी होती है। किन्तु संस्कृत इसमे जान-बूझकर नही दी गई है। सब लोग संस्कृत जानें-समझें तो मुझे अच्छा लगे; लेकिन सब लोग संस्कृत कभी नही जान पायेंगे और संस्कृत'-गीता'के तो अनेक सस्ते संस्करण मिलते ही हैं। इसलिए संस्कृतको छोडकर आकार और कीमत कम रखनेका निश्चय किया। अतएव १९ पृष्ठकी प्रस्तावना और १८७ पृष्ठ अनुवाद मिलाकर दस हजारका जेबी संस्करण छपवाया है। इसकी कीमत दो आना रखी गई है। मेरा लोभ तो यह है कि हरएक गुजराती इस 'गीता'को पढ़े, विचारे और तदनुकूल आचरण करे। इसपर विचार करनेका सरल उपाय यह है कि संस्कृतका खयाल किये बिना ही इसके अर्थको समझनेका प्रयत्न किया जाये और फिर तदनुसार आचरण किया जाये। उदाहरणार्थ, जो लोग यह कहते हैं कि 'गीता' तो अपने-परायेका भेद रखे बिना दुष्टोका संहार करनेकी शिक्षा देती है, उन्हे अपने दुष्ट माता-पिता या अन्य प्रियजनोका संहार शुरू कर देना चाहिए। पर वे वैसा तो कर नही सकते, तो फिर जहाँ संहारका वर्णन आता है, वहाँ उसका कोई दूसरा अर्थ होना सम्भव है, यह बात पाठकोको सहज ही सूझ जायेगी। अपने-परायेके बीच भेद न करनेकी बात तो 'गीता'के पन्ने-पन्नेपर मिलती है। पर यह कैसे हो सकता है? इस प्रकार सोचते-सोचते हम इस निश्चयपर पहुँचेंगे कि अनासक्तिपूर्वक सब काम करना ही 'गीता'का प्रधान स्वर है। क्योकि पहले ही अध्यायमें अर्जुनके सामने अपने-परायेका झगड़ा खडा हो जाता है। 'गीता'के प्रत्येक अध्यायमें यह बताया गया है कि उक्त भेद मिथ्या है। 'गीता'को मैंने 'अनासक्तियोग'का नाम दिया है। यह क्या है, कैसे सिद्ध हो सकता है, अनासक्तिके लक्षण क्या हैं; आदि तमाम बातोका उत्तर जिज्ञासुको इस पुस्तकमें मिल सकता है। 'गीता'का अनुकरण करते हुए मैं इस युद्धको आरम्भ किये बिना न रह सका। जैसा कि एक मित्रने अपने तारमें कहा है, मेरे

१. देखिए खण्ड ४१।

लिए तो यह धर्म-युद्ध है। और ठीक इस आखिरी फैसलेके मौकेपर इस पुस्तकका प्रकाशित होना मेरे लिए शुभ शकुन है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १६-३-१९३०

८२. पत्र : अब्बास तैयबजीको

१६ मार्च, १९३०

प्रिय भर् र् र्[1]

कितनी खुशी हुई आपका पत्र पाकर! कहनेकी जरूरत नहीं कि आपको आराम तो करना ही है। सरदारने मुझे आपके जीवनकी खूब सारी झलकियाँ सुनाईं और अब ताजा झलकियाँ सुनानेको महादेव आ पहुँचा है। यह जानकर खुशी हुई कि इस बार आप कोई बीमारी साथ लेकर नहीं लौटे हैं। आपकी घनी, सफेद दाढ़ीके बावजूद मेरे मनको तो आपको बूढ़ा मानना गवारा नहीं होता। महादेव कहता है कि आपमें तो अभी नाचने तकका उत्साह है। मन होता है कि कुछ दिनोंके लिए फुरसत निकालकर आपको नाचते-गाते देखनेके लिए वहाँ आ जाऊँ। मगर ऐसा हो कहाँ सकता है। इसलिए यहीं बैठे-बैठे मनकी आँखोंसे ही आपकी तरह-तरहकी भाव-भंगिमाएँ देख रहा हूँ। आपको तो कविवरके साथ रख देना चाहिए! ! !

हम सबका स्नेहवन्दन स्वीकार करें।

सदा आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ९५६९)की फोटो-नकलसे।

८३. पत्र : वसुमती पण्डितको

१६ मार्च, १९३०

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। आनेकी इच्छाको रोकना। लेकिन यदि ऐसा न कर सको तो आ जानेमें कोई हर्ज नहीं। शरीरको सँभालते हुए काम करनेकी शर्त याद रखना। ऐसा अवसर फिर नहीं आयेगा; इसलिए शरीरको बिगड़ने न देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९२८२)की फोटो-नकलसे।

१. गांधीजी और तैयबजी एक-दूसरेका अभिवादन इसी तरह करते थे।

८४. पत्र : नारणदास गांधीको

दाडी कूचके दौरान
रविवार [१६ मार्च, १९३०][1]

चि० नारणदास,

तुम्हारे पत्र आते रहते हैं। बैंकके नाम मैंने एक पत्र भेजा है। यदि इससे तुम्हारा काम न चले तो लिखना।

तीन मद्रासियो और दो बगालियोंको मैंने वापस जानेके लिए कहा तो है। उन्हे पश्चात्ताप भी हुआ है। यदि वहाँ भी तुम्हे उनमें पश्चात्तापकी भावना दिखाई दे और वे वापस आश्रममें आना चाहे तो रख लेना। यदि वे सचमुच में काम करने-वाले हो तो उन्हे रख लेनेमें कोई हर्ज नही है। लेकिन मै तुम्हारी प्रबन्ध-व्यवस्थामें हस्तक्षेप नही करूँगा। इसीलिए मैंने उन्हे कोई पत्र देनेसे इनकार कर दिया।

पुरुषोत्तम कैसा रहता है? क्या केशु भी 'गीता'-पाठका नेतृत्व नही कर सकता? वह भजन भी गाता है। अन्यथा प्रेमाबहन तो है ही।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

इसके साथ जमनाका लिखा हुआ पत्र है जो भूलसे आ गया जान पड़ता है।

बापू

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०९२)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

८५. भाषण : बोरीयावीमें

१६ मार्च, १९३०

इस शान्तिपूर्ण लड़ाईमें जोर-जबरदस्तीकी कोई गुजाइश नही है। अंग्रेजो या अपने भाइयोंसे हम जोर-जबरदस्ती नही करेंगे। मै यह नही चाहता कि जोर-जबरदस्ती-से इस्तीफे दिलवाये जायें। जोर-जबरदस्ती या शर्मकी वजहसे दिये गये इस्तीफे वापस ले लिये जाने चाहिए। आपके सरदारको उन्होंने जेलमें डाल दिया, इसका मतलब यह हुआ कि उन्होने आपसे पूर्ण स्वराज्य छीन लिया। आपको उन्हें छुड़ाना चाहिए।

१. पुरुषोत्तमके स्वास्थ्य तथा 'गीता'-पाठ और भजन आदि गानेकी व्यवस्थाके बारेमें पूछताछ करनेके उल्लेखसे लगता है कि यह पत्र दांडी-कूचके दौरान पड़नेवाले तीन रविवारोंमें से पहले रविवारको लिखा गया होगा।

यदि आप उन्हें तीन महीनेकी बजाय एक महीनेमें ही छुड़ा लेंगे तो यह माना जायेगा कि आपकी शक्तिका ठीक उपयोग हुआ। वल्लभभाईके छूट जानेके बाद भी आप माफी माँगकर अपने इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। ये इस्तीफे तो तभी वापस लिये जा सकते हैं जब कि इस सरकारका शासन-तन्त्र आपके हाथमें आ जाये और आप मुखिया बन जायें।

यदि आप शराब और चाय पीते रहें और यह मानते रहें कि गांधी सेना लेकर गये हैं और वे हमें स्वराज्य लाकर दे देंगे तो आप भूल करेंगे। गांधी तो चला ही जायेगा और उसके साथी समुद्रमें डूब मरेंगे; किन्तु स्वराज्य तभी मिलेगा जब आप सब मिलकर काम करेंगे। आप यदि सैनिक नहीं बन सकते तो कमसे-कम खादी तो पहनें ही।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, २३-३-१९३०

८६. पत्र : मीराबहनको

१७ मार्च, १९३०

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र मिला और वे फूल भी, जो मुझे ढूँढ़ निकालनेकी कोशिश कर रहे थे। अबतक तो मेरी थकान स्वास्थ्यप्रद ही दिखाई दे रही है। इससे मैं एक बारके बजाय दो बार दूध और खूब फल ले सकता हूँ। पिछले पाँच दिनकी थकानके कारण आज मैं दिनमें पाँच बार सोया। मुझे आशा है कि मैं अगले सप्ताहके कूच-के लिए या मेरे भाग्यमें जो भी हो उसके लिए पूरी तरह दुरुस्त रहूँगा। इसलिए तुम मेरी चिन्ता न करना।

मैं देख रहा हूँ कि अब तुम्हें वहाँ अपनी क्षमताका भान हो रहा है। यह संग्राम हम सबके लिए सचमुच ईश्वरकी देन साबित हुआ है। यह शुद्धिकी क्रिया है और ऐसा ही होना भी चाहिए। हममें ढिलाई हरगिज न आये।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५४२७) से; सौजन्य : मीराबहन; जी० एन० ९६६१से भी।

८७. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

आनन्द
१७ मार्च, १९३०

भाई सतीशबाबु,

मैंने अखबारमें देखा है कि तुमको बगालने डिक्टेटर बनाये है। क्या यह सच्च है? यदि सच्च है तो देखो दोनो दलने बनाये हैं कि केवल एक ही दलने? कैसे भी हो मै जानता हुं कि तुमारा प्रेम सब ठीक कर देगा। कल हि एक भजन सभामें पंडितजीने[1] गाया था जिसका अनुवाद यह है 'प्रेमपथ पावककी ज्वाला'। जब शुद्ध प्रेम पैदा होता है तब सब मलीनताका नाश करता है। तुमारा कार्य सबसे कठिन है ऐसा मैं जानता हुं। तुमारी आठ वर्षकी तपश्चर्या तुमको ज्ञान और बल देगी। तुमको और हेमप्रभादेवीको ईश्वर चिरायु करे।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १६१६ की फोटो-नकलसे।

८८. पत्र : सुशीला गांधीको

आनन्द
मौनवार [१७ मार्च, १९३०][2]

अरी ओ पारसन!

तेरी चालाकीकी कोई हद नही। लगता है कि तू पहलेसे ही भूमिका बाँध रही है। यदि माँ-बाप बच्चोंकी तारीफ करते है तो उन्हें उनके दोष बतानेका हक भी तो होता है न? और फिर तू यह क्यो माने बैठी है कि मैंने तुझे नीचे लानेके लिए ही ऊपर चढाया है? और विवाहके दिन तुझे १२ वाँ अध्याय जो पढाया था सो किसलिए? मैंने तुझमें जिन गुणोंका होना माना है, अगर तू ऐसा मानती है कि वे तुझमें नही हैं तो उन्हे प्राप्त करनेके लिए ईश्वरकी आराधना करना। लेकिन तेरे चाचा जो तुझे 'धैर्य माता' कहते है, उसका क्या होगा?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७६६)की फोटो-नकलसे।

१. नारायण मोरेश्वर खरे।

२. विषयवस्तुके आधारपर यह पत्र १९३० में लिखा गया जान पड़ता है। १९३० में इस तारीखको गांधीजी आनन्दमें थे।

८९. पत्र : कुसुम देसाईको

आनन्द
मौनवार [१७ मार्च, १९३०][1]

चि० कुसुम,

तुम्हारा पत्र मिला। मकानके बारेमें तुमने जो लिखा है वह सच है लेकिन [तुम्हारा] धर्म तो छात्रावासमें ही जानेका था। इसलिए तुम वहाँ गईं सो ठीक ही हुआ। जो श्रेय है, हमें उसे प्रेय बनाना चाहिए; अर्थात् हमारे लिए जो चीज श्रेयस्कर है हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखते हुए जितना काम करना जरूरी हो उतना करना। मुझे लिखती ही रहना।

तुम्हारा मन्त्रिपद तो बना ही है। समय मिलनेपर सब कुछ साफ कर डालना। मेरी चिन्ता न करना। तुम्हें मैंने दुःख तो अवश्य दिया है लेकिन इस बातका मुझे कोई गम नहीं है। मैं दुःख न दूँगा तो और कौन देगा?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १७९४)की फोटो-नकलसे।

९०. पत्र : प्रभावतीको

मौनवार [१७ मार्च, १९३०]

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र अभीतक नहीं आया। ऐसी आशंका थी कि मैं १२ तारीखतक गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा। अब तो छः दिन बीत गये और आज सोमवार है, इसलिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। बहुत अधिक चलनेके बावजूद मेरी तबीयत अभी तक अच्छी ही रही है। [दाँडी-कूचके बारेमें] पूरा वर्णन तो तू अखबारोंमें पढ़ ही लेती होगी इसलिए इस सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखता; लिखनेका समय भी नहीं है। साथका पत्र जयप्रकाशको देना चाहे तो देना और यदि वे अनुमति दें तो पिताजी से कहकर आश्रम जाना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

अभी-अभी महादेव आकर मुझे तेरा पत्र पढ़कर सुना गये। पत्र सुनकर मुझे खुशी हुई। यदि आ सके तो आ जाना।

गुजराती (जी० एन० ३३६१)की फोटो-नकलसे।

१. पत्रमें कुसुमबहनके आश्रमके छात्रावासमें चले जानेका जो जिक्र है उससे मालूम होता है कि यह पत्र १९३० में लिखा गया था।

९१. पत्र: नारणदास गांधीको

मौनवार [१७ मार्च, १९३०][1]

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला।

लोग अब भी आते रहते है, यह समस्या बड़ी कठिन है। जो लोग काम करे उन्हें रखना। जो काम नही करते, उन्हे एकदम चले जाना चाहिए।

तुम संयुक्त भोजनालयमें भोजन करने जाते हो, यह बात मुझे अच्छी तो लगती है लेकिन तुम्हारा शरीर जो माँगे, उसे वही देकर अपना शरीर सँभालना। मुझे तुम 'गीता' के अनुयायी जान पड़े हो इसलिए मेरा विश्वास है कि तुम्हारे कुशल-क्षेमका भार ईश्वर अपने ऊपर ले लेंगे।

केवलरामकी बहू आना चाहे तो आ सकती है। बीमारी यहाँ भी हमारे पीछे पड़ी है। तीन व्यक्ति बीमार हैं। सुमंगलप्रकाशको शीतला निकली है। उसे यही छोड़कर जानेवाला हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

क्या पुरुषोत्तम चला गया? उसके जानेपर प्रार्थना कौन चला रहा है? तुम्हें तो आती ही है न? केशु भी उस्ताद है, यह न भूलना। प्रभुदासके ऊपर कोई बोझ नही डाला जाना चाहिए।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०९४)से।
सौजन्य: नारणदास गांधी

१. १७ मार्च, १९३०को गांधीजी आनन्दमें थे जहाँ उन्होंने सुमंगलप्रकाशको छोड़ दिया था।

९२. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

मौनवार [१७ मार्च, १९३०][1]

चि० गंगाबहन (बड़ी),

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे हाथों तो हमेशा अच्छा कार्य ही होगा, हमेशा सेवा ही होगी। लक्ष्मीबहन आकर मुझे कुछ बता गई हैं। ज्यादा पूछनेका तो मुझे समय ही कहाँ मिलता है? अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७४३)से।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

९३. पत्र : जयप्रकाश नारायणको

आनन्द
१७ मार्च, १९३०

चि० जयप्रकाश,

जो उत्साह बलीदान देनेका मैंने आश्रमकी बहनोंमें देखा ऐसा कहीं नहिं देखा है। आजकल आश्रमकी अंतर व्यवस्था बहोत कर केवल स्त्री लोग ही कर रही है। जिस प्रकारसे अनुभव ले रही है ऐसा दुबारा कभी मीलनेका नहिं है। इसलीये मेरी सलाह है कि प्रभावतीको आश्रममें भेजो। मेरे जेल जानेके बाद आश्रमकी स्त्रीयाँ जेल जायगी। इसमें प्रभावती होनी चाहीये ऐसा मेरा अभिप्राय है। प्रभावती सब प्रकार योग्य है। तुमारा काम अच्छा चलता होगा।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० ३३६२ की फोटो-नकलसे।

१. साधन-सूत्रपर २० मार्च, १९३०की तारीख दी हुई है जो गंगाबहन वैद्यकी लिखावटमें है। यह सम्भवतः पत्र-प्राप्तिकी तारीख होगी। २० मार्चसे पहलेवाला सोमवार १७ मार्चको पड़ा था।

९४. भाषण: आनन्दमें

१७ मार्च, १९३०

आपने अभी-अभी पण्डितजी के भजनमें सुना कि प्रेमका मार्ग एक पवित्र ज्वाला है। यह वैर-भावका पंथ नही। सत्याग्रहीका मार्ग प्रेमका मार्ग है। सत्याग्रहीमें कठोरसे-कठोर हृदयवाले शत्रुको भी प्रेमभावसे जीत लेनेकी महत्त्वाकाक्षा होनी चाहिए।

कानूनकी सविनय अवज्ञा करनेमें प्रेमभाव ही निहित है, इस बातकी प्रतीति लोगोको कैसे कराई जा सकती है? प्रीतमको स्वयं इसका अनुभव हुआ होगा। इसी-से यह भजन उसके हृदयसे फूट निकला और उसने गाया।

वैरभावकी उपमा उस अग्निसे दी जा सकती है जो सब-कुछ जलाकर राख कर देती है। प्रेम ऐसा कैसे हो सकता है? वैरभाव दूसरोको जलाता है, प्रेम स्वयंको जलाता है और दूसरोको शुद्ध करता है। जब प्रेम ऐसा उग्र स्वरूप धारण करता है तब किसीको वह भले ही भयानक ज्वाला-जैसा प्रतीत हो, लेकिन इतना निश्चित जानिए कि बादमें उसकी शीतलताकी अनुभूति हुए बिना नही रहती। इस समय जो यह काफिला निकल पड़ा है सो कोई नाटक नही कर रहा है, यह कोई थोडे दिनोका खेल नही है। यदि मरना आवश्यक हुआ तो यह मरकर भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। अन्ततः सरकारको स्वीकार करना पडेगा कि ये सत्याग्रही सत्य और अहिंसाके पुजारी थे और यदि [सत्य और अहिंसाका पालन करते हुए] सत्याग्रहियोंके प्राण निकल जायें तब तो कहना ही क्या? यदि ऐसा हो तब तो उनके दावेपर मुहर लग जायेगी। हममें सत्याग्रहीके समान मरनेकी शक्ति है या नही, यह बात आज हममें से कोई भी निश्चयपूर्वक नही कह सकता। क्रोधके आवेशमें दूसरेके पेटमें कटार भोंकना अथवा मनमें क्रोध रखते हुए लाजके मारे ऊपरसे अहिंसक बने रहकर मरनेकी बातको सत्याग्रहीकी मृत्यु नही कहा जा सकता।

इतना ही नहीं मरते समय मनके भीतर क्रोध नही रहना चाहिए, बल्कि मनमें ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, 'हे ईश्वर! तू इस मारनेवालेका भला करना।' जब कोई इस तरहसे मृत्युका आलिंगन करता है तब वह सत्याग्रहीकी मौत मरता है और इस तरह मरनेवाला व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञाका पालन करता है। मैं खुद अपने बारेमें भी आज कोई आश्वासन नही दे सकता। इसकी परीक्षा तो मृत्युके बाद अन्य लोग ही कर सकते हैं।

यहाँ, आनन्दमें, नरसिंहभाईकी कुटिया है। आनन्द पाटीदारोकी शिक्षाका केन्द्र है। खेडा जिला अर्थात् पाटीदारोंका, वल्लभभाईका, मोतीभाई अमीनका तथा चरोतर शिक्षा-मण्डलके स्वयंसेवकोका स्थान। यदि इनके आगे मैं अपने हृदयके उद्गारोंको न रखूं तो और किसके सामने रखूं। मैं आपके पास बहुत बड़ी आशाएँ लेकर आया हूँ।

मैंने अनेक स्थानोपर कहा है कि मैं इस बार पैसेकी भिक्षा माँगनेके लिए नही निकला हूँ। पैसेकी भिक्षा माँगना तो मुझे खूब आता है। यह आन्दोलन पैसेका

आन्दोलन नहीं है। इस आन्दोलनको पैसेके बिना चलाया जायेगा। आज सवेरे मेरे देखते-देखते बम्बईके सूतके व्यापारी २,५०१ रुपये दे गये। डायमंड एसोसिएशनने २,००० रुपये भिजवाये हैं और पैसेकी मैं यदि तनिक भी माँग करूँ तो गुजरात और हिन्दुस्तान पैसेकी बौछार कर दे, मैं इस पैसेके भार तले दबकर मर जाऊँ और फिर जलालपुर भी न पहुँच सकूँ।

मैं तो आपसे बहुत बड़ी भीख माँगने आया हूँ। आप तो ठहरे पाटीदारोंकी, चरोतरकी नाक। आप पाटीदारोंके समुद्रमें नमकके समान हैं। यदि नमक अपना स्वभाव छोड़ बैठे तो फिर उसका खारा स्वाद उसमें कैसे पैदा किया जा सकता है? नमकमें चीनी अथवा गुड़की अपेक्षा अधिक स्वाद है। गुड़ तो कभी-कभी पीलिया तकका कारण बन जाता है। लेकिन भोजनमें थोड़ा नमक डालिए, फिर देखिए भोजन कितना सुस्वादु हो जाता है। यदि आनन्द अपना गुण छोड़ दे, पाटीदारोंमें वीरता आदिके जिन गुणोंका आरोपण किया गया है यदि उन सबका आनन्दमें इस समय दर्शन न हो तो फिर वह और कहाँ हो सकता है?

मेरी इस भूमिकाका कारण आप समझ गये होंगे। आनन्दके, खेड़ा जिलेके विद्यार्थी आज अपनी पुस्तकोंको बगलमें दबाये बैठे रहेंगे अथवा विद्यापीठने जो मार्ग ग्रहण किया है उसका अनुसरण करेंगे? डॉ० मेहताने विद्यापीठ पर जो ढाई लाख रुपये खर्च किये हैं और अन्य शुभचिन्तकोंने भी इस पर जो रुपये लगाये हैं वे सब आज ब्याज-समेत वसूल हो गये हैं। विद्यापीठने आज किताबी ज्ञानको ताकपर रखकर 'सा विद्या या विमुक्तये' अपने इस सिद्धान्तको सिद्ध करके दिखा दिया है।

जहाँ सोलहवें वर्षमें पदार्पण करनेवाले समस्त विद्यार्थियोंने सर्वसम्मतिसे अक्षर-ज्ञानको पूर्णतः त्याग दिया है और उनके कार्यमें शिक्षक भी शामिल हो गये हैं, जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, वहाँ इससे अधिक और किस बातकी अपेक्षा की जा सकती है? क्या आप लोग भी इस मार्गको ग्रहण नहीं करेंगे?

मुझे उम्मीद है कि गुजरात हिन्दुस्तानके सामने पदार्थपाठ रखेगा। यह लड़ाई लम्बी चलेगी अथवा जल्दी ही समाप्त हो जायेगी, इस बारेमें निश्चित रूपसे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि इस लड़ाईमें हम अपने सर्वस्वकी आहुति दे देंगे तो फिर यह लड़ाई लम्बी चले अथवा बहुत थोड़ी देर चले, इसकी हमें चिन्ता न होगी।

खेड़ा जिलेके पाटीदारोंसे ऐसी आशा रखनेका मुझे अधिकार है। मैं जब दक्षिण आफ्रिकामें था तभीसे वे मुझे आशा बँधाते आये हैं। खेड़ा जिलेकी आबादी सात लाख है, उसमें ठाकुर भाई भी हैं। यदि पाटीदार पहल करें तो ये गरासिया लोग अवश्य ही उनका अनुकरण करेंगे। तुलसीदासने कहा है कि "पारस परसि कुधातु सुहाई।"

विद्यार्थियो! जबतक यह आन्दोलन जारी है, तबतक आप लोग अपने विद्याभ्यासको एक ओर रख दें। इस समय मुझे स्वर्गीय देशबन्धुके शब्द याद हो आते हैं। पाठशालाओंमें असहयोगकी बात उन्हें अखरती थी। वे कहा करते थे कि जब अन्तिम लड़ाईका समय आयेगा तब हम उन्हें पुकारेंगे, अभी रहने दो। लेकिन मैं न

माना और वे भी विद्यालयोके बहिष्कारमें जुट गये। लेकिन उन्होने ये शब्द १९२० में कहे थे। तबसे अबतक पाँच नही दस वर्ष बीत गये है। आज अन्तिम युद्धका वह समय आ पहुँचा है। इसलिए अब तो विद्यार्थियोके स्कूलोमें बने रहनेका कोई कारण ही नही है।

आज मैं युद्धके लिए एक विशेष क्षेत्र तैयार करनेकी बात नही कहता। आज तो कन्याकुमारीसे कश्मीर और कराचीसे डिब्रूगढ़ तक व्यक्तिगत अथवा व्यापक रूपसे सब लोग सविनय अवज्ञा कर सकेंगे।

सविनय अवज्ञा करनेके लिए मुझे सात दिसम्बर तक वातावरण अनुकूल नही जान पडा और जैसा मुझे सूझा वैसा मैंने कहा। अब कहता हूँ कि आज ही सबसे उपयुक्त वातावरण है। वह शुभ घडी आज ही है। इस घड़ी यदि हममें सविनय अवज्ञाकी शक्ति नही आई तो फिर किसी दिन नही आयेगी।

ऐसे समय ऐसा कौन-सा विद्यार्थी है जो पढ़ता रहेगा? पहले मैं कहा करता था कि सरकारी स्कूलोको छोड़ो और राष्ट्रीय स्कूलोंका निर्माण करो। आज कहता हूँ कि पढ़ाई छोड़ो और मैदानमें आओ। देशकी खातिर फकीरी लो, अपना सर्वस्व समर्पित कर दो। आज यदि व्यापारी बैठा-बैठा व्यापार करता रहेगा तो यह उसके लिए कोई शोभाकी बात न होगी। हिन्दुस्तान यदि व्यापक सत्याग्रह करना चाहता है तो उसके लिए यही उचित अवसर है।

खाने-पीनेकी व्यवस्था तो भगवान् करेगा — असंख्य जनता करेगी। यदि यह ज्वाला समस्त हिन्दुस्तानमें धधक उठे और सारा हिन्दुस्तान सविनय अवज्ञामें शामिल हो जाये तो ३० करोड़ व्यक्तियोंको एक लाख अंग्रेजोंके पजेसे निकलनेमें कितना समय लगेगा? इस प्रश्नका हिसाब स्कूलोंके विद्यार्थी करेंगे।

सेनामें ७० हजार गोरे है और अन्य सिख, पठान, गुरखा, मराठा हैं। हमारे दोनो कन्धो पर यह सेना चढ़ बैठी है; फिर भले ही यह सेना यहाँ हो या मेरठ आदिमें तैनात हो। हम जो इन कानूनोके तले पिसे जा रहे हैं उनके पीछे हमें सेनाके अतिरिक्त और कुछ नज़र नही आता। सेनाके बलपर अंग्रेज नट हमें नचा रहे हैं।

याद रखिए, मैं यह नही कहता कि आप लोग हमेशाके लिए पढ़ाई छोड़ दें। मेरा तो यह कहना है कि आप फिलहाल संघर्षके दौरान अक्षरज्ञान-सम्बन्धी विद्याभ्यासको समेट लें। इस संझर्षको लम्बा खीचने अथवा न खीचनेका आधार आप लोगोंपर है। युवक संघ अर्थात् विद्यार्थीगण घोषणाएँ तो बडी-बड़ी करते हैं। इस वर्ष एक घुड़सवार नवयुवक कांग्रेसका अध्यक्ष है। इसीसे इस संघर्षका अधिक भार आप विद्यार्थियो पर है।

भगवान् आपको आन्तरिक बल दे। यह बुद्धिका प्रयोग नही है। यदि कोई बात किसीको बुद्धिसे समझानी हो तब तो भूमितिके पदोंके समान एकके-बाद-एक पदका उदाहरण देते हुए अन्तमें कहा जा सकता है "इति सिद्धम्"। लेकिन यदि आन्तरिक बल — हृदलबल — न हो तो बुद्धि लाचार हो जाती है। बुद्धि तो हृदयकी दासी है।

फिर भी यदि आपको ऐसा लगता हो कि इस व्यक्तिने बेकार ही उपद्रव खड़ा कर दिया है और एक महीने बाद यह इसे छोड़ देगा तथा अपने इस कार्यको

हिमालय-जैसी एक भूल कहकर साबरमतीके किनारे मुंह नीचा करके बैठ जायेगा तो मैं लाचार हूँ; इस विषयमें मैं कुछ नही कर सकता। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं मानते तो इतना निश्चित जानिए कि यह आपके और मेरे लिए अन्तिम फैसला है और हमारा मार्ग शान्तिपूर्ण ढंगसे कानून आदिकी अवज्ञा करनेका ही है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २३-३-१९३०

९५. स्वयंसेवकोंसे बातचीत[1]

१७ मार्च, १९३०

हम तीर्थयात्रा पर हैं। हमें अपने समयके प्रत्येक क्षणका हिसाब दे सकना चाहिए। जो लोग अपना काम पूरा नही कर पाते, अथवा जिनके पास कताईके लिए समय नहीं बचता या जो डायरी नही लिख पाते वे मुझसे मिलें। इस बारेमें उनसे मैं विचार-विमर्श करूँगा। लगता है उनके समय-पत्रकमें कही कोई गड़बड़ी है; मैं इस गड़बड़ीको दूर करनेमें उनकी सहायता करना चाहूँगा। कूचको जारी रखते हुए भी हम अपने दैनिक कार्य पूरे करते रहें, इतनी सूझ-बूझ तो हममें होनी ही चाहिए। मैं यह कहनेकी धृष्टता करता हूँ कि हममें लगातार इस श्रमसाध्य यात्रामें जुटे रहनेकी शक्ति नही है, और इसीलिए मैंने सप्ताहमें एक दिन आरामके लिए अलग कर दिया है। लेकिन आश्रमके सामान्य नियमोंमें छूट देनेकी कोई बात मै नही सुनना चाहता। मैं यह बात पुनः दोहराता हूँ कि हम तीर्थयात्रा पर है और आत्म-निरीक्षण तथा आत्मशुद्धि इसकी अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं। इस मामलेमें डायरी-लेखन बहुत उपयोगी है। नियमपूर्वक सूत कातना, कितने गज काता, इसका हिसाब करना और रोज डायरी लिखना, इन तमाम नियमोंके निर्वाहका विचार मेरे मनमें यरवडा जेलमें आया; और चूँकि स्वराज्यकी इमारतकी नीव रखनेकी आकांक्षावाले हम लोगोंका बलिदान स्वराज्य-की बलिवेदी पर अर्पित पहला बलिदान होगा, इसलिए उसे यथासम्भव शुद्ध होना चाहिए। हमारे पीछे आनेवाले उस कठोर संयमको छोड़ सकते है जिसका पालन हम करते आये हैं लेकिन हम इससे नहीं बच सकते। इस प्रकारके कठोर आत्म-संयमको अपनाकर ही हम वह शक्ति प्राप्त कर सकेंगे जिसके द्वारा अपनी अबतक की उपलब्धियोंको कायम रख सकते हैं। सक्रिय अहिंसाका यह स्वाभाविक परिणाम है, और स्वराज्य-प्राप्तिके बाद यह गुण सदा हमारी सहायता करेगा। इसकी सम्भावनाएँ बहुत कम है कि जेलमें हमें एक साथ रखा जाये। इसलिए यदि हमारा जीवन अभीसे नियमित रहता है तो आगे चलकर अपने दैनिक कार्य नियमपूर्वक करते रहनेमें हमें कोई कठिनाई नही होगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-३-१९३०

१. महादेव देसाई द्वारा प्रस्तुत विवरणका अंश।

९६. भाषण: सत्याग्रहियोंके समक्ष[1]

[१७ मार्च, १९३० पश्चात्][2]

आप जो बात कहते है वह कदाचित ठीक हो।[3] यदि आप इन नियमोको भार मानते हैं तब तो वे सचमुच भारस्वरूप ही हैं। लेकिन इस सम्बन्धमें तो रवाना होनेसे पहले ही यह बात निश्चित हो गई थी कि जो लोग इस भारको वहन कर सकते हैं केवल वे ही कूचमें आयें, अन्य लोग नही। इसलिए इन नियमोको तनिक भी शिथिल नही किया जा सकता। इन नियमोंका सम्पूर्णतया पालन करनेसे ही व्यापक शक्ति उत्पन्न होगी। बाह्य और स्थूल कारणोसे जो प्रभाव होता है उसकी अपेक्षा अदृश्य, आध्यात्मिक नियमोका प्रभाव अधिक तीव्र होता है; कूचके पीछे यही कल्पना निहित है। इस युद्धमें व्यापक हिंसाको अहिंसा द्वारा नष्ट करनेका हमारा प्रयत्न है और इसीलिए हमें जिस हदतक दृढता और उग्रताकी आवश्यकता है उस हदतक नम्रताकी भी है। जबतक हममें अभिमान है, जबतक हम अपने बलके भरोसे आगे बढ़नेकी कोशिश करते रहेंगे तबतक हम असफल ही रहेंगे। 'जब लग गज बल अपनो बरत्यो नेक सर्‌यो नहि काम', यह एक बहुत बड़ी सैद्धान्तिक बात है।

क्या हम यह नहीं देखते कि हममें जो लोग दुर्बल प्रतीत होते थे, वे आज शरीरसे समर्थ हैं और मजबूत दिखाई देनेवाले लोग बीमार हो गये हैं। जब मनुष्य अहंभावको छोड़ रजवत् होकर नियम-पालनमें लीन हो जाता है तब उसमें अहिंसाकी शक्ति जाग्रत होती है और ईश्वरीय बल उसका बल होता है। इसलिए हम सबको सम्पूर्ण रूपसे कर्त्तव्यपरायण बनना होगा, और नम्र भी बनना होगा। हम ईश्वरके आगे प्रार्थना करे कि 'सब-कुछ तू ही करता है', और इस तरह जो अस्सी व्यक्ति निकल पडे हैं वे यदि शून्यवत् हो जायें तो हमारा काम अवश्य सिद्ध हो जायेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १३-४-१९३०

१. "धर्म-यात्रा" से उद्धृत।

२. आनन्दमें एक सत्याग्रहीको चेचक निकल आई थी इसीलिए उसे वहीं छोड़कर सत्याग्रहियोंको आगे बढ़ना पड़ा था। यह भाषण इस प्रसंगके बाद दिया गया था। गांधीजी १६ और १७ मार्चको आनन्दमें थे।

३. सत्याग्रहियोंमें कुछ लोग बीमार पड़ गये थे, जिसपर कुछ लोगोंने यह कहा था कि इसका कारण एक हद तक नियमोंकी कठोरता है।

१७. महान् तत्त्वदर्शी

नापा
१८ मार्च, १९३०

कवि राजचन्द्रका जन्म काठियावाड़के वावनिया नामक स्थानमें हुआ था। उनसे मेरा पहला सम्पर्क जिस दिन मैं १८९१में लन्दनसे लौटकर आया तब बम्बईमें डॉ० प्राणजीवन मेहताके घर हुआ था। कवि — उन्हें मैं कवि ही कहा करता था — डॉ० मेहताके निकट-सम्बन्धी थे। मुझे उनका परिचय शतावधानी — अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो एक ही साथ सौ चीजोंको याद रख सकता है — कहकर दिया गया। कवि तब बिलकुल युवा थे। उनकी उम्र मेरी उम्र — अर्थात् २१ वर्ष — से ज्यादा नहीं थी। फिर भी, उन्होंने अपनी शक्तियोंका सार्वजनिक प्रदर्शन बिलकुल बन्द कर दिया था और अब वे विशुद्ध धर्म-साधनामें लगे हुए थे। उनकी सादगी और स्वतन्त्र निर्णय-बुद्धिसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। अन्ध रूढ़िवादिता तो उन्हें छू भी नहीं गई थी। मगर उनकी जिस खूबीने मुझे शायद ज्यादा प्रभावित किया वह यह थी कि अपने व्यावहारिक जीवनमें धर्मका पालन करनेके साथ-साथ वे अपना व्यवसाय भी अच्छी तरह चलाते थे। धर्मतत्त्वके अध्येताके रूपमें उन्होंने अपनी मान्यताओंके अनुसार आचरण करनेका भी प्रयत्न किया। खुद जैन थे, लेकिन अन्य धर्मोंके प्रति बड़ा उदार दृष्टिकोण रखते थे। उनको अध्ययनके लिए इंग्लैंड जानेका भी मौका मिला, किन्तु वे जानेको तैयार नहीं हुए। उन्हें अंग्रेजी सीखना मंजूर नहीं था। स्कूलमें उन्होंने बस प्रारम्भिक शिक्षा ही पाई थी। लेकिन, वे प्रतिभाके धनी व्यक्ति थे। वे संस्कृत, मागधी और, मेरा खयाल है, शायद पाली भी जानते थे। धार्मिक साहित्यका वे बहुत अध्ययन करते थे और उन्होंने गुजराती पुस्तकोंसे इस्लाम, ईसाई धर्म और जरथुस्त्री धर्मका अपनी जरूरतके लायक काफी ज्ञान अर्जित कर लिया था। ऐसा था वह व्यक्ति जिसने धार्मिक विषयोंमें मेरे हृदयको इतना प्रभावित किया जितना अन्य किसीने नहीं किया। अन्यत्र मैंने कहा है कि मेरे आन्तरिक जीवनके नियामकोंके रूपमें टॉल्स्टॉय और रस्किन, कवि राजचन्द्रसे होड़ लेते हैं। मगर, निस्सन्देह, कविका प्रभाव अधिक गहरा था — और किसी कारण नहीं तो इस कारणसे कि उनसे मेरा सबसे अधिक व्यक्तिगत सम्पर्क रहा। अधिकांश प्रसंगों पर उनके निष्कर्ष मेरी नैतिक भावनाके अनुकूल पड़ते थे। उनके विश्वासका आधार निर्विवाद रूपसे अहिंसा थी। उनकी अहिंसा वह भौंडे किस्मकी अहिंसा नहीं थी जिसका आचरण हम आजकल अहिंसाके उन तथाकथित अनुयायियोंको करते देखते हैं जिनकी अहिंसा कुछ बूढ़े ढोरों और कीट-पतंगोंकी रक्षातक ही सीमित है। उनकी अहिंसामें यदि छोटेसे-छोटा कीटाणु शामिल था तो उसी तरह सम्पूर्ण मानवता भी शामिल थी।

फिर भी मैं कविको सर्वथा पूर्ण, सर्वथा निर्दोष मनुष्य नहीं मान सका। लेकिन मैं जितने लोगोंको जानता था, पूर्णताके सबसे अधिक निकट मुझे वही लगते थे। मगर

अफसोस! वे बहुत छोटी (केवल तैंतीस वर्षकी) अवस्थामें ही, जब कि उन्हें लग रहा था कि वे सत्यका साक्षात्कार करने जा रहे हैं, परलोक सिधार गये। वे अपने पीछे अपने पुजारी तो बहुत छोड़ गये हैं, लेकिन उनके अनुगामियोंकी संख्या बहुत नहीं है। उनकी लिखी चीजोंको, जिनमें अधिकांशतः जिज्ञासुओंको लिखे पत्र ही हैं—ऐसे पत्र जिनमें उन्होंने अपनी आत्मा उँड़ेल दी है—संग्रह करके छापा गया है। उनका हिन्दी अनुवाद तैयार करानेकी भी कोशिश की जा रही है। मैं जानता हूँ कि उनका अंग्रेजी अनुवाद करना भी अपेक्षित होगा। उनमें से अधिकांशका आधार आत्मानुभूति है।

[अंग्रेजीसे]
मॉडर्न रिव्यू, जून, १९३०

९८. पत्र: रामानन्द चटर्जीको

बोरसद
१८ मार्च, १९३०

प्रिय रामानन्द बाबू,

कामकी भीड़के बीच मैं आज जैसे-तैसे आपका लेख[1] लिख पाया हूँ। अब आप इसका जैसे चाहे वैसे उपयोग कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस आन्दोलनका दिल खोलकर समर्थन कर रहे हैं और इसे आपका पूरा आशीर्वाद प्राप्त है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२८७)से।
सौजन्य: श्रीमती सीतादेवी

९९. भाषण: बोरसदमें

१८ मार्च, १९३०

एक समय ऐसा था जब मैं साम्राज्यके प्रति पूर्ण रूपसे वफादार था और अन्य लोगोंको भी वफादारीका पाठ पढ़ाता था। मैं पूरे मनसे 'गॉड सेव द किंग' गाया करता था और अपने अन्य सगे-सम्बन्धियोंको भी सिखाता था। लेकिन अन्तमें मेरी आँखोंके आगे पड़ा वह पर्दा हट गया, भ्रम टूट गया और मैं समझ गया कि यह साम्राज्य वफादारीके लायक नहीं है। यह साम्राज्य मुझे राजद्रोहके लायक लगा और इसीसे राजद्रोहको मैं अपना धर्म माने बैठा हूँ। मैं अन्य लोगोंको भी समझाता हूँ कि राजद्रोह धर्म है और वफादार बने रहना पाप है। इस राज्यके प्रति वफादार रहनेका अर्थ

१. देखिए पिछला शीर्षक।

हुआ इसके हितकी कामना करना, और इसके हितकी कामना करना भारतके करोड़ों लोगोंका अहित करनेके समान है। हमारे करोड़ों रुपये बाहर चले जाते हैं, उसके बदलेमें कुछ हमें मिलता नहीं अथवा कुछ मिलता है तो लंकाशायरके चीथड़े। इस राजनीतिको स्वीकार करना गरीबोंके प्रति द्रोह है, आप इस द्रोहसे मुक्त हों। मैं मानता हूँ कि मै इससे मुक्त हो गया हूँ, इसीसे इस सरकारके विरुद्ध शान्तिपूर्ण ढंगसे युद्ध करनेके लिए तत्पर हूँ। इसका आरम्भ मैं नमक कानूनको तोड़कर करते जा रहा हूँ। इसीके लिए मैं यह कूच कर रहा हूँ। इसीके लिए प्रत्येक स्थानसे हजारों स्त्री-पुरुषोंने आशीर्वाद दिया है। यह आशीर्वाद उन्होंने मुझे नहीं दिया, इस युद्धको दिया है।

अब हमारा धैर्य खत्म हो गया है। हमें इस राज्यके जुएमें से निकल जाना चाहिए और स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए जो कष्ट उठाने पड़ें, उन्हें उठानेके लिए हम तैयार हैं। इस स्वराज्यको प्राप्त करना हमारा धर्म है — अधिकार है।

राजद्रोहके धर्म बन जानेके कारण मैं इस युद्धको धर्मयुद्ध मानता हूँ। इस शासन-तन्त्रके नाशकी प्रतिक्षण कामना करता हूँ। लेकिन शासकोंका बाल भी बाँका करनेकी मनमें इच्छा नहीं होती। लेकिन उन्हें सलाम तो नहीं ही करेंगे। कृपा करके अब आप लोग अपने कर्त्तव्यको पहचानें और हिन्दके प्रति आपने जो पाप किये हैं उन्हें धो डालें। आज तो हम नमक कानून भंग करते हैं, लेकिन कल अन्य कानूनोंके प्रति भी हमें ऐसा ही रुख अपनाना होगा; उन्हें कूड़ा समझकर उनका निरादर करना होगा। ऐसा करके हम असहयोगको इतना सशक्त बना डालेंगे कि फिर ब्रिटिश सरकारके लिए राज्य चलाना ही असम्भव हो जायेगा। राज्य चलानेके लिए वह भले ही गोलाबारी करे, जेल भेजे हमें फाँसीपर लटकाये, लेकिन ऐसा वह कितनोंके साथ कर सकेगी? तीस करोड़ व्यक्तियोंको फाँसी देनेके लिए एक लाख गोरोंको कितना समय लगेगा, इसका हिसाब आप लोग ही करें।

लेकिन गोरे ऐसे क्रूर नहीं हैं। वे भी हम-जैसे लोग ही हैं; और जैसा ये लोग कर रहे हैं यदि हम लोग भी इनकी स्थितिमें होते तो सम्भवतः ऐसा ही करते। मनुष्यमें परिस्थितिके विरुद्ध जानेकी शक्ति नहीं होती; परिस्थिति ही उसके आचरण उसके व्यवहारको अपने अनुरूप ढाल लेती है। इसलिए मैं उन्हें दोषी नहीं मानता। लेकिन उनकी राजनीति मुझे इतनी कड़वी लगती है कि यदि उसका नाश आज हो सकता हो तो मै आज ही वैसा कर डालूँ। यदि वे लोग मुझे जेलसे बाहर रखेंगे तो भी इस राजनीतिका नाश होगा और यदि वे मुझे गिरफ्तार कर जेलमें डाल देंगे तो भी इस राजनीतिका नाश होगा। मै आपके सामने श्वास ले रहा हूँ और श्वास-प्रश्वासमें इसी एक वस्तुकी कामना कर रहा हूँ। मुझे इस बातका पूरा विश्वास है कि इस कामनामें तनिक-सी भी मलिनता नहीं है। मै जैसा मानता हूँ वैसा ही व्यवहार करता हूँ।

मैंने जिन-जिन शिकायतोंको ईश्वरके सम्मुख रखा है और जिनकी मैंने वाइस-रायको लिखे अपने पत्रमें चर्चा की है उनका वे कोई भी उत्तर नहीं दे सके हैं।

कोई भी यह नही कहता कि नमक कानून औचित्यपूर्ण है। न कोई यह कहता है कि सेना और प्रशासनपर होनेवाला खर्च सही है। महसूल वसूल करनेकी नीतिको भी कोई उचित नही बताता। लोगोंको शराबी और अफीमची बनाकर उनके घरोको तबाह कर उनसे बीस-पच्चीस करोड़ रुपया इकट्ठा करनेको समुचित कोई नही कहता। विदेशी लोग और स्वयं अंग्रेज अधिकारी इस बातको स्वीकार करते है कि ये बातें सच हैं। लेकिन करें तो क्या करें? पैसा चाहिए। किसलिए चाहिए? जनताको दबानेके लिए।

अभी हालमें सरकारने सिपाहीके पदसे ऊपरके सब पुलिस-अधिकारियोंको नमक कानूनसे सम्बन्धित अधिकारी बना दिया है। यह अधिकार पा जानेके कारण पुलिसका कोई भी व्यक्ति मुझे पकड सकता है और मुझपर मनमाना अत्याचार कर सकता है और यदि वह ऐसा नही करता तो वह कायरताका अपराध करता है। सरकारके किसी अन्य कानूनमें कायरता नामक कोई अपराध नही है; यहाँ वह है। जो सिपाही हमें नमक बनाते देखे, खारे पानीका लोटा गरम करते देखे वह हमें पकड सकता है, लोटा छीन सकता है और पानी गिरा सकता है। नमक फेंकनेसे उसका क्या जाता है? कपड़वंजके पास लसूद्रामें नमककी एक खान है; उसे मिट्टीसे पूर दिया गया है। यह सब क्या है? यह कैसा अन्याय है? इस अत्याचार और राक्षसी नीतिके विरुद्ध खड़ा होना धर्म है।

आपने जो थैली दी है उसके लिए यदि मुझे आपका एहसान मानना चाहिए तो समझ लीजिए कि मैं एहसान मान रहा हूँ। लेकिन पैसेसे मेरा पेट भरनेवाला नही है। मेरी इच्छा है कि आप सब बहन-भाई इस यज्ञमें अपना नाम लिखा लें। इस हाईस्कूलमें १५ वर्षसे ऊपरके विद्यार्थी और शिक्षक अपना नाम लिखायेंगे, ऐसी मुझे आशा है। जहाँ-जहाँ विप्लव हुआ है वहाँ-वहाँ अर्थात् जापान, चीन, मिस्र, इटली, आयरलैंड और इंग्लैंडमें विद्यार्थियों और शिक्षकोंने मुख्य रूपसे भाग लिया है। यूरोप में १९१४ में ४ अगस्तसे महायुद्ध आरम्भ हुआ था और मैं छः तारीखको वहाँ पहुँचा था। वहाँ मैंने देखा कि विद्यार्थी कालेजोका त्याग करके हथियार लेकर निकल पड़े है।

यहाँके धर्मयुद्धमें तो अहिंसा, सत्य और क्षमा हथियार है। ऐसे हथियारोंका उपयोग करना तो अच्छा ही होगा और ऐसे युद्धमें भाग लेना प्रत्येक विद्यार्थी और शिक्षकका धर्म है। परतन्त्रतासे मुक्त होनेके लिए जिस समय अन्तिम युद्ध छिडा हुआ हो उस समय जो विद्यार्थी अथवा शिक्षक घरोमें अथवा स्कूलोमें बैठे रहेंगे उनके बारेमें यह माना जायेगा कि वे देशके प्रति द्रोह कर रहे हैं। जिस समय सरदार-जैसे लोग जेलमें हो उस समय क्या आप लोग कविता रटने अथवा हिसाब निकालनेमें लगे रहेंगे। जिस तरह जब घरमें आग लग जाती है तो और सारे लोग उसे बुझाने दौड़ पडते है उसी तरह हिन्दके दुःखोंको, उसकी ज्वालाको शमन करनेके लिए आप सब लोग भी निकल पडें।

जो लोग कहते है, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि सब जातियाँ एक नही हुई हैं, वे झूठ बोलते है। यह नमक कर तो सबपर समान रूपसे लागू है।

हिन्दुओंसे कर लिया जाता रहे और मुसलमान यदि अपनेको इस करसे मुक्त करवा सकते हों तो वे ऐसा जरूर करें। यदि कोई अपनेको इस तरह बचा सकता है तो मुझे अपना धर्म बदलना पड़ेगा। मैं तो साष्टांग प्रणाम करके भी यदि यह नमक कर खत्म करवा सकता होऊँ तो वैसा करनेके लिए तैयार हूँ। जिस करसे भैंस और गाय भी नहीं छूट सकती उस करको खत्म करवानेके लिए सब लोग कैसे एक नहीं होंगे?

करोड़ोंके दुःखोंको दूर करनेके लिए मेरा साष्टांग नमस्कार काम नहीं आया। प्रार्थनापत्र लिखनेमें मैंने कोई कसर उठा न रखी। मुझे विनयपूर्ण भाषाका प्रयोग करना आता है, ऐसा सब कोई जानते हैं। लेकिन जब विनय और परामर्शसे कोई काम न बना तब मुझे विद्रोह करना पड़ गया। मैं लोगोंके समक्ष अपने-आपको विद्रोही कहलाकर शान्ति प्राप्त करता हूँ और ऐसा करके मैं कुछ सीमातक धर्मका पालन करता हूँ। शान्त, सौम्य और सत्यरूप इस विद्रोहमें आप-सब लोग, चाहे आप किसी जाति अथवा धर्मके क्यों न हों, मेरे साथ नाम लिखवायें। यदि आप सच्चे हृदयसे इसमें शामिल होंगे और साहसपूर्वक इसमें बने रहेंगे तो समझिए कि यह नमक-कर गया, यह राजनीति गई और वाइसरायको लिखे पत्रमें लिखित और अलिखित सब दुःख दूर हो गये; बादमें जब नई राजनीतिकी रचना की जायेगी उस समय साम्प्रदायिक झगड़ोंको निबटाने तथा सबको सन्तोष प्रदान करनेका समय आयेगा।

मैं ईश्वरके नामपर आप सबका आह्वान करता हूँ। इस युद्धमें तो अंग्रेज लोग भी भाग लेंगे। एक अन्यायको छिपानेके लिए क्या वे अनेक अन्याय करेंगे? और निर्दोष व्यक्तियोंको जेलमें डालेंगे, चाबुक मारेंगे, अथवा फाँसी पर चढ़ायेंगे?

ईश्वर कभी भी असत्यरूप, अन्यायरूप नहीं हो सकता। यह उतना ही सच है जितना कि मेरा इस समय आपके सम्मुख बोलना और यह जितना सच है उतना ही मुझे स्पष्ट रूपसे दिखाई देता है कि इस राजनीतिका अन्तिम समय आ गया है। पूर्ण स्वतन्त्रताकी झाँकी दिखाई दे रही है, स्वतन्त्रता देवी आह्वान कर रही है और हमें वरमाला पहनाना चाहती है। ऐसे समयमें यदि हम उससे मुँह चुराते फिरें तो हम-जैसा अपात्र और कौन होगा?

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २३-३-१९३०

१००. पत्र: जवाहरलाल नेहरूको

रास
१९ मार्च, १९३०

प्रिय जवाहरलाल,

तुमको पूरी एक रातका जागरण करना पड़ेगा, लेकिन यदि कल रातसे पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नही जा सकता। मै उस समय जहाँ भी रहूँगा सन्देशवाहक तुमको वहाँ तक ले आयेगा। इस प्रयाणकी कठिनतम घडीमें तुम मुझसे मिल रहो हो। तुमको रातके लगभग दो बजे जाने-परखे मछुओंके कधो पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मै राष्ट्रके प्रमुख सेवकके लिए भी प्रयाणमें किंचिन्मात्र विराम नही दे सकता।

सस्नेह,

बापू

[पुनश्च:]

यह वही स्थान है जहाँ वल्लभभाई गिरफ्तार किये गये थे। इस गाँवके सभी पुराने पुश्तैनी मुखिया, पटेल आदि अपने त्याग-पत्र मुझे सौंपकर अभी-अभी गये है।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू कागजात, १९३०।
सौजन्य: नेहरू स्मारक सग्रहालय व पुस्तकालय

१०१. भाषण: रासमें

१९ मार्च, १९३०

आज हमने उस ताल्लुकेमें प्रवेश किया है जिसमें वल्लभभाईको पकड़ा गया था, जिसमें उन्हें कैदकी सजा हुई थी और जिस ताल्लुकेमें १९२४ में सरदारने ऐसा भीषण युद्ध चलाया था कि अन्तमें सरकारको अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी थी। इस तरह जो न्याय बिना किसी लडाई अथवा युद्धके मिलना चाहिए था वह न्याय प्राप्त हुआ। कौन जानता है, सरदारने आपकी जो सेवा की थी, यह सजा उन्हें उसके पुरस्कारस्वरूप ही न मिली हो।

अब प्रश्न यह है कि जिस बातके लिए उन्हें सजा दी गई उसके लिए आप क्या करेंगे तथा मुझे क्या करना चाहिए?

कुछ मुखियाओं और मतादारोंने त्यागपत्र दिये है, उसके लिए मै उन्हें बधाई देता हूँ। लेकिन अभी ऐसे कितने ही लोग पड़े है जो अपने इस कामको नहीं छोड़ पाते। वेतनके लिए मुखिया बना हुआ हो, ऐसा एक भी व्यक्ति मेरे देखनेमें नहीं आया। लोगों पर अत्याचार करने अथवा यों कहिए, सरकार लोगों पर जो अत्याचार करती है उसमें भाग लेनेका मुखियाको अधिकार मिलता है। इस अधिकारसे उनके तुच्छ स्वार्थका परितोष होता है अथवा इससे उन्हें अपने काममें आसानी होती है और इन्हीं अनुचित कारणोंके लोभसे ये लोग अपने पदोंसे चिपके रहते हैं। लेकिन अब आप लोग कबतक गाँवोको चूसनेमें अपना योगदान देते रहेंगे?

सरकारने जो लूट मचा रखी है उसकी ओरसे क्या अभीतक आपकी आँखें खुली नहीं है?

गाँवोंमें सरकारके प्रतिनिधि मुखिया, तलाटी और रावणिया लोग है और इनके द्वारा सरकार अपना राज्य चलाती है। किसी गाँवका मुट्ठी-भर लोगोंसे डर जाना और पसन्द न होते हुए भी कुछ काम करते चले जाना न तो उसके लिए शोभनीय है और न तलाटी, रावणिया और मुखिया लोगोंके लिए ही। इस अत्याचारको बन्द करवानेके लिए सरदार जी-जानसे लगे हुए थे।

सरदारने न तो कोई भाषण दिया था और न वे यहाँ किसी किस्मका उत्पात ही करने आये थे। ऐसा कोई उत्पात होगा, यह बात न तो मजिस्ट्रेटके मनमें थी और न आप लोगोंके मनमें। जिस कार्यके लिए सरदार आपके पास आये थे वह किसीसे छिपा नही था। सत्याग्रहीके पास छिपाने योग्य कोई बात होती ही नहीं है। सत्याग्रही कैसे उठता, बैठता, खाता, पीता और विचार करता है, यह सब एक बालक भी देख सकता है। एक बालकतक सत्याग्रहीके हिसाबकी जाँच भी कर सकता है। ऐसे सरदारके पास छिपा हुआ क्या हो सकता था? सरदार मेरा रास्ता साफ करने आये थे। वे नमकका सन्देश देने नहीं आये थे। हम दोनोंने परस्पर यह योजना बनाई थी कि नमक कानूनका-भंग मेरे द्वारा और मैं जिन लोगोंको साथ ले जाऊँ उन लोगों द्वारा किया जाये। मेरे साथ आये हुए लोगोमें से बहुतोंको आप जानते नहीं। ये सब सरदारके सेवक है। सरदारने क्या अपराध किया है, सो मै समझ नही सका। मजिस्ट्रेटको भी मालूम नहीं था। सरदार-जैसे व्यक्तिको तीन मासकी सजा दी जाये, यह सरदार और सरकार दोनोंके लिए लज्जाकी बात है। उन-जैसे व्यक्तिको तो सात वर्षकी सजा अथवा देशनिकाला दिया जाना चाहिए। सरकार मुझे तीन मासकी सजा दे तो यह उसे शोभा नहीं देगा। मुझ-जैसोंको तो आजीवन कैद अथवा फाँसीकी सजा ही हो सकती है। मेरा अपराध राजद्रोह है। इस राज्यसे द्रोह करना मेरा धर्म है और मैं इस धर्मकी शिक्षा जनताको दे रहा हूँ। जिस राज्यमें अत्याचारकी परम्परा हो, जिस राज्यमें गरीब और अमीर दोनोंसे समान रूपसे नमक कर लिया जाता हो, जिस राज्यमें दरबान, पुलिस और सेनाके पीछे लाखों रुपया नष्ट किया जाता हो, जिस राज्यमें सबसे बड़ा अधिकारी जनताकी आयसे पाँच हजार गुनी तनख्वाह लेता हो, जिस राज्यमें शराब

और अफीमसे २५ करोड़ रुपये प्राप्त किये जाते हो और ६० करोड़ रुपयेका कपड़ा विदेशसे आता हो और जहाँ करोड़ों व्यक्ति बेकार रहते हों ऐसे राज्यका नाश करना, उससे द्रोह करना और प्रतिक्षण इस भावसे प्रार्थना करना कि यह राजनीति जल जाये, नष्ट हो जाये – धर्म है।

एक बार ऐसे राजद्रोहके अपराधमें मुझे ६ वर्षकी सजा हुई थी, लेकिन मेरे और सरकारके दुर्भाग्यसे मुझे रोग हो गया और अब मुझे बन्द नही रखा जा सकता, ऐसा महसूस होनेपर मुझे रिहाई देनी पड़ी। अब फिर बादल घिर आये हैं, अथवा चाहो तो कहो उचित अवसर प्रस्तुत हो गया है। यदि सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे तीन माहकी जेल होगी तो सरकारको लज्जा आयेगी। राजद्रोहीको तो कालेपानी, देशनिकाले अथवा फाँसीकी सजा हो सकती है। मुझ-जैसे लोग यदि राजद्रोही होना अपना धर्म मानें तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए ?

सरकारने सोचा होगा कि सरदारको तीन माहकी सजा देनेसे लोग डर जायेंगे। लेकिन आप जो हजारोंकी संख्यामें यहाँ उपस्थित हुए है सो ऐसा लगता है मानो आप किसी उत्सवमें आये हुए हैं। मुझे और मेरे साथियोंको यदि सरकार पकड ले जाये तो आप उत्सव ही मनायें। लेकिन क्या इतना करके ही आप बैठ जायेंगे ? मुखिया और मतादार क्या वैसे ही अपने पदोसे चिपके रहेगे जैसे मक्खी मैलेपर बैठती है ? यदि हाँ, तो यह दु.ख और शर्मकी बात है।

दरबार इस ताल्लुकेमें वर्षोंसे आकर बस गये हैं। दरबार कौन है ? ये अपना राजपाट – भले ही वह एक छोटे-से गाँवका हो – छोड़कर आये है। इन्हें साहबीकी, ऐशो-आरामकी जिन्दगी नही चाहिए, इन्हें तो सेवाकी जरूरत है। इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। ऐसे ताल्लुकेके मुखिया यदि अपना पद नही त्यागते तो कैसे काम चलेगा ? आपने आज मुझे जो रकम दी है उसकी मेरे लिए कोई कीमत नही है। पिछली बार जब एक करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया था तब उसकी जरूरत थी। वह करोड़ रुपया अपनी कीमतसे करोड़ गुना अधिक काममें आया। लेकिन आज पैसोंकी नही, आपकी जरूरत है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक भाई-बहन अपना नाम लिखवाय। आप मुझे यह आश्वासन दें कि जब नमक कानून भंग करनेका समय आयेगा तब हम तैयार रहेंगे। इस धर्मयुद्धमें स्त्रियाँ भी भाग ले सकती है; और अनेक स्त्रियोंने अपने नाम दर्ज भी कराये हैं।

इस धर्मयुद्धसे किसीका बाल भी बाँका नहीं होनेवाला है। हम स्वयं कष्ट सहन कर सरकारको पदार्थ-पाठ पढ़ायेंगे और अपने प्रति संसारके लोगोंमें सहानुभूतिका भाव जगायेंगे और अन्ततः शासकोका हृदय-परिवर्तन करवायेंगे। लेकिन आज तो सरकार न्याय करनेके बदले अत्याचार करनेको तत्पर हो गई है।

कलकत्ताके महापौर श्री सेन गुप्त-जैसे व्यक्तिको, जिन्हें सारा बंगाल जानता है, बर्माकी जेलमें ले जाया गया है। सरकारने उन लोगोको गिरफ्तार करनेकी नीति ग्रहण की है जो गुनहगार नही है। ऐसे समयमें जब जनता बिलख उठी हो और स्थान-स्थानपर हजारो व्यक्तियोके हृदयसे हाय निकल रही हो उस समय सरकारको

नमक कर-जैसा कर दूर कर देना चाहिए और जनताके अन्य कष्टोंका निवारण भी कर देना चाहिए। लेकिन यह बात सरकारके मनको नहीं जँचेगी। जनताका करोड़ों रुपया जनताके पास रहे, यह सरकारको अच्छा नहीं लगता। इस रुपयेको इंग्लैंड ले जानेके लिए ही सरकार इतना आतंक फैलाये हुए है। इस आतंकसे छुटकारा पानेके लिए प्रथम उपायके रूपमें हमें नमक करको दूर करवाना है। नमक कर-सम्बन्धी कानूनको हम यहाँतक भंग करेंगे कि इसके लिए सरकार हमें चाहे जेलमें डाल दे, चाहे चाबुक मारे अथवा और जो-कुछ करना चाहे करे, हम सब-कुछ सहन करनेको तैयार रहेंगे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २३-३-१९३०

१०२. पत्र : नारणदास गांधीको

दांडी कूचके दौरान
बुधवार १०-३० बजे [१९ मार्च, १९३०][1]

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। यदि ये नवयुवक इतना आग्रह करते हैं तो मेरा खयाल है, उन्हें ले लेना चाहिए। मेरे सामने तो उन्होंने पश्चात्ताप प्रकट किया था। मैंने उन्हें सिफारिशी चिट्ठी देनेसे इसलिए इनकार कर दिया था ताकि तुम्हें वहाँ जो ठीक लगे वैसा निर्णय ले सको। अब भी ऐसा ही समझना। तुम्हें जो उचित लगे वही करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०९३) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

१०३. टिप्पणियाँ

नमक-कर

चौबीस परगना जिलेमें गैरकानूनी तौर पर नमक बनानेके अपराधमें अलीपुरके सब डिविजनल अफसरने भांगोर और मातला गाँवोंके १५ आदमियों को आठ-आठ आने जुर्मानेकी सजा दी है। उन लोगोंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अपने-आपको अदालतकी दया पर छोड़ते हुए निवेदन किया कि हम इतने गरीब हैं कि नमक मोल नहीं ले सकते और अपने खानेके लिए ही नमक बना रहे थे।

१. देखिए "पत्र : नारणदास गांधीको", १६-३-१९३०।

यह समयोचित खबर समाचारपत्रोसे ली गई है। गरीबोंके लिए आठ आनेका जुर्माना कोई दिल्लगी नही है। मजिस्ट्रेट इन आदमियोंको चेतावनी देकर भी छोड़ सकता था, अथवा जैसा पहले कई मजिस्ट्रेटोने किया है, अगर वह समझता कि सजा तो देनी ही है तो जुर्माना अपनी जेबसे चुका सकता था। हाँ, यह सम्भव है कि उस दशामें नमक अधिनियमके अनुसार उस पर कायरताका अभियोग लगाया जाता। कुछ भी हो, तीन बातें स्पष्ट है। पहली यह कि इन लोगोने 'अपने-आपको अदालतकी दया पर छोड़ दिया', दूसरी यह कि उनका कहना था कि 'हम इतने गरीब हैं कि नमक मोल नहीं ले सकते' और तीसरी यह कि मजिस्ट्रेटने उनकी दलीलको नही माना। ये तीनो बातें सविनय अवज्ञाकी लड़ाई छेड़नेके पक्षमें प्रबल प्रमाण है। इससे नरम आन्दोलनसे काम चल ही नही सकता था। इसके अलावा नमक-कर तो जनताके दु:खोके अम्बारमें से एक बानगी-मात्र है। भारतको इन दु:खोंसे मुक्त करनेके लिए एड़ी-चोटीकी ताकत लगा देना ऐसे प्रत्येक भारतीयका कर्त्तव्य है, जो जानता है कि देश पर कैसे अन्याय हो रहे है।

इसे कैसे तोड़ें

एक भाई लिखते हैं कि पुर्तगाल-अधिकृत भारतमें नमक-कर नही लिया जाता; दमण पार्डी के पास ही है; दमणमें नमक दो आने मनके हिसाबसे बिकता है; और दमणसे चाहे जितना नमक ले आ सकते है और ब्रिटिश भारतकी सीमामें आने पर महसूल देनेसे इनकार कर सकते हैं। इसी तरहका सुझाव काठियावाड़से भी आया है। वहाँ भी कर नहीं लगता। राज्यका ठेका जरूर है, जिसके कारण नमक लागत दामसे महँगा पड़ता है। फिर भी, अंग्रेजी इलाकेसे बहुत सस्ता है। उदाहरणार्थ, मुझे मालूम हुआ है कि रणपुरमें एक कच्चा मन नमकका दाम १ रुपया ४ आने है, जबकि रणपुरके बाहर इतने ही नमकका शायद १० आनेसे अधिक नही लगता। जो हो, जब सर्वसाधारणको सविनय अवज्ञा करनेकी हिदायत दी जायेगी, उस समय नमक-कानूनको तोड़ना बेशक सबसे आसान होगा।

स्वभावत: सरकार भी अपने जाने-माने तरीकेसे सविनय अवज्ञा करनेवालोंका मुकाबला करनेकी तैयारी कर रही है। सिन्ध और अदनके सिवा पूरे बम्बई प्रान्तमें सिपाहीसे ऊपरका प्रत्येक पुलिस कर्मचारी नमकके महकमेका अफसर बना दिया गया है। और यह आशा तो की ही जा सकती है कि नये अधिकार पाकर ये सज्जन अपनी पूरी कारगुजारी दिखायेंगे। जब निरपराधोके खूनसे इनके हाथ रँग जायेंगे, तब जरूर सदाकी भाँति जाँच होगी और उसके बाद नमक कानून रद्द कर दिया जायेगा। लेकिन इस बार सविनय अवज्ञाका दोहरा उद्देश्य है—एक तो नमक-कर रद्द करवाना और दूसरे, अंग्रेजोकी गुलामी मिटाना, क्योकि नमक-कर तो उसीका एक परिणाम है। नमक कानूनकी जाँच करके उसे रद्द कर देनेसे सविनय अवज्ञा बन्द नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग नमक-करको रद्द कराना चाहते है, उन सबका कर्त्तव्य है कि वे कमसे-कम उस हद तक तो इस आन्दोलनमें अवश्य शामिल हो जायें। हाँ, यदि वे कष्ट-विशेषको मिटानेके लिए सविनय अवज्ञाको सफल बनानेके बजाय इस करको रखनेके पक्षमें हों तो बात दूसरी है।

घटाया नहीं, बढ़ाया है

कहा गया है कि अब मैं अपनी पहली प्रिय चीजको छोड़ चुका हूँ और हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता-निवारण और खद्दरको स्वराज्य-प्राप्तिकी शर्तोंके रूपमें त्याग चुका हूँ। यह एक दुष्टतापूर्ण बात है। सचाई यह है कि मैंने छोड़ा कुछ भी नही है; उलटे कई नई बातें जोड़ी हैं। इसीलिए मैंने हालमें भारतीय पक्षको जिस प्रकार प्रस्तुत किया है उसे 'नई दिशा' कहा है। पुरानी शर्तोंको पूरा किये बिना स्वराज्य असम्भव है। इसी प्रकार कुछ और शर्तें भी पूरी न होंगी तो स्वराज्य न मिलेगा। सम्भव था, संविधान बनानेके समय इन शर्तों को लोग बिलकुल ही भूल जाते। परन्तु यदि स्वराज्यकी कल्पनामें सर्वसाधारणके हितोंका समावेश होता है, तो अब ये शर्तें उसकी किसी भी योजनाका अविभाज्य अंग बन गई है। साथ ही, ये विविध शर्तें भले ही सम्पूर्णतः पूरी हो जायें, तो भी सविनय अवज्ञा तो की ही जा रही है, क्योंकि सशस्त्र विद्रोहका स्थानापन्न होनेके कारण सविनय अवज्ञा बृहत् रचनात्मक कार्यक्रमके साथ-साथ उसी प्रकार जारी रह सकती है जिस प्रकार कोई सशस्त्र आदमी लड़ता रहे और साथ-साथ साधारण प्रजाजन अपने दूसरे राष्ट्रीय कामोंमें लगे रहें। अलबत्ता, उस योद्धाके कार्यको बल प्रदान करनेके लिए जिन कामोंको बन्द करना आवश्यक हो सकता है, उन्हें वे कुछ समय बन्द रखेंगे। स्वराज्यकी शर्तोंमें से एककी भी उपेक्षा होने या किसी शर्तके त्याग दिये जानेका कोई खतरा नही है, क्योंकि जो लोग सविनय अवज्ञा कर रहे हैं वे तो इन शर्तोंसे हर हालतमें बँधे ही हुए है। इसलिए प्रश्न यह है कि सविनय अवज्ञाका मार्गदर्शन किन लोगोंके हाथोमें है? अगर वे ऐसे शुद्ध राष्ट्रवादी लोग है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी भी रूपमें, साम्प्रदायिकताको नही बढ़ा रहे हैं, तब तो सब-कुछ ठीक ही समझना चाहिए। सविनय अवज्ञा वह साधन है, जिससे देशमें अपने निश्चित ध्येयतक पहुँचनेकी शक्ति पैदा होगी।

दीनबन्धु एन्ड्रचूज

पाठक जानते हैं कि सी० एफ० एन्ड्रयूज मुझसे पहलेके स्वाधीनतावादी हैं। मैं तो इसी विश्वाससे चिपटा हुआ था कि औपनिवेशिक स्वराज्य स्वाधीनतासे बढ़िया चीज है। परन्तु दीनबन्धु अपने इंग्लैंडको मुझसे अधिक अच्छी तरह जानते थे। अपनी साल-गिरहपर हालमें ही उन्होंने मुझे जो पत्र भेजा है, उसमें वे लिखते हैं:

> मैं कैसे बताऊँ कि मुझे आपकी कितनी याद आती रहती है। ऐसे अवसरों पर मुझे यही अनुभव हुआ है कि विचार प्रार्थनाका काम देते हैं। सबसे महान् संग्राम शुरू हो गया है और जैसा मेरा सदासे विश्वास रहा है, भारतने अपना दावा स्वाधीनतासे कम न रखकर उचित काम किया है। वह किसी साम्राज्यका अंग बनकर रह ही नहीं सकता। यह कल्पनातीत बात है।

स्पष्ट ही, इस पत्रका भाव यह है कि औपनिवेशिक स्वराज्यभोगी भारत साम्राज्यका अंग होकर ही रह सकता है; उस स्थितिमें वह राष्ट्रोंके संघमें बराबरीका

सदस्य होकर नहीं रह सकेगा। यह बात जरूर है कि जब मैं औपनिवेशिक स्वराज्य-की बात कहता था तब मेरी कल्पना तो बराबरीके हिस्सेदारकी ही थी। इसलिए कलकत्ताके निश्चयकी बात अलग रखें तो भी जब सन् १९२९के अनुभवने यह सिद्ध कर दिया कि बराबरकी हिस्सेदारीकी बात ही नहीं हो सकती तब मैं दिलसे पूर्ण स्वाधीनतावादी बन गया।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २०-३-१९३०

१०४. विद्यार्थी क्या पसन्द करेंगे?

कई बार कहा गया है कि साधारणतः राष्ट्रीय शिक्षा और खासकर गुजरात विद्यापीठपर जो रुपया खर्च किया गया है वह व्यर्थ गया है। मेरी रायमें गुजरात विद्यापीठके विषयमें कमसे-कम कहा जाये तो कहना होगा कि उसने अपने महान् त्यागसे अपने अस्तित्वको सफल सिद्ध किया है और अपने संस्थापकों तथा अनुदान-दाताओंकी आशाएँ पूरी कर दी है। कारण, १६ वर्षसे कम उम्रके जो लड़के पहलेसे विद्यापीठमें तालीम पा रहे हैं, उनकी शिक्षाके सिवा बाकी लिखाई-पढाईका सब काम फिलहाल बन्द कर दिया गया है। शिक्षकों और १५ सालसे अधिक आयुके विद्यार्थियोंने यह प्रस्ताव रखा है कि वे सब स्वयसेवक बननेके लिए तैयार हैं। लगभग ४० छात्र और उनके शिक्षक तो कार्यक्षेत्रमें आ भी गये हैं। जिन्हें ऐसी शिक्षाकी जरूरत है, उनके लिए १५ दिनकी सत्याग्रह-सम्बन्धी शिक्षा देनेके लिए एक कक्षा खोल दी गई है। जिस स्फूर्तिके साथ इन विद्यार्थियो और शिक्षकोने यह काम किया है, उसपर मैं उन्हे बधाई देता हूँ। मै यह भी बता दूं कि इन लोगोमें से बीस तो मेरे साथ कूचपर है। इनकी दो टुकड़ियां हैं, जो ८० यात्रियोंके आगे-आगे चलती है और पहलेसे सब तैयारी रखने और गांववालोंको मदद देनेका काम करती हैं। उन्हें आज्ञा यह है कि जबतक ये अस्सी पकड़े न जायें तबतक वे सविनय अवज्ञा न करें, किन्तु इनके गिरफ्तार होते ही तुरन्त इनका स्थान ले लें।

मुझे विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्रीय शिक्षण-संस्था गुजरात विद्यापीठके इस भव्य कार्यका अनुकरण करेगी। १९२० में असहयोगके आह्वानपर सबसे पहले जन्म भी तो इसी विद्यापीठका हुआ था। मुझे आशा तो यह भी है कि सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूल भी विद्यापीठकी नकल करेंगे। आधुनिक समयकी प्रत्येक क्रान्तिमें छात्रोने आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। हमारी इस क्रान्तिके प्रति, केवल इसके शान्ति-मय होनेके कारण, विद्यार्थियोका आकर्षण कम नहीं होना चाहिए।

गुजरात विद्यापीठका ध्येय-वाक्य 'सा विद्या या विमुक्तये' है। इसका अर्थ यह है कि सच्ची विद्या वही है जो मुक्तिकी ओर ले जाती हो। और अगर यह उसूल ठीक है कि बड़ेमें छोटा शामिल होता है, तो आध्यात्मिक मुक्तिमें राष्ट्रीय स्वाधीनता या भौतिक मुक्तिका भी समावेश होता है। इस कारण शिक्षण-संस्थाओंमें विद्यार्थी

जो विद्या प्राप्त करते ह, उसे कमसे-कम उन्हें स्वतन्त्रता-प्राप्तिका मार्ग तो दिखाना ही चाहिए और उस ओर ले भी जाना चाहिए।

सिर्फ ऊपरी तौरपर बातें देखनेवालेकी नजरमें भी यह बात आये बिना न रहेगी कि सत्याग्रही यात्रियोंका नित्यका कार्यक्रम ही एक सम्पूर्ण शिक्षा है। यह कोई मारकाट करनेवाले विद्रोहियोंका ऐसा दल नहीं है, जो जहाँ जाये वहीं बरबादी मचाये और क्रोधादि निम्न वृत्तियोंको खुल खेलनेकी छूट दे; यह टुकड़ी तो ऐसे संयमी पुरुषोंकी है, जिन्होंने संगठित जुल्मके खिलाफ अहिंसात्मक विद्रोह किया है। ये खुद घोर कष्ट सहकर उस जुल्मसे छुटकारा पाने निकले है, और जहाँ जाते हैं, वहाँ सत्य तथा अहिंसा द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करनेका सन्देश छोड़ते जाते हैं। देशकी मौजूदा हालतमें आखिर जिस सच्ची तालीमकी कल्पना की जा सकती है, उसके लिए अपने लड़के या लड़कीको न्योछावर कर देनेमें किसी पिताको जरा भी चिन्ता करनेकी जरूरत नही है।

१९२० के आह्वान और इस बारके आह्वानका भेद भी बता दूं। १९२० का आह्वान सरकारी संस्थाओंको खाली कराकर राष्ट्रीय संस्थाएँ स्थापित करनेके लिए था। वह पुकार लड़ाईकी तैयारीके लिए थी। आजकी पुकार अन्तिम संघर्षमें शामिल होने, अर्थात् जनता द्वारा सविनय अवज्ञा करनेके लिए है। यह अवज्ञा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यह उस हालतमें नहीं होगी जबकि आजतक आजादीके लिए खूब जोरसे चिल्लाते रहनेवाले लोगोंमें कर्मशीलता न होगी। अगर नमक ही अपना खारापन खो दे तो उसे और कौन-सी चीज नमकीन बना सकती है? विद्यार्थियोंसे आशा की जाती है कि वे आखिरी हालत जल्दीसे-जल्दी पैदा करें। परन्तु यह थोथे और बेमानी नारोंसे न आयेगी, बल्कि विद्यार्थियोंके लिए शोभनीय मूक भावसे और गरिमापूर्ण ढंगसे किये गये ऐसे कार्योंसे आयेगी जिनके औचित्य पर कोई अँगुली न उठा सके। इसपर यह कहा जा सकता है कि विद्यार्थियोंका आत्मत्यागमें विश्वास नहीं है और अहिंसामें तो और भी नहीं। यदि बात ऐसी हो तब तो स्वभावतः वे मैदानमें न आयेंगे और न उनके आनेकी जरूरत ही है। उस हालतमें उनके लिए भी यही योग्य होगा कि वे उन क्रान्तिकारियोंकी तरह, जिनका पत्र अन्यत्र उद्धृत किया जा रहा है, प्रतीक्षा करें और देखें कि सक्रिय अहिंसा क्या-कुछ कर सकती है। उनके लिए वीरोचित बात तो यह होगी कि वे जी-जानसे इस अहिंसात्मक विद्रोहमें शामिल हो जायें या तटस्थ रहें। या यदि वे चाहें तो घटना-चक्रको समालोचककी दृष्टिसे देखते रहें। यदि वे अपनी मनमानी करेंगे अथवा इस आन्दोलनके सूत्रधारोंकी योजनाके साँचेमें ढले बिना या उस योजनाके विरुद्ध कोई काम करेंगे तो उससे इसके मार्गमें बाधा पड़ेगी और वे इसे नुकसान पहुँचायेंगे। हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि अगर सविनय अवज्ञाको इस समय पूरी तरह काममें न लाया गया तो फिर आगे एक पीढ़ी तक उसे काममें नहीं लाया जा सकेगा। विद्यार्थियोंके सामने रास्ते साफ है। वे जिसे चाहें पसन्द कर लें। पिछले दस वर्षोंकी जागृतिसे वे अछूते नहीं रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वे आखिरी गोता लगा कर देखें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-३-१९३०

१०५. सरकारकी क्षुद्रता

बर्मा सरकारको यह मालूम था कि कलकत्ता नगरनिगमके महापौर श्रीयुत सेनगुप्त पिछले दिनों बिना किसी खास उद्देश्यके बस कुछ समयके लिए रगून गये थे। फिर भी उनपर वारंट जारी करके मुकदमा चलानेके लिए उन्हें रगून ले जाया गया है। अगर पिछले अनुभवोके आधारपर देखें तो इस तरह बदलेकी भावनासे प्रेरित होकर चलाये गये मुकदमेका परिणाम उनको सजा दिया जाना ही होगा। इससे तो अनिवार्यतः यही निष्कर्ष निकलता है कि सरकारके उच्च अधिकारियोके बीच बड़े-बड़े लोगोको मैदानसे हटा देनेका अलिखित किन्तु सोचा-समझा षड्यन्त्र चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले सरदार पटेलपर हाथ डाला गया और अब श्रीयुत सेनगुप्तपर। कलको दूसरे नेताओपर डाला जायेगा। सरकारके सामने दमन करने या राहत देनेके अलावा और कोई रास्ता नही है। राहत देनेका तो सरकारका कोई इरादा है नही; सो दमन अवश्यम्भावी है। मगर दमन-चक्र जितनी तेजीसे और जितनी सख्तीसे चलाया जायेगा, आन्दोलनका उतना ही ज्यादा फायदा होगा; क्योंकि अगर इसमें सहज जीवनी-शक्ति है तो दमनके हर दौरके साथ यह बढ़ता ही जायेगा। इसलिए मैं श्रीयुत सेनगुप्तको उनकी गिरफ्तारीपर बधाई देता हूँ।

देखता हूँ, देशमें अहिंसा-धर्ममें दृढ विश्वास रखनेवालोंको विभिन्न प्रान्तोके अधिनायक नियुक्त करनेकी एक सहज प्रवृत्ति चल पड़ी है। श्रीयुत च० राजगोपालाचारी-को नियुक्त करके तमिलनाडने सबको रास्ता दिखाया है। उसका अनुगमन आन्ध्र देशने देशभक्त कोण्डा वेंकटप्पैयाको नियुक्त करके किया है। अब खबर आई है कि श्रीयुत सतीशचन्द्र दासगुप्तको बंगालका अधिनायक नियुक्त किया गया है। बंगालके बारेमें मैं कुछ चिन्तित हूँ; क्योंकि अखबारोमें छपी खबरोंसे यह बात साफ नही होती कि वे दोनो गुटोकी ओरसे नियुक्त किये गये है अथवा एक ही गुटकी ओरसे। आशा करता हूँ कि वे दोनो गुटोकी ओरसे नियुक्त किये गये होगे। आपसमें उनका कोई महत्त्वपूर्ण मतभेद हो तो हो। लेकिन, हमारे लक्ष्य और सविनय अवज्ञा-रूपी साधनके सम्बन्धमें तो उनमें कोई मतभेद नहीं हो सकता और चूँकि श्रीयुत सतीशचन्द्र दासगुप्त-को न कौंसिलमें जानेकी चाह है और न निगममें प्रवेश करनेकी इच्छा, इसलिए उन्हें दोनोको आपसमें जोड़ सकना चाहिए। दो महान् नेताओंकी गिरफ्तारीके बाद निश्चय ही बंगालके इन परस्पर-विरोधी गुटोंका कर्त्तव्य है कि वे साथ मिलकर सतीश बाबूकी मदद करे।

जो भी हो, अधिनायकका स्थान कोई फूलोंकी सेज तो है नही। खुद उसे भी किसी क्षण गिरफ्तार किया जा सकता है। वह इस पदको ग्रहण ही इसलिए करता है। लेकिन, उसे जनताका पूर्ण और सर्वसम्मत सहयोग तो मिलना ही चाहिए। एक बार जब किसीको इस पदपर प्रतिष्ठित कर दिया जाये तो फिर सबको उसके

प्रति वफादार होना चाहिए। लड़ाईके समय सभी विवादोंको समाप्त कर देना चाहिए। विवादका समय तो तब था जब नियुक्ति की जा रही थी।

मेरे खयालसे 'अधिनायक' शब्द कोई अच्छा चुनाव नहीं है और इससे कुछ ऐसी बू आती है जो ठीक नहीं है। मैं तो इसके स्थानपर 'प्रथम सेवक' शब्द रखना चाहूँगा। कर्त्तव्यकी ठीक परिभाषा इस पदको सही अर्थ देगी। चालू और देखनेमें इसी आन्दोलनके समान लगनेवाले अन्य आन्दोलनोंके कतिपय शब्दोंका प्रयोग तो अवश्यम्भावी है। फिर भी हमें, जिस आन्दोलनमें अधिनायकत्वका कोई स्थान ही नही है और वह असम्भव है, उस आन्दोलनमें ऐसे शब्दके प्रयोगसे बचना चाहिए जिससे उस अर्थ और शक्तिका बोध होता हो जिसका बोध 'अधिनायक' शब्दसे होता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-३-१९३०

१०६. यदि सच है तो अच्छा

उक्त पत्रको[1] मैं अविकल रूपमें छाप रहा हूँ। मैं 'कर्नल वेदी' को नहीं जानता। यदि वास्तवमें ऐसा कोई आदमी है और यह पत्र जाली नहीं है और यदि इस पत्रका आशय वही है जो इसमें कहा गया है तो मैं क्रान्तिकारी दलको उसके निश्चयपर बधाई देता हूँ। मुझे जो तीन सालका समय दिया गया है, वह काफी है। इस दलने जैसी परिस्थिति बनाये रखनेका वचन दिया है, यदि वैसी परिस्थितिमें तीन सालकी सक्रिय अहिंसाके बाद भी मैं लोगोंको अहिंसाकी क्षमतामें विश्वास करनेकी प्रेरणा न दे सका तो मैं अपने-आपको अहिंसाका अयोग्य प्रतिनिधि मानूंगा। इसलिए मुझे आशा है कि क्रान्तिकारी दल केवल अपनी गति-विधियोंको ही स्थगित नहीं रखेगा, बल्कि जहाँतक सम्भव हो वहाँतक छिट-पुट तौर पर होनेवाली हिंसात्मक घटनाओंको भी रोकेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-३-१९३०

१. "आर० एल० आर० की कार्यकारिणीके सदस्योंकी ओरसे समितिके मन्त्री कर्नल वेदी" द्वारा प्रेषित यह पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें कहा गया था कि क्रान्तिकारियोंने 'गांधीवादी' तरीकेसे स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिए ३ वर्षका समय देना तय किया है। इसके बाद वे स्वतन्त्रताके लिए युद्धकी घोषणा करेंगे।

१०७. स्वराज्य और रामराज्य

स्वराज्यके कितने ही अर्थ क्यो न किये जायें, मैं भी उसके कितने ही अर्थ क्यों न बताता रहा हूँ, तो भी मेरे नजदीक तो उसका त्रिकाल-सत्य एक ही अर्थ है, और वह है रामराज्य। यदि किसीको रामराज्य शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्मराज्य कहूँगा। रामराज्य शब्दका भावार्थ यह है कि उसमें गरीबोंकी सम्पूर्ण रक्षा होगी, सब कार्य धर्मपूर्वक किये जायेंगे और लोकमतका हमेशा आदर किया जायेगा। पर रामराज्यकी प्राप्तिके लिए सब लोगोंको हाथ बँटाना चाहिए। इस कामके लिए हमारे पास खादी ही एक सर्वव्यापक और रचनात्मक साधन है। लेकिन लोगोंकी शक्तिको बढ़ानेके लिए किसी दूसरी व्यापक वस्तुकी भी आवश्यकता थी। नमक-कर वह वस्तु है, और हम उसे पा चुके हैं। नमकका उपयोग तो गरीब और अमीर, दोनों, समान रूपसे करते हैं, और चूँकि इस सर्वोपयोगी, सबके लिए आवश्यक वस्तुपर कर लगाया गया है, हरएक मनुष्य नमक-कर के इस कानूनको सविनय भंग कर सकता है और यों अपनी शक्ति बढा सकता है। इस तरहके सविनय भंगसे जो शक्ति बढ़ेगी उसके शान्तिमय और शान्तिप्रद होनेके कारण, रामराज्य स्थापित करनेमें उससे हमें बड़ी मदद मिलेगी। नमक-कर के समान और भी अनेक कर हैं, जो जनताके लिए भार-रूप हैं और जिन्हें मिटानेका प्रयत्न करनेसे लोगोंको सच्ची शिक्षा मिल सकती है, उनकी शक्ति बढ़ सकती है। ऐसे साधनोंसे रामराज्यकी स्थापना आसान हो जायेगी। पूर्ण रामराज्य हमें कब मिलेगा, सो तो कोई नही कह सकता। परन्तु रात-दिन उसीकी रट लगाये रहना हम सबका धर्म है। और सच्चा चिन्तन तो वही है, जिसमें रामराज्यके लिए योग्य साधनका भी उपयोग किया गया हो। यह याद रहे कि रामराज्य स्थापित करनेके लिए हमें पाण्डित्यकी कोई आवश्यकता नही है। जिस गुणकी आवश्यकता है, वह तो सब वर्गोंके लोगों — स्त्री, पुरुष, बालक और बूढों — तथा सब धर्मोंके लोगोंमें आज भी मौजूद है। दुःख मात्र इतना ही है कि सब कोई अभी उसकी हस्तीको पहचानते नही हैं। क्या सत्य, अहिंसा, अनुशासन या मर्यादा-पालन, वीरता, क्षमा, धैर्य आदि गुणोंका हममें से हरएक व्यक्ति यदि वह चाहे तो आज ही परिचय नहीं दे सकता? बात यह है कि हम लोग मायाजालमें फँसे हुए हैं, और इसी कारण अपने पासकी चीजको पहचान नहीं रहे हैं, उलटे दूरकी चीजोंको पहचाननेका दावा करते हैं। निःसन्देह यह बड़े शोककी बात है।

पर तो भी 'हिन्दी नवजीवन' के पाठकोंसे मैं प्रार्थना करूँगा कि आज देशमें जो महायज्ञ आरम्भ हो चुका है, उसमें वे पूरी तरह हाथ बँटानेको तैयार रहें।

हिन्दी नवजीवन, २०-३-१९३०

१०८. भाषण : कारेलीमें

२० मार्च, १९३०

२,७५,००० की आवादीमें से ५,००० स्वयंसेवक प्राप्त करना कठिन नही होना चाहिए। यदि ४०० गाँवोंके समस्त सरकारी अधिकारी अपने पदोसे त्यागपत्र दे देते है तो हमें अपने उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए जेल जानेकी जरूरत नही होगी। लेकिन इसके लिए अभी परिस्थितियाँ अनुकूल नही है। हम मही नदीके मुहानेपर नमक बना सकते है। लेकिन नमक वनानेके लिए सरदार वल्लभभाईने मुझे जलालपुर जानेको कहा है। यदि मै और मेरे स्वयंसेवकोका दल पकड़ा जाता है तो प्रत्येक स्वयंसेवक नमक वनाना शुरू कर दे। वड़ौदा राज्यके लोग भी ब्रिटिश-शासित प्रदेशमें आकर नमक वना सकते है। इस वीच, सव लोगोंको खादीका उत्पादन बढ़ानेके कार्यमें और शराववन्दीमें जुट जाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

गुजराती, २३-३-१९३०

१०९. पत्र : गंगादेवी सनाढ्यको

कारेली

गुरुवार [२० मार्च, १९३०][1]

चि० गंगादेवी,

तुमारा खत मुझे मील गया था। शरीरकी रक्षा करो और जो-कुछ सेवा हो सके वह करो। दूध और फलको छोड़कर और कोई खोराक खानेका इरादा तक न कीया जाय भले डाक्टर लोग कुछ भी कहें।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २५३३ की फोटो-नकलसे।

१. तिथि कारेलीमें गांधीजीकी उपस्थितिके आधारपर निर्धारित की गई है।

११०. पत्र : अब्दुलकादिर बावजीरको

गजेरा
२१ मार्च, १९३०

भाई इमाम साहब,

मै आपको रोज याद तो करता हूँ। आपके प्रेमका कैसे वर्णन करूँ? आपने बहुत तरक्की की है, यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। आश्रम तो आपका है, उसके लिए मै आपको क्या सलाह दूँ? अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखें। कुरैशी अच्छा काम कर रहा है। मै देखता हूँ, सब उससे खुश रहते है।

बापूकी दुआ

गुजराती (जी० एन० ६६४५)की फोटो-नकलसे।

१११. पत्र : कुसुम देसाईको

२१ मार्च, १९३०

चि० कुसुम,

जो पत्र न लिखे वह मंत्राणी कैसी? मै महादेवसे इस समय कोई आशा नही करता। उन्हें समय नहीं मिलता। वे मन्त्री होते हुए भी आजकल मन्त्रीका काम नही करते। तो भी जो करते हैं वह मन्त्रीके कामसे बड़ा है। तूने तो मत्राणी होनेकी हद [भी] पार नही की। मुझे बीमारोके समाचारोकी आशा रहती है। वहाँके कार्योंका हाल भी जानना चाहता हूँ; और जो तुझे सूझे वह। बा के क्या हालचाल हैं? तेरी तबीयत कैसी रहती है? तू बराबर पढ़ती है? पीजती है? कातती है? अपनी डायरी लिखती है? जीवन-वृत्तान्त लिख रही है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १७९५)की फोटो-नकलसे।

११२. भाषण : गजेरामें[1]

[२१ मार्च, १९३०][2]

आप यह निश्चित मानना कि अन्त्यजोंको अपने साथ बैठाकर आपने पुण्यका काम किया है और स्वराज्यकी दिशामें एक कदम आगे बढ़ाया है। जिन दो ब्राह्मणोंने आपके समक्ष "रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम" गाया है, उनके वेश और कर्मसे आप देख सकेंगे कि ये कोई आधुनिक ब्राह्मण नहीं हैं; वे जुआ खेलने, मांसाहार अथवा व्यभिचार करनेवाले ब्राह्मण भी नही हैं। 'गीता' और संस्कृत जाननेवाले ये ब्राह्मण शिक्षक हैं तथा वे अपने दायित्वोंसे भली-भाँति परिचित हैं। ये अन्त्यजों अथवा दूसरे धर्मावलम्बियोंके साथ रहनेमें पाप नहीं मानते, बल्कि इनकी दृष्टिमें ऐसे लोगोंके साथ न रहना पाप है। इसलिए आप निश्चित रूपसे समझ जायें कि आपने कोई अधर्म नहीं किया है।

जब राजचन्द्रजी अयोध्या छोड़ गंगाके किनारे आये तब उन्हें पार उतारनेवाले निषादराज थे और उनके द्वारा दिये गये फल आदि रामचन्द्रजीने ग्रहण किये थे। ये निषादराज कौन थे? ये भी अन्त्यज कहे जाते थे। भरत जब निषादराजसे मिले तब उन्होंने निषादराजको आलिंगन करके भेंटा और जरूरतके समय निषादराजने रामचन्द्रजीकी जो सेवा की, उसके लिए उन्होंने उन्हें बधाई दी। हमारे दलमें एक अन्त्यज-परिवार है।

इस देशसे प्रति वर्ष न केवल ६० करोड़ रुपये बल्कि अरबों रुपये विदेश चले जाते हैं। गजनी, गौरी अथवा मुगल साम्राज्यमें पैसा यहीं रहा करता था। लेकिन इस राज्यमें सब सरकारी कर्मचारियोंकी पेंशनें विदेश चली जाती हैं। जिस समय देश इस तरहसे लुट रहा हो उस समय भला कौन ऐसा व्यक्ति है जो शान्त होकर बैठा रह सकता है!

हिन्दुस्तानमें ३०० जिले हैं और इन तीन सौ जिलोंमें कलक्टरका डंका बजता है। हम ३० करोड़ लोगोंपर ये ३०० व्यक्ति कैसे शासन कर सकते हैं, यह उनके तथा हमारे लिए शर्मकी बात है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३०-३-१९३०

१. स्वराज-गीतासे उद्धृत।

२. गांधीजी इस तारीखको गजेरामें थे।

११३. भाषण: अंखी में[1]

[२१ मार्च, १९३०][2]

मेरे पास शिकायत आई है कि यहाँ जो पुलिस अथवा सरकारी अधिकारी आते है उन्हें गाँव खाना-पानी नही देता। इसमें हम कोई हिंसा नहीं करते। लेकिन अधिकारी देसी हों अथवा गोरे, यदि वे सचमुच भूखसे मर रहे हों अथवा पानीको तरस रहे हों तो भूख और प्याससे मारनेका हमारा धर्म नहीं है। जिस धर्मके वशीभूत हो मैं बगावत करने निकला हूँ वह धर्म सिखाता है कि जिस डायर और ओडायरके कृत्योंको, अत्याचारकी साक्षात् मूर्तियोंको मैंने डायरशाहीका नाम दिया था यदि वह डायर मुझे गोली मारे तथा यदि मै होशमें होऊँ और मुझे पता चले कि उसे साँपने काटा है तो मैं उसका विष चूसनेके लिए भागता हुआ चला जाऊँगा। ऐसा काम मैंने किया है। दक्षिण आफ्रिकामें जिस व्यक्तिने[3] मुझपर प्रहार किया था, मैंने होशमें आने पर उसी व्यक्तिको छोड़ देनेके लिए सरकारसे अनुरोध किया था। लेकिन सरकारी अधिकारीकी हैसियतसे यदि हमारे पास कोई कुछ माँगने आता है तो उसे न तो खाना-पानी मिलेगा, न बिस्तर, न दियासलाई और न घोड़ेको खिलानेके लिए चारा।

कुम्हार कोई पानी भरनेके लिए पैदा नही हुआ है। यदि हमारे हाथ चले जायें तो भी हम सरकारी अधिकारीको सलाम नहीं करेंगे। जब हमारा झगड़ा खत्म हो जायेगा, नया युग शुरू होगा तब फिरसे धोबी-नाई तथा अन्य कारीगर लोग जनताके सेवकोंकी सेवा करनेके लिए तैयार होंगे। लेकिन लोकतन्त्रीय शासनमें ऊँच-नीचका भेद नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण भी भंगीके समान जनताका सेवक होगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३०-३-१९३०

१. यह स्वराज-गीता से लिया गया है।

२. यह तारीख २३-३-१९३० के प्रजाबन्धुसे ली गई है।

३. मीर आलम; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ७४।

११४. सन्देश: महाराष्ट्रको

आमोद
२२ मार्च, १९३०

महाराष्ट्रमें दोनों पक्षने इकट्ठे होकर स्वराज्यकी लड़ाईमें हिस्सा लेनेका निश्चय किया है, इससे मुझे बहोत हि आनंद हुआ है। मैं आशा रखता हुं कि इस धर्म-युद्धमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान लेगा।

मोहनदास गांधी

जी० एन० ९८ की फोटो-नकलसे।

११५. भेंट: यूसुफ मेहरअलीको[1]

[आमोद
२२ मार्च, १९३०][1]

प्रश्न: वर्तमान संघर्षमें आप युवक आन्दोलनसे किस भूमिकाकी अपेक्षा रखते हैं?

उत्तर: युवक संगठन तो इसमें बहुत-कुछ कर सकते हैं। वे सविनय अवज्ञा अभियानके लिए काफी बड़ी संख्यामें स्वयंसेवक दे सकते हैं। इसके अलावा, वे स्वतन्त्रताके सन्देशको देशके कोने-कोनेमें फैलानेमें सहायक हो सकते हैं। वे विदेशी वस्त्रों और शराबकी दुकानोंपर धरना देकर उपयोगी काम कर सकते हैं।

जो युवक इस संघर्षमें सक्रिय रूपसे शामिल होनेमें असमर्थ हैं वे समाज-सुधारके क्षेत्रमें, खादी तथा स्वदेशी वस्तुओंको लोकप्रिय बनानेमें, मद्य-निषेधका प्रचार करने आदिमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।

वास्तवमें इस समय देशके युवकोंसे बड़ी-बड़ी चीजोंकी आशा की जाती है और मुझे इस बातमें कोई सन्देह नहीं कि वे अपने-आपको अवसरके सर्वथा योग्य साबित करेंगे।

प्रश्न: क्या आप विद्यार्थियोंको स्कूल और कालेज तत्काल छोड़ देनेकी सलाह देना चाहेंगे?

उत्तर: हाँ, मैं तो देना चाहूँगा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस बार विद्यार्थियोंसे जो अपेक्षा की जाती है वह १९२१में की गई अपेक्षासे भिन्न है। उस समय तो विद्यार्थियोंसे सरकारी नियन्त्रणमें चलनेवाली शिक्षण-संस्थाओंको छोड़कर

१. साधन-सूत्रके अनुसार भेंटकी रिपोर्ट बैंगार्डके २२-३-१९३०के अंकमें प्रकाशित हुई थी। गांधीजी २२ मार्चकी सांझको आमोद पहुँचे थे।

राष्ट्रीय शिक्षण-सस्थाओमें दाखिल होनेको कहा गया था। इस समय उनसे हमारा अनुरोध यह है: पढाई-लिखाईको छोड़कर स्वतन्त्र्य-संग्राममें शरीक हों। यदि आप विजय मिलनेके बाद जीवित रहे तो फिर अपनी ही सरकारके स्कूलोमें पढ़ सकेंगे। क्योंकि मेरे विचारसे तो यह लड़ाई ऐसी है जिसमें अन्तिम फैसला हो ही जाना है। अतः विद्यार्थी लोग जो सबसे बड़ी सेवा कर सकते है वह यह है कि स्कूलों और कालेजोंको छोड़कर वे सत्याग्रही स्वयंसेवकोंकी तादाद बढायें।

प्रश्न : क्या आप युवक संगठनोंसे उन विद्यार्थियोंका भी आह्वान करनेको कहेंगे जिनकी परीक्षा सिर्फ एक महीने या एक ही सप्ताह बाद होनेवाली है?

उत्तर : हाँ, मै तो उनका भी आह्वान करनेको कहूँगा। यदि विद्यार्थी खुद ही इसकी आवश्यकता महसूस करते हो तो उन्हें तुरन्त बाहर आ जाना चाहिए। मैंने कहा न कि इसे मै ऐसी लडाई मानता हूँ जिसमें आखिरी फैसला हो जाना है। अगर उनमें श्रद्धा नही है, तो वे स्कूल-कालेज छोडकर संघर्षमें शामिल नही होंगे।

प्रश्न : युवक संगठनके हलकोंमें ऐसा सुझाव दिया जा रहा है कि अपने-अपने स्थान न छोड़नेवाले 'गद्दार' विधान पार्षदों तथा कुछ चुने हुए सरकारी अधिकारियों-के घरोंपर धरना दिया जाये और उन्हें दूसरे तरीकोंसे भी जितना हो सके उतना परेशान किया जाये। क्या आप इस सुझावको ठीक मानते हैं?

उत्तर : नही, मै तो कहूँगा कि यह ठीक नही है। असहयोग आन्दोलनके दिनोंमें ऐसे तीन उदाहरण मेरे ध्यानमें आये थे। उनसे कोई लाभ नही हुआ; बल्कि मै जानता हूँ कि उनसे हानि ही हुई थी।

प्रश्न : क्या आप कोई ऐसा उपाय सुझायेंगे जिससे मुसलमानोंको और भी अधिक तादादमें कांग्रेसके प्रभाव-क्षेत्रमें लाया जा सके और सम्प्रदायवादियोंके घातक प्रचारसे बचाया जा सके?

उत्तर : कांग्रेसमें मुसलमानोकी रुचि बढानेका सबसे अच्छा तरीका यह है कि कांग्रेस उनकी सेवा करे। उनमें यह विश्वास पैदा कीजिए कि कांग्रेस जितनी दूसरोकी है उतनी ही उनकी भी है। मेरा वर्तमान कार्यक्रम — नमक-कानूनको भंग करनेका कार्यक्रम — भारतके सभी समुदायोंको पसन्द आना चाहिए, क्योकि इससे समान रूपसे सभी प्रभावित होते है। मैं आशावादी हूँ। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नही है कि बहुत जल्दी कांग्रेसको मुसलमानोका इतना अधिक स्नेह-सम्मान प्राप्त होगा जितना पहले कभी नही हुआ था। हमारी जनताका दिल बिलकुल साफ है। उन्हें सिर्फ सही और साहसपूर्ण नेतृत्वकी आवश्यकता है। मै फिर कहता हूँ कि मुसलमानोंको अपने पक्षमें लानेका सबसे अच्छा तरीका उनकी सेवाके अवसर ढूँढते रहना और उन्हें यह विश्वास दिला देना है कि साम्प्रदायिक प्रश्नपर कांग्रेसके प्रस्तावमें जो-कुछ कहा गया है उसका उद्देश्य और आशय भी वास्तवमें वही है।

प्रश्न : यदि आप अगले कुछ दिनोंमें गिरफ्तार नहीं किये जाते तो क्या अन्य प्रान्तोंको सत्याग्रह शुरू नहीं करना चाहिए?

उत्तर: यदि मुझे जलालपुर पहुँचनेतक गिरफ्तार नहीं किया जाता तो मैं यह उम्मीद रखता हूँ कि ज्यों ही मैं नमक कानून भंग करता हूँ, विभिन्न प्रान्तोंको सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करनेकी पूरी छूट होगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २५-३-१९३०

११६. पत्र: मीराबहनको

[२३ मार्च, १९३० के पूर्व][1]

चि० मीरा,

तुम्हारे दो पत्र मिले। कुछ कहनेके लिए मेरे पास समय नहीं है। देखता हूँ, लोग सब जगह यही कहते हैं कि तुमने आश्रमका पूरा कार्यभार सँभाल लिया है। इसके खण्डनकी[2] जरूरत है। मैं कोई रास्ता सोच-निकालनेकी कोशिश कर रहा हूँ।

मैं आशा करता हूँ कि जिन्हें बिच्छूने डंक मारा था, वे अब ठीक हो गये होंगे।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३८७)से।
सौजन्य: मीराबहन

११७. पत्र: कुसुम देसाईको

आमोद
प्रार्थनासे पहले, २३ मार्च, १९३०

चि० कुसुम,

तेरा पत्र मिला।

नारणदास व गंगाबहनकी अनुमति मिले तो यहाँ आकर एक दिन बिता जाना। भड़ौंच बुधवारको पहुँचना है, यह तो जानती है न? यह तुझे सोमवारको मिलना चाहिए। आज मिल सकता था, परन्तु पत्र लिखनेका समय ही नहीं था।

१. पत्रके पिछली ओर "२३ मार्च, १९३०" तारीख लिखी हुई है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मीराबहनने शायद इसी तारीखको यह पत्र प्राप्त किया था।

२. देखिए "टिप्पणियाँ", २७-३-१९३० का उपशीर्षक "मीराबाई प्रबन्धक नहीं"।

तीन बजे नहीं उठ सकती, इसका दुःख मानना तेरा पागलपन है। शरीर काम न करे तो इसमें तू क्या करे। शेष सब ईश्वरके अधीन है। तू असावधान न रहे, इतना काफी है? प्रयत्नशील तो है ही। अधिक लिखनेका समय नहीं है।

दूधीबहनको मैंने पत्र तो लिखा ही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १७९६)की फोटो-नकलसे।

११८. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

बुवा
रविवार, २३ मार्च, १९३०

चि० प्रेमा,

तूने तो अब मुझे पत्र न लिखनेका व्रत ले लिया है, ऐसा मालूम होता है। तू काममें डूबी हुई है, यह मैं जानता हूँ। इसीलिए मुझे पत्र चाहिए। काम इस हृद तक न करना कि तू बीमार पड़ जाये। आवाज हलकी रखकर गलेकी सँभाल करना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–५ : कुमारी प्रेमाबहेन कंटकने

११९. भाषण : बुवामें

२३ मार्च, १९३०

हालाँकि मैं सरकारके विरुद्ध कड़े भाषण देता हूँ और नमक कानून तोड़नेके लिए निकल पड़ा हूँ, तब भी सरकारमें मुझे गिरफ्तार करनेकी हिम्मत नहीं है। आप ऐसी सरकारसे क्यों डरते हैं? सरकार श्री सेनगुप्तको रंगून ले गई और वहाँ उसने उन्हें दस दिनकी सादी कैदकी सजा दी। इससे क्या हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि १८५७ और १९१९की तुलनामें इसकी शक्तिका कुछ ह्रास हो गया है? मेरे साथ केवल ८० स्वयंसेवक हैं। तिसपर भी सरकार मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, तब ८०,००० स्वयंसेवकोंके होनेपर यह क्या कर पायेगी? इसलिए हिन्दुओं और मुसलमानों, स्त्रियों तथा पुरुषोंको चाहिए कि वे इस युद्धमें भाग लें।

[गुजरातीसे]
गुजराती, ३०-३-१९३०

१२०. भाषण: समनीमें[1]

२३ मार्च, १९३०

आजतक कमसे-कम ८० व्यक्ति इस्तीफे दे चुके हैं। इस्तीफा देकर उसे वापस लेना तो कायरता मानी जायेगी। इस्तीफा देना लाजमी नहीं है। यदि आपने मुखियागिरीको ओछा काम मानकर, उसे मैल और कूड़ा मानकर निकाल फेंका हो तो अच्छा है। आश्रममें स्त्रियोंको १५ दिनमें प्रशिक्षित करनेवाली कक्षाएँ चलाई जा रही हैं। वहाँ दादाभाईकी पौत्री[2] शिक्षा देती है। समनीकी महिलाओंको भी आगे आना चाहिए। यदि ऐसा न हो सके तो आप खादीका उत्पादन तो करेंगी ही न? आजकल बहुत-से लोग खादी पहनने लगे हैं किन्तु यदि खादी बनानेवाले सभी लोग जेल चले जायें तो खादी कौन बनायेगा? अतः आपको खादी बनानी चाहिए।

[गुजरातीसे]
प्रजाबन्धु, ३०-३-१९३०

१२१. पत्र: महादेव देसाईको

समनी
सोमवार [२४ मार्च, १९३०][3]

चि० महादेव,

इस पुलिन्देमें सात लेख भेज रहा हूँ। अब रातके दस बज रहे हैं। मैं इनमें संशोधन तो कर गया हूँ। अब इनमें और जितना संशोधन करना उचित जान पड़े, उतना कर लेना। कुछ बाकी रह गया जान नहीं पड़ता। साथमें आश्रमके लोगोंके लिए थोड़े पत्र हैं। वे उन्हें देना भूल नहीं जाना; और यह भी देखना कि वे खो न जायें।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

बहनों आदिको पत्र लिखनेका इरादा था लेकिन सारा समय आराम करने और 'यंग इंडिया' में चला गया।

तीन पत्र खुले हैं और दो लिफाफे हैं।

गुजराती (एस० एन० ११४८४)की फोटो-नकलसे।

१. सभा रातको ९ बजे हुई थी।
२. खुर्शेदबहन नौरोजी।
३. गांधीजी इस तारीखको समनीमें थे।

१२२. पत्र : मीराबहनको

झालसा
२५ मार्च, १९३०

चि० मीरा,

मैंने अभी-अभी नोनामीको एक पोस्ट कार्ड भेजा है।

'यंग इंडिया' में मैंने तुम्हारे बारेमें कुछ लिखा है।[1] उसे देख लेना।

अपना ताजा समय-पत्रक बताना। मैंने नारणदाससे कहा है कि केशुसे प्रार्थनामें आगे-आगे गायन करनेको कहा जाये। वह अच्छा गाता है। उसके कानोंको संगीतका ठीक अन्दाज है और उसका संस्कृतका उच्चारण भी निर्दोष है। क्या 'स्त्रियोंकी प्रार्थना' रोज गायी जाती है?

मैं अपनी यात्रा सचमुच बहुत अच्छी तरह कर रहा हूँ। लेकिन पन्द्रहसे ज्यादा आदमी असमर्थ हो गये हैं। कलतक उनके बिलकुल अच्छे हो जानेकी आशा है। वे सब भड़ौंचमें हैं, जहाँ हम कल प्रातःकाल पहुँचेंगे।

अब मुझे नींद आ रही है।

सस्नेह,

बापू

[पुनश्च :]

मेरे पास आनेवाले वे पाँचों नौजवान यदि हृदयसे पश्चात्ताप कर रहे हों और वे नियमोंका पालन करनेका वचन दें तो वास्तवमें मेरा ऐसा इरादा था कि उन्हें ले लिया जाये।

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३८९) से; सौजन्य : मीराबहन; जी० एन० ९६२३ से भी।

१. देखिए "टिप्पणियाँ", २७-३-१९३० का उपशीर्षक "मीराबाई प्रबन्धक नहीं"।

१२३. पत्र: ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

मंगलवार [२५ मार्च, १९३०][1]

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत मीला है। तुमारे चिंता छोड़ना चाहीये। तुमारे प्रयत्नमें हि तुमारी सफलता है। "न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गति तात गच्छति"[2] इसका अर्थ देख लो। जो-कुछ हो सके करते हो। शरीर अच्छा न रहे तो मोरवी जाना। जानेमें कोई हानि तो है हि नहि। मैं बाहर हुं वहां तक लीखे रहो। 'गीता' का उच्चार कृष्णदाससे सीखो।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २३७८ की फोटो-नकलसे।

१२४. भाषण: त्रालसाकी सार्वजनिक सभामें

२५ मार्च, १९३०

महात्माजी ने कहा कि सुना है, कुछ मुसलमान भाइयोंकी शिकायत है कि मै और मेरे साथ चलनेवाला जत्था मुसलमानोंके गाँवोंसे होकर नहीं गुजरा। अगर मुझे आमन्त्रित किया जाता तो मैं निश्चय ही ऐसे गाँवोंमें जाता। लेकिन मेरी यह यात्रा ऐसी है कि मैं किसी भी गाँवमें बिना बुलाये नहीं जा सकता, और न ख्वाहमख्वाह ग्रामवासियोंपर अपना स्वागत करनेकी जिम्मेदारी डाल सकता हूँ।

दाँडी-निवासी एक मुसलमानने मुझे आमन्त्रित किया है और मैं उन्हीके बँगलेमें ठहरूँगा। इन मुसलमान मित्रके घरसे ही सत्याग्रह आरम्भ होगा। इसलिए मेरे मुसलमान मित्रोंको बुरा नही मानना चाहिए। मै तो उनका आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि इस धर्म-युद्धमें मेरी विजय हो। मुसलमान व हिन्दू दोनों ही चाहते है कि यह कर खत्म हो जाये, क्योंकि दोनों ही समान रूपमें नमकका उपयोग करते है और दोनोंको ही यह कर खटकता है। जब वे इस करको समाप्त करा देंगे तभी उन्हें स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए पर्याप्त शक्ति मिलेगी। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि अलग-अलग ढंगसे करोड़ों रुपये इंग्लैड भेजे जा रहे हैं।

१. यह पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको २६ मार्च, १९३० को मिला था।

२. भगवद्गीता, ६-४०।

शारदा कानूनका सरसरी तौर पर उल्लेख करते हुए गांधीजी ने कहा कि इस विधेयकसे डरनेकी जरूरत नहीं है। इस तरहके मामलोंमें सरकारकी दखलन्दाजीके बारेमें मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन जनताको यह बात समझ लेनी चाहिए कि कम उम्रके बच्चोंका विवाह रचानेसे कोई लाभ नहीं होता।

आजका समय, जब कि देशमें स्वराज्यकी लड़ाई चल रही है, शादी-विवाहका समय नहीं है। लोगोंको अपने लड़कोंपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए। किन्तु यह घोर अज्ञान भी तो हमारे बन्धन और पराधीनताके कारण ही है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २६-३-१९३०

१२५. पत्र : सुशीला गांधीको

बुधवार, २६ मार्च, १९३०

चि० सुशीला,

तेरा पत्र मिला। मणिलालको लिखा तेरा पत्र भी मैंने पढ़ा। इसलिए इस बारेमें मैं तुझसे मजाक नही करूँगा।

मै तेरे पक्षको समझता हूँ, उसका समर्थन कर सकता हूँ और तू जैसा चाहे वैसा ही करना चाहिए, ऐसा मानता हूँ। लेकिन यदि तू सीताको अकोलामें रखना चाहती हो तो तुझे भी वहीं रहना चाहिए। जहाँ तू वहाँ वह और जहाँ वह वहाँ तू।

लेकिन आश्रममें तू सीताका पालन-पोषण अपनी इच्छानुसार नही कर सकती, सो मै नही मानता। यदि तू अपनी कल्पना-शक्तिका उपयोग करे और विचार करे तो देखेगी कि आश्रमके-जैसा वातावरण अन्यत्र मिल ही नही सकता। नैतिक वातावरणसे बूढे और बच्चे, सभी अदृश्य रूपसे बहुत-कुछ ग्रहण करते है। तू लड़कोको उद्धत मानती है, इसमें तो अर्धसत्य ही है। आश्रममें बालकोको स्वतन्त्र बनानेका प्रयत्न किया जाता है। उन्हें पीटा नही जाता, इसीसे वे उच्छृंखल जान पड़ते हैं। लेकिन मै मानता हूँ कि परिणाम तो अन्ततः शुभ ही होगा। लेकिन यदि तू आश्रममें रहती है और सीताको भी रखती है तो तुझे इतने नियमोका पालन तो करना ही होगा :

(१) सीताको रोता छोड तुझे किसी भी कार्यमें लगे नही रहना चाहिए।

(२) तू सीताको जिसे सौंपे उसे यह बता देना चाहिए कि वह किसी भी हालतमें सीताको खाने-पीनेको कुछ भी न दे।

(३) सीताको निर्धारित समयपर ही खाना देना चाहिए।

(४) जहाँतक हो सके उसे फल और दूधपर ही रखना।

(५) उससे रोज कसरत करवानी चाहिए।

(६) तेरी अथवा सीताकी तबीयत यदि ठीक न रहे तो तुझे वहाँसे चल देना होगा।

चाहे जो व्यक्ति इनका प्रतिरोध करे, तुझे इन नियमोंका पालन करना होगा। यदि तेरे मनमें इतना सब निश्चय करनेकी बात नही है तो मै तेरे लिए आश्रममें रहना कठिन मानता हूँ। तू मजेसे सूरत चली आना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७६७)की फोटो-नकलसे।

१२६. भाषण: भड़ौंचमें

२६ मार्च, १९३०

चन्दूभाईने मुझसे आशीर्वाद माँगा है। लेकिन आशीर्वाद देनेवाला मै कौन होता हूँ? मै तो आशीर्वाद लेनेके लिए निकला हूँ। गाँव-गाँव घूमते हुए मै जो आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ वह दाँडी पहुँचनेतक तो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जायेगा और चाहे कैसी भी राक्षसी हुकूमत हो वह इसके प्रतापके सामने टिक नही पायेगी।

१९२१में स्कूलोसे असहयोग करनेवाले एक मुस्लिम नवयुवकका मुझे अभी-अभी एक पत्र मिला है। उसमें उसने दो प्रश्न पूछे है, उन्हें मैंने सँभालकर रखा है।

पहला प्रश्न यह है: "क्या आप यह मानते है कि आप अकेले ही स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे? अथवा आप अपने हिन्दू भाइयोंके बलपर ही जो करना है सो कर लेंगे?"

मैंने ऐसी आशा स्वप्न अथवा कल्पनामें भी नही की है कि मै अकेले अपने बूतेपर अथवा हिन्दुओंके बलपर स्वराज्य प्राप्त कर लूंगा। मुझे तो मुसलमान, पारसी, ईसाई, यहूदी सब लोगोंके बलकी जरूरत है। लेकिन उन सबका बल, उन सबकी सहायता मिले तो भी एक ऐसा बल है जो न मिले तो स्वराज्य नही मिलेगा। और वह बल है ईश्वरका बल। उसके बिना अन्य सब बेकार हैं; और यदि वह हो तो किसी औरकी जरूरत नही है।

मै आपसे जिस आशीर्वादकी भीख माँग रहा हूँ उसमें कही-कही मुझे ईश्वरका नाद सुनाई देता है। मनुष्यके जीवनमें ऐसे प्रसंग भी आते है जब समस्त संसारके धिक्कारनेपर भी उसे अपने हृदयमें ईश्वरका नाद सुनाई देता है। लेकिन आज ऐसा अवसर नही है। आज तो मै वह कर रहा हूँ जिसके लिए पिछले दस वर्षोंसे हिन्दुस्तान व्याकुल है। जन-जन पुकार-पुकारकर मुझसे कहता था कि मै स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न क्यों नहीं कर रहा हूँ, कुछ-एक लोग मुझे गालियाँ भी देते थे, कितने ही मित्र प्रेमसे मुझे लाल आँखें भी दिखाते थे और कहते थे कि तू प्रगतिको रोक रहा है। तू कहता है, सविनय अवज्ञा हो तो स्वराज्य आज ही मिल जायेगा। बात सच है। मै प्रगतिका रास्ता रोके हुए था; कारण, मुझमें आत्मविश्वास न था। मुझे कहीसे भी ईश्वरका नाद सुनाई नही देता था; मै आत्माकी उस सूक्ष्म आवाजको सुन नही पा रहा था।

लाहौरमें ही एक गोरे संवाददाताको मैंने उसके प्रश्नका उत्तर देते हुए कहा था कि हिन्दुस्तानमें सविनय अवज्ञा करनेका समय आ गया है, इसका आज मुझे कोई चिह्न दिखाई नहीं देता। तब एकाएक यह अवसर कैसे उपस्थित हो गया?

समस्त हिन्दुस्तान कहता है कि यह उचित अवसर नही है। अंग्रेज भी यही कहते हैं, कितने ही हिन्दू भाइयोका भी यही कहना है, लेकिन मुझे विश्वास हो गया है कि यही उचित अवसर है और यदि यह अवसर नही है तो फिर कभी कोई अवसर आनेवाला नही है। इसमें से आज या तो मुझे निकल जाना चाहिए अथवा मुझमें जितनी शक्ति है उसका उपयोग कर लेना चाहिए।

इसीसे मै आज हिन्दू-मुसलमानोसे, श्वेत दाढीवाले इन अब्बास तैयबजी से और कुमारियोंसे भी हाथ जोडकर मदद माँगता हूँ। इस युद्धमें तो छोटी-छोटी लड़कियाँ भी काम कर सकती हैं। मेरे पास अनेक बालिकाओके पत्र आते रहते है कि आप हमें अपने साथ क्यो नहीं ले जाते; साथ ले जाते तो हम आपका सहारा भी बनती और नमक बनाते-बनाते जेल भी जातीं।

इस तरह मुसलमान नवयुवकको उत्तर देते हुए मैंने आपको और आपके द्वारा समस्त जगत्को उत्तर दे दिया है। मुझे तो सबकी, अंग्रेजोकी, पूर्व और पश्चिमके लोगोकी मददकी जरूरत है।

सत्याग्रहीमें अपने-आप चलनेकी शक्ति नही होती। सत्याग्रह तो ससारकी भावनाओंको उभारकर ही चल सकता है। ईश्वरका आशीर्वाद होनेपर ही वह चल सकता है। वह न हो तो सत्याग्रह लूला, पगु और अधा है।

१९२१ से मै दो शब्द कहता आया हूँ: पाकीजगी और कुर्बानी, आत्मशुद्धि और बलिदान। इनके बिना सत्याग्रहकी विजय नहीं हो सकती, क्योकि इनके न होनेपर ईश्वर भी हमारे साथ नही हो सकता।

जगत् जिस ओर कुर्बानी देखता है उसी ओर झुक जाता है, उसे कुर्बानी अच्छी लगती है। कुर्बानी है किस चीजके लिए, यह बात जगत् नही देखता। लेकिन ईश्वर अन्धा नही है। कुर्बानीमें मैल अथवा स्वार्थ है या नही इसका हिसाब-किताब उसके पास मौजूद रहता है। इसीलिए कुर्बानीके साथ यदि आत्मशुद्धि न हो तो मुझे-जैसे लोग थरथरा उठें।

रेहाना बहनने अभी-अभी गाया है, 'जो जागत है सो पावत है'। इस तरह यदि मैं जाग्रत रहूँगा तभी लक्ष्यकी प्राप्ति कर सकूँगा। सो भी मैं नही प्राप्त करूँगा। वह तो ईश्वर मुझे — अपने बन्देको — एक निमित्त-मात्र समझकर देगा। इससे अधिक कुछ नही।

यह तो मुसलमान भाईने पूछा है। यदि किसी पारसीने भी पूछा होता, "हम तो मुट्ठी-भर, एक लाख पारसी हैं। क्या आप हम सबको नर्मदामें फेंककर स्वराज्य लेनेवाले है?" उससे भी मैं यही कहता कि पारसियोकी मदद न मिले तो मै स्वराज्य नही ले सकता। पारसियोको मेरे साथ आना ही होगा। मुसलमान तो आने-वाले है। उनकी दुआ तो मुझे रोज मिलती रहती है। जबसे कूच आरम्भ हुआ है तबसे मुझे मुसलमानोकी आँखोमें यह भाव दिखाई देता है और उन्होने मुँहसे कहा

भी है कि तेरी फतह होगी, भगवान् तेरा भला ही करेगा। मुसलमान भाइयों और भड़ौंच जिलेके मनुवरके वोहरा भाइयोंने इस युद्धके लिए रुपये भी भेजे हैं।

तथापि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि जो मुझे अपनी जेबमें रखकर चला करते थे वे मौलाना शौकत अली आज मेरे साथ नहीं हैं। यह वात मेरे लिए कुछ कम दुःखदायी नही है। मै तो इतना जानता हूँ कि वे मेरे सगे भाईके समान हैं। उनके वारेमें मैंने स्वप्नमें भी और-कुछ नही सोचा। इसलिए उनका विरोध कवतक टिकेगा? आज नही तो कल उन्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। अतएव मै निश्चिन्त हूँ और यदि मैं सच्चा हूँ तो जो अली-भाई आजतक मुझे जेबमें रखकर चलते थे उन्हें मैं जेलमें रखूँगा।

इस युद्धमें मुझे अंग्रेज भाइयोंकी मददकी भी जरूरत है। मै वाइसरायको रजिस्टर्ड पत्र भेज सकता था लेकिन वैसा न कर मैंने इस पत्रको पहुँचानेके लिए एक अंग्रेजको भेजा। मैंने अपना मान, अपनी शान वढ़ानेकी खातिर एक अंग्रेजको नहीं भेजा है; इतना मूर्ख तो मुझे कोई नही मानेगा। मैं तो एक अंग्रेजको भेजकर उनके और अपने वीचके वन्धनको और भी मजबूत करना चाहता था। मेरे मनमें अंग्रेजोंके प्रति द्वेष नही है, द्वेष तो उनके राज्यके प्रति है और अव मुझे लगता है कि अंग्रेजोंके राज्यको नष्ट करनेके लिए ही मेरा जन्म हुआ है। लेकिन यदि एक भी अंग्रेजका वाल वाँका हुआ तो मुझे लगेगा कि मानों मेरे सगे भाईको कष्ट पहुँचा है। मेरे हृदयमें अंग्रेजोंके प्रति मैत्रीका भाव ही है। उन्हे मै कहता हूँ कि आपके लोग हमारे देशको नष्ट किये दे रहे हैं। लेकिन आप इस वातको अभीतक क्यों नही समझ सके है? हमें इस राजनीतिको नष्ट करना है। वे चाहे हमारी धज्जियाँ उड़ा दें, हमें दरियामें डुवा दें, जो जी चाहे करें, लेकिन हम अपनी वात कहकर रहेंगे।

दूसरा प्रश्न यह है: "स्वराज्य मिलनेपर आप मुसलमानोंको कितने अधिकार, संविधानमें उन्हें कितनी सीटें देनेवाले हैं?" इसका उत्तर मैं क्या दे सकता हूँ! मुझे यदि कोई वाइसराय वना दे तव मैं यह कहूँ कि मुसलमानोंको जितनी सीटें चाहिए उतनी दे दी जायें। पहले मुसलमान, पारसी, ईसाई ले लिये जायें और वादमें हिन्दुओं-को लिया जाये। लेकिन सनातनी हिन्दू मुझे वाइसराय होने ही न देंगे। सच्ची वात यह है कि यह सारा हिसाव मुझसे नही हो सकता। इतना ही पर्याप्त होना चाहिए कि कांग्रेस वचनवद्ध हो गई है और इसलिए मैं भी एक तरहसे वचनवद्ध हो गया हूँ। कांग्रेसने प्रस्ताव पास किया है, जिसके अनुसार जवतक एक भी कौमको सन्तोष नही मिलता तवतक कौमी प्रश्नका कोई हल कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। इस तरह कांग्रेसने इससे अपने हाथ धो लिये हैं। उसके लिए तो हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, यहूदी सव कोई — फिर भले ही वे मन्दिर, मस्जिद, अगियारी अथवा देवलमें जाते हो — हिन्दुस्तानी ही हैं। कांग्रेसके मण्डपमें सव हिन्दुस्तानी हैं।

जिस प्रस्तावसे सव कौमोंको सन्तोष नहीं होता उसपर चाहे कैसी भी मुहर क्यों न लगी हो, कांग्रेस उसे स्वीकार करनेवाली नहीं है।

कांग्रेस इससे अधिक खुलासा और क्या कर सकती है? सविनय अवज्ञामें तो स्वराज्यकी शक्ति प्राप्त करनेकी वात है। लेकिन स्वराज्य लेते समय तो सवके

हस्ताक्षर चाहिए। सब कौमें खुश हों तभी स्वराज्य मिलेगा। इससे ज्यादा किसीको और किस तरहसे सन्तोष दिया जा सकता है?

लेकिन इससे पहले कि स्वराज्य मिले, भड़ौंचको गरीबोंके लिए क्या करना चाहिए? कमसे-कम भड़ौंच नमकहराम तो न बने। हिन्दू और मुसलमान दो अथवा चार आनेके नमकपर सवा रुपया कर देते हैं; मेरी मान्यता है कि यह नमकहराम होना है। इतने दिनोंतक हमने इस कर को सहन किया, यह हमारी मूर्खता थी; भारतके प्रति निष्ठाकी कमी थी और गरीबोंके प्रति हम नमकहराम थे।

६ करोड़ रुपयेका नमकका कर दूर करानेके लिए लड़ाईकी बात किसे अच्छी नहीं लगती। किसी गरीब मुसलमानको यदि नमक भी न मिलता हो तो इससे उसके हृदयसे कितनी हाय निकलती होगी? इस कर को हटवानेके लिए ऐसा कौन-सा भारतीय होगा जो इस युद्धसे दूर रहेगा?

यह युद्ध ईश्वरके नामसे चल रहा है। यह युद्ध जरूरतमन्दोंके लिए है, अमीरोंके लिए नहीं और जरूरतमन्दोंकी लड़ाईसे कौन दूर रहनेवाला है?

मैंने प्रश्नोंके उत्तर दे दिये है। चन्दूभाईने बड़े जोरदार शब्दोंमें मुझसे कहा कि भड़ौंच जिला इस युद्धमें बहुत अधिक योगदान देगा और प्राण देकर भी लोगोंकी सेवा करनेसे नहीं चूकेगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ उपस्थित भाई-बहन, भाई चन्दूभाईकी आशाओंको पूरा करेंगे। यहाँ आये सब भाई-बहन अपना नाम लिखायेंगे तो चन्दूभाईका मन भर जायेगा और मैं मानूँगा कि मुझे तो माँगेसे भी कहीं ज्यादा मिला।

जिस ईश्वरके नामपर मैंने यह-सब कहना शुरू किया है उसके नामपर मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको मेरे कथनको समझने और उसके अनुरूप आचरण करनेकी शक्ति दे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ३०-३-१९३०

१२७. भाषण : अंकलेश्वरमें

२६ मार्च, १९३०

सिर्फ यह कहनेसे कि सरकार विदेशी है, उसके बारेमें सही जानकारी नहीं मिलती। यह तो हो सकता है कि विदेशी सरकारके बावजूद प्रजाको दुःख न हो। हालाँकि राजपीपला देशी रियासत है, किन्तु यदि वहाँ शराबके बहुत-से ठेके हों तो मेरी निगाहमें वह भी विदेशी ही है।

सरकार घी पर कर ले, यह बात समझमें आती है। शराब या बीड़ियोंपर भी कर लगाया जा सकता है; किन्तु यह सरकार तो इतनी चतुर, बहादुर और राक्षसी है कि गरीबसे-गरीब लोग जो चीज खाते हैं, उसपर भी कर लगाती है। इतना ठीक है कि हवापर कोई कर नहीं है। पानीपर भी कर लगा हुआ है और नमक पर तो १४०० प्रतिशत कर है। यदि नमकपर लगे हुए कर को रद

करवानेकी शक्ति जनतामें आ जाये तो यह शिकायत सुननेको नहीं मिलेगी कि शरावके इतने ठेके हैं। अमीर भी शराब पीते हैं, किन्तु वे कोई २५ करोड़ रुपये नही देते; वह तो गरीबोंकी जेबसे आता है।

मुखियोंके इस्तीफे मिले है किन्तु इनपर मुझे विश्वास नही होता, क्योंकि कुछ-एक मुखियोने कलक्टरसे कहा है कि हमने मजबूर होकर इस्तीफे दिये है। तिसपर एकके इस्तीफा दे देनेपर दूसरेने उसका काम सँभाल लिया। मुखियागिरीके लिए यदि लोग जान दिये दे रहे हों तो हमें यह पता लगाना चाहिए कि जिन लोगोने इस्तीफे दिये है उन्होंने वास्तवमें अपना कार्य-भार सौंप दिया या नही।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, ३०-३-१९३०

१२८. पत्र : मीराबहनको

[२६ मार्च, १९३०के पश्चात्][1]

चि० मीरा,

रेनॉल्ड्सके वारेमें तुमने जो-कुछ लिखा है, उससे वहुत-कुछ जानकारी मिलती है। तुम्हें उसके निकट आना चाहिए और उसे अकेलापन महसूस नही होने देना चाहिए। चरखेके उसके विरोधमें अवश्य कही कोई भूल हो रही है। उसे इसके पीछे छिपे सत्यको देखना चाहिए। चरखा केवल प्राच्य संसारकी ही चीज नही है। एक समय समग्र मानव-समाज इसका प्रयोग करता था। सृष्टिके आदिमें 'जव आदम जमीन गोड़ता था और हौआ कातती थी, तव भद्र कौन था?' लेकिन वह वहाँके वातावरणमें कैसे घुल-मिल सकता है, यह तो सवसे अच्छी तरह तुम्ही जान सकती हो। वह चाहे जितना पाश्चात्य हो तथापि उसे आश्रमके वातावरणमें घुल-मिल सकना चाहिए। यदि वह ऐसा नही कर सकता तो इसमें जरूर कुछ गड़वड़ है। प्रेमसे तो सव-कुछ सम्भव है।

तोतारामजी का तुमने जैसा वर्णन किया है, वे वैसे ही गुणी है।

तुम्हें शोर-गुल को वरदाश्त करना सीखना चाहिए। नारणदाससे परामर्श करना।

मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा जान पड़ता है। मेरा वजन २ पौंड बढ़ गया है। सबका बढ़ गया है। हमारा वजन भड़ौंचमें लिया गया था।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३८३)से; सौजन्य: मीरावहन; जी० एन० ९६१७ से भी।

१. गांधीजी २६ मार्चको भड़ौंचमें थे। जाहिर है कि यह पत्र उसके बाद कभी लिखा गया था।

१२९. खोदा पहाड़ निकली चुहिया

रंगूनमें पहाड़ खोदा जा रहा था। उस पहाड़से एक हास्यास्पद चुहिया निकली है। एक ताकतवर सल्तनतने भारतके एक सुप्रसिद्ध सपूत पर, जो खतरनाक रोगसे रुग्ण थे, एक सर्वथा अनावश्यक मुकदमा चलाकर उन्हें और भी परेशानीमें डाला और जनतासे लिया हुआ धन बेकार खर्च किया। इस मामलेका जाहिरा कारण यह था कि श्री सेनगुप्तने बर्मासे गुजरते हुए दो भाषण दिये थे। वास्तविकता यह है कि ऐसे भाषण हर दिन सारे देशमें हजारों मचोसे दिये जाते हैं, लेकिन इनकी ओर सरकारका ध्यान भी नही जाता। इस्तगासेको ऐसा एक भी गवाह नही मिला जिसके दिल पर उन 'राजद्रोहात्मक' भाषणोका असर हुआ हो। मजिस्ट्रेटने जो फैसला सुनाया उसे सुनानेके लिए उसने अफसोस-सा जाहिर किया। अगर उस मजिस्ट्रेटके आसपासका वातावरण स्वतन्त्रताका होता तो अवश्य ही उसने अपने प्रतिष्ठित कैदीको निर्दोष बताकर छोड दिया होता और इस तरह ख्वाहमख्वाह मुकदमा चलानेके लिए सरकारकी मलामतकी होती।

इस मुकदमेसे श्रीयुत सेनगुप्तका तो कुछ बिगडा नही, उलटे इसके कारण उनकी लोकप्रियता बढी है। उन्होने जिस दृढ़ताके साथ अपना बचाव करने तथा अदालतके सवालोंका जवाब देनेसे इनकार किया है, वह उनकी चिरपरिचित हिम्मतका एक और सबूत हमारे सामने पेश करती है।

लेकिन इस फैसलेका एक गूढ अर्थ भी है। सरदार वल्लभभाईपर जो अभियोग लगाया गया था, यदि सचमुच वे उसके अपराधी थे तो उन्हें अधिक कठोर दण्ड मिलना चाहिए था। अगर श्रीयुत सेनगुप्त राजद्रोहके अपराधी थे तो उन्हें मात्र दस दिनकी सादी सजाके बजाय दूसरोंको एक सबक सिखानेके खयालसे कडी सजा मिलनी चाहिए थी। अगर जनतामें राज्यके प्रति असन्तोष फैलाना जुर्म है और इस दफामें थोड़ी भी सचाई है तो राजद्रोहको धर्म माननेवाले मुझ-जैसे व्यक्तिपर तो सरकारको कब-का मुकदमा चलाकर मुझे कडीसे-कडी सजा दे देनी चाहिए थी।

कोई यह न सोचे कि सरकार डर गई है और इसलिए वह ये हल्की सजाएँ देती है, अथवा मुझे गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसका सच्चा कारण तो और भी गूढ है, और वह शायद सरकारके लिए भी श्रेयकी बात है। लोगोको उनके खास विचारोंके कारण या उन विचारोंको सार्वजनिक सभाओमें जाहिर करनेके कारण सजा देनेसे सरकार शरमाती है। ऐसे कार्योंसे दुनियाका लोकमत उसका विरोधी बन रहा है और सरकारको उसकी चिन्ता है। रंगूनके मजिस्ट्रेटको लाचार होकर यह कहना पडा कि चूँकि श्री सेनगुप्तके भाषणमें लोगोंको हिंसाके लिए उभारनेका कोई प्रयत्न नही है, इसलिए उन्हें राजद्रोहके अपराधके योग्य सजा देनेका मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। दफा १२४ ए का वास्तविक सम्बन्ध तो हिंसासे है। इस दफाके बनानेवालोंके दिमागमें यह बात शायद आई ही नहीं कि कोई ऐसा भी आदमी हो सकता

है, जो राजद्रोही होते हुए भी पूर्ण अहिंसक हो। स्पष्ट है कि जहाँ हिंसा नहीं है वहाँ लोगोंको कड़ी सजा देनेमें, वल्कि कह सकते है कि मुकदमा तक चलानेमें सरकारका यह संकोच अथवा उसकी यह अक्षमता अहिंसाकी ज्वलन्त स्तुति है। यह वात विलकुल साफ देखी जा सकती है कि यदि यह संघर्ष, जो अवतक हिंसासे विलकुल अछूता रहा है, अन्त तक ऐसा ही वना रहे तो निकट भविष्यमें ही हमारी सफलता निश्चित है। तव तो अहिंसाकी शुद्ध वायुमें नमक-कर ही नही, वल्कि स्वराज्य-प्राप्तिके मार्गकी दूसरी रुकावटें भी काफूर हो जायेंगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-३-१९३०

१३०. 'राजाका प्राप्य राजाको दो'

किन्ही अज्ञात अंग्रेज भाईको मुझे इस आशयका तार देना मुनासिव लगा कि सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करके मैं ईसा मसीहकी इस शिक्षाके खिलाफ जा रहा हूँ कि 'राजाका प्राप्य राजाको दो।' पंजावसे एक अन्य सज्जनने भी, जो भारतीय ईसाई है, कुछ इसी तरह लिखा है। फर्क इतना ही है कि उन्होंने उदारताको तिलांजलि देकर मुझ निरीहपर मेरे इस कृत्यके लिए गालियोंकी वौछार की है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं तो पहले आपको अच्छा आदमी मानता था, लेकिन अव मेरा भ्रम विलकुल टूट गया है। मैं इन भाईको विश्वास दिलाता हूँ कि सविनय अवज्ञा मेरे लिए कोई नई चीज नही है। इसका प्रचार और आचरण तो मै १९०६ से ही करने लगा था। इसलिए यदि मुझसे उनकी आजकी चिढ़ उनके ज्ञानसे उत्पन्न हुई है तो पहले उनके मनमें मेरे लिए जो स्नेह-सम्मान था वह स्पष्टत: अज्ञानजनित था। लेकिन मैंने न्यू टेस्टामेंटसे और अन्य सूत्रोंसे भी यह सीखा है कि जो ईश्वरसे डरकर चलना चाहता है, उसे लोक-प्रशस्ति अथवा लोकापवादके प्रति उदासीन ही रहना चाहिए।

अव असली सवालको लें। चूंकि मैं अपने आचरणको सार्वभौमिक धर्मके सर्वथा अनुरूप मानता हूँ और चूंकि मै न्यू टेस्टामेंटकी शिक्षाको वहुत आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ, इसलिए मै यह नही चाहूँगा कि मेरे वारेमें औचित्यपूर्वक यह कहा जा सके कि मैं ईसा मसीहकी शिक्षाके विपरीत चल रहा हूँ। ''राजाका प्राप्य राजाको दो', इस कथनको मेरे खिलाफ पहले भी उद्धृत किया गया है। मुझे उस प्रसिद्ध पदमें वह अर्थ दिखाई नही दिया है जिसे उसमें भरनेकी कोशिश मेरे आलोचकोंने की है। यह सवाल ईसा मसीहसे उन्हे फँसानेके लिए पूछा गया था, इसलिए उन्होंने इसका सीधा उत्तर नही दिया; वे उसे टाल गये। उत्तर देना उनके लिए आवश्यक नही था। इसलिए उन्होने कर के रूपमें दिये जानेवाले सिक्केको देखनेको कहा। फिर उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा "सीजरके सिक्कोमें लेन-देन करनेवाले और इस प्रकार जो चीज आपके लिए सीजरके शासनका लाभ है, उस चीजको स्वीकार करनेवाले आप लोग उसे कर देनेसे इनकार कैसे कर सकते है?" ईसा मसीहकी सारी शिक्षा, उनका

सारा आचरण स्पष्ट रूपसे असहयोगका सकेत देता है, जिसमें करोका न दिया जाना भी जरूरी तौर पर शामिल है। उन्होने ईश्वरकी सत्ताके सामने मनुष्यकी सत्ताको कभी कोई महत्त्व नही दिया। उन्होने तो उस पुरोहितवर्गकी समस्त शक्तिको चुनौती दी थी जो उन दिनो राजासे भी ऊपर था। इसलिए यदि आवश्यक हुआ होता तो वे सम्राट्की सत्ताको भी चुनौती देनेमें सकोच न करते और उनको मुकदमेके जिस नाटकसे होकर गुजरना पड़ा, उसके प्रति क्या उनका रवैया पूर्ण रूपसे तिरस्कार-युक्त ही नही था?

और अन्तमें मै अपने ईमानदार भाइयोको शब्दजालमें फँसनेसे आगाह कर देना चाहता हूँ। 'शब्द' निश्चय ही 'मारनेवाला' है। और भावार्थ 'जीवन देनेवाला'। वर्तमान प्रसंगमें तो मुझे इस पाठमें एक सन्तोषजनक अर्थ ढूंढनेमें कोई कठिनाई नही हो रही है। लेकिन, यदि मैंने विश्वके एक धर्मग्रन्थके रूपमें प्रतिष्ठित पुस्तकमें दी गई सम्पूर्ण शिक्षाके मर्मको ठीकसे ग्रहण कर लिया हो तो किसी इक्के-दुक्के वाक्यके मेरे खिलाफ पड़नेकी मुझे कोई परवाह नही होगी।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २७-३-१९३०

१३१. राजद्रोह धर्म है

सक्रिय राजद्रोह और सक्रिय राजभक्ति, इन दोनोमें कही कोई मेल नही हो सकता। न्यायमूर्ति स्व० स्टीफेनने कहा था कि जिसे सरकारके प्रति अप्रीतिके अपराधसे अपने-आपको निर्दोष सिद्ध करना हो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि सरकारके प्रति उसकी सक्रिय प्रीति है। उनके इस कथनमें बहुत सचाई है। लोकसत्ताके इस युगमें किसी व्यक्तिके प्रति सक्रिय भक्ति रखने-जैसी तो कोई बात रही नहीं। इसलिए अब आप सस्थाओके प्रति ही वफादार या गैर-वफादार होते हैं। अतएव जब आप गैर-वफादार होते हैं तो आप व्यक्तियोका नही, अमुक सस्थाओका नाश चाहते है। मौजूदा सरकार एक संस्था है, और इसे पहचाननेवाला कभी भी इसका भक्त नही बन सकता। यह सस्था भ्रष्ट है। मनुष्योके आचरणसे सम्बन्ध रखनेवाले इसके कई कानून निस्सन्देह अमानुषिक है। उनके अमलका तरीका और भी बुरा है। अक्सर एक व्यक्तिकी इच्छा ही कानूनका काम करती है। अगर मैं यह कहूँ कि इस देशमें जितने जिले है, उतने ही इसके शासक है तो अत्युक्ति न होगी। इन कलक्टर नामधारी व्यक्तियोके हाथमें प्रबन्ध और न्याय दोनोकी सत्ताएँ होती हैं। यद्यपि इनके कार्य कानूनोंकी मर्यादासे — ऐसे कानूनोकी मर्यादासे जो खुद ही बहुत दोषपूर्ण होते है — बँधे हुए समझे जाते है, तथापि ये शासक अक्सर मनमौजी होते है, और सिवा अपनी इच्छाओ या तरंगोंके और किसी चीजका अंकुश इनपर नही रहता। ये लोग लोकहितके प्रतिनिधि नही होते, विदेशी शासको या मालिकोके स्वार्थकी रक्षा ही इनका काम होता है। इन (लगभग तीन सौ) लोगोंका एक प्राय: छिपा हुआ गुट

है और वह दुनिया-भरमें सबसे अधिक शक्तिशाली है। इनको मालगुजारीकी एक न्यूनतम निश्चित रकम वसूल करनी पड़ती है, और इसलिए अक्सर लोगोंके साथ इनका व्यवहार अत्यन्त सिद्धान्तहीन पाया जाता है। यह राज्य-प्रणाली भारतवर्षके करोड़ो वाशिन्दोंके हृदयहीन रक्त-शोषणपर ही कायम है, और यह बात कबूल भी की जाती है। गाँवके पटेलसे लेकर अपने निजी सहायक तक, इन क्षत्रपोंने मातहतोंकी एक ऐसी जमात बना ली है जो अपने विदेशी मालिकोंके तो तलवे चाटती है, पर आम रिआयाके साथ उसका रात-दिनका व्यवहार इतना गैर-जिम्मेदाराना और वेरहमी भरा होता है कि लोगोंका नैतिक बल समाप्त हो जाता है और उसकी आतंककी नीतिके कारण उनमें उसके भ्रष्टाचारका प्रतिरोध करनेकी क्षमता नही रह जाती। अतः जिन लोगोंने भारत सरकारकी इस प्रणालीकी घोर बुराईको समझ लिया है, उनका यह कर्त्तव्य है कि वे इससे द्रोह करें और प्रकट तथा सक्रिय रूपसे इसके प्रति द्रोहका प्रचार करें। वस्तुतः ऐसे भ्रष्ट राज्यके प्रति भक्ति रखना पाप है, और अभक्ति रखना पुण्य।

तीस करोड़ लोग तीन सौ आदमियोंके भयसे त्रस्त रहे, यह बात उन स्वेच्छाचारी शासकों और उनसे त्रस्त लोगों, दोनोंके लिए पतनकारी है। अतएव जिन लोगोंने इस प्रणालीकी बुराईको समझ लिया है, उनका कर्त्तव्य है कि वे जितनी जल्दी हो सके, इसका नाश कर दें — फिर भले ही इस प्रणालीकी कुछ इनी-गिनी बातें सन्दर्भसे अलग करके देखनेपर कितनी ही लुभावनी क्यों न मालूम होती हो। इसका नाश करनेके लिए ऐसे लोगोंको किसी भी तरहकी जोखिम उठानेके लिए तैयार रहना चाहिए।

लेकिन यह बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि तीस करोड़ लोगोंका इस प्रणालीके इन तीन सौ रचयिताओं या प्रशासकोंको मिटा डालनेकी चेष्टा करना कायरता होगी। इन प्रशासकों या इनके नौकरोंको समाप्त कर डालनेके उपाय रचना घोर अज्ञान प्रकट करना होगा। इसके सिवा, ये लोग तो परिस्थितिकी उपज है। कोई शुद्धसे-शुद्ध वृत्तियोंवाला मनुष्य भी यदि इस प्रणालीमें शामिल हो जाये तो वह इससे जरूर प्रभावित होगा और इसकी बुराइयोंके प्रचारमें सहायक बनेगा। अतएव स्वभावतः इन प्रशासकोंपर गुस्सा होना और फलतः उन्हें कष्ट पहुँचाना इस बुराईका इलाज नही है। इसका सच्चा इलाज तो इस प्रणालीके साथ हर तरहका स्वेच्छया सहयोग करना बन्द कर देना और इससे होनेवाले तथाकथित लाभोंका त्याग कर देना है। थोड़े विचारसे ही पता चल जायेगा कि सविनय अवज्ञा असहयोगका एक आवश्यक अंग है। किसी राज्यकी आज्ञाओं और आदेशोंको मानना, उस राज्यकी सबसे प्रभावकारी सहायता करना है। बुरा शासन इस तरहकी वफादारीका पात्र नहीं है। उसके प्रति वफादार होना उसकी बुराईमें शामिल होना है। अतएव जो भला आदमी है, वह तो किसी भी बुरी प्रणालीका अपनी ताकत-भर घोर विरोध ही करेगा। इसलिए बुरे राज्यके कानूनोंका सविनय अनादर करना कर्त्तव्य है। याद रहे कि हिंसात्मक अवज्ञाका सम्बन्ध मनुष्यों से होता है, और उनको समाप्त कर देनेके बाद फिर दूसरे लोग उनका स्थान ले सकते है। इससे बुराईका कुछ नही बिगड़ता, बल्कि अक्सर तो

इससे वह और भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत अहिंसक अर्थात् सविनय अवज्ञा बुराईके निवारणका एकमात्र और सबसे सफल उपाय है, और जो लोग बुराईसे अलग रहना चाहते हैं उनका यह कर्त्तव्य है कि वे सविनय अवज्ञा करे।

सविनय अवज्ञामें खतरा इसीलिए है कि अबतक उसका आशिक प्रयोग ही हुआ है और हिंसासे पूर्ण वातावरणमें ही सदा उसका प्रयोग करना पडता है। क्योकि जब सर्वत्र अत्याचारका बोलवाला होता है तब उस अत्याचारसे पीडित लोगोमें भी बहुत अधिक क्रोध भड़क उठता है। उनकी कमजोरीके कारण उनका क्रोध छिपा रहता है और जहाँ जरा भी बहाना मिलता है कि वह अपनी पूरी भयकरताके साथ फूट निकलता है। सविनय अवज्ञा उच्छृंखल और जीवनको तबाह करनेवाली इस छिपी हुई शक्तिको सुनियन्त्रित और जीवनका निर्माण करनेवाली शक्तिके रूपमें परिणत करनेवाला ऐसा सबसे बड़ा उपाय है जिसका प्रयोग करनेका परिणाम पूर्ण सफलता ही होता है। और परिणामकी तुलनामें इससे सम्भावित खतरे कुछ भी नही है। जब दुनिया इस शस्त्रके प्रयोगसे परिचित हो जायेगी और जब वह इसके एकके-बाद-एक कई प्रयोगोको अपनी आँखो सफल होते देख लेगी तब सविनय अवज्ञामें विमान द्वारा आकाश-मार्गसे उडनेसे भी कम खतरा होगा, यद्यपि इस क्षेत्रमें आज विज्ञानने खूब प्रगति कर ली है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २७-३-१९३०

१३२. स्वयंसेवकोंका प्रतिज्ञा-पत्र

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने स्वयंसेवकोके लिए एक छोटा-सा प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया है। यह तो लाजिमी था कि वह बहुत सीधा-सादा हो। हम यह आशा नही कर सकते कि बारीक तफसीलसे पूर्ण प्रतिज्ञा-पत्ररप लाखों आदमी दस्तखत करेंगे। इसलिए इस प्रतिज्ञा-पत्रमें काग्रेसके सिद्धान्तको स्वीकार करने तथा नेताओंके आदेशोंके पालनका वचन देनेसे अधिक कुछ नही है और काग्रेसके सिद्धान्तमें अहिंसा और सत्यका समावेश हो जाता है, क्योकि उसमें जो 'शान्तिपूर्ण और उचित' शब्द आये है उनका अनुवाद मैं सत्य और अहिंसा ही करता हूँ। आगे चलकर जब समग्र जन-समुदाय इस लड़ाईमें शामिल हो जायेगा तब इस प्रतिज्ञा-पत्रकी भी जरूरत नही रह जायेगी। उस समय मैदानमें यदि कुछ बुरे या कमजोर लोग भी होंगे तो बहुत-से ऐसे अज्ञात बहादुर सेनानी भी होंगे जो मूक भावसे सिर्फ अपना कर्त्तव्य करेंगे। याद रहे कि यह प्रतिज्ञा-पत्र मात्र अर्जी ही है, इसपर हस्ताक्षर करनेसे आवेदकको स्वयसेवक बन जानेका अधिकार नही मिलता। यह भी याद रहे कि पुराने और इससे अधिक कठोर प्रतिज्ञा-पत्र इस प्रतिज्ञा-पत्रके कारण रद नहीं हो जाते। यह प्रतिज्ञा-पत्र तो आपातिक स्थितिके लिए बनाया गया है। स्वयसेवकोंकी भरती करनेवालोकी जिम्मे-

दारी बहुत बड़ी है। इस प्रतिज्ञा-पत्रका कोई यह मतलब न समझे कि साम्प्रदायिक एकता, खादी, अस्पृश्यता-निवारण या मद्य-निषेधको अबसे हम त्याग देनेवाले हैं। इसका मतलब यह है कि ये चीजें कांग्रेसके कार्यक्रमका अभिन्न अंग हैं। यह सीधा-सादा प्रतिज्ञा-पत्र हमने इसलिए तैयार किया है कि स्वराज्यकी लड़ाई लड़नेके लिए हजारों स्त्री-पुरुष कांग्रेसमें शामिल हो सकें, लेकिन ऐसा करते हुए हम इस विश्वाससे प्रेरित रहे हैं कि कांग्रेसके कर्त्ता-धर्त्ता कांग्रेस-कार्यक्रमके इन अभिन्न हिस्सोंपर किसी भी तरहसे आँच नहीं आने देंगे। वर्तमान योजनाका आधार यह निश्चित विश्वास है कि कांग्रेसका संचालन पूरी ईमानदारीके साथ किया जा रहा है। और अन्तमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करनेवाले स्वयंसेवकोंको कांग्रेसकी सदस्यता प्राप्त हो जाती हो, ऐसी बात नहीं है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २७-२-१९३०

१३३. कुछ सुझाव

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी अहमदाबादकी बैठकमें पास किये गये प्रस्तावमें देश-भरमें सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करनेका संकेत देनेकी जिम्मेदारी, बशर्ते कि मैं दाँडी पहुँचने तक मुक्त रहूँ, मुझे सौंपी गई है। कारण स्पष्ट है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हर अवांछनीय स्थितिके विरुद्ध सभी समुचित पूर्वोपाय कर लेना चाहती है। मेरे गिरफ्तार कर लिये जानेपर आन्दोलन स्थगित करना खतरनाक होगा। दूसरी ओर, कमेटी यह भी नहीं चाहती कि मेरे गिरफ्तार किये जानेसे पूर्व ही वह, मैं क्या चाहूँगा, इसका अनुमान लगाकर पहलेसे ही कोई कदम तय कर ले। जहाँतक अभी मैं समझ सकता हूँ, कार्यकर्त्ता ऐसा मानकर चल सकते हैं कि इस आन्दोलनको अखिल भारतीय स्तर पर प्रारम्भ करनेकी तिथि ६ अप्रैल होगी। उसी दिन राष्ट्रीय सप्ताह शुरू होता है। यही १९१९ के उस सत्याग्रहका दिन है जिसमें जनसाधारणमें अभूतपूर्व जागृति आई थी। बादके सात दिनोंमें हमने कुछ दुष्कृत्य किये और उनका परिणाम जलियाँवाला बागके नृशंस हत्याकाण्डके रूपमें सामने आया। अगर सब कुछ ठीक-ठीक चला तो मैं ५ अप्रैलको दाँडी पहुँचूँगा। इसलिए मुझे ६ अप्रैल सत्याग्रह प्रारम्भ करनेकी सबसे स्वाभाविक तिथि प्रतीत होती है। कार्यकर्त्ता तैयारी तो कर सकते हैं, मगर अन्तिम संकेतके लिए प्रतीक्षा करें।

किन्तु प्रतिबन्ध हटा लिये जानेका मतलब यह नहीं कि हरएक प्रान्त या हरएक जिला सविनय अवज्ञा शुरू ही कर दे। जिस प्रान्त अथवा जिस जिलेकी इसके लिए तैयारी न हो और जिसका प्रथम सेवक इसे प्रारम्भ करनेकी आन्तरिक प्रेरणाका अनुभव न करता हो वह प्रान्त अथवा जिला इसे शुरू न करे। अगर किसी प्रथम सेवकमें आत्मविश्वास न हो अथवा उसे अपने आसपासके परिवेशपर भरोसा न हो तो वह जल्दबाजीमें कोई कदम उठानेसे इनकार करे। निष्क्रियताके लिए किसीको दोष नहीं

दिया जायेगा, लेकिन जो अपने परिवेशपर नियन्त्रण रखनेके बजाय उसके प्रवाहमें बह जायेगा उसे तो निश्चय ही दोषी माना जायेगा।

हम सबका उद्देश्य है सार्वजनिक सविनय अवज्ञा। यह अवज्ञा कराई नही जा सकती। अगर इस अवज्ञाको सचमुच अपना सार्वजनिक सविनय अवज्ञा नाम चरितार्थ करना है और यदि इसे सफल होना है तो इसको स्वयं-स्फूर्त होना चाहिए, और जहाँ पहले ही जमीनको सींचा नहीं गया है, तैयार नहीं किया गया है, वहाँ यह निश्चित मानना चाहिए कि सर्वसाधारण इसके प्रति उत्साह नही दिखायेगा। हिंसाके विस्फोटके खिलाफ सर्वत्र अधिकसे-अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने कहा है कि इस बार हिंसाके विस्फोटके बावजूद सविनय प्रतिरोध जारी रहेगा; यह बात सच है लेकिन साथ ही यह बात भी उतनी ही सच है कि हमारी ओरसे हिंसा होनेपर संघर्षको हानि पहुँचेगी और इसकी प्रगति रुकेगी। दो परस्पर-विरोधी शक्तियाँ एक साथ मिलकर इस प्रकार कभी भी काम नही कर सकतीं जिससे वे एक-दूसरीके लिए सहायक हो सकें। सविनय अवज्ञाकी योजना हिंसाको प्रभावहीन बनाने और अन्ततः उसे बिलकुल समाप्त करके उसके स्थान पर अहिंसाको प्रतिष्ठित करने, घृणाके स्थानपर प्रेमको प्रतिष्ठित करने और लड़ाई-झगड़ेकी जगह मेल-जोल कायम करनेके लिए बनाई गई है।

इसलिए हिंसाका विस्फोट होनेपर भी संघर्षको बन्द न करनेका मतलब सिर्फ यही है कि अगर हिंसाकी ज्वाला भड़की तो अहिंसाके पुजारी उसमें अपने-आपको भस्म हो जाने देंगे, बल्कि वैसी स्थिति उत्पन्न होनेपर वे इस बातके लिए प्रयत्न करेंगे कि वह ज्वाला उन्हें भस्म कर दे। वे सरकारकी संगठित हिंसा अथवा किसी क्रुद्ध समूह या पूरे राष्ट्रकी छुट-पुट हिंसाके असहाय साक्षी बनकर नहीं बैठे रहेंगे। इसलिए प्रत्येक प्रान्तमें कार्यकर्त्तागण हर सम्भव पूर्वोपाय करनेके बाद इस संघर्षमें कूद पड़ेंगे, भले ही ऐसा करके वे, मनुष्य जिसकी कल्पना कर सकता है, ऐसा बड़ेसे-बड़ा खतरा ही क्यो न उठा रहे हों। तब स्वभावतः सभी जगह जनताको उन लोगोंके निर्णयको खुशी-खुशी स्वीकार करना चाहिए जिनके बारेमें ऐसी ख्याति है कि वे पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए अहिंसामें पूरी निष्ठाके साथ विश्वास रखते हैं।

इधर कुछ अन्य कानूनोकी भी अवज्ञा करनेकी चर्चा हो रही है। लेकिन, यह सुझाव मुझे ठीक नही लगा है। मैं तो नमक-कानूनोंपर ही ध्यान केन्द्रित करनेमें विश्वास रखता हूँ। नमककी खानें लगभग सब जगह मिलती हैं। हमारा मंशा यह नही है कि बेची जाने लायक मात्रामें नमक तैयार किया जाये। हमारा मंशा तो नमक तैयार करके तथा अन्य प्रकारसे नमक-कानूनोको जान-बूझकर भंग करना है।

इस सन्दर्भमें चौकीदारी कर से सम्बन्धित कानूनोकी अवज्ञाका सुझाव दिया गया है। मेरे विचारसे यह कर वे शर्तें पूरी नही करता जो नमक-कर पूरी करता है। इरादा ऐसे कानूनोको तोड़नेका है जो, जहाँ तक हम आज समझ सकते है, सदा ही बुरे समझे जायेंगे। हम स्वराज्यके अन्तर्गत भी नमक-कर नही चाहते। चौकीदारी कर शायद ऐसा कर नही है। हमें शायद स्वराज्यके अन्तर्गत भी चौकीदारोंकी जरूरत

हो। यदि बात ऐसी है तो जबतक विरोध किये जानेके लिए दूसरे कर या दूसरे कानून हैं तब तक हमें इस करको हाथ नही लगाना चाहिए।

फिर, वन-सम्बन्धी कानून हैं। उनका अध्ययन मैंने नही किया है। इसलिए मैं निश्चयपूर्वक कुछ नहीं लिख सकता। निस्सन्देह, हम यह नही चाहते कि हमारे जंगलोंको बिलकुल नष्ट कर दिया जाये या आर्थिक लाभ-हानिका खयाल किये बिना लकड़ियाँ काटी जायें। मुझे इसमें सन्देह नही है कि इन कानूनोंमें सुधार करनेकी आवश्यकता है। और इन कानूनोंपर अमल करते हुए ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण रखना तो शायद और अधिक आवश्यक है। लेकिन इस सुधारके लिए स्वराज्य प्राप्त होने तक प्रतीक्षा की जा सकती है। साथ ही, जहाँ तक मै जानता हूँ, इन कानूनोंके या उन्हें जिस तरह लागू किया जाता है उसके खिलाफ हमारी जो शिकायतें है, उनके बारेमें आम जनताको ठीकसे बताया भी नही गया है।

फिर चरागाहोंकी बात लें, जिनका जंगलोंसे बहुत निकटका सम्बन्ध है। मैं कह नहीं सकता कि जनता द्वारा उनके उपयोगको विनियमित करनेवाले विनियम इतने खराब हैं कि उनके खिलाफ कोई उचित शिकायत हो सकती है।

मेरे विचारसे तो इससे बहुत अच्छा होगा शराबकी दुकानों, अफीमके अड्डों और विदेशी कपड़ोंकी दुकानोंपर धरना देना। यद्यपि धरना देना अपने-आपमें गैर-कानूनी काम नहीं है, लेकिन अतीतके अनुभवसे प्रकट होता है कि सरकार कारगर धरनेदारीको रोकना चाहेगी। लेकिन, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपने सिद्धान्तके अनुरूप जहाँ-कही उसका प्रतिरोध कर सकते हैं वहाँ प्रतिरोध करनेका निश्चय करके ही चल रहे हैं। लेकिन मुझे शराब बेचनेवालोंके धोखा-धड़ी-भरे व्यवहार और विदेशी वस्त्र-विक्रेताओंके अज्ञानजनित क्रोधका भय है। मैं चाहूँगा कि इन दो बुराइयोंके खिलाफ जनमत और भी अच्छी तरह तैयार किया जाये और कार्यकर्त्तागण विक्रेताओं और ग्राहकोंको अधिक सुचारु ढंगसे इन बुराइयोंसे अवगत करायें। हमें इन दोनों बुराइयोंको आज या कल दूर करना ही है। इसलिए जहाँ-कही भी कार्यकर्त्ताओंको पूरा भरोसा है कि मैंने जिस ढंगके खतरोंका उल्लेख किया है उस ढंगके अवांछनीय खतरे उठाये बिना वे धरना देनेका काम चला सकते है, वहाँ उन्हें यह अभियान शुरू कर देना चाहिए। लेकिन किसी भी हालतमें उन्हे सिर्फ इसलिए यह अभियान शुरू नहीं करना चाहिए कि जब आगे बढ़नेका संकेत मिल चुका है और नमक-सम्बन्धी कानूनोंको तोड़नेका कोई उपाय उनके सामने नहीं है तो उन्हें कुछ-न-कुछ तो करना ही है। फिलहाल तो मुझे नमक-सम्बन्धी कानूनोंको भंग करना ही सबसे अधिक निरापद जान पड़ता है। ऊपर मैंने जो-कुछ कहा है वह तो एहतियातन ही कहा है। जहाँ-कही कार्यकर्त्ता यह महसूस करते हों कि उनकी अन्तरात्मा उन्हें आगे बढ़नेका आदेश दे रही है और वे खुद हिंसाकी भावनासे पूर्णतः मुक्त है, वहाँ उन्हें संकेत मिलते ही, वे जैसी सविनय अवज्ञा करना आवश्यक और वांछनीय समझें, वैसी अवज्ञा शुरू कर देनेकी उन्हें पूरी छूट है, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके नियन्त्रणमें ही।

इस बीच, अबसे लेकर ६ अप्रैल तक, हर प्रान्तको क्षण भरका समय बर्बाद किये बिना पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि वह अवसर आते ही अपने सैनिकों-को संघर्षमें उतार दे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-३-१९३०

१३४. टिप्पणियाँ

खद्दरकी कमी

आजकल स्वभावतः खद्दरकी खरीदारी बड़ी तेजीसे चल रही है और अखिल भारतीय चरखा संघके कार्यालयमें इस आशयके पत्र आ रहे है कि शीघ्र ही खद्दरकी कमी होने जा रही है। मतलब कि स्थिति वैसी ही है जैसी होनी चाहिए थी। इसका उपाय यह है कि पूरे खादीधारी लोग अपनी जरूरतोंमें कटौती करें, जिन्होंने खद्दरको अभी हालमें ही अपनाया है वे उतना ही खद्दर खरीदें जितनेकी उनको जरूरत है और सभी लोग खादीका उत्पादन बढ़ानेमें सहायता दें। जिस प्रकार गेहूँकी आपूर्त्ति निश्चित होनेपर रोटीकी कमी कभी नही हो सकती उसी प्रकार यदि रुईकी आपूर्त्ति निश्चित हो तो खद्दरकी कमी होनेका कोई कारण नही और रुईकी आपूर्त्तिमें टोटा पडनेका कोई खतरा नही है। असली कठिनाई तो यह है कि लोग अकारण ही ऐसा मानते है कि खानेकी चीजोंकी तरह खद्दर हमारे गाँवों और घरोंमें तैयार नही किया जा सकता। अगर लोग तकलीको अपनाकर तत्काल कताई शुरू कर देनेको तैयार हो तो उन्हें चरखा चलाना शुरू करनेकी कोई जरूरत नही है। तब उन्हें सिर्फ इतना ही करना होगा कि वे साधारण बुनकरोंके पास जाकर उन्हे अपना सूत बुननेको राजी करें। अगर ठीक ढगकी राष्ट्रीय जागृति लाई जा सके तो बुनकर लोग हाथकते सूतको आजकी तरह शंकाकी दृष्टिसे नही देखेंगे। बड़े पैमाने पर खद्दरका ऐसा संगठन करनेके लिए जनतामें इस चीजके प्रति सच्चा प्रेम होना आवश्यक है। सविनय अवज्ञामें प्रत्येक व्यक्ति शरीक नही हो सकता, लेकिन खद्दर तैयार करनेमें तो हरएक हाथ बँटा सकता है। पाठक यह जान लें कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनके देश-भरके नेताओंमें अधिकांशतः वही लोग हैं जो पक्के खद्दरधारी रहे हैं। इसलिए यदि लोग आम तौरपर खुद ही सूत कातना और अपनी सहायता आप करना शुरू नही करेंगे तो उनके खादी-कार्यसे वियुक्त हो जानेका खद्दरके उत्पादनपर बड़ा गम्भीर असर पड़ेगा।

मीराबाई प्रबन्धक नहीं

मैं अखबारोंमें बार-बार ऐसी खबर देख रहा हूँ कि मेरी जगह श्रीमती मीरा-बाई स्लेड आश्रमके प्रधानकी हैसियतसे उसका प्रबन्ध कर रही है। यह खबर सच नही है। बहुत समयसे आश्रमकी देख-रेख एक प्रबन्ध-मण्डल करता आ रहा है, जिसके अध्यक्ष महादेव देसाई है, उपाध्यक्ष इमाम साहब बावजीर और मन्त्री नारणदास

गांधी हैं। पुरुष मेरे साथ कूचमें शामिल हो सकें, इसलिए जिस प्रकार बहुत-सी स्त्रियोंने आश्रमके विभिन्न विभागोंका काम अपने-अपने हाथोंमें ले लिया उसी तरह मीराबाई भी सफाई-विभागकी प्रधान बन गई हैं। साथ ही वे शिशु कक्षाओंको पढ़ानेमें भी हाथ बँटा रही है और दूसरी जो सेवाएँ उनसे हो सकती हैं, कर रही हैं। अन्तमें वे क्या बनेंगी, यह तो कोई नहीं कह सकता और वे खुद तो कह ही नहीं सकती। पाठकोंके लिए इतनी ही जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए कि उन्होंने अपना भाग्य आश्रमके और मेरे साथ सदाके लिए जोड़ लिया है। उन्हें भारतकी सेवाकी प्रबल लगन है। आश्रमको वे प्राप्त हो सकीं, यह हमारा सौभाग्य था। मैं उनसे तभीसे स्नेह करता रहा हूँ जब मैं उनके कुल-गोत्रके बारेमें भी कुछ नहीं जानता था और उनके बारेमें जो-कुछ जानता था वह सिर्फ दो संक्षिप्त पत्रोंसे ही जानता था, जो उन्होंने आश्रममें दाखिलेके लिए मुझे पहले-पहल लिखे थे। तबसे आज चार वर्षोंसे भी अधिक समयसे उनसे मेरा निकटतम सम्पर्क रहा है, किन्तु मेरे उस स्नेहमें कोई कमी नहीं आई है। आश्रमके नियमोंका पालन करने और उसके आदर्शोंको चरितार्थ करनेके लिए आश्रमके किसी भी सदस्यने उनसे अधिक लगनसे काम नहीं किया है। लेकिन वे आश्रमकी प्रधान नहीं हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-३-१९३०

१३५. तलवारका न्याय

एक अध्यापक महोदय लिखते है :[1]

इस लेखको पढ़कर मुझे मेमने और भेड़ियेके किस्सा स्मरण हो आया। भेड़िया किसी-न-किसी तरह मेमनेको खा जाना चाहता था, परन्तु किसी न्याय्य बहानेकी खोजमें था। जब कोई ठीक-सा बहाना न मिला तब मेमनेके बाप-दादोंका दोष बताकर उसने उसे मार खाया। लोगोंके पास जमीन है, परन्तु न्यायतः उसका मालिक कौन है, इस सवालकी छान-बीनसे सल्तनतको क्या वास्ता? सल्तनत तो रुपयोंकी भूखी है और तलवारके बलसे रुपये वसूल करती है। धारासभामें नौकरशाही लम्बी-चौड़ी बहस होने देती है, पर उस बहसके पीछे विश्वास तो यह रहा है कि आखिर सरकारकी मालगुजारीमें कुछ कमी नहीं होगी — फिर भले ही जमीन किसीकी क्यों न मानी जाये।

इसलिए हमारे सामने सच्चा सवाल तो यह है कि हम इस तलवार-बलका मुकाबला कैसे करें? क्या तलवारसे करेंगे? यदि तलवार-बलका मुकाबला तलवारसे ही करना है तो अभी हमें वर्षों तक गुलामीमें रहना पड़ेगा, क्योंकि कैसा भी शासन

१. पत्र यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है। पत्र-लेखकने अंग्रेजों द्वारा भारतमें लागू मालगुजारीकी आलोचना की थी।

क्यों न हो, मालगुजारी भरनेवाले करोड़ो किसानोका तलवार-बल एक ही दिनमें कभी नही बढ़ सकता। जमीनपर किसानका स्वामित्व सिद्ध करनेका एक ही मार्ग है और वह यह कि किसानोमें सत्याग्रहका मंत्र फूंक दिया जाये। यह एक ऐसा बल है जो सबमें छिपा हुआ है। किसानको इस बलका ज्ञान-भर हो जाना चाहिए। यदि कोई किसान यह समझ ले कि शान्तिपूर्वक अन्यायका विरोध करनेसे उसकी जमीनको उससे कोई नही छीन सकता, तो वह कदापि अन्यायके वश नही होगा। इसी सत्याग्रहका सबक आज सारा हिन्दुस्तान सीख रहा है। यदि इस पाठशालामें किसान भी शामिल हो गये तो अच्छा ही है। उस हालतमें जमीनके स्वामित्वकी यह जटिल समस्या अपने-आप हल हो जायेगी।

हिन्दी नवजीवन, २७-३-१९३०

१३६. सन्देश : हिन्दुस्तानी सेवा दलको

सजोद
२७ मार्च, १९३०

हिन्दुस्तानी सेवा दलके स्वयंसेवकोंसे मैं आशा करता हूँ कि वे हर परिस्थितिमें अहिंसाकी प्रतिज्ञाका पालन करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २९-३-१९३०

१३७. भाषण : प्रार्थना-सभा, सजोदमें[1]

[२७ मार्च, १९३०][2]

हम एक-दूसरेका कहना नही मानते यह तो बुरी बात है। यदि एक व्यक्ति सभीकी बात सुनता चला जाये तो आखिरकार सब लोग उसे उपदेश देना बन्द कर देंगे। हममें से प्रत्येक व्यक्तिको नम्र बनना चाहिए। किसी व्यक्तिको दूसरेकी गलतियाँ नही निकालनी चाहिए; बल्कि उसे खुद अपनी गलतियाँ निकालकर उन्हें दूर करना चाहिए। किसीको इस बातका अभिमान नही करना चाहिए कि इतने दिन सब ठीक-ठाक चलता रहा है, अतः अब तो हम दाँडी पहुँच ही गये। यह कौन जानता है कि कल या अगले क्षण क्या होगा? अभिषेकसे पहलेकी रातको रामचन्द्रजी और लोगोको यह विश्वास था कि प्रातः राजतिलक होगा, किन्तु प्रभुकी

१. "धर्म-यात्रा" से उद्धृत।
२. गांधीजी ने अंकलेश्वरसे रवाना होनेके एक दिन बाद यह भाषण दिया था।

लीला अगम्य है। अतः हम एक क्षणके लिए भी ईश्वरको न भूलें। आश्रमसे रवाना होते समय यह शर्त रखी गई थी कि जो लोग इसमें भाग न लेना चाहें, वे कूच करनेके पहले ही उससे अलग हो जायें। आज मैं इससे भी आगे बढ़कर कहता हूँ कि जो इससे अलग होना चाहें वे दाँडी पहुँचनेसे पहले अलग हो जायें। यदि मै अकेला रह जाऊँ तो भी काफी होगा। मै प्रसन्न रहूँगा। यदि दुनिया मेरी निन्दा करेगी तो मैं भी उनका साथ दूँगा और यह मानूँगा कि मैं मूर्खताके आरोपका पात्र हूँ। किन्तु इसके बावजूद मैं अकेला ही जूझता रहूँगा और नमक बनाऊँगा।

आजसे अग्रिम टुकड़ी अन्तमें रहेगी और अन्तिम टुकड़ीसे पंक्ति आरम्भ होगी। जो लोग बीमार या कमजोर हैं या जिन्हें धूलसे डर लगता हो वे आगे निकलकर अगले पड़ावपर सुस्ता सकते हैं या फिर वे बादमें आ सकते हैं। यदि लोगोंकी भीड़ बीचमें घुस आये तो हमें सबसे पीछे हो जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। सम्भवतः वे इस बातको समझ जायेंगे और इससे हमारा मार्ग सरल हो जायेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १३-४-१९३०

१३८. भाषण: सजोदमें

२७ मार्च, १९३०

कल सुबह भड़ौंच जिलेका दौरा पूरा हो जायेगा इसलिए यदि उसका हिसाब-किताब समझ लिया जाये तो अनुचित न होगा। अबतक जो-कुछ हुआ है यदि हम उसीके बलपर स्वराज्य लेना चाहें तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत देर लगेगी; क्योंकि सभाओंमें या नमक-कानून भंग करनेमें अधिक लोग भाग लें, केवल इस आधारपर स्वराज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अन्य जिलोंमें बहुत ही कम रचनात्मक काम हुआ है और यहाँ भी काफी कम काम हो पाया है। हम अबतक पूरी तरहसे विदेशी कपड़ोंको नही छोड़ सके है और खादीका प्रचार नही कर पाये हैं। खादीके उत्पादनकी मात्राके उत्तरमें शून्य ही हाथ लगता है। यहाँ कपास तो खूब होती है किन्तु उसका उपयोग कोई नहीं करता। शराबकी खपत खूब बढ़ती जा रही है। फिर भी इस परिस्थितिके बावजूद मुझे आशा है कि हम लोगोंमें इस लड़ाईसे खूब जागृति आ जायेगी। आजकल तो पूरे हिन्दुस्तानमें खादीका प्रचार दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा है। इसके फलस्वरूप यदि खादीकी कमी पड़े तो आप उसके उत्पादनमें सहायता दे सकते हैं। यहाँसे मुझे दाँडी पहुँचने दिया जाये या न पहुँचने दिया जाये, किन्तु यह निश्चित है कि नमक-कर समाप्त हो गया। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप ये सारी बातें करने लगें तो आप यह मान लें कि मैंने इस एक किलेके साथ अन्य बहुत-से किले जीत लिये हैं। आप सब लोगोंके आशीर्वादसे नमकके इस राक्षसी

कर -- इसके लिए हम चाहे जितने भी विशेषणोंका प्रयोग करे वे कम ही है -- का नाश अवश्य होगा। यदि आप ऐसा वातावरण तैयार करे और उसे फैलायें तो इसके बाद विदेशी कपड़ोका त्याग करके दूसरा किला भी जीता जा सकता है। इसका मतलब है साठ करोड़ रुपये हस्तगत कर लेना। हम महज होश खो देनेके कारण २५ करोड़ रुपये शराब और अफीममें दे डालते हैं। हमें यह दूसरा किला अवश्य जीतना है। यदि आप मद्यपान छोड दें तभी ऐसा होना सम्भव है। ६० करोड़ रुपये विदेशी कपड़ेके, २५ करोड़ रुपये शराबके और ६ करोड़ रुपये नमक-कर के। यदि हम यह पूरी रकम बचा सकें तो हमारे चेहरे चमकने लगेंगे और इस प्रकार स्वराज्य भी मिला ही समझें। नमक-कर तो अब उठ ही गया समझें, इसलिए आप लोगोंमें से जो इस लड़ाईमें भाग न ले रहे हों वे इन दो कामोको पूरा करनेमें मदद दें। विदेशी कपड़ा छोड़कर आप सब भाई-बहन खादी पहनें और जो सच्चा धर्म है उसे पहचानें।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, ३०-३-१९३०

१३९. भाषण : माँगरोलमें

२७ मार्च, १९३०

हम किसी प्रकारके भ्रममें न रहें। यदि हम यह मानते है कि सभी चीजोंके पीछे भगवान्का हाथ होता है तो हमें हिम्मत और आत्मविश्वासपूर्वक यह मानकर चलना चाहिए कि नमक-कर उठ गया। अबतक तो हम लोग नमकहराम थे और अब हमें नमकहलाल बनना है। नमक-कानून तोड़नेकी बात तो हमने १२ तारीखसे कहनी शुरू की है किन्तु अन्य दो-तीन बातें तो हम १९२० से ही कहते आ रहे हैं। यदि आपको याद हो तो बेजवाड़ा कांग्रेसके कार्यक्रमके अनुसार २० लाख चरखे चलवाने थे। विदेशी कपडेका त्याग करना था। किन्तु आज हम इसमें से कितना कर पाये है? यह तो हमारे लिए दुःख और लज्जाकी बात है। यही बात शराबके बारेमें है। इसका भी खुलकर उपयोग हो रहा है। इन दोनों चीजोंके बारेमें हम यह मान बैठे थे कि जब हमारे हाथमें शक्ति आ जायेगी तभी हम इन्हें दूर कर पायेंगे। किन्तु मेरा यह कहना है कि यदि हम इन चीजोको हटा सकें तो इसका मतलब होगा कि हमने सरकारको हटा दिया। यदि हम काम करना चाहें तो इस गाँवमें जितने लोग नमक खाते है उन्हें चाहिए कि वे स्वयं अपने हाथका बना नमक उपयोगमें लायें।

सभी बालकोको खुलेआम नमककी 'चोरी' करनी चाहिए और विदेशी कपडोको जलाकर खादी खरीद लेनी चाहिए या तैयार कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ यदि हम मालिकोसे मिलकर शराबके ठेकोंको बन्द करा सकें तो आनन्द ही आ जाये और स्वराज्यकी लड़ाईमें भी रस आने लगे। जब हम ये सारे काम कर पायेंगे तभी

स्वराज्य मिलेगा। लड़ाई तो ६ तारीखसे पहले ही शुरू हो जायेगी; बस मेरे पकड़े जाने-भरकी देर है। मुझे ज्यों ही गिरफ्तार किया जाये त्यों ही आप नमक बनाना शुरू कर दें। यदि मैं पकड़ा जाऊँ तो आप लँगोटी पहनना भले ही पसन्द कर ले किन्तु विदेशी वस्त्र कदापि न पहनें। मैं आज इस बातको फिर दुहराता हूँ कि खादी और हाथकते सूतके धागेमें स्वराज्य निहित है।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, ३०-३-१९३०

१४०. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

रायमा
२८ मार्च, १९३०

चि० शान्तिकुमार,

तुम्हारा खयाल मनमें आता ही रहता है। पिताजी द्वारा दी हुई घड़ी, जो मेरी कमरसे लटकी हुई है, निरन्तर मुझे उनकी याद दिलाती रहती है। महादेवने कुछ-एक पत्र मेरे देखनेके लिए भेजे हैं; साथका पत्र उन पत्रोंमें से एक है। इसमें पिताजी का उल्लेख मिलता है, इसलिए तुम्हारे पढनेके लिए मैं इसे भेज रहा हूँ। इसे वापस न भेजना।

मुझे उम्मीद है, तुम कठिन समयमें भी शान्त रहते होगे। अब कुछ भार हलका हुआ या नहीं? यदि तुम मुझे कूचके दौरान ही लिखना चाहो तो पत्र सूरतके पतेपर भेजना अथवा आश्रमके। वे लोग वहाँसे मुझे भेज देंगे।

माताजी मनसे शान्त रहती है या नहीं? मुझे पत्र अवश्य लिखना। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७१७)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : शान्तिकुमार मोरारजी

१४१. भाषण : रायमामें[1]

२८ मार्च, १९३०

जिस जिलेमें नमक बनानेका स्थान न हो मैं वहाँ नही रुक सकता। अतः आप सबके प्रेमको ध्यानमें रखते हुए भी फिलहाल मैं दाँडी जा रहा हूँ। हालाँकि इस जिलेको छोडते हुए मुझे बुरा लग रहा है; किन्तु मुझे तो दाँडी पहुँचकर नमक कानून तोड़ना ही है। यदि १२ तारीखको हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभीके आशीर्वादसे हम इस कर का विरोध कर सके तो आप यह मान लें कि उक्त कर हट ही गया। ६ तारीखको आप सब हिन्दू-मुसलमान मिलकर नमक बनानेमें जुट जायें। यदि सरकार जमीनकी खुदी हुई मिट्टीपर कर लेनेका निर्णय करे तो ले सकती है, वैसे ही आज वह नमक पर कर लेती है। किन्तु हम यह कर क्यों दें? जिस तरह गरीब स्त्रियाँ बबूलकी दातुनें बेचने निकलती है, उसी प्रकार हम सब भी नमक लेकर बेचने निकल पड़ें। क्या हम करोडो गरीबोकी खातिर इतना भी नही करेंगे? ससारके पूरे इतिहासमें नमक-कर-जैसे अन्यायपूर्ण कर का मुझे कही उल्लेख नही मिला। किन्तु नमक-कर उठ जानेसे ही हमें स्वराज्य नही मिल जायेगा। हमें सजगतापूर्वक अन्य कार्य भी करने हैं। हमें विदेशी वस्त्रोका बहिष्कार करना है। पंजाबकी खादी पहननेसे हमारा काम नही चलेगा। हरएकको स्वय ही कातना और उससे अपना कपडा बुनवा लेना होगा। यह हमारी मूढ़ता ही है कि हम बच्चोसे लेकर बूढ़ों तक यह सहज और सुन्दर काम नही करते। इससे हिन्दुस्तानके प्रति हमारी बेवफाई ही जाहिर होती है। विदेशी वस्त्रों और शराबका बहिष्कार करके हम तुरन्त ही स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। हिन्दुस्तानको स्वतन्त्र कर लेनेके बाद हम अपना सारा काम गद्दीपर बैठकर करेंगे। इसलिए आप इस नमक-सत्याग्रहमें भाग लेकर अन्य दो कामोको पूरा कर दिखायें तथा जो इस लडाईमें भाग नही ले रहे है वे आपके साथ मिलकर यह सिद्ध कर दिखायें कि भड़ौंच जिला तो पूरी तरहसे हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताकी लड़ाईमें ही जुटा हुआ है।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, ३०-३-१९३०

१. यह भाषण अपराह्नमें ३॥ बजे दिया गया था।

१४२. भाषण: स्वयंसेवकोंके समक्ष[1]

[२८ मार्च, १९३०][2]

हमारी यात्राका यह अन्तिम सप्ताह है। इसके आरम्भमें ही हमें सारी मलिनता दूर कर देनी होगी। प्रत्येक जिलेकी सीमा पार करते समय हमें नदी मिली है। नदीको हम पवित्र मानते हैं। नदी आदि तो शुद्धिके बाह्य चिह्न हैं। इसकी मददसे हम शुद्ध बनें, नम्र बनें। दाँडीको हमने हरिद्वार माना है तो हरिद्वार-जैसे पवित्र धाममें जानेकी योग्यता हममें आनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १३-४-१९३०

१४३. भाषण: उमराछीमें[3]

२८ मार्च, १९३०

यदि कोई व्यक्ति ६१ वर्षकी आयुमें कूच शुरू करना चाहता है तो उसे हिमालयकी यात्रा पर जाना चाहिए ताकि उसे मोक्षका लाभ तो मिले, परमेश्वरके दर्शन तो हों? लेकिन मैंने तो उलटा धर्म सीखा है। मुझे तो ईश्वरके दर्शन इसी तरह कूच करते हुए प्राप्त करने हैं। आप लोगोंके भी दर्शन करके मैं आपसे उसमें भाग लेनेकी याचना करता हूँ। क्योंकि जबतक देशमें जो राक्षसी राज्य है उसमें उथल-पुथल नहीं होती तबतक हम सब उसके भागीदार हैं। ऐसा भागीदार यदि धवलगिरि तक भी जाये तो भी उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। परमेश्वरके दर्शन तो दुष्कर है। वह तो ३० कोटि मनुष्योंके हृदयमें वास करता है। वहाँ जाना हो तो व्यक्तिको इन हृदयोंसे तादात्म्य स्थापित करना चाहिए। इन तीस कोटिमें उत्कलके हड्डियोंके पंजर, हिन्दू और मुसलमान, पारसी, ईसाई तथा सिख, पुरुष और स्त्रियाँ, ये सब आ जाते हैं। जबतक हम इसके प्रत्येक अंगके साथ एक नहीं हो जाते, उसमें लीन नहीं हो जाते तबतक हम आस्तिक नहीं, नास्तिक हैं। इसीसे मैंने मनमें विचार किया कि ६१ वर्षकी उम्रमें भी तुझे शान्तिसे नहीं बैठना है। जबतक इस साम्राज्यका नाश नहीं हो जाता तबतक तेरे लिए कैसा आराम? आजतक मैं मौन था। मित्रोंके कटाक्षोंको सुनता था और सहता था। मुझे भय था कि लोग शायद गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे? मैं कहूँ और लोग न करें तो क्या होगा? लेकिन मुझे लगा कि

१. "धर्म-यात्रा" से उद्धृत।

२. गांधीजी ने ये शब्द उस समय कहे जबकि वे और उनकी पार्टी सूरत जिलेमें कीम नदी पार कर रही थी, उस दिन २८ मार्च थी।

३. "स्वराज गीता" से उद्धृत।

मैं डरपोक था। यह मेरे हृदयकी दुर्बलता थी। लोगोका अविश्वास करनेका मुझे क्या अधिकार था?

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ६-४-१९३०

१४४. भाषण : भटगाममें

२९ मार्च, १९३०

उपदेश शब्द तो सरल है लेकिन उपदेश देना अत्यन्त कठिन काम है। मनुष्यमें उपदेश देनेकी योग्यता होनी चाहिए। मुझमें वह योग्यता कितनी है, इसकी मुझे खबर नही। लेकिन आज मैं कुछ-एक बातें कबूल करना चाहता हूँ, इसे यदि आप उपदेश मानना चाहें तो मानें और कोई दूसरा अर्थ निकालना चाहें तो वह भी निकाल सकते हैं।

आप गुजरातके लोग — सच पूछें तो सारे हिन्दुस्तानके लोग — मेरे एक स्वभावसे अच्छी तरह परिचित हो गये हैं, लेकिन अन्य लोगोकी अपेक्षा गुजराती लोग विशेष रूपसे मेरे स्वभावको जान गये हैं। और यहाँ सूरत जिलेमें तो मेरे निकट सम्पर्कमें आनेवाले अनेक साथी भरे हुए हैं। वे तो मेरे स्वभावसे वाकिफ हैं ही तथा उनके द्वारा आपको भी मेरा परिचय होना चाहिए।

मैं स्पष्टवादी हूँ। सरकारके पहाड-जैसे दोषोको पहाड़-जैसा बता सकता हूँ। हमारे यदि रजकण-जितने दोष हो तो भी वे मुझे पहाड़के बराबर प्रतीत होते हैं और मैं उन्हें उतने ही बड़े बताता भी हूँ। सामान्य नियम तो यह है कि कोई अपने दोष नही देखता।

इसमें स्वीकार करने लायक क्या बात है, ऐसा कहकर व्यक्ति अपने मनको चुप कर देता है। मैंने इस सामान्य नियमकी वर्षोंसे अवहेलना की है और इससे अनेक मित्रो और साथियोको दु.ख हुआ है, उन्हें रोना पडा है तथा किसी-किसीने "दूरके ढोल सुहावने", कहकर मेरा त्याग भी किया है। आज मैं अपने इस स्वभावका परिचय कराना चाहता हूँ।

मेरे साथ लोगोका जो जत्था चल रहा है उससे मैंने पहले ही कह दिया है कि हमारे कूचका यह अन्तिम सप्ताह है। आगामी शनिवारको हम निर्धारित स्थलपर पहुँच जायेंगे, इसलिए कूच करनेकी जरूरत न रहेगी, लेकिन अन्य कार्यक्रम हमारे सामने होगा। इस अन्तिम सप्ताहमें हमें सूरत जिलेसे होकर गुजरना है। जहाँ हमारे निकटतम साथी बिखरे हुए हैं वहाँ हमें सावधान होकर जाना चाहिए और आत्मशुद्धिके विशेष प्रयत्न करने चाहिए। हम कोई फरिश्ते नही हैं। हम अनेक दोषों और लालचोंसे भरे हुए है और हमें उन सबको दूर करना है। इतनी चेतावनी देनेके बाद अधिक कहनेकी जरूरत न होगी, ऐसा मैंने सोचा था लेकिन ईश्वर मुझ पर हमेशासे कृपा करता आया है। एक ही दिनमें हमें एक-के-बाद-एक अपने असंख्य

दोष दिखाई दिये। इसके लिए मुझे अपने साथियोंसे कहना पड़ा। मैंने जो दोष बताये वे केवल उतने ही नहीं रहे हैं अपितु दिन-प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। मेरे साथके जत्थेके लोगोंके दोष मुझे खटकते रहते हैं।

वाइसरायको पत्र लिखनेवाला मैं कौन होता हूँ? वाइसराय हिन्दुस्तानके प्रति व्यक्तिकी आयसे पाँच हजार गुना ज्यादा वेतन लेते हैं, इसके लिए मैंने उनकी कटु आलोचना की थी। यह वेतन उनको कैसे पच सकता है? और हम उसे कैसे पचने दें? इसमें उनका कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है। ईश्वरने उनको पैसा दिया है, उन्हें वेतनकी कोई जरूरत नही है। पत्रमें मैंने लिखा कि आप सारा पैसा परोपकारमें लगा देते होंगे; और बादमें मैंने ऐसा सुना भी; बहुत सम्भव है, ऐसा ही होता हो। वे, यह पैसा परोपकारमें लगाते हों तो भी मुझे तो उन्हें इतना ज्यादा पैसा देना खलेगा। मैं तो २१,००० रुपये उन्हें कदापि न दूं, शायद २,१०० रुपये भी न दूं। लेकिन ऐसा कब किया जा सकता है? मैं स्वयं गरीबोंकी तरह रहता होऊँ तभी न? हम अपनेको गरीब कहकर घरोंसे निकले, किन्तु यदि जत्थेके प्रत्येक व्यक्तिपर गरीबोंकी कमाईसे पचास गुना ज्यादा खर्च होता हो, तो ऐसा कहनेका मुझे क्या अधिकार है? अपने पर होनेवाले खर्चका हिसाब मैंने अपने साथियोंसे माँगा है और मैं उसे लेनेवाला हूँ। हिन्दुस्तानकी दैनिक आय ७ पैसे है; असम्भव नही कि हम उससे पचास गुना ज्यादा खाते हों। देशमें जहाँसे भी मिले वहाँसे आप अँगूर मँगवाते है, नारंगी लाते हैं, जहाँ बारह चाहिए वहाँ १२० इकट्ठा करते हैं। जहाँ १ सेर दूधकी जरूरत होती है वहाँ आप ३ सेर ले आते हैं। आप दूध-घी हमें देते हैं और हम यह सोचकर उसे ग्रहण कर लेते हैं कि मना करनेपर आपकी भावनाको ठेस पहुँचेगी। आप अमरूद आदि भेंट करते हैं, उन्हें कैसे अस्वीकार किया जा सकता है, ऐसा सोचकर हम खा लेते हैं और बादमें हलके मनसे विलायती कलमसे वाइसरायको लिखते है कि आप पाँच हजार गुना ज्यादा वेतन लेते हैं, तो यह बात कैसे शोभा दे सकती है?

अखा भगतने गाया है, "काचो-पारो खावो अन्न, तेवुं छे चोरीनुं धन"[1] अपनी गरीबीको जो शोभा दे, उतना खर्च न करके अधिक पैसे खर्च करना चोरी ही है। और चोरी करके इस युद्धमें विजय प्राप्त नही की जा सकती, इस तरह विजय प्राप्त करनेके लिए मैं निकला भी नहीं हूँ। अभी तो झुण्डके-झुण्ड स्वयंसेवक आयेंगे। उन सबपर व्यर्थका खर्च करेंगे तो कैसे निर्वाह होगा! मेरी तो ऐसी दीन दशा है कि मैं अपने साथके इन अस्सी व्यक्तियोंको भी नहीं पहचान पाता। ऐसी स्थितिमें मुझे सार्वजनिक रूपसे मैलको धोकर सन्तोष मानना होगा। यदि आप इसे जल्दी ही नहीं समझेंगे तो स्वराज्य प्राप्त करनेकी आशा न रखें।

मैंने यह बताया कि हम अस्सी लोग कितने दुर्बल हैं और हमने वाइसरायको जो पत्र लिखा है वैसा पत्र लिखकर हमने उचित नहीं किया। हालाँकि मैंने पूरा ब्योरा आपके सामने नही रखा फिर भी वैसा करना मुझ-जैसे स्पष्टवक्ताके लिए भी मुश्किल है।

१. तात्पर्य यह कि चोरीका धन ऐसा ही है जैसे कच्चा पारा खाना।

अब यहाँ रहनेवाले अपने साथियोसे मै कहता हूँ, आप लोग मुझे क्यों बिगाडते हैं? मैं ठहरा 'दीन, हीन और मलिन व्यक्ति', उसे आप और ज्यादा क्यो बिगाडते हैं? यह रही आपकी गैसकी बत्ती! ऐसी बत्ती यहाँ अच्छी नही लगती। ऐसी वस्तु-को हम गाँवोमें कैसे आने दे सकते है? पहले ही एक लाख व्यक्ति हमें लूटते है, यह बात हमें बरदाश्त नही होती। यदि हम ३० करोड़ लोग परस्पर एक-दूसरेको लूटने लगेंगे तो हमारी क्या हालत होगी?

तब तो हमारी हड्डियाँ कौए और कुत्ते खायेंगे। किसी एक स्थानपर तो मैंने आग्रहपूर्वक इस बत्तीको बन्द करवा दिया था। हम खानेके लिए इकट्ठे नही होते। रही भाषण सुननेकी बात, सो अँधेरेमें भी सुना जा सकता है। मेरा मुँह देखनेकी इसमें कोई जरूरत नही। और फिर मुझ-जैसे ६१ वर्षीय बूढ़ेके दन्त-आदि-विहीन चेहरेको देखनेकी जरूरत भी क्या है?

बत्ती तो चूँकि मेरी आँखोंके आगे टँगी हुई है इसलिए मैंने उसका उदाहरण दिया। लेकिन बत्तीके उदाहरणसे मै स्वयसेवक-मात्रको जाग्रत करना चाहता हूँ कि वे एक-एक कौड़ीका हिसाब करके मुझे दें। यदि आप ऐसा नही करेंगे तो आप मेरा जीवन धूलमें मिला देंगे। यदि मुझे सरकारके विरुद्ध सत्याग्रह करना आता है तो स्वयसेवक और सत्याग्रही सब-कोई अच्छी तरहसे जान ले कि मुझे सगे-सम्बन्धियो तथा साथियोंके विरुद्ध और भी अधिक सत्याग्रह करना आता है। सरकारके साथ युद्ध ठाननेमें तो मैंने अनेक वर्ष लगाये लेकिन सगे-साथियोंके विरुद्ध सत्याग्रह करनेमें मै तनिक भी समय नही लगाऊँगा। इसमें जो जोखिम है वह हृदयको आघात पहुँचनेकी है। अतः आप इसे चेतावनीके रूपमें मानें कि इस युद्धमें आप जो दें सो कजूसीके साथ दें, उदार होकर नही। मै इस बातकी शिकायत नही करूँगा कि मुझे अमुक चीज क्यो नही मिली? अथवा बकरीका दूध क्यो नही मिला? यदि किसी बीमारके लिए बकरीका दूध रखा हुआ हो और आप यह कहकर उससे जबरदस्ती दूध ले आयें कि 'महात्मा'को देना है तो मेरे लिए वह दूध विषके समान है। मै ऐसा दूध नही पीना चाहता। सूरतसे दूध और साग-सब्जी आये और हम उसे खायें, ऐसे दूध-सब्जीके बिना कोई मरनेवाला नही है और यदि दो-चार व्यक्ति मर भी जायें तो क्या होता है? यदि वे इस तरह ईश्वरका नाम लेते हुए और दिलमें तनिक भी रोष किये बिना मरेंगे तो उनका कार्य पूरा हुआ माना जायेगा। मोटर आदि अथवा अन्य किसी चीज पर जो खर्च करे सो सोच-समझकर करे। पैदल चलकर जाया जा सके तो मोटर पर न जायें। [बैल] गाड़ीसे काम चले तो घोड़ेपर न चढ़ें और यदि घोड़ेसे काम चलता हो तो मोटरमें न बैठें। यह ३० करोड़का युद्ध है। यह युद्ध रुपये अथवा मोटरसे लड़ा जा सकेगा, ऐसा न समझें। इसमें तो भूखे भी भाग ले सकते है, यदि इस बातका मुझे विश्वास न हो तो मैं करोड़ो लोगोको इसमें भाग लेनेके लिए आमन्त्रित न करूँ। पैसा इकट्ठा करके करोड़ोको खिलाते हुए यह युद्ध करना मेरी शक्तिके बाहर है।

इस युद्धमें मौज-शौक क्षण-भरके लिए नही चलेगा। हमें तो इसके बिना ही यह लड़ाई लड़नी है। आप कहेंगे, "तो इतने लोगोको इकट्ठा नही किया जा सकता",

तब मुझे दो-चार लोगोंसे भी बात करनी आती है। तब आप कहेंगे, "बादमें अखबारोंमें रिपोर्ट नहीं छपेगी।" मैं कह देना चाहता हूँ कि हमें यह लड़ाई अखबारोंकी मार्फत नही जीतनी यह तो श्रीरामके नामपर जीती जानी है और उसके पास जानेके लिए हमें बत्तीकी जरूरत नही, विलायती कलम आदि सामग्रीकी जरूरत नही, जीभकी भी जरूरत नही। उसके पास तो हाथ-पैर कटे होनेपर भी प्रार्थनापत्र पहुँच सकता है।

हम आज जिन लोगोंको कहारोंकी श्रेणीमें रखते है वैसा कोई एक व्यक्ति सिरपर गैसकी बत्ती रखकर मेरे आगे चल रहा था। यदि आप लोग इस बत्तीको अपने कन्धों पर रखें तो आपको शर्म आयेगी। आपके अध्यक्ष महोदय अथवा मीठूबहन इसे अपने सिरपर रखकर चलें तो मै यह बात सहन कर सकता हूँ। बत्तीवालेको 'चलो, चलो,' कहकर दौड़ाया जा रहा था। लेकिन कहनेवालेकी यह हिम्मत नही होती थी कि वह उस बत्तीको उससे लेकर अपने सिरपर रख ले। मैं मन-ही-मन क्रोधित हो रहा था और वायु वेगसे चल रहा था।

यूरोप अथवा अमेरिकामें आदमीसे इस तरह बत्ती नहीं उठवाई जाती। यह काम तो हिन्दुस्तानके भोले-भाले लोगोंसे ही लिया जा सकता है। हम कहते है कि स्वराज्यमें बेगार नही चल सकती। आपको और मुझे ऐसा कहनेका क्या अधिकार है? आप इसे कैसे सहन करते है? हाथमें लालटेन लेकर चलना ही क्या पर्याप्त नही है? ऐसी भारी बत्ती यदि आप मेरे सिरपर रखें तो मेरी हड्डियाँ चूर-चूर हो जायें; फिर हम अपने उस भाईसे यह काम कैसे ले सकते है? वह एक दिन हिन्दुस्तानका बादशाह भी बन सकता है, हमारा प्रतिनिधि हो सकता है।

मै इस समय जो ये वाक्य बोल रहा हूँ उनके आधारपर आप यह न समझ लें कि मैं भागनेवाला हूँ। मैंने एक बार जो प्रतिज्ञा ले ली है उससे मै पीछे हटनेवाला नही हूँ। मैं कौए-कुत्तेकी मौत मरूँगा, स्वराज्यकी रट लगाते हुए घूमते-भटकते हुए मरूँगा, लेकिन पीछे नहीं हटूँगा।

बत्ती और दूधके मैंने जो उदाहरण दिये है, आप यदि समझदार होंगे तो 'हँडियाका एक चावल' वाली कहावतके अनुसार आचरण करना चाहिए सो समझ गये होंगे। ये बहनें कितनी श्रद्धासे मुझे पैसा दे रही है! लेकिन बहनो, सुनो! मै आज स्वीकार करता हूँ कि श्रद्धासे दिये गये आपके पैसेका मैं दुरुपयोग करता हूँ। अभी-अभी यहाँ जो गीत गाया गया है उसमें चांडालोंके प्रति तिरस्कारका भाव दिखाया गया है, वैसा ही मैं भी हूँ। मेरा त्याग करना।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ६-४-१९३०

१४५. बहिष्कारकी मर्यादा

इस यात्राके दौरान बहिष्कारके बारेमें मैं अपने भाषणोंमें बहुत-कुछ कह चुका हूँ। मेरे भाषणोंके ये अंश समाचारपत्रोंमें किस रूपमें छपे हैं, यह मैं नहीं जानता। महत्वका विषय होनेके कारण यहाँ पर विचार कर लेना और बहिष्कारकी मर्यादा निश्चित कर लेना आवश्यक है। चूंकि यह युद्ध पवित्र, सत्य और अहिंसामय होनेके कारण धार्मिक है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इसमें जाने-अनजाने भी किसी तरहकी भूल न हो। इस सम्बन्धमें छोटी-सी भूल भी इस लड़ाईको नुकसान पहुँचायेगी।

आज बहिष्कार दो तरहसे काम कर रहा है: एक सरकारी अधिकारियोंका और दूसरा ऐसे लोगोंका जो लोकमतकी परवाह नहीं करते — यथा, मुखिया आदिका। अफसरों या अधिकारियोंके हमारे गाँवोंमें आने पर उन्हें सलाम न करना, उनकी सलामी बजानेके लिए न जाना आवश्यक है; यह हमारा धर्म है। हम उनका आतिथ्य नहीं कर सकते, उन्हें किसी प्रकारकी सहूलियत नहीं दे सकते। यह असहयोग है। गाडीवाला गाड़ी न दे, कुम्हार पानी न भरे, मोदी ओढ़ने-बिछानेके कपड़े न दे। क्योंकि अधिकारीगण ये सब सहूलियतें अपने अधिकारके बलपर लेते हैं। अधिकारीको ये सब सुविधाएँ न देनेका उद्देश्य उसे दुःख देना नहीं, बल्कि उसकी सत्ताका अन्त करना है, और इसमें सविनय अवज्ञा भी निहित हो सकती है।

अब सवाल यह है कि अगर कोई अधिकारी भूखों मरता हो, दुःखसे तड़प रहा हो और कोई उसका मददगार न हो तो क्या करें? ऐसे समय हमें दुःख उठाकर भी उस अधिकारीकी सेवा करनी चाहिए। मान लीजिए किसी अधिकारीकी मोटर टूट गई हो और उसे भोजनकी जरूरत हो तो उस हालतमें उसे हम भोजन करायें और यदि उसके पास पैसे न हों तो पैसोंकी आशा भी न रखें; मान लीजिए कोई अधिकारी एकाएक बीमार हो गया और उसकी सेवा करनेवाला कोई नहीं है, तो उस हालतमें हम उसकी सेवा उतने ही प्रेमसे करें जितने प्रेमसे अपने किसी प्रियजनकी करते हैं। एक मनुष्यके नाते हमें उससे कोई वैर नहीं है। हमारा वैर तो उसके अधिकारसे है। अभी तक सरकारने अपना होश-हवास नहीं खोया है; अभी शासन करनेमें उसे बहुत कठिनाइयाँ नहीं उठानी पड़ी हैं। लेकिन जब उसे शासन-कार्यमें कठिनाई होने लगेगी, तो यह सर्वथा सम्भव है कि वह अपने होश-हवास सहज ही भूल जाये और सीमाका उल्लंघन कर बैठे। ऐसा होनेपर यह मुमकिन है कि उसके अमलोंको यह हुक्म मिल जाये कि वे लोगोंसे जबरदस्ती जो चाहे सो ले। ऐसे समय पर इस बहिष्कारका भली भाँति उपयोग किया जा सकता है। हमें तब पता चल जायेगा कि बहिष्कार ही सच्चा धर्म है। सरकारी कर्मचारी यह मानता ही है कि अधिकारकी रूसे उसे सहूलियतें देना लोगोंका फर्ज है। जब लोग उसके इस खयाल-को झूठा साबित कर देंगे और ऐसा करते हुए जो भी कष्ट उठाने पड़ेंगे उन्हें सह लेंगे, तभी उन्हें स्वतन्त्र माना जा सकता है। जब लोग इस तरहकी जबरदस्तीके

सामने नहीं झुकेंगे तभी उन्हें विजयी माना जा सकता है। आज तो बहिष्कार एक खिलवाड़-सा है। लेकिन जब सरकार अपने नौकरोंको लूट-पाट करनेकी आजादी दे देगी, उस हालतमें हर तरहकी बरबादीका सामना करते हुए भी लोग स्वेच्छासे अधिकारियोंको दातुन-तक न दें; तभी बहिष्कारके धर्मका पूरा पालन हुआ कहा जा सकता है। लेकिन यह याद रहे कि ऐसे समय भी यदि कोई अधिकारी, जैसा ऊपर कहा गया है वैसी, मुसीबतमें फँस जाये और उसका अधिकार उसकी रक्षा न कर सके तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। मित्र और शत्रुको एक समान माननेका जो धर्म है, उसे पालनेका यही अवसर है। सत्याग्रहीका इस दुनियामें कोई दुश्मन नहीं होता, न हो सकता है; वह किसीको अपना दुश्मन न समझे। अपना लड़का या पिता भी अगर अधिकारी हो तो वह उसका भी बहिष्कार करे। सत्याग्रहीके लिए स्वजन या परजनमें कोई भेद नही होता। सत्याग्रही जो काम अपनोंके लिए नही कर सकता, वह दूसरोंके लिए कभी न करे।

अब हम मुखियाके दृष्टान्त पर विचार करें। गाँवके सब लोग तो चाहते हैं कि मुखिया इस्तीफा दे, लेकिन उसमें इस्तीफा देनेकी हिम्मत नही है, अथवा स्वार्थ-वश वह इस्तीफा नही देना चाहता। ऐसी हालतमें मुखियाका बहिष्कार नही किया जा सकता। इस तरहका बहिष्कार जबरदस्ती है। इस प्रकार मुखियाको लाचार करना तो उससे जबरदस्ती पुण्य करानेके समान है। परन्तु धर्ममें जबरदस्तीका कोई स्थान नही होता। किसीसे जबरदस्ती कोई काम करवाकर प्रजातन्त्र कभी कायम नही किया जा सकता। इस देशके मृतप्राय लोगोंके साथ जबरदस्ती करना महापाप है, और यदि केवल बुद्धिमानीसे इसपर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि इस तरहकी जबरदस्तीसे हमारा उद्देश्य कभी सिद्ध नहीं हो सकेगा। हमारा उद्देश्य सफल हो या न हो, इस तरहकी जबरदस्ती निःसन्देह हिंसा है। मुखिया इस्तीफा दे या न दे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। लोकमतका आदर करके भी अगर वह इस्तीफा देता है तो अच्छा है, अन्यथा हम उसके साथ जबरदस्ती नही कर सकते।

लेकिन मुखिया अपनी सत्ता नहीं चला सकता; सत्ताके बलपर लोगोंसे कोई काम नहीं करा सकता। मुखियाकी दो अवस्थाएँ हैं: वह अधिकारी है, और वह ग्रामवासी है। अधिकारीके रूपमें यदि वह बेगार आदि माँगेगा तो वह नहीं मिलेगी; और ग्रामवासीके नाते सीधा वगैरा माँगनेका उसे अधिकार है। उसे खाने-पीनेके लिए कुछ न देनेका अर्थ तो उसे इस्तीफा देनेके लिए मजबूर करने जैसा है। सत्याग्रही यह नही कर सकता।

लोकमतके खिलाफ काम करनेवालोंका मर्यादित और सामाजिक बहिष्कार करना हमारा अधिकार है, और कभी-कभी ऐसा करना हमारा कर्त्तव्य भी हो जाता है। जो मुखिया स्वार्थके लिए अपनी मुखियागिरीसे चिपटा रहता है, समाज उसकी इज्जत न करे, अर्थात् उसकी दैनिक आवश्यकताओंकी पूर्तिको छोड़कर समाज और सब तरहसे उसका बहिष्कार करे; विवाह आदिके अवसरोंपर लोग उसके यहाँ न जायें, उसके यहाँसे मिले न्यौते आदिको स्वीकार न करें। सारांश यह कि उसके दुःखमें

लोग उसके भागीदार हो, किन्तु भोगमें कभी नहीं। इस तरहके बहिष्कारमें ईर्ष्या-द्वेष, हिंसा आदिको स्थान नही होना चाहिए। अगर मुखिया हमारा सगा भाई हुआ तो हम क्या करेंगे? अपनी अमूर्च्छित अवस्थामें हम समझ-बूझकर समाजसे जैसे व्यवहारकी आशा रखते हैं, वैसा ही व्यवहार हम मुखिया वगैराके साथ भी करें।

अबतक हमने तीन प्रकारके बहिष्कारपर विचार किया :

१. अधिकारीके अधिकारोंका बहिष्कार;

२. मुखिया वगैराका जबरदस्ती किया गया बहिष्कार; और

३. मुखियोंकी तरह जो लोग लोकमतकी कद्र नही करते उनका मर्यादित बहिष्कार।

पहला बहिष्कार करने योग्य है, और वैसा करना धर्म है। जिसमें हिम्मत हो वही इस तरहका बहिष्कार करे। यह याद रहे कि इस बहिष्कारके सिलसिलेमें भारी दुःख सहनेका मौका भी आ सकता है। कांग्रेस आज इस तरहके बहिष्कारकी आज्ञा नही दे रही है। यह बहिष्कार गुजरातके कुछ हिस्सोंमें ही शुरू हुआ है, क्योंकि गुजरातियोंको इसका अभ्यास हो चुका है, और इसकी उन्हें ठीक-ठीक जानकारी भी है। सरदार वल्लभभाईकी गिरफ्तारी और सजाके कारण इस तरहका बहिष्कार करना गुजरातका विशेष धर्म है। लेकिन संकटके समय इसका निर्वाह न कर सकने-वाले यदि इसमें भाग न लें तो कोई नुकसान नही, लेकिन एक बार कदम बढ़ा चुकने पर उसे पीछे हटानेमें हानि होगी।

दूसरा जबरदस्ती थोपा गया बहिष्कार हमेशा त्याज्य है, क्योंकि उसमें हिंसा है और इस कारण उससे निश्चय ही लोगोंकी बहुत-कुछ हानि हो सकती है।

तीसरा मर्यादित बहिष्कार करने योग्य है।

सत्याग्रहीका प्रत्येक काम स्वयं दुःख सहनेके लिए होता है, विरोधीको दुःख देनेके लिए कदापि नही। स्वयं दुःख उठाते या धर्मका पालन करते हुए यदि विरोधीको कष्ट पहुँचे या असुविधा हो तो सत्याग्रही उसके लिए लाचार है।

फिलहाल तो मैं लोगोंसे नमक-कानूनकी सविनय अवज्ञा करनेकी ही आशा करता हूँ। इसके सिवा यदि और कुछ न हो सके तो सब भले चुपचाप बैठे रहें, लेकिन एक बार आगे कदम बढाकर पीछे हटानेमें खतरा और नुकसान है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३०-३-१९३०

१४६. मुखियों और मतादारोंके बारेमें

मुखियों और मतादारोंके इतने अधिक इस्तीफे आये है कि उनके बारेमे कुछ लिखना आवश्यक हो गया है। इन इस्तीफोंके बारेमें इतनी ज्यादा अफवाहें सुननेमें आई है कि उनकी सचाईके सम्बन्धमें खुद मुझे ही शक है। यदि ये इस्तीफे बिना किसी दबावके खुशीसे दिये गये हों, तो निश्चय ही इनका बहुत महत्त्व है। फिर भी जिन सरदारकी सजाके कारण ये दिये गये है, उनकी सेवाके मूल्यकी तुलनामें इन इस्तीफोंकी कीमत कुछ भी नहीं। जिस गुजरातके लिए वल्लभभाईने अपना सब-कुछ अर्पित कर दिया वह गुजरात चाहे जितना त्याग करे, कम ही है। यह सच है। इसलिए गुजरातको स्वराज्यके लिए वे सब प्रयत्न करने चाहिए, जिनका किया जाना उचित है।

अब इस दृष्टिसे हम मुखियागिरीकी जाँच करें। मुखियागिरीको जितनी स्पष्टता-पूर्वक आज मैं समझता हूँ, उतना पहले नही समझता था। मुखियाकी स्थिति पुलिस या पटेलकी है। मुखियाके द्वारा सरकार लगान वसूल करती है और अपने हुक्मोंकी तामील करवाती है। मुखियाके अभावमें मामलतदार वगैरा अधिकारी अपंग हो जाते हैं। चाहे जिस आदमीको मुखिया नही बनाया जाता, बल्कि जिसका गाँवमें कुछ प्रभाव हो वही मुखिया नियुक्त किया जाता है। सरकारके दफ्तरमें ऐसे आदमियोंकी सूची रखी जाती है और वे मतादार कहलाते है। इन्हींमें से बारी-बारीसे मुखिया मुकर्रर किया जाता है, और हर पाँचवें साल नया मुखिया उसका स्थान ग्रहण करता है। इन मतादारोंको सरकार हरसाल कुछ नजराना देती है और यह रकम चार-पाँच रुपयेसे ज्यादा नही होती। मुखियाको हर साल तीससे लेकर पचास रुपये तक नजराना मिलता है। 'नजराना' शब्दका मैं जान-बूझकर प्रयोग कर रहा हूँ। इस रकमको वेतन कोई नही समझता। मुखियाको मिलनेवाली रकमका उसकी नजरमें कोई मूल्य नही होता। क्योंकि आम तौर पर रुपये-पैसेके लिहाजसे मुखिया एक खुशहाल आदमी होता है। अतः इस तरह मिलनेवाली रकमको क्या कहा जाये, इसका विचार करते हुए मैंने इसे 'नजराना' कहा है। अफगानिस्तानके अमीरको इसी तरह 'नजराना' देकर बन्धनमें बाँध लिया जाता था। मैं जानता हूँ कि अमीरके नजराने और मुखियाके नजरानेमें बहुत फर्क है। अमीरके नजरानेकी रकम बड़ी होती है और यह बहुत छोटी है। इन दोनोंमें कुछ और फर्क भी है। फिर भी दोनोंका उद्देश्य एक ही है और वह है प्रतिपक्षीको बाँध लेना।

मुखिया और मतादार क्यों इस बन्धनमे पड़ते है? अधिकारका रौब गालिब करनेके लिए ही नही, बल्कि इसलिए कि ऐसे अधिकारसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, और उस प्रतिष्ठाका उपयोग करके उसके द्वारा वे पैसे पैदा करते है। ईमानदारीसे यह काम नहीं किया जा सकता। बेईमानी तो इसके मूलमें ही होती है। अतएव मुखियागिरीको मंजूर करके गाँवके महाजन और उसके रक्षक बननेके बदले भक्षक

बननेका धन्धा करनेका नाम ही मुखियागिरी है। मेरे कहनेका यह मतलब नही है कि सभी मुखिया ऐसे ही होगे, लेकिन बहुत-से मुखियोसे मेरी जो बातचीत हुई है, यह उसका निचोड है।

न तो सरदारकी खातिर और न स्वराज्यकी खातिर, बल्कि धर्म और नीतिकी खातिर ऐसी मुखियागिरी और मतादारीको तिलांजलि दे देनी चाहिए। इस समय देशमें आत्मशुद्धिका जो यज्ञ हो रहा है, उसमें मुखिया और मतादार अच्छी तरह हाथ बँटा सकते हैं। दूसरे लोग तो पेटका बहाना कर सकते है; पर मुखियो और मतादारोके सामने वैसी कोई बात नही है। उनके लिए तो यह एक खिताब छोड़ देने-जैसी बात है। इसीलिए मैंने इस स्थितिको जूठनका ढेर कहा है, और मेरा यह कथन बिलकुल ठीक है। ईश्वर करे, मुखिया और मतादार इस जूठनसे मुक्त हो!

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३०-३-१९३०

१४७. भाषण: ओलपाड ताल्लुकेमें[1]

[३० मार्च, १९३० को या उसके पूर्व][2]

मुझे तो लगता है कि स्वराज्यकी इस लड़ाईमें पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोका योग-दान अधिक होगा। आज भी चरखा संघमें स्त्रियोंका योगदान बहुत अधिक है। पन्द्रह सौ गाँवोमें जो लाख-डेढ़ लाख चरखे चल रहे है उन्हें स्त्रियाँ ही चलाती हैं। आन्ध्रकी महीन खादी भी हमें स्त्रियोके प्रतापसे ही मिल पाती है। मैं आपसे कहता हूँ कि 'सूतका तार अर्थात् स्वराज्य' वाली बात बिलकुल सही है। यह ब्रह्माका लेख है। मतलब यह कि विदेशी कपड़ेका बहिष्कार चाहे खादीके बल पर करना हो या मिलके कपड़ेके बल पर, कातनेवाली तो स्त्रियाँ ही हैं। इसलिए स्वराज्यके लिए चल रही अहिंसक लड़ाईमें स्त्रियोका हिस्सा ही बड़ा रहेगा, और आनेवाली पीढ़ी कहेगी कि इस लडाईमें हमारी माताओं, हमारी बहनोका ही अधिक योगदान था। आप यह करनेमें समर्थ है। लेकिन अगर आपमें दयाका भाव न हो तो आप चरखेका स्पर्श न करें।

मद्यनिषेधके काममें भी अगर मीठूबहनकी तरह बहुत-सी युवतियाँ निकल पडें तो आप इस ओलपाडको तो इस बुराईसे मुक्त करके ही छोड़ेंगी। यदि शराबीके पास पुरुष जायेंगे तो वह उन्हें गालियाँ देने लगेगा, लेकिन अगर लड़कियाँ उसके पास चली जायें और कहें कि आप शराब क्यो पीते है, यह आप क्या करते है, शराब पीकर आप माँ और बेटीका भेद भूल जायें, यह क्या आपको शोभा देगा;

१. "स्वराज-गीता" से उद्धृत।

२. गांधीजी ने ओलपाड ताल्लुकेमें २८ मार्चको प्रवेश किया था और ३१ मार्चको वे वहाँसे चले गये थे। पर ३१ तारीखको उनका मौनवार था।

तो ऐसे प्रेम-पगे शब्द सुनते ही वह चाहे जितना बड़ा शराबी हो, उसका सिर झुक जायेगा और अगर वह भला आदमी होगा तो शायद रो भी पड़ेगा और रामका नाम लेकर शराब छोड़नेकी प्रतिज्ञा करेगा। किन्तु हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंमें ऐसा जोश, हिम्मत और परोपकार-वृत्ति कहाँ है? लेकिन यह हिम्मत मैं दे सकता हूँ। आप ईश्वरका नाम लेकर सीधे चली चलें तो आपको कुदृष्टिसे देखनेवाला कौन है? मनमें ऐसा विश्वास रखें कि पवित्रता ही आपकी ढाल है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ६-४-१९३०

१४८. भाषण : साँधियेरमें

३० मार्च, १९३०

एक और तलाटी भाईने इस्तीफा दे दिया, इसके लिए उन्हें मेरा धन्यवाद! आज आपका विशेष कर्त्तव्य यह है कि आप सरकारी नौकरियोंको कूड़ा-कर्कट या जूठन समझकर फेंक दें। आपको चाहे कैद हो, चाहे फाँसीपर लटकाया जाये या भूखों मरना पड़े, फिर भी आप अपने विशेष कर्त्तव्यका पालन करें। यहाँके पटेल वफादारीमें सबसे दो कदम आगे हैं, वे दूसरोंको भी इस्तीफा देनेसे मना करते हैं। मैं तो उनसे भी इस्तीफा देनेकी नम्रतापूर्वक विनती करनेवाला हूँ। अतः इस सम्बन्धमें 'नवजीवन' में प्रकाशित 'बहिष्कारकी मर्यादा' शीर्षक लेख[1] सावधानीसे पढ़कर और भली-भाँति समझकर तदनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। हम सरकारसे असहयोग कर रहे हैं; अतः हमें उस हदतक सरकारका बहिष्कार करना चाहिए।

नमकके सम्बन्धमें मैं फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता। यह कर अन्यायपूर्ण और बुरा है, तथा इसके पीछे एक लम्बा इतिहास है। यह कर लगाना नीतिपूर्ण है या अनीतिपूर्ण, सरकार यह नहीं कह सकती। किन्तु आप नमक-करको खत्म हुआ ही समझें। मैं यह बात जूझनेकी आपकी शक्तिके आधारपर कह रहा हूँ। उक्त कर उठ जानेका यह अर्थ नहीं कि हमें स्वराज्य मिल जायेगा। इसके बाद हमें और भी काम करने हैं।

आज यहाँ बम्बईके कपड़ा-व्यापारी आये हुए हैं। १९२१ में विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारका वे जितना महत्त्व समझते थे, आज उसकी अपेक्षा कहीं अधिक समझने लगे हैं। मैं तो हिन्दुस्तानके व्यापारियों और ग्रामोंके विकासकी दृष्टिसे ही सोचता हूँ। अब ये सब लोग इस बातको समझने लगे हैं कि जिस प्रकार यह लड़ाई दरिद्रनारायणके लिए है उसी प्रकार व्यापारियोंके लिए भी है। स्वतन्त्र भारतमें तो यही लोग कपड़ेके व्यापारी होंगे। आज जो आसुरी धन्धा है, स्वराज्य मिल जानेपर

१. देखिए पृष्ठ १५५-७।

वही दैवी धन्धा हो जायेगा। तो प्रश्न है कि इस लड़ाईमें व्यापारी कहाँतक हाथ बँटा सकते है? व्यापारी कहते है कि वे जापानका माल मँगायेंगे, इंग्लैंडका नही। किन्तु ऐसा करनेमें दो बड़े दोष हैं। एक तो इसका यह अर्थ हुआ कि अंग्रेजोंसे हमारी दुश्मनी है और इस कारण हम उनसे कपड़ा नही लेते; जबकि बात ऐसी नहीं है; बल्कि व्यापारके द्वारा वे हिन्दुस्तानके गरीबोंका धन हड़प लेना चाहते है, इस कारण हम विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करना चाहते है। यह बात हमें स्वप्नमें भी नही सोचनी चाहिए कि विदेशी कपड़ेका मतलब इग्लैंडका बना कपड़ा है। हालाँकि आप इतने दिनोसे उनके साथ व्यापार कर रहे है, किन्तु आप उनकी व्यापारिक चतुराईको समझ ही नही सके है। आप तो यह नही जानते कि उन्होने दिल्लीको कैसे जीता था। यदि ये लोग कुछ पाना चाहते है तो उसे जरा-सी गुजाइश मिलते ही ले डालनेमें समर्थ है। इस प्रकार उन्होने कश्मीरी [गेट का] मोर्चा मार लिया और दिल्लीको जीत लिया। कम्पनी सरकार इसीके बाद जीती थी। वह पूरी कहानी अत्यन्त करुणाजनक है। हमें विदेशी कपडेके बहिष्कारमें ऐसी कोई गुंजाइश नही छोडनी चाहिए जिसके बलपर वे प्रवेश पा सकें। दगा देनेमें ये कभी नहीं चूकते। यदि आप जापानी मालके आयातकी छूट देंगे तो इंग्लैंडवाले अपना माल बरास्ता जापान यहाँ भेजेंगे। ये लोग तो कमीशन देकर भी जापानके द्वारा अपना माल यहाँ भिजवा सकते है। अत: यदि आप विदेशसे एक गज कपड़ा भी लाने देंगे तो कपड़ेकी कितनी ही गाँठें यहाँ पहुँच जायेंगी। हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रता व्यापारियोने गँवाई है और व्यापारियोकी शक्तिके बलपर ही हमें उसे प्राप्त करना है। अत: जिन लोगोने आर्डर दिये है उन्हे यह याद रखना चाहिए कि उनका कपडा निकम्मे मालकी तरह पडा रह जायेगा। और यदि आप त्याग करेंगे तो हम इन लोगोको भी उस व्यापारसे बाहर खीच लेंगे।

अब हम शराबबन्दीकी बातको लें। मीठूबहनने इसके लिए कितना त्याग किया है। हम सभीको इस काममें हाथ बँटाना चाहिए। यदि इतना-सब हो सके तो हम ६० करोड रुपये विदेशी कपड़ेके, २५ करोड़ शराब और अफीमके तथा ६ करोड़ रुपये नमकके बचा सकते है। किन्तु ऐसा करनेके लिए हममें त्यागशक्ति, संघशक्ति, बुद्धि-शक्ति तथा विचारशक्तिका होना आवश्यक है। यदि यह सब हो जाये तो स्वराज्य हमारे हाथमें ही होगा।

मेरे सहयोगियोमें भगिनियोकी खूबियाँ है सो तो आप जानते ही हैं। किन्तु फिलहाल मै महिला स्वयंसेविकाओके बारेमें कुछ कहना चाहता हूँ। इन स्वयसेविकाओ-में से एक, दादाभाईकी पौत्री, आज यहाँ पहुँची है। उन्होने सायण ग्राममें पहुँचकर झाड़ माँगी क्योकि उन्हे गाँव बहुत गदा नजर आया। दादाभाईकी पौत्री गन्दगीको बरदाश्त नही कर सकती इसलिए वे गाँवकी सफाई करनेमें जुट गई। जो लोग उन्हें पहले नही पहचान पाये थे, उन्हें ऐसा करते देख उन्होंने पता लगाया और तुरन्त पता चल गया और लोगोंने उनका बडा स्वागत किया। इस उदाहरणका उल्लेख मैंने ढिंढोरा पीटनेके खयालसे नहीं, बल्कि इसलिए किया है कि सभी स्वयसेवकोके लिए यह

एक अनुकरणीय उदाहरण है। आज तो गाँवोंकी सफाई बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम गन्दे गाँवोंको साफ करने जा रहे हैं। इस पाठसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि वे स्वराज्यको निकट ले आई हैं। मैं तो बहनोंको भी बलिदान कर देना चाहता हूँ। मैं आपको इस बातकी याद दिला देना चाहता हूँ कि हमें आत्मशुद्धि करनी है। एक ओर हम सविनय अवज्ञा करते रहेंगे तो दूसरी ओर हम शुद्ध होते जायेंगे। आपको भगवान् इन सब बातोंको समझनेकी सामर्थ्य दे।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, ६-४-१९३०

१४९. भाषण: देलाडमें[1]

३० मार्च, १९३०

जैसा कि 'गीता' में कहा गया है, जो वस्तु आरम्भमें कड़वी लगती हो किन्तु जिसका परिणाम मधुर हो वह सात्त्विक है। इसलिए हालाँकि कल मेरा चित्त व्याकुल हो उठा था और वह व्याकुलता अभीतक मिटी नहीं है, किन्तु मैंने अपनी शान्ति गँवाई नहीं है; मित्रों, साथियों और सभाके सामने मैंने जो प्रेमके अंगारे उगले थे उन्होंने मेरे शब्दोंको उस रूपमें नहीं लिया। कलकी उस चौंधिया देनेवाली रोशनीके बदले मैं आज दीपकोंका मन्द-मन्द टिमटिमाता हुआ प्रकाश देख पा रहा हूँ।

आजकी सभामें मुझे जो आन्तरिक और बाह्य शान्ति दिखाई पड़ रही है वह कल दिखाई नहीं देती थी। कलकी उन बत्तियोंमें मुझे कृत्रिमता नजर आती थी। आपके ग्राम्य जीवन और उन बत्तियोंमें मुझे कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ा। शहरोंके सम्पर्कमें आनेसे ऐसी बत्तियाँ जल सकती हैं किन्तु असंख्य गाँव, शहरों और रेलकी पटरीसे सैकड़ों मील दूर पड़े हैं। हमारा विचार ऐसे गाँवोंकी सेवा करनेका है किन्तु ऐसे गाँवोंको तो आप जानते भी नहीं हैं। शायद ऐसे गाँव गुजरातमें तो होंगे नहीं, किन्तु गुजरात ही क्या हिन्दुस्तान है? वह तो हिन्दुस्तानका एक अंग-मात्र है। बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रान्तकी तुलनामें गुजरात है क्या? संयुक्त प्रान्तकी यात्राके दौरान मैं ऐसे गाँवोंसे गुजरा हूँ जहाँ रातको एक दीपक तक नजर नहीं आया, सिर्फ कुत्तोंका भौंकना ही सुनाई पड़ता था। गुजरातके घरोंकी तुलनामें वे घर खण्डहर-जैसे लगते हैं और उन्हें देखकर रोना आता है, तथा मुँहसे ये शब्द निकल पड़ते हैं: "हे राम! हिन्दुस्तानमें ऐसे घर!" वहाँके लोग कंकालोंकी तरह हैं। कड़कड़ाती सरदीमें उन्हें गुदड़ी तक नसीब नहीं होती। दरवाजा बन्द कर चिथड़े लपेटे जैसे-तैसे पड़े रहते हैं। उन गाँवोंकी मुझे याद आती है। क्या ऐसे गाँवोंमें वे बत्तियाँ हमें शोभा देंगी? इन गाँवोंके लिए कोई सेठ मुझे पाँच बत्तियाँ दे और मैं उन बत्तियोंको लेकर वहाँ जाऊँ तो मैं पाप करूँगा और उस हद तक पापका भागी बनूँगा। जहाँ घर धूरोंके

१. "धर्म-यात्रा"से उद्धृत।

ढेर-से नजर आते हों और जहाँ लोग पानी और अन्नके बिना तरसते हों, यदि कोई मुझे पैसे दे, तो पहले मैं कुँएँ खुदवाऊँगा और उनके घरोंकी मरम्मत करवाऊँगा, मैं उन्हें गायें और चरखे दूँगा और यदि सम्भव हुआ तो बगीचे भी लगवा दूँगा। किन्तु बत्तियोंके लिए मैं कदापि पैसे इकट्ठे नही करूँगा। हालाँकि मैं जानता हूँ कि बत्तियाँ न होनेकी वजहसे सरकारी आँकड़ोंके अनुसार ऐसे गाँवोमें लगभग २० लाख लोग साँपोके काटनेसे मर जाते हैं। इसके अतिरिक्त न जाने ऐसे कितने लोग मरते होंगे जो इस संख्यामें शामिल नही है। इन लोगोंके प्राण बचानेके लिए न तो वहाँ दवाइयाँ है और न ऐसी बत्तियाँ ही, किन्तु फिर भी मैं चौंधिया देनेवाली ऐसी बत्तियाँ वहाँ ले जानेकी हिम्मत नही करूँगा। यह उन लोगोंकी आवश्यकताओंको बढ़ानेकी बात हो जायेगी। यह तो उपवास करनेवालेको चूरमा देने-जैसा है। यदि एक बार आवश्यकताएँ बढ़ गईं तो उन्हें पूरा करनेके लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकता है। जब कि करोड़ों लोगोंको खानेको रोटीका एक टुकड़ा और खराब नमक भी पूरी तरह न मिलता हो तो खाते समय मेरे मनमें यह विचार आता है कि तुझे इतना खानेका क्या अधिकार है। किन्तु मोहवश और सेवा करनेकी आशासे मैं दूध पीता रहता हूँ।

हमें तो अपने कर्त्तव्यका विचार करना है। हम राक्षसी साम्राज्यसे टक्कर लेना चाहते है, किन्तु दुत्कारकर या हल्ला-गुल्ला मचाकर हम ऐसा नही कर सकते, बल्कि अहिंसात्मक मार्गको अपनाकर ही ऐसा किया जा सकता है। अहिंसा भले अंधी, लूली-लँगड़ी या फटेहाल दिखाई देती हो, किन्तु जब उसमें ईश्वरप्रदत्त शक्ति आकर मिल जाती है तो प्रतिपक्षी उसके सामने हतप्रभ हो जाता है, उसे लकवा मार जाता है। इसी शक्तिके भरोसे हमें काम करना है और यह बत्तियोंके द्वारा नही हो सकता। इन बत्तियोंको हटाकर मैंने अपने सहयोगियोंको आघात पहुँचाया है। उन्हें ऐसा लगता था कि इन बत्तियोंके बिना लोग परेशान होंगे; किन्तु मेरे विचारसे तो ऐसे सन्देहकी कोई गुंजाइश नही थी। अब जो सन्देश मैं दे रहा हूँ वह आपको कठोर नही जान पड़ता। बत्तियोंके कारण ऐसा प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता था।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १३-४-१९३०

१५०. पत्र : रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको

३१ मार्च, १९३०

दोबारा नहीं पढ़ा

प्रिय रेनॉल्ड्स,

मैं हर रोज तुम्हारे बारेमें और तुम्हें पत्र लिखनेकी भी सोचता रहा हूँ। लेकिन लिखनेका समय ही नहीं मिल पाता। आज तो सुबहकी प्रार्थनाके बाद तुम्हें लिखनेसे ही दिनका आरम्भ करनेका निश्चय करके बैठा हूँ।

'क्रॉनिकल' में तुम्हारा लेख[1] मुझे अच्छा नहीं लगा। यह अहिंसा नहीं है। 'इंडियन डेली मेल'को तुमने जितना महत्त्व दे दिया, वह उसके योग्य नहीं था। अगर वैसा करना जरूरी था तो तुमने जो तरीका अपनाया वह बुरा था। बुरे शब्दोंका प्रयोग करके एक सही मामलेको इस तरह बिगाड़ क्यों देना चाहिए था? और जब किसी अच्छे उद्देश्यको लेकर चल रहे होओ तो उसमें व्यक्तियोंके बचाव या आलोचनाके धरातल पर कभी न उतरो। तुम्हारे मामलेमें 'बुराईका प्रतिरोध न करो'-वाला सिद्धान्त लागू होता है। यहाँ इसका मतलब है: 'बुराईका प्रतिरोध बुराईसे मत करो।' 'इंडियन डेली मेल' के अभद्र लेखके जवाबमें अभद्र लेख लिखकर तुम उसके हलके पलड़ेको बराबरी पर ले आये। तुम्हारा पक्ष सही था, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। 'इंडियन डेली मेल' का लेख एक प्रकारकी हिंसा था। तुमने अपने सही पक्षका समर्थन जवाबी हिंसा द्वारा किया। मैं जिस चीजपर जोर दे रहा हूँ वह मात्र बुरा तौर-तरीका नहीं है। मुझे उसमें समाई हुई हिंसासे परेशानी होती है। बात बिलकुल साफ हुई या नहीं? अगर साफ हो गई हो तो मैं चाहूँगा कि तुम अपने मनमें निश्चय कर लो कि भविष्यमें किसी ऐसे व्यक्तिको दिखाये बिना, जिसकी अहिंसावृत्तिमें तुम्हें पूरा विश्वास हो, तुम कहीं भी इस तरहकी कोई चीज नहीं लिखोगे। मैंने जो-कुछ कहा है, यदि तुम्हें उसके तात्त्विक सत्यकी प्रतीति हो गई हो तो तुम विलसनसे क्षमा माँगकर इस भूलका कमसे-कम आंशिक सुधार अवश्य कर लोगे। इसके लिए तुम निम्न प्रकारका व्यक्तिगत पत्र लिख सकते हो: "यद्यपि मैं आपके आरोपों और व्यंग्योक्तियोंको गलत मानता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए वैसे शब्दोंका प्रयोग नहीं करना चाहिए था जैसे शब्दोंका प्रयोग मैंने किया। मैं ईसा मसीहके रास्तेपर चलना चाहता हूँ। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरा वह व्यवहार उनके अनुगामीके योग्य व्यवहार नहीं था। मुझे आपके बारेमें फतवा देनेका कोई अधिकार नहीं था। अगर आप इस आशयकी एक पंक्ति

१. रेजिनॉल्ड रेनाल्ड्सने गांधीजी पर किये गये बहुत ही धृष्टतापूर्ण आक्षेपोंसे 'क्षुब्ध होकर' उसका उत्तर लिखा था।

लिख भेजें कि आपने मेरी क्षमा-याचना स्वीकार कर ली है तो मेरे मनका बोझ कुछ हलका हो जायेगा।"[1]

तुमने कर्त्तव्यकी पुकारपर अपने सिर एक बहुत बड़ा काम लिया है। मैं नही चाहता कि अपने इस नये जीवनकी दहलीज पर ही तुम इस कामको हानि पहुँचाओ।

'यंग इडिया' में लिखे तुम्हारे लेखमें[2] कोई भी आपत्तिजनक बात नही थी।

अगर मेरी दलील तुम्हे कायल नही कर पाती तब तो कहनेकी जरूरत नही कि तुम उसी रास्तेपर चलो जिसपर चलना तुमने अभी शुरू किया है। मै जानता हूँ कि तुम अपना भला-बुरा सोचनेमें स्वयं ही पूरी तरह समर्थ हो। मुझे तो बस उस सिद्धान्तको साफ कर देनेकी चिन्ता थी जिसके हम दोनो कायल हैं।

कैसा चल रहा है तुम्हारा? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? और तुमको जिन चीजोकी जरूरत है उन्हे लेते रहनेका आग्रह रखते हो न?

यह जो तुम्हारी सगाई वगैरहके बारेमें खबर है सो क्या है? क्या यह सब सच है? तुम्हारी माँ की कही बात उसमें ठीक आ जाती है क्या?

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४५३२) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : स्वार्थमोर कालेज, फिलाडेल्फिया

१५१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

देलाड
३१ मार्च, १९३०

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने तार नही दिया, क्योंकि मै नही समझता कि दाँडीमें कोई पठान है, और होंगे तो हम उनसे निबट लेंगे। सरहदसे अच्छे और सच्चे मित्रोके आनेसे भी उलझनें पैदा होंगी। मुझे दाँडी पहुँचने दिया गया तो वहाँ जिन उलझनोंसे बचा जा सकता है उनसे बचते हुए सिर्फ एक ही सवाल मैं सामने रखना चाहता हूँ। सचमुच गुजरातमें घटनाक्रम बहुत ठीक रास्तेसे चलता जान पड रहा है।

मुझे आश्चर्य है कि रायबरेलीमें इन लोगोने अभीसे इतनी गिरफ्तारियाँ कर ली है। मेरे खयालसे फिलहाल नमक-कर पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखकर तुम

१. रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सने विल्सनको एक क्षमा-याचनाका पत्र भेज कर गांधीजी को इसकी सूचना दे दी थी; देखिए "पत्र : रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको", ४-४-१९३० भी।

२. २७ मार्च, १९३० के अंकमें प्रकाशित "मॉडर्न इंग्लिश माइथॉलॉजी" शीर्षक लेख।

ठीक कर रहे हो। अगले पखवाड़ेमें हमें पता चल जायेगा कि हम और क्या कर सकते हैं या हमें और क्या करना चाहिए।

मेरी तरफसे और कोई समाचार न मिले तो एक साथ सब जगह आन्दोलन शुरू कर देनेके लिए ६ अप्रैलका दिन समझ लो।

अब रातके दस बजनेवाले हैं, इसलिए राम-राम।

बापू

[अंग्रेजीसे]
ए बंच ऑफ ओल्ड लैटर्स

१५२. भाषण: छापरभाठामें

१ अप्रैल, १९३०

मुझसे रोज सब लोग कहते हैं कि आज तो आपको अवश्य पकड़ लिया जायेगा। किन्तु बाघ आता ही नही है। समाचारपत्रोंका कहना है कि सरकार मुझे पकड़ नही रही है; अतः मैं अधीर हो उठा हूँ। यह बात आंशिक रूपसे ही सत्य है। क्योंकि यह तय हुआ था कि मैं जेलमें रहूँगा और सरदार बाहर रहेंगे। किन्तु अब तो सरदार जेलमें हैं; इसलिए मैं बाहर रहूँगा। यदि हम वल्लभभाईको कैदसे मुक्त कराना चाहते हों तो इस लड़ाईको जारी रखकर ही हम उन्हें छुड़ा सकते हैं।

चोर्यासीने सरदारकी पिछली लड़ाईका पूरा फायदा उठाया है, अतः [चोर्यासीके] आप लोगोंको इस संघर्षमें पूरा योग देना चाहिए। स्वराज्यकी वर्षा तो सभी जगह एक-सी ही होगी। ऐसा ही प्रबन्ध सरकारने भी आपके लिए कर दिया है। सरदारको छुड़ा लेनेकी शक्ति तो हममें है ही। यदि हम निश्चय कर लें और सभी गाँवों पर एक उड़ती-सी नजर डालें तो यह कहा जा सकता है कि स्वराज्य आने ही वाला है। किन्तु मैं अपनेको ही धोखा देनेवाले व्यक्तियोंमें से नही हूँ। आजकल तो मैं पूरे वातावरणको परखता रहता हूँ।

यहाँ चरखेके बारेमें पूछताछ करनेपर पता चला कि गाँवमें तो कुल-जमा एक ही चरखा है। यदि बात ऐसी हो तब तो हम सरदारको नही छुडा सकेंगे। हमें हर दिशामें आगे बढ़ना है। आजकल तो हम नमक-कानून रद करवाने निकले हैं। हम लोग जगह-जगह नमक बनायेंगे और इस प्रकार सरकारको थका देंगे। किन्तु यह सब तो तभी हो सकता है जब कि आप इस सूत्रको कि 'सूतके धागेमें स्वराज्य है' अपने व्यवहारमें परिणत कर दिखायें। जब ३० करोड़ लोग खादी पहनने लगेंगे और गाँवोंकी समस्याओंको ध्यानमें रखते हुए स्वराज्यके सभी अंगोंको विकसित करेंगे तभी यह बात सही सिद्ध होगी कि स्वराज्य लेना सहज है। यदि हम इस सहज-सरल धर्मका पालन करने लगें तो स्वराज्य हमारी मुट्ठीमें ही रखा हुआ है। आप इस बातपर विचार करें कि कीम नदीपर रातों-रात पुल कैसे बन गया था?

इस प्रकार यदि लोग अपनी सामर्थ्य-भर काम करने लगें तो स्वराज्य प्राप्त करना सहज है। अहमदाबाद और बम्बईके सेठ भी यहाँ आये हुए है और वे खुले हाथों पैसा दे रहे है, इसके लिए मै उन सबका आभारी हूँ। इस कार्यमें सभी लोगोसे सहायता मिल रही है, इससे मुझे लगता है कि इसमें ईश्वरका हाथ है।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, ६-४-१९३०

१५३. भाषण : सूरतमें

१ अप्रैल, १९३०

कुछ-न-कुछ दु:ख, कोई-न-कोई कष्ट सहना तो हमारे लिए अनिवार्य ही है। और इसके लिए हमने नमक-कानूनको ढूंढ निकाला है या फिर आप यह कह सकते हैं कि ईश्वरने हमारे लिए नमक-कानून भिजवाया है। उक्त कर बिलकुल ही बर्बर और दानवी है; नमककी मारफत सरकार बच्चो और बूढोसे भी यह कर उगाहती है। इस साम्राज्यके ऐसे दस्तावेज मैंने पढे हैं जिनमें इस बातपर जोर दिया गया है कि शासनका प्रबन्ध चलानेवाले लोगोको ऐसे उपाय अवश्य ही खोज निकालने चाहिए जिनके द्वारा समाजके प्रत्येक व्यक्तिसे कर वसूल किया जा सके। मैंने इस्लाम और हिन्दू धर्मके ग्रन्थ उलटाये है; ईसाइयोंके धर्म-ग्रन्थ भी मैंने देखे हैं और जरथुस्त्रके धर्म-ग्रन्थ भी मै पढ़ गया हूँ। इन सभीमें यह बताया गया है कि स्त्रियो और निर्धनोपर कभी कर नही लगाना चाहिए। यदि हम युद्धके नियमोको पढें तो उनमें कहा गया है कि बूढो, बच्चो और स्त्रियों, इन सबको लडाईके पंजेसे अलग रखना चाहिए। यही बात इस करके बारेमें लागू होती है। मुसलमान, हिन्दू, पारसी सभी नमक तो समान अनुपातमें ही खाते है। सरकारने सबको एक ही डडेसे हाँकनेकी युक्ति खोज निकाली है। यह शैतानी इन्साफ है, राक्षसी न्याय है।

मैंने दुनियामें और कही ऐसे न्यायकी बात नही सुनी। न्यायके ऐसे स्वरूपको मै राक्षसी न्याय, शैतानी इन्साफ कहूँगा। जो साम्राज्य ऐसा न्याय करता है उसे सलामी देना धर्म नही बल्कि अधर्म है। जो व्यक्ति ब्राह्म मुहूर्तमें भगवान्की आराधना करता है वह ऐसे साम्राज्यकी कल्याण-कामनाके लिए न तो भगवान्से प्रार्थना कर सकता है, न उसे करनी ही चाहिए। बल्कि प्रार्थना या नमाजके वक्त भगवान् या खुदासे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान्, ऐसे राक्षसी साम्राज्य, ऐसी शैतानी सल्तनतका नाश हो। इस प्रकार नाशकी कामना करना धर्म है। हालाँकि पिछले बीस दिनोसे मै यह बात खुलेआम कहता रहा हूँ, किन्तु सरकारने मुझे और मेरे साथियोको खुला छोड़ रखा है। मै यह स्वीकार करता हूँ कि सरकारकी यह एक अपनी खूबी है। मैं आजतक इसे राक्षसी साम्राज्य तो कहता आया हूँ किन्तु इसके बावजूद मैंने इससे भी इनकार नही किया कि सरकारके पास शक्ति है; मैंने एक

क्षणके लिए भी यह नहीं माना कि इस सरकारके पास सत्ता या शक्ति नहीं है। इस सरकारके पास फौज है, गोला-बारूद है और वह मुझ-जैसोंको चुटकीमें मसल सकती है। किन्तु यह सरकार एकाएक अपनी मर्यादाका उल्लंघन नहीं कर सकती। क्योंकि फिर वह दुनियाको अपना मुँह कैसे दिखायेगी! इस सरकारको जालिम कहनेके सिवा मैंने या मेरे साथियों अथवा मेरे सम्पर्कमें आनेवाले हजारों लोगोंमें से किसीने स्वप्नमें भी ऐसी कामना नहीं की कि इसके सम्राट् अथवा किसी अधिकारीका नाश हो। हमारा यह रुख इस सरकारको एक सर्वथा नई चीज जान पड़ती है और वह आगे कदम नहीं बढ़ा सकती।

ठीक रवाना होनेके दिन साबरमतीके तटपर जो बात मैंने कही थी वही बात मैं आज ताप्तीके तीर पर आपसे कहना चाहता हूँ। यदि हमने यह कहा होता कि हम एक कोई छोटी कंकड़ी भी अधिकारियो पर फेंकेंगे तो क्या यह सरकार हममें से किसीको बाहर छोड़नेवाली थी? कुछ लोग कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जायेगा। गिरफ्तार हो जानेको मैं अपना धर्म नहीं मानता; किन्तु मैं गिरफ्तार होनेसे डरता भी नहीं हूँ और आप सब भी न डरें, यह मन्त्र मैं आपको दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने कर्तव्यका पालन करते हुए चाहे आपको गिरफ्तार किया जाये या फाँसीपर लटकाया जाये तो भी आप न डरें। मैं जेलको महल बना देना चाहता हूँ। यदि मुझे केवल जेल जाना होता तो मैं चोरी करता, बदमाशी करता, मारपीट और गाली-गलौज करता। उस हालतमें मुझे अवश्य पकड़ लिया जाता, कोई नहीं छोड़ता। उस समय सरकार यह नहीं कहती कि अब यह आदमी महात्मा नहीं रहा, महात्मा तो मर चुका है इसलिए हम इसे नहीं पकड़ेंगे। और आज यदि सरकार मुझे पकड़ ले तो मैं जेलमें पड़े हुए भी प्रार्थना करूँगा कि हे भगवान्, तू इस सरकारका हृदय परिवर्तन कर और मनुष्यको शोभा न देनेवाली जो भावनाएँ इसके हृदयमें आ गई हैं उन्हें निकाल दे! किसी-न-किसी दिन मुझे पकड़ लेनेके अतिरिक्त सरकारके सामने और कोई चारा नहीं है; और यदि वह मुझे नहीं पकड़ती तो कुछ ही समयमें सारा हिन्दुस्तान धधक उठेगा। मुझे बाहर रहने देना या जेलमें बन्द करना दोनों ही बातें इसके लिए कठिन हैं। हिन्दू, मुसलमान, पारसी — सभीको अपने कर्त्तव्यका पालन करना चाहिए। यदि हम सब ऐसा करने लगें तो हमें गिरफ्तार करना किसी भी सरकारके बसकी बात नहीं होगी।

फिर गिरफ्तारियाँ एक मामूली बात रह जायेगी। कानून-कायदे टूटते ही चले जायेंगे; आज एक, कल दूसरा। और कायदे-कानून टूटे नहीं कि फिर सल्तनत कहाँ रही? पटेल और तलाटियोंको इस्तीफे दे देने चाहिए। उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि रोटी-रिज्क देनेवाला तो ईश्वर है। तलाटीगिरीमें ३७ रु० मिलें या न मिलें, उससे क्या होता है? मिलके मजदूर — जिनमें से मैं भी एक हूँ — ५० रुपये कमाते है और इतनेपर भी वे मिल-मालिकोंको डरा सकते हैं, हड़ताल करते हैं और मिल-मालिकोंको उन्हें सन्तुष्ट करना पड़ता है। क्योंकि मजदूरोंके बिना वे काम नहीं चला सकते। यदि कोई तलाटी मिलमें जाकर वफादारीसे नौकरी करे तो वह ५० रुपये

कमा सकता है और यदि अच्छा काम करके दिखाये तो इससे ज्यादा भी पा सकता है। ३७ रुपये तो वह बहुत आसानीसे कमा ले सकता है। वह अपंग हो और सिर्फ सूत काते तो भी उसे कुछ पैसे मिलेंगे। जो आदमी मजूरी करनेको तैयार हो उसे रोजी कमानेमें कितनी देर लगती है? इस प्रकार जब तलाटी और सरकारी कर्मचारी भय-मुक्त हो जायेंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? क्या इंग्लैंडसे फौज लाकर सिपाहियोको पटेलो और तलाटियोका काम सौंपेगी? जब हिन्दू, मुसलमान, पारसी आदि सभी लोग इनकार कर देंगे तो सरकार क्या करेगी? वह कुछ नही कर सकेगी। इसकी एक-एक नस ढीली पड़ जायेगी। इस प्रकार बिना मेहनत और किसी भी व्यक्तिके जेल गये बिना स्वराज्य हमारी मुट्ठीमें होगा। किन्तु यह सब मैं किसे सिखाऊँ?

आपको खादी मोटी और महँगी जान पडती है। आप अपने अंगोका प्रदर्शन करना चाहते हैं, जब कि मैं उनको ढँकना चाहता हूँ। कपड़े पहननेके बावजूद स्वयंको नगा दिखाना आज हम लोगोमें रूढ हो गया है। यह अमानवीय चलन है; नगे दिखते रहना इसी सल्तनतमें उचित माना जाता है। कपडे शरीरको ढँकनेके लिए पहने जाते हैं, यदि आपको नंगे ही रहना है तो कपड़े क्यों पहनते है? इस सल्तनतमें नंगा दिखना गुनाह नही माना जाता। आप उस तरह घूम-फिर सकते है। यदि शरीरको ढँकनेके लिए ही कपडे पहने जाते हो तो फिर खादीसे अच्छी और कौन-सी चीज मैं आपको दे सकता हूँ? आप कोई और चीज क्यो चाहते है? आपकी जिन माँ-बहनोंको खानेको नहीं मिलता और जो सूत वे घर बैठकर कातती हैं, उससे बुना हुआ कपड़ा पहनते आपको शर्म आती है।

आज आप विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारके अपने कर्त्तव्यको समझ ले। क्योंकि जब तक हम जापानी कपड़ेका व्यवहार करते रहेंगे तबतक इग्लैंडमें बने कपड़ेका बहिष्कार करना असम्भव है। यदि हम ऐसा करेंगे तो दोनो बातें नही सधेंगी — हम अंग्रेजी मालका बहिष्कार नही कर पायेंगे और इग्लैंडके बदले जापान हमपर शासन करने लगेगा। इतने पर भी आप कह सकते हैं कि मिलके बने कपड़ोका व्यवहार करके इन दोनो देशोके कपडेका बहिष्कार किया जा सकता है। मिले तो आज ५० वर्षसे चल रही है, फिर बहिष्कार क्यो नही हो सका? मैं चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा हूँ कि खादीके बिना बहिष्कार करना असम्भव है। खादी और कपडेकी मिलोके सहयोगसे आप बहिष्कार कर सकते हैं। किन्तु आज इस युगमें मिलोंके भरोसे बहिष्कार कर पाना असम्भव है। सौ-पचास वर्ष बाद कर सकें तो अलग बात है। यदि आप लड़कर या खून-खराबी करके ऐसा करना चाहते हो तो उस सम्बन्धमें मैं कुछ नही जानता, यह बात मेरी समझसे परे है, उसे मैं त्याग चुका हूँ। सूरतकी बहनें यदि मीठूबहनकी मदद करे तो देखते-देखते जिलेमें शराबबन्दी हो जाये। और फिर इस धन्धेमें क्या सार है? ठेकेदार लोग शराबके धन्धेके बदले कोई और काम करके पैसा पैदा कर सकते हैं।

हिन्दुस्तानमें चाहे जो हो, किन्तु मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो मैं सविनय अवज्ञा करते हुए मर जाऊँगा या स्वराज्य प्राप्त करूँगा। इसलिए मैंने इन

सब लोगोंको बुलाया और चल पड़ा। यदि मैं कलतक जीवित रहा तो यहाँसे आपका आशीर्वाद लेकर रवाना होऊँगा। जो मेरे साथ चलनेको तैयार हों उन्हें मैं निमन्त्रित करता हूँ।

ईश्वरका अनुग्रह है कि फिलहाल यहाँ हिन्दू-मुसलमानोंमें मेल है और वे लड़ नहीं रहे हैं। मुझे यह डर था कि मैं लड़ाईसे ऊब गया हूँ, इसलिए जहाँ ये दोनों कौमें लड़ती हों वहाँ मैं नही जाऊँगा और यदि जाऊँगा तो मर जाऊँगा। अतः मैंने कार्यकर्त्ताओंको लिखा कि वे मुझे इस शहरमें ले जाकर मारें नही; बल्कि मुझे दाँडी पहुँच जाने दें। किन्तु मुझे यह बताया गया कि फिलहाल दोनोंमें मेल-मिलाप-सा हो गया है और आपसमें लड़ाई-झगड़ा नहीं है। किन्तु मैं यह नहीं मानता कि यहाँके हिन्दू-मुसलमान एक हो गये हैं। एक क्षणके लिए भी हमारे हृदयोंमें एक-दूसरेके प्रति दुर्भावना, अविश्वास या डर क्यों होना चाहिए? क्या वर्तमान सरकार-से भी ज्यादा बुरी कोई सरकार आनेवाली है? इस देशमें तो लगभग १ लाख अधि-कारी होंगे। बाकी २९ करोड़ ९९ लाखका आप क्या करेंगे? आप उनके बारेमें किस तरह सोचेंगे? आप किसलिए आपसमें लड़-मर रहे हैं? विधानसभामें मुसलमानो, पारसियों, ईसाइयों आदि सबको स्थान देनेके बाद यदि कोई स्थान बचे तो मुझे दे देना। यदि हम नमकहराम न होकर नमकहलाल बन जायें तो इस नमक-करको आप रद हुआ ही मानें। गरीब, दीन मुसलमान भी तो इसके शिकार हैं। इसके रद हो जानेके बाद हम आपसमें लड़ लेंगे। हिन्दू-मुसलमानोके धर्मग्रन्थोंमें शराबको हराम माना गया है। जरथुस्त्रके अनुयायी अपने धर्मके फरमानोंको भली-भाँति नहीं पढ़ते। उनमें शराबके बारेमें क्या कहा गया है, उसे वे पढ़ लें।

आप मुझे आशीर्वाद दें और खुदासे यह माँगें कि यह व्यक्ति जो-कुछ लेने जा रहा है वह उसे मिल जाये। नमक-कानून रद हो जानेके बाद अपने झगड़ोका फैसला करनेकी बात तय कीजिए। यदि आप इतना भी कर ले तो हममें कितनी शक्ति आ जायेगी! इस कर के रद होनेपर हमें ६ करोड़ रुपयेकी बचत होगी। और फिर शराबके २५ करोड़ तथा विदेशी कपड़ेके ६० करोड़, इस प्रकार कुल मिलाकर ९१ करोड़ रुपये होते हैं; इनकी भेंट यदि आप लेना चाहें तो ले ले। और यदि न लेना चाहें तो मैं आपसे पूछताछ नहीं करूँगा; किन्तु खुदा आपसे जरूर पूछेगा। भगवान् आपको यह समझने और तदनुसार काम करनेकी ताकत दे!

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, ६-४-१९३०

१५४. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

बुधवार [२ अप्रैल, १९३०][1]

चि० गंगाबहन,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम अच्छा काम कर रही हो। अपनी बहनकी खातिर तुम्हें बम्बई जाना ही पडे, तो चली जाना। किन्तु जानेकी बातके बारेमें यह सोचना चाहिए कि ऐसे प्रसंग तो आते ही रहेंगे। तुम और मैं ऐसे कामोके योग्य नही रह गये हैं। हम दो काम एक साथ नही कर सकते। जब ऐसा सकट आ पड़े तब नाथजी से पूछ लेना। मै तो आज हूँ और कल नही।

मै कब गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा, सो नही कहा जा सकता। अफवाहें तो यहाँ भी उड़ती ही रहती हैं। अहिंसाका प्रभाव ही इतना है कि सरकारकी मुझे पकड़नेकी हिम्मत ही नही होती।

तुम्हारी तबीयत ठीक रहे तो मै आग्रह नही करूँगा कि तुम्हें फल लेने ही चाहिए।

मैं यह पत्र तुम्हे सवेरेकी प्रार्थनाके पूर्व लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७४४)से।
सौजन्य : गगाबहन वैद्य

१५५. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

२ अप्रैल, १९३०

चि० प्रेमा,

तेरा पूर्ण पत्र मिला है। उसमें मेरे पत्रकी पहुँच नही है। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि वह तुझे मिल गया है।

मुझे पेंजीका फूल[2] मिला तो नही, लेकिन ऐसा ही मानता हूँ कि मिल गया। प्रेमसे फूलके पौधे लगानेमें उनका देना भी शामिल है। फूलको भौतिक रूपमें देना तो कृत्रिमता है।

१. बापुना पत्रो — ६ : गं० स्व० गंगाबहेनने में १ अप्रैलकी तारीख दी गई है; उस दिन मंगलवार था।

२. आश्रममें गांधीजी जिस स्थानपर सोते थे वहाँ प्रेमाबहन कंटकने पेंजीके कुछ पौधे लगाये थे। गांधीजीके दांडी कूच आरम्भ करनेके बाद उनमें फूल आये।

क्या तू बच्चोंको पीटती है? मीराबहनका मीठा उलाहना है।
आशा है तू अपनी तबीयतका ध्यान रखती होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६६६७)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक

१५६. भाषण : डिंडोलीमें

२ अप्रैल, १९३०

खबर मिली थी कि कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओंको यहाँ ठहरने भी देंगे या नहीं, इसमें सन्देह है। किन्तु मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक सभी स्थानों पर हमारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया है। इस गाँवके दोनों दलोंने मिलकर हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था की और वैसा ही भावभीना स्वागत भी किया।

इस लड़ाईके पीछे तो ईश्वरका हाथ है। अत: ऐसा दिखाई देता है कि आपसी दुश्मनी खत्म हो गई है और सभी आपसमें मित्र बन गये हैं। यह ईश्वर या खुदाकी मेहरबानी है। प्रिवी काउंसिल (सर्वोच्च न्यायालय) में तो पुश्तों तक झगड़ोंका फैसला नहीं हो पाता। आप इस फन्देसे निकल आयें। हम यह लड़ाई उन लोगोंके विरुद्ध लड़ रहे हैं जो दूसरोंके कन्धोंपर सवार हैं। गोरे लोगोंने हमारे करोड़ों कन्धोंपर बोझ लाद रखा है; हमें उससे मुक्त होना है। किन्तु उससे भी पहले हमें गरीबोंके कन्धों परसे उतर जाना है। यदि कोई यह कहे कि नमक-कर उठ जानेपर सरकार नहीं चलेगी तो उन लोगोंसे मैं कहूँगा कि वे नमकहराम हैं। कर घट जानेपर नमककी खपत बढ़ जायेगी। इस बातको ध्यानमें रखते हुए कहा जा सकता है कि इस कर के कारण गरीबोंपर अधिकतम भार पड़ता है। पुराने जमानेमें तो गरीबोंको कपड़ा भी मिला करता था। और असलमें गाँवके मजदूरोंको मजदूरीके बदलेमें सब-कुछ मिलता था। फिर भी सरकार चाहे जितनी कोशिश करे लेकिन क्या वह सचमुच खादीकी अपेक्षा विदेशी गाभोंको[1] सस्ता बना सकती?

मुझे जो दूसरी खबर मिली है, उसके लिए मैं यहाँके पटेलको धन्यवाद देता हूँ। और उस गाँवको भी धन्यवाद देता हूँ जिस गाँवमें ऐसे बहादुर पटेल हैं। अबतक जिन लोगोंने इस्तीफे नहीं दिये हैं, उन्हें भी दे देने चाहिए और अपने मनसे सरकारका भय निकाल देना चाहिए। मुझे तो इस बातका आश्चर्य है कि मुझ-जैसा व्यक्ति जो एक छोटी-सी लाठी भी नहीं तान सकता, इतने बड़े साम्राज्यको कैसे हिला पायेगा। किन्तु यदि आपके हृदयमें राम बसता हो तो इस एक साम्राज्यकी तो बात ही क्या इससे भी बड़े बीस साम्राज्योंको हिला देना

१. पींजी हुई रुई भरकर या उसको जमाकर बनाये गये रजाई, गद्दे, नमदे-जैसे वस्त्र।

सहज होगा। जैसे बुढ़िया चरखा चलाकर पवित्र पैसे कमाती है वैसे ही आप भी पवित्र पैसे कमायें।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, ६-४-१९३०

१५७. टिप्पणियाँ

'मुझे नहीं मिलेगा तो किसीको नहीं लेने दूँगा'

रोज-रोज जो बहुत-सारी जानकारी मिल रही है, उससे प्रकट होता है कि नमक-कर की योजना कितनी दुष्टतापूर्वक बनाई गई है। जिस नमकसे कर — जो कभी-कभी नमककी कीमतसे चौदह गुना अधिक होता है — नहीं मिलता उसका उपयोग किसीको न करने देनेके इस उद्देश्यसे सरकार जितना नमक लाभपूर्वक नहीं बेच सकती उतनेको नष्ट कर देती है। इस प्रकार, यह राष्ट्रके लिए इस अत्यन्त आवश्यक वस्तुपर कर लगाती है, लोगोंको इसे तैयार करनेसे रोकती है और मानव-श्रमके बिना प्राकृतिक ढंगसे जो नमक तैयार हो जाता है उसे नष्ट कर देती है। 'मुझे न मिलेगा तो किसीको नहीं लेने दूँगा' वाली इस नीतिका वर्णन करनेके लिए चाहे जिस विशेषणका प्रयोग किया जाये, वह कम ही कड़ा पड़ेगा। विभिन्न सूत्रोंसे मुझे भारतके सभी हिस्सोंमें इस प्रकार मनमाने ढंगसे राष्ट्रीय सम्पत्तिके नष्ट किये जानेके किस्से सुननेको मिल रहे हैं। कोकण-तट पर टनों नहीं तो कमसे-कम मनों नमक बरबाद किये जानेकी खबर मिली है। ऐसी ही खबर दांडीसे भी मिली है। जहाँ-कहीं ऐसी सम्भावना है कि ऐसे क्षेत्रोंके आसपास रहनेवाले लोग प्रकृति-प्रदत्त नमक अपने निजी उपयोगके लिए उठा ले जा सकते हैं, वहाँ सिर्फ नमकको बरबाद करनेके कामके लिए ही नमक-अधिकारी तैनात कर दिये गये हैं। इस प्रकार राष्ट्रके खर्चेपर मूल्यवान राष्ट्रीय सम्पत्तिको नष्ट किया जाता है और लोगोंके मुँहसे नमक छीना जाता है।

और सारा किस्सा इतना ही नहीं है। ओलपाड ताल्लुकेमें प्रवेश करनेपर मुझे बताया गया कि गरीब लोगोंको प्रकृति द्वारा तैयार किया गया नमक इकट्ठा करने या खुद ही नमक बनानेसे रोककर उनके पास चरखेके अलावा जो एक और सहायक धन्धा है, उससे उन्हें वंचित किया जा रहा है।

इस प्रकार नमक एकाधिकार एक चौमुखी अभिशाप है। यह जनताको एक महत्त्वपूर्ण और सुगम ग्रामीण उद्योगसे वंचित करता है, प्रकृति द्वारा प्रचुर मात्रामें प्रस्तुत की गई संपदाको मनमाने ढगसे नष्ट करता है, इसे नष्ट करनेमें भी राष्ट्रका धन बरबाद होता है और फिर इन तमाम बुराइयोंके ऊपरसे क्षुधार्त्त जनसाधारणसे हजार प्रतिशतसे भी अधिकके हिसाबसे एक ऐसा कर वसूल किया जाता है, जिसकी अन्यत्र कोई मिसाल नहीं मिलती।

इस सन्दर्भमें मुझे सहज ही उस चीख-पुकारका स्मरण हो आता है जो उस समय मचाई गई थी जब मैंने पहले-पहल विदेशी वस्त्रोंकी होली जलानेका सुझाव

रखा था। इसे एक अमानवीय और बरबादीका सुझाव माना गया था। यह बात आमतौर पर सभी मानते हैं कि विदेशी वस्त्रोंसे जनताका अहित होता है। इसके विपरीत नमक एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। फिर भी, एक दुष्टतापूर्ण कर वसूल करनेके लिए इसे नष्ट किया गया है और प्रति-दिन किया जा रहा है।

इतने दिनोसे यह कर इसीलिए कायम रहा है कि आम जनताने इसकी ओर कोई ध्यान नही दिया। अब जब कि वह काफी जाग चुकी है, इस कर को समाप्त होना है। यह कितनी जल्दी समाप्त होता है, यह तो इस बातपर निर्भर है कि लोग कितनी शक्तिका परिचय देते हैं। प्रसन्नताकी बात यह है कि अब उस कसौटीमें बहुत विलम्ब नहीं है।

अतिरंजित कथन

अखबारोंमें इस आशयके समाचार छपे है कि मेरे साथियोमें से १८ बीमार और असमर्थ हो गये हैं। यह घोर अतिरंजना है। यह सही है कि १८ व्यक्तियोंको भड़ौंच सेवाश्रममें दो दिन विश्राम करना पड़ा। लेकिन इसका कारण यह था कि वे थक गये थे और उनके पैरोंमें छाले पड़ गये थे। एक को चेचक हो गई थी — वह भी बहुत मामूली ढंगकी ही साबित हुई। इसके अलावा और कोई इतना बीमार नही हुआ जिसका उल्लेख किया जा सकता हो। एक साथीको सचमुच बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। लेकिन, उसका कारण भी कूचमें अत्युत्साह दिखाना ही साबित हुआ। वे शरीरसे बहुत मजबूत है। इसलिए उनको बहुत ज्यादा — जरूरतसे ज्यादा — विश्वास था कि वे आराम किये बिना कूच जारी रख सकेंगे। अतः उन्होंने तबतक आराम नही किया जबतक प्रकृतिने उन्हें इसके लिए बिलकुल विवश नही कर दिया। लेकिन अब दोनों काफी ठीक हैं, हालाँकि कमजोर होनेके कारण उन्हें अभी कुछ दिन और आराम करनेको कहा गया है। वे सूरतमें हमारे साथ हो लेनेकी उम्मीद रखते हैं। एक तीसरे साथीने पैरोंमें छाले पड़ जानेके बावजूद कूच जारी रखनेका आग्रह किया, लेकिन उसे अंकलेश्वरमें आराम करना पड़ा। शेष सब बिलकुल ठीक है और रोज कूच कर रहे हैं। यह सब बताना इसलिए आवश्यक हो गया है कि उन लोगोंके अभिभावक और मित्र चिन्तित न हों। ग्रामवासियोंने सत्याग्रहियोंकी जो खातिरदारी की, आनन्दमें चरोतर शिक्षा-मण्डलने चेचकके मरीजकी जो असाधारण शुश्रूषा की और सेवाश्रममें डॉ० चन्दूलालके कर्मचारियोंने पैरोंके छालोंसे परेशान हमारे साथीकी जो सेवा की, उसका उल्लेख यदि मैं यहाँ न करूँ तो यह कृतघ्नता होगी।

इन घटनाओंसे एक सबक भी लिया जा सकता है। वर्तमान पीढ़ीके लोग कमजोर और सुकुमार है और उनके शरीरको बड़ा लाड़-प्यार मिला है। यदि वे राष्ट्रीय कार्यमे हाथ बँटाना चाहते हैं तो उन्हें काफी व्यायाम करके अपने शरीरको हृट्टा-कट्टा बनाना चाहिए। और व्यायाम उतना ही अच्छा और प्रभावकारी होता है जितना कि तेजीसे दूरतक टहलना। मांसपेशियोंको विकसित करनेवाले व्यायाम आदि भी अच्छे है और टहलनेके साथ-साथ उन्हें भी करना चाहिए। मगर ये व्यायाम टहलनेका स्थान नहीं ले सकते। टहलनेको जो व्यायामोंका सरताज कहा गया है,

वह ठीक ही है। हमारा कूच तो वास्तवमें बच्चोंके खेलके समान है। प्रति-दिन दो चरणोंमें बारह मीलसे भी कम फासला तय करना पड़ता है — सो भी विना कोई ज्यादा सामान लिये। इससे शरीरपर कोई खास जोर नहीं पड़ना चाहिए। जिन लोगोंके पैरोंमें छाले नहीं पड़े हैं, उनका वजन बड़ा है। यहाँ मैं यह भी बता दूँ कि सोडियम परमैंगनेटका गरम घोल, स्नान और भीगी चादरोंका प्रयोग चेचकका अत्यन्त कारगर इलाज साबित हो रहा है।

सच्ची लगन

अभी पिछले दिनोंकी बात है कि श्रीमती खुर्शेदबाई नौरोजी साँधियेर आई थीं, जो कूच करनेवालोंका एक विश्राम-स्थल था। उनके साथ श्रीयुत अम्बालाल साराभाईकी पुत्री मृदुलाबहन, जमनालालजी की छोटी बच्ची मदालसा, श्रीमती वसुमती बहन और राधाबहन भी आश्रमसे आई थीं। उन्हें साँधियेर तक ले जानेके लिए सवारीका इन्तजार था। उनके पास जो समय था, उसे वे राष्ट्र-हितमें लगाना चाहती थीं। उन्होंने देखा कि आसपासका क्षेत्र बहुत साफ नहीं था। इसलिए उन्होंने कूड़ा साफ करनेका निश्चय किया और चकित ग्रामवासियोंसे झाड़ू माँगे। ज्यों ही गाँववालोंको स्थितिका भान हुआ, वे भी इन राष्ट्रीय भगिनियोंके साथ, जिनमें से कई अभिजात परिवारोंकी थीं, हाथ बँटाने लगे। फलस्वरूप सायण गाँव ऐसा साफ-सुथरा दिखने लगा जैसा इन बहनों द्वारा फुरसतके समय सफाईका यह काम करनेसे पहले शायद कभी नहीं दिखाई दिया था। इन बहनोंकी इस सच्ची सेवा, इस मूक सन्देशकी ओर मैं उन असंख्य युवकोंका ध्यान आकृष्ट करता हूँ जो देशकी सेवा करने और उसे स्वतन्त्र करानेके लिए आकुल है। स्वतन्त्रता तभी मिलेगी जब हम अपने सभी दोषोंपर एक ही साथ प्रहार करेंगे। पाठकोंको जान लेना चाहिए कि इन सभी बहनोंने सविनय प्रतिरोधियोंकी सूचीमें अपने नाम दर्ज कराये हैं और बड़ी उत्सुकता, बल्कि अधीरतासे आगे बढ़नेके संकेतकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आत्मशुद्धि द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनेके इस अभियानमें यदि स्त्रियाँ पुरुषोंको मात दे दें तो कोई आश्चर्य नहीं।

मोतीलालजीकी दानशीलता

नेहरू-परिवारका गौरव भव्य आनन्द-भवन इसी महीनेकी ६ तारीख, अर्थात् राष्ट्रीय सत्याग्रह-दिवससे राष्ट्रकी सम्पत्ति बन जायेगा। मोतीलालजी को राष्ट्रकी बहुत बहुत सेवा करनेका श्रेय प्राप्त है। जवाहरलाल राष्ट्रको उनकी एक सजीव भेंट है। दानकी इस सूचीमें ईंट और गारेकी इस इमारतको जोड़नेकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस विशाल भवनको, जिसके साथ जुड़े ऐतिहासिक सन्दर्भोंसे अब जनता अवगत हो चुकी है, भेंट कर देनेके लिए वे आकुल थे। वास्तवमें मोतीलालजी ने जिस शानके साथ कमाया उसी शानके साथ खर्च भी किया है। अब यह काम हमारा है कि हम अपने-आपको उनकी सेवाओं और दान-दाक्षिण्यके योग्य सिद्ध करें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३-४-१९३०

१५८. ६ अप्रैलको याद रखें

गुरुवार, ३ तारीखको यह लेख पाठकोंके सामने होगा। यदि ६ अप्रैलसे पहले कार्यक्रमको स्थगित करनेके सम्बन्धमें कोई सूचना नहीं जारी की जाती तो पाठक समझ लें कि मैंने सभीको ६ अप्रैलसे नमक-कानूनोंके खिलाफ सामूहिक सविनय अवज्ञा करनेकी छूट दे दी है और जो लोग उसके लिए तैयार हैं उनसे मैं उस दिन अवज्ञा प्रारम्भ कर देनेकी अपेक्षा रखता हूँ।

इस विषयमें इन पृष्ठोंमें समय-समयपर मैंने जो-कुछ कहा है, उसे संक्षेपमें एक बार दोहरा जाता हूँ।

सविनय अवज्ञाके लिए केवल एक ही शर्त है — अर्थात् सच्चे अर्थोंमें अहिंसाका पूर्ण पालन।

सामुदायिक सविनय अवज्ञाका मतलब है बिना किसीकी प्रेरणाके सहज रीतिसे स्वयं क्रियाशील हो जाना। कार्यकर्त्ता केवल प्रारम्भिक अवस्थाओंमें जनताका मार्ग-दर्शन करेंगे। आगे चलकर जनता इस आन्दोलनका नियमन खुद करेगी।

कांग्रेसके स्वयंसेवक घटनाक्रम पर नजर रखेंगे और जहाँ-कहीं जरूरत होगी, वहाँ मदद करेंगे। उनसे सबसे आगे रहनेकी अपेक्षा की जायेगी।

स्वयंसेवकोंको किसी भी साम्प्रदायिक झगड़ेमें किसीका पक्ष नहीं लेना चाहिए।

जहाँ-कहीं हिंसाका विस्फोट हो, स्वयंसेवकोंसे उसे शान्त करनेके लिए प्राण तक दे देनेकी अपेक्षा की जाती है।

पूर्ण अनुशासन और विभिन्न एकांशोंके बीच पूरा सहयोग सफलताकी अनिवार्य शर्त है।

यदि सच्ची जन-जागृति हो तो जो लोग सविनय अवज्ञा न कर रहे हों उनसे यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे किसी-न-किसी राष्ट्रीय कार्यमें लग जायेंगे और दूसरोंको भी उसमें प्रवृत्त करेंगे। इन राष्ट्रीय कार्योंमें खादी-कार्य, शराब तथा अफीमकी दुकानोंपर धरना देना, विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार करना, गाँवोंकी सफाई करना, सविनय प्रतिरोधी कैदियोंके परिवारोंकी हर तरहसे सहायता करना आदि शामिल हैं।

वास्तवमें नमक-कर के सम्बन्धमें किये जानेवाले सविनय प्रतिरोधके प्रति यदि लोग सच्चा उत्साह दिखायें तो हमें खादीके बलपर ठीक ढंगके संगठनके द्वारा विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार सम्पन्न करा सकना चाहिए और पूर्ण मद्यनिषेध भी करवा सकना चाहिए। यदि ऐसा हो जाये तो उससे प्रतिवर्ष ९१ करोड़ रुपयेकी बचत होगी और करोड़ों बेकार लोगोंको सहायक धन्धा मिलेगा। और यदि हम यह सब कर दिखायें तो स्वराज्य मिलनेमें भी देर नहीं लगेगी। इनमें से एक भी काम हमारी शक्तिसे बाहर नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इन्डिया, ३-४-१९३०

१५९. मद्यपान-निषेध

पंडित देवशर्मा 'अभय' हरिद्वारके इर्दगिर्द मद्यपान-निषेधके लिए कुछ आन्दोलन करना चाहते है। मैंने उन्हे यह कहकर अपनी सहमति दे दी है कि यदि उनमे आत्मविश्वास हो तो वे अवश्य ही इस कामको उठा ले। असहयोगकी कल्पनाकी उत्पत्ति आत्मशुद्धिकी भावनासे हुई है। इसीलिए सन १९२१में मद्यपान निषेधका प्रचण्ड आन्दोलन शुरू हुआ था और उसमें सफलता भी ठीक-ठीक मिली थी। बादमें यह आन्दोलन बन्द करना पड़ा या अपने-आप ही बन्द हो गया, क्योकि उसमें अशुद्धि यानी जबरदस्ती घुस गई थी।

इस बार लोग जान गये है कि जबरदस्तीसे कभी सच्ची सफलता प्राप्त नही होगी। इसलिए जहाँ अशान्तिका कुछ भी भय नही है और काफी स्वयंसेवक मिल सकते है, वहाँ मद्यपान-निषेधका आन्दोलन शुरू किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

यह आन्दोलन तीन प्रकारसे किया जा सकता है:

१. शराब पीनेवालोंके घर जाकर उन्हें समझानेसे;

२. शराबखानोके मालिकोको अपनी दुकानें बन्द करनेको समझा-बुझाकर; और

३. शराबकी दुकानोंके आसपास धरना देकर।

ये तीनों कार्य साथ-साथ भी किये जा सकते हैं। पहले दो में तो किसी प्रकारका खतरा ही नही है। तीसरेमें जबरदस्तीका भय जरूर है। सम्भव है कि इस बारेमें सरकार मुमानियतका हुकम निकाले। यदि ऐसा कोई हुक्म निकला भी तो उसमें डरकी कोई बात नहीं है। ऐसे हुक्मका अनादर करनेसे सहज ही सविनय अवज्ञा हो सकती है।

जाहिर है कि इस तरह धरना देनेका काम हरएक आदमी नही कर सकता, और न हरएक जगह ही यह काम हो सकता है। इसलिए यह आन्दोलन बहुत ही मर्यादित होगा। परन्तु मर्यादित होते हुए भी यह काम निहायत अच्छा है और इसका नतीजा भी अच्छा हो सकता है। अतएव यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास-पूर्वक इस आन्दोलनका सचालन करेगा, तो उससे मुझे हर्ष ही होगा।

हिन्दी नवजीवन, ३-४-१९३०

१६०. पत्र : कपिलराय मेहताको

मध्य रात्रि [३ अप्रैल, १९३०][1]

चि० कपिलराय,

तुम्हारे बारेमें मुझे खबर मिली है। उतावली न करना। शनिवारको यदि बुखार न हो तो आना। नवसारीसे वे तुम्हें भेज देंगे। अब पूरे शरीरकी गीली पट्टी न लेना। दूध अवश्य लेना। गरम पानीसे स्नान करनेमें कोई दिक्कत नहीं है। खाँसीके लिए डाक्टरको बताना। डाक्टर तो दस दिन तक सूरतमें ही रहनेके लिए कहते हैं। मैं भी यदि बुखार न हो तो शनिवारको आनेमें कोई हर्ज नहीं समझता।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

यह पत्र डाक्टर साहबको दिखलाना।

चि० कपिलराय सैनिक
अनाविल आश्रम, सूरत

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १५९४)से : सौजन्य : कपिलराय मेहता; जी० एन० ३९७२से भी

१६१. भाषण : वाँझकी प्रार्थना-सभामें[2]

३ अप्रैल, १९३०

अब तो हमारा दो दिनका ही रास्ता बाकी रह गया है। उसके बाद हम काममें जुट जायेंगे। उस समय लोग भी बहुत अधिक होंगे। दाँडीमें पानीकी कमीके बारेमें तो मैं आपको सूचना दे ही चुका हूँ। हमें तो जंगलमें रहनेवाले जैन साधुकी तरह पानीको दूध मानकर व्यवहारमें लाना होगा। अब मैं एक दूसरी बात और कह दूँ कि वहाँके लोगोंको हमारे भोजनकी व्यवस्था करनेमें बहुत मुश्किलका सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वहाँ पहुँचनेके बाद दिनमें तीन बार आधा सेर चने, आधा सेर[3] मुरमुरे और एक तोला घी तथा गुड़का गरम पानी, इतना ही आपको मिलेगा। अब तो हमें अपने जीवनको और कठोर बनाना है, अतः सब लोग इसके अभ्यस्त हो जायें।

१. डाककी मुहरसे।
२. प्रार्थना-सभा प्रातः चार बजे हुई थी।
३. आधा सेरसे तात्पर्य कच्चे आधा सेर अर्थात् एक पावसे है।

दूसरी बात यह सुननेमें आई है कि सरकार हमें रोकनेके लिए दमकलोंका प्रयोग करेगी। हम लोगोंने तो तोप और बन्दूककी गोली खाकर मरनेकी तैयारी की है, उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। हालांकि पानीकी धारसे बेचैन करके भी वे हमें मार डाल सकते हैं और इसको सहन कर पाना तो मुश्किल है ही। किन्तु आप यह याद रखें कि हममें कोई भी पीछे कदम न हटाये। मैं सरकारको इतना क्रूर नही मानता किन्तु फिर भी हमें तैयार तो रहना ही चाहिए।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, ६-४-१९३०

१६२. भाषण : नवसारीमें

३ अप्रैल, १९३०

नवसारी पारसी भाइयोका मुख्य नगर है। पारसियोकी जनसख्या सारी दुनियामें एक लाखसे कुछ कम ही है। और उसका भी अधिकांश बम्बई प्रान्तमें, खासकर बम्बई और नवसारीके बीचमें, रहता है।

भारतमें भ्रमण करते हुए मुझे जगह-जगह पारसी भाइयोसे मिलनेका अवसर आता है। और मैं देखता हूँ कि मैं उन्हे सदा पहचान लेता हूँ।

लेंग नामक एक गोरे लेखकने दुनियाकी सारी जातियोकी दानशीलताकी तुलना करके यह सिद्ध किया है कि जनसंख्याकी दृष्टिसे तो इस गुणमें पहला स्थान पारसियोका ही है। पारसियोंकी संख्या दुनियाके समुद्रमें बूंद जितनी है, किन्तु उनकी उदारता ऐसी है कि उसकी ख्याति दुनियामें सर्वत्र पहुँच चुकी है। पृथ्वीके इतिहासमें ऐसी निष्पक्ष उदारता किसी दूसरी जातिमें कभी नही दिखाई दी। पारसियोंके आगे जब-जब मैंने हाथ बढ़ाया है तब-तब मुझे कभी खाली हाथ लौटनेका मौका नही आया।

दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहकी लड़ाईमें भी मुझे मदद करनेमें पारसी भाई ही सबसे आगे थे। सेठ रुस्तमजीने तो उसमें अपना सर्वस्व लुटा दिया था। और इसीलिए जब भी प्रसंग आया है मैंने भाटकी तरह उनकी प्रशंसा की है।

पारसियोका यह ऋण मैं कैसे चुका सकता हूँ! मैं तो भिखारी हूँ, इसलिए मैं यह ऋण पैसेसे तो नहीं चुका सकता। मैं कोई बड़ा अधिकारी नही हूँ। न वाइसराय हूँ कि उन्हें बड़ी-बड़ी नौकरियाँ या उपाधियाँ दे सकूँ। इसीलिए आज यहाँ नवसारीमें मैं उनकी इस प्रकार स्तुति कर रहा हूँ और साथ ही उनसे कुछ ले लेना चाहता हूँ। इस लड़ाईमें पारसी भाई तो मेरे साथ हैं ही। एक पारसी भाई, जो मेरे सगे भाईके समान है और जिन्हें कैंसरकी बीमारी होनेकी आशंका है, इस लड़ाईमें शामिल होनेके लिए बहुत ही अधीर हैं।

दादाभाईकी पौत्रियोका ही उदाहरण लीजिए। ये सब बहनें इस लड़ाईमें अपना योग देनेके लिए बेचैन, लगभग पागल हो रही है। मतलब यह कि पारसी

मेरी सहायता कर रहे हैं, इस सम्बन्धमें कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता नही, किन्तु मुझे तो इससे भी ज्यादा चाहिए।

नमक-कर तो अब रह नही सकता, यह तो आप समझ ही लें। मै आश्रमसे निकला, तभीसे जगह-जगह पारसियोंने मेरे ऊपर आशीर्वादकी वर्षा की है और कहा है: "तुम्हारी जय हो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। स्वराज्य लेकर जल्दी ही लौटना।" और यदि मैं जीवित रहा तो स्वराज्य लेकर ही वापस आऊँगा।

यदि आप लोग नमक-कर के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाईमें शामिल न होकर मद्य-निषेधके आन्दोलनमें अपना योग दें तो आप हमारी बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं।

शराबपर २५ करोड़ रुपया नष्ट करके हम अपनी बरबादी कर रहे है। इस बुराईके परिणामस्वरूप हमारे कितने ही सुखी परिवार नष्ट-भ्रष्ट हो रहे हैं। मै दक्षिण आफ्रिकामें वकालतका धन्धा करता था। किन्तु तब भी वहाँके मजदूर भाइयोसे मैं मिलता रहता था। ये मजदूर भाई अपने कामके सिलसिलेमें मुझसे मिलनेके लिए आते थे, और चूँकि मैं उनके जीवनमें घुलमिल गया था इसलिए वे मुझसे अपने सुख-दु:खकी चर्चा करते थे और मुझे अपने जीवनकी करुण कहानी सुनाते थे। मद्यपानकी इस बुराईके कारण उनकी कैसी दुर्गति हुई है, इसकी चर्चा करते हुए उनकी आँखोसे आँसुओंकी धारा बह निकलती थी। अहमदाबादके अधिकांश मजदूर भाइयोका भी यही हाल है, यह मैं अपने अनुभवसे जानता हूँ। शराब पीनेवाला अपनी पत्नी, माँ और कन्याके बीचका भेद भी भूल जाता है, वह मनुष्य नहीं रह जाता, पशु हो जाता है। शराबकी इस कुटेवके फन्देमें जो भी फँसता है, वह राक्षस हो जाता है। मैंने अपनी आँखो एक स्टीमरके कप्तानको शराब पीकर अपनी ही की हुई उलटीमें लोटते हुए देखा है। ऐसी कुटेवसे शराब पीनेवालोंको मुक्त करानेमें मैं पारसी भाइयोंकी मदद माँग रहा हूँ।

मीठूबहनने शराब पीनेवालोंकी यह दुर्दशा देखी है। उसे देखकर उनका हृदय पिघला, उन्होंने अपना घर-बार छोड़ा, माँका स्नेह छोड़ा और वे मद्य-निषेधके इस काममें जुट गईं। किन्तु एक अकेली पारसी बहनके त्यागसे यह काम पूरा नही हो सकता। उसके लिए तो हमें हरएक पारसी स्त्री-पुरुषका हृदय छूना पड़ेगा। और यदि आवश्यकता हुई तो मुझ-जैसोंको सम्भवत: सत्याग्रह ही करना पड़ेगा। पारसियोंके पास बुद्धि-शक्ति है। वे करोड़ों रुपया पैदा करते है, ईश्वरसे डरते हैं। शराबका व्यापार करना पाप है, ऐसा मानकर यदि पारसी भाई आजसे इस धन्धेको छोड़ दें तो शराबका व्यापार करनेवाले अन्य लोग भी उनका अनुकरण अवश्य करेंगे।

मद्य-निषेधकी सफलताके द्वारा जब हम इस बुराईपर खर्च होनेवाला २५ करोड़ रुपया बचा लेंगे, तब हम देखेंगे कि हमने लाखों गरीबोंके घरोका कल्याण किया है। उस समय हमारे इस पुण्य कार्यसे प्रसन्न होकर देवता हमारे ऊपर फूलोकी वर्षा करेंगे।

लोगोंके हृदयमें प्रवेश करके जिस समय आप उनकी शराबकी यह आदत छुड़ा देंगे, उस समय एक ऐसी शक्ति पैदा होगी जिसके द्वारा हम जो चाहेंगे सो पा सकेंगे।

मैं इस काममें विशेषकर आप बहनोंकी सहायता माँगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहनें शराब पीनेवालोंके घरोंमें जायें और उनसे शराब छोड़नेकी प्रार्थना करे। मैंने मुक्तिसेना (सालवेशन आर्मी) की बहनोको ऐसे काम करते हुए देखा है। यदि वे यह काम कर सकती हैं तो भारतीय बहनें क्यो नही कर सकती? क्या भारतकी हिन्दू, मुसलमान या पारसी बहनें उनकी तुलनामें किसी प्रकार कम है? क्या जो लोग शराबकी कुटेवमें जकडे हुए है वे उनके भाई नही है? यदि मै शराब पीनेवालोको समझाने जाऊँ तो वे मुझसे, या मेरी जगह कुछ अन्य लोग हो तो वे उनसे झगडा करेंगे। किन्तु किसी स्त्रीका अपमान या अनादर वे नही कर सकते। वे इतने जड नही है कि आपकी बात न समझें। आपके सम्पर्कमें आते ही वे होशमें आ जायेंगे, अपना कदम पीछे हटायेंगे और यह देखकर कि आपकी आँखोंसे प्रेमामृत झर रहा है, उन्हे ऐसा लगेगा कि यह तो कोई सती या योगिनी ही हमारे पास आई है; और वे लज्जित होकर शराबका त्याग कर देंगे। जिस समय आप बहनें इन शराब पीनेवालोकी स्त्रियों, उनके बालको आदिको जानेंगी; उनके यहाँ-वहाँ मारे-मारे फिरने-वाले अशिक्षित बालकोंसे स्नेह करेगी और यह देखेंगी कि उनके ऊपर आकाश और नीचे धरतीके सिवा और कुछ नहीं है, किन्तु फिर भी वे शराब पीते है, तब आप इस पवित्र कार्यको करनेके लिए प्रेरित हुए बिना न रहेगी।

यदि सरकार मुझे जेल भेज दे तो बहनोके लिए मै यह सन्देश छोडे जा रहा हूँ। गुजरातकी बहनोंको ऐसे कार्योंकी काफी तालीम है। भारतके किसी भी अन्य प्रदेशकी बहनोको ऐसे कार्य करनेका उतना अभ्यास नही है जितना यहाँकी बहनोको है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मीठूबहनने अपने लिए जो कार्य-क्षेत्र चुना है उसमें आप सब बहनें उनके साथ शरीक हो।

इस अहिंसक युद्धमें स्त्रियाँ पुरुषोसे भी ज्यादा भाग ले सकती हैं क्योंकि स्त्रियाँ तो त्याग और दयाकी और इसलिए अहिंसाकी मूर्ति हैं। जहाँ पुरुष अहिंसा-धर्मको केवल बुद्धिसे ही समझते है वहाँ स्त्रियोंके लिए वह एक ऐसी वस्तु है जिसे वे जन्मसे ही जानती है। पुरुष तो बहुत थोड़ी जिम्मेदारी उठाकर ही अपनेको कृत-कार्य मान लेता है, किन्तु बहनोंको तो पतिकी, बालकोंकी तथा परिवारके अन्य सभी सदस्योकी सेवा करनी पडती है।

पारसियोंने मुझे इतना दिया है कि मै उसके बोझसे दबा जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपने प्रेमपाशमें बाँधकर अपना दास बना दिया है। और दासको तो अपने स्वामीसे अधिकाधिक माँगनेका अधिकार मिल जाता है। इस आत्मशुद्धिके यज्ञमें आप मुझपर धनकी वर्षा करें या स्वयंसेवक दें तो मुझे केवल इतनेसे सन्तोष होनेवाला नही है। सन्तोष तो मुझे तभी होगा जब समस्त पारसी जाति मेरी यह प्रार्थना सुनेगी। और मीठूबहन जो काम कर रही है उसे सारे पारसी भाई-बहन अपना लेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १३-४-१९३०

१६३. भाषण : धामणमें

३ अप्रैल, १९३०

इस ताल्लुकेमें रहनेवाले बहुत-से लोग दक्षिण आफ्रिकामें मेरे असामी रहे हैं। इसके आसपासके गाँवोंके लोगोंने भी दक्षिण आफ्रिका [के आन्दोलनो] में अच्छा योगदान दिया था। हमारे ८० लोगोंके दलमें तो बड़ौदा रियासतके बहुत-से लोग है ही, क्योंकि गुजरातमें यह रियासत काफी दूरतक फैली हुई है। इसलिए हम उन दोनोंमें कोई भेद नहीं कर सकते। यहाँके रहनेवालोंने दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहमें मेरी बहुत मदद की थी, हालाँकि उनके अगुआ मुसलमान थे। कांग्रेसने अब तक वर्ग-विशेषके लोगोंको ऊँचे पद दिये जानेकी नीतिका पालन किया है। किन्तु दक्षिण आफ्रिकामें यह प्रथा बिलकुल नही थी। इन मुसलमानोंमें भी सिंहकी तरह गरजनेवाले अहमद काछलिया थे। वे अपने वचनका पालन करनेवाले सिद्ध हुए, इसलिए बतौर एक सत्याग्रहीके मै कह सकता हूँ कि उनसे बहादुर और नेकी करनेमें बढ़ा-चढ़ा एक भी हिन्दू या मुसलमान हिन्दुस्तानमें अबतक मेरे देखनेमें नही आया है। कठिन परिस्थितियोंमें भी काछलियाने स्वयंको सच्चा सत्याग्रही सिद्ध किया था। उन्होने सब-कुछ झेला, किन्तु अपने वचनका पालन किया। उनका पुत्र अली भी दक्षिण आफ्रिकामें मेरी देख-रेखमें लिखता-पढ़ता था। मै उन्हें अच्छी तरह जानता था।

धामणसे तो मुझे बहुत आशा है, क्योकि इसी गाँवमें मुझे ३० चरखे चलते मिले है। मुझे प्रसन्नता है कि इस गाँवमे इतने चरखे है। सच बात तो यह है कि देशी रियासतोंकी जनता हालाँकि इस लड़ाईमें भाग नही ले सकती, किन्तु खादी और मद्य-निषेधका काम तो डटकर कर सकती है। दूसरे, इस बातको समझे बिना कि शारदा ऐक्ट क्या है, बहुत-से माता-पिताओंने अपने बच्चोंका विवाह करके जैसा क्रूरता और कलंकपूर्ण कार्य किया है वैसा इस गाँवमें मुझे देखनेको नहीं मिला; इसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँके अन्त्यजोंमें से ९ भाइयों और १० बहनोंने शराब न पीने और मुर्दा मांस न खानेकी प्रतिज्ञा ली है। ऐसे कामोंमें तो स्त्रियोंको भी पुरुषोंके साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, ६-४-१९३०

१६४. पत्र : रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको

वेजलपुर
४ अप्रैल, १९३०

प्रिय रेजिनाल्ड,

तुम्हारा पत्र पाकर बड़ी खुशी हुई। पुनः विश्वास प्राप्त करनेकी तो कोई बात ही नही है, क्योंकि तुमने कभी मेरा विश्वास खोया ही नही। सच्ची अहिंसाको आत्मसात् करनेकी प्रक्रिया बहुत धीमी चलती है और कभी-कभी वह कष्टकर भी होती है और बहुत-कम लोग इस चीजको समझते हैं कि मानसिक हिंसा-जैसी भी कोई वस्तु है और उसे मनसे निकालनेकी जरूरत होती है। तुम बात तो तुरन्त समझ गये, यह मेरे लिए बहुत प्रसन्नताका विषय है। तुम्हारे लिखे अन्य पत्रोकी मुझे कोई चिन्ता नही है। अगर तुम अपने मनमें एक और भी निश्चय कर लो तो मुझे बडी खुशी होगी। मेरा मतलब इस निश्चयसे है कि फिलहाल तुम अखबारोंको कोई पत्र नही लिखोगे। अभी तुम 'यग इडिया'को ही अपना एकमात्र विचारोद्वाहक होने दो।

'यंग इडिया'में अनजानमें हुई अपनी भूलके विषयमें पश्चात्ताप करते हुए चंद पंक्तियाँ लिखनेके बारेमें तुम्हारा क्या खयाल है? [1]

अपनी सगाईके विषयमें तुमने जो-कुछ कहा है, उसे मैं समझता हूँ।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४५३३)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : स्वार्थमोर कालेज, फिलाडेल्फिया

१६५. भाषण : वेजलपुरमें

४ अप्रैल, १९३०

इस सभाके बाद अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँचनेके पहले मुझे दो भाषण और देने हैं। दांडीमें यदि भाषण देने-जैसी स्थिति हुई तो मै भाषण दूंगा। ४१ पटेलोंने इस्तीफे दिये है और ताल्लुका कमेटीके प्रधानने उनका अभिनन्दन किया है। इन ४१ इस्तीफोंके अतिरिक्त मुझे आज सात इस्तीफे और दिये जानेकी खबर मिली है।

भारत-भूषण पण्डित मदनमोहन मालवीय और उनके बाद अन्य छः व्यक्तियोंने विधान सभासे इस्तीफा दे दिया है। ये छः भी जाने-माने व्यक्ति है। एक तरफ

१. यंग इंडियामें ऐसी कोई टिप्पणी प्रकाशित नहीं हुई।

तो भारत-भूषण मालवीयजी ने इस्तीफा दिया और दूसरी तरफ पटेलोंने इस्तीफे दिये, किन्तु पटेलोंके इस्तीफोंकी कीमत ज्यादा है। मालवीयजी तो सरकारके नौकर नहीं थे। यदि सम्भव हो तो देशसेवा करनेके विचारसे वे विधान सभामें गये थे। मैं नहीं जानता कि मालवीयजीने जिस तरह अनन्य भक्तिसे देशकी सेवा की है उस तरह किसी औरने की हो। किन्तु इसके बावजूद मैं पण्डितजी के इस्तीफेकी अपेक्षा पटेलोंके इस्तीफोंकी कीमत ज्यादा आँकता हूँ। इसका कारण यह है कि मालवीयजी इस सरकारके शासनको चलानेमें योग नहीं देते थे। उसका शासन तो ये पटेल चलाते हैं और जिस शासनसे हम डरते हैं उसे तो मालवीयजी चमकाते-भर हैं। इस चमकको वर्तनसे अलग किया जा सकता है, किन्तु पटेल ऐसी चमक नहीं है जिसे अलग किया जा सके। पटेल और तलाटी तो इस सरकारके दो पैर हैं। यदि हम इस देशके ७ लाख गाँवोंके पटेलों और तलाटियोंकी गिनती करें तो इस सरकारके १४ लाख पैर हैं और इस प्रकार एक-एक पटेलके इस्तीफा देनेका मतलब होगा उसका एक-एक पैर टूटना। इस कारण इन इस्तीफोंकी कीमत है, बशर्ते कि वे इस्तीफे ईमानदारीसे दिये गये हों। जहाँ एक समय सरदारकी मासिक आय १,०००-२,००० रुपये थी, वहाँ उन्हें आज भीखका अन्न खाना पड़ता है। उनके लिए इस्तीफा देना मुश्किल था। किन्तु बेचारे पटेलको तो ५०) या ५१।।) रुपये नजराना मिलता है। तो फिर पटेल ऐसे कौन-से खजानेसे चिपके हुए हैं कि जिसे वे छोड़ नहीं पाते? अतः यदि पटेल सरदारके प्रति वफादारी निभाना चाहते हों तो उन्हें सरकारसे बेवफाई करनी चाहिए।

मैं दाँडी जा रहा हूँ। किन्तु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप दाँडी न आयें और यदि आना ही चाहें तो सैनिकोंकी भाँति अपने एक कन्धेपर पानी और दूसरेपर खाना लेकर आयें, और कुछ काम करनेके विचारसे आयें। वन-भोजनके खयालसे न आयें। खादीका भण्डार खत्म होता आ रहा है। आपको उसका व्यवहार घी की भाँति करना चाहिए। यदि खादी न मिल सके तो आप सबको यह अधिकार है कि आप खादीकी लँगोटी-भर लगाकर आयें किन्तु विदेशी कपड़े पहनकर कदापि न आयें। मद्यपान करनेवालोंको तो दाँडी आना ही नहीं चाहिए और यदि आयें तो शराब छोड़नेकी प्रतिज्ञा लेनेके लिए।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, ६-४-१९३०

१६६. वक्तव्य : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको

दाडी
५ अप्रैल, १९३०

कहा जा सकता है कि ईश्वरकी कृपासे स्वाधीनताके इस अन्तिम — कमसे-कम मै तो इसे अन्तिम ही मानता हूँ — सग्रामका पहला पर्व सकुशल समाप्त हो गया है। मेरे पूरे कूचके दौरान सरकारने कोई हस्तक्षेप न करनेकी जिस नीतिका पालन किया उसके लिए मै उसकी भी प्रशंसा किये बिना नही रह सकता। सरकारने बहुत ही अशोभन और बचकाने ढगसे श्री वल्लभभाईको गिरफ्तार करके सजा दे दी और फिर श्री सेनगुप्तको भी उसी तरह बिना किसी कारणके गिरफ्तार करके जेलमें डाल दिया। इन दोनो घटनाओको देखते हुए मुझे यह आशा नही थी कि सरकार हस्तक्षेप करनेकी नीतिका ऐसा अच्छा नमूना पेश करेगी। मै ऐसा नासमझ नही हूँ कि यह मान बैठूँ कि जनताके क्रोधको भड़काकर फिर उसे भयंकर सजा देनेकी सरकारकी देखी-परखी क्षमता सहसा समाप्त हो गई है। काश, मै ऐसा मान सकता कि सरकारके इस अहस्तक्षेपका कारण उसकी नीति या उसके हृदयमें हुआ किसी प्रकारका सच्चा परिवर्तन है! विधान सभामें उसने जन-भावनाका जो घोर निरादर किया है और उसने जो अन्यायपूर्ण कार्य किये है उनके बाद इस बातमें सन्देहकी कोई गुजाइश नही रह जाती कि भारतके हृदयहीन शोषणकी नीतको हर कीमतपर कायम रखना है। इसलिए सरकारकी हस्तक्षेप न करनेकी नीतिका मै एक ही अर्थ लगा सकता हूँ। वह यह है कि यद्यपि ब्रिटिश सरकार बहुत शक्तिशाली है, फिर भी इसे दुनियाके लोकमतकी बडी चिन्ता है और दुनियाका लोकमत राजनीतिक आन्दोलनका दमन करनेकी कार्रवाईको — और निःसन्देह सविनय अवज्ञा एक राजनीतिक आन्दोलन है — तबतक बरदाश्त नही करेगा जबतक अवज्ञामें विनय है और इसलिए जबतक वह लाजिमी तौरपर अहिंसक है।

अब यह देखना है कि जब कल असख्य लोग सचमुच नमक-कानूनोंको भंग करेंगे तब वह उसे उसी प्रकार बरदाश्त करती है या नही, जिस प्रकार उसने कूचको बरदाश्त किया। मुझे आशा है कि कार्य-समितिके प्रस्तावके प्रति जनता व्यापक उत्साहका परिचय देगी। मै यह सूचना पहले ही जारी कर चुका हूँ कि देशकी सभी समितियाँ और संगठन, यदि वे तैयार हों तो, कलसे नमक-कानूनोंके खिलाफ सविनय अवज्ञा शुरू करनेके लिए स्वतन्त्र है, और इस सूचनाको स्थगित करनेका कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। ईश्वरने चाहा तो मै अपने साथियो (स्वयसेवको)के साथ कल साढ़े छः बजे सुबहसे वास्तवमें सविनय अवज्ञा प्रारम्भ कर देनेकी आशा रखता हूँ। जलियाँवाला बागके काण्डके दिनसे ही ६ अप्रैल हमारे लिए प्रायश्चित्त और आत्मशुद्धिका दिन रहा है। इसलिए हम इसका समारम्भ प्रार्थना और उपवाससे

करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारा देश कल राष्ट्रीय सप्ताहको उसी भावनासे मनायेगा जिस भावनासे इसकी कल्पना की गई थी। मेरा निश्चत मत है कि देश-कार्यके लिए हममें जितना ज्यादा उत्सर्गका भाव होगा और हमारी आत्मशुद्धि जितनी अधिक हुई होगी, हम अपने उस शानदार लक्ष्यको उतनी ही जल्दी प्राप्त करेंगे जिसके लिए भारतके करोड़ों लोग जाने-अनजाने प्रयत्नशील हैं।

[अंग्रेजीसे]

स्पीचेज एंड राइटिंग्ज ऑफ महात्मा गांधी

१६७. एक सन्देश

दांडी

५ अप्रैल, १९३०

शक्तिके विरुद्ध न्यायकी इस लड़ाईमें मैं सारी दुनियाकी सहानुभूति चाहता हूँ।

मो० क० गांधी

महात्मा गांधी (अलबम)में उपलब्ध अंग्रेजीकी फोटो-नकलसे।

१६८. सन्देश: अमेरिकाको[1]

दांडी,

५ अप्रैल, १९३०

मैं जानता हूँ कि अमेरिकामें मेरे असंख्य मित्र हैं, जिनकी इस संघर्षमें गहरी सहानुभूति है, लेकिन मात्र सहानुभूति मेरे किसी कामकी न होगी। जरूरत इस बातकी है कि भारतके स्वतन्त्रताके सहज अधिकारके पक्षमें जनमतकी ठोस अभिव्यक्ति हो और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाये गये पूर्ण अहिंसात्मक उपायसे पूरी सहमति व्यक्तकी जाये। मैं पूरी नम्रताके साथ किन्तु साथ ही पूरी सचाईसे दावा करता हूँ कि यदि हम अहिंसात्मक तरीकेसे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते है तो यह भारत द्वारा विश्वको दिया गया एक सन्देश होगा।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ७-४-१९३०

१. यह सन्देश न्यूयार्ककी ईस्टर्न न्यूज एंड प्रेस सर्विसके संवाददाता एस० ए० मेल्वीको दिया गया था।

१६९. भाषण: दांडीमें

५ अप्रैल, १९३०

दांडी आनेके लिए जिस समय अपने साथियोको लेकर मै साबरमतीसे निकला उस समय मेरे मनमें यह विश्वास नही था कि मै और मेरे साथी यहाँतक आ पहुँचेगे। साबरमतीमें ही यह अफवाह थी कि मुझे पकड लिया जायेगा। मै समझता था कि सरकार शायद मेरे साथियोको तो दाडी तक पहुँचने देगी, किन्तु मुझे नही पहुँचने देगी। यदि इसमें किसीको ऐसा लगे कि यह मेरी श्रद्धाकी अपूर्णताका सूचक है तो मै इससे इनकार नही करूँगा। मै यहाँतक आ सका हूँ, यह बडी हृदतक शान्ति और अहिंसाका ही प्रभाव है। शान्ति और अहिंसाका प्रभाव जगद्व्यापी है। सरकार चाहे तो इस बातके लिए बधाई ले सकती है; क्योकि सरकारमें इतनी शक्ति तो है ही कि वह हममें से हरएकको गिरफ्तार कर लेती। ऐसा होते हुए भी इस शान्ति-सेनाको गिरफ्तार करनेका साहस उसे नही हुआ, यह कहकर भी हम सरकारकी प्रशसा ही कर रहे है। ऐसी सेनाको पकडनेमें उसे लज्जाका अनुभव हुआ।

यदि कोई मनुष्य यह सोचकर किसी निन्दनीय कार्यको करनेसे हिचकता है कि मेरे इस कार्यकी पडोसी निन्दा करेंगे तो वह मनुष्य सभ्य कहा जायेगा।

यदि सरकारने दुनियाकी निन्दाके भयसे हमें न पकड़ा हो तो उस सीमातक वह धन्यवादकी पात्र है।

कल नमक-कर कानूनकी सविनय अवज्ञा की जायेगी। वह इस चीजको भी सह लेगी या नही, यह एक अलग सवाल है। सम्भव है न सहे; किन्तु सरकारने हमारी इस टुकडीके सम्बन्धमें जो धैर्य और शान्ति दिखाई, उसके लिए तो वह धन्य-वादकी पात्र मानी ही जायेगी।

सारे भारतमें व्यापक सविनय अवज्ञा शुरू हो और उसे वह सह ले तो इसका सही मतलब होगा कि नमक-कर अब नही रहा। मैंने तो तभी यह मान लिया था कि नमक-कर समाप्त हो गया है, जब हमने नमक-कानून तोडनेका संकल्प किया और जब हममें से कुछ लोगोंने यह प्रतिज्ञा की कि जबतक स्वाधीनता न मिले तबतक अपने प्राणोंको संकटमें डालकर भी हम इस प्रयत्नमें लगे ही रहेंगे।

यदि सरकार सविनय अवज्ञाको सह लेती है तो यह निश्चयपूर्वक माना जा सकता है कि सरकारने भी जल्दी या देरसे इस कर को समाप्त कर देनेका निर्णय कर लिया है। कल मुझे या मेरे साथियोको गिरफ्तार किया जाये तो मुझे आश्चर्य नही होगा। दु.ख तो कदापि नही होगा। हम जिस चीजको न्योता देनेके लिए निकले हो उसके मिलनेपर यदि हम दु.ख मानें तो यह हमारी नादानी कही जायेगी।

सरकार मुझे गिरफ्तार कर ले और गुजरात या भारतके सभी प्रख्यात नेताओंको भी गिरफ्तार कर ले तो भी क्या हुआ? इस लड़ाईकी योजना ही इस

विश्वासपर की गई है कि जहाँ सारीकी-सारी प्रजा उठ खड़ी हुई हो, जहाँ सारी प्रजा जाग्रत हो गई हो वहाँ नेताकी आवश्यकता नही रहती। जिन लाखो मनुष्योंने हमारी यात्राके दरम्यान हमें अपना आशीर्वाद दिया है और मेरे भाषणोंको सुना है, मै आशा करता हूँ कि उनमे से कई अवश्य ही इस लड़ाईमें शामिल होनेके लिए तैयार हो जायेंगे। ऐसा होगा तभी इस लड़ाईको व्यापक सत्याग्रहका नाम दिया जा सकता है।

हमें तो अब जबतक सरकार थक नही जाती तबतक जहाँ-जहाँ नमक बनाना सम्भव हो वहाँ-वहाँ जिस तरह हमारे पूर्वज नमक बनाया करते थे उस तरह घर-घर नमक बनाना है और उसे जगह-जगह बेचना है और यह काम इतनी हदतक करना है कि सरकारके गोदामोंमें जो नमक पड़ा हुआ है वह बेकार हो जाये। यदि देशकी जनता सचमुच जाग्रत हो चुकी होगी तो नमकका कानून अब रह नही सकता।

इस आन्दोलनके द्वारा हम अन्तमें जहाँ पहुँचना चाहते है, हमारा वह लक्ष्य तो बहुत दूर है। हमारी यात्राका गन्तव्य फिलहाल दाँडी है किन्तु अन्तमें तो हमें स्वतन्त्रता-देवीके धाम तक पहुँचना है। जबतक हमें स्वतन्त्रता-देवीके दर्शन नही होते तबतक न तो हम स्वयं चैन लेंगे और न सरकारको चैन लेने देंगे।

जिन पटेलोंने त्यागपत्र दिये है उन्हें सिद्ध करना चाहिए कि ये त्यागपत्र उन्होंने सच्चे मनसे दिये है। जबतक स्वतन्त्रताकी स्थापना नही हो जाती तबतक उन्हें इस सरकारकी सेवा करना पाप समझना चाहिए।

पिछले चार-पाँच दिनोसे मैं जिन दूसरे रचनात्मक कामोंकी चर्चा कर रहा हूँ उनपर भी जलालपुर तहसीलमे तो तुरन्त ही अमल होना चाहिए। शराब पीनेमें सूरत जिला कुख्यात है और उसमें भी सूरत जिलेकी यह तहसील तो और भी कुख्यात है। इस तहसीलमें आज जब आत्मशुद्धिकी हवा बह रही है तब शराब और ताड़ीका सम्पूर्ण नाश करना कठिन काम नही है। इन खजूरके झाड़ोका पत्ता-पत्ता पापका सूचक है। हमारे नाशका कारण होनेके सिवा उनका और कोई अर्थ नही है। ऐसे झाड़ जो हमारे लिए विषके समान है, पूरी तरह नष्ट कर दिये जाने चाहिए।

जलालपुरमें ऐसा एक भी आदमी नही होना चाहिए जो विदेशी वस्त्र पहनता हो। दाँडीमें जो भी आदमी आये उसे अपने मनमें यही भावना लेकर आना चाहिए कि वह इस स्वराज्य-यज्ञमें भाग लेनेके लिए आ रहा है।

दाँडीमें किसी भी व्यक्तिका विदेशी वस्त्र पहनकर आना मुझे अच्छा नही लगेगा। यदि हम दाँडीको तीर्थस्थल मानते हों या उसे पूर्ण स्वराज्यका दुर्ग बनाना चाहते हों तो सब लोगोंको यहाँ खादी पहनकर ही आना चाहिए। मै जानता हूँ कि हमारे खादी-भण्डारोंमें आज खादीकी कमी अनुभव की जा रही है, इसलिए यदि लम्बे पनहेकी साड़ी या धोती वहाँ न मिले तो आप लोग यहाँ केवल लँगोटी पहनकर ही आयें। खादीकी लँगोटी पहनकर आनेवाले व्यक्तियोका यहाँ वैसा ही सत्कार किया जायेगा जैसा कि सभ्य व्यक्तियोंका होता है, किन्तु यदि कोई यहाँ विदेशी वस्त्र

पहनकर आयेगा तो मुझे दाँडीकी सीमापर स्वयसेवक नियुक्त करने पड़ेंगे और वे लोग उनके पाँवोंमें गिरकर उनसे खादी पहननेका अनुरोध करेंगे। और उनके ऐसा करनेसे यदि आपको दु:ख हो और आप उन्हे थप्पड मारें तो भी वे सत्याग्रही आपके प्रहारोंको सहन करेंगे।

इस कार्यके लिए दाँडीका चुनाव मनुष्यका नही, ईश्वरका किया हुआ है। जहाँ अनाज न मिलता हो, जहाँ पानीके अभावका डर हो, जहाँ हजारो लोग बहुत असुविधा सहकर ही पहुँच सकते हो, जहाँ पहुँचनेके लिए स्टेशनसे दस मील चलना पडता हो, पैदल चलनेवालेको कीचड़से भरी खाडी लाँघनी पड़ती हो, ऐसी एक दूरवर्ती जगहको सत्याग्रहके लिए चुना गया, इसका भला इसके सिवा और क्या कारण हो सकता है? सच तो यह है कि हमारी यह लड़ाई कष्ट सहनेकी ही लड़ाई है।

आप लोगोने नवसारीसे दाँडी तक सारे रास्तेमें जगह-जगह प्याऊकी व्यवस्था करके इस रास्तेको सारी दुनियामें प्रसिद्ध कर दिया है। यदि इस लडाईमें आपकी सम्मति न होती, आपकी शुभेच्छा न होती तो आप यह सब क्यो करते?

दाँडीमें जो भी आये उसे इस भावनासे आना चाहिए कि दाँडी एक पवित्र स्थान है, यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी तरहका पाप नही करना चाहिए। यदि आप यहाँ सच्चे सेवकोकी भावनासे आयेंगे और सरकार कितना भी डर दिखाये उसका डर माने बिना नमक-कानूनकी सविनय अवज्ञा करेंगे तथा जो भी दूसरे काम आपसे करनेको कहा जाये उन्हें उठा लेगे तो आप देखेंगे कि इसी एक सप्ताहमें स्वराज्यका कानून बनने लगेगा। ईश्वरकी शक्ति ऐसी महान् है कि अपना यह जन्मसिद्ध अधिकार हम एक ही दिनमें पा सकते हैं।

ब्रिटिश कानून कहता है कि हरएक व्यक्तिका शरीर पवित्र है। उसकी इसी सीखसे आकृष्ट होकर मैं ब्रिटिश राज्यपर मुग्ध हुआ था। इस कानूनके अनुसार, मनुष्य भयंकर हत्याका अपराधी हो तो भी सिपाही उसे मार नही सकता; सिपाहीको उसे जीवित पकड़कर ही न्यायालयमें हाजिर करना चाहिए। जेलके बाहर सिपाहीको किसी आदमीसे चोरीका माल छीननेका भी अधिकार नही है। किन्तु आज तो उलटा न्याय चल रहा है। मेरी बद मुट्ठीमें नमक है या कंकड़, इसका निर्णय पुलिस कैसे कर सकती है?

प्रत्येक मनुष्यका घर उसका किला है। हमारा शरीर भी एक प्रकारका किला ही है। और यदि नमक एक बार इस किलेके भीतर आ जाये तो फिर वह बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे हमारे सिरोंपर घोड़े ही क्यो न दौड़ा दिये जायें। हमें आजसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा मनोबल इतना दृढ़ हो कि चाहे हाथ कट जाये, पर नमककी मुट्ठी न खुले।

किसीके घरमें जबरदस्ती घुसना जंगलीपन है। मेरे हाथमें धूल है या नमक, इसका निर्णय तो न्यायाधीश करता है। अंग्रेजोंका कानून तो शरीरको पवित्र मानता है। हरएक सरकारी अधिकारी न्यायाधीश बनकर लोगोंके घरोंमें प्रवेश करने लगे तो उसके इस कार्यको डाकुओंका धंधा ही कहा जा सकता है।

किन्तु भारतके अधिकारी तो जरूरत पड़नेपर इन सारे कानूनोंको ताकपर रख देते हैं और १८१८ के कानूनका सहारा लेकर उनकी सम्पूर्ण उपेक्षा कर देते हैं।

इस समय एकके-बाद-एक सारे नेता पकड़े जा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाईमें तो ऐसा कोई भी आदमी, जो सबसे ज्यादा कष्ट सहनेके लिए तैयार हो, नेता बन सकता है। इस नियमके अनुसार जो लोग बाहर हैं, उनमें से कोई भी नेताका पद सँभाल सकता है और लड़ाईको जारी रख सकता है।

यह लड़ाई किसी एक मनुष्यकी नहीं, करोड़ोंकी है। यदि तीन-चार आदमी ही लड़कर स्वराज्य प्राप्त कर सकते हों तब तो देशकी शासन-सत्ता भी उन तीन-चार आदमियोंके हाथमें ही चली जायेगी। अतः स्वराज्यकी इस लड़ाईमें तो करोड़ों आदमियोंको अपना बलिदान देकर ऐसा स्वराज्य हासिल करना है जो करोड़ोंके लिए लाभदायी हो।

सरकार देशके बड़े नेताओंको एक-एक करके गिरफ्तार करती जा रही है। यदि हम उनके बताये रास्तेपर चलनेके लिए तैयार हों और उनके बताये धर्मका पालन कर सकते हों तब तो हम हँस सकते हैं, अन्यथा हमें लज्जित होना चाहिए। नेता लोग तो चले गये; अब हमें यही मानना चाहिए कि हमारी बारी आ गयी है।

गुजरात और अन्यान्य प्रदेशोंके इतने सारे नेता जेल गये हैं और कितने ही स्वयंसेवक अपने नमककी रक्षाके प्रयत्नमें घायल हो चुके हैं तथा कहीं-कहीं कुछ स्वयं-सेवकों पर तो इतनी मार पड़ी है कि वे बेहोश तक हो गये। किन्तु मेरे मन पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। मेरा हृदय आज पत्थर-जैसा कठोर हो गया है। यदि इस लड़ाईमें हजारों नहीं, लाखों मनुष्योंकी बलि देनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हमने हजारों आदमियोंको जेल भेजनेका आन्दोलन ही छेड़ा है, इसलिए यदि कोई उन्हें गिरफ्तार करता है और जेल ले जाता है तो इसमें रोनेका कोई कारण नहीं है। यह तो चौपड़का एक ऐसा खेल है जिसमें हमारा मनचाहा पासा पड़ रहा है। तब इसमें हँसने या रोनेकी क्या बात है? यह तो ईश्वरकी कृपा है; जो चमत्कार हो रहे हैं, हम उनका तटस्थतापूर्वक निरीक्षण करें।

हमारे नमक-कानूनकी विविध धाराओंको तोड़नेके बावजूद यदि सरकार हमारे ऊपर हाथ नहीं डालती तो तेरह तारीखके बाद मैं इस शिविरको तोड़ दूंगा और हम कहीं अन्यत्र चले जायेंगे। लेकिन यह योजना इस बात पर निर्भर है कि सरकार क्या करती है। अभी तो हमें सरकारके रंग-ढंगको देखकर ही अपने व्यवहारका निश्चय करना है।

आप लोग अभी तक नमक लानेके लिए न गये हों तो सारे गाँवके लोग मिलकर एक साथ जायें। अपनी मुट्ठीमें नमक भर लें और ऐसा समझें कि आपके हाथमें ६ करोड़ रुपयेका नमक है। सरकार इस नमक-कर के द्वारा हर वर्ष हमारे पाससे ६ करोड़ रुपया ले जाती है।

आप लोग आजसे सरकारी नमक न खानेकी प्रतिज्ञा कर सकते हैं। आपके घरके आँगनमें तो नमककी खान पड़ी है।

रोहतकमें लाला श्यामलाल नामक एक नम्र, बहादुर और त्यागी सेवक हैं। उन्होंने १९२१ के असहयोग आन्दोलनके समय अपनी वकालत छोड़ दी थी। आन्दोलनमें निःस्व हो जाने पर उन्होंने फिर वकालत शुरू की और हजारों रुपये कमाये। किन्तु लाहौरकी कांग्रेसके बाद उनका हृदय फिर पिघला और उन्होंने आश्रममें आनेके लिए अनुरोध किया। उन्होंने सत्याग्रहियोंकी इस दाँडी-यात्रामें शामिल होनेकी भी इच्छा प्रगट की थी। किन्तु यह तो सोनेकी मुद्रासे पैसेके बराबर काम लेना होता। इसलिए मैंने उन्हे फिर वापस रोहतक भेज दिया। और जैसा कि उन्होंने लिखा है, उन्होंने अहिंसाका अमृत पीकर, सत्य और अहिंसाकी कीमत पहलेसे ज्यादा समझनेके बाद विदा ली और यह प्रतिज्ञा ली कि अब वे अहिंसाको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये लाला श्यामलाल अराजभक्तिके अपराधमें गिरफ्तार कर लिये गये है।

उन्होंने 'यंग इडिया' में लिखे उस लेखके-जैसा, जिसमें अराजभक्तिको धर्म बताया गया है, कोई भाषण किया होगा। पहली बात तो यह है कि सरकारको धारा १२४(अ) उस मनुष्यके खिलाफ लागू करनी चाहिए जो प्रतिक्षण इस राज्यके नाशकी प्रार्थना कर रहा है और उसके लिए प्रयत्न भी कर रहा है। मतलब यह कि उन्हें इस धाराको मेरे खिलाफ लागू करना चाहिए। किन्तु सच तो यह है कि इस धाराका प्रयोग उसीके खिलाफ किया जाना चाहिए जो विद्रोह करके और शस्त्रास्त्रके द्वारा राज्यका नाश करनेकी कोशिश करे। जो व्यक्ति सत्य और अहिंसाके मार्ग पर चलकर स्वयं कष्ट सहन करके राज्यका नाश करना चाहता हो उसके खिलाफ इसका प्रयोग नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो कोई न्यायाधीश नहीं हूँ। मेरी तो बैरिस्टरी भी छीन ली गयी है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १३-४-१९३०

१७०. पत्र : नारणदास गांधीको

दांडी कूचके दौरान

[६ अप्रैल, १९३०के पूर्व][1]

चि० नारणदास,

रेजिनाल्डने अगर नाम माँगा हो और तुमने उसे 'अगद'[2] नाम दिया तो यह उचित ही है।

कृष्णदास जैसे-जैसे पैसा मँगाये वैसे-वैसे उसे पैसा देते जाना। जबतक वह एक बारमें एक सौ रुपयेसे एक हजार रुपये तककी रकम माँगता है तबतक मुझसे

१. विषय-वस्तुसे लगता है कि यह ६ अप्रैल, १९३० को नारणदास गांधीको लिखे पत्रके पहले लिखा गया होगा।

२. दौत्य करनेके कारण।

पूछनेकी कोई जरूरत नहीं। वैसे यदि तुम्हें कुछ पूछने-जैसी बात लगे तो तुम पूछ सकते हो।

जहाँ कोई विशेष सामान न हो और जहाँ पहरेदारी करनेकी जरूरत न हो, जमनाकुटीर-जैसे उन बँगलोंमें से [बचा-खुचा] सामान निकलवा लेना चाहिए।

गिरिराजका मन यदि शान्त हो तो फिलहाल उसे वहीं रहना चाहिए और चर्मालयका काम देखना चाहिए। जूते आदि बनानेका काम चलता रहे, यह आवश्यक है। हाँ, यदि उसके मनमें आनेकी इच्छा हो तो आ भी सकता है। मैं उसे लिख रहा हूँ।

सत्याग्रहके लिए मिलनेवाली रकमोंका क्या किया जाना चाहिए सो कहना मुश्किल है। मेरा विचार यह है कि जो पैसे कूचके दौरान गाँवोंसे प्राप्त हुए हैं उन्हें तो प्रान्तीय समितिमें भेज दिया जाना चाहिए। दूसरी जो रकमें आयें वे फिलहाल आश्रममें जमा रहें। फिर भी इस बारेमें महादेव जैसा कहे वैसा करना। और मनमें शंका उठे तो वल्लभभाईसे पूछना। वे जो कहें उसे अन्तिम निर्णय समझना।

भणसाली यदि रातके समय आश्रमकी चौकसी रखता है तो मेरे खयालसे उसे ऐसा करने देना चाहिए। वह सरल-हृदय व्यक्ति है। उसे रातको नींद कम आती है। उसका पहरेदारी करना शुद्ध रूपसे सात्त्विक होगा। उसके पहरेदारी करनेसे चोरका पकड़में आ जाना सम्भव है। लेकिन इस बारेमें इमामसाहब, महादेव और मीराबहनके साथ सोच-विचार कर लेना।

बिड़ला-कोषमें से हमने लगभग २५,००० रुपये दिये हैं। वह रकम भले ही कितनी ही क्यों न हो, उसके तारीखवार आँकड़े मिल-मालिक संघके मन्त्री गोरधनभाई पटेलको भेज देना। मुझे भी बताना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

तुरन्त भेजना। यह पैसा हमें मिलेगा।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०९५)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

१७१. सूरत जिलेमें दिये भाषणोंके अंश[1]

[६ अप्रैल, १९३० के पूर्व]

आप सरदारको तीन महीने और तीन सप्ताहके पहले छुड़ाना चाहते हो तो शान्तिका — अहिंसाका पालन करके आप उन्हें छुडा सकते है। आपसे मै पचास प्रतिशत नही, बल्कि शत-प्रतिशत मुखियो द्वारा त्यागपत्र दिये जानेकी माँग करता हूँ। तलाटी भी इसमें शामिल हैं ही। मुखिया और तलाटी सरकारके दो स्तम्भ है। इन्ही पर भारतका राजनीतिक शरीर आधारित है। यदि ये टूट जायें तो सारा ढाँचा ही चरमराकर टूट जायेगा और धूलमें मिल जायेगा।

× × ×

सावधान, झूठे त्यागपत्रोको जला डालिए। उनके बिना भी हमारा काम चल सकता है। अगर कोई यह समझता हो कि गाधी तो महात्मा है, उसने तपश्चर्या की है, सरदार उसका सहकारी है, इसलिए दो महीनेमें हम सब फिर अपनी-अपनी जगह बहाल हो ही जायेंगे तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी। स्वराज्य एक-दो महीनेमें भी मिल सकता है और उसमें पूरा जीवन भी लग सकता है। सरदारकी और मेरी हड्डियाँ राखमें मिल जायें, हो सकता है, तब भी स्वराज्य न मिले। लेकिन अब तो हम बागी हो गये हैं। और हमारी यह बगावत कोई ऐसी-वैसी नही है। जिस साम्राज्यमें कभी सूर्यास्त नही होता, हम उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। यह साम्राज्य कितना भी बडा क्यो न हो, असत्यका पुज है। सत्यकी फूंक-मात्रसे वह बात-की-बातमें उड़ जायेगा। लेकिन ऐसा सत्य हममें प्रकट हो तब न? इसलिए आज आरम्भमें ही आप सबको पुकारकर मैं हिसाब कर लेना चाहता हूँ, आपको सचेत करता हूँ कि हमें दगा न दीजिएगा। मुझे दगा देनेका मतलब सरदारको दगा देना है, भारत माताको दगा देना है, खुद अपनेको दगा देना है। किसीको आपके त्यागपत्रकी भूख नहीं है। आनन-फाननमें कार्य सिद्ध हो जायेगा, ऐसा मानकर त्यागपत्र न दें। आप ऐसा समझकर ही त्यागपत्र दें कि अब आपको मुखियागिरी या तलाटीगिरी कभी मिलनेकी नही।

× × ×

बहनोंने गाया है कि 'स्वराज्य लेना सरल है'; है तो, लेकिन तभी जब वे करके दिखायें। नमकके बारेमें इतना कहकर अब मैं एक-दो वाक्योंमें चरखेकी बात समझा रहा हूँ। आप ऐसा न समझें कि स्वराज्य नमकके पहाड़में तो है, लेकिन सूतके तारमें नही है। स्वराज्य तो सूतके तारमें ही है। करोड़ों लोगोंको सुखी बनाने

१. "स्वराज्य गीता" से उद्धृत। साधन-सूत्रमें यह नहीं बताया गया है कि ये भाषण सूरत जिलेके किन स्थानोंमें और किन तारीखोंको दिये गये थे।

और शान्त रखनेवाला दूसरा कोई भी साधन नहीं है। आप सब नमककी खातिर आगे आयें या न आयें, खादीका मन्त्र तो जपते ही रहें। और शराब? इस बुराईको दूर करनेके लिए तो मीठूबहन पागल बनी ही हुई हैं। इसकी खातिर एक पारसिन घर छोड़ दे और तब भी हम इस लतको न छोड़ें, यह शर्मकी बात है।

× × ×

स्वराज्यकी ये शर्तें रोज-रोज सुनाकर मैं तो थक गया। अब इसके बाद एक धर्म रह जाता है, जिसका पालन मैं कर लूँ। मेरा काम तो आपको अपना धर्म बताना था। मैंने तो यह निश्चय कर लिया है कि हिन्दुस्तानमें चाहे जो हो, लेकिन मुझे सविनय अवज्ञा करके या तो अपना बलिदान कर देना है या स्वराज्य प्राप्त करना है। इसीलिए मैंने लोगोंको आमन्त्रित किया और खुद निकल पड़ा। कल जिन्दा रहा तो आपके आशीर्वाद लेकर यहाँसे भी चल पड़ूँगा। जो तैयार हैं उन्हें मैं अपने साथ चलनेको आमन्त्रित करता हूँ। जो लोग न आयें वे खादी पहनें और बनायें। खादीकी कमी पड़ गई है। इसको बनानेवाला मैं तो चला। मैं बैठा होऊँ तब तो चाहे जहाँसे खादी लाकर सबकी माँग पूरी कर दूँ। खादी बनानेवाला मैं तो दूसरे खादी बनानेवालोंको भी लेकर चला और जो बनानेवाले रह गये हैं उनमें यह माँग पूरी करनेकी शक्ति नहीं है। इसलिए खादी पहनना और बनाना आपका धर्म है।

× × ×

मैं तो अंग्रेज, पारसी या मुसलमान किसीका सपनेमें भी बुरा नहीं चाहता। मैं तो सबका भला ही चाहनेवाला हूँ। इसलिए वह[1] हमारा क्या कर सकती है? कुछ करनेकी उसकी हिम्मत ही नहीं होती। हिम्मत होगी तो पकड़ेगी। और मुझे पकड़ ले तो भी जेलमें पड़ा-पड़ा मैं यही प्रार्थना करूँगा कि हे ईश्वर, इस सरकार-का तू हृदय-परिवर्तन कर और इसके हृदयमें मनुष्यको, इन्सानको शोभा न देनेवाली जो भावना पैदा हुई है उसे तू दूर कर। अर्थात् जेलमें भी मैं तो इसके भलेकी ही कामना करूँगा। मैं नहीं चाहता कि राजा या उसके अधिकारी मार डाले जायें। इसलिए मुझ-जैसे व्यक्तिको पकड़ना या जेलमें डालना जरा भारी पड़ता है। राज्या-धिकारी चाहे तो मुझे पकड़ सकते हैं, लेकिन मुझे पकड़नेमें उन्हे शर्म आती है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हमेशा ऐसा ही चलनेवाला नहीं है। एक-न-एक दिन उसको मुझे पकड़ना ही है। और अगर मुझे नहीं पकड़ते तो कुछ ही दिनोंमें सारा हिन्दुस्तान धधक उठेगा। मैं जानता हूँ कि आप सब भाई-बहन अभी जेल जानेके लिए नहीं आये हैं। मेरे लिए तो पकड़े जाना या यहीं बैठे रहना, दोनों समान हैं। एक-न-एक दिन आप सबकी भी यही स्थिति होनेवाली है।

सरकारकी गति तो साँप-छछुन्दरकी-सी हो गई है। मुझे बाहर रहने देना या जेलमें डालना, ये दोनों बातें उसके लिए मुश्किल हैं। आपको मैं यह सामान्य धर्म

१. तात्पर्य अंग्रेज सरकारसे है।

बताता हूँ। हिन्दू, मुसलमान, पारसी तथा अन्य सब भी इस धर्मका पालन करें। हम सब ऐसा करें तो हमें गिरफ्तार करना किसी भी सत्ताकी शक्तिके बाहरकी बात होगी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ६-४-१९३०

१७२. बहनोंके प्रति[1]

मैं इस तथ्यसे भली-भाँति अवगत हूँ कि हिन्दुस्तानकी असंख्य स्त्रियाँ अनपढ़ हैं। लेकिन शिक्षाके अभावके बावजूद वे समाजमें अपना स्थान किस तरहसे प्राप्त कर सकती हैं, इस बातको ध्यानमें रखकर ही मैंने अपने शिक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्तोंकी रचना की है; और इन्ही सिद्धान्तोमें से स्वराज्य प्राप्त करनेके साधनोकी संयोजना हुई है। अब तो मैं दावेके साथ यह कह सकता हूँ कि यह लड़ाई कुछ ऐसे ढंगकी है कि यदि बहनें चाहें तो इसमें वे पुरुषोकी अपेक्षा अधिक योगदान दे सकती है। खादीका समस्त कार्य बहनोंके अधीन है। यदि वे अपना सहयोग न दें तो यह कार्य आज ही ठप हो जाये। आज जितने पुरुष खादीके कार्यको प्रोत्साहन दे रहे है उनकी अपेक्षा बहनोंकी संख्या कमसे-कम पाँच गुनी ज्यादा है। वस्तुतः इसे दस गुनी माननी चाहिए, क्योंकि लगातार आठ घंटे चलनेवाले एक करघेके लिए दस बहनोको काम करना होता है। यह बात तो सभी जानते है कि करघोके लिए सूत प्रदान करनेमें पुरुषोका हिस्सा बहुत कम है; परन्तु खादी-आन्दोलनके अन्य हिस्सोमें भी स्त्रियाँ ठीक संख्यामें अपना योगदान दे रही है। करघा तो अनेक स्त्रियाँ चलाती ही है। इसलिए खादीके विषयमें तो यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि यह कार्य केवल बहनोके ही अधीन है और इस कार्यको लेकर ही बहनोने ऐसी प्रगति की है जैसी हिन्दुस्तानके इतिहासमें पहले कभी नहीं हुई थी और न कभी किसीने इसकी कल्पना ही की थी। समस्त हिन्दुस्तानकी अपनी तीन बारकी यात्राके दौरान मैंने यही देखा है और आज गुजरातमें कूचके दौरान भी मैं यही देख रहा हूँ और सो भी इस सीमा तक कि हम त्रैराशिक-तक लगा सकते हैं; अर्थात् कह सकते हैं कि आज जिस स्थान पर जितने अंश तक चरखेका चलन है उतने अंशतक स्त्रियोंमें जागृति आई है।

इस तरह विचार करते हुए और बहनोंकी सविनय अवज्ञामें भाग लेनेकी अधीरताको देखते हुए मुझे तो ऐसा लगा है कि यदि बहनें सचमुच जोखिम उठाना चाहती हों, यदि वे हिन्दुस्तानके ही नही, संसारके इतिहास पर अपनी छाप छोडना चाहती हो, यदि वे हिन्दुस्तानकी सभ्यताका पुनरुद्धार करना चाहती हो तो उन्हें

१. इस शीर्षकके प्रथम तीन अनुच्छेदोंका अनुवाद यहाँ नहीं दिया गया है। ये अनुच्छेद "भारतकी महिलाओंसे" के प्रारम्भिक तीन अनुच्छेदोंमें आ जाते हैं; देखिए पृष्ठ २२६।

अपने लिए कोई विशेष क्षेत्र चुन लेना चाहिए। तो अब इस दृष्टिसे विचार करें। यदि बहनें सविनय अवज्ञामें भाग लेना चाहती हैं तो वे निकट भविष्यमें ही ऐसा कर सकेंगी। परन्तु उनके लिए नवीन क्षेत्रकी खोज करनेके बाद अब उन्हें नमक-कानूनकी सविनय अवज्ञामें भाग लेनेके लिए आमन्त्रित करनेका मेरा तनिक भी मन नही होता। बहनें यदि उसमें शामिल हुईं भी तो वे पुरुषोंके हुजूममें खो जायेंगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इसमें जगह-जगहसे पुरुषोंके दल-के-दल उमड़ पड़ेंगे। इतनी बड़ी संख्यामें बहनें भी निकल पड़ेंगी, ऐसा मैं नहीं मानता और यदि निकल भी पड़ें तो बहनों अथवा भाइयोंके लिए करनेको कुछ नहीं रह जायेगा और नमक-कर भी हट जायेगा। मैं जैसे-जैसे विचार करता हूँ वैसे-वैसे मुझे यह एहसास होता है कि नमक-कर दूर करवानेमें हमें विशेष कष्ट नहीं उठाना होगा।[1]

मुझे लगता है कि इन लोगोंका हृदय-परिवर्तन करना स्त्रियोंका खास क्षेत्र है अथवा वे उसे अपना खास क्षेत्र बना सकती है। इतिहास साक्षी है, हृदयके साम्राज्य-को स्त्री जितनी जल्दी जीत सकती है उतनी जल्दी पुरुष नहीं जीत सकता। यदि स्त्रियाँ चाहें तो मद्य-निषेधके इस कार्यको वे आज ही अपने हाथमें ले सकती है। इसके बारेमें मेरा विचार यह है:

१. अच्छी अर्थात् सधी हुई स्त्रियाँ स्थान-स्थानपर सत्याग्रह-दल बनायें और वे अकेली ही मद्य-विक्रेताओंके पास जायें और उनसे इस धन्धेको छोड़ देनेका अनुरोध करें।

२. शराब पीनेवालोंके घरोंमें जायें और शराबकी दुकानोंपर भी खड़ी रहें, भजन-कीर्तन करें तथा शराबकी दुकानपर जानेवालोंको जालमें फँसनेसे रोकें।[2]

यदि शराबकी दुकानें बन्द हो जायें, अफीमकी दुकानें बन्द हो जायें तो उसका मतलब यह होगा कि जनताके २५ करोड़ रुपयोंकी बचत हो गई। २५ करोड़ रुपयेका राजस्व हिन्दुस्तानमें अन्य तरीकेसे निकल सकता है। इसका केवल एक ही परिणाम होगा; वह यह कि सेना और प्रशासनके खर्चमें भी बहुत कमी हो जायेगी और यह कमी इस हदतक होगी कि उससे देशकी राजनीतिका रूप ही बदल जायेगा। आजकी नीति जनताके अविश्वासपर आधारित है। कलकी नीतिकी रचना जनताके विश्वासपर होगी। जनताके विश्वासपर आधारित राजनीतिमें न तो बड़े पुलिस विभागकी आवश्यकता होती है और न बहुत बड़ी सेना रखनेकी जरूरत होती है।

लेकिन मैं बहनोंको इस झंझटमें डालूँ ही क्यों? अभी तो किसी अन्य क्षेत्रकी चर्चा किये बिना मैं बहनोंके समक्ष मद्यपान-निषेधके क्षेत्रको प्रस्तुत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस कार्यको करनेके लिए गुजरात सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र है। इस क्षेत्रको तैयार करनेवाली कोमलकाय पारसी महिला मीठूबहन पेटिट है और इस

१. इसके बादके अनुच्छेदका अनुवाद यहाँ नहीं दिया गया है। उक्त अनुच्छेद "भारतकी महिलाओंसे" के चौथे अनुच्छेदमें आ जाता है; देखिए पृष्ठ २२६।

२. इसके बादका एक अनुच्छेद यहां नहीं दिया गया है। उक्त अनुच्छेद "भारतकी महिलाओंसे" के पाँचवें अनुच्छेदमें आ जाता है; देखिए पृष्ठ २२६।

क्षेत्रका विचार भी मेरे मनमें उनके अलौकिक कार्यको देखकर ही आया है। इसलिए करनेको केवल इतना ही रह जाता है कि हम मीठूबहनके कार्यको सौ-गुना बढायें। इसका मतलब यह नही कि केवल सौ बहनें ही इस कार्यके लिए तैयार हो अपितु यह कि असंख्य बहनें तैयार हों जिससे यह कार्य सौ-गुना ज्यादा अर्थात् असंख्य-गुना ज्यादा बढ जाये। अभी जिस ढंगसे काम हो रहा है उसमें थोडा परिवर्तन करना होगा। पुरुष-मात्र उस कार्यमें से निकल आयेंगे। बहनों द्वारा बताया हुआ काम ही वे लोग करेंगे। लेकिन मुख्य काम—जैसे धरना देना, लोगोंसे विनती करना, आरजू-मिन्नत करना, मद्य-विक्रेताओंके पास दल लेकर विनय करनेके लिए जाना—तो बहनोंका ही है।[1]

मैंने इस योजनाकी केवल रूपरेखा-भर ही बताई है, इसमें ब्योरोंको जोड़ा जा सकता है। मेरी इच्छा है, बहनें इस कार्यमें पहल करें और चालू प्रवृत्तिको इतनी गति प्रदान करें जिससे जनता और सरकार दोनों ही हिल उठें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ६-४-१९३०

१७३. अन्त्यजोंके लिए कुएँ

ठक्कर बापाकी अन्त्यज भाइयोंके लिए कुएँ बनवाने-सम्बन्धी अपील कुछ सप्ताह पूर्व 'नवजीवन' में प्रकाशित हुई थी। बम्बईसे कुछ-एक भाई साँधियेरमें मुझसे मिलने आये थे। उन लोगोंसे मैंने कहा था कि ठक्कर बापाकी झोली उन्हें ही भर देनी चाहिए। ४०,००० रुपयेकी रकम उनके लिए कोई बडी रकम न थी और इन [अन्त्यज] भाइयोंको इतने ही रुपयोंकी जरूरत है। उनमें से एक भाईने तुरन्त ही एक कुएँके लिए पैसे दे दिये। श्री नारणदासने सबके साथ सलाह-मशविरा कर तुरन्त ४०,००० रुपये इकट्ठा कर देनेकी बात कही। इससे मुझे बहुत हर्ष हुआ और मैंने आये हुए भाइयोंको बधाई दी। अब मेरी सलाह है कि यह पैसा तुरन्त इकट्ठा करके ठक्कर बापाके पास पहुँचा दिया जाये। आगामी तीन महीनोंमें ही कुओंकी खुदाई हो सकती है। चौमासा शुरू होनेपर कुएँकी खुदाईका काम नही हो सकता।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ६-४-१९३०

१. इसके बादके दो अनुच्छेदोंका अनुवाद यहाँ नहीं दिया गया है। उक्त अनुच्छेद "भारतकी महिलाओंसे" के अन्तिम दो अनुच्छेदोंमें आ जाते हैं; देखिए पृष्ठ २२८।

१७४. टिप्पणियाँ

कुछ प्रश्न

प्र० : जेलमें खादीका आग्रह किया जा सकता है या नही ?

उ० : खादी-व्रतकी कल्पनाके समय यह आग्रह मेरे ध्यानमें नही था। मुझे तो यह अनावश्यक मालूम होता है। आम तौर पर सत्याग्रहीको जेलके उन नियमोंका अनादर नहीं करना चाहिए, जो धर्म-विरुद्ध नही है। किन्तु ऐसे मामलोंमें सबको अपने-अपने धर्मका विचार कर लेना चाहिए। अगर किसीका यही व्रत हो कि वह किसी भी दशामें खादीके सिवा और कोई कपड़ा नही पहनेगा तो उसका धर्म है कि वह खादीका आग्रह करे। लेकिन अब कोई ऐसा व्रत लेकर जेल जाये तो मैं उसे अनुचित मानूंगा।

प्र० : जिसका यह नियम है कि १६० तार सूत काते बिना अन्न ग्रहण नही करना वह तो तकलीकी अपेक्षा चरखेको ही ज्यादा पसन्द करेगा अतएव क्या चरखा और धुनकी पानेका आग्रह किया जा सकता है ? तकलीपर कातनेमें तो बहुत समय लग जाता है। इससे जेलके काममें रुकावट पहुँचती है; अतः बगैर चरखेके काम नही चल सकता। १६० तार सूत कातनेका आग्रह भी उचित है या नही ? या उसे कुछ ही तार कातकर सन्तोष कर लेना चाहिए ?

उ० : कताई यज्ञ-कार्य है, इसलिए चरखे और धुनकीका आग्रह किया जा सकता है। जिसने कताईका व्रत लिया है, उसे चरखे और धुनकीके लिए जरूर आग्रह करना चाहिए। उसे एक तकली दे देना ही काफी नही है। १६० तारसे कममें काम चल सकता है या नहीं, सो तो व्रतपर निर्भर है। अगर १६० तारका व्रत हो तो इससे कममें काम नही चला सकता।

प्र० : गन्दा भोजन दिया जाये, पेशाबका ठीक इन्तजाम न हो, २-३ मिनटमें ही शौचसे निबटकर उठना पड़े, बीचमें जरूरत पड़ने पर जाना मना हो, सामर्थ्यसे अधिक काम कराया जाये, वार्डरों द्वारा रात-भर चिल्ला-चिल्लाकर गिनती करनेके कारण नीद न आ पाये तो इन मामलोंमें आमतौर पर कौन-सी नीति अख्तियार करनी चाहिए ? किस सम्बन्धमें किस सीमा तक आग्रह धर्मानुमोदित कहा जा सकता है ?

उ० : इस सम्बन्धमें सामान्य नियम तो यह है कि जो कष्ट सहन किया जा सकता हो और जिसमें अपमान न होता हो, उसे सहन किया जाये, और शेष मामलों-में जो ढंग सत्याग्रहीको शोभा दे, उस ढंगसे लड़ा जाये। मैं गन्दे भोजन और गन्दे बरतनोंको सहन नही करूँगा। पेशाबखानोंकी गन्दगी मेरे लिए असह्य होगी; लेकिन अगर कोठरीमें पेशाब करनेकी सुविधा कर दी जाये तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा। पाखानेके लिए जरूरी समय अवश्य लूँगा, इस बारेमें मैं किसी तरहकी जल्दी सहन नहीं करूँगा। पर गिनतीकी चिल्लाहटको सह लूँगा।

निर्दयी पुरुषोंके प्रति

प्राइमस स्टोवके कारण रोज गुजराती बहनें मरती रहती हैं, किन्तु ऐसा देखनेमें नही आता कि निर्दयी गुजराती इसकी कुछ चिन्ता करते हो। मुझे अभी-अभी दो बहनोंकी मृत्युका समाचार मिला है। अपनी इस यात्राके दौरान मैंने खुद उस खतरे-को अनुभव किया है। मेरे साथ यात्रा करनेवाले एक अनुभवी और कुशल साथी ही दो बार बाल-बाल बचे। फलस्वरूप मैंने स्टोवका व्यवहार करनेकी सर्वथा मनाही कर दी। स्त्रियोको प्राइमस स्टोव व्यवहार करना नही आता। उसका व्यवहार करनेमें कुशलताकी आवश्यकता तो होती ही है। तिस पर हमारी स्त्रियाँ इस चूल्हेको मेज पर नही रख सकती। अतः पुरुषोका कर्त्तव्य है कि वे इस चूल्हेका बहिष्कार करें और जबतक वे ऐसा नही करते तबतक प्राइमससे जल जानेवाली लडकी या स्त्रीकी मृत्युका पाप पुरुषके सिर रहेगा। खरीदे हुए प्राइमस स्टोवको फेंक देना चाहिए। प्राइमसका व्यवहार करनेसे समयकी बचत होती है, यह बात झूठ है। स्टोव बिगड जानेपर हमें उस तरफ कितना ध्यान देना पड़ता है, इसका भी हिसाब लगाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ६-४-१९३०

१७५. स्वदेशी

एक ओर बम्बईके कपड़ा व्यापारी विदेशी वस्त्रके बहिष्कारकी बातें कर रहे हैं और दूसरी ओर अहमदाबादकी गुजरात सभा भी यही कर रही है। दोनोका उद्देश्य वर्तमान आन्दोलनकी यथाशक्ति सहायता करना है। लेकिन यदि इन दोनोंने गलती की तो अनजाने ही क्यो न हो, विदेशी कपडोके बहिष्कार-आन्दोलनको नुक-सान पहुँचनेकी सम्भावना है।

स्वदेशीके नीचे लिखे प्रकार पाये जाते हैं:

१. शुद्ध अर्थात् हाथ-कते सूतकी हाथ-बुनी खादी।

२. भारतकी उन मिलों द्वारा बने और कते हुए सूतके कपड़े जिनके मालिक भारतीय हैं और जिनका संचालन तथा प्रबन्ध भी भारतीय ही करते हैं।

३. ऐसी मिलोका थोडे या बहुत अंशमें विदेशी मिलोमें कते हुए सूतका कपड़ा।

४. विदेशी मालिकों और विदेशी व्यवस्थापको द्वारा संचालित भारतकी किसी भी मिलका कपडा।

५. भारतवर्षमें बनी हुई हरएक चीज।

६. वे चीजें जिन्हें बनानेकी कुछ क्रिया हिन्दुस्तानमें की गई हो, जैसे हारमो-नियम बाजा। इस बाजेके तमाम हिस्से विदेशी होते हैं। किन्तु हिन्दुस्तानमें इन हिस्सोको जोड़कर बाजा बना लिया जाता है।

बहिष्कारके निम्न रूप हैं :

(अ) विदेशी वस्त्र-मात्रका बहिष्कार।

(ब) सिर्फ ब्रिटिश कपड़ेका बहिष्कार।

(क) तमाम ब्रिटिश चीजोंका बहिष्कार।

(ग) तमाम विदेशी चीजोंका बहिष्कार।

मेरे खयालमें (१) अर्थात् शुद्ध खादी ही सच्ची स्वदेशी है और सच्चा बहिष्कार (अ) अर्थात् विदेशी वस्त्र-मात्रका बहिष्कार है। यदि स्वदेशीका उपर्युक्त पहला प्रकार अर्थात् शुद्ध खादीका उत्पादन सध जाये तो उसके आधारपर अन्य आवश्यक स्वदेशी वस्तुओंको भी स्वतः प्रोत्साहन मिल जायेगा। यदि हम एकसाथ सभी आवश्यक वस्तुओंके पीछे पड़े रहे तो एक भी आवश्यक स्वदेशी वस्तुको अपनानेके अपने लक्ष्यतक भी नहीं पहुँच सकेंगे।

बहिष्कारकी दृष्टिसे सिर्फ (अ) अर्थात् हर तरहके विदेशी वस्त्रका बहिष्कार आवश्यक है और यह खादी द्वारा ही हो सकता है।

पाठक यह याद रखें कि दूसरी तरहकी स्वदेशीकी चर्चा कांग्रेसके जन्मकालसे अर्थात् ४५ वर्षसे चलती आई है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली है। शुद्ध स्वदेशी अर्थात् खादीकी बातको अभी सिर्फ नौ साल ही हुए हैं; और तब भी उसमें अच्छी कामयाबी हासिल हुई है। उसके प्रसारके लिए एक ऐसी राष्ट्रीय संस्थाका जन्म हुआ है, जिसके मुकाबलेकी दूसरी कोई संस्था मुझे सारी दुनियामें नहीं दिखाई पड़ती। और इस खादीके कार्यके कारण ही तो आज व्यापक सविनय अवज्ञाका प्रयोग सम्भव हो सका है।

पाठक यह भी याद रखें कि ४५ वर्षोंसे विदेशी चीजों और अंग्रेजी मालके बहिष्कारकी बातें होती आई हैं। लेकिन अबतक इसमें किसी तरहकी सफलता नहीं मिली है, जबकि विदेशी कपड़ेका बहिष्कार इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ है कि आज उसकी शक्यताके बारेमें लोगोंमें विश्वास पैदा हो गया है।

मेरी रायमें व्यावहारिक दृष्टिसे भी विदेशी वस्त्रके बहिष्कारको छोड़कर दूसरी ओर लोगोंका ध्यान खींचनेमें नुकसान है, और खादीको छोड़कर विदेशी कपड़ोंके बहिष्कारको सफल बनानेका विचार करना दूरंदेशीकी निशानी नहीं है। अगर देशी मिलोंके द्वारा ही बहिष्कार सफल हो पाता तो अबतक अर्थात् इन ५० वर्षोंमें मिलोंको उसमें कामयाबी मिल गई होती। हाँ, यह मैं मानता हूँ कि खादीका समर्थन करके मिलें बहिष्कार-आन्दोलनकी खासी मदद कर सकती हैं। यह किस तरह हो सकता है, सो मैं बता चुका हूँ।

हिन्दुस्तानकी मिलोंका बना स्वदेशी कपड़ा निरर्थक ही नहीं, हानिकारक भी है। क्योंकि उससे खादी और मिलके कपड़ेको बराबरीका स्थान मिल जाता है। यह तो किसी ऊँचे और बौने आदमीकी दोस्ती-जैसी बात हुई। ऊँचेको बौनेकी बराबरीके हक देनेका मतलब बौनेको कुछ भी न देना है। यह तो साफ जाहिर है कि बौना, ऊँचे आदमीकी पंक्तिमें खड़ा ही नहीं रह सकता। अतएव अगर ऊँचा

आदमी बौनेके साथ इन्साफ करना चाहे तो उसे बौनेको हमेशा आगे रखना चाहिए, बौनेके लिए आवश्यक चीजका उसे त्याग करना चाहिए और मौका पड़ने पर उसे अपने कन्धों पर उठाकर उसकी हिफाजत करनी चाहिए। ठीक यही हाल मिलके कपड़े और खादीका है। मिलके कपड़ेका तो काम चलता ही है। पर खादी तो अभी रेंगना सीख रही है। अतएव जिसने शुद्ध खादीका ही व्रत न लिया हो, वह इतना तो अवश्य कर सकता है: "मैं ऐसा विदेशी कपड़ा कभी इस्तेमाल नही करूँगा, जिसमें विलायती सूतका एक भी धागा हो, जहाँतक हो सकेगा शुद्ध खादीका ही उपयोग करूँगा। और अगर वैसी खादी न मिल सकी तो भारतीय मालिको और भारतीय व्यवस्थापको द्वारा सचालित मिलके कपडोका ही इस्तेमाल करूँगा।"

अगर हमने खादीको बराबर अपनी नजरोके सामने न रखा तो उसका नतीजा यही होगा कि देशकी — देशी नही — मिलोंके कपड़ेका भाव बढेगा और बहिष्कारका काम कभी सफल न हो सकेगा।

१. इस जमानेमें हमारी मिलें चाहे जितना प्रयत्न क्यो न करें, हिन्दुस्तानके लिए जरूरी कपड़ा पैदा कर ही नही सकती।

२. आम तौर पर मिलोंका ध्यान अपने लाभकी ओर रहता है, और आगे भी रहेगा।

३. मिलोंको सरकार जब चाहे तब दबा सकती है।

४. आजकल हवाके रुखको देखनेसे तो यह पता चलता है कि देशकी मिलें विदेशी मालिको और व्यवस्थापकोंके हाथोमें चली जा रही है।

५. मिलोंको विदेशी कल-पुर्जों और विदेशियोके शिल्प-कौशलका सहारा लेना पड़ता है। इस कारण भी मिले एकाएक सकटमें पड़ सकती हैं।

इसके विपरीत:

(१) यदि देशमें खादीकी भावना व्यापक रूपसे फैल जाये तो आज ही आवश्यक खादीका उत्पादन हो सकता है।

(२) खादीके लिए मिलके-जितनी पूँजीकी आवश्यकता नही।

(३) खादीके लिए मिलके समान शिल्प-कौशल आवश्यक नही।

(४) यह कहा जा सकता है कि खादी बनानेवाले तो तीस करोड़ हैं।

(५) खादीके लिए जरूरी तमाम कल-पुर्जे देश ही में बनते हैं।

(६) खादीको सरकार या और कोई दूसरी ताकत दबा नही सकती।

(७) खादीका उत्पादन घर-घर हो सकता है।

(८) खादीको एक जगह तैयार करके दूसरी जगह भेजना अनिवार्य नही है। आज कुछ हद तक उसे सफर करना पड़ता है, क्योकि खादी-भावना अभी देशव्यापी नही हुई है।

इन सब बातोंसे पाठक समझ सकेंगे कि खादी ही एक स्वदेशी-धर्म है। जिसमें स्वदेशी-भावना है वह इस धर्मका पालन करते हुए स्वदेशीके और पहलुओको भी सिद्ध कर लेगा। जो अज्ञानवश, देखा-देखी या दम्भवश खादी पहनता है, उसे तो

खादी पहनते हुए भी स्वदेशी व्रतधारी नहीं माना जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरहके शौकीन खादीधारी स्वदेशीकी भावनाका पोषण करते हैं। जो समझ-बूझकर खादी पहनता है वह तो उन सब विदेशी चीजोंको स्वयं ही छोड़ देगा, जो अनिवार्य नहीं हैं।

अब रहा बहिष्कार। तमाम चीजोंका बहिष्कार पागलपन है। और इस बारेमें कोई दलील नही हो सकती।

सिर्फ इंग्लैंडकी बनी चीजों या कपड़ोंका बहिष्कार भी नामुमकिन है, क्योंकि इंग्लैंडकी बनी चीजें और इंग्लैंडका कपड़ा विदेशी चीजों और विदेशी कपड़ेके नामसे आ सकता है। बंग-भंग आन्दोलनके समय इंग्लैंडके बने कपड़े परसे इंग्लैंडकी छाप निकालकर उसे स्वदेशीके नामसे बेचा गया था। इसलिए ब्रिटिश कपड़ेके बहिष्कारसे जापान इत्यादि अन्य देशोंके कपड़ा-उद्योगको लाभ पहुँचानेके सिवा और कोई मतलब सिद्ध नही हो सकता।

यहाँतक मैंने सिर्फ विदेशी कपड़ेके बहिष्कारकी दृष्टिसे ही विचार किया है।

स्वराज्य प्राप्त कर लेनेके बादकी स्थितिका और भारतके करोड़ों भूखों मरने-वाले कंगालोंके हितका विचार करते हुए तो सिर्फ एक खादीकी ही बात सोची जा सकती है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ६-४-१९३०

१७६. अहमदाबादके मिल-मालिकोंसे

अहमदाबादके मिल-मालिकोंकी प्रेम-भरी दृष्टिसे मुझे बहुत आनन्द हुआ है, यह कहना केवल विनयकी भाषा नहीं बल्कि मेरे हृदयके सच्चे उद्‌गार हैं। साबरमतीसे विदा होते समय उनका हाजिर रहना, बादमें भी समय-समयपर मिलते रहना और आखिर बहुत प्रेमपूर्वक उन सबका सूरत आना, इस बातका शुभ चिह्न है कि यह लड़ाई मालिको या पूंजीपतियोंके विरुद्ध नहीं है।

लेकिन उनकी उपस्थिति और उनके आशीर्वादका मैं स्वयं तो कुछ विशेष अर्थ भी लगाता हूँ। उनके साथका मेरा सम्बन्ध लगभग पन्द्रह वर्ष पुराना हो चुका है। इस बीच सम्भव है कि किसीने अपने स्वार्थकी दृष्टिसे मेरे व्यवहारको विरोधी पाया हो, तो भी उन्होंने मेरी मित्रताको स्वीकार किया है, और लड़ते समय भी उनके तथा मेरे बीच सदा मधुर सम्बन्ध ही रहा है। मैं यह मानता हूँ कि इस समय वे जो साथ दे रहे हैं, एक हदतक यह उस सम्बन्धका ही परिणाम है। यदि मेरा यह विश्वास सच हो तो उनकी उपस्थिति और आशीर्वादके अतिरिक्त भी मुझे अधिकार है कि मैं उनसे कुछ व्यावहारिक समर्थनकी आशा रखूँ।

उन्होंने एक कदम उठाया है और वह यह कि अबसे वे विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी कपड़ेका ही उपयोग करेंगे। यह प्रस्ताव वैसे तो बड़ा अच्छा

है, लेकिन इसमें कुछ कमियाँ भी है। स्वदेशीका अर्थ कोई खादी करेगा और कोई विलायती सूतसे बनी किनारवाले मिलके कपड़ेको पसन्द करेगा। स्वदेशी धर्मका पालन इस तरह नही किया जा सकता। मेरी रायमें जहाँतक हो सके खादी पहनना कमसे-कम स्वदेशी-धर्म है। ऐसा करना असम्भव होनेपर हिन्दुस्तानकी मिलोमें कते हुए सूतका उन्ही मिलोंमें बना हुआ कपड़ा स्वदेशी माना जा सकता है। यदि इतना भी न किया जा सके तो स्वदेशीका कोई अर्थ नही रह जाता; यही नही बल्कि उस हालतमें बहिष्कारकी दृष्टिसे यह हानिकारक भी है।

यदि मिल-मालिक खादीको प्रोत्साहन दें और स्वदेशीकी दृष्टि रखकर मिले चलायें तो मेरी रायमें विदेशी वस्त्रका बहिष्कार बहुत आसान काम है। मैं इस बारेमें, समय मिलनेपर किसी दूसरे लेखमें विस्तृत रूपसे विचार करनेकी आशा करता हूँ। यहाँ तो मै सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि मिल-मालिक खासकर इस आन्दोलनकी कैसे और किस-किस प्रकारसे सहायता कर सकते हैं। निर्विवाद रूपसे इतना तो होना ही चाहिए कि मिल-मालिकों और मजदूरोके बीच अच्छा सम्बन्ध हो। परस्पर विरोधी होनेके बदले यदि वे एक-दूसरेके सहायक बनें तो उससे स्वराज्यकी समस्याको सुलझानेमें सहायता मिलेगी। इस दृष्टिसे नीचे लिखी बातें विचार करने योग्य हैं:

१. छोटी-मोटी बातोंके कारण मजदूरोंके सामने अड़चनें आती ही रहती हैं, मिल-मालिक ध्यानपूर्वक इन्हे दूर करें।

२. अब मै तो गैरहाजिर हूँ और सेठ मगलदास मुझसे भी ज्यादा वृद्ध हो चुके है। इसलिए छोटी-मोटी शिकायतोंका तुरन्त निर्णय करनेके लिए स्थायी पच नियुक्त होने चाहिए।

३. मिल-मालिक मजूर महाजन सघको अपना सहायक समझकर उसपर विश्वास रखें, वे उससे पूरी मदद लें और उसकी पूरी मदद करे।

४. मजदूरोकी नैतिक और सामाजिक स्थितिको सुधारनेकी दृष्टिसे जहाँ-जहाँ जरूरत हो, आर्थिक तथा अन्य तरीकोंसे उनकी मदद करें। अर्थात् बदलेमें कुछ आशा किये बिना उनकी स्वतन्त्र शालाओं, स्वतन्त्र अस्पतालो और स्वतन्त्र वाचनालयों तथा इसी तरहकी दूसरी प्रवृत्तियोका पोषण करें।

५. जो मजदूर और अन्य कर्मचारी सविनय अवज्ञा या ऐसे ही किसी दूसरे राष्ट्रीय काममें शामिल होना चाहें, वे उनकी मदद करे, और यदि कामसे मुक्त कर देनेकी जरूरत पडे तो कामपर वापस आनेके उनके अधिकारको सुरक्षित रख-कर उन्हें जाने दें, और यदि जानेवालोके कुटुम्बकी व्यवस्था करना आवश्यक हो तो उसका भार उठा लें।

६. शराबखोरीकी लत छुडानेके लिए मजदूरोके मनोरजनार्थ खेल-कूद तथा अल्पा-हारके साधन जुटा दें। शराबकी लत छुड़ानेके लिए उन्हे इनाम दें और ऐसे ही दूसरे तरीकोसे उनकी मदद करे।

७. मिलें धन कमानेके उद्देश्यसे कपड़ा न बनायें, बल्कि सिर्फ विदेशी कपड़ेके बहिष्कारकी दृष्टिसे ही कपड़ेका उत्पादन करें।

८. मिलें खादीके नामपर मिलका कपड़ा कभी न बनायें, खादीकी छापका उपयोग न करें, चरखेकी तसवीर न चिपकायें; बल्कि इसके विपरीत आज जिन-जिन किस्मोंकी खादी तैयार नहीं हो सकती, उन्हीं किस्मोंका कपड़ा बनायें, अर्थात् चरखा-संघसे मिलकर कपड़ेकी किस्म मुकर्रर कर लें।

९. मिलें खादीका संग्रह करें, प्रचार करें और उसके उत्पादनमें अपनी बुद्धि और अपने अनुभवका उपयोग करें।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ६-४-१९३०

१७७. पत्र : रेजिनल्ड रेनॉल्ड्सको

६ अप्रैल, १९३०

प्रिय रेजिनल्ड,

आशा है तुम्हें मेरा पहला पत्र[1] मिल गया होगा।

विल्सनका पत्र[2] बहुत अच्छा है। भगवान् तुम्हें अकल्याणसे बचायेगा।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४५३४) से।
सौजन्य : स्वार्थमोर कालेज, फिलाडेल्फिया

१७८. पत्र : लाला दुनीचन्दको

दांडी
६ अप्रैल, १९३०

प्रिय लाला दुनीचन्द,

रोहतकके लाला श्यामलालकी गिरफ्तारीकी खबर पाते ही लाला सूरजभानको तुरन्त पंजाब चले जानेकी जरूरत महसूस हुई है। मैंने इस सुझावका समर्थन किया है। कृपया इनसे जो काम लेना चाहें, लें। मैं आशा करता हूँ कि स्वतन्त्रताके इस अन्तिम संघर्षमें आप व आपकी धर्मपत्नी अपना सर्वस्व त्याग करनेसे पीछे नहीं हटेंगे।

आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ५५८८) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र : रेजिनल्ड रेनॉल्ड्सको", ४-४-१९३०।
२. रेनॉल्ड्सने गांधीजी के अनुरोधपर क्रॉनिकलमें प्रकाशित अपने उत्तरकी सफाई देते हुए क्षमा-याचनाका एक पत्र लिख दिया था। उस सफाईको पढ़नेके बाद विल्सनने बहुत मैत्रीपूर्ण उत्तर दिया था जो रेनॉल्ड्सने गांधीजी को भेज दिया था।

१७९. भेंट : फ्री प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको[1]

दांडी

६ अप्रैल, १९३०

अब तो नमक-कानून तोड़नेकी रस्म अदा हो ही चुकी है, इसलिए जो कोई भी नमक-कानूनके अनुसार सरकार द्वारा की जानेवाली कारंवाईको झेलनेको तैयार हो, वह जहाँ चाहे और जहाँ सुविधा हो वहाँ नमक बना सकता है। मेरी सलाह है कि कार्यकर्त्ताओंको सर्वत्र नमक तैयार करना चाहिए, और जहाँ कार्यकर्त्ता साफ नमक बनाना जानते हो वहाँ वे वैसा नमक बनायें और ग्रामवासियोंसे भी ऐसा ही करनेके लिए कहें। पर उनको यह भी बता दिया जाये कि ऐसा करनेसे सरकार उन पर मुकदमा चला सकती है। दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते है कि उन्हें यह बता दिया जाये कि सरकारने नमकपर जो कर लगा रखा है उसका किसपर कितना बोझ पड़ता है और नमक-कर को रद करानेके लिए उससे सम्बन्धित नियमों और उपनियमोंको किस प्रकार तोड़ना चाहिए। ग्रामवासियोंको यह बात भी बिलकुल साफ बता देनी चाहिए कि यह काम उन्हें खुले आम करना होगा, छिपाकर नहीं। यह शर्त मालूम हो जानेपर वे चाहे तो खुद नमक तैयार करें, चाहें समुद्र-तट पर दरारों और गढ़ोंमें जमा हुआ प्राकृतिक नमक उठा लायें और उसका उपयोग करें। अपने और अपने ढोरोंके लिए काममें लानेके अतिरिक्त यदि कोई चाहे तो उसके हाथ वे उसे बेच भी सकते हैं। पर यह बात जता दी जाये कि खरीदनेवाला भी नमक-कानून तोड़नेका अपराधी होगा और उसपर मुकदमा चलाया जा सकता है या बिना मुकदमा चलाये भी नमक-अधिकारी उसको हैरान कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय सप्ताहके दौरान १३ अप्रैलतक नमक-कर के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी चाहिए। जो लोग इस धर्म-कार्यमें लगे हुए हैं, उन्हे विदेशी कपड़ेका बहिष्कार और खद्दरके व्यवहारके लिए जोरोंसे आन्दोलन करना चाहिए। उन्हें अधिकसे-अधिक खद्दर तैयार करनेका भी प्रयत्न करना चाहिए। इस कार्यके लिए तथा मद्य-निषेधके विषयमें मैं भारतकी स्त्रियोंके लिए एक सन्देश तैयार कर रहा हूँ। मेरा यह विश्वास दिन-दिन अधिक दृढ़ होता जाता है कि स्वाधीनता-प्राप्तिके लिए पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक कार्य कर सकती हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि पुरुषोंकी अपेक्षा वे अहिंसाका ज्यादा अच्छा उदाहरण पेश कर सकेंगी — इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, जैसा कि पुरुष अपने घमण्डके कारण उनको समझा करते हैं; बल्कि इसलिए कि उनमें पुरुषोंकी अपेक्षा सही किस्मका साहस अधिक है, और त्यागकी भावना तो कई गुना ज्यादा है।

१. इस भेंटवार्तासे पहले गांधीजी ने कीचड़ सने नमकका एक ढेला उठाकर नमक कानून भंग किया था।

इसके बाद फ्री प्रेसके प्रतिनिधिने गांधीजी से यह सवाल किया: अब तो आप नमक-कानून भंग कर चुके हैं और सरकारने आपको कहीं रोका-टोका भी नहीं। इसलिए आगे आपका क्या करनेका इरादा है?

करना क्या है? मै अवैध नमक तैयार करता रहूँगा।

दूसरा प्रश्न फ्री प्रेसके एक प्रतिनिधिने खास तौरसे अपनी संस्थाकी ओरसे पूछा था, लेकिन उसका जवाब दूसरा प्रेस प्रतिनिधि भी नोट करने लगा। इस पर गांधीजी के सामने ही दोनों प्रेस प्रतिनिधियोंमें कुछ कहा-सुनी हो गई। इस हानिकर स्पर्धाको देखकर गांधीजी ने पत्रकारोंको सम्बोधित करते हुए कहा:

आपको अपनी रोटी कमानेकी फिक्रके मुकाबले राष्ट्रीय हितको तरजीह देनी चाहिए। आपको भारतको स्वतन्त्रता दिलानेके लिए काम करना चाहिए और उसे इस घृणित कर के दुर्वह भारसे मुक्त करानेकी चिन्ता करनी चाहिए। आप सबको मिल-जुलकर काम करना चाहिए और भारतके हकमें आपसमें सहयोग करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ७-४-१९३०

१८०. भाषण: दांडीमें

६ अप्रैल, १९३०

गांधीजीने दोपहर बाद चार बजे एक सभामें भाषण दिया। उस दिन हुए कार्यक्रम पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सप्ताहका आरम्भ बहुत शुभ रहा है। सरकार आपको गिरफ्तार करे अथवा नहीं, आपको तो अपना कर्त्तव्य पूरा करते रहना है। मुझे विश्वास है कि आज लोगोंने देशके कोने-कोनेमें सत्याग्रह आरम्भ कर दिया होगा। उन्होंने आगे कहा कि दांडीमें प्राकृतिक नमक अधिक नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियोंने समय रहते उसे नष्ट कर दिया है। यह एक राक्षसी कृत्य है और इनसे अपना पीछा छुड़ाना आपका कर्त्तव्य है। प्रातःकाल जब हमने कार्य आरम्भ किया तो स्वयं मेरे हाथोंमें नमककी अपेक्षा कीचड़ ही अधिक आया, लेकिन उसको धोकर साफ करनेके बाद मुझे दो तोले अच्छे किस्मका नमक मिल गया जो मेरी दिन-भरकी जरूरतके लिए काफी है। यह तो इस कार्यकी शुरुआत ही थी, लेकिन इसका महत्त्व बहुत अधिक है। आज जिन्होंने कानून तोड़ा है वे या तो चोर बन गये हैं अथवा मालिक।

इसके बाद उन्होंने आटमें हुए हमलेका उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी श्री एंटियाने अपने व्यवहारमें काफी विवेक दिखाया। यह अहिंसाकी विजय थी। नमक छीननेके लिए सरकारने कितना ज्यादा सार्वजनिक पैसा बरबाद किया है!

फिर गांधीजी ने रोहतकके लाला शामलालकी धारा १२४ ए के अधीन हुई गिरफ्तारीका उल्लेख किया। उनकी शानदार राष्ट्रीय सेवाओंके लिए उन्होंने लाला शामलालकी बड़ी प्रशंसा की।

सरकार अन्य कार्यकर्ताओंको गिरफ्तार कर रही है, लेकिन मुझको नहीं। उसकी यह नीति मेरी समझमें नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि मैं गिरफ्तार होनेके लिए बहुत उत्सुक हूँ, लेकिन जो-कुछ हो रहा है वह न्यायसंगत नहीं है। गिरफ्तारीसे मुझे कोई बड़ा सम्मान मिल जायेगा, ऐसी बात भी नहीं है। मैं तो पहले से ही महात्मा कहा जाता हूँ, हालाँकि मैं यह उपाधि नहीं चाहता।

जेल जानेके लिए मैं बिलकुल उत्सुक नहीं हूँ। दांडीकी अच्छी आबो-हवाका मैं मजा ले रहा हूँ। लेकिन सरकारको चाहिए कि वह अन्य लोगोंसे पहले मुझे गिरफ्तार करे, क्योंकि सबसे बड़ा अपराधी तो मैं ही हूँ। रोहतकके हर व्यक्तिका यह कर्त्तव्य है कि वह उस धारा १२४ ए का उल्लंघन करे जिसके अधीन लाला शामलालको गिरफ्तार किया गया है। अपना भाषण समाप्त करते हुए गांधीजी ने लोगोंसे अपील की कि जिस नमकपर सरकार कर लेती है, वह नमक वे न खायें।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ८-४-१९३०

१८१. पत्र : महादेव देसाईको

रविवार, रातको दस बजेके बाद

[६ अप्रैल, १९३०][1]

चि० महादेव,

मणिलाल कोठारीके पकड़े जानेकी बात सुनी है। रामदास आदि तो गिरफ्तार किये ही जा चुके है। यह सब अच्छा हो रहा है। तुम्हें भी दिन अथवा घंटे गिनने चाहिए। मैं जेलसे बाहर रहूँ अथवा जेलमें, दोनों तरहसे ठीक है।

'यंग इंडिया' के लेख मैंने मोहनलालको सीधे भेजे है। [कौन जाने] तुम वहाँ हो अथवा नही।

समय मिले तो महिलाओंको संगठित कर लेना। आश्रमकी बहनें यदि पहल करती है तो इसमें कोई हर्ज नही, कदाचित् यही जरूरी हो। मैं यह बात शराब-बन्दीके विषयमें कह रहा हूँ।

१. मणिलाल कोठारी, रामदास और अन्य लोगोंके पकड़े जानेकी सूचना १३-४-१९३०के नवजीवनमें दी गई थी। पत्र स्पष्टतः इससे पहले रविवारको लिखा गया होगा।

लाला शामलालके पकड़े जानेकी बात सुनकर मेरी अनुमतिसे सूरजभान पंजाब जा रहे हैं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

यहाँपर तो अभी सरकारने किसीपर हाथ नहीं डाला है। सरोजिनीदेवी यहीं रह गई हैं और उन्होंने वृद्ध अब्बास साहबके पकड़े जानेपर उनका स्थान लेनेका निश्चय किया है।

बापू

गुजराती (एस० एन० ११४७२)की फोटो-नकलसे।

१८२. पत्र : नारणदास गांधीको

कराडी

सवा दस बजे रातको [६ अप्रैल,][1] १९३०

चि० नारणदास,

तुम्हारे सवालका जवाब तो तुम्हें मिल गया होगा। पुरुषोत्तमका यहाँ आ जाना कदाचित् अच्छा रहेगा। यहाँकी हवा तो उत्तम है; यदि उसे पानी अनूकूल आ जाये तो बहुत अच्छा हो। मेरे पकड़े जानेके अभी कोई आसार नहीं दिखाई देते।

कमलादेवी एक बहुत भली महिला है। वह पन्द्रह-एक दिन रहेगी। उसके बच्चेको यदि यह जगह माफिक आ गई तो वह ज्यादा दिन भी रह सकती है। यदि वह रहना चाहे तो उसे प्रोत्साहित करना और यह देखना कि वह अकेली न पड़ जाये।

रतिलाल यदि काममें लगा रहे तब तो बहुत अच्छा है।

सबसे कहना मुझे समय नहीं मिलता, इसीसे कुछ-एक पत्र रह जाते हैं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

सूरजभान मेरी अनुमतिसे पंजाब जा रहा है।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०९६)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

१. पत्रमें सूरजभानके पंजाब जानेकी चर्चासे लगता है कि पिछला पत्र और यह एक ही दिन लिखे गये होंगे।

१८३. पत्र : मीराबहनको

६ अप्रैल, १९३०

चि० मीरा,

इतना समय नही है कि तुम्हें विस्तारसे लिखूं। रातके ११ बजनेवाले है। दोनो सघोंको देनेके लिए तुम्हारे पास अब कितना सूत बच रहा है, और किन तिथियो तककी अदायगी की जा चुकी है?

शेष समय मिलनेपर। मणिलाल रामदासकी जगह काम करने गया है।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३८८) से; सौजन्य : मीराबहन;
जी० एन० ९६२२ से भी।

१८४. पत्र : मीराबहनको

मौनवार [७ अप्रैल, १९३० या उसके पूर्व][1]

चि० मीरा,

अगर तुम्हारा जी आनेको चाहे तो तुम खुशीसे आ सकती हो। दांडी तो तुम नही जा सकोगी। अगर तुम्हारा मन बिलकुल शान्त और स्वस्थ हो तो आनेकी जरूरत नही। तुम्हें बादमें मद्य-निषेधके कार्यमें शामिल होना हो तो भी यहाँ आनेसे तुमको उसके बारेमें कोई विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त हो जायेगा। सारी बातचीत गुजरातीमें होगी। लेकिन अगर तुम इसलिए आना चाहो कि तुम्हें मुझसे मिलना ही है तो उस एकमात्र उद्देश्यसे किसी और दिन आओ। मगर आखिरकार तुम्हें क्या करना है, यह तो तुम्हींको तय करना है। तुम्हें मै निर्णयकी पूरी छूट देता हूँ।

सस्नेह,

बापू

[पुनश्च :]

इन दिनों तुम 'यग इंडिया' को ध्यानसे पढ़ना।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३८४) से; सौजन्य : मीराबहन;
जी० एन० ९६१८ से भी।

१. पत्रमें गांधीजीने शायद दांडीमें १३ अप्रैलको होनेवाले महिला सम्मेलनका उल्लेख किया है जिसमें मद्य-निषेधके बारेमें प्रस्ताव पास किया गया था। इससे पहलेवाला सोमवार ७ अप्रैलको पड़ा था।

१८५. बर्बरतापूर्ण

[७ अप्रैल, १९३०]

सरकार जो धमकियाँ दे रही थी, वे अब रंग ला रही हैं। कमसे-कम गुजरातमें नमक-कर का विरोध करनेवाले सत्याग्रहियोंको सरकारने बड़ी तत्परतासे गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए मैं उसे बधाई देता हूँ। श्री मणिलाल कोठारी और उनके तमाम साथी, श्री अमृतलाल सेठ और उनके तमाम साथी तथा भड़ौच-सेवाश्रमके डॉ० चन्दूलाल देसाई और उनके सभी साथी गिरफ्तार कर लिये गये हैं। दरबार गोपालदास और श्रीयुत फूलचन्द तथा साथ ही खेड़ा जिलेके बहादुर किन्तु भोले राजपूतोंको अनेक बुराइयोंसे विमुख करनेवाले साहसी सुधारक श्रीयुत रविशंकर भी गिरफ्तार कर लिये गये हैं। सरकारने रामदास गांधी, केशवभाई गणेशजी, चिमनलाल प्राणशंकर वगैराको भी गिरफ्तार कर लिया है। उसे यह सब करनेका अधिकार था। लेकिन दांडीसे चार मील दूर आट गाँवमें उसने आज[1] जैसा व्यवहार किया, वैसा व्यवहार करनेका उसे कोई अधिकार न था। पुलिसने सत्याग्रहियोंसे जबरदस्ती नमक छीननेकी कोशिश की। अगर पुलिसवाले एक सभ्य सरकारके प्रतिनिधि थे तो मैं कहूँगा कि उन्हें इस तरह जबरदस्ती करनेका कोई अधिकार न था। सत्याग्रहियोंकी ओरसे उत्तेजना फैलानेका कोई काम नहीं किया जा रहा था। सत्याग्रही भागे भी नहीं जा रहे थे। उनके नाम लिख लिये जा सकते थे। लेकिन पुलिसने इन वीरोंके पवित्र शरीरको बिना किसी वारंट अथवा उचित कारणके हाथ लगाकर इनका तो अपमान किया ही, साथ ही सारे राष्ट्रका भी अपमान किया है। बारडोलीके एक सत्याग्रही उकाभाई रामकी कलाईपर कुछ चोट भी पहुँची है। मैं यह कबूल करता हूँ कि पुलिस उस जगह बिना किसी हथियारके गई थी और शायद पुलिसवाले भी इसे स्वीकार करेंगे कि वहाँ हथियार लेकर जानेकी कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि लोगोंका बरताव स्पष्ट ही सम्पूर्णतया शान्तिमय था। इसके बावजूद नमक छीननेके लिए लोगोंके शरीरको इस तरह हाथ लगाना नैतिक दृष्टिसे गुनाह था और मैं समझता हूँ इंग्लैंडके परम्परागत कानूनकी रूसे भी यह गुनाह ही था। हाँ, मैं यह नहीं जानता कि उस कानूनके द्वारा सरकारी अमलोंको कौन-से अधिकार दिये गये हैं, जिसके अन्तर्गत कायरताको, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है, जुर्म करार दिया गया है।

पहली बार घटित इस छोटी-सी खूनी घटनाके कारण गाँवके प्रायः सब स्त्री-पुरुष मौकेपर आ पहुँचे। स्त्रियोंको सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें अभी कोई भाग नहीं

१. सोमवार, ७ अप्रैल, १९३० को।

लेना था, और न ही गाँवके पुरुषोसे इस समय उसकी आशा की जाती थी। लेकिन यह खबर पाकर कि नमक जबरदस्ती छीना जा रहा है और एक स्वयसेवक घायल भी हो चुका है, वे सभी स्त्रियाँ (जिनमें से कुछकी गोदमें बच्चे भी थे) और पुरुष दौड़ पड़े और एक ओरसे पुरुष तथा दूसरी ओरसे स्त्रियाँ खाड़ीमें उतर पड़ी तथा नमक खोदने लगी। जैसे ही मुझे यह खबर मिली कि सत्याग्रहियोसे जबरदस्ती नमक छीननेकी कोशिश की जा रही है, सोमवारका मौन होनेके कारण मैंने एक चिटपर लिखा कि श्रीमती सरोजिनीदेवी और श्रीयुत अब्बास तैयबजी मौकेपर जायें और अगर पुलिस न माने तो स्वयं भी नमक खोदना शुरू कर दें तथा पुलिसको अपने हाथोंमें से नमक छीननेके लिए चुनौती दें। लेकिन मैं उदारतापूर्वक यह मान लेता हूँ कि इन मित्रोके मौकेपर पहुँचनेसे पहले ही पुलिसवालोने अपनी गलती महसूस कर ली थी और उनमें इतना साहस नही रह गया था कि वे सारे गाँवके लोगो पर, जिनमें स्त्रियाँ भी शामिल थीं, हाथ उठायें। सत्याग्रही जानते थे कि मौनवारके कारण मैं कुछ बोल नही सकूँगा तो भी वे चाहते थे कि मैं मौकेपर पहुँचूँ। इसके बिना वे सन्तुष्ट होनेवाले नही थे। स्पष्ट ही उनकी यह अभिलाषा थी कि मैं वहाँ जाकर प्रत्यक्ष देखूँ कि उन्होने कैसा व्यवहार किया था और किस उत्साहके साथ सारा गाँव युद्धमें हाथ बँटा रहा था। बचाये हुए नमकके साथ उकाभाई राम मेरे पास दाडी लाये गये। मैं आट गया। वहाँ जाकर मैंने जो-कुछ देखा, उससे मेरा रोआँ-रोआँ पुलकित हो उठा। पुलिस द्वारा जबरदस्ती नमक छीननेका असर अच्छा हुआ था। इससे सारे गाँवमें नई चेतना फैल गई। फिर भी मेरी आन्तरिक अभिलाषा तो यह है कि सरकारके हकमें और इस नमक-युद्धको शान्तिमय तथा सभ्यतापूर्ण बनाये रखनेके लिए अच्छा यही होता कि यह भद्दी घटना न घटती।

इस समय सरकारके लिए सारी कार्रवाई पूरी तरह कानूनके अनुसार करना भारी हो सकता है। लेकिन चूँकि उसने शुरुआत अच्छी तरह की है, अन्त भी भली प्रकार ही करे तो अच्छा हो। क्या ही अच्छा हो यदि इस युद्धका स्वरूप सरकार और जनताकी शक्तिकी कसौटीका हो! अगर सरकारने आतकसे काम लिया तो मेरी रायमें, यदि मैं गलत नही समझ रहा हूँ, वह देखेगी कि लोग, क्या मर्द और क्या औरतें, उसके द्वारा दिये जानेवाले हर तरहके कष्टोंका सामना करनेको तैयार है। सत्याग्रहियोंके हाथका नमक राष्ट्रके सम्मानका प्रतीक है। वह तबतक नही दिया जा सकता जबतक कोई जबरदस्ती हाथको तोड़कर उसे छीन न ले। पुलिसके व्यवहारका वर्णन करते हुए उकाभाईने कहा था: "अपनी थातीकी रक्षा करनेके लिए सत्याग्रहीको ईश्वरसे बल और प्रेरणा मिलती है।" लोगोंको चाहिए कि वे अपने पासका नमक तबतक न दें जबतक कि वे निरुपाय न हो जायें। लेकिन ऐसा करते हुए वे अपने हृदयमें जरा भी द्वेष-भाव न रखें, थोडा भी गुस्सा न करें, एक शब्द भी गुस्सेमें न बोले। नमकपर अधिकार करनेके लिए पुलिसके पास एक बिलकुल आसान तरीका पड़ा हुआ है। वह सत्याग्रहियोंको गिरफ्तार कर ले। इस तरह वह नमक पर भी अधिकार कर सकती है, क्योकि तब उनका शरीर उसके अधिकारमें होगा।

लेकिन नमक तो तभी जब्त किया जा सकता है जब वे दोषी ठहराये जा चुकें, इससे पहले नही।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १०-४-१९३०

१८६. वक्तव्य: समाचार-पत्रोंको

७ अप्रैल, १९३०

अबतक मिली खबरोंसे ऐसा जान पड़ता है कि सामुदायिक सविनय अवज्ञाकी जो चमत्कारिक लहर गुजरातमें आई है उसका असर सरकारपर भी हुआ है। सरकारने इस आन्दोलनके नेताओंको पकडनेमें तनिक भी समय नही गँवाया; और मैं समझता हूँ कि सरकारने अन्य प्रान्तोंके कार्यकर्त्ताओंपर भी इतना ही ध्यान दिया होगा। यह तो स्वयंको ही बधाई देने-जैसा समाचार है। आश्चर्यकी बात तो तब होती जब कि सरकार सत्याग्रहियोंको उनकी इच्छानुसार काम करने देती। यदि सरकारने बाकायदा जाँच-पड़ताल किये बिना सत्याग्रहियोंकी जान-मालपर हमला किया होता तो उसे बर्बरता माना जाता। पुरानी पद्धतिके अनुसार बाकायदा मुकदमे चलाये जायें और तदनुसार सजा दी जाये तो इसमें किसीको आपत्ति नही हो सकती। कैद या ऐसी ही दूसरी सजाएँ तो सत्याग्रहियोकी कसौटी है, जिनसे होकर उन्हें गुजरना है। जब सत्याग्रही डिगता नही, जिनके प्रतिनिधिके रूपमें वह काम कर रहा है उन्हें धोखा नहीं देता तथा नायकके पकड़े जानेपर घबराता नही तभी यह कहा जा सकता है कि वह अपने उद्देश्यमें सफल हुआ है। अब वह समय आ पहुँचा है जब प्रत्येकको स्वयं ही सैनिक और स्वयं ही नायक बनना होगा। जो विद्यार्थी सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियन्त्रित स्कूलों और कालेजोमें पढ़ते है, यदि वे इस पकड़-धकड़के बाद भी अपने स्कूल-कालेज नही छोड़ते तो इससे मुझे बहुत ही दुःख होगा। नमक बनानेमें जो खतरा है, लोगोंको उसे समझकर ही नमक बनाना चाहिए या फिर समुद्रके किनारे दरारों और गड्ढोंमें पड़े हुए कुदरती नमकको इकट्ठा करके अपने और अपने पशुओंके लिए उसका उपयोग करना चाहिए और जो लोग खरीदना चाहें उनके हाथ यह नमक बेच देना चाहिए। नमक-कानून भंग करते हुए इन लोगोंको यह समझ लेना चाहिए कि वे ऐसी जोखिम उठा रहे हैं जिसकी बिना पर कायदेके मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। या फिर यह भी सम्भव है कि नमक-विभागके तथाकथित अधिकारी किसी तरहकी कानूनी कार्रवाई किये बिना ही उन्हें परेशान करें। १३ अप्रैलको समाप्त होनेवाले पूरे राष्ट्रीय सप्ताहके दौरान नमक-कानूनके विरुद्ध इस ढंगसे यह लड़ाई चलती रहेगी। जो लोग इस पवित्र कार्यमें भाग नही लेते उन्हें विदेशी कपड़ेके बहिष्कारकी जबरदस्त लड़ाईमें स्वयंको झोंक देना चाहिए और खादीका व्यवहार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें यथासम्भव

अधिकसे-अधिक खादीका उत्पादन बढानेकी चेष्टा करनी चाहिए और मद्यनिषेध-आन्दोलनको चलाते रहना चाहिए।

भारतकी स्त्रियोंके लिए मैं एक सन्देश तैयार कर रहा हूँ। मुझे दिन-प्रतिदिन यह विश्वास होता जाता है कि स्वतन्त्रता-प्राप्तिके युद्धमें पुरुषोंकी अपेक्षा इस देशकी स्त्रियाँ कहीं अधिक योगदान दे सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियाँ देशको अहिंसाका अर्थ ज्यादा अच्छी तरहसे समझानेमें समर्थ होंगी। उसका कारण यह नहीं है कि अपने मिथ्या अभिमानवश पुरुष उन्हें अबला मानता है; बल्कि स्त्रियोंमें सच्चा साहस कहीं अधिक मात्रामें है और उनमें आत्म-समर्पणका अपार उत्साह है।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, १३-४-१९३०

१८७. पत्र : महादेव देसाईको

दाडी
७ अप्रैल, १९३०

चि० महादेव,

तुम्हारा पत्र मिला। पहला दिन तो गुजरातने अच्छी तरहसे मनाया है और कह सकते हैं कि सरकारने भी अच्छी तरहसे मनाया है। आटमें जो हुआ उसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिसको लेकर शिकायत की जा सके। आटके बारेमें तो मैंने 'यंग इंडिया' में लिखकर भेज ही दिया है। उसमें देख लेना। दरबार आदिको अच्छी सजा मिली है। मेरा लेख मुझे जो खबर मिली, उसपर आधारित है, इसलिए यदि उसमें संशोधन-परिवर्द्धन करनेकी आवश्यकता महसूस हो तो कर लेना। यदि तुममें हिम्मत हो और इच्छा हो तो तुम सार्वजनिक सभामें नमक बेचना। लेकिन यहाँ बैठे हुए मैं तो यही मानता हूँ कि सार्वजनिक सभामें नमक बेचना व्यर्थका खतरा मोल लेना है। स्त्रियों और मद्यपानके सम्बन्धमें मैंने गंगाबहनको सब-कुछ समझा दिया है। फुरसत मिले तो इसपर विचार और चर्चा कर लेना। फुरसत न मिले तो ऐसा करनेका विचार त्याग देना।

खेड़ा जिलेसे मुझे अभी-अभी एक लम्बा पत्र मिला है, मैं उसमें व्यस्त हो गया हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११४७३)की फोटो-नकलसे।

१८८. पत्र : प्रभावतीको

दांडी
मौनवार [७ अप्रैल, १९३०][1]

चि० प्रभावती,

तेरे पत्र तो मिलते ही रहते हैं। परन्तु मैं क्या करूँ ? समय ही नही मिलता इसीलिए तुझे पत्र नहीं लिख सका। विचार तो बहुत करता हूँ। आज पकड़ा जाऊँ, कल पकडा जाऊँ — ऐसी परिस्थितियोंमें संघर्षके सम्बन्धमें जो-कुछ लिखना होता है उसमें समय चला जाता है। यदि तुझे अनुमति मिल सके और तू आश्रम चली जाये तब तो बहुत अच्छा हो। अभी तो सरकारने मुझे गिरफ्तार नही किया है। अन्य लोगोंकी धर-पकड़ तो शुरू हो गई है। रामदास पकड़ा गया है। इसलिए उसके स्थानपर मणिलालको भेजा है। यहाँ तो काम अच्छी तरह चल रहा है। दांडी छोटा-सा गाँव है, यहाँकी आबोहवा अच्छी है।

और अधिक नही लिखता।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३६३)की फोटो-नकलसे।

१८९. पत्र : नारणदास गांधीको

७ अप्रैल, १९३०

चि० नारणदास,

इसके साथ भाई शान्तिकुमार द्वारा भेजा गया चेक भेज रहा हूँ। इसे गुप्तदान समझना।

गंगाबहन कल सवेरे यहाँसे रवाना होगी।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

जयन्तीप्रसादको सं० प्रा० जानेकी अनुमति दी है।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०९७)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

१. पत्रमें रामदासकी गिरफ्तारीकी चर्चासे लगता है कि यह पत्र सोमवार ७ अप्रैल, १९३० को लिखा गया होगा। देखिए "पत्र : प्रभावतीको", १०-४-१९३० भी।

१९०. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

दाँडी
७ अप्रैल, १९३०

चि० शान्तिकुमार,

तुम्हारा पत्र और चेक भी मिला। तुमसे मै फिलहाल चेककी आशा नही रखता। लेकिन भेजते हो तो मै उसकी कीमत सौ गुना ज्यादा मानता हूँ। मै जानता हूँ कि तुम्हारा मन तो यही है। लेकिन हमें तो अनासक्तियोगकी सिद्धि करनी चाहिए, सब शास्त्रोका सार यही है। 'गीता'की दोनों प्रतियोमें मैंने हस्ताक्षर किये है और आशीर्वाद भी दिया है। तुम दोनोको भगवान् शान्ति दे, सुमति दे और तुम अपने नामको चरितार्थ करो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७१८)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : शान्तिकुमार मोरारजी

१९१. सन्देश : स्वयंसेवकोंको, आटमें[1]

७ अप्रैल, १९३०

गांधीजीने स्वयंसेवकोंसे कहा कि आप लोग हर परिस्थितिमें अपने निश्चय पर डटे रहें। आपको ऐसा कोई प्रतिरोध नहीं करना चाहिए जिससे पुलिसको हिंसात्मक कदम उठानेका मौका मिले। आप जो नमक इकट्ठा करें उसे अपने सीनेसे चिपकाकर रखनेका आपको पूरा अधिकार है। यह हिंसा नहीं है। हमारा नमक हमें उतना ही प्यारा है जितना कि अपना रक्त। मैं आशा करता हूँ कि अपने धैर्य और कष्टसहनसे आप पुलिसवालोंका भी हृदय परिवर्तन कर देंगे। आपको पुलिस-की ओरसे ऐसी दस्तन्दाजीकी परवाह किये बिना अपना काम जारी रखना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ८-४-१९३०

१. आटमें दो स्वयंसेवकोंकी गिरफ्तारीके बाद गांधीजी अब्बास तैयबजी और सरोजिनी नायडूके साथ सत्याग्रह-स्थलपर गये। चूँकि उस दिन गांधीजी का मौनवार था, इसलिए उन्होंने एक कागजपर छोटासा सन्देश लिख दिया, जिसे स्वयंसेवकोंके नायकने पढ़कर सुनाया था।

१९२. सन्देश : काठियावाड़के लोगोंके लिए

दांडी
७ अप्रैल, १९३०

जो-कुछ मैंने सुना है उससे लगता है कि सरकारने और स्थानोंकी अपेक्षा काठियावाड़को अधिक सम्मान दिया है। अन्य स्थानोंसे प्राप्त जानकारीसे पता चलता है कि केवल नेताओंकी ही गिरफ्तारी हुई है। जहाँतक काठियावाड़का सम्बन्ध है, श्री मणिलाल कोठारी और सेठ अमृतलालको स्वयंसेवकों सहित गिरफ्तार किया गया है। काठियावाड़के लिए इससे अधिक श्रेयस्कर और स्वागत-योग्य और क्या हो सकता था? इसके अतिरिक्त, हालमें ही श्री कोठारीकी पत्नीका स्वर्गवास हो जानेसे इस बहादुरीको चार चाँद लग जाते हैं। अपने प्रियकी मृत्युपर शोक-भावनाका उभरना स्वाभाविक है, और जब कोई योद्धा इस प्रकारके विछोहसे बहुत अधिक विदग्ध होकर भी दुःखको अपने ऊपर हावी होने देनेके बजाय क्षण-भरकी भी देर किये बिना मैदानमें कूद पड़ता है तो उसकी बहादुरी और भी निखरती है। मैं आशा करता हूँ कि काठियावाड़ उनकी भावनाओंको समझेगा और उनका पोषण करेगा। ऐसा करनेका केवल एक ही तरीका है। यदि काठियावाड़ सत्याग्रहमें सम्मिलित होनेके लिए लगातार स्वयंसेवक भेजता रहे, ताकि गिरफ्तार हुए सेनानियों द्वारा छोड़े हुए कामको सँभाल लिया जाये, तो सफलता मिलना निश्चित मानिए।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ८-४-१९३०

१९३. सन्देश : गुजरातके नाम

दांडी
७ अप्रैल, १९३०

गुजरातने कमाल कर दिखाया है। जम्बुसरमें पण्डित मोतीलाल नेहरूने जो आशा व्यक्त की थी, लगता है वह फलवती हो रही है। आत्मशुद्धिका पहला दिन शुभ-शकुनोंके साथ आरम्भ हुआ है। रनपुरसे लेकर सूरत तकके सभी केन्द्रोंसे शुभ समाचार मिल रहे हैं। स्वयंसेवकोंके साथ सर्वश्री मणिलाल कोठारी और अमृतलाल सेठ गिरफ्तार हो गये हैं। अभी-अभी समाचार मिला है कि दरबार गोपालदास, तलाटी और रेवाशंकर, खेड़ा जिलेके ये सभी नेता गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इनके कारण गुजरात और भारतकी भी, प्रतिष्ठा बढ़ी है। लेकिन गुजरातके बाकी कार्यकर्त्ता क्या करेंगे? मुझे आशा है कि किसी प्रकारके आह्वानकी प्रतीक्षा किये बिना सभी क्षेत्रोंसे स्वयंसेवक गण बड़ी संख्यामें आगे आयेंगे और गिरफ्तार हुए लोगोंके स्थानोंकी तत्काल

पूर्ति करेंगे। अब अवसर आ गया है जब कि विद्यार्थियों, वकीलों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगोंकी परीक्षा होगी। जब तपे-परखे सेनानी गिरफ्तार किये जा रहे हैं, तब क्या जो लोग बाहर खड़े हैं, वे केवल इन्तजार ही करते रहेंगे?

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ८-४-१९३०

१९४. पत्र : कलावती त्रिवेदीको[1]

दाडी
मौनवार [७ अप्रैल, १९३० या उसके पश्चात्][2]

चि० कलावती

तुमारा खत मीला। मुझको अच्छा लगा। क्या काम करती है? अभ्यास कुछ चलता है? मन खुश है?

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ५२८५ की फोटो-नकलसे।

१९५. पत्र : मीराबहनको

दांडी
मगलवार, ८ अप्रैल, १९३०

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र और उसके साथ बादमें लिखी पंक्तियाँ भी मिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि माताजी को कैंसर नही है। लेकिन जीवन कुछ इतना कृत्रिम हो गया है कि इस पर कभी-कभी आश्चर्य होता है कि हमें जितना है उससे ज्यादा कष्ट क्यों नही भोगना पडता।

हाँ, घटनाचक्र इतनी तेजीसे चल पडा है कि जल्दी ही वारा-न्यारा हो जायेगा। जी नही चाहता था तो न जाकर तुमने ठीक ही किया।[3] मैंने स्त्रियोंके लिए जो बिलकुल अलग क्षेत्र सुझाया है, उसके बारेमें तुम्हें सारी जानकारी मिल जायेगी।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३९०) से; सौजन्य : मीराबहन;
जी० एन० ९६२४ से भी।

१. हिन्दी नवजीवनके तत्कालीन सह-सम्पादक काशिनाथ त्रिवेदीकी पत्नी। वे उन दिनों साबरमती आश्रममें रहती थीं।

२. गांधीजी ५ अप्रैल, १९३० को दाडी पहुँचे थे।

३. देखिए "पत्र : मीराबहनको", ७-४-१९३० या उसके पूर्व।

१९६. पत्र : अमीना तैयबजीको

दांडी
८ अप्रैल, १९३०

प्रिय बहन,

अब्बास साहब आज रातको नडियाद जा रहे हैं, क्योंकि फूलचन्द भी गिरफ्तार हो गये हैं। अब उनके भी गिरफ्तार कर लिये जानेकी आशा है। वे समझते हैं कि यहाँ मैं उनका रास्ता रोके हुए हूँ। शायद उनका खयाल ठीक ही हो। खुदा हाफिज।

सस्नेह,

मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ९६८७) की फोटो-नकलसे।

१९७. पत्र : रामेश्वरदास पोद्दारको

दांडी
८ अप्रैल, १९३०

भाई रामेश्वरदास,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम चिन्ता छोड़ो। तुमसे जो हो सकता है सो किये जाओ; इतनेसे भगवान् प्रसन्न हो जायेंगे। रामनाम तो कदापि न छोड़ना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० २१९) की फोटो-नकलसे।

१९८. पत्र : महादेव देसाईको

मगलवार, ८ अप्रैल, १९३०

चि० महादेव,

भाई अमृतलाल पकड़े गये। और धोलेराकी ओर अधिकारी लोग नये तरीकेसे काम करते जान पडते है। मुझे लगता है कि यदि तुम उधरका एक चक्कर लगा आओ तो ठीक होगा। मै आजसे आसपासके गाँवोंमें जानेके लिए निकल पड़ा हूँ। इस सप्ताह मेरा इरादा इस ताल्लुकेके बाहर अथवा उसके आसपासके गाँवोके आगे जानेका नहीं है। लेकिन यदि आवश्यकता पडी ही तो मै धोलेरा अथवा ऐसी किसी जगहपर जानेके लिए तैयार रहूँगा। जमनालाल, ईश्वरलाल आदिके पकडे जानेकी खबर तो तुम्हें मिल ही चुकी होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११४७४)की फोटो-नकलसे।

१९९. भाषण : आटमें

८ अप्रैल, १९३०

मुझे इस बातकी खुशी है कि कल मैंने आपको जो वचन दिया था उसे पूरा करनेके लिए सरकारने मुझे अभीतक मुक्त रख छोड़ा है। कल जब उकाभाईको पीटा गया और जब आप सब अचानक नमक बटोरनेके लिए कूद पड़े तो आप सब लोगो तथा स्त्रियोंके लिए भी उस दृश्यको देखना कठिन हो गया। यह घटना भारतके इतिहासमें अमर रहेगी। हमारी पहली लडाई आटमें ही लडी जायेगी। हमारी लडाई प्रेमकी लड़ाई है, जिसमें हमें दुःख भी उठाने होगे। जिस प्रकार माँ अपने बच्चेका छीना जाना बरदाश्त नही करती[1], चाहे उसे अपनी जानकी बाजी ही क्यो न लगा देनी पडे, उसी प्रकार हम जीते-जी अपने हाथमें आये नमकको नही छोडेंगे। जब ऐसा समय आयेगा तो पूरा हिन्दुस्तान भडक उठेगा। यदि पुरुषोका भी इस तरह अपमान किया गया तो हिन्दुस्तान उसे सहन नही करेगा। तो फिर स्त्रियोका हाथ पकड़नवाला कौन है? हमारा गोला-बारूद तो एक ईश्वर ही है। आपने अपनी लड़ाईके दूसरे दिनको गौरवान्वित किया है और मुझे आशा है कि गुजरातके सभी गाँव और पूरा हिन्दुस्तान आपके उदाहरणका अनुकरण करेगा। सरकार चाहे जितने नेताओंको क्यो न पकड़ ले किन्तु उसे पता चल जायेगा कि उसकी यह धारणा

१. यह वाक्य ९-४-१९३० के बॉम्बे क्रॉनिकलसे लिया गया है।

गलत थी कि नेताओंके अभावमें हमारा आन्दोलन रुक जायेगा। आप इस नमकको इकट्ठा कर रखें और उसकी एक कंकरी भी बरबाद न करें। आपको बिना कर वाले नमकके अतिरिक्त दूसरा नमक न खानेका निश्चय कर लेना चाहिए। यदि सरकार चावलपर कर लगा दे तो आप अपने ही खेतोंका चावल लाकर खाते रहें; नमकके बारेमें भी आपको यही करना चाहिए।

जब पुलिस आपके हाथसे नमक छीनने आये तो आप उसे न छोड़ें। जब-तक आपकी कलाइयाँ नहीं टूट जाती तबतक आप अपनी मुट्ठियाँ जरा भी ढीली न पड़ने दें। यदि आपके मनमें सत्याग्रहके प्रति श्रद्धा होगी तो आपकी मुट्ठियाँ वज्रकी बन जायेंगी।

[गुजरातीसे]

प्रजाबन्धु, १३-४-१९३०

२००. सन्देश: राष्ट्रके नाम[1]

दांडी
९ अप्रैल, १९३०

लगता है कि आखिर चिरप्रतीक्षित घड़ी आ पहुँची है।

मेरे सहकर्मियों और साथियोंने रातके सन्नाटेमें मुझे गहरी निद्रासे उठाकर अनुरोध किया कि मैं उनको सन्देश दूँ। इसलिए मैं यह सन्देश बोलकर लिखवा रहा हूँ, हालाँकि किसी भी तरहका सन्देश देनेकी मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है।

मैं पहले ही अनेक सन्देश दे चुका हूँ। यदि पिछले किसी सन्देशपर जनताने कान न दिया हो तो फिर इस सन्देशका फायदा ही क्या? परन्तु आज मध्य रात्रि तक जो सूचना मिली है, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे सन्देशको अनसुना नहीं किया गया, जनताने सच्चे हृदयसे उसे अपनाया है। लगता है जैसे गुजरातकी समूची जनता एक विशाल समुदायकी भाँति उमड़ पड़ी है। मैंने आट और भीमराडमें हजारों-हजार स्त्री-पुरुषोंको निर्भयतापूर्वक नमक-कानून तोड़ते अपनी आँखोंसे देखा है। कहीं कोई शरारत नहीं, हिंसाका कोई आसार तक मुझे नहीं दिखा, हालाँकि वहाँ लोग इतनी बड़ी संख्यामें मौजूद थे। वे पूर्णतः शान्त और अहिंसक बने रहे, हालाँकि सरकारी अधिकारियोंने अपनी सारी सीमाओंका अतिक्रमण कर दिया था।

१. यह सन्देश इस टिप्पणीके साथ प्रकाशित हुआ था: "दांडीमें ९ अप्रैलको गांधीजी द्वारा बोलकर लिखाये गये सन्देशका यह अंग्रेजी अनुवाद है। उस समय गांधीजी की सम्भावित गिरफ्तारीकी चर्चा बड़े जोरोंपर थी। सन्देश एक महीने पहलेका है, पर आज भी उतना ही सार्थक है। हम सामने उपस्थित इस कठिन अग्नि-परीक्षामें भारतकी प्रतिष्ठा तथा निष्ठाके लिए एक चुनौतीके रूपमें आज इसे प्रकाशित कर रहे हैं।"

यहाँ गुजरातमें तपे-तपाये, लोकप्रिय जनसेवकोंको एक-एक करके गिरफ्तार किया जा चुका है, फिर भी जनता पूर्णतः अहिंसक बनी रही है। जनताने घवराने या आतंकित होनेसे इनकार कर दिया है, बल्कि उसने दिन-दिन और अधिक संख्यामें असहयोगमें शामिल होकर इन गिरफ्तारियों पर खुशी जाहिर की है। ठीक यही होना भी चाहिए था।

ऐसी शुभ घड़ीमें आरम्भ किया गया यह संघर्ष यदि अन्ततक इसी तरह अहिंसात्मक बना रहा तो इतना ही नही कि भारत निकट भविष्यमें पूर्ण स्वतन्त्रता हासिल कर लेगा, बल्कि हम विश्वको भारत और उसके गौरवशाली अतीतके योग्य एक पदार्थ-पाठ भी दे देंगे।

बलिदान और त्यागके बिना हासिल किया गया स्वराज्य चिरजीवी नही हो सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे देशकी जनता अपनी शक्ति-भर बड़ेसे-बड़ा बलिदान करनेके लिए तैयार रहे। सच्चे बलिदान या त्यागमें एक ही पक्षको, स्वय ही को सारा कष्ट सहन करना पड़ता है — ऐसे बलिदानीको दूसरेकी जान लिये विना अपनी जान देने, जीवन देकर जीवन पानेकी कलामें सिद्धहस्त बनना पडता है। ईश्वर करे भारत अपनेको इस मन्त्रके योग्य सिद्ध करे।

आज सत्याग्रहीके हाथमें यह मुट्ठी-भर नमक भारतके आत्मसम्मानका ही क्या वास्तवमें उसके सर्वस्वका प्रतीक बन गया है। इसलिए चाहे मुट्ठी कुचल दी जाये, पर अपनी इच्छासे उसका नमक किसीको न लेने दिया जाये।

सरकार यदि अपने-आपको एक सभ्य सरकार कहती है तो उसे उन सभी लोगोको खुशीसे जेलोमें डालने दो जो गैरकानूनी तौरपर नमक बनाते हैं। असहयोगी लोग अपनी गिरफ्तारीके बाद वह नमक उतनी ही खुशी-खुशी सरकारके हवाले कर देंगे जितनी खुशी-खुशी वे अपने शरीर जेलरोके हवाले करेगे।

लेकिन बेचारे निर्दोष सत्याग्रहियोके हाथसे बलपूर्वक नमक छीनना शुद्ध बर्बरताके अलावा और कुछ नही है; और वह भारतका अपमान भी है। ऐसे अपमानका एक ही उत्तर है। वह यह कि हाथ भले ही टूट जायें पर हम अपनी मुट्ठियाँ ढीली नही होने देंगे। लेकिन तब भी कष्ट सहन करनेवाला सत्याग्रही स्वयं और उसके साथी भी अपने हृदयोमें अन्यायीके विरुद्ध किसी दुर्भावनाको स्थान नही देंगे। असज्जनताका उत्तर असौजन्यसे नही, बल्कि शान्त-चित्त रहकर गरिमाके साथ ईश्वरका नाम लेते हुए सारे कष्टोको सहन करके ही दिया जाना चाहिए।

मेरे साथियोको या जनताको मेरी गिरफ्तारीसे घबराना नही चाहिए, क्योकि इस आन्दोलनका मार्ग-दर्शन मैं नहीं ईश्वर कर रहा है। वह सदा ही सबके हृदयोमें वास करता है और यदि हम उसपर निष्ठा रखें तो वह निश्चय ही हमारा सही मार्ग-दर्शन करेगा। हमारा मार्ग पहले ही सुनिश्चित हो चुका है। प्रत्येक गाँव गैर-कानूनी नमक लाये या अपने यहाँ तैयार करे, हमारी बहनें शराबकी दुकानो, अफीमके अड्डो और विदेशी वस्त्रोकी दुकानोपर धरना दें। हर घरमें बूढे और जवान सभी तकली चलायें, कताई करे और प्रति दिन ढेरो सूत बुनवायें। विदेशी वस्त्रोको जला

दीजिए। हिन्दू अस्पृश्यताको तिलांजलि दें। हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी और ईसाई सभी लोग आपसमें हार्दिक एकता पैदा करें। बहुसंख्यक जातियाँ उसीपर सन्तोष करें जो अपने अल्पसंख्यक भाइयोंको सन्तुष्ट करनेके बाद बच रहे। विद्यार्थी-गण सरकारी स्कूल-कालेजोंको छोड़ दें और सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरियोंको लात मारकर जनताकी सेवामें लग जायें, और तब हम पायेंगे कि पूर्ण स्वराज्य हमारा द्वार खटखटा रहा है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-५-१९३०

२०१. पत्र : महादेव देसाईको

९ अप्रैल, १९३०

चि० महादेव,

मैं भीमराड जानेके लिए इस समय सूरतमें बैठा हूँ। मोटर गलत रास्तेपर पड़ गई, इसलिए गाड़ी निकल गई और फिर मुझे मोटर द्वारा ही यहाँ तक आना पड़ा। इस समय तो मेरे विचारोंको पंख लग गये हैं, यहाँतक कि वचन और कर्मके बिना भी वे अपना काम करते जान पड़ते हैं; और वस्तुतः है भी ऐसा ही। तपश्चर्याके अन्तर्गत मनमें जो विचार उठा करते हैं वे अव्यभिचारी होते हैं। इनसे उनकी शक्ति बिजली अथवा उससे भी सूक्ष्म पदार्थ ईथरसे भी अधिक होती है। इसलिए तुम्हारे सुझाव पर कल ही अमल किया गया। मैं अपनी पूरी टुकड़ीको जहाँ-जहाँ जरूरत जान पड़े, वहाँ-वहाँ तैनात करनेवाला हूँ। सूरजभान तो गये, जयन्तीप्रसाद भी गये; दोनों अपने-अपने जिलोंमें। वामनराव पतकी भी अपने जिलेमें गये। इन तीनोंमें मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ा, वे लोग खुद-ब-खुद समझ गये। सुरेन्द्र भीमराड जानेके लिए नवसारीमें बैठा है और पुरातन तथा हरिदास गांधी ओलपाड जानेके लिए नवसारीमें बैठे हैं। अब्बास साहबको मैंने नडियाद भेज दिया है। वे जितने लोगोंकी माँग करेंगे, उसीके मुताबिक अन्य लोगोंको भेजूँगा। मैं जेलसे बाहर रहूँ या न रहूँ तो भी तुम अगर जेलसे बाहर रहो तो लोगोंको भेज देना; अगर तुम भी बाहर न रहे तो जो बाकी बचेंगे वे खुद ही बन्दोबस्त कर लेंगे। सौभाग्यवश दयालजी तो पीछे रहनेवाले ही हैं, वे भी बच्चोंकी मारफत आदेश निकाला करेंगे और अन्ततः भगवान् बालकृष्ण तो हैं ही, इनके आदेश सबके हृदयमें प्रेरणाका संचार करेंगे। फलतः जैसे-तैसे काम चलता रहेगा। छगनलालको बडवान भेजनेके लिए मैं तैयार तो हूँ लेकिन वहाँ केवलराम भी जा सकता है। और केवलरामने जानेके लिए कहा भी है, यह तुम जानते हो न? तथापि, यदि तुम कार्यसे मुक्त हो और तुम्हें कोई और विचार सूझ पड़े तो मुझे बताना। भड़ौंच-सेवाश्रमने पुछवाया है कि यदि उन्हें व्यक्तियोंकी जरूरत हो तो मुझसे कहें। तुम्हें तो मैं घड़ी-भरका मेहमान समझता हूँ।

सरलादेवीको मैंने भी पत्र तो लिखा है। लेकिन वह पत्र मद्यपानके विषयमें है। कल इसी विषयपर मैंने काकाको भी एक पत्र लिखा है। वह तो तुमने पढा ही होगा। उससे तुमने देखा होगा कि मैं तो १२ तारीखको नमक-आन्दोलनके साथ-साथ मद्यपान-निषेध और विदेशी कपडेका बहिष्कार-सम्बन्धी आन्दोलन भी शुरू करना चाहता हूँ। यदि मैं ऐसा न कर पाऊँ और तुममें, काका आदि पुरुषों और आश्रमकी बहनों तथा बाहरसे आनेवाली बहनोंमें पर्याप्त आत्मविश्वास हो तो मैं चाहूँगा कि मद्यपान-निषेधका मोर्चा सोमवारसे लगाया जाये। मैंने इसीमें कूद पडनेके लिए सरला-देवीको लिखा है। लेकिन मेरी यह सारी कल्पना यदि तुम सबके गले न उतरे तो तुम इसे छोड देना। नमक-कर सात दिनोंमें हट जायेगा, सो मैं नही मानता। लेकिन इस शुभ घड़ीका लाभ उठाकर इस त्रिवेणीका सगम कर देना आवश्यक है। मैं तो इतना जानता हूँ कि यदि हम इन तीनो चीजोंमें सफलता प्राप्त कर ले तो स्वराज्य आज ही सिद्ध हो जायेगा, और स्त्रियाँ पल-भरमें अपनी शक्तिको पहचान जायेंगी, और सारा ससार बिना कुछ समझाये समझ जायेगा कि यह तो सही अर्थोंमें धर्मयुद्ध है। अनेक स्त्रियाँ गृहस्थीकी बागडोर अपने हाथोंमें थामे हुए भी इसमें शामिल हो सकती है। और आखिरी हथियारके रूपमें हमारे पास भूमिकर तो है ही। इसलिए हालाँकि 'अनैतिक आधार'[1] शीर्षक लेखमें मैंने इसकी चर्चा की है तथापि इस भूमिकाके बारेमें कुछ कहनेकी मेरी इच्छा नही और इसकी जरूरत भी नही है। मेरी नजर तो इस समय ९१ करोड़ रुपयोपर जमी हुई है और इतना तो मुझे आजकी परि-स्थितियोंको देखते हुए सहज साध्य लगता है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मैंने मीठूबहनके साथ उपर्युक्त विषयपर खूब बातचीत की है। मीठूबहनने निश्चय कर लिया है। स्त्रियोंके लिए अनाविल आश्रम इनके हाथमें सौंप दिया जायेगा। जो स्त्रियाँ अपना पूरा समय इस कार्यमें देनेको तैयार होगी उन्हे ही इस आश्रममें लिया जायेगा। इस आश्रमके अपने नियम तो होंगे ही। अभी तो विचार यह है कि सूरत जिलेमें, जहाँ इस तरहका काम हुआ है वहाँ, इसे बढावा दिया जाये और जैसे-जैसे स्त्रियोंमें आत्मविश्वास आता जाये वैसे-वैसे कामको बढाया जाये। इस दृष्टिसे मीठूबहनकी तरह आश्रमकी जो बहनें इस कामके लिए तैयार हो वे यहाँ आती जायें। मीठूबहनको स्वय तो इस कामका अनुभव है, इसलिए इन आनेवाली बहनोंको भी अनुभव मिलेगा और फिर आश्रमकी बहनोंसे, जो नियमोंसे अच्छी तरह परिचित होती है, काम लेनेमें मीठूबहनको आसानी होगी। शारदाबहनके साथ तो मेरी बात हो गई है। उन्हें तथा डॉ० सुमन्तको यह काम बहुत अच्छा लगा है। शारदाबहन वहाँ आनेवाली तो थी।

गुजराती (एस० एन० १६७८५)की फोटो-नकलसे।

1. देखिए पृष्ठ २३०-३१।

२०२. भाषण: भीमराडमें

९ अप्रैल, १९३०

भाइयो और बहनो,

यह सविनय प्रतिरोधियोंका शिविर है। आपमें से कुछ लोगोको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मैं देखता हूँ कि इससे दुखी होनेके बजाय आप और भी प्रसन्न हो रहे हैं। हम लोगोंने एक चीजके लिए तैयारी की और फिर वह चीज माँगी। जब वह चीज हमें मिल रही है तो हमें उससे डरना नही चाहिए, अन्यथा हम सर्वशक्तिमान् ईश्वरके प्रति कृतघ्न माने जायेंगे। हम ईश्वरसे यही प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें या तो स्वतन्त्रता दो या जेल और फाँसी। हम दासता और परतन्त्रता नही चाहते। और ईश्वरका कहना है कि बलिदानके बिना तुम्हें कुछ नही मिलेगा। हमें अपने-आपको जेल जाने योग्य बनाना है। चोरी करने या शराबखोरीके जुर्ममें जेल जाना बेकार होगा। हम उन्ही लोगोंको बधाई देते है जो पवित्र कार्योंके लिए जेल जाते है। हमारे दृष्टिकोणसे सत्कार्योंके लिए जेल जानेवाले लोग कारावासके नही, बल्कि स्वतन्त्रताके पात्र है। इस शैतानी सरकारके राज्यमे तो निर्दोष और भले लोगोंको कष्ट सहना ही पड़ेगा। इस शासनमें अगर हम अच्छे है तो हमें हथकड़ियाँ और ठोकरें मिलेंगी, छुरोके वार सहने पड़ेंगे और फाँसीके तख्तेपर झूलना पड़ेगा। स्त्रियोंको अधिक बलिदान करना पड़ेगा। मै अपने साथ यज्ञकी सामग्री ले आया हूँ। मै इसे एक पिकनिक — वन-विहार — समझता हूँ और आशा करता हूँ कि अन्त तक यह ऐसा ही रहेगा। अभी तो शुरुआत ही है। सरदार वल्लभभाईको तीस बरसके लिए जेल भेजना चाहिए था। सरकार हमारी परीक्षा कर रही है। भीमराडमें आपको मौतके घाट नही उतारा जायेगा। आपसे नमक छीना जायेगा, लेकिन अगर आपमें साहस हो तो नमक छीननेके लिए किये जानेवाले बल-प्रयोगको जबतक आप झेल सके तबतक आप नमकको अपने हाथसे अलग न होने दें। मैं समझता हूँ कि अपने पास नमक रखकर हमने अपने हाथोंमें ६ करोड़ रुपये रखे हैं और इसीमें भारतकी स्वतन्त्रताका मर्म छिपा हुआ है। हम इस संघर्षके लिए सोलह वर्षके नौजवान चाहते हैं। जिस मुट्ठीमें नमक हो उसे यदि हम कसकर बाँध रखें तो कोई भी उसे खोलनेकी हिम्मत नही कर सकता। वे चाहें तो आपपर गोलियाँ बरसायें। लोग भले ही संगीनें और लाठियाँ लेकर आपके पास आयें और आपपर उनका प्रयोग करे, लेकिन नमक आपके हाथोसे नही छिनना चाहिए। यदि इतना होनेपर भी आपमें से कोई रोता-चीखता नही तो मै इसे एक पिकनिक मानूँगा। भले शरीर निष्प्राण होकर जमीनपर गिर जाये, भले ही हाथ काट लिये जायें, किन्तु आप अपनी टेकपर अड़े रहिए। तब मै समझूँगा कि स्वराज्य आ रहा है। सरकार हमारी परीक्षा इसलिए कर रही है कि यह बहादुर लोगोकी सरकार है।

ऐसा न समझें कि हम नपुसकोके खिलाफ जूझ रहे है। वे आसानीसे हार माननेवाले नही है और न हम उन्हें जल्दी हरा ही सकते है। यदि ३० करोड़ लोग इस संघर्षमें एक होकर कूद पड़ें तो अन्तमें सरकारको झुकना पडेगा। यदि आप अपनी टेकके सच्चे बने रहते है तो मुझे पूरा विश्वास है कि सफलताका प्रकाश हमें दिखाई देगा। मै यहाँ आपसे यह अनुरोध करने आया हूँ कि विजय मिलने तक आप इस सघर्षमें सन्नद्ध रहिए। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे है। नमक-कर के बारेमें कोई सन्देह न कीजिए। जब उकाभाईको एक घाव लगा तो मैंने इसे इस बातका संकेत माना कि नमक-कर को समाप्त होना है। ऐसा न समझें कि नमक-कर समाप्त कर दिये जानेके बाद आप लोग सुखी हो जायेंगे। ३० करोड आबादीवाले देशके लिए छह करोड़ रुपये कुछ नही हैं। मैंने तैयबजीसे अनुरोध किया और वे खुशी-खुशी (खेडाके लिए) रवाना हो गये। शराबकी दुकानोपर धरना पुरुष नहीं, बल्कि स्त्रियाँ देंगी। अगर वहाँ पुरुष जाते है तो ऐसा माना जायेगा कि वे दूसरोको मारने-पीटनेके लिए आये है। सरकारको यह चीज पसन्द नही होगी, क्योकि इसके परिणामस्वरूप उसे शराबकी बिक्रीसे होनेवाली २५ करोड़ रुपयेकी सालाना आयसे हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए मै आप सभी बहनोको मीठूबहनके निर्देशपर काम करनेकी सलाह देता हूँ। विदेशी वस्त्र भी उतने ही बुरे है जितनी कि शराब। जिन्होने विदेशी कपडे पहन रखे हो, उन्हें उनको जला देना चाहिए। यदि आप खद्दरका प्रयोग करे तो भारतके ६० करोड़ रुपये भारतमें रह जायेंगे। आपको रुईसे सूत कातना चाहिए। आप बहनोको तीन काम करने चाहिए; अर्थात्, शराबबन्दी आन्दोलन-में मदद देना, खद्दरका प्रयोग करना और सूत कातना। मैंने अपने लड़के मणिलालको इस कामके लिए भेजा है। वह यह काम करेगा। आप जेलोमें खानेके लिए झगड़ा न करें; लड़ें तो अपने आत्म-सम्मानके लिए लड़ें। जिन पटेलोंने त्यागपत्र दिये है उन्हें सरकारने अबतक नौकरीसे मुक्त नही किया है। इसमें कुछ चाल है। उन्हें सारे कागजात सरकारको सौंप देने चाहिए, या फिर कार्यालयमें ताला लगाकर चाबी मामलतदारके सुपुर्द कर देनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्स, १९३०

२०३. भारतकी महिलाओंसे

कुछ बहनें इस सत् संघर्षमें शामिल होनेके लिए बहुत अधीर हो रही हैं। मैं इसे एक शुभ लक्षण मानता हूँ। इससे मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि नमक-कर विरोधी आन्दोलन चाहे जितना मोहक हो, स्त्रियोंके लिए अपनी प्रवृत्तियाँ उसी तक सीमित रखना अशर्फी देकर कोयला लेनेके समान होगा। वे भीड़में खो जायेंगी। इसमें उन्हें कष्ट-सहनका वह अवसर ही नही मिलेगा जिसके लिए वे लालायित है।

इस अहिंसक लडाईमें उनका योगदान पुरुषोकी अपेक्षा बहुत अधिक होना चाहिए। स्त्रियोको अवला कहना उनका अपमान करना है; यह पुरुषो द्वारा उनके साथ किया गया अन्याय है। यदि शक्तिका मतलब केवल पशु-बल ही होता है तो बेशक स्त्रियोंमें पशुबल कम है। किन्तु, यदि उसका अर्थ नैतिक शक्ति होता है तो स्त्रियोंकी शक्तिसे पुरुषोकी शक्तिकी कोई तुलना ही नही की जा सकती। क्या यह सच नही है कि उनमें पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक सहज बुद्धि, ज्यादा त्याग-भाव, अधिक सहन-शक्ति और अधिक साहस होता है? उनके बिना पुरुषके अस्तित्वका सवाल ही नही उठता। यदि अहिंसा हमारे अस्तित्वका नियम है तो भविष्य स्त्रियोके ही हाथोमें है।

यह विचार मेरे मनमें वर्षोसे पल रहा है। मेरे कूच प्रारम्भ करनेसे पहले जब आश्रमकी महिलाओंने आग्रह किया कि उसमें पुरुषोके साथ उन्हें भी ले चलूँ, तो मेरे मनके किसी कोनेसे आवाज आई कि वे इस संघर्षमें केवल नमक-कानून भंग करनेसे कही बडा काम करनेवाली है।

मुझे लगता है कि अब मैंने वह काम ढूंढ लिया है। शराब तथा विदेशी कपड़े-की दुकानों पर पुरुषों द्वारा धरना देनेका काम यद्यपि १९२१ में कुछ समयके लिए एक हद तक आशातीत रूपसे सफल हुआ था, किन्तु अन्तमें हिंसा भड़क उठनेके कारण वह विफल हो गया। यदि सचमुच कुछ प्रभाव उत्पन्न करना है, तो धरना देनेका काम फिरसे शुरू करना ही चाहिए। यदि यह अन्त तक शान्तिमय रहता है तो इससे सम्बन्धित लोगोंको इस विषयमें सबसे जल्दी शिक्षित और जाग्रत किया जा सकेगा। यह काम जोर-जबरदस्तीसे नहीं, बल्कि लोगोंको कायल करके, नैतिक धरातलपर उन्हें समझाकर ही सम्पन्न किया जा सकता है। और इनके हृदयको स्त्रियोंसे अधिक और कौन छू सकता है?

शराब तथा अफीम आदिका निषेध और विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार तो अन्ततः कानूनसे ही सम्पन्न होगा। लेकिन, जबतक नीचेसे महसूस होने लायक दबाव नहीं डाला जायेगा तबतक ऐसे कानून नही बनाये जायेंगे।

इससे तो कोई इनकार कर ही नही सकता है कि राष्ट्रके लिए दोनों अत्यन्त आवश्यक हैं। शराब और अफीम वगैरहसे इनका सेवन करनेवालोका नैतिक पतन होता है। विदेशी कपड़े देशकी आर्थिक नीवको कमजोर बनाते हैं और करोड़ों लोगोकी

बेकारीका कारण बनते हैं। दोनोसे होनेवाली हानियोका अनुभव घरमें और इस प्रकार स्त्रियों द्वारा किया जाता है। जिस घरमें किसी समय सुख-शान्तिका राज्य था उसमें शराबने कैसी तबाही मचा रखी है, यह तो वही स्त्रियाँ जानती हैं जिनके पति शराबी हैं। हमारे गाँव-पुरवोकी करोडो स्त्रियाँ जानती है कि बेकारीका मतलब क्या होता है। आज एक लाखसे अधिक स्त्रियाँ चरखा सघसे लाभ उठा रही हैं, जब कि ऐसे पुरुषोकी सख्या १०,००० से भी कम है।

तो भारतकी स्त्रियाँ इन दो कार्योंको अपनाकर इनमें विशेषज्ञता प्राप्त करें। इस तरह वे राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-सग्राममें पुरुषोंसे कहीं अधिक योगदान करेगी। यह उन्हें वह शक्ति और आत्म-विश्वास प्रदान करेगा जिनसे अभीतक वे सर्वथा अपरिचित हैं।

जब वे विदेशी कपडेके व्यापारियो तथा ग्राहकोंसे और शराब-विक्रेताओ तथा शराबियोसे अनुरोध करेगी तो उनका हृदय द्रवित हुए बिना नही रहेगा। और कमसे-कम इतना तो है ही कि स्त्रियोके बारेमें कोई यह सन्देह नही करेगा कि वे इन चारो वर्गोके साथ कोई हिंसात्मक व्यवहार करनेका इरादा रखती है। इसके अलावा, सरकार भी इतने शान्तिपूर्ण तथा अप्रतिरोध्य आन्दोलनकी अधिक दिनो तक उपेक्षा नहीं कर सकती।

इस आन्दोलनकी सारी खूबसूरती इस बातमें होगी कि इसका प्रारम्भ और सचालन सिर्फ स्त्रियाँ ही करे। वे पुरुषोसे चाहे जितनी मदद ले सकती हैं, बल्कि उन्हें लेनी चाहिए, लेकिन इस क्षेत्रमें पुरुषोको सर्वथा उनके अधीन रहकर ही काम करना चाहिए।

इस आन्दोलनमें हजारो शिक्षित-अशिक्षित महिलाएँ भाग ले सकती हैं।

उच्च शिक्षा-प्राप्त महिलाओको मेरी यह अपील सर्वसाधारणके साथ तादात्म्य स्थापित करने तथा उन्हें नैतिक तथा आर्थिक दृष्टिसे सहायता देनेका अवसर प्रदान करती है।

और विदेशी वस्त्रोके बहिष्कारके प्रश्नका अध्ययन करनेपर वे पायेंगी कि खादीके बिना यह असम्भव है। खुद मिल-मालिक भी यह स्वीकार करेंगे कि मिले तो निकट भविष्यमें भारतकी जरूरतके लायक पूरा कपडा तैयार नहीं कर सकती। लेकिन ठीक वातावरण तैयार किया जाये तो खादी हमारे गाँवोमें, हमारे असख्य घरोमें तैयार की जा सकती है। मेरा अनुरोध यह है कि भारतकी महिलाएँ अपने अवकाशके समयके एक-एक मिनटका उपयोग सूत कातनेके लिए करके ऐसा वातावरण तैयार करनेका सौभाग्य प्राप्त करे। खादी तैयार करनेका सवाल निश्चित पर पर्याप्त सूत कातनेके सवालसे जुडा हुआ है। कूचके पिछले दस दिनोमें परिस्थिति आ पड़नेपर मैंने अनुभवसे यह देखा है कि तकलीमें कितनी क्षमता है। इससे पहले मुझे यह मालूम नही था कि यह इतनी सक्षम है। यह तो सचमुच जादूकी छडी है। मेरे साथियोंने अपने निर्धारित कार्यक्रममें कोई व्याघात पडने दिये बिना हँसते-खेलते प्रति-दिन १२ अकका इतना सूत कात दिखाया है जिससे चार वर्ग गज खादी तैयार की जा सकती है। लड़ाईके साधनके रूपमें तो खादीकी कोई तुलना ही नही है। इन दोनो सुधारोके नैतिक परिणाम तो स्पष्टत: बहुत बडे होंगे। राजनीतिक

परिणाम भी कोई कम महत्त्वपूर्ण नहीं होगा। शराब तथा अफीम आदिके निषेधसे सरकारको कोई पच्चीस करोड़ रुपयेके राजस्वकी हानि होगी। विदेशी वस्त्रोंके वहिष्कारका मतलब है भारतके करोड़ों लोगों द्वारा अपने देशके कमसे-कम साठ करोड़ रुपयेकी वचत। ये दोनों लाभ पैसेकी दृष्टिसे नमक-कर के रद किये जानेसे होनेवाले लाभसे वढ़-चढ़कर ही होंगे। और इन दोनों सुधारोंके नैतिक सुपरिणामोंका अन्दाजा लगाना तो असम्भव ही है।

मगर कुछ वहनें कहती हैं कि 'शराव तथा विदेशी वस्त्रोंकी दुकानों पर धरना देनेमें मनको उत्तेजना देनेवाली और साहसिकताका वोध करानेवाली कोई वात नहीं है।' मेरा उत्तर यह है कि यदि वे पूरे मनसे इस आन्दोलनमें लग जायें तो वे देखेंगी कि इसमें भी मनको उत्तेजना देनेवाली और साहसिकताका वोध करानेवाली काफी वातें हैं। आन्दोलन सम्पन्न करनेसे पूर्व शायद उन्हें जेल भी जाना पड़े। यह भी असम्भव नहीं है कि उनका अपमान किया जाये और उनके शरीरको चोट पहुँचाई जाये। ऐसा अपमान और आघात सहना उनके लिए गर्वका विषय होगा। यदि उन्हें ऐसा कष्ट सहना पड़ा तो उससे इस संघर्षका अन्त जल्दी होगा।

यदि भारतकी स्त्रियाँ मेरे अनुरोधकी ओर ध्यान देना चाहती हैं और उसके प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाना चाहती हैं तो उन्हें शीघ्र ही क्रियाशील हो जाना चाहिए। यदि यह काम अखिल भारतीय स्तर पर तुरन्त आरम्भ नहीं किया जा सकता तो जो प्रान्त संगठन कर सकते हैं वे वैसा करें। उनके उदाहरणका अनुकरण शीघ्र ही दूसरे प्रान्त भी करने लगेंगे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १०-४-१९३०

२०४. टिप्पणियाँ

वधाई

पण्डित मालवीयजी और केन्द्रीय विधान सभाकी सदस्यतासे त्यागपत्र देनेवाले अन्य सदस्य अपने इस देश-भक्तिपूर्ण कार्यके लिए राष्ट्रकी हार्दिक वधाईके पात्र हैं। यदि हम मनुष्यकी अपने-आपको भुलावेमें रखनेकी क्षमतासे परिचित न होते तो यह वात समझना कठिन होता कि कोई भी आत्मसम्मानी व्यक्ति किसी ऐसी संस्थासे कैसे चिपटा रह सकता है जिसमें रहकर वह अपने आत्म-सम्मानकी रक्षा नहीं कर सकता। सरकार हमसे साफ-साफ ऐसा कहती तो नहीं, लेकिन अपने कार्योंसे वह इस वातको विलकुल स्पष्ट किये दे रही है कि वह और चाहे जो करे, लेकिन अपने मालिकों — ब्रिटिश उत्पादकों और भारतके शोषणपर जीनेवाले ऐसे ही अन्य लोगोंके आर्थिक हितोंकी वलि नहीं चढ़ायेगी। केन्द्रीय और प्रान्तीय सभी विधान-मण्डल, उसकी अन्य संस्थाओंकी ही तरह, भारतके पास अव जो-कुछ वच रहा है, उसे भी उससे छीन लेनेके मजवूत और लुभानेवाले जाल हैं। यदि उनकी चले तो वे इस देशको तभी छोड़ेंगे जव इसके पास लूटे जानेके लिए कुछ भी वच नहीं रहेगा।

पण्डित मालवीयजी और अन्य लोगोंने विधान सभा छोड़नेमें कोई जल्दी नही की है। किसी उच्चतर उद्देश्यके प्रति जैसी आस्था होनी चाहिए, वैसी ही आस्थासे वे तथाकथित विधानमण्डलसे चौथाई सदी तक चिपटे रहे और सो भी जनताकी ओरसे अकसर होनेवाले विरोधोंके बावजूद। संकटकी घड़ियोंमें उन्होंने सरकारकी महत्त्वपूर्ण सेवाएँ की। जितने दिनों तक पण्डित मालवीयजी ने दुर्लभ एकनिष्ठाके साथ सरकारकी सतत सेवा की है, उतने दिनों तक उसकी सेवा करनेवाला कोई भी भारतीय आज हमारे बीच नही रह गया है। इसलिए सरकारने एक ऐसा मित्र खो दिया है जैसा उसे फिर कभी प्राप्त नही हो सकेगा। आशा है, पण्डितजी और उनके साथी अब जनताके बीच वह काम करनेमें अपनी शक्ति लगायेंगे जो उनकी राह देख रहा है। और जैसा कि अन्य बहुत-से लोगोंने देखा है, वे भी देखेंगे कि असली काम तो विधान मण्डलोंके बाहर ही किया जा सकता है। विधान मण्डल हितकर तो तभी होंगे जब उन्हें ऐसा रूप दिया जायेगा कि वे कुछ-एक गुटों या वर्गोंके मतको नही, बल्कि सामान्य जनताके मतको वाणी देनेवाली संस्थाएँ बन जायेंगी। लेकिन जब उन्हें केवल सरकारकी इच्छाको स्वीकार करानेका साधन बना दिया जाता है तब तो वे निश्चित रूपसे हानिकर ही होते हैं। इसलिए फिलहाल राष्ट्र-सेवकोंको ऐसी शक्ति पैदा करनी है और ऐसा लोकमत तैयार करना है जिसकी अवहेलना न की जा सके।

एक दुष्टतापूर्ण आक्षेप

एम० बी० उपाधि-प्राप्त एक चिकित्साशास्त्री लिखते हैं :[1]

'लासिट' के लेखकका आक्षेप निराधार और दुष्टतापूर्ण है। जब ऑपरेशन किया गया था तब मैं बेशक जेलमें था, लेकिन मेरे सामने यह विकल्प रखा गया था कि मैं चाहूँ तो अपने सर्जनसे ऑपरेशन करवा सकता हूँ। जिन ब्रिटिश सर्जनका उल्लेख किया गया है, वे थे कर्नल मैडॉक। मुझे उनमें कोई अविश्वास नही था और मेरे काय-चिकित्सक डॉ० जीवराज मेहता और शल्य-चिकित्सक डॉ० दलाल चूँकि समय पर नही पहुँच पाये, इसलिए मेरा ऑपरेशन कर्नल मैडॉकने ही किया। उन्होंने मेरा जितना खयाल रखा, जितने मनोयोगपूर्वक मेरा उपचार किया उसके लिए मैं कई बार आभार व्यक्त कर चुका हूँ। मुझे तो ऊँचेसे-ऊँचे दर्जेके भारतीय शल्य-चिकित्सकों

१. इसका अनुवाद यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखकने गांधीजी को सूचित किया था कि लन्दनसे प्रकाशित लॉसिट नामक चिकित्साशास्त्र-सम्बन्धी एक पत्रिकाने लिखा है कि राजनीतिक आन्दोलनकारी चाहे जो कहें और भारतमें चिकित्साशास्त्रकी शिक्षाने चाहे जितनी प्रगति की हो, उसे ब्रिटेनके डाक्टरोंकी जरूरत रहेगी ही। यहाँतक कि श्री गांधी भी, जिनका ऑपरेशन भारतीय चिकित्सा सेवाके एक अंग्रेज शल्य-चिकित्सकने किया था, इस कथनकी सचाईको स्वीकार करेंगे। यह सूचना देनेके बाद पत्र-लेखकने कहा था कि यह तो सच है कि आप जब जेलमें थे तब पूनाके सिविल सर्जनने आपका ऑपरेशन किया था, किन्तु इसके पीछे मंशा यह सिद्ध करनेका दीखता है कि आपने अंग्रेज सर्जनको बेहतर मानकर उसीसे ऑपरेशन कराना पसन्द किया।

या काय-चिकित्सकोंकी कभी कमी नहीं महसूस हुई है। सच तो यह है कि मैंने अपने कई यूरोपीय मित्रोंको भारतीय शल्य-चिकित्सकों और काय-चिकित्सकोंके पास भेजा है और उन्होंने इन भारतीय चिकित्साशास्त्रियोंके कौशलका पूरा लाभ उठाया है। कदाचित् सैनिक-शास्त्र ही ऐसा एक विषय है जिसमें भारतको यूरोपीय प्रशिक्षकोंकी जरूरत है और यह भी ब्रिटिश नीतिका ही परिणाम है, लेकिन जहाँतक मैं जानता हूँ, अगर अंग्रेज यहाँसे चले जायें तो अन्य सभी क्षेत्रोंमें भारत बिना किसी कठिनाईके आत्म-निर्भर बन सकता है — और सो भी शासक जाति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष बाधाओंके बावजूद।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १०-४-१९३०

२०५. अनैतिक आधार

इस भारतीय साम्राज्यकी कल्पना अनैतिक उद्देश्यकी प्रेरणासे की गई, क्योंकि इसकी स्थापना भारतके शोषणको स्थायित्व प्रदान करनेके लिए ही की गई थी। अंग्रेज-लेखकोंकी कलमोंसे लिखे इतिहासके पृष्ठ इस बातको पर्याप्त रूपसे सिद्ध कर देते हैं कि इस उद्देश्यको पूरा करनेके लिए अंग्रेजोंने किसी भी छल-कपटको अनुचित नहीं माना, किसी भी प्रकारकी शक्तिके प्रयोगको निन्द्य और निषिद्ध नहीं माना। भारतमें ब्रिटिश ताजके द्वारा अथवा उसके लिए शायद इंच-भर जमीन भी कानूनी तौर पर प्राप्त नहीं की गयी।

इस शासनको अनैतिक तरीकोंसे कायम रखा जा रहा है। अंग्रेज राजनयिकोंने इस बातमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि भीतरी और बाहरी दुश्मनोंके आक्रमणके भयसे साम्राज्यको मुक्त रखनेवाली चीज ब्रिटेनकी संगीनें ही हैं।

इसका खर्च अनैतिक साधनोंसे प्राप्त राजस्वसे चलता है। मैंने अमानवीय नमक-करकी घोर अनैतिकता तो पर्याप्त रूपसे सिद्ध कर दिखाई है। और शराब तथा अफीम आदिसे प्राप्त होनेवाले राजस्वकी अनैतिकता तो स्वयंसिद्ध ही है।

लगानसे प्राप्त होनेवाले राजस्वकी अनैतिकता उतनी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिन्होंने बारडोली आन्दोलनके घटना-क्रमको ध्यानसे देखा है, जिन्होंने तथाकथित राजस्व सम्बन्धी कानूनों और उनके अमली रूपका अध्ययन किया है, वे इस प्रणालीकी अनैतिकताको देखे बिना नहीं रह सकते। मैंने राजस्व सम्बन्धी कानूनोंके साथ तथाकथित विशेषण इसलिए जोड़ा है कि उनसे राजस्व अधिकारियोंको निरंकुश सत्ता प्राप्त होती है; उनके निर्णयोंपर न्यायपालिकाका कोई बस नहीं चलता। नमक-करकी ही तरह भूमि-सम्बन्धी राजस्वका सबसे अधिक दबाव भी गरीब किसानोंपर ही पड़ता है। चाहे वह रैयतवारी प्रणाली हो या स्थायी बंदोबस्त हो, दोनोंके अन्तर्गत एक जैसी स्थिति है। रैयतवारी प्रणालीके अन्तर्गत यह किसानोंको कैसे पीसता है, यह हमने बारडोलीमें और अभी हालमें मातर तथा महमदाबादमें देखा। और स्थायी बन्दोबस्तके

अन्तर्गत तो उन्हें रैयतवारी प्रणालीसे प्रभावित लोगोसे भी अधिक पीसा जाता है। मैंने यह स्वीकार करनेमें कोई हिचकिचाहट नही दिखाई है कि अपने कष्टोके लिए अंशतः तो रैयत खुद ही दोषी है। लेकिन, प्रस्तुत सन्दर्भमें इस बातकी चर्चाकी कोई सगति नहीं है। राज्यको भूमि पर कर लगानेका कोई सहज अथवा स्वतन्त्र अधिकार नही है — चाहे भूमि राज्यकी सम्पत्ति समझी जाये या व्यक्तिकी। जिस प्रकार किसी बैलके मालिकको अपने बैलसे, उसकी शक्तिका खयाल किये बिना काम लेनेका अधिकार नही है, उसी प्रकार राज्यको भी परिस्थितिका विचार किये बिना भूमिपर कर लगानेका अधिकार नही है। और इस आरोपका उत्तर यह नही हो सकता कि भूमिका वर्गीकरण किया गया है और लगानकी माफी आदिके बारेमें भी कुछ नियम है। हमारा पक्ष तो यह है कि अधिकाश मामलोंमें रैयत कुछ भी देनेमें असमर्थ है। अपनी कर-नीतिका निर्धारण करनेमें कोई भी समझदार सरकार बराबर अपनी प्रजाकी आदतो, रीति-रिवाजो, बल्कि उसकी खामियो तकका ध्यान रखेगी। मगर इस सरकारके पास ऐसी बातो पर विचार करनेके लिए अवकाश कहाँ था? इसे तो एक न्यूनतम राशि, जैसे भी हो, वसूल करनी ही थी; सो स्वर्गीय लॉर्ड सैलिसबरीके शब्दोमें जहाँ-कही अभी कुछ भी रक्त शेष था वहाँ उसे चूसनेके लिए नश्तर लगाना जरूरी था।

इतना तो राजस्वके प्रत्यक्ष साधनोके बारेमें कहा। अब जरा अप्रत्यक्ष साधनोको लें; वे प्रत्यक्ष साधनोसे अधिक नहीं तो कमसे-कम उतने दूषित तो है ही। रुपयेके मूल्यमें जबरदस्ती जो वृद्धि की गई उसका कही कोई औचित्य नही है और उसका परिणाम यह हुआ है कि भारतके करोडो रुपये विदेशोमें चले जाते है। ब्रिटेनके कपड़ा व्यापारको जो तरह-तरहके अप्रत्यक्ष तरीकोसे शह दी जाती है, उसके फल-स्वरूप प्रतिवर्ष भारतके साठ करोड रुपये देशसे निकल जाते है, और दूसरी ओर करोडो भूखो मरते लोगोको आशिक बेकारीका सामना करना पडता है।

सरकार हमारे दोषोंका लाभ उठाती है और आपत्तिजनक तरीकोंसे मुख्यतः उन लोगोंकी झोलीमें हाथ डालकर अपना खजाना भरती है जिनमें कुछ देनेकी सबसे कम सामर्थ्य है।

इसलिए जनताके सामने उस प्रणालीको, जिसका आधार ही अनैतिक है, समाप्त कर देनेके सिवा और कोई उपाय नही है। अतएव अब हमारा कर्त्तव्य यह है कि हम ईश्वरसे प्रार्थना करते हुए इस स्पष्टतः अनैतिक प्रणालीको नष्ट करनेके लिए काम करे और इसे समाप्त करनेके लिए अहिंसाके अपने राष्ट्रीय सिद्धान्त या नीति (जो भी जैसा समझे)के अनुरूप बड़े-से-बड़ा खतरा उठायें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १०-४-१९३०

२०६. एक अंग्रेज भाईकी समस्या

एक अंग्रेज भाई लिखते हैं:[1]

हमारी दृष्टिमें भारत विभिन्न समुदायोंका देश है। जाति-प्रथा, धार्मिक अनेकता और अर्ध-स्वतन्त्र तथा वफादार राज्योंके कारण यह देश अपनेमें बुरी तरह विभक्त है। . . . इसकी प्रजा शान्तिपूर्वक रहे और विभिन्न समुदायोंमें धर्मके आधारपर किसीको सताया न जाये, इसके लिए खूब सोच-विचारकर कोई व्यवस्था कर रखना आवश्यक है। यदि ऐसी कोई व्यवस्था किये बिना इसे बिलकुल स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये तो शीघ्र ही परस्पर-विरोधी शक्तियोंकी खींच-तानके फलस्वरूप यहाँ अव्यवस्था और अराजकता फैल जायेगी। लेकिन, हम लोग इस देशके कल्याणके लिए जिम्मेदार सरकारके रूपमें जो उचित है, वह करनेके लिए उत्सुक हैं।

राजनीतिक सुधारसे जबतक जनताकी स्थितिमें सुधार नहीं होता और उसपर जो भी अन्याय हो रहा हो उसका निराकरण नहीं होता तबतक इस तरहका कोरा सुधार तो बिलकुल बेमानी ही है; और हमें लगता है कि अंग्रेज लोग किसी मिली-जुली भारतीय सरकारकी अपेक्षा ये चीजें ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं।

प्रश्न यह है: वे कौन-सा अन्याय सह रहे हैं?

क्या उनपर करोंका बहुत अधिक बोझ है? क्या न्यायालय पक्षपात करते हैं?

क्या ब्रिटिश शासकोंका व्यवहार अत्याचारपूर्ण है?

क्या यहाँ ऐसे एकाधिकार भी हैं जो अन्यायपूर्ण हैं?

क्या श्रमिकोंको, उन्हें जितना पारिश्रमिक देशी सरकारके अधीन मिलेगा, उससे कम पारिश्रमिक मिलता है? या कि उनके कामके घंटे अधिक हैं? क्या ऐसी सरकार इस देशमें आनेवाले अकालोंको रोक सकेगी? अथवा जब अकाल पड़े तब इतने कारगर ढंगसे उनका मुकाबला कर सकेगी?

यह पत्र नेकदिल लेकिन सही जानकारीसे वंचित किसी औसत अंग्रेज द्वारा लिखे जानेवाले पत्रका एक ठीक नमूना है।

चौथे अनुच्छेदको[2] लीजिए। इससे उस झूठी शिक्षाका आभास मिलता है जो अंग्रेजोंको स्कूल जानेकी उम्रसे ही दी जाती है। पत्र-लेखकको यह नहीं सूझा कि अगर भारतको अपने भरोसे छोड़ दिया जाये तो वह उपर्युक्त कठिनाइयोंका निवारण

१. इसके कुछ अंशोंका ही अनुवाद दिया जा रहा है।

२. पहले तीन अनुच्छेदोंका अनुवाद यहाँ नहीं दिया गया है, अतः यह अनुच्छेद पत्रके यहाँ दिये हुए पाठमें पहला हो गया है।

कर सकता है। उसे यह नही दिखाई देता कि अगर एक सदीका अंग्रेजी शासन इन कठिनाइयोंका निवारण नही कर सका, वल्कि अगर उसने कुछ किया है तो दिन-व-दिन इन्हें और बढ़ाया ही है, तो जबतक यह देश ब्रिटेनके कब्जेमें है तबतक वे लोग इन्हे हल करने या कुछ कम करने नही जा रहे है। लेखकको यह मालूम नही है कि स्वयं अंग्रेज इतिहासकारोके साक्ष्यके अनुसार असंख्य गाँवोंको उनके द्वारा उल्लिखित कठिनाइयो और जिन्हें मै गिना सकता हूँ ऐसी बहुत-सी अन्य कठिनाइयोका भी सामना कभी करना ही नही पड़ा है। यह याद रखना चाहिए कि भारतकी सभ्यता मुख्यत. ग्रामीण सभ्यता है। इस देशके ब्रिटेनके विनाशकारी पजेमें जानेसे पूर्व यहाँके सात लाख गाँव सात लाख आत्म-निर्भर गणतन्त्रोंके समान थे। और ग्रामीण लोगोके शान्त और अपेक्षाकृत सुखी जीवनको अस्त-व्यस्त करनेका काम किया अद्भुत सगठन-क्षमताके धनी अंग्रेज लोगोने, "जिन्होने इस देशके कल्याणके लिए" अपनी उस क्षमताका सदुपयोग नही, वल्कि सुनियोजित शोषणके लिए उसका दुरुपयोग किया। इस देशमें बहुत-से शासक पहले भी आ और जा चुके हैं, लेकिन यहाँके गाँवो पर उनका कोई असर नही पड़ा और न उनके जाने पर यहाँ अव्यवस्था ही फैली। फिर ब्रिटिश शासनकी समाप्ति पर ही अव्यवस्था क्यों फैलने लगी? अगर अंग्रेज लोग ईमानदारीका बरताव करे तो उनसे यह अपेक्षा की जायेगी कि वे स्वतन्त्र और स्वाधीन भारतकी ऐसी सहायता करके जो उसकी स्वतन्त्र सरकारके लिए आवश्यक हो, भारतके साथ किये गये भारी अन्यायका निराकरण करें। और अगर वे ईमानदारीका बरताव न करना चाहते हों तो फिर किसी भी अंग्रेजको इस बातकी चिन्ता क्यों होनी चाहिए कि ब्रिटिश शासनकी समाप्तिके बाद यहाँ अव्यवस्था फैलेगी अथवा शान्ति-सुव्यवस्था रहेगी? तथाकथित सुव्यवस्थित शासनके बदले भारतके निर्मम शोषण करनेका अधिकार माँगा जाये, यह तो बहुत भारी कीमत है।

मै पत्र-लेखककी इस बातसे सहमत हूँ कि "राजनीतिक सुधारसे जबतक जनताकी स्थितिमें सुधार नही होता और उस पर जो भी अन्याय हो रहा हो उसका निराकरण नही होता तबतक इस तरहका कोरा सुधार तो बिलकुल बेमानी ही है।" लेकिन ऐसा मानना एक घातक भूल है कि "अंग्रेज लोग किसी मिली-जुली भारतीय सरकारकी अपेक्षा ये चीजें ज्यादा अच्छी तरह कर सकते है।"

इन पत्र-लेखक-जैसे अंग्रेज भाई उनके द्वारा पूछे गये बहुत ही उचित प्रश्नोके निम्नलिखित उत्तरोंसे राष्ट्रवादियोका दृष्टिकोण ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेगे:

१. जैसा कि इसी अकमें अन्यत्र दिखाया गया है, और जैसा कि आधिकारिक सूत्रोंसे भली-भाँति सिद्ध किया जा सकता है, इस देशकी जनतापर करोंका बहुत अधिक बोझ है।

२. न्यायालय राजनीतिक मामलोमें और ऐसे मामलोमें, जिनमें एक पक्षमें भारतीय हों और दूसरेमें यूरोपीय, पक्षपातपूर्ण साबित हुए है।

३. ब्रिटिश शासक अकसर अत्याचारपूर्ण ढंगसे शासन करते और लगभग सदैव उद्धततापूर्वक और भारतीय लोकमतकी बिलकुल उपेक्षा करते हुए काम करते पाये गये है।

४. देशमें बहुतसे अन्यायपूर्ण एकाधिकार स्थापित किये गये हैं, और नमकका एकाधिकार इसका एक स्पष्ट उदाहरण है।

५. यदि श्रमिकोंसे मतलब केवल शहरी मजदूरोंसे है तो ये तो विशाल भारतीय जनसागरमें बूंदके समान हैं। उनकी संख्या भारतमें २० लाख, अर्थात् कुल आबादीके १५०वें हिस्सेसे अधिक नहीं है। इसके अलावा ये तो ब्रिटिश प्रणालीकी देन हैं। देशी सरकारके अधीन उनकी स्थिति कैसी होगी, यह कहना कठिन है। बस, इतना ही कहा जा सकता है कि उनमें इस विदेशी सरकारकी अपेक्षा उस सरकारसे न्याय प्राप्त करनेकी अधिक क्षमता होगी, क्योंकि यह सरकार तो उनके हित-अहितकी ओरसे उदासीन भी हो सकती है। जहाँतक गाँवोंमें रहनेवाले श्रमिकोंकी विशाल संख्याका सम्बन्ध है, मेरा खयाल है, इन पृष्ठोंमें यह सिद्ध किया जा चुका है कि आज उनकी दशा जितनी खराब है उतनी खराब इस शासनकी स्थापनासे पहले कभी नहीं थी।

६. देशमें जब भी अकाल पड़ता है, वह पैसोंका अकाल होता है, अर्थात् लोगोंमें अपनी जरूरतका अन्न और कपड़ा खरीदनेकी क्षमता नहीं होती। इसलिए जब देशी सरकारके अधीन चरखेको पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जायेगा तब किसीको पैसेका आजका-सा अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि आज तो वे वर्षमें कमसे-कम चार महीने बेकार ही बैठे रहते हैं।

७. मुख्य अन्यायोंका उल्लेख मैंने इन पृष्ठोंमें प्रकाशित वाइसरायको लिखे अपने पत्रमें[1] कर दिया है।

८. भारत तो बस सीधी-सादी स्वतन्त्रता चाहता है। इसमें ब्रिटेन द्वारा सहायता देनेकी बातके लिए भी गुंजाइश है, बशर्ते कि वह सहायता भारतकी शर्तों पर दे।

मैं पत्र-लेखक भाईसे अपने इन निरपेक्ष कथनोंको स्वीकार करनेको नहीं कहता। अगर मेरे उत्तरसे उन्हें मेरे द्वारा लगाये गये आरोपोंका निष्पक्ष बुद्धिसे अध्ययन करनेकी प्रेरणा मिले तो इतना ही मेरे लिए काफी होगा। इस विषय पर बहुत-सारा साहित्य पड़ा हुआ है। 'यंग इंडिया' की फाइलोंमें काफी शिक्षाप्रद बातें पढ़ी जा सकती हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जो अंग्रेज भाई सत्यको जानना चाहें वे भारतीय साक्ष्यको, उसपर विचार किये बिना, खारिज न कर दें। यह तो स्वाभाविक है कि हम कैसा महसूस करते हैं और क्या चाहते हैं यह बात जितनी अच्छी तरह हम स्वयं जानते हैं उतनी अच्छी तरह कोई दूसरा नहीं जान सकता।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १०-४-१९३०

१. देखिए "पत्र: लॉर्ड इर्विनको", २-३-१९३०।

२०७. कुछ शर्तें

पूर्ण स्वराज्य पाना कठिन है और सहल भी। कठिन है, यदि हम कुछ करना ही न चाहे। सहल है यदि सारी जनता अपने धर्मको समझ जाये। यही बात हम हर चीजके लिए नही कह सकते। उदाहरणके तौरपर वेदाभ्यास। यह काम सबके लिए सहल नही है। इसके लिए बरसोका अभ्यास आवश्यक है। परन्तु स्वराज्यके लिए तो केवल हृदय-परिवर्तन ही आवश्यक है। क्योकि स्वराज्य हमारी जन्मसिद्ध सम्पत्ति है।

तब प्रश्न यह उठता है कि स्वराज्यके लिए वह कौन-सी शर्त है जिसका पालन सब कोई कर सकते है? सुनिए:

१ नमक-कानूनकी सविनय अवज्ञा सब कोई कर सकते है। इसमें किसी प्रकारकी शिक्षाकी आवश्यकता नही है। आठ गाँवके तमाम स्त्री-पुरुष तथा लडके-लडकियोने मेरे देखते हुए इस कामको कर बताया। इन लोगोने पहलेसे कोई तालीम नही पाई थी।

२. सब कोई तकलीपर सूत कात सकते है। पर चरखा सबको नही मिल सकता, क्योकि वह जरा खर्चीला है। तकली तो घर-घरमें बाँसकी भी बना ली जा सकती है। अथवा सर्वसाधारण उसे कुछ ही पैसोमें खरीद सकते हैं। अगर करोडो लोग तकली चलाना तथा रुई धुनना सीख ले तो जितनी चाहिए उतनी खादी बन सकती है। इस कामके लिए भी किसी लम्बी-चौडी तालीमकी जरूरत नही पडती। सिवा इसके, तकली तो फुरसतके वक्त चलानेकी चीज है। अतएव यदि लोगोके दिलमें यह बात बैठ जाये और उनका हृदय-परिवर्तन हो जाये तो करोडो स्त्री-पुरुष, बालक-बूढे इस कामको आसानीसे कर सकते है और उनके इस कार्यसे देशके कमसे-कम ६० करोड रुपये हर साल बच सकते है। हम सब विदेशी वस्त्रका त्याग करके सिर्फ खादी ही पहनें। क्योकि यही हमारे पहननेकी चीज है। अगर हमारे पास पैसे नही हैं तो हम थोडे कपड़ोसे अथवा सिर्फ एक लँगोटीसे भी अपना काम चला सकते है।

चूँकि यह लडाई आत्मशुद्धिकी है, इसलिए यदि हम शराब, अफीम, तमाखू आदिके व्यसनी है तो हमें आज ही इन व्यसनोको छोड देना चाहिए। ऐसे और भी कई काम हैं जिन्हे अगर चाहें तो हम सब कर सकते है। ऊपर मैंने इन कामोंके सिर्फ दो-एक उदाहरण ही दिये है।

स्वराज्य-प्राप्तिके लिए हिन्दू, मुसलमान और अन्य धर्मावलम्बियोका एक-दूसरेको भाई-भाई मानना और एक समान समझना जरूरी है। अस्पृश्यताके पापको समझकर उसे दूर करना और दलित भाई-बहनोसे प्रेम करना भी आवश्यक है। ये सब वस्तुतः स्वराज्यकी शर्तें नहीं हैं, पर तो भी स्वराज्यकी व्याख्याके अन्तर्गत अवश्य आती है। अब जब कि देशमें अद्भुत जागृति आ रही है, इन पंक्तियोके हरएक पाठकको चाहिए कि वह इस यज्ञमें यथाशक्ति बलिदान दे।

हिन्दी नवजीवन, १०-४-१९३०

२०८. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

दांडी
१० अप्रैल, १९३०

भाई घनश्यामदासजी,

आप लोगोंके इस्तीफासे[1] मुझको बहुत हर्ष हुआ है। यह पत्र रात्रीको दो बजे लिखवा रहा हुं। क्योंकि साथी लोक खबर लाये हैं कि आज ही मुझको उठा जायेंगे।

जमनालाल तो जेलमें[2] विराजमान हैं। नमकके युद्धमें, मद्यपान-निषेधमें और विदेशी वस्त्रके बहिष्कारमें जो-कुछ भी हो सकता है करोगे, यह मेरा विश्वास है।

पूज्य मालवीजी इस बारेमें दृढ़ रहेंगे तो बहोत सहारा मिल जायेगा।

गूजरातकी जागृति इस वख्त तो अवर्णनीय है। दैव जाने आगे क्या होगा। हम लोग सोचते थे वैसा ही हो रहा है।

और क्या लिखूं?

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ६१८३ से।
सौजन्य : घ० दा० बिड़ला

२०९. सन्देश : बम्बईके नागरिकोंको[3]

दांडी
१० अप्रैल, १९३०

कह नहीं सकता कि बम्बईके नागरिकोंका भरोसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वहाँ जमनालाल बजाज और नरीमानके जेल भेज दिये जानेके बावजूद नागरिकोंने पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाया है। बम्बईको नमक-कानून भंग करना चाहिए और वहाँके लोगोंको विशेषकर विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करना चाहिए और इस प्रकार विदेशी दासताकी बेड़ीको तोड़ना चाहिए। बम्बईके नेताओंको वहाँके मजदूरोंको मद्यपानकी बुराईसे छुटकारा दिलानेके लिए काम करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ११-४-१९३०

१. विधान सभासे।

२. जमनालाल बजाज जूहू, बम्बईमें गिरफ्तार किये गये थे और उनको दो वर्षकी सख्त सजा दी गई थी।

३. यह सन्देश बम्बईके दलालोंके एक शिष्टमण्डलको दिया गया था।

२१०. सन्देश : ब० प्र० का० कमेटीको

१० अप्रैल, १९३०

आबिदअली और मेहरअलीकी अभी हाल ही में हुई गिरफ्तारीपर मैं बम्बई कांग्रेस कमेटी और बम्बईकी जनताको बधाई देता हूँ। बम्बईके हर नागरिकका यह कर्त्तव्य है कि वे गिरफ्तार हुए व्यक्तियोका स्थान ले ले। नेताओकी गिरफ्तारीपर हमें घबराना नही चाहिए। राष्ट्रीय सप्ताहके दौरान लोगोमें जो उत्साह और जोश दिखाई दिया उससे पता चलता है कि नेताओकी गिरफ्तारीसे समस्त भारतके लोगोका उत्साह बढ़ गया है। मैं आशा करता हूँ कि बम्बईमें हुई हालकी गिरफ्तारियोसे बम्बईकी जनतामें वही उत्साह दिखाई देगा। हमें नमक बनाना चाहिए और केवल उसी नमकका उपयोग करना चाहिए। हम विदेशी कपडेका बहिष्कार करे और शराबकी बुराईको दूर करें। मैंने ये दोनो कार्य भारतकी स्त्रियोको सौंप दिये है। यदि हम विदेशी कपड़ेके बहिष्कारमें सफल होना चाहते हैं और मिलोपर, जो शुद्ध रूपसे देशी हैं, अधिकार प्राप्त करना चाहते है तो इन कार्योको केवल स्त्रियाँ ही कर सकती हैं। हमें खादीके प्रचार-कार्यमें लगे रहना चाहिए और यह तबतक सम्भव नही हो सकता जबतक हममें से हर कोई तकलीको न अपना ले।

[गुजरातीसे]

गुजराती १३-४-१९३०

२११. पत्र : मीराबहनको

१० अप्रैल, १९३०

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर खुशी हुई कि माताजी खतरेके बाहर हैं। यदि मद्य-निषेध अभियान कभी शुरू हुआ तो इसमें कुछ करना तुम्हारे लिए सम्भव हो सकता है। यदि हुआ तो यह स्वाभाविक रूपसे ही शुरू होगा। अधिक लिखनेके लिए समय नही है।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३९१) से; सौजन्य : मीराबहन;
जी० एन० ९६२५ से भी।

२१२. पत्र : अब्बास तैयबजीको

दांडी
१० अप्रैल, १९३०

प्रिय भुर्र्र्र,

आपका प्यारा पत्र मिला। तो कसौटीका समय आनेपर आपने अपने लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम बनाया है। ईश्वर करे, आप सदा जवान बने रहें।

दादूभाईके व्यवहारसे बड़ा दुःख हुआ और आश्चर्य भी। लेकिन खेड़ाने तो चमत्कार कर दिखाया है। दरबार और अन्य लोगोंको बेड़ियाँ पहनाई गईं और उनके सिर मुंड़वा दिये गये — जरा सोचिए तो! यह एक तरहसे अच्छी खबर है और दूसरी तरहसे बुरी भी। अच्छी इस तरह कि इससे लोगोंको और अधिक प्रयत्न करनेके लिए साहस प्राप्त होना चाहिए और बुरी इस तरह कि मानव-स्वभाव इतना पतित हो सकता है, यह देखकर मनको क्लेश होता है। लेकिन यह प्रणाली ही ऐसी है। हमें या तो इसे समाप्त करना है या इसे समाप्त करनेके प्रयत्नमें खुद मिट जाना है।

श्रीमती अब्बासने मुझे एक बहुत अच्छा पत्र लिखा है।

सदा आपका ही,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ९५७०)की फोटो-नकलसे।

२१३. पत्र : नारणदास गांधीको

१० अप्रैल, १९३०

चि० नारणदास,

नमक-कानून भंग करनेकी खातिर भी नमकको चोरी-छिपे नहीं लाया जा सकता। जो साधन अपने-आपमें ही दोषयुक्त हों उनके द्वारा हम सत्याग्रह कैसे कर सकते हैं?

सूरत जिलेसे मिली रकम तो काफी बड़ी थी, लेकिन जान पड़ता है कि वह सारी रकम प्रान्तीय कमेटीके पास चली गई है।

इस सम्बन्धमें महादेवके साथ बातचीत करना। मैं महादेवको लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११४७६)की फोटो-नकलसे।

२१४. पत्र : महादेव देसाईको

दाडी
१० अप्रैल, १९३०

चि० महादेव,

तुम्हारा पत्र मिला। चूँकि कल्याणजी ऐसी खबर लाये थे कि मैं आज ही पकड़ा जानेवाला हूँ इसलिए मैं सारी रात जागता रहा और इस समय मुझे कभी झपकी लग जाती है, कभी सचेत हो जाता हूँ, कभी लिखने लगता हूँ तो कभी सो जाता हूँ। ऐसे ही चल रहा है।

लगता है, देवदास पकड़ा गया। तुम अभीतक पकड़े नहीं गये, यह आश्चर्यकी बात है। कालेज और अदालतोंके आगे धरना देना मैं बहुत खतरनाक बात समझता हूँ। काकाको मैंने सब-कुछ समझा दिया है। जो विद्यार्थी मैट्रिककी परीक्षामें नहीं बैठना चाहते वे भले ही न बैठें। लेकिन मेरी सलाह है कि वे परीक्षा-भवनके आगे धरना न दें। शराब और विदेशी वस्त्रोंकी दूकानोंकी बात अलग है।

टुकड़ीको किस तरहसे बाँटा जाये, इस विषयपर मैं विचार कर रहा हूँ। १३ तारीख तक मैं केवल उतने ही लोगोंको भेजनेका इरादा रखता हूँ जितनोंकी आवश्यकता होगी।

आज इससे अधिक लिखनेको कुछ नहीं जान पड़ता।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

सूरत जिलेमें बाहरसे जो पैसे आये वे भी प्रान्तीय कमेटीको चले गये हैं। मेरा तो अभी यही विचार है कि फिलहाल सारे पैसे नारणदासके पास रहे। यही उचित जान पड़ता है। लेकिन जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना। इस बारेमें काकाको भी समझाया तो है।

गुजराती (एस० एन० ११४७५)की फोटो-नकलसे।

२१५. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

१० अप्रैल, १९३०

चि० प्रेमा,

शराब-बन्दी और विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके मेरे मतके बारेमें तेरे क्या विचार हैं?

तेरे पत्र तो मिले ही हैं; मुझे लिखती ही रहना। धुरन्धर[1] अच्छा आदमी मालूम होता है। कमलादेवी भी मुझे बहुत पसन्द आई है। उनकी लड़कीको आबहवा अनुकूल आई तो रहेंगी, ऐसा कहती है। तू उन्हें रखनेकी कोशिश करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६६६८)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक

२१६. पत्र : लीलावतीको

१० अप्रैल, १९३०

चि० लीलावती,

तेरा पत्र मिला। कवायदमें तेरा नाम नहीं लिया जायेगा; लेकिन समय आने पर लड़ाईमें तो तुझे लेना ही होगा न? वे तुझे लड़ाईमें शामिल करेंगे। जिनमें श्रद्धा है, उन्हें सेवाका अवसर मिलता ही रहता है। तू घबराना नहीं; कब्ज और मासिक धर्मकी दवा गंगाबहनसे लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९३१६)की फोटो-नकलसे।

१. बम्बईसे प्रकाशित होनेवाले मराठी दैनिक नवाकालके सहायक सम्पादक। वे सत्याग्रहीके रूपमें दांडी कूचमें शामिल हो गये थे।

२१७. पत्र : प्रभावतीको

दांडी
१० अप्रैल, १९३०

चि० प्रभावती,

तेरे पत्रका उत्तर मैं दे चुका हूँ। अब तो तुम दोनोंने बात कर ही ली होगी। मेरे आज ही पकड़े जानेकी अफवाह जोरो पर है; इसलिए मै अधिक नही लिखता। ईश्वर तुम दोनोका कल्याण करे, तुमको दृढ़ता प्रदान करे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३६४)की फोटो-नकलसे।

२१८. पत्र : रुक्मिणी बजाजको

दांडी
१० अप्रैल, १९३०

चि० रुक्मिणी,

तुम्हारे दो पत्र मिले। मेरे पास लम्बा पत्र लिखनेका समय नही है। तू सुखी है, इसलिए मुझे सन्तोष है। वहाँ 'नवजीवन' आदि तो आते होंगे। रामदास जेल चला गया है। देवदास गिरफ्तार हो गया है। जमनालालजी, किशोरलालभाई जेल गये। ऐसे तो सैकडो चले गये है। लोगोके उत्साहकी कोई सीमा नही है।

जिस तरह दूधमें चीनी घुल-मिल जाती है उसी तरह मुझे विश्वास है, तू लोगोसे घुल-मिल जायेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९०४८)की फोटो-नकलसे।

२१९. पत्र : जयसुखलाल गांधीको

दांडी
१० अप्रैल, १९३०

चि० जयसुखलाल,

मैं तुम्हारे पत्रकी वाट जोह रहा था। तुम्हें जो खुराक अनुकूल आई है वही खुराक औरोंको भी अनुकूल आयेगी इसे मैं मुश्किल मानता हूँ। तुम वहाँ पड़े-पड़े खादी तैयार करवाते रहो, यह भी एक महत्त्वपूर्ण काम है। जब मुझे तुमको नमक-यज्ञमें होम करनेकी जरूरत महसूस होगी, तब तुम्हें होम देनेमें मुझे तनिक भी देर नही लगेगी। रोज मेरे पकड़े जानेकी अफवाह उड़ती है, लेकिन मै पकड़ा ही नहीं जाता। वे लोग मुझे पकड़ें या न पकड़ें, मेरे लिए दोनों एक समान हैं। यह बात सच है कि शिवाभाई यहाँ 'सत्याग्रह समाचार' प्रकाशित करते है। मेरे खयालमें उसकी एक ही प्रति निकलती है और अन्तमें उसका सार-संक्षेप 'नवजीवन'में प्रकाशित तो होता ही है। उमिया जबसे अजमेर गई है तबसे उसने मुझे कोई पत्र नही लिखा। अब चूँकि उसे वहाँ रहनेकी आदत पड़ गई है इसलिए वह मुझे पत्र लिखनेकी जरूरत महसूस नहीं करती। रुखी भी सुखी जान पड़ती है।

बापूके आशीर्वाद

भाईश्री जयसुखलाल गांधी
खादी कार्यालय
छलाला
काठियावाड़

गुजराती (एम० एम० यू० ३–७३) की माइक्रोफिल्मसे।

२२०. पत्र : बनारसीलाल बजाजको

१० अप्रैल, १९३०

चि० बनारसी,

तुमारे दोनों पत्र मीले भी। तुम दोनों खुश हो तो मुझे परम संतोष है। तुम दोनोंको ईश्वर चिरायु करे और सेवा-कार्यके लिए प्रेरित करे।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ९३०२ से।
सौजन्य : बनारसीलाल बजाज

२२१. भाषण: स्वयंसेवकोंके समक्ष

जलालपुर
१० अप्रैल, १९३०

आज सुबह अपने स्वयंसेवकोंके समक्ष बोलते हुए महात्मा गांधीने कहा कि जल्दी ही आपको कसौटीका समय आ रहा है। लेकिन गिरफ्तार होनेके लिए अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। आपको पुलिसकी किसी कार्रवाईसे उत्तेजित होकर कोई भी जल्दबाजी-भरा कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर अधिकारीगण कहीं "अपना आपा खो बैठें और जनताको आतंकित करें" तो आपको वहाँ जाकर उन लोगोंके सामने धैर्य और शान्ति तथा अविचल भावसे कष्टसहनका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

आपसे मेरा यही अनुरोध है कि जिस ढंगसे जनरल डायरने समूचे राष्ट्रका अपमान किया, वैसा अपमान बरदाश्त करनेके बजाय आप मर मिटनेको तैयार रहें।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ११-४-१९३०

२२२. भेंट: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको

१० अप्रैल, १९३०

आटमें दिये मेरे भाषणकी 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में छपी रिपोर्टकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है। इसमें तो कुटिलतापूर्वक भाषणको तोड़-मरोड़कर छापा गया है। मैंने देखा कि एक व्यक्तिसे पुलिसके पाँच जवान नमक छीननेकी कोशिश कर रहे हैं और उस छीना-झपटीमें उस व्यक्तिकी कलाईपर कुछ चोट आ गई है। इसपर मैंने कहा कि सत्याग्रहियो द्वारा उठाया गया नमक भारतकी प्रतिष्ठाका प्रतीक है और सत्याग्रहियोसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्राण देकर भी उसकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करेंगे। मैंने कहा कि लोग तबतक नमकको अपने-अपने हाथोंसे अलग न होने दें जबतक कि वे अपने साथ की जानेवाली जोर-जबरदस्तीको बरदाश्त कर सकें और यदि पुलिसकी मार-पीटके कारण इन अरक्षित और निरीह लोगोके शरीरसे खून भी बह चले तो वे इसकी परवाह न करें। मैंने आगे यह भी कहा कि इस प्रकार नमक छीने जानेका विरोध करते हुए लोगोंको मनमें कोई दुर्भावना नही रखनी चाहिए और न उन्हें क्रोधित ही होना चाहिए। मैंने उन्हे गाली-गलौज भी न करनेकी सलाह दी। अनावश्यक चोटोसे बचनेके लिए मैंने उन्हें यह सलाह दी कि वे अपने हाथमें मुट्ठी-भर ही नमक लें, जिसे वे अपनी मुट्ठीमें बाँधकर रख सकें। मैंने स्त्रियो और बच्चोको भी, अगर उनमें साहस हो तो, इस सघर्षमें भाग लेनेके

लिए आमन्त्रित किया और पुलिसको चुनौती दी कि अगर वे चाहें तो इन स्त्रियों और बच्चोंपर हाथ डालें। मैंने कहा था कि यदि पुलिसने स्त्रियों और बच्चोंपर हाथ डाला तो सारे भारतकी भावना भड़क उठेगी और देशके सभी लोग इन स्त्रियों और बच्चोंके ही समान कष्ट-सहनके लिए आगे आ जायेंगे। मैंने भारतीय जनतासे इस प्रकारके अपमानकी प्रतिक्रिया-स्वरूप सविनय अवज्ञाके अन्य तरीके अपनानेकी अपेक्षा करके यह बात कही थी। मेरी अपेक्षा यह थी कि विद्यार्थी स्कूलोंका बहिष्कार करेंगे और सरकारी नौकर विरोध-स्वरूप अपनी-अपनी नौकरियाँ छोड़ देंगे। इसमें अहिंसा-धर्मसे विचलित होनेका कोई सवाल ही नहीं उठता, और सत्याग्रहियोंसे इस प्रकार नमक छीनना मैं बर्बरता मानता हूँ। सरकार जितनी अधिक बर्बरता करेगी मैं लोगोंको खुशी-खुशी कष्ट-सहनके लिए उतना ही अधिक आमन्त्रित करूँगा।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ११-४-१९३०

२२३. भेंट : 'हिन्दू' के प्रतिनिधिको

जलालपुर
१० अप्रैल, १९३०

मैंने महात्माजी से 'रक्षात्मक अहिंसक प्रतिरोध' की परिभाषा करनेका अनुरोध किया। बात यह थी कि महात्माजी ने ऐसी सलाह दी थी कि जबतक पुलिस अपनी ताकतके बूतेपर नमक छीन न ले तबतक स्वयंसेवकोंको अपने हाथसे नमकको नहीं जाने देना चाहिए। अतएव मैंने उनसे पूछा: "क्या स्वयंसेवकोंको नमकको जैसे भी हो, अपनी मुट्ठीमें बाँधे रखनेके लिए पुलिससे जोर-आजमाई करनेकी छूट है? अर्थात् क्या वे नमकको अपने हाथसे न जाने देनेकी कोशिशमें अपने शरीरको इधर-उधर घुमाते रह सकते हैं, जिससे हो सकता है, उनके विरोधीको कुछ चोट भी आ जाये?" इसपर महात्माजी ने कहा:

नमकको अपने प्राणोंके समान मूल्यवान मानकर उससे चिपटे रहना स्वयंसेवकोंका कर्त्तव्य है, बशर्ते कि वे वैसा करते हुए अपने विरोधीपर हाथ न उठायें। यदि किसी स्त्रीसे कोई उसका बच्चा छीनना चाहे तो वह जिस प्रकार उससे अपने बच्चेको बचानेकी कोशिश करेगी, उसी प्रकार सत्याग्रहियोंको भी नमकको अपने हाथसे न जाने देनेकी कोशिश करनी चाहिए।

गांधीजी ने आगे कहा कि किसी भी सभ्य देशमें यह उचित नहीं समझा जाता कि पुलिस कानूनको अपने हाथोंमें ले। जब कोई स्वयंसेवक अपना नमक पुलिसके हाथोंमें सौंपनेसे इनकार करता है तो वह एक जुर्म तो करता है, लेकिन उसके लिए पुलिसको उसे शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए। पुलिस-अधिकारियोंको स्वयंसेवकोंको गिरफ्तार करके थाने ले जाने और उसे अदालतके सुपुर्द कर देनेका ही अधिकार है।

फिर मैंने पूछा कि तब फिर पुलिस-अधिकारियोंको जो नमक छीननेका कर्त्तव्य सौंपा गया है, उसे वे कैसे पूरा करेंगे? इसपर गांधीजी ने कहा कि इसी तरहके कानूनके खिलाफ तो मेरी लड़ाई है।

इसके बाद महात्माजी के इस कथनका प्रसंग छिड़ गया कि यदि पुलिस स्त्रियोंको हाथ लगायेगी तो सारे देशकी भावना भड़क उठेगी, बशर्ते कि जनता बिलकुल नपुंसक ही न हो। मैंने बताया कि इस कथनको स्त्रियोंके वैधानिक रीतिसे गिरफ्तार किये जानेके खिलाफ एक धमकी मानकर इसकी आलोचना की गई है।

इसपर महात्माजी ने हँसते हुए कहा कि मैंने जान-बूझकर यह कहा था कि यदि वैसी कठिन परिस्थिति आ गई तो देशकी भावना भड़क उठेगी, लेकिन उसका परिणाम अनिवार्यतः हिंसात्मक कार्रवाई करना ही तो नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा :

जब डॉ० एनी बेसेंटके गिरफ्तार किये जानेपर श्री एस० सुब्रह्मण्य अय्यरने अपनी उपाधियोंका त्याग कर दिया था तब उनकी भावना ही तो भड़क उठी थी, लेकिन इसके कारण उन्होने कोई हिंसा तो नही की। मेरा मतलब इसी अर्थमें भावनाके भड़कनेसे था।

फिर एक समाचार एजेंसी द्वारा प्रचारित इस खबरका प्रसंग आ गया कि महात्माजी ने स्वयंसेवकोंके लिए जो आहार निर्धारित किया है, उसको लेकर वे उनके खिलाफ विद्रोह कर उठे हैं। उन्होंने इस बातपर हँसते हुए कहा :

आहारमें क्या-क्या रखा जाये, यह तय करनेमें कुछ कठिनाई जरूर सामने आई थी, लेकिन जब एक बार मैंने आहार तय कर दिया तो उसे सभीने चुपचाप स्वीकार कर लिया।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ११-४-१९३०

२२४. भाषण : अबरामाकी सार्वजनिक सभामें[1]

१० अप्रैल, १९३०

मुझे सूचना मिली थी कि कल रात मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा और इसीलिए मैंने रातको ११ बजेतक बैठकर कुछ चिट्ठियाँ लिख डाली और लिखनेका कुछ और भी जरूरी काम पूरा कर लिया। रात बीत गई और वह सब नही हुआ जिसकी आशा की जा रही थी। मैंने समाचार-पत्रोंमें आज पढा है कि नमककी कीमत लगभग आधी हो गई है। लेकिन मेरा कहना तो यह है कि नमक की कोई कीमत ही क्यों हो?

१. लगभग ५,००० ग्रामीण लोगोंने इस सभामें भाग लिया था।

इसके बाद गांधीजी ने पूर्ण नशाबन्दी और खद्दरके प्रचारकी आवश्यकतापर जोर दिया।

अपना भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कई पत्रों — विशेषकर 'टाइम्स' में मेरे भाषणोंके विवरण तोड़-मरोड़कर दिये जा रहे हैं। ये पत्र-प्रतिनिधि देशका बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित एक विवरणका मुझे खण्डन करना पड़ा। उसमें विचारोंको बिलकुल तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था। यह कहना गलत होगा कि सभी पत्र-प्रतिनिधि ऐसा ही करते हैं। लेकिन अधिकांश ऐसे हैं, अथवा मैं यह कहूँगा कि वे मेरी ग्रामीण भाषा नहीं समझ पाते। मैं रिपोर्टरोंको कभी बुलाता नहीं, परन्तु यदि समाचार-पत्र उन्हें भेजना ही चाहते हैं तो उन्हें ऐसे प्रतिनिधि भेजने चाहिए जो मेरी भाषा जानते हों। अज्ञानी रिपोर्टर मेरा तथा मेरे उद्देश्यका भी अहित करते हैं। अहिंसाका सिद्धान्त मेरे लिए नया नहीं है, कमसे-कम पिछले पन्द्रह वर्षोंसे मैं इसपर जोर देता आ रहा हूँ। कोई यह न सोचे कि उम्र अधिक होने [illegible]रण मेरी मति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि मैं हिंसाको भड़काकर जेल जाना चाहता हूँ। जेल जानेके लिए भी मैं किसीके अहितकी कामना नहीं कर सकता। जो-कुछ मैंने कहा था वह केवल यह कि लोगोंको अपनी मुट्ठीका नमक नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे इसके कारण उन्हें गम्भीर चोटें ही क्यों न सहनी पड़ें। यह बात अहिंसाके विपरीत नहीं है। दिल्लीसे प्राप्त एक तारमें मुझे सूचना दी गई है कि चार स्वयंसेवकोंको इतना पीटा गया कि वे बेहोश हो गये। सरकारने अपना खेल दिखाना आरम्भ कर दिया है। यह तो अभी उसकी शुरुआत ही है। मगर इसके कारण हमें अपने कर्त्तव्यसे विमुख नहीं होना चाहिए। यह बहुत शर्मकी बात है कि सरकार महिलाओंको भी गिरफ्तार कर रही है। मैं संसारको दिखा देना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई ऐसी है, जिसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ११-४-१९३०

२२५. तार : एन० सी० केलकरको[1]

११ अप्रैल, १९३०

आपका तार मिला। आपके त्यागपत्र देकर सत्याग्रहका सगठन करनेके निश्चयके बारेमें जानकर अतीव प्रसन्नता हुई। मेरे स्वास्थ्यके बारेमें छपी खबरें बिलकुल अतिरंजित है। आज प्रातःकालीन सार्वजनिक सभामें भाग लेने सात मील दूर गया।

गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १६-४-१९३०

२२६. पत्र : रेहाना तैयबजीको

दाडी
११ अप्रैल, १९३०

प्रिय रेहाना,

तुम्हारा पत्र मिला।

मैं चाहूँगा कि रविवारको तुम, माताजी तथा अन्य लोग यहाँ आयें। मैं महिलाओ द्वारा शराब और विदेशी वस्त्रोंकी समस्याओंके समाधानमें हाथ बँटानेके औचित्य और सम्भावनापर विचार करनेके लिए गुजरातकी महिलाओंका एक सम्मेलन कर रहा हूँ।

तुम जो सन्देश चाहती हो, दे रहा हूँ।

कमलादेवीने मेरे पत्रके[2] उत्तरमें एक बहुत सुन्दर पत्र लिखा है। वह यह रहा। तुम चाहो तो इसे पढ़कर फाड़ देना।

माताजी के मान जानेकी पूरी आशा है, क्योंकि वे झेंप भी सकती हैं। यह अच्छा लक्षण है।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० ९६१६)की फोटो-नकलसे।

१. यह एन० सी० केलकरके निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था: "दिल्लीसे विधान सभाका काम करके लौटनेके तुरन्त बाद मैंने महाराष्ट्र नेशनल पार्टीकी एक सभा की और अब मैंने महाराष्ट्रमें नमक कानूनकी सविनय अवज्ञाका संघर्ष प्रारम्भ करने और उसका संगठन करनेका निश्चय किया है। अखबारोंमें खबर छपी है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कृपया तार द्वारा उत्तर देकर चिन्ता-मुक्त करें।"

२. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

२२७. पत्र : महादेव देसाईको

दांडी
११ अप्रैल, १९३०

चि० महादेव,

तुमने ढाई सौ रुपयेके पुरस्कारके बारेमें पूछे गये प्रश्नका जो उत्तर दिया, सो ठीक ही किया। लेकिन यदि हमने ढाई सौ रुपया पाया है तो भी हम इसका जवाब किसलिए दें? यदि जवाब न देने पर हम पर मुकदमा चलाया जाता है तो इससे हमारा रास्ता और भी साफ होता है?

यदि परिषद्में नन्दूबहन, सरलाबहन आदि आयें तो अच्छा होगा। रणछोड़भाईसे तो तुम कहना कि वे मोतीबहनको भेजें और साथमें खुद भी आना चाहें तो आयें।

नवसारीसे आनेवाली मोटरोंको वे आज रोक रहे हैं। गायकवाड़[राज्य] की सीमासे आनेवाली सभी मोटरोंको रोक रहे हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११४७७)की फोटो-नकलसे।

२२८. पत्र : नारणदास गांधीको

दांडी
११ अप्रैल, १९३०

चि० नारणदास,

मैं १३ तारीखको दांडीमें बहनोंका एक छोटा-सा सम्मेलन बुलानेका इरादा रखता हूँ। इसमें वहाँसे जो बहनें आना चाहें और जिन्हें कामसे छुट्टी दी जा सकती हो उन बहनोंको भेजना। खर्च सत्याग्रह-कोषसे निकालना। जिनके पास अपने पैसे हैं वे अपने खर्चपर आयें। यदि खुर्शीदबहन आना चाहे तो उसे किरायेके पैसे देनेकी बात कहना। वह तो कदाचित् इनकार कर देगी। अगर शालीनताके साथ कह सको तो कहना। सम्मेलनमें केवल मद्यपान-निषेध और विदेशी वस्त्र-बहिष्कारके बारेमें ही विचार करना है। लगता है यह काम खुर्शीदबहनको पसन्द नहीं है। मतलब यह कि वह इन कार्यों को स्त्रियोंके लिए निर्धारित विशेष कामके रूपमें नहीं अपनाना चाहती। इसलिए हो सकता है वह न आये।

पुरुषोत्तम कैसा रहता है? कनु क्या करता है? किस तरहसे अपना समय व्यतीत करता है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०९८)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

२२९. पत्र : नारणदास गांधीको

दांडी कूचके दौरान
[११ अप्रैल, १९३०][1]

चि० नारणदास,

मैं नाम नही चुन सकता। जो बहनें विशेष रूपसे ये दोनो काम करना चाहती हो और उनमें से जिन्हे तुम कामसे मुक्त कर सकते हो, केवल वही आयें। इस बातपर तुम्ही विचार कर सकते हो। उत्साहके कारण यदि सब बहनें आना चाहें तो यह एक अलग बात है। इस मामलेमें हमें तो सयमसे ही काम लेना होगा।

व्रजकृष्ण और कृष्णदास यहाँ पहुँच गये है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०९९)से।
सौजन्य : नारणदास गाधी

२३०. पत्र : महादेव देसाईको

शुक्रवार, ११ अप्रैल, १९३०

चि० महादेव,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने मेरा पत्र नारणदासको नही दिया, सो ठीक किया। लेकिन यदि अब दोगे तो भी कोई हर्ज नही होगा; क्योकि मेरा उत्तर तो उचित ही है। जब हम छिपाते नही है तब 'स्मगलिंग' (तस्करी) नही होती। 'स्मगलिंग' तो तभी होती है जब लोगोका छिपानेका इरादा हो। इसलिए तुम जो आन्दोलन चला रहे हो, वह ठीक है। नमक लानेवालेको भी अन्तत· यह प्रकट कर देना चाहिए कि वह नमक कहाँसे लाया है? यदि कोई व्यक्ति डाकसे नमक मँगवाना चाहे तो क्यो नही मँगवा सकता?

१. पत्रमें विषयका आरम्भ एकाएक किया गया है जिससे लगता है कि यह पत्र पिछला पत्र लिखनेके बाद उसी सन्दर्भमें, उसके पूरकके रूपमें लिखा गया था। इसके सिवा यह उन बहनोंको ध्यानमें रखकर लिखा गया था जो १३ अप्रैलको होनेवाले महिला सम्मेलनमें उपस्थित होना चाहती थीं। अतः इसकी लेखन-तिथि ११ अप्रैलके बादकी नहीं हो सकती।

वकीलोंकी बात समझमें आई। सिर्फ एक ब्रोकरके अपना धन्धा छोड़ देनेसे बात नहीं बननेवाली है। मुझे भय है, वकील लोग अभी एकदम तो अपना धन्धा नही छोड़ेंगे। लेकिन यदि विद्यार्थी शालाएँ छोड़ दें तो वह काफी होगा। मृदुको बधाई।

दादूभाईके प्रति मेरा मोह छूट गया है। अब्बास साहब लिखते हैं कि उनसे बड़ौदा जानेके लिए दादूभाईने ही कहा था। किन्तु उसने लौटनेसे इनकार कर दिया। दादूभाईने उनके साथ जानेसे भी इनकार कर दिया। लेकिन मनुष्य क्या करे? अपने स्वभावको कौन जीत सकता है? इसलिए जो हाथ लग जाये उसीसे हमें सन्तोष मानना चाहिए।

दिल्लीमें तो खूब हुआ। हर जगह नया रंग है। बंगालमें अतुल सेनकी हड्डी टूट गई जान पड़ती है।

लगता है, दिल्लीमें महिलाओंने विदेशी वस्त्रकी दुकानोंपर धरना दिया है।

अब रविवारके दिन महिलाओंका सम्मेलन दांडीमें करनेका निश्चय किया गया है। उस सम्बन्धमें मैंने नारणदासको जो पत्र लिखा है उसे पढ़ लेना।

इसके साथके पत्रोंको पहुँचानेमें भूल नहीं होनी चाहिए।

तुम आराम करते हुए काम करना। जो काम दूसरोंसे हो सके उसे उन्हें सौंपते जाना।

मैं अभी-अभी मटवाडसे लौटा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११४७८)की फोटो-नकलसे।

२३१. पत्र : शिवानन्दको

दांडी
११ अप्रैल, १९३०

भाईश्री शिवानन्द,

तुम्हारा पत्र मिलनेसे पूर्व ही फूलचन्द आदिके बारेमें समाचार मुझे मिल चुका था। शारदाबहन आनन्दसे होंगी। जो हमने चाहा हो यदि वह मिले तो उसका दुःख नहीं होता। उस तरफ यदि किसी स्वयंसेवककी जरूरत पड़े तो तुम महादेवसे कहना, वे मुझे लिखेंगे। महादेव जेलमें हों तो सीधे मुझे पत्र लिखना।

क्या शारदाबहन नये आन्दोलनमें शामिल होंगी?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८४१)की फोटो-नकलसे; सौजन्य : फूलचन्द शाह; जी० एन० ९२०३ से भी।

२३२. पत्र : चिमनलालको

दांडी
११ अप्रैल, १९३०

चि० चिमनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला था। तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, यह जानकर मुझे खुशी हुई। तबीयत ठीक होनेका कारण बीजापुरकी आबोहवा थी या चिन्ताके बोझका कम होना अथवा दोनों ही? यदि आबोहवाके कारण ही यह सम्भव हुआ हो तो तुम्हें समय-समयपर बीजापुर जाना चाहिए और इस तरह अपने स्वास्थ्यमें सुधार करना चाहिए। ऐसा करनेसे तुम्हारा शरीर ठीक हो जायेगा। तुम मेरे साथ नही हो, इस बातका तो तुम्हें दुःख नही करना चाहिए। सहज ही जो कार्य हमारे जिम्मे आ जाये, यदि हम उसे पूरी तन्मयताके साथ कर ले, तो इतने-भरसे ही हम अपने कर्त्तव्यका पालन कर लेते हैं।

आधे सिरके दर्दके लिए तुम्हें हलकी खूराक खानी चाहिए और जब दर्द शुरू हो जाये तब रातको सिरपर मिट्टीकी पट्टी रखनी चाहिए; इससे लाभ होगा। ऐसे मामलोंमें मेरा यह पूर्णतया सफल प्रयोग है। आशा है, बबूको श्वासका कष्ट नही हो रहा होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० जी० ६) की फोटो-नकलसे।

२३३. पत्र : ब्रजकृष्ण चांदीवालाको

दांडी
११ अप्रैल, १९३०

चि० बृजकृष्ण,

तुम्हारा खत आया है। घरवालोंके साथ इस तरहसे संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। आज तो सिर्फ विनय करो। इस वकत तो कुछ वहाँ[1] जानेका भी नही है। विदेशी वस्त्रके संपूर्ण बहिष्कारका समय अपने-आप आ रहा है उस समय लोग स्वयं विलायती कपड़ा छोड़ देंगे। तुमने शरीर-प्रकृतिके हाल इस बार नहीं बताये है। बीजापुरमें अगर कुछ काम नही है तो यहां आ जाओ यहांकी आबोहवा बहुत ही अच्छी है। मकान समुद्रके सामने ही है इसलिये दिन-रात ठंडी हवा रहती है। नवसारी

१. दिल्ली।

स्टेशनसे १० मील दूर डांडी मुकाम है। मुझको पकड लें, और मैं यहांसे छावनी उठा लूं तो भी तुमको रहनेमें कोई मुसीवत नही होगी।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २३७९ की फोटो-नकलसे।

२३४. पत्र : सीतलासहायको

दांडी
११ अप्रैल, १९३०

भाई सीतलासहाय,

तुम्हारे पत्रका उत्तर देरसे जा रहा है। कालाकांकरके भाईको नमक बनानेके लिए भेजे जायं भले वे जेल[1] चले जायं। काम तो सब जगह बहुत अच्छा चल रहा है। अधिक लिखानेका समय नही है।

बापुके आशीर्वाद

श्रीयुत सीतलासहाय
द्वारा सत्याग्रह कमेटी
रायबरेली (सं० प्रा०)

जी० एन० ८६८४ की फोटो-नकलसे।

२३५. वक्तव्य : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके लिए

जलालपुर
११ अप्रैल, १९३०

अखबारोंमें इस आशयका अनधिकृत समाचार छपा है कि मैं जहां चाहूँ, वहाँ जा सकूंगा। इस समाचारके आधारपर मुझे भारतके अनेक हिस्सोंसे कई निमन्त्रण मिले हैं, जिनसे मैं अटपटी स्थितिमें पड़ गया हूँ। मेरा कहीं भी जानेका इरादा नही है। जहांतक सम्भव है, मैं अपना पूरा ध्यान गुजरातपर ही केन्द्रित करना चाहता हूँ, और यदि मेरा स्वास्थ्य वैसा ठीक रहा तो अगले सप्ताह मैं गुजरातके उन हिस्सोंमें जानेकी फुरसत निकाल लूँगा जहाँ जाना आवश्यक है। हो सकता है, मै वम्बईतक जाऊँ, लेकिन उससे आगे नही जाऊँगा।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १२-४-१९३०

१. कालाकांकरके राजा साहबके भाई कुँवर सुरेशसिंहको जून १९३० में गिरफ्तार कर लिया गया था।

२३६. सन्देश : हंसा मेहताके लिए

[१२ अप्रैल, १९३० के पूर्व]

श्रीमती हंसा मेहतासे[1] कह दीजिए कि बम्बईकी महिलाओंको बम्बई नगरमें शराबबन्दीके लिए तत्परतासे जुट जाना चाहिए। यह पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्तिमें उनका योगदान होगा। इससे न केवल दुनियाकी सबसे गरीब औरतोंके करोड़ो रुपयोंकी बचत होगी, बल्कि यह भारत द्वारा पूर्ण स्वतन्त्रताकी प्राप्तिकी दिशामें एक रचनात्मक कदम होगा। इस संघर्षमें भारत अपने यहाँकी प्रत्येक स्त्रीसे अपने कर्त्तव्यके पालनकी अपेक्षा रखता है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-४-१९३०

२३७. बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षको लिखे पत्रका अंश

[१२ अप्रैल, १९३० के पूर्व]

मुझे मालूम है बम्बईका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। सच तो यह है कि सम्पूर्ण देश आशासे कहीं अधिक कष्ट सहन कर रहा है। पर अभी असली परीक्षा बाकी है। यदि देश उस आँचको बिना बदलेका भाव और दुर्बलता दिखाये सह लेगा तो फिर स्वराज्यका रास्ता साफ है। हमें आशा करनी चाहिए कि हमारा आरम्भ जैसा श्रेष्ठ रहा है अन्त भी वैसा ही श्रेष्ठ रहेगा।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-४-१९३०

१. बम्बईके कांग्रेसी नेता डा० जीवराज मेहताकी पत्नी।

२३८. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

दांडी
१२ अप्रैल, १९३०

चि० व्रजकृष्ण,

तुमारा तार मीला है। मैं तो प्रातःकालमें देहातोंमें गया था। तार भेजनेका कह दीया था परंतु प्यारेलाल भूल गया इससे तार नहिं गया। अब दोगुना खर्च करके तार नहिं भेजुंगा। मेरा कलका पत्र पढ़कर देखो क्या उचित होगा। यहां आना है तो आ जाओ और दिल्ही जाना उचित लगे तो दिल्ही जाओ।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २३८० की फोटो-नकलसे।

२३९. पत्र : नानुभाई दवेको

दांडी
१२ अप्रैल, १९३०

भाईश्री नानुभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने जो विवरण दिया है वह हृदयद्रावक है। लेकिन उसे सहन करनेमें ही हमारी विजय निहित है, ऐसा जानकर मैं शान्तिका अनुभव करता हूँ। तथापि यदि दमनका यह चक्र इसी तरह चलता रहा तो हमें वर्तमान आन्दोलनसे भी अधिक तीव्र किसी आन्दोलनको खोज निकालना होगा और इस तरह अपने आपको और भी दुःखमें डालना होगा। मुझे समय-समय पर ब्योरेवार समाचार लिखते रहना। तुम जो लिखो वह ऐसा होना चाहिए जिसे सिद्ध किया जा सके। इन तथ्योंसे ही मैं समाधानका कोई रास्ता निकाल सकूंगा। ऐसे अत्याचार करनेवाले अधिकारियोंके नाम भी यदि तुम्हें मालूम हो सकें तो लिख भेजना। जिन व्यक्तियों पर मार पड़ी हो, उनके नाम तथा डाक्टरी जाँचका परिणाम भी लिख भेजना।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० १६७९५) की फोटो-नकलसे।

२४०. गिरफ्तारियाँ और जंगली न्याय

कहा जा सकता है कि गुजरातने हमारी लाज रख ली है। गुजरातके गाँव सविनय अवज्ञाके लिए मैदानमें आ गये है। स्त्री, पुरुष और बालक इसमें हाथ बँटा रहे हैं। नमकके क्षेत्र बहुत-सी जगहोमें है। लोगोके घरोमें गैरकानूनी नमक पहुँच चुका है। गुजरातको अब सरकारी नमक व्यवहार करनेकी जरूरत नही रही। जो चाहे थोडी-सी मेहनतसे जितना चाहिए उतना तैयार नमक अपने लिए ले जा सकता है।

लेकिन क्या सरकार इस बातको बरदाश्त करेगी? इसलिए उसने पकड-धकड़ शुरू कर दी। धोलेरासे लेकर जलालपुर ताल्लुके तक जागृतिकी लहर फैल चुकी है और नेतागण गिरफ्तार हो चुके है। अमृतलाल सेठ, मणिलाल कोठारी, फूलचन्द कस्तूरचन्द शाह, डाक्टर हरिप्रसादजी, रोहित मेहता, दरबार गोपालदास, गोकुलदास तलाटी, रविशकर व्यास, रावजीभाई मणिभाई पटेल, आशाभाई, डाक्टर चन्दूलाल, केशूभाई गणेशजी, रामदास गाधी, चिमनलाल प्राणशकर, भिक्षुक उर्फ दरबारी साधु, कीकूभाई, मनुभाई आदि जेलमें विराजमान है। अनेक नाम मुझसे छूट गये है और फिर सबके नाम देने-न-देनेसे कोई फर्क नही पड़ता।

दरबार और उनके साथियोके बेड़ियाँ डाल दी गई और जेलमें उनका मुण्डन कर दिया गया। यह सब अच्छा है, बशर्ते कि गुजरात इसका मूल्य समझे।

आट, अहमदाबाद और धोलकामें नमक-रूपी सम्मानकी रक्षा करनेवालो को पीटा गया। यह विशेष बात है, इसकी कल्पना नही थी। मैंने सोचा था कि शायद सरकार जोर-जुल्मसे काम नही लेगी और कानूनन् मुकदमे चलाकर लोगोको जेल भेज देगी। मेरा विचार गलत निकला। कोई अपना स्वभाव क्षण-भरमें कैसे बदल सकता है? सरकारने अपने खूनी पजेका कुछ स्वाद चखाया है, अतः अब हम अधिककी आशा रखें।

गुजरातसे आगे बढ़ें तो बम्बईमें जमनालालजी, नरीमान वगैरा पकड लिये गये है। तेजीसे मामले चलाये जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सजाकी बात मजिस्ट्रेटकी प्रकृतिपर निर्भर है।

दिल्लीमें देवदास गांधीके साथियोंको पीटा गया है। देवदास और उसके साथी गिरफ्तार कर लिये गये है।

जनता इस सबका क्या जवाब देगी? इस लेखके प्रकाशित होनेतक तो ये नई बातें भी पुरानी हो चुकी होगी।

मै तो अब भी जनतासे और अधिककी आशा रखता हूँ। विदेशी वस्त्रोंकी होली होनी चाहिए; प्रत्येकके हाथमें तकली रहनी चाहिए। कालेज और पाठशालाएँ खाली हो जानी चाहिए। वकील और डाक्टर अनेक प्रकारसे मदद कर सकते है। स्त्रियोंके बारेमें तो मै अलगसे लिख ही चुका हूँ। स्वतन्त्रताकी इच्छुक जनताके सभी अंगोका विकास होना चाहिए। सरकारी नौकरीका मोह अभीतक कम नही हुआ है और यह कमजोरीकी निशानी है।

लेकिन कमजोरी और स्वतन्त्रताकी आपसमें कभी बनी नहीं है। जहाँ-जहाँ कमजोरी है, जहाँ-जहाँ स्वार्थ है, वहाँ-वहाँ उनकी जड़ें खोखली हो जायें तो आज ही स्वराज्य है और हम जेलके दरवाजे खोलकर सत्याग्रहियोंको बाहर निकालकर ला सकेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १३-४-१९३०

२४१. मिल-मालिक और खादी

अहमदाबादके एक मिल-मालिक श्री रणछोड़लाल अमृतलाल अपने ५ अप्रैलके पत्रमें लिखते हैं[1]:

यह दुःखकी बात है। परन्तु मुझे विश्वास है कि जैसे-जैसे लोगोंका त्याग बढ़ता जायेगा वैसे-वैसे मिल-मालिकोंके हृदय पिघलेंगे। मैं तो खूब जानता हूँ कि खादी-आन्दोलनसे देशी मिलोंको लाभ ही पहुँचा है। लेकिन यदि वे पेड़के मीठे फल खानेके बजाय उसकी जड़ खाने दौड़ेंगे तो मूल तो खा ही नहीं सकेंगे, फल भी हाथ नहीं लगेंगे। एक छोटा-सा उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कि विदेशी वस्त्रका बहिष्कार सफल हो गया, और मान लीजिए कि खादीके नामपर नकली खादीका चलन हो गया और मान लीजिए कि उससे असली खादी अपना सिर ऊपर ही न उठा सकी। तो इसका उक्त दो बातोंमें से एक ही परिणाम यह होगा कि नकली खादी और देशी मिलोंमें बना दूसरा कपड़ा तो पूरा पड़ नहीं सकेगा और यदि इन बीच लोगोंमें खादीके प्रति रुचि पैदा न हुई तो वे विदेशी कपड़ेके लिए चिल्लपों मचायेंगे; फलस्वरूप हमारी हालत पहलेसे भी ज्यादा खराब हो जायेगी और इस तूफानमें देशी मिलें भी संकटमें पड़ जायेंगी। अहिंसाकी जंजीर टूट जायेगी और गुस्सेमें भरी हुई जनता देशी मिलोंका ही बहिष्कार करनेको तैयार हो जायेगी। अथवा यों समझिये कि आपने लंकाशायरका माल नहीं मँगाया और खादी-रूपी ढाल भी नहीं रही तो लंकाशायरके पूँजीपति अपनी मिलें इस देशमें कायम करेंगे और विदेशी पूँजी तथा विदेशी बुद्धि हमारे यहाँ पैर जमा लेगी। इससे देशी मिलोंपर दबाव पड़ेगा और फलतः वे भी देशमें स्थापित विदेशी मिलोंके साथ मिलकर लोगोंको चूसना अपना कर्त्तव्य समझने लगेंगी। यद्यपि आज इस बातका दावा नहीं किया जा सकता कि खादीकी भावनाने गाँवोंमें जड़ जमा ली है, तथापि खादीने अपना इतना प्रभाव तो जमा ही लिया है कि आज उसके लिए बहुतेरे सुशिक्षित मनुष्य प्राणतक देनेको तैयार हैं। वे अपने जीते-जी तो खादीको नहीं मरने देंगे। अतः यदि मिल-मालिकोंने खादीके नामसे मिलका कपड़ा बनाना

१. पत्रका अनुवाद यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने शिकायत की थी कि मिलोंने बड़े पैमाने पर नकली खादी बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने नकली खादीके नमूने भी भेजे थे जिनपर एक मिलने 'स्वदेशी खादी' और दूसरीने 'शुद्ध स्वदेशी खादी' की मुहर लगाई थी।

और बेचना बन्द नही किया तो उनके विरोधमें भी प्रचण्ड आन्दोलन उठ खड़ा होनेकी पूरी सम्भावना है, और इस तरहका आन्दोलन करना धर्म ही हो जायेगा।

ऐसे आन्दोलनसे उन्हें बचना चाहिए और बचना उनके ही हाथमें है। शर्तें ये है:

१. देशी मिले खादीसे मिलता-जुलता कपड़ा न बनायें।

२. जितना बना लिया हो उसे बाहर भेज दें।

३. उसे खादी बतानेवाली छाप तो निकाल ही डाले।

४. खादीसे स्पर्धा करनेवाला अन्य कपड़ा बनाना भी छोड़ दें।

५. चरखासंघके साथ मिलकर वही कपड़ा बनाना तय करे जो खादीमें नही बन सकता।

६. खादी-समितिके साथ विचार करके मिलके कपडोका उचित दाम ही रखें।

७. मिलोंमें किनारके लिए भी विदेशी सूतका उपयोग न किया जाये।

८. मिल-मालिक वगैरा विदेशी कपड़ोका सर्वथा त्याग कर दें और यथासम्भव खादी ही पहनें।

मिलोंसे सम्बन्ध रखनेवाली दुकानोमें खादीका संग्रह करे। इस शुद्धिके समय इस बातकी बड़ी आवश्यकता है कि मिले उक्त नियमोका पालन करे। यदि वे ऐसा करेंगी तो उससे विदेशी वस्त्रका बहिष्कार थोड़े ही समयमें सफल हो सकेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १३-४-१९३०

२४२. बहनोंसे

पिछले सप्ताह मद्यपान-निषेधके बारेमें लिखते हुए मैंने कहा था कि एक दूसरा काम भी है, जिसे बहनें अपना सकती है और जिसे अपनाना बहनोका कर्त्तव्य है; और यह काम है खादीकी सहायतासे विदेशी वस्त्रोका बहिष्कार। यह बहनोंका खास अपना क्षेत्र है अथवा होना चाहिए। क्योकि विलायती कपड़ोने करोडो घरोंको बरबाद किया है और करोडो बहनोका सहायक धन्धा छीन लिया है, उन्हें बेकार बना दिया है। विदेशी कपड़ोने हिन्दुस्तानके सात लाख गाँवोको बरबाद कर दिया है। एक ओर तो बहनोका धन्धा छिन गया और दूसरी ओर जो वस्त्र वे अपने गाँवोमें बनवा लिया करती थी, उनके अब पैसे देने पड़ते है। लोग विदेशी वस्त्रोंके बहुत शौकीन हो गये है। अतएव अब बड़े प्रयत्न या भारी तपश्चर्याके बिना वे उन्हें नही छोड़ सकते। बहनें तपश्चर्याकी मूर्ति है। वे लोगोपर जैसा असर डाल सकती है, वैसा पुरुष कभी नही डाल सकते।

इसके सिवा विदेशी वस्त्र पहननेवालोमें पुरुषोकी अपेक्षा बहनोंकी सख्या ज्यादा है। और आखिरकार बहनोपर तो बहनोका ही प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए उन्हें ही विदेशी वस्त्रोकी दूकानोंपर धरना देना है। पुरुष तो इस काममें असफल सिद्ध हो चुके है। कोई कारण नही कि बहनें इस कार्यमें असफल

हों। इसके अलावा आज जो वातावरण है, वह १९२०-२१में नहीं था। इस वातावरणसे बहनें ही लाभ उठा सकती हैं।

लेकिन इस कामका एक दूसरा पहलू भी है। मान लें कि आज सब लोग अपने विदेशी वस्त्रोंको जला डालते हैं, तो वे फिर पहनेंगे क्या? देशी मिलें सारे आवश्यक कपड़ेका उत्पादन नहीं कर सकती। और कदाचित् कर भी लें तो हम जिस उद्देश्यसे काम करना चाहते है, वह तो कभी सफल नहीं होगा।

इस उद्देश्यकी पूर्ति तो खादीसे ही हो सकती है। खादीका अर्थ तकली अथवा चरखा है। चरखेसे ही गाँवोंकी बरकत है, वही अन्नपूर्णा है। यदि घर-घर चरखा चले तो हम आज ही जितनी चाहिए उतनी खादी तैयार कर सकते हैं। खादी तैयार करने का मतलब है सूत कातना। आज भले ही पुरुष सूत कातते हों, तथापि सूत कातनेका धन्धा तो परम्परासे स्त्रियोंने ही किया है और इस सम्बन्धमें उनके हाथमें जो कौशल है, वह पुरुषके हाथमें नहीं है। स्त्रियोंमें इसका संगठन स्त्रियाँ ही भली-भाँति कर सकती हैं। अतएव बहनोंको मैं यह सलाह देता हूँ कि इसे वे अपना विशेष क्षेत्र बना लें।

पच्चीस दिनकी इस यात्रामें मैंने तकलीकी महान् शक्तिके दर्शन किये हैं। मैं देखता हूँ कि कुल मिलाकर तकली चरखेसे भी ज्यादा काम दे सकती है। क्योंकि उसका उपयोग जहाँ चाहें, किया जा सकता है।

इस अहिंसात्मक युद्धमें हमारे हथियार बहुत छोटे होते है, परन्तु उनकी शक्ति बहुत अधिक होती है। क्योकि उनमें ईश्वरीय बल है।

अतएव जिन बहनोंको तकली तथा चरखेमें विश्वास हो और जो बहनें हर साल ६० करोड़ रुपये बचानेके प्रयत्नमें आत्मत्याग करना चाहती हों, वे इस बहिष्कारके कामको अपना लें तथा कताईका प्रचार करें।

यह याद रहे कि इस काममें हाथ बँटानेवाली बहनोंको गाँवोंमें जानेके लिए तैयार रहना होगा।

जिन बहनोंको इन दोनों कामोमें विश्वास न हो, पर किसी एकमें हो, वे एक ही काम करें। मैंने उपर्युक्त दो प्रवृत्तियाँ सुझाई हैं, जिनके द्वारा लाखों बहनें अपना विकास कर सकती हैं, और स्वराज्य-यज्ञमें पूरी तरह हाथ बँटा सकती है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १३-४-१९३०

२४३. सन्देश: 'हिन्दू' के लिए

१३ अप्रैल, १९३०

आज देशने अधिकतम बलिदानके लिए सभीका आह्वान किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि दक्षिण भारतके लोग उसके प्रति पर्याप्त उत्साह दिखायेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँके लोग केवल नमक-कानूनकी सविनय अवज्ञामें ही शरीक नहीं होंगे, बल्कि वे मद्य-निषेध तथा विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारके कार्योंमें भी यथेष्ट उत्साह दिखायेंगे।

विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कार तथा खादी-कार्यको प्रोत्साहन देनेके लिए जितनी तैयारी दक्षिण भारतमें है, उससे अधिक तैयारी शायद भारतके अन्य किसी हिस्सेमें नहीं है। दक्षिण भारतमें समुद्र-तट सभी स्थानोंसे निकट पड़ता है। इसलिए नमकके सम्बन्धमें सविनय अवज्ञा करना तो वहाँके लोगोंके लिए बहुत आसान होना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १५-४-१९३०

२४४. पत्र: महादेव देसाईको

दाडी
१३ अप्रैल, १९३०

चि० महादेव,

तुम्हारा पत्र मिला। इस समय जो कुछ-एक बहनें यहाँ आई है मैं उनसे बात-चीत कर रहा हूँ। परिषद् तो साढ़े तीन बजे ही होगी। परिषद्की बैठक यही बुलाई गई है, कारण यह है कि विलेपार्लेसे जानकीबहन और अन्य अनेक बहनें आई है। बड़ौदासे श्रीमती तैयबजी भी आई हैं।

१६ तारीखको सुविधासे आना। १५ तारीखको आनेकी कोई जरूरत नही। तुमने जो सूची मुझे दी है उसमें इस समय कोई वृद्धि करनेकी बात तो मुझे नहीं सूझ रही है। वृद्धि करने लायक कोई बात हुई तो मैं तुम्हे लिखूंगा। बा से कह देना कि उसे जलालपुरमें शराबकी दुकानोंपर धरना देनेका काम करना होगा। इसलिए बा तो तैयार होकर ही आयेगी, और चूंकि बिना कोई शोरगुल किये मीठूबहन धरना देनेका काम कलसे शुरू कर देगी इसलिए वह वापस तो नही ही जा पायेगी। आरम्भमें शराबकी तीन दुकानोंपर धरना देनेका विचार है, उनमें से एक पर तो कल ही धरना दिया जायेगा। दूसरे ओलपाडमें और तीसरे जलालपुरमें धरना दिया जायेगा। मीठूबहनकी मदद और उसे सलाह-मशविरा देनेके लिए कानजीभाई

और डॉ० सुमन्त रहेंगे। ओलपाडमें मुसलमानोंकी आवादी है इसलिए वहाँपर हमीदा काम करेगी। और फिर कानजीभाईकी लड़की भी तो है। मोतीवहनको वहाँ भेजना होगा। कदाचित् सूरजवहन वहाँ रहेगी। करसनदास तो आज दोहपरको आयेगा, इसलिए वह कुछ अधिक समाचार दे सकेगा।

हर तरहसे विचार करनेपर और शान्तिका ध्यान रखते हुए मुझे तो यही उचित जान पड़ता है कि १६ तारीखकी वैठक दांडीमें ही की जाये। वहनें [पहले मेलसे][1] नाश्ता आदि करके आयेंगी, सारा दिन रहेंगी और साँझको वापस अपने-अपने स्थानोंपर जाकर ही खा-पी सकेंगी। यदि वे यहीं खाना चाहें तो उसका भी वन्दोवस्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँका इन्तजाम तो जैसे-तैसे ही हो सकता है। इसमें कोई फेरफार करना चाहो तो मुझे वताना। आश्रमसे कौन-कौन आयेंगी, इस वातका विचार तुम और नारणदास ही कर लेना अथवा वहनें स्वयं ही इसपर विचार कर लेंगी। खुर्शीद वहन तो नहीं आयेगी, उससे आग्रह भी न करना। जिसे इस काममें श्रद्धा हो, वही इसे कर सकती है।

ऊँटडीसे मोहनलाल पण्ड्या, नानुभाई तथा ईश्वरलाल ये तीनों पकड़े गये हैं। अव कल्याणजी आदिकी वारी है। और अन्तमें लगता है कि मैं तो दांडीकी सुखद वायुका आनन्द उठाता रहूँगा और तुम वहाँ वैठे रहोगे। यह ठीक ही रहेगा।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११४७९)की फोटो-नकलसे।

२४५. भाषण: गुजरात महिला परिषद्, दांडीमें

१३ अप्रैल, १९३०

कुछ काम वहनोंके ही करनेके होते हैं। मद्य-निषेध और विदेशी वस्त्रोंका वहिष्कार ऐसे ही काम हैं जिन्हें आप नहीं करेंगी तो वे होंगे ही नहीं। १९२१में ये काम मैंने डरके कारण पुरुषोंसे जवरदस्ती कराये थे किन्तु ऐसा कवतक चल सकता था? आखिर हारकर मुझे वे काम छोड़ देने पड़े। यदि मैंने ये काम वहनोंको सौंपे होते तो वे मुझे छोड़ने न पड़ते। किन्तु जव मैं वहुत परेशानीमें पड़ गया और सव तरफसे निराश हो गया तो जैसा उस कच्छप-कच्छपीवाले भजनमें है, प्रभुने मुझे यह काम वहनोंको सौंपनेकी वात सुझाई। दुकानोंपर धरना देनेका काम स्त्रियोंके लिए जोखिमसे भरा हुआ तो है किन्तु स्त्रियाँ तो हमेशासे वहुत ज्यादा जोखिम उठाती आई हैं। इसीसे यह संसार चलता आ रहा है। इसके अतिरिक्त इन दोनों कामोंमें अनुनय-विनय और हृदय-परिवर्तनकी आवश्यकता है और स्त्रियाँ ही पुरुषोंके हृदयमें प्रवेश करके उक्त परिवर्तन करा सकती हैं। इसके सिवा जो वहनें यहाँ आई

१. साधन-सूत्रमें यह स्थल अस्पष्ट है।

है वे जानती होंगी कि जिनके पति शराब पीते हैं उनके घरकी क्या अवस्था होती है। अपनी बहनोंके घरोंको टूटनेसे बचाना आपका कर्त्तव्य है। विदेशी कपडेने आपकी पन्द्रह करोड बहनोंसे चरखा कातनेका प्रभावशाली धन्धा छीन लिया है और करोडो ग्रामीणोंको बेकार बना दिया है। दस वर्षकी स्वल्प अवधिमें खादीकी प्रवृत्तिके कारण १० लाख रुपये बहनोके घरोमें पहुँच चुके है किन्तु मुझे तो आपसे करोडो रुपयोका काम करवाना है। आप यह काम हाथमें लें तो आपको विदेशी वस्त्र फेंक देने चाहिए — उन्हें जला ही देना चाहिए। आप कहेंगी कि हमारे पास जो विदेशी वस्त्र है उन्हें हम पहनकर फाड़ डालेंगी या सहेजकर रख लेंगी। शराबी भी यह कहेगा कि मेरे पास जितनी शराब है उतनी पी लेने दो या यह कि मैं इसे सँभालकर रख लूँगा। जिस वस्तुको हम जहर मानते हैं उसे एक दिनके लिए भी अपने पास कैसे रख सकते हैं? हमारे बच्चे भूलकर भी यह जहर न खायें इसलिए उसे फेंक ही देना चाहिए। आप यह मानें कि उतने पैसे आपने पानीमें फेंक दिये थे।

वेजलपुरकी एक स्वयंसेविकाके यह पूछनेपर कि यदि धरना देते हुए हमपर हमला हो तो हमें क्या करना चाहिए, गांधीजीने कहा :

ऐसा हमला होनेकी सम्भावना नहीं है। किन्तु यदि हमला हो अथवा सरकारकी पुलिस घोडे दौड़ाकर आपको तितर-बितर कर दे तो आप उसे शान्तिपूर्वक सहन करें। स्त्रीमें तो अपार सहन-शक्ति होती है। स्त्रियोंपर जिस दिन इस तरहका हमला होगा उस दिनसे आप शराबके ठेके बन्द हुए मानें। आप यह निश्चित मानें कि जिस दिन कोई शराब पीनेवाला आपको मारेगा उसी दिनसे वह सदाके लिए शराब पीना छोड़ देगा।

[गुजरातीसे]
प्रजाबन्धु, २०-४-१९३०

२४६. भाषण : दांडीमें[1]

१३ अप्रैल, १९३०

आज आत्मशुद्धिके सप्ताहका अन्तिम दिन है और आप लोग इतनी बड़ी संख्यामें स्वेच्छापूर्वक यहाँ आये है, यह बात मुझे अच्छी लगी है और इस समय मेरा आप लोगोसे दो शब्द न कहना आपको ठीक नही लगेगा।

बहनोंकी परिषद् अभी-अभी पूरी हुई है। इस परिषद्में मैं बहनोसे जो-कुछ कहकर आया हूँ उसमें आपका स्थान कहाँ है, यह बता देना आवश्यक है। बहनोंने विदेशी वस्त्रकी दुकानो और विदेशी वस्त्रका उपयोग करनेवालो तथा शराब बेचने और पीनेवालो के खिलाफ धरना देनेका प्रस्ताव पास किया है। इस काममें आप पुरुषोंको बीचमें नही पड़ना है। ऐसा मानना है कि यह बहनोंका स्वतन्त्र कार्यक्षेत्र है।

१. यह भाषण संक्षेपमें *यंग इंडिया*के १७-४-१९३०के अंकमें "पुरुषोंकी भूमिका" शीर्षकसे भी प्रकाशित हुआ था।

इस कार्यकी सफलता पुरुषोंके संयमपर आधारित है। इसके मूलमें यह विचार रहा है कि पुरुष अपना क्रोध शीघ्र ही नही रोक पाते, वे अहिंसाका पालन आसानीसे नहीं कर पाते, जबकि स्त्री अहिंसाका पालन आसानीसे कर सकती है। स्त्रीके लिए त्याग और अहिंसा ज्यादा स्वाभाविक है। इस विचारसे प्रेरित होकर मैंने बहनोंके समक्ष यह चीज पेश की है।

यदि मेरा यह विचार गलत निकले तो उस सीमातक मेरी यह योजना भी गलत सिद्ध होगी।

पुरुषोंको तो इसमें इतना ही करना है कि वे बहनोंके प्रयत्नकी सफलताके लिए अनुकूल वातावरण पैदा कर दें। हम पुरुषोंको शराब और विदेशी वस्त्रोंका व्यापार करनेवालों के घर व्यक्तिगत तौर पर जाकर उन्हें यह समझाना चाहिए कि अब तो इस कामके लिए भारतकी स्त्रियाँ निकल पड़ी हैं, अतः उन्हें शराब और विदेशी वस्त्रका व्यापार छोड़ ही देना चाहिए।

इन बहनोंके जत्थोंको देखकर शराब और विदेशी वस्त्रोंकी दुकानोंके मालिक चकित हो जायेंगे और अपना व्यापार छोड़नेके लिए प्रेरित होंगे। मैं जानता हूँ कि व्यापार छोड़ना आसान काम नहीं है। किन्तु जिस समय चारों ओर देशाभिमान और देशभक्तिका वातावरण फैला हुआ हो, उस समय अनायास ही जनताकी त्यागकी शक्ति बढ़ जाती है। मैं देखता हूँ कि इसी सप्ताहमें यह शक्ति सौ गुनी अधिक हो गई है किन्तु वह हजार गुनी बढ़नी चाहिए। विदेशी वस्त्रके व्यापारी फिलहाल व्यापार छोड़ना चाहते हुए भी कुछ सोच-विचारमें पड़े हुए हैं। वे अभी ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि तीन माह या बहुत हुआ तो एक वर्षतक वे अपना यह व्यापार नहीं करेंगे। वे ऐसा सोचते मालूम होते हैं कि एक वर्षके बाद तो वे फिर विदेशी वस्त्र खरीदना व बेचना शुरू कर सकेंगे। स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए जितना प्रयत्न किया जाना चाहिए उतना वे नहीं कर रहे हैं। कारण, उनमें इतनी श्रद्धा नहीं है। किन्तु यह काम ज्यों-ज्यों प्रगति करेगा त्यों-त्यों हम देखेंगे कि शराब और विदेशी कपड़ेका यह व्यापार बन्द हुए बिना नहीं रह सकता। जिस समय देशमें लाखों व्यक्तियोंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया हो, उस समय इन अश्रद्धालु व्यापारियोंमें भी त्याग करनेकी शक्ति आये बिना नही रह सकती।

स्त्रियाँ इस कामको हाथमें लें, उसके बाद यदि उसे जारी रखनेके लिए पैसेकी कमी महसूस हुई तो मैं आपके सामने अपना हाथ फैलाऊँगा, यद्यपि अभी तो भगवान्की कृपासे जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा पैसा मिल रहा है। आज ही स्त्रियोंकी सभामें लगभग एक हजार रुपया इकट्ठा हो गया और कठोरके गलियारा परिवारकी एक बहनने बिना माँगे सोनेकी चार चूड़ियाँ दे दीं।

यदि पुरुषवर्ग उदासीन न रहे और स्वेच्छापूर्वक अपने कर्त्तव्यका पालन करने लगे, उदाहरणके लिए, पर्याप्त खादीके अभावमें लँगोटी पहननेकी जरूरत होनेपर लँगोटी पहनने लगे तो बहनोंका काम उस हदतक कुछ हलका हो जायेगा।

कुमारी मेयोने भारतके पुरुषोंपर यह आरोप लगाया है कि अधिकांश लोगोंमें स्त्रियोंके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। वह कहती है कि हम उनसे मजदूरिनोंकी

तरह काम लेते हैं, मानो उनका जन्म पुरुषोंकी सेवा करनेके लिए ही हुआ हो। जिस समय इस देशकी स्त्रियाँ समझ-बूझकर मद्यनिषेध और विदेशी वस्त्र वहिष्कारका काम सफल कर दिखायेंगी उस समय दुनियाको अपने-आप यह वात साफ हो जायेगी कि कुमारी मेयोका उक्त कथन झूठ था।

आजकल खादीकी कुछ कमी महसूस हो रही है। इसीलिए मैं लोगोसे यह कह रहा हूँ कि स्वयं कातो और खादी पहनो। तकली पर सूत कातकर मैं तुम्हारे सामने रोज इस वातका उदाहरण भी पेश कर रहा हूँ। जिस तरह हम हरएक घरमें अपना अनाज स्वयं दलते हैं, पीसते हैं और गूँधते हैं उसी प्रकार हमें घर-घरमें अपनी कपासका जैसा वने वैसा कच्चा-पक्का सूत कातना चाहिए। और उसका कपड़ा वनाकर खादी पहननी चाहिए। जिस समय देशमें कताई सार्वत्रिक हो जायेगी उस समय यह निश्चित समझना कि विदेशी कपडोका यह व्यापार बिलकुल वन्द हो जायेगा। हमारे देशको जितना कपडा चाहिए उतना कपड़ा मिले कभी नही दे सकती। इसके सिवा भारतकी अधिकांश मिलें पूँजीकी दृष्टिसे पूरे या अधूरे तौर पर विदेशी ही हैं। इसलिए ऐसी बहुत ही थोड़ी मिले हैं जिनका कपडा जरूरत पडनेपर हम उपयोगमें ला सकते हैं।

इन रचनात्मक कार्योंको करनेके लिए अनेक प्रतिष्ठित परिवारोंकी स्त्रियाँ वाहर निकल पड़ी हैं। दीवान श्री मनुभाईकी पुत्री श्रीमती हंसा मेहता और अन्य वहनोंने मिलकर अभी कुछ दिन हुए वम्बईमें मद्यनिषेधका काम चलानेके लिए एक परिपत्र जारी किया है। यदि गुजरातकी स्त्रियाँ लगातार इस प्रकार काम करती रही और पुरुष इस कार्यमें उनकी सहायता करते रहे तो यह कार्य सारे देशमें फैल जायेगा। ये तीनों चीजें बहुत आसान हैं। यदि हम इन्हें सफलतापूर्वक कर डाले तो हम देखेंगे कि हमने कुल मिलाकर ९१ करोड़ रुपये बचा लिये हैं — ६ करोड नमक-करसे, २५ करोड़ शराबसे और ६० करोड विदेशी कपडेके व्यापारसे। ऐसा करके हम ज्यादा शुद्ध वनेंगे, हमारी शक्ति बढ़ेगी और तव स्वराज्य प्राप्त करनेमें हमें तनिक भी देर नही लगेगी।

अन्तमें यह याद रखना है कि इन सात दिनोंमें हमने जो-कुछ कमाया है, उसे हम खो न दें।

अभी-अभी खवर मिली है कि कलकत्तेमें कुछ नवयुवक सभाओंमें जब्त की गयी पुस्तकोंके अंश पढ़कर सुनाते थे; पुलिसने उनकी सभाओंको भंग करके उन्हे वहाँसे बिखर जानेको मजबूर किया है। पुलिसके इन अत्याचारोंको देखकर कलकत्तेके मेयर श्री सेनगुप्तने भी उन जब्त की हुई पुस्तकोके अंश पढ़ना शुरू कर दिया और उन्हे तुरन्त ही गिरफ्तार कर लिया गया।

अभयाश्रमके अत्यन्त योग्य खादी-कार्यकर्त्ता डा० सुरेशचन्द्र वनर्जीको, जो किसी समय सरकारसे छह सौ रुपया मासिक वेतन पाते थे, नमक-कानून तोडनेके अपराधमें ढाई वर्षके सपरिश्रम कारावासकी सजा दी गयी है।

ऐसे अत्याचारोंके बावजूद जिस प्रकार हम गुजरातमें न तो डरे हैं और न झुके हैं उसी प्रकार वहाँ भी कोई नही डरा है। इतना ही नही, उलटे उनकी शक्ति

बढ़ी है। हमारे ऊपर चाहे जितना अत्याचार हो, हमें किसी पर बल-प्रयोग नहीं करना है और न किसीका अपमान करना है। एक भाईने मुझे खबर दी है कि बम्बईमें विदेशी कपड़ोंकी होली जलाते समय दूसरोंके सिरोंसे टोपियाँ उछाली गयीं और उन्हें उनकी इच्छाके खिलाफ आगमें डाल दिया गया। मैं नहीं जानता कि इस खबरमें कितनी सचाई है। किन्तु यदि बात सच हो तो आप निश्चित मानें कि हमारी यह लड़ाई इस तरह नहीं चल सकती। यदि जोर-जबरदस्ती हुई तो लोग इसे सहन नहीं करेंगे; तब वे आपसमें ही लड़ने लगेंगे और सरकार उसका लाभ उठायेगी।

यदि लोग विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारके द्वारा स्वराज्य नहीं पाना चाहते तो हम बलपूर्वक उनसे पुण्य नहीं करा सकते। उनका हृदय पिघलानेके लिए हमें और ज्यादा त्याग करना होगा और यदि आवश्यक हुआ तो उनके खिलाफ सत्याग्रह भी करना होगा।

यदि मुझे ऐसी प्रतीति हो कि लोग मुझे धोखा दे रहे हैं; उन्होंने खादीके द्वारा विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारका संकल्प किया, उसकी प्रतिज्ञा भी ली किन्तु वे उसे पाल नहीं रहे हैं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए?

यदि मुझे विश्वास हो कि मैं शुद्ध हूँ, दयाके गुणका पूरा विकास कर चुका हूँ तो प्रसंग उपस्थित होनेपर मैं सत्याग्रह करूँगा, अनशन लेकर बैठ जाऊँगा। आप लोग रोज हाथ ऊँचा करके यह कहें कि खादी पूरी मात्रामें न मिले तो हम खादीकी लँगोटी पहनकर ही अपना काम चलायेंगे और फिर ऐसा हो कि कोई एक बहन भी न काते तो ऐसी परिस्थितिमें मैं क्या करूँगा? तब तो ऐसी परिस्थितिमें अपनी इस उत्तरावस्थामें भी वही करना होगा जो मुझे अहमदाबादके मिल-मजदूरोंको प्रतिज्ञा-भंग करते देखकर करना पड़ा था, या बम्बईमें हुए उपद्रवोंके अवसर पर करना पड़ा था। यदि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम रोज ईश्वरको धोखा दे रहे हैं तो मुझे अनिच्छाके बावजूद बरबस ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि गुजरातके लोग मेरे साथ ऐसा विश्वासघात नहीं करेंगे।

हमें अपना काम शान्तिपूर्वक करना है और शान्तिपूर्वक स्वराज्य लेना है। मैं देशमें अशान्ति नहीं देखना चाहता; अशान्ति हुई तो फिर मैं जीना नहीं चाहूँगा।

इस उपवासके दिन आप लोग सहज ही चले आये तो मैंने सहज ही यह इतनी बात आपसे कह दी। आप यहाँ या बम्बईमें, कहीं भी, लोगोंको बलका, जोर-जबरदस्तीका प्रयोग करते देखें तो उन्हें रोकें। जब-जब मैं ऐसा सुनता हूँ कि हमारे आदमियोंमें से किसीने किसीको गाली दी है, कोई अशिष्टता की है या बलका प्रयोग किया है तो मुझे चोट लगती है और सचमुच मेरी छाती भयसे धड़कने लगती है। उस समय यदि कोई डाक्टर मेरी जाँच करे तो वह इस धड़कनकी आवाज सुन सकेगा। फिर भी मैं निभा रहा हूँ; क्योंकि ऐसे समय मैं दो क्षणके लिए आँखें मीचकर रामनाम ले लेता हूँ। ऐसा न करूँ तो हो सकता है कि मेरे हृदयकी धड़कन एकाएक रुक जाये। आप लोग भले मुझे महात्मा कहें किन्तु मेरा काम तो दुर्बल मनुष्यका है। इसलिए इस लड़ाईमें आप मुझे कभी धोखा मत देना। आप अपने

घरमें बैठे रहेंगे तो काम चलेगा किन्तु यदि मैदानमें उतर पडे तो फिर आप सचाई-का ही व्यवहार करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०-४-१९३०

२४७. पत्र : गुलाम रसूल कुरैशीको

१३ अप्रैल, १९३०

चि० कुरैशी,

तुम्हारा पत्र मिला। जितनी हमसे बन सके उतनी मेहनत करना हमारा काम है। फल देना ईश्वरके हाथमें है। सारे नियमोंका पालन करना चाहिए। मुसलमान भाइयोंसे मिलना चाहिए। तकली रोज चलानी चाहिए और दूसरोंको तकली चलानेके लिए प्रेरित करना चाहिए।

बापूकी दुआ

[पुनश्च :]

आज स्त्रियोंकी जो सभा हुई वह अच्छी थी।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४२९५) की फोटो-नकलसे; सौजन्य : हमीद कुरैशी; जी० एन० ६६५० से भी।

२४८. पत्र : लक्ष्मीदास श्रीकान्तको

दांडी

१३ अप्रैल, १९३०

भाईश्री लक्ष्मीदास,

तुम्हारा पत्र आज ही मिला। मैं इसे अभी-अभी अर्थात् रविवारको रातके साढे नौ बजे ही पढ सका; इसलिए सन्देश भेजनेका समय भी नही रहा। तुम्हारे कार्यमें तुम्हारी सफलताकी कामना तो मैं सदैव ही करता हूँ। मुझे समाचार देते रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४२०४)की फोटो-नकलसे।

२४९. पत्र : मीराबहनको

[१४ अप्रैल, १९३० या उसके पूर्व][1]

प्रिय मीरा,

तुम्हारा लम्बा स्नेह-पत्र मिला। यह तुम्हें सिर्फ इसी बातकी सूचना देनेके लिए लिख रहा हूँ। अब रातके १० बजनेवाले हैं। इसलिए फिलहाल तो शुभरात्रि।

सस्नेह,

बापू

मौन-दिवस या मौन रात्रि? मौन रातके बारह बजे समाप्त होगा।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३८६)से।
सौजन्य : मीराबहन

२५०. तार : मोतीलाल नेहरूको

नवसारी
१४ अप्रैल, १९३०

अभी-अभी ही सुना कि जवाहरलाल गिरफ्तार हो गया है। मैं श्रीमती स्वरूपरानी और आपको सौभाग्यशाली माता-पिताके रूपमें बधाई देता हूँ। जवाहरलालने अपनेको काँटोंके ताजका योग्य पात्र सिद्ध किया है। अब उसकी जगह कौन लेगा?

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १५-४-१९३०

१. यह पत्र बापूज़ लैटर्स टु मीरामें जिस क्रममें रखा गया है, उससे प्रतीत होता है कि यह अप्रैल १९३० में लिखा गया था। २८ अप्रैलको कोई पत्र नहीं लिखा गया (देखिए "पत्र : मीराबहनको", २९-४-१९३०) और २१ अप्रैलका पत्र उपलब्ध है। इसलिए यह पत्र या तो १४ अप्रैलका हो सकता है या उससे पहलेके किसी और सोमवारका।

२५१. अपील : भारतके नौजवानोंसे

[१४ अप्रैल, १९३०]

पण्डित जवाहरलाल नेहरूकी गिरफ्तारीकी उम्मीद तो मैं हर घडी कर रहा था। सरकार इस नौजवान अध्यक्ष और आदर्श देशभक्तकी उपेक्षा कर दे, यह असम्भव था। यदि मैं अपने देशको पहचानता हूँ तो कहूँगा कि अगर दूसरे नेताओंकी गिरफ्तारी पर जनताने दसगुना जोश दिखाया तो सरकारने जो यह चरम कदम उठाया है, उसके बाद वह सौगुना ज्यादा जोश दिखायेगी। अपेक्षित यह है कि इस गिरफ्तारीका मूल्य सरकारको अपने अस्तित्वसे चुकाना पड़े।

क्या देशके नौजवान जवाहरलाल नेहरूकी आशाओंको पूरा करेंगे, क्या वे स्कूलों और कालेजोंका त्याग करके केवल स्वराज्य-प्राप्तिके लिए काम करेंगे?

इसमें सन्देह नही कि सारे भारतमें हड़ताल होगी, यद्यपि कठोर कर्मकी इस घडीमें उसका कोई मतलब नही है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १६-४-१९३०

२५२. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

दांडी
१४ अप्रैल, १९३०

प्रिय मोतीलालजी,

तो जवाहरको अब छः महीने तक विश्राम करना है। उसने 'ट्रोजन' सैनिकोंकी तरह [अनथक और बहुत बहादुरीसे] काम किया है। उसको इस विश्रामकी आवश्यकता भी थी। यदि घटना-क्रम वर्तमान गतिसे ही चलता रहा तो उसे छः महीनेका भी विश्राम नही मिलेगा। आपने उस दिन जम्बुसरको[1] जैसा देखा था, आज वह वैसा ही नही है। सभी गाँव उठ खड़े हुए हैं। लोग ऐसा शानदार उत्साह दिखायेंगे, इसकी उम्मीद मैंने नही की थी। कई गाँवोंमें तो सरकारी नौकरोंको अपने कामके लिए एक भी आदमी नही मिल रहा है। हमारे चुने हुए कुछ आदमियोंकी गिरफ्तारीसे जनताके प्रतिरोधमें तीव्रता ही आई है। लेकिन इस आशावादिताकी बात यहीं छोड़ता हूँ। कल क्या होगा, यह तो कोई पहुँचा हुआ आदमी ही कह सकता है। बम्बईसे

१. मोतीलालजी जवाहरलाल नेहरूके साथ मार्च १९३० के अन्तिम दिनोंमें गांधजी से मिलने जम्बुसर गये थे। तब गांधीजी दाडीकी ओर कूच कर रहे थे।

मिलनेवाले समाचार भी अत्यन्त उत्साहवर्द्धक हैं। 'यंग इंडिया' तो आप पढ़ते ही होंगे।

आपका स्वास्थ्य कैसा है?

आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२८५) से।
सौजन्य : इलाहाबाद नगरपालिका संग्रहालय

२५३. पत्र : महादेव देसाईको

[१४ अप्रैल, १९३०][1]

चि० महादेव,

तुम्हारा पत्र मिला।

मैंने बुधवारको वेजलपुरमें तुम सबसे मिलनेकी व्यवस्था की है। मैं जहाँ भी होऊँगा वहाँसे वेजलपुर आऊँगा। मै वहाँ सवेरे ही पहुँचनेकी तजवीज करूँगा। हमारा सदर मुकाम अब बहुत करके कराडी रहेगा।

यदि स्वामीका आग्रह बना रहा तो गुरुवारकी साँझको बम्बईके लिए रवाना हो जाऊँगा और रविवारको सवेरे वापस लौट आऊँगा। फिलहाल तो बम्बई जानेकी इच्छा नहीं होती।

तुम्हारा अहमदाबादका वर्णन . . .[2]

गुजराती (एस० एन० ११४८१)की फोटो-नकलसे।

२५४. पत्र : कुसुम देसाईको

१४ अप्रैल, १९३०

चि० कुसुम,

मद्यपान-निषेध और विदेशी वस्त्र-बहिष्कारके बारेमें मैंने जो लिखा है उसमें क्या तुझे कोई विचार सूझ पड़ता है? तू उसमें प्रमुख भाग लेनेकी हिम्मत रखती है क्या?

तेरे पत्र मिले हैं।

१. गांधीजी १६ अप्रैल, १९३० को वेजलपुर पहुँचे थे। इसके अलावा गांधीजीने "पत्र: महादेव देसाईको", १४-४-१९३०में उन्हें सवेरे एक पत्र लिखनेका उल्लेख किया है। सम्भवतः उनका इशारा इसी पत्रकी ओर है।

२. पत्रका शेष भाग उपलब्ध नहीं है।

वहाँ किस काममें व्यस्त है?

मेरे पकड़े जानेकी पक्की खबर है, ऐसा कहकर कल मुझे सारी रात जगाया। और मैं तो अभीतक मौज कर रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १७९७)की फोटो-नकलसे।

२५५. पत्र : मणिलाल वी० देसाईको

दांडी
१४ अप्रैल, १९३०

भाई मणिलाल देसाई,

आपने नमकके सम्बन्धमें मुझे जो पुस्तक भेजी थी वह भाई केशवरामकी मारफत मुझे मिल गई है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

गुजराती (एम० एम० यू०/२२/८) की माइक्रोफिल्मसे।

२५६. पत्र : महादेव देसाईको

सोमवार [१४ अप्रैल, १९३०][1]

चि० महादेव,

तुम्हें मैंने एक पत्र तो सवेरे ही भेजा है। यह दूसरा पत्र मैं रातके साढ़े दस बजे लिख रहा हूँ। जवाहर भी गया। यहाँसे पण्ड्या, घीया इत्यादि भी पकड़ लिये गये। सुना है, वे लोग जुगतरामको भी ले जानेवाले हैं। इन सबको आरामकी आवश्यकता तो थी ही। सब एक साथ ही काम कर रहे थे। लोग तो खुद-ब-खुद काम करने लग गये जान पड़ते हैं।

मेरा इस सप्ताह बम्बई जाना नहीं होगा। स्वामी लिखता है कि वह ज्यादा तैयारी करके आगामी सप्ताहमें बुलायेगा।

बा को तो पूरी तैयारीके साथ ही लाना। यदि वह सामान लाना चाहे तो ले आये। उसके लिए तो मैंने काम तैयार कर ही रखा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११४८०) तथा ११४८१की फोटो-नकलसे।

१. जवाहरलाल नेहरू १३ अप्रैल, १९३० को गिरफ्तार किये गये थे।

२५७. तार: मोतीलाल नेहरूको

नवसारी
१५ अप्रैल, १९३०

नेहरू
इलाहाबाद

निश्चित लगता है मेरा ताज पहनना अनावश्यक है, हानिकारक भी हो सकता है। यदि आप दायित्व ओढ़ सकें तो ओढ़ना चाहिए।[1]

गांधी

[अंग्रेजीसे]

मोतीलाल नेहरू कागजात, फाइल संख्या जी-१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालय

२५८. पत्र: बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षको

१५ अप्रैल, १९३०

आपका तार पाकर मन प्रसन्नतासे भर गया। अब इस बातकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि बम्बईके नौजवान कांग्रेस-अध्यक्षकी गिरफ्तारीकी खबर सुनकर कैसा उत्साह दिखाते हैं। गुजरातमें जो काम हुआ है, उसे सुव्यवस्थित और स्थायी बनानेके लिए यहाँ हर घड़ी मेरी जरूरत है, लेकिन जब वहाँ आना नितान्त आवश्यक हो जायेगा, तो आऊँगा।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १६-४-१९३०

१. मोतीलाल नेहरूने १७ तारीखको इसका यह उत्तर दिया था: "आपका तार मिला। आपकी बात बिलकुल ठीक लगती है। चाहता तो था कि आपसे निजी तौर पर बात कर लूँ, लेकिन सोचता हूँ कि इसमें और लम्बा अन्तराल हानिकारक होगा और इसलिए अपना पूरा समय अपनी सामर्थ्य-भर आपके मार्ग-दर्शनमें देशकी सेवाके लिए समर्पित करता हूँ। आज दायित्व सँभाल रहा हूँ। बयान जारी कर रहा हूँ।"

२५९. पत्र : लक्ष्मीदास श्रीकान्तको[1]

१५ अप्रैल, १९३०

. . . पचमहाल देरसे जाग रहा है, इसमें भी कोई ईश्वरीय संकेत होगा। इस धर्म-युद्धमें यदि पहले भाग लेनेवाले पीछे रह जायें और अन्तमें शामिल होनेवाले प्रथम आ जायें तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं होगी। पचमहालके लोगोंकी शक्तिकी तो कोई सीमा नहीं। लेकिन दुःख तो इस बातका है कि हम अनेक बार अपनी इस शक्तिको पहचान नहीं पाते। यह समय उसे पहचाननेका है और मुझे उम्मीद है कि पंचमहाल अपनी शक्तिको पहचानेगा।

मोहनदास गांधी

गुजराती (जी० एन० ४२०६)की फोटो-नकलसे।

२६०. पत्र : महादेव देसाईको

दांडी
१५ अप्रैल, १९३०

चि० महादेव,

मैंने अभी-अभी सुना कि तुम गिरफ्तार हो गये हो! ! ! अच्छा हुआ। आराम मिलेगा। इतने दिनों तक तुम्हें बाहर रखा, यह भी आश्चर्यकी बात थी। लोग जितने कसौटीपर कसे जाते हैं, उतना ही अच्छा है।

'अब की टेक हमारी लाज राखो गिरिधारी।'

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११४८२)की फोटो-नकलसे।

१. साधन-सूत्रसे यह पता नहीं चलता कि पत्र किसको लिखा गया था। किन्तु जी० एन० संग्रहमें यह लक्ष्मीदास श्रीकान्तको लिखे पत्रके रूपमें दर्ज है।

२६१. भाषण: उंबेरमें

१५ अप्रैल, १९३०

सभामें उपस्थित ग्रामीण महिलाओंसे श्री गांधीने पूछा कि क्या वे पण्डित जवाहरलाल नेहरूको जानती हैं।

उन्होंने उत्तर दिया, "हम कैसे जान सकती हैं?" इसपर गांधीजी ने कहा:

यह आपकी नहीं, हमारी गलती है — हम मर्दोंकी गलती है, जिन्होंने अबतक इतनेसे ही सन्तोष माना है कि आप घर-गृहस्थी सँभालें, चूल्हा-चौका देखें, पानी भरें और घर-बारकी सफाई करें। लेकिन अब आप लोग ऐसी स्थितिमें नही रहेंगी। अगर इस आन्दोलनको सफल होना है तो आप लोगोंको अधिक नही तो पुरुषोंके समान ही योगदान देना होगा।

जवाहरलाल नेहरूका उल्लेख करते हुए गांधीजी ने कहा:

उनका समस्त भारतके लिए वही महत्त्व है जो हमारे लिए गुजरातमें सरदार वल्लभभाईका है। वे राष्ट्रकी सेवामें अपने-आपको खपा रहे हैं और हम सबमें बड़े होनेके कारण ही उन्हें सजा दी गई है।

अभीतक तो मैंने आपसे यही कहा है कि अगर पुलिस आपकी बन्द मुट्ठियोंसे नमक छीननेकी कोशिश करती है तो आपको इसका विरोध करना चाहिए तथा पुलिसवाले आपको जैसे भी चोट पहुँचायें, उसे आप चुपचाप और विनम्रताके साथ सहन कर लें। अगर आपमें कष्ट-सहनका बल और अपने उद्देश्यके प्रति आस्था है तो मै अब इससे भी बहुत आगेतक जानेका इरादा रखता हूँ।

मैं चाहूँगा कि आगेसे आप सब अपने-आपको अपनी मुट्ठियोंमें बन्द बहुमूल्य राष्ट्रीय सम्पदाका ही नही, बल्कि आजकल नमक तैयार करनेके कड़ाहोंमें जो राष्ट्रीय सम्पदा पड़ी हुई है, उस सबका न्यासी या संरक्षक मानें। जरूरत पड़नेपर अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर भी इस सम्पदाकी रक्षा कीजिए। जब पुलिसवाले इन कड़ाहों पर छापा मारने आये तो आप इन्हें घेरकर खड़े हो जायें और जबतक पुलिसवाले अपनी पाशविक शक्ति द्वारा आप लोगोंको विवश न कर दें तबतक आप उन्हें कड़ाहोंको हाथ न लगाने दें।

अगर आपको वे मारे तो भी आपको क्रोध नही करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि अब गुजरातमें इतना साहस तो आ ही गया है। गुजरातकी शक्तिसे ही मुझे शक्ति मिलती है। आपको कष्ट सहनेके लिए तैयार रहना चाहिए और हर कीमत पर शान्ति बनाये रखनी चाहिए। वे कड़ाहोंको नष्ट करना चाहें तो करने दीजिए, लेकिन तभी जब वे आपको गिरफ्तार कर लें अथवा मार-पीटकर विवश कर दें। यह एक बिलकुल नया प्रयोग है। यह बात मै आप लोगोंपर छोड़ता हूँ कि आप जहाँ सम्भव हो, वहाँ ज्यादासे-ज्यादा संख्यामें नमक बनानेके कड़ाह तैयार करें।[1]

१. यह अनुच्छेद १६-४-१९३० के बॉम्बे क्रॉनिकलमें प्रकाशित विवरणसे लिया गया है।

आपके कष्ट सहन करनेसे न केवल पूर्ण स्वराज्यकी कल्पना साकार होगी, बल्कि उसकी रक्षाके लिए एक अहिंसक सेना तैयार होगी। नमकके कड़ाहोंकी रक्षा करनेके लिए महिलाओंको पुरुषोंके साथ शामिल नहीं होना चाहिए। मैं सरकारको इतना भला तो अब भी मानता हूँ कि वह महिलाओंके साथ नहीं लड़ेगी। उसे महिलाओंसे लड़नेके लिए उकसाना हमारी गलती होगी। जबतक सरकार अपना ध्यान पुरुषों तक ही सीमित रखती है, यह लड़ाई पुरुषोंकी ही रहेगी। जब सरकार सीमाका उल्लंघन कर जायेगी तब महिलाओंके मार-पीट और जोर-जुल्म सहनेका अवसर आयेगा और फिर तो उन्हें अपनी इस क्षमताका परिचय देनेका पूरा मौका मिलेगा। ऐसा कहनेका मौका न दिया जाये कि पुरुषोंने यह बात अच्छी तरह समझते हुए कि अगर महिलाएँ उनके साथ होंगी तो वे सुरक्षित रहेंगे, अपने बचावके लिए उस संघर्षमें महिलाओंकी आड ली है, जिसे किसी अच्छी संज्ञाके अभावमें, आक्रामक अहिंसा कहा जा सकता है। महिलाओंके लिए उनके सामने मैंने विनम्रतापूर्वक जो कार्यक्रम रखा है, उसमें पर्याप्तसे अधिक काम है और वे जितनी साहसिकताका परिचय दे सकती हैं और जितना खतरा उठा सकती हैं, सबकी गुंजाइश है। अहमदाबादके श्रमिक संघने शराबकी दुकानोंपर धरना देनेका काम अपने हाथों में लिया है। अहमदाबादमें गैरकानूनी ढंगसे बनाया नमक बेचनेका काम अब बन्द हो गया है। इस कामको स्वयंसेवकोंके दल भेजकर गाँवोंमें चलाया जायेगा।

उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक या तो भोजनकी व्यवस्था स्वयं करें अथवा उनके लिए जो-कुछ भी बनाया जाता है, उसे खायें। अलग-अलग रुचिके लोगोंके लिए अलग-अलग रसोईघरोंका प्रबन्ध करना सम्भव नहीं है। यह तो आत्मशुद्धिकी लड़ाई है, इसलिए आपको अपनी सभी अवांछनीय आदतोंको छोड़ देना होगा। आपमें पूरा अनुशासन और कठिनाइयाँ सहनेकी शक्ति होनी चाहिए। जो लोग अनुशासनका पालन नहीं कर सकते, वे शुरूमें ही अलग हो जायें। किन्तु वे समाज या राष्ट्रको धोखा न दें। यदि थोड़े-बहुत सच्चे स्वयंसेवक भी साथ रहे, तो संघर्ष जारी रहेगा। इस संघर्षका आरम्भ बहुत अच्छा रहा है और इसके लिए गुजरातको काफी श्रेय मिला है। आप लोग ऐसा काम करें जिससे किसीको यह कहनेका मौका न मिले कि हम गुजरातकी गलतियों और चूकोंके कारण यह लड़ाई हार गये।[1]

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १६-४-१९३०

१. यह अनुच्छेद बॉम्बे क्रॉनिकलमें प्रकाशित विवरणसे लिया गया है।

२६२. पत्र : महालक्ष्मी माधवजी ठक्करको

१६ अप्रैल, १९३०

चि० महालक्ष्मी,

तुम्हारा प्यारा-सा पत्र मुझे मिला था। जवाब देनेमें देर हुई। समय नहीं मिलता। मैं आज सवेरे दो बजे उठा हूँ।

तुमसे मैं पूरा-पूरा काम लूंगा। तुम दोनोंको मैं समझ गया हूँ। तुम्हारे निश्चय उत्तम हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६७९५)की फोटो-नकलसे।

२६३. अस्पृश्यता

हिन्दू-मुस्लिम एकताकी भाँति अस्पृश्यता-निवारणके बारेमें भी गलतफहमी फैली दिखाई देती है। कहा जाता है कि मैं स्वराज्यकी खातिर अस्पृश्योंके हितोंका बलिदान कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि लाखो अछूत भाई मेरे बारेमें ऐसी किसी बातपर विश्वास नही करेंगे। मेरे लिए तो जैसे कौमी एकताके बिना, वैसे ही अस्पृश्यता-निवारणके बिना भी स्वराज्य नही हो सकता। लेकिन मेरा यह निश्चित विश्वास है कि बगैर स्वराज्यके न कौमी एकता सम्पन्न हो सकती है और न अस्पृश्यता-निवारण ही। इस बातको देखनेके लिए बहुत कोशिश करनेकी जरूरत नहीं है कि शासकोंका स्वार्थ हममें फूट कायम रखनेमें ही है। जैसे हिन्दू-मुस्लिम एकताकी उनके मनमें कोई चाह नही है वैसे ही अस्पृश्यता-निवारणकी उनमें कोई इच्छा नही है।

राजस्वके साधनोंपर विचार करते हुए पिछले दिनों मैंने यह बतानेकी कोशिश की थी कि इस सरकारकी नीव अनीतिपर कायम है। उसी प्रकार यह सरकार हमारी कमजोरियों और हमारी बुराइयोंपर फूली-फली है।

नासिककी शर्मनाक घटनाको ही लीजिए। सरकार जानती है कि सनातनियोंका पक्ष गलत है। फिर भी उसने क्या किया? चूंकि सनातनियोंके शिविरमें बहुत शक्तिशाली लोग हैं, इसलिए सरकारने अछूतोंकी माँगोंको ठुकरा दिया। अधिकारी यदि चाहते तो सनातनियोंको बुलाकर उनके साथ बातचीत कर सकते थे। अछूतोंको भी वे समझा सकते थे और झगड़ा शुरू न करनेको कह सकते थे। लेकिन इसके लिए निष्पक्ष मन और निःस्वार्थताकी जरूरत होती। पर सरकार निःस्वार्थ नही है। वह तो विभिन्न पक्षोके झगड़ोंपर खुशी मनाती है और आखिरमें जो मजबूत होता है, उसका साथ देती है। मैं जानता हूँ कि बहुतेरे भले परन्तु अनजान अंग्रेज मेरे इस

कथनपर निरर्थक ही आपत्ति करेंगे, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरा यह कथन रात-दिनके अनुभवपर आधारित है। मैं यह नही कहता कि हर बार सरकार इरादतन् ऐसा पक्षपात किया करती है। परन्तु 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' और 'फूट डालो और राज्य करो', ये तो सरकारी हलकोंके लिए सामान्य बातें हो गई है।

अपने इस निश्चित विश्वासके बावजूद यदि मै हाथ-पर-हाथ धरे बैठा रहूँ और स्वराज्य-साधनाकी गतिको अटकाऊँ तो मैं अल्पसख्यको और अछूतोके साथ अन्याय करूँगा। मैं मानता हूँ कि जिस क्षण हमें, हममें से हरएकके अन्दर जो शक्ति छिपी हुई है, उसका ज्ञान हो जायेगा उसी क्षण हम स्वतन्त्र हो जायेंगे और हम सच्ची एकताकी ज्योतिका अनुभव करेंगे और 'अछूत' भी अनुभव करेंगे कि उनमें एक नई शक्ति आ गई है।

हम याद रखें कि सत्याग्रहियोके जत्थोंमें मुसलमान भी है, दूसरे धर्मवाले भी है और अछूत भी हैं—चाहे बहुत थोड़ी तादादमें ही क्यो न हों। हकीकत तो यह है कि आज उन्ही लोगोंके हाथों स्वराज्य-मन्दिरकी नींव डाली जा रही है, जो कौमी एकता, अधिकार और अवसरकी समानता तथा अस्पृश्यता-निवारणको अपने धर्मका अंग मानते है।

अंग्रेजोके आनेसे हिन्दुओंमें विचार-जागृति हुई और अस्पृश्योको अपने अधिकारोंका भान हुआ, इस मोहक विचारमें पड़कर अछूत भाई राष्ट्रीय लक्ष्यकी प्राप्तिकी ओरसे विमुख न हो जायें। इस बातमें जो तथ्य है वह है, लेकिन अंग्रेज लोग ऐसी परोपकारी वृत्तिसे प्रेरित होकर हिन्दुस्तानमें नही आये थे। उनकी सभ्यता, बल्कि कहिए तमाम पश्चिमी देशोंकी सभ्यता, उस प्रकारके किसी भेद-भावको मान्यता नही देती जिस प्रकारका भेद-भाव अवदशाको प्राप्त हिन्दू धर्ममें चल रहा है। यदि अंग्रेज हमें गुलाम न बनाते, तब भी हम इस अच्छाईसे लाभ उठा सकते थे। अंग्रेजोकी यह आलोचना मै उनके मनुष्य-रूपकी नही बल्कि शासक-जातिके रूपकी कर रहा हूँ। मनुष्यके नाते तो वे उतने ही अच्छे हैं जितने अच्छे हम है। कुछ बातोंमें वे हमसे अच्छे है, तो कुछमें बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन शासकोंके नाते वे सर्वथा अवांछनीय है। शासकोंके रूपमें वे न हमारी कोई भलाई कर सकते है और न उन्होंने की ही है। उन्होने हमारी बुराइयोको उकसाया है, उन्हे और भी गम्भीर बनाया है और चूँकि हममें हीन भावना आ गई है, इसलिए उनके सम्पर्कसे हमारा नैतिक ह्रास होता है। मैंने देखा है कि हम उनके सामने कुछ और व्यवहार करते है और पीठ पीछे कुछ और। यह पुंसत्वहीनता है और मनुष्यको पुंसत्वहीन बनानेकी प्रक्रिया है। यह चीज सर्वथा अस्वाभाविक है। गोखलेने कहा था कि "हममें से बड़ेसे-बड़ेको भी उनके सामने झुकना पड़ता है।" पर जब सचमुच अंग्रेजोकी आँखें खुलेगी तब उन्हें पता चलेगा कि उनका शासन जितना पतनकारी हमारे लिए साबित हुआ है, उससे कुछ कम पतनकारी उनके लिए भी सिद्ध नही हुआ है।

अब दो शब्द 'अस्पृश्यो' से कहूँगा। मैंने उन्हें सलाह दी है और वही सलाह फिर दोहराता हूँ कि सत्याग्रही तरीकेसे भी सनातनी मन्दिरोमें प्रवेश करनेका उनका प्रयत्न सर्वथा अनावश्यक है। 'अस्पृश्यों' के लिए मन्दिरोंके द्वार खुलवाना 'सवर्ण'

हिन्दुओंका कर्त्तव्य है। उपयुक्त समय आनेपर सत्याग्रह करना 'सवर्णों' का काम है। अस्पृश्योंको यह मालूम है कि कांग्रेसने इसी उद्देश्यसे जमनालालजी की अध्यक्षतामें एक समिति बनाई है। वे जानते हैं कि अस्पृश्यता-निवारणके क्षेत्रमें बहुत प्रगति हुई है। उन्हें यह भी मालूम है कि सारे देशमें ऐसे सैकड़ों सच्चे और जाने-माने हिन्दू मिलेंगे जो अस्पृश्यता-निवारणके लिए अपने प्राणोंकी बाजी लगा देनेको तैयार है। सुधारक लोग हिन्दू-समाजसे इस बुराईको दूर कर देना अपना कर्त्तव्य और योग्य प्रायश्चित्त मानते हैं। अस्पृश्योंको यह याद रखना चाहिए कि उनमें से अधिकांश लोग आज जीवन-मरणके संघर्षमें सन्नद्ध हैं। मैंने जो-कुछ कहा है, उसमें निहित सचाईको यदि वे महसूस करते हों तो वे कमसे-कम इस संघर्षके दौरान सत्याग्रह स्थगित कर देंगे, भले ही उनमें से सभी लोग उसमें शामिल होनेवाले न हों। वैसे कुछ लोग तो उसमें शामिल हो चुके हैं। हिन्दू सुधारकोंने यह काम करनेका बीड़ा कोई परमार्थकी भावनासे नहीं उठाया है, अस्पृश्योंपर कृपा करनेके लिए भी नहीं उठाया है और राजनीतिमें उनसे लाभ उठानेके लिए तो कदापि नहीं उठाया है। उन्होंने यह काम करनेका जिम्मा इसलिए लिया है कि हिन्दू धर्मकी उनकी जो कल्पना है, उसका यह तकाजा है कि वे इसे करें। या तो उन्हें हिन्दू धर्मको छोड़ देना है या फिर इस दावेको सत्य सिद्ध करना है कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्मका अंग नहीं बल्कि उसके सिरपर लगा कलंकका ऐसा टीका है जिसे मिटा देना है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १७-४-१९३०

२६४. राक्षसी कर

नमक-कर के परिणामोंके बारेमें प्राप्त हर नये अनुभवके साथ यह कर अधिकाधिक राक्षसी दीखने लगता है। इन दिनों मैं गुजरातके नमक-क्षेत्रमें रह रहा हूँ और मेरा सारा घूमना-फिरना इसी क्षेत्रमें होता है। फलतः मुझे इस बातके प्रमाण मिलते ही रहते हैं कि ग्रामवासियों द्वारा नमक तैयार करनेपर लगाई गई पाबन्दीके कारण इस क्षेत्रके गाँव बरबाद हो गये हैं। इस जमीनका लोग एक यही उपयोग तो कर सकते हैं कि प्रकृति हर महीने इसमें काफी मात्रामें जो नमक छोड़ जाती है उसे वे निकालें। इन क्षेत्रोंमें गरीबोंका यही मुख्य धन्धा था। आज यह सारी जमीन परती पड़ी हुई है। खुद दांडीका इतिहास बड़ा दर्दनाक है। यह एक सुरम्य समुद्र-तटीय स्थान है। पहले यहाँ एक 'दीवादांडी'—दीपस्तम्भ—हुआ करता था और उसी परसे इसका नाम दाँडी पड़ा। आज यह एक वीरान गाँव है। एक यूरोपीयने और बादमें कुछ भारतीयोंने प्राकृतिक परिस्थितियोंके खिलाफ यहाँकी जमीनको खेती करने योग्य बनानेकी कोशिश की थी। समुद्र-तटका यह क्षेत्र वैसे बड़ा सुन्दर और शान्तिदायी है, किन्तु जब मैं यहाँ लहरोंका मधुर और दिव्य संगीत सुनते हुए घूमता हूँ तो मुझे चारों ओर टूटे-फूटे मेड़ोंसे घिरे ऐसे खेत देखनेको मिलते

हैं जिनमें हरियालीका नामोनिशान तक नहीं होता। ये खेत मानवके निष्फल श्रमकी कहानी कहते हैं। लेकिन घृणित नमक-एकाधिकारके समाप्त होते ही यही खेत नमकके मूल्यवान भण्डार बन जायेंगे, जिनमें से ग्रामीण लोग ताजा, सफेद और चमकता हुआ नमक निकालेंगे और सो भी बिना ज्यादा मेहनतके। यह उन्हें उसी प्रकार रोजी देगा जिस प्रकार कभी उनके पूर्वजोको दिया करता था।

महादेव देसाई यह दिखा ही चुके हैं कि सरकार द्वारा जारी की गई यह सूचना कि यहाँका नमक स्वास्थ्यके लिए हानिकर है, एक दुष्टतापूर्ण झूठ है।[1] सरकार द्वारा बनाये अमानवीय विनियमोके बावजूद आसपासके लोग प्रकृति द्वारा बहुलतासे दिये गये यहींके नमकका उपयोग करते आये है। ऐसा नही लगता कि उसका उपयोग करनेसे उनका कोई नुकसान हुआ हो। इस क्षेत्रके हजारों लोग पिछले हफ्तेसे यही नमक खा रहे हैं और इससे उन्हें कोई हानि नहीं हुई है। सुना है, कोकणमें लोग इधर कई वर्षोंसे स्वदेशी नमकका ही उपयोग करते रहे हैं। वे कराधीन नमकके मुकाबले इसे स्वदेशी कहते हैं और जिस नमकपर कर लगता है उसे सरकारी या विदेशी नमक कहते हैं, हालाँकि यह नमक भी प्राप्त हुआ है भारतीय भूमि और भारतीय समुद्रसे ही। इस अंकमें मैं जो नुस्खा छाप रहा हूँ उसे दो सावधान व्यक्तियोंने तैयार किया है। ये दोनों विज्ञानके स्नातक है। इस नुस्खेके मुताबिक हर परिवार बिना किसी खर्चके अपनी जरूरतका नमक स्वयं तैयार कर सकता है। इसके लिए जो-कुछ करना है वह इतना ही कि परिवारका कोई लड़का लोटा-भर नमकीन पानी ले आये। उस पानीको छानकर किसी छिछले बर्तनमें आगके पास रख देना है और फिर नुस्खेमें बताये तरीकेसे जो-कुछ करना है, कर देना है। इतने से ही हर परिवारको अपनी हर रोजकी जरूरतके लायक पूरा नमक मिल जाता है जो बाजारमें मिलनेवाले गन्दे 'सरकारी' या 'विदेशी' नमकसे कहीं अधिक स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद होता है। नमक-सत्याग्रही (जिनकी तादाद अब हजारों तक पहुँच गई है) चुटकी-भर नमक भी बरबाद न करें। चाहे कोई कानून हो या नहीं, अब किसीके पास बाजारका नमक खानेका कोई कारण नहीं रह गया है। जहाँ नमक-क्षेत्र न हो वहाँ भी स्वदेशी नमक दाखिल करना चाहिए। इसे थोड़ी-थोड़ी मात्रामें बड़ी आसानीसे एक जगहसे दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। सरकारकी हिम्मत हो तो वह भले ही हजारों नर-नारियोंपर मुकदमे चलाये और अपने अधिकारियोंको उनकी तलाशी लेते फिरने और जबरदस्ती नमक छीननेके लिए भेजे। वे ऐसा कहते हैं तो कहें कि 'नमक-कानून उन्हें इसकी सत्ता देता है।' मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि नमक-कर से सम्बन्धित विनियम इस करके ही समान अमानवीय हैं। यदि इन विनियमोंकी प्रारम्भिक अवस्थामें इनपर अमल किये जानेका इतिहास मालूम होता तो यही पता लगता कि लोगोंको अपने स्वाभाविक धन्धेसे वंचित करने और लोहूसना सरकारी नमक खरीदनेको मजबूर करनेके लिए इन राक्षसी विनियमोंपर उतने ही राक्षसी ढंगसे अमल किया गया। पाठकोंको मालूम होना चाहिए कि अवैध नमकको

1. महादेव देसाईका लेख "सफेद झूठ", १०-४-१९३० के यंग इंडियामें छपा था।

यहाँ-वहाँ ले जानेपर रोक लगानेके लिए, उन पालकियोंकी भी तलाशी ली जाती थी जिनमें पर्दानशीन औरतें बैठी होती थीं। यदि आज हमें इस अन्यायपूर्ण करको समाप्त करवानेके लिए कष्ट झेलने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब इतना ही है कि हमने अतीतमें जो उदासीनता दिखाई और जिस लज्जास्पद ढंगसे इस करको सिर-माथे लिया, अब हम उसीके लिए कुछ थोड़ा-सा प्रायश्चित्त कर रहे हैं। इस प्रकार पाठक देखेंगे कि यद्यपि यह कर अपने-आपमें काफी भारी है, लेकिन खटकनेवाली चीज केवल यह कर ही नहीं है। इसमें ऐसी कोई चीज ही नही है जो इसके दंशको तनिक भी कम करे। इस करसे जो आय होती है, राष्ट्रको केवल उतना ही नहीं गँवाना पड़ता है। इस करके रूपमें राष्ट्रको शायद प्रतिवर्ष २० करोड़ रुपये देने पड़ते हैं; किन्तु इसके अतिरिक्त नमकके मनमाने तौर पर नष्ट कर दिये जाने अथवा लोगोंको नमक न निकालने देनेके कारण उसे उतनी ही और राशिका घाटा होता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १७-४-१९३०

२६५. सिंहावलोकन

गुजरातकी जनताने सामूहिक रूपसे जैसा उत्साह दिखाया है, वह आशातीत है। बम्बई और उसके उपनगरोंने भी कुछ कम नहीं किया है। और इस एकान्त जगहमें मुझे सारे देशसे धीरे-धीरे जो समाचार मिल रहे हैं वे भी कम उत्साहप्रद नही है। मेरे लिए यह अत्यन्त हर्षकी बात है कि महाराष्ट्र एक बार फिर एक हो गया है और श्री न० चि० केलकर तथा उनके मित्र इस संग्राममें शामिल हो चुके हैं। श्रीयुत केलकर और श्रीयुत अणेका विधान सभासे इस्तीफा दे देना इस संघर्षकी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हैं। बंगाल भारतका सबसे तूफानी प्रदेश है। वह जीवनसे तरंगित हो रहा है। उसकी दलबन्दी ही उसकी महान् जागृतिकी सूचक है। अगर बंगालने ठीक ढंगसे उत्साह दिखाया तो सम्भवत: वह सब प्रान्तोंसे आगे बढ़ जायेगा। मैं नही जानता कि कोई भी प्रान्त, यहाँतक कि महाराष्ट्र भी, बंगालके जितना स्वेच्छया बलिदानके श्रेयका दावा कर सकता है। बंगालकी भावप्रवणता यदि उसकी एक कमजोरी है, तो वही उसकी एक महानतम शक्ति भी है। इसमें अहिंसाके लिए उत्सर्गकी ऐसी क्षमता है जिसे, यदि ऐसी भाषाके प्रयोगको क्षम्य माना जाये तो, मैं उद्दाम उत्सर्ग-भाव कहूँगा। विद्यार्थियोंकी सभापर किये गये अकारण आक्रमणका श्री सेनगुप्तने जो जवाब दिया है, उसीने मुझे उक्त शब्दका प्रयोग करनेकी प्रेरणा दी है। बंगालके विद्यार्थियोंने जो कदम उठाया है और उसके जवाबमें पुलिसने जो जंगली रुख अख्तियार किया है, उसकी सम्भावनाओंके आगे डा० सुरेश बनर्जी और दूसरोंका कारावास फीका पड़ जाता है। मैं जानता हूँ कि अगर कलकत्ताके पुलिस कमिश्नरने इन पंक्तियोंको पढ़ा तो वे क्या कहेंगे। मैं उन्हें यह कहते हुए सुनता हूँ कि 'तुम मेरे बंगालको नहीं पहचानते।' लेकिन मैं कहता हूँ कि जितनी

अच्छी तरह मैं उनके बंगाल को जानता हूँ उतना तो वह कभी जान ही नही सकेंगे। उनका बंगाल तो सरकारका बनाया हुआ है। अगर सरकार बंगालको सताना छोड़ दे और भारतको अपने इच्छित ध्येय तक पहुँचनेसे रोके नही तो बंगाल भी भारतके बड़ेसे-बड़े प्रान्तके जितना ही शान्त और सौम्य बन जाये। आज बंगालमें हिंसाकी जो भावना लहरे मार रही है, उसका कारण उसके अनेक कष्ट है।

लेकिन मुझे आशा है बंगाल समझदारीसे काम लेगा और वह यह देख सकेगा कि अहिंसा हमारा रामबाण है। सब तरहके कष्ट अहिंसादेवीकी वेदीपर अर्पण कर दिये जाने चाहिए।

जलियाँवाला हत्याकाण्डके तुरन्त बादसे ही मै बराबर यह आशा व्यक्त करता आया हूँ कि अगली बार जब कभी हिन्दुस्तानके किसी भी हिस्सेमें इस तरह गोलियो-की बौछार की जायेगी तो कोई भी पीठ दिखाकर न भागेगा, बल्कि छातीपर हाथ बाँधकर पूरी हिम्मत और 'जो होना हो सो हो जाये'—के भावसे सीनेपर गोलियोंको झेलेगा। परीक्षाका यह समय मेरी आशासे भी पहले निकट आ रहा जान पड़ता है। और अगर हमें इस तरह सीना खोलकर गोलियों तथा संगीनकी मार सहनेकी तालीम लेनी है तो हमें जरा भी हिले-डुले बिना घुड़सवारों और डण्डे-वालोंकी मार सहनेकी आदत डालनी चाहिए। मै जानता हूँ कि इस तरहकी बातें कहना आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। तथापि मै देख रहा हूँ कि यदि हम अपने-आपको सामूहिक अहिंसाके लिए भली-भाँति तैयार करना चाहते हो तो इसपर जोर दिये बिना छुटकारा नही। पिछले आठ दिनोंमें यह बात ठीक-ठीक साबित हो चुकी है कि देशमें सामूहिक अहिंसा पूरी तरह सम्भव है। धोलेराके नमक-क्षेत्रमें पुलिसने स्वयसेवकोंके साथ जैसा जंगली और क्रूर बरताव किया और स्वय-सेवकोंने जिस धीरता और बहादुरीके साथ इस बर्बरताको सहा, उसका एक यथातथ्य चित्र महादेव देसाईने खीचा है। जब पुलिसने बम्बईमें उद्दण्डता और कठोरतासे—यद्यपि उसमें अपेक्षाकृत कुछ थोडा-सा विवेक भी जरूर शामिल था—काम लिया तब वहाँके हजारो लोगोने क्या किया, यह पण्डित मुकुन्द मालवीय द्वारा दिये सजीव वर्णनसे जाना जा सकता है। उनके विवरणका संक्षिप्त अनुवाद इस अंकमें अन्यत्र छापा जा रहा है। सरदार वल्लभभाईके पुत्र डाह्याभाई उस समय मौकेपर मौजूद थे। उनके विवरणसे भी पण्डित मुकुन्द मालवीयके विवरणकी मुख्य बातोकी ताईद होती है।

पेरीनबाई और उनकी साथिनों तथा श्रीमती कमलादेवीने भी उस दिन अपूर्व साहस और शान्तिका परिचय दिया। लेकिन यहाँ मैं उनसे यह निवेदन किया चाहता हूँ कि यदि वे पुरुषोंकी लडाईके क्षेत्रसे बाहर रही होती तो अच्छा होता। बहनोका इस तरह अपने-आपको खतरेमें डालना, पुरुषोंसे स्त्रियोंके प्रति जिस वीरोचित व्यव-हारकी अपेक्षा की जाती है उस वीरताके नियमके विरुद्ध है। कमसे-कम इतना तो है ही कि अभी वह समय नहीं आया है। बहनें हजारोकी सख्यामें नमक बनायें, इस पर मुझे जरा भी ऐतराज न होगा। लेकिन वे ऐसी भीड़में जान-बूझकर कभी न पड़ें, जिसपर आक्रमण होनेकी सम्भावना हो। मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक उनके लिए एक

सर्वथा अलग कार्यक्षेत्र सुझा चुका हूँ। उस क्षेत्रमें काम करनेको वे पूरी तरह स्वतन्त्र हैं, और वहाँ उनसे अपना जौहर प्रकट करनेकी आशा रखी जाती है। उस क्षेत्रमें साहस और शूरताका परिचय देनेकी काफी गुंजाइश है।

हाँ, तो यदि हमें इस युद्धके अन्तिम प्रखर तापको सहना हो तो हमें घुड़सवारों और लाठीवालोंके हमलोंका अविचल रहकर सामना करना सीखना चाहिए और इस प्रयत्नमें यदि हम घोड़ोंकी टापोंसे कुचले जायें, लाठियोंके प्रहारोंसे घायल हो जायें तो हमें इस सबको भी सहना चाहिए। ऐसे हमलोंके मौकोंपर सशस्त्र भीड़ पैर जमाकर डट जाती है और जवाबी कार्रवाई करती है। पर यदि हम अहिंसाका पाठ सीखना चाहते हैं तो हमें क्रुद्ध हुए बिना, कोई भी जवाबी हमला किये बिना अपनी जगहपर अटल खड़े रहकर उस सशस्त्र भीड़से अधिक साहसका परिचय देना चाहिए। तब डायरका नया अवतार अपनी आँखों देखेगा कि हम सीनोंपर गोलियाँ झेलनेको तैयार खड़े हैं।

लोगोंने अपनी नमककी कड़ाहियों आदिकी रक्षा करना तो शुरू कर ही दिया है। लेकिन अगर हममें इस तरहकी पूरी-पूरी ताकत पैदा हो चुकी है तो हमारा काम नियमित और व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे ही पुलिस हमला करने आये और हमारे सैनिकोंकी सजीव दीवारको तोड़कर भीतर घुसे, वैसे ही बहनें, अगर पुलिस-वाले उन्हें मौका दें तो वहाँसे हट जायें और पुरुषोंको घायल होने दें। दुनिया-भरके सशस्त्र युद्धोंमें यही किया जाता है; इस युद्धमें भी, जिसमें एक पक्षके लोग जान-बूझ-कर निहत्थे रहना पसन्द करते हैं, बहनें इसी नीतिका पालन करें।

जब नमकके युद्धमें जूझनेवाले पुरुष न रह जायें तब बहनें, अगर उनमें हिम्मत हो तो, पुरुषोंके छोड़े हुए कामको हाथमें ले लें। लेकिन मुझे भरोसा है कि इस युद्धमें पुरुष अपने पौरुषका ठीक-ठीक परिचय देंगे।

कुछ लोगोंकी यह दलील है कि अगर लोग अपने पासका गैरकानूनी नमक न दें तो पुलिसको अधिकार है कि वह जबरदस्ती उनका नमक छीन ले। इस दलीलका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। यहाँ मैं ऐसी आलोचना करनेवालों को सिर्फ यह याद दिला देना चाहूँगा कि पक्के चोरोंको भी जबतक गिरफ्तार नही कर लिया जाता तबतक उनसे भी पुलिस चोरीका धन जबरदस्ती नहीं छीनती और गिरफ्तार करके लानेके बाद भी उनसे वह धन तभी लिया जाता है जब उनपर मुकदमा चलाना होता है। और इसके बाद भी वह सम्पत्ति तबतक उस चोरकी ही मानी जाती है जबतक कि उसका जुर्म साबित न हो जाये और अदालत यह फैसला न दे दे कि वह सम्पत्ति उसकी नहीं थी। और नमक-सम्बन्धी विनियम पुलिसवालों को गिरफ्तार करनेवाले अधिकारी, अभियोगी और न्यायाधीश सब एक ही साथ बना देते हैं, यह तो मेरे इस आरोपका कोई उत्तर नहीं हुआ कि अधिकारियों द्वारा अपनाये तरीके बर्बरतापूर्ण हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १७-४-१९३०

२६६. अध्यक्षका सम्मान

कांग्रेस-अध्यक्षको बड़े सस्तेमें जयमाला मिल गई। मुझे अभी-अभी पण्डित मोतीलालजी का तार मिला है कि पण्डित जवाहरलालको छः महीनेकी सादी कैद हुई है। लेकिन राष्ट्रके प्रथम सेवकको एक दिनके लिए भी कैद करना सारे राष्ट्रका अपमान करना है। अध्यक्षको कैद करके सरकारने हमें चुनौती दी है कि जो करना हो करो। हम जो कर सकते है वह यही कि आगे बढ़कर अपने सिर और अधिक कष्ट लें। इसका एकमात्र उपाय वर्तमान आन्दोलनको तीव्र और संगठित बनाना है। मैं जानता हूँ कि देशके नौजवान बहुत बड़ा काम कर रहे हैं; तो भी मुझे कबूल करना चाहिए कि इस युद्धके प्रति देशके विद्यार्थियोंने जितना उत्साह दिखाया है, उससे मुझे सन्तोष नही हुआ है। उनमें अभी आत्म-विश्वास पैदा नही हुआ है। वे यह नहीं मानते कि स्वराज्य जल्दी ही आ रहा है। वे यह भी महसूस नही करते कि सरल श्रद्धा और तदनुसार आचरण द्वारा स्वराज्यके आगमनकी घड़ीको जल्दी निकट खीच लाना उन्हीका काम है। लेकिन श्रद्धा देनेकी चीज नही। वह हृदयकी वस्तु है, और उसका उद्‌गम-स्थान भी हृदय ही है। देश बड़ी उत्सुकताके साथ देखेगा कि जो हजारों विद्यार्थी आज उपाधियों और प्रमाण-पत्रोंके पीछे पड़े हुए हैं, उनपर पण्डित जवाहरलालके इस कारावासका क्या प्रभाव पड़ता है?

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १७-४-१९३०

२६७. स्त्रियोंका विशेष कार्यक्षेत्र

रविवार तारीख १३ अप्रैलके दिन दाडीमें स्त्रियोकी एक परिषद् हुई थी और उसके बाद दूसरी परिषद् १६ अप्रैलको वेजलपुरमें हुई। पहली परिषद्‌में मैंने लगभग सौ बहनोके आनेकी आशा की थी; लेकिन हजार आईं; दूसरीमें सिर्फ अहमदाबाद और बम्बईसे आनेवाली कुछ बहनों ही से मिलना था; लेकिन सूरत जिलेकी बहनोको इस बातका पता था, इसलिए वेजलपुरमें बहनोंकी संख्या दांडीकी अपेक्षा भी अधिक रही। यो यह दूसरी परिषद् हुई।

दांडीमें नीचे लिखे प्रस्ताव पास हुए:

१. १३ अप्रैलके दिन दाडीमें गांधीजी का भाषण सुननेके बाद गुजरातकी स्त्री-परिषद् यह प्रस्ताव पास करती है कि वहाँ उपस्थित स्त्रियाँ शराब और ताडीकी दुकानोंपर धरना देंगी, अर्थात् दुकानदारोसे अपने इस धन्धेको छोड़ देनेकी प्रार्थना करेंगी तथा शराब और ताड़ी पीनेवालो से भी इस राक्षसी व्यसनको छोड़नेकी प्रार्थना करेंगी। तथा इसी तरह विदेशी कपड़ोंके दुकानदारोसे विदेशी

वस्त्रका व्यापार बन्द करने और विदेशी कपड़ोंके खरीदारोंसे विदेशी कपड़ा न खरीदनेकी प्रार्थना करेंगी और इन कामोंके लिए दुकानोंपर धरना देंगी।

२. इस परिषद्का विश्वास है कि विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार खादीके द्वारा ही किया जा सकता है; अतएव यहाँ उपस्थित स्त्रियाँ भविष्यमें खादीका ही उपयोग करेंगी और यथासम्भव स्वयं प्रतिदिन सूत कातेंगी, रुई पीजेंगी और कताईकी सभी क्रियाएँ सीख लेंगी। और ये सब काम अपने हाथों ही करेंगी। साथ ही अपने पड़ोसी भाई-बहनोंमें सूत-कताईकी तमाम क्रियाओंको सीख लेने तथा तदनुसार काम करनेका प्रचार भी करेंगी।

३. इस आन्दोलनके लिए यह परिषद् नीचे लिखी बहनोंकी एक कार्य-कारिणी समिति नियुक्त करती है; और उसे इस आन्दोलनसे सम्बन्धित नियम-उपनियम आदि बनाने तथा उनमें संशोधन-परिवर्द्धन करनेका अधिकार प्रदान करती है। समितिको अपनी संख्या बढ़ानेका भी अधिकार होगा :

१. श्रीमती तैयबजी (सभापति)
२. श्रीमती मीठूबहन पेटिट (मन्त्री)

सदस्याएँ

३. श्रीमती मणिबहन पटेल
४. ,, रोहिणी देसाई
५. ,, चन्दूबहन

परिषद् आशा करती है कि गुजरातकी बहनें इस आन्दोलनका स्वागत करेंगी और इसमें हाथ बँटायेंगी।

परिषद् आशा करती है कि इस परिषद्के द्वारा जो आन्दोलन आरम्भ किया जा रहा है उसे सारे गुजरात और अन्य प्रान्तों की महिलायें आगे बढायेंगी[1]।

वेजलपुरमें भी यही प्रस्ताव पास हुए; किन्तु वहाँ पहले प्रस्तावको दो भागोंमें बाँट दिया गया था। मद्यपान-निषेध और खादी द्वारा विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारको दो जुदा काम माना गया जिससे यदि कोई बहन उनमें से एकको ही स्वीकार करती हो तो वह उसीके लिए अपना मत दे सके। समितिने दूसरी परिषद्की सदस्य-संख्या-में तीन बहनोंके नाम और जोड़े :

श्रीमती शारदाबहन सुमन्त मेहता
,, सवितावहन त्रिवेदी
,, सूरजबहन मणिलाल

यों मतदानको बहुत महत्त्व देना जरूरी नहीं है। उसका महत्त्व इतना ही है कि सभामें किसी भी प्रस्तावका विरोध नहीं हुआ। इससे सूचित होता है कि उपस्थित स्त्रियाँ इस प्रस्तावके अनुसार काम करनेको तैयार भले न हों, तथापि उन्हें प्रस्तावकी

१. यह अनुच्छेद **यंग इंडिया** से लिया गया है।

मूल बात पसन्द थी। इन दोनों परिषदोमें देहाती बहनोंकी सख्या ज्यादा थी। इस बारकी लड़ाई खासकर गाँवोंकी ही है। गाँवोंकी जागृति आश्चर्यजनक है और यह शुभ चिह्न है। नमक, विदेशी वस्त्र-बहिष्कार और मद्यपान-निषेध, ये तीनो चीजें गाँववालो के लिए विशेष रूपसे हितकर है, तिस पर स्त्रियोका तो इनमें विशेष लाभ निहित है।

इन प्रस्तावोपर यदि थोड़ी-सी बहनें भी प्राण निछावर करनेको तैयार होगी तो वे सामने आयेंगी। यदि ऐसा न हुआ तो परिषद्‌का काम अधूरा माना जायेगा। परिषद्‌में आई हुई बहनोकी संख्या इस बातकी सूचक है कि कोई काम लेनेवाला हो तो वे काम करनेको तैयार है।

प्रत्येक सस्थाका प्राण उसकी कार्यकारिणी समिति होती है। अतएव जिन बहनोंने समितिको अपने नाम दिये है, उनकी लगन, तपश्चर्या और कार्यकुशलतापर ही कार्यकी सफलता निर्भर है।

मीठूबहन पेटिटने तो बड़ी तेजीसे अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। उनके कथनानुसार शराब पीनेवाले उत्साहपूर्वक ताड़ीके मटके फोड़ डालते है। सूरतके हजारो शराबी अपनी-अपनी जातिमें शराब न पीनेका प्रस्ताव पास करने लगे हैं।

यदि स्त्रियोंमें आत्मविश्वास आ जाये, उनकी श्रद्धा दृढ हो जाये तो स्त्रियाँ खुद ही जान जायेंगी कि उनके मनमें जो भय था वैसा भय रखनेका कोई कारण ही नही है। मनुष्य-मात्रमें राम और रावण रहते हैं। यदि स्त्रियाँ अपने हृदयमें निवास करनेवाले रामकी सहायतासे काम करें तो मनुष्योंमें रहनेवाला रावण सिर नही उठा सकता। स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुषोंमें राम देरसे जागता है। जिसे राम राखे उसे कौन चाखे? और जिससे राम रूठे उसे कौन राखे?

शराबखोरीको बन्द करनेके काममें शुरुआतमें जो डर लगता है, उसके मिट जानेपर वह आसान हो जाता है। क्योकि इस काममें केवल धरना देना पडता है। पीनेवाले दुष्ट नही, भोले होते हैं। पीनेवाले इस बातको समझते ही कि मद्यपान उनके हितमें नही है, शराब छोड़ देंगे। इसमें शराबके ठेकेदारोका स्वार्थ तो है, पर वे जानते हैं कि उनका व्यापार कोई अच्छा व्यापार नहीं है।

स्वराज्य-आन्दोलनमें इस प्रवृत्तिके शामिल होनेको मैं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। इन पृष्ठोमें इसके पक्षमें जो दलीलें दी गई है, मुझे उनको दोहरानेकी कोई जरूरत नही है। मीठूबहनने पहले ही काम शुरू कर दिया है। वे किसी कार्यको करनेमें तनिक-सा भी समय नष्ट करनेवाली महिला नही हैं। खयाल यह है कि बीस अथवा पच्चीस महिलाओंका एक जत्था शराबकी हर दुकानपर जाये और शराब तथा ताड़ी पीनेके लिए आनेवाले हर व्यक्तिसे निजी सम्पर्क स्थापित करके उसकी आदत छुडानेका प्रयत्न करे। ये महिलाएँ दुकानदारोंसे भी इस अनैतिक व्यापारको छोड़ देनें और बेहतर साधनों द्वारा आजीविका अर्जित करनेकी अपील करेंगी।[1]

प्रशिक्षित महिला स्वयसेविकाओकी पर्याप्त सख्या हो जानेपर विदेशी वस्त्रकी दुकानोंपर भी वैसा ही किया जायेगा जैसा शराबकी दुकानोके साथ किया जानेवाला

१. यह और अगले दो अनुच्छेद १७-४-१९३० के यंग इंडियासे लिये गये हैं।

है। हालाँकि एक ही समिति दोनों तरहके बहिष्कारोंका संचालन करेगी लेकिन इसके लिए दो शाखाओंका होना जरूरी है। कोई भी महिला इन दोनों कार्योंमें से एक कार्यमें शामिल होनेके लिए स्वतन्त्र है, और प्रत्येक कार्यकर्त्रीका कांग्रेसकी सदस्या होना भी जरूरी नहीं होगा। सिर्फ एक बात अच्छी तरहसे समझ ली जानी चाहिए कि यह कार्य कांग्रेसके कार्यक्रमका एक हिस्सा है और बड़े-बड़े नैतिक और आर्थिक परिणामोंके साथ इसके भारी राजनीतिक परिणाम भी सामने आयेंगे।

जो महिलाएँ विदेशी वस्त्र-बहिष्कार-सम्बन्धी शाखामें काम करेंगी, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि खादी-कार्यक्रमके रचनात्मक कार्यक्रमके बिना केवल बहिष्कार तो शरारत-भरा एक काम होकर रह जायेगा। खादीके उत्पादनके बिना बहिष्कारकी सफलता स्वाधीनताके राष्ट्रीय आन्दोलनका नाश ही कर डालेगी। क्योंकि लाखों लोग सहज विश्वाससे प्रेरित होकर इसे अंगीकार करेंगे; लेकिन जब वे देखेंगे कि पहननेके लिए खादी नहीं मिलती अथवा जो खादी मिलती है वह बहुत महँगी है, तो वे खीझ उठेंगे। इसलिए व्यवस्था यह होनी चाहिए कि आप विदेशी कपड़ेका त्याग करके अपने हाथसे खादी बनायें और उसे पहनें। पहले ही खादीकी बहुत कमी है।

विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार एक मुश्किल काम है। उसके दो पहलू हैं: एक बहिष्कार और दूसरा खादीका उत्पादन। बहिष्कारके काममें बहुत उद्यमकी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए थोड़ी-सी सेविकाएँ काफी हो सकती हैं। किन्तु खादीके उत्पादनके लिए तो हजारों ही नहीं, लाखों लोगोंको नियमित रूपसे उद्यम करना होगा। इस तरह इस कामसे संगठन, योजना आदिकी शक्ति पैदा हो सकती है। लेकिन यह काम धैर्यपूर्वक करनेका है। इसके लिए बुद्धि और श्रद्धा अर्थात् हृदयकी जरूरत है। इसके कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे हमें करोड़ों बहनोंके सम्पर्कमें आना होगा। इस कार्यके लिए गाँवों और शहरोंके बीच शुद्ध समन्वय स्थापित करनेकी आवश्यकता है और इस साधनके द्वारा हिन्दुस्तानके लिए आवश्यक खादीका थोड़े ही समयमें उत्पादन हो सकता है। खादी-उत्पादनके सब साधन हमारे पास मौजूद हैं। और इसके उत्पादनके लिए आवश्यक कला-कुशलता भी हममें है। सिर्फ कार्यकर्त्ता नहीं हैं। कार्यकर्त्ता तैयार करनेका काम बहनोंका है। यह तभी हो सकता है जब बहनें स्वयं ओटने, धुनने, कातने आदिकी क्रियाओंको सीखकर स्त्री-पुरुषोंमें इन कलाओंका प्रचार करें। खादीका काम करनेवाले बहुतसे कार्यकर्त्ता नमक कानून आन्दोलनमें लगे हुए हैं। अतः अस्थायी रूपसे खादीका उत्पादन रुक गया है।[1]

हमारे देशके लोगोंमें यह गलत धारणा घर कर गई है कि तन ढँकनेके लिए हमें बाहरसे कपड़ा मँगवाना ही पड़ेगा। जिस क्षण हम अपनी इस मिथ्या धारणासे छुटकारा पा लेंगे उसी क्षण हमारे यहाँ कपड़ेकी कोई कमी नहीं रह जायेगी। यह ठीक वैसी ही बात होगी जैसे किसी व्यक्तिका यह कहना कि मैंचेस्टर अथवा दिल्लीके बने बिस्कुटोंके बिना हम भूखों मर जायेंगे। जैसे हम अपना भोजन खुद बनाते और खाते हैं वैसे ही यदि हम चाहें तो अपना कपड़ा खुद तैयार करके पहन सकते हैं।

१. अन्तिम दो वाक्य तथा अगले दो अनुच्छेद १७-४-१९३० के यंग इंडियासे लिये गये हैं।

हम सौ वर्ष पहले ऐसा ही किया करते थे और हम चाहें तो उस कलाको फिरसे सीख सकते हैं। कपड़ा बनानेकी मुख्य-मुख्य क्रियाओंको बहुत आसानीसे सीखा जा सकता है। ऐसे नाजुक समयमें, राष्ट्रके इतिहासके ऐसे दौरमें हमें संकोच और आलस्य नहीं करना चाहिए। हमारी मिलोंके बारेमें जो-कुछ कहा गया है उसे दोहरानेकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। यदि प्रत्येक मिल विशुद्ध रूपसे स्वदेशी बन जाये और यदि सब मिलें देशभक्त हो जायें तो भी वे हमारी जरूरत-भरका सारा कपड़ा हमें प्रदान नहीं कर सकती। हम चाहे जिस तरहसे भी देखें, हम इस बातको पसन्द करें अथवा न करें लेकिन यदि हम अहिंसात्मक साधनों द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करना चाहते हैं तथा विदेशी कपड़ेके बहिष्कारको — जिसपर हमने १९२० में ही अपनी पूरी शक्ति लगानी शुरू कर दी थी — सफल बनाना चाहते हैं तो हमें खादीको अपनाना ही होगा।

बहिष्कारमें पुरुषोंके योगदानके बारेमें मैंने उस भाषणमें काफी कुछ कह दिया है जो मैंने दांडीमें मुझसे मिलने आये पुरुषोंके समक्ष अचानक ही दिया था। उस भाषणके सम्बद्ध अंश अन्यत्र दिये जा रहे हैं।[1] यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यदि पुरुष महिलाओंके धरना देनेके काममें हस्तक्षेप करेंगे तो वे आन्दोलनको नुकसान पहुँचायेंगे।

उक्त दो परिषदोंमें प्रस्ताव पारित करके गुजरातकी बहनोंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, और उनकी ओरसे बेगम अमीना तैयबजी और उनकी समितिने यह भार अपने सिरपर उठा लिया है।

ईश्वर उन्हें शक्ति दे!

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०-४-१९३० तथा **यंग इंडिया**, १७-४-१९३०

२६८. 'सत्याग्रह-युद्ध'

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबादसे इस नामकी एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है। इस पुस्तिकाको सब कोई पढ़ें। विशेषकर वे लोग जो 'हिन्दी नवजीवन' के नियमित पाठक नहीं हैं, या जिन्हें इस युद्धकी बातोंका अभ्यास करना है, उनके लिए तो यह पुस्तिका विशेषतया उपयोगी है।

हिन्दी नवजीवन, १७-४-१९३०

1. देखिए "भाषण: दांडीमें", १३-४-१९३०।

२६९. कांग्रेस-अध्यक्ष जेलमें

पंडित जवाहरलाल अब जेलमें हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकारने सारे हिन्दुस्तानको जेलमें ठूँस दिया है। यदि हम इतनी बात समझ जायें तो हमें सहज ही अपने धर्मका पता चल सकता है। यदि हम अपनी शक्तिसे जेलके दरवाजे खोलना चाहते हैं, तो हमें नीचे लिखे कामोंमें जुट जाना चाहिए:

१. हम सब जगह नमक बनायें और बाँटें।

२. स्त्रियाँ शराबकी दुकानोंपर धरना दें, अर्थात् विनयपूर्वक कलवारों और शराब पीनेवालों को शराब बेचने तथा पीनेसे रोकें।

३. इसी तरह स्त्रियाँ विदेशी वस्त्र बेचनेवालों तथा पहननेवालों को भी विनयपूर्वक रोकें।

४. घर-घरमें कताईका काम शुरू कर दें।

५. विद्यार्थी विद्यालयोंको छोड़कर राष्ट्रके कार्यमें जुट पड़ें।

६. वकील लोग वकालत छोड़ें और इस राष्ट्र-यज्ञमें अपना सारा समय लगा दें।

७. दूसरे धन्धेवाले भी जितना समय इन कामोंके लिए दे सकें, दें।

८. सरकारी नौकर नौकरी छोड़ें।

९. किसी भी अवस्थामें अशांत न बनें, हिंसा न करें।

१०. किसीको अपनेसे नीच न समझें। सब हिल-मिलकर रहें।

यदि हम इतना कर सकें, तो अवश्य ही हमारी शक्ति बढ़ जाये और कोई हमें अपने मार्गसे रोकनेकी हिम्मत न कर सके।

हिन्दी नवजीवन, १७-४-१९३०

२७०. पत्र: नारणदास गांधीको

१७ अप्रैल, १९३०

चि० नारणदास,

तुम्हारे प्रश्नोंके उत्तर मैंने कल मुँहजबानी गंगाबहनको दे दिये थे। उम्मीद है, वे तुम्हें मिल गये होंगे।

हिसाबके बारेमें तुम जो लिखते हो वह सही है। मैं 'नवजीवन'में लिखनेकी उम्मीद तो रखता हूँ।

. . .[1] के बारेमें मैंने लौटती डाकसे उत्तर भेजा था। वह तुम्हें क्यों नहीं मिला, इस बारेमें महादेवने तुम्हें बताया होगा। रामजी सहाय यदि अपने प्रान्तमें

१. नाम छोड़ दिया गया है।

काम करनेके लिए जाना चाहें तो जायें। वे यदि घरसे सम्पन्न हों तो अपने किराये पर जायें।

बहनोंको भेजनेके बारेमें तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। केशूके लिए कोई काम ढूँढ़ा या नहीं ?

और खादी तैयार करनेके बारेमें जितना विचार किया जा सके, करना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मलकानीको भेजना पड़ेगा; क्योंकि मैंने उसे इनकार नहीं लिखा था। अब [इनकार] लिखनेकी इच्छा नहीं होती।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८१००) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

२७१. भेंट : फ्री प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको

जलालपुर
१७ अप्रैल, १९३०

कलकत्ता और कराचीमें हुए तथाकथित दंगोंके विषयमें अभी तो मैं निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो अक्सर अपनी आँखों-देखी घटनाओंके इतने अधिक अतिरंजित और तोड़-मरोड़कर छापे गये विवरण देखनेको मिले हैं कि मेरा मन कहता है, जनता द्वारा हिंसात्मक कार्रवाइयाँ करनेके जो किस्से छपे हैं, उनमें से अधिकांश गलत होंगे। लेकिन उन्होंने कितनी भी कम हिंसा की हो, मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि उससे हमारे संघर्षको नुकसान हुआ है, लेकिन साथ ही संघर्षको बिना रुके चलना है। यदि अहिंसाको सरकारकी हिंसाके साथ-साथ जनताकी हिंसाके खिलाफ भी जूझना है तो इसे अब भी, जैसे हो, अपना कठिन कर्त्तव्य पूरा करना ही है। मुझे तो इससे छुटकारा मिलता दिखाई नहीं देता।

संघर्षके प्रारम्भमें ही मैंने कह दिया था कि इस बातकी पूरी सम्भावना है कि जनता थोड़ी-बहुत हिंसा कर सकती है। लगता है अब वह हिंसा भड़क उठी है। इससे मुझे दुःख हुआ है — सिर्फ इसलिए कि इससे उस उद्देश्यको नुकसान पहुँचा है जो मुझे प्राणोंके समान प्रिय है। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि ऐसी सभाओंको भंग करके, जिनमें कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं की गई, सरकारने लोगोंको हिंसाके लिए उत्तेजित किया है। सार्वजनिक सभाओंके आयोजनों और उनकी कार्यवाहियों पर पूरी पाबन्दी लगा देनेका उद्देश्य लोगोंको हिंसाके लिए उत्तेजित करना ही है। सरकारने खूब सोच-समझकर जनताके ऐसे नेताओंको गिरफ्तार किया है जिनकी ऐसी शोहरत थी कि वे अहिंसक है और लोगोंपर उनका ऐसा प्रभाव है कि वे

उन्हें नियन्त्रणमें रख सकते हैं। यह तो एक चमत्कार ही होता यदि जनताकी स्वतन्त्रतामें ऐसी जबरदस्त दस्तन्दाजीके बावजूद आसानीसे भड़क उठनेवाले लोग प्रतिशोधके लिए उत्तेजित न हो उठते; और यह तो एक मानी हुई बात है कि ऐसे कुछ-न-कुछ लोग हर समुदाय और दुनियाके हर हिस्सेमें पाये जाते हैं। खुद गुजरातको ही लीजिए। धोलेरामें, जो मुख्य रास्तेसे हटकर पड़ता है, और पास ही वीरमगाँवमें सर्वथा निहत्थे और अशिक्षित राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओंके प्रति ऐसी घोर बर्बरता बरती गई जिसका साफ शब्दोंमें वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका एक-मात्र अपराध यही था कि उनके पास जो नमक था उसे वे अपने हाथसे जाने देनेको तैयार नहीं थे।

पहली बात तो यह है कि मेरी जानकारीमें भारतके बाहर किसी भी सभ्य सरकारने पुलिसको यह अधिकार नहीं दिया है कि वह लोगोंसे, सिवाय ऐसी चीजोंके जो खतरनाक किस्मकी हों, कुछ भी जबरदस्ती छीने। मैं जानता हूँ कि नमक-कानूनकी रूसे उन्हें यह सत्ता दी गई है। मगर इससे तो मेरा ही मत सिद्ध होता है। कोई भी बर्बरतापूर्ण काम सिर्फ इसीलिए कम बर्बरतापूर्ण नहीं हो जाता कि उसके पीछे कानूनकी सम्मति है। जो अशोभन अत्याचार किये जा रहे हैं, वे सर्वथा असह्य हैं और उनका उद्देश्य जनताके धैर्यको समाप्त कर देना है। स्पष्ट तथ्य यह है कि सरकार शान्ति [नहीं] चाहती। देखता हूँ, श्रीयुत जयरामदास दौलतरामकी जाँघमें गोली लगी है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि किसी साधारण आदमीके बजाय श्रीयुत जयरामदास दौलतराम जख्मी हुए हैं। वे भारतके महानतम व्यक्तियोंमें से एक हैं। अगर भीड़में वे भी शामिल थे तो वह लोगोंको भड़कानेके लिए नहीं बल्कि उन्हें हिंसासे रोकनेके लिए ही थे।

ऐसे निर्दोष लोगोंका रक्त बहेगा तो इस अन्यायका अन्त और भी जल्दी होगा। लेकिन इस तरहके लोगोंके जख्मी किये जानेका परिणाम तो यही होगा कि जनता और भी उग्र प्रतिक्रिया दिखायेगी। लेकिन जिन लोगोंतक मेरा सन्देश पहुँच सके, उन्हें मैं आगाह कर देता हूँ कि यदि वे अपने-आपको नियन्त्रणमें नहीं रख सकते तो उन्हें संघर्षमें दखल नहीं देना चाहिए। अगर वे ऐसा करेंगे, तो हमारा देश आज जिस गतिसे अपने लक्ष्यकी ओर बढ़ रहा है, उसमें बाधा पड़ेगी।

लेकिन, मैं जानता हूँ कि वह समय बहुत दूर नहीं है जब मेरी आवाज जनता तक नहीं पहुँच पायेगी। मेरे हाथमें जो भी हथियार है, वे मुझसे छिन जायेंगे, लेकिन वे एक चीज तो मुझसे कदापि नहीं छीन सकते। वह है, अपने उद्देश्यमें मेरा अडिग विश्वास। हम अपने सामने जिस प्रकारका सार्वजनिक आन्दोलन देख रहे हैं, उस तरहके आन्दोलनका नियमन मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर करता है। जनताका उत्साह स्वतःस्फूर्त है। उसके लिए बहुत कम मार्ग-दर्शनकी जरूरत पड़ी है।

मैंने गुजरातमें जो-कुछ होते देखा है, वह यदि भारतके अन्य प्रान्तोंमें चल रहे घटना-चक्रका नमूना है तो मानना पड़ेगा कि इस आन्दोलनको अधिकांशमें किसीके सूत्र-संचालनकी जरूरत नहीं पड़ी है। इसलिए मुझे अब भी आशा है कि संघर्षके अन्तमें इसके लिए यह कहना सम्भव होगा कि यद्यपि यदा-कदा अहिंसाका खेदजनक

विस्फोट हुआ, फिर भी आन्दोलनका अहिंसात्मक रूप मुख्यत. कायम रहा। भारतके भाग्यका निर्णय नगरोमें क्या होता है, उससे नही, वल्कि गाँवोमें क्या होता है, उससे होगा।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १८-४-१९३०

२७२. भाषण : वेजलपुरमें स्वयंसेवकोंके समक्ष

१७ अप्रैल, १९३०

गांधीजी ने अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए कहा कि आज हम यहाँ अपना आगामी कार्यक्रम तय करनेके लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं जो-कुछ सोचता था सरकार तो उससे बिलकुल उलटा कर रही है। उसने सत्याग्रहियोंकी आशाओंपर पानी फेर दिया है। मैं सोचता था कि मुझे गिरफ्तार किया जायेगा, लेकिन मैं अब भी आजाद हूँ। मगर सरकारने स्थितिका अन्दाजा लगानेमें भूल की है। सत्याग्रहीके शब्द-कोशमें 'पराजय' शब्द कहीं है ही नहीं। जो मर-मिटने और जो-कुछ आ पड़े उसे सहनेके लिए तैयार हैं, उनके लिए पराजय कहीं है ही नहीं। इस कष्ट-सहनसे हममें एक प्रबल शक्ति उत्पन्न होगी और उसके बलपर हम सरकारके सारे कानून तोड़ सकेंगे।

हमने नमक-कानून तो सफलतापूर्वक भंग किया है। अब आगे हम क्या करें? कलकत्ता और कराचीमें दंगे होनेकी खबर मिली है। मैंने अखबारोंमें जो-कुछ देखा है, उससे लगता है कि जनतासे कहीं कोई गलती हो रही है और यह बहुत दुःखकी बात है। यद्यपि मैं यह आशा करता हूँ कि लोग अहिंसापर आरूढ़ रहेंगे, लेकिन मैं यह मानकर नहीं चल रहा हूँ कि ऐसी घटनाएँ कभी घटेंगी ही नहीं।

मैं इस लडाईको बन्द करके लोगोंको शान्ति और अहिंसाकी शिक्षा नही दे सकता। कोई एक आदमी करोडो लोगोपर नियन्त्रण कैसे रख सकता है? हमें अपने कर्त्तव्यका पालन करना चाहिए। फिर लोग अपने-आप समझ जायेंगे। मुझे उम्मीद है कि गुजरातने अहिंसाका पाठ अच्छी तरह समझ लिया है। आज अहिंसा ही हमारा धर्म है। हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने तक कष्ट-सहन करते रहना है।

गांधीजी ने आगे कहा कि मैं चाहता हूँ, जबतक स्वराज्य प्राप्त न हो जाये तबतक सभीको राष्ट्रीय स्वयंसेवकोंके रूपमें काम करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर उन्होंने सभीसे कहा कि जो लोग अपनी सेवाएँ देते रहना चाहते हैं, वे निर्भीक होकर हाथ उठायें। इसपर ४८ के अतिरिक्त सभी स्वयंसेवकोंने हाथ उठा दिये।

गांधीजी ने हाथ न उठानेवाले ४८ स्वयंसेवकोंको उनके साहसके लिए बधाई देते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि उन सबको उनके गाँवोंमें ही योग्य कार्य दिये जायेंगे।

इसके बाद राष्ट्रीय सैनिकोंके लिए खाद्य-सामग्रीके सवालपर विचार किया गया। महात्माजी की सलाहपर सभी स्वयंसेवकोंने एकमत होकर तय किया कि उनका भोजन सादा होना चाहिए और उसपर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ५ आनेसे अधिक खर्च नहीं आना चाहिए। लेकिन यह छूट दी गई कि यदि कोई स्वयंसेवक चाहे तो वह नायककी अनुमति लेकर अपने खर्चसे अपने लिए भोजनकी अलग व्यवस्था कर सकता है। लेकिन, गांधीजी का कहना था कि उन्हें इस छूटका यथासम्भव कमसे-कम लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सैनिकोंके रूपमें उनसे आत्मसंयमकी अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंडमें तो राजाओंको भी नाविकोंके रूपमें काम करना पड़ा है और वहाँ वे वही खाना खाते थे जो एक आम नाविक खाता था।

राष्ट्रीय सेनाके सिपाहियों द्वारा धूम्रपानसे सम्बन्धित प्रस्तावपर बड़ी बहस हुई। गांधीजी ने कहा, मैं यह नहीं चाहता कि जो लोग धूम्रपानके आदी हैं, उन सबको इस सेनासे बरखास्त कर दिया जाये, लेकिन उन्हें धूम्रपानके बिना काम चलानेकी कोशिश अवश्य करनी चाहिए।

सम्मेलनका समापन करते हुए महात्माजी ने इस बातपर बहुत जोर दिया कि आप सबको हमेशा अपने-अपने कर्त्तव्य-स्थलपर रहना चाहिए और आपने पूरी तरह विचार-विमर्श करके स्वेच्छासे जो नियम बनाये हैं, उनका आप सबको पालन करना चाहिए। आपका चरित्र ऊँचा होना चाहिए। यदि आपकी अन्तरात्मा स्वच्छ नहीं है तो आपके किये राष्ट्रीय कार्यसे तो स्वराज्य हम सबसे और भी दूर चला जायेगा। मेरे लिए वह बहुत अधिक खुशीका दिन होगा जब मैं अपने राष्ट्रीय सैनिकोंको कष्ट सहन करते और गोलियोंको अपने सीनेपर झेलते हुए देखूँगा। इन अहिंसक सिपाहियोंके भस्मावशेषसे स्वराज्यका जन्म होगा।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १८-४-१९३०

२७३. पत्र : मीराबहनको

वेजलपुर
१७ अप्रैल, १९३०

चि० मीरा,

तुम्हारे दो पत्र मिले।

मैं समझ सकता हूँ कि सूतके बारेमें यह गड़बड़ी कैसे हुई।

और यहाँ आनेकी तुम्हारी स्वाभाविक इच्छाको भी मैं समझता हूँ। लेकिन मुझे निश्चय है कि उस इच्छाको बसमें रखना बेहतर ही था। यह कहावत सचमुच बहुत अच्छी है कि "पापका मोचन केवल नवजन्म द्वारा ही हो सकता है।"

लेकिन यह तो तुम जानती ही हो कि अगर तुम आये बिना न रह सको तो तुम्हें आनेकी पूरी छूट है। लेकिन अगर आओ तो सिर्फ आनेकी स्वाभाविक इच्छाकी तुष्टिके लिए ही आओ। और अगर इस इच्छापर काबू रख सको तब तो कहना ही क्या!

कलकत्ता और कराचीने अबतक की शान्तिको भंग कर दिया है। खुद मैं तो, चाहे जिस कारणसे हो, अविचलित हूँ। लेकिन अगर मुझे विचलित कर देनेवाले उपद्रव हुए तो भी संघर्ष स्थगित करनेका सवाल नही उठता।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३९२) से।
सौजन्य : मीराबहन

२७४. पत्र : शौकत अलीको

वेजलपुर
१७ अप्रैल, १९३०

प्रिय भाई,

आपका पत्र मिला। पढ़कर चकित रह गया। मूल अभी नही पहुँचा है। अभी रातके १०-२० बजे है। लेकिन आपके पत्रका उत्तर देनेमें मुझे रात-भरकी भी देर नहीं करनी चाहिए।

मै आपकी नजरोंमें इतना गिर गया हूँ, यह मै नहीं जानता था।

अगर आपमें मेरा विश्वास उठ जाता तो अवश्य ही मैं आपको वैसा बता देता। जिस चीजसे मेरा विश्वास उठ गया है, वह तो बता ही चुका हूँ, यानी आप-

की निर्णय-बुद्धिमें मेरा विश्वास नहीं रह गया है। नेहरू रिपोर्टका[1] बचाव तो मैं अब भी करूँगा। मगर यह स्वीकार करता हूँ कि अगर उससे मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यकोंको सन्तोष नहीं मिलता तो वह बेकार ही है। यही कारण है कि मैंने कलकत्तामें मोतीलालजीकी अनुपस्थितिमें, किन्तु उनकी सहमति और स्वीकृतिसे, रिपोर्टको बचानेवाला वह प्रस्ताव पेश किया था। आपके लिए इतना काफी होना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट और उसके साथ ही उसकी साम्प्रदायिक योजना खत्म हो गयी है। स्वतन्त्र भारतमें उस योजनाका रूप क्या होगा, इसका निर्णय तो अवसर आनेपर मुसलमान, सिख, दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय और हिन्दू लोग ही करेंगे। अगर नेहरू रिपोर्टको स्वीकार करके मैंने गलती की तो उस गलतीमें डॉ० अन्सारी भी शरीक थे। मेरे लिए इतना काफी था।

आपका यह आरोप सही है कि सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करनेके लिए मैंने आपसे परामर्श नहीं किया। लेकिन यह जानते हुए कि हममें कोई विचार-साम्य नहीं है, मैं वैसा विचार कर भी कैसे सकता था?

क्या आप यह नहीं देख सकते कि आपसे सलाह लिये बिना काम करते हुए भी मेरे लिए यह सम्भव है कि आपका साथ न छोड़ूँ? मेरा मन साफ है। मैंने न आपका साथ छोड़ा है, न मुसलमानोंका। नमक-अधिनियम तथा अन्य अन्यायोंके खिलाफ लड़ने और स्वतन्त्रताके लिए संघर्ष करनेमें साथ छोड़नेका सवाल कहाँ उठता है? और अन्तमें कहूँगा कि मेरा कोई आश्वासन जिसे सिद्ध नहीं कर सकता उसे समय सिद्ध कर दिखायेगा।

आप चाहें तो हमारे बीच हुआ पूरा पत्र-व्यवहार खुशी-खुशी छाप सकते हैं।

आशा करता हूँ, मुहम्मद अलीकी आँखोंके बारेमें आपकी आशंकाएँ निर्मूल साबित होंगी। उनकी आँखोंकी आवश्यकता है — चाहे वह मुझसे लड़नेके लिए ही क्यों न हो। ईश्वर उनका और आपका कल्याण करे।

सदा आपका ही,

अंग्रेजी (एस० एन० १६८१०) की फोटो-नकलसे।

१. मोतीलाल नेहरूकी अध्यक्षतामें एक समिति द्वारा तैयार किये गये भारतके संविधानका मसविदा; देखिए खण्ड ३८।

२७५. स्वयंसेवकोंको सलाह

नवसारी
१७ अप्रैल, १९३०

स्वयंसेवकोंके जो कपड़े फट गये हैं, उनके बदले नये कपड़े बनवानेके लिए उनकी खादीकी जरूरतको लेकर कल गांधीजी के शिविरमें एक सवाल खड़ा हो गया। महात्मा गांधीने कहा कि स्वयंसेवकोंको फटे या खोये हुए कपड़ोंके बिना ही काम चलाना चाहिए और भारतके करोड़ों लोगोंकी तरह केवल लँगोटियोंसे ही संतुष्ट रहना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १९-४-१९३०

२७६. तार: मोतीलाल नेहरूको[1]

१८ अप्रैल, १९३०

धन्यवाद। आपने मेरे मनका भार काफी हलका कर दिया है। ईश्वर आपको शक्ति दे।

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू कागजात, १९३०
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालय

१. यह मोतीलालजी के एक तारके उत्तरमें भेजा गया था। अपने तारमें मोतीलालजी ने गांधीजी को सूचित किया था कि उन्होंने कांग्रेसकी अध्यक्षताका भार सँभाल लिया है; देखिए "तार: मोतीलाल नेहरूको", १५-४-१९३० भी।

२७७. तार : एन० आर० मलकानीको

नवसारी
१८ अप्रैल, १९३०

मलकानी, कांग्रेस
कराची

जयरामदासको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। जाँघमें गोली लगना जेल जानेसे बेहतर है। सीनेमें लगना तो और भी अच्छा होता।

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२६१)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : जयरामदास दौलतराम

२७८. पत्र : रावजीभाई एन० पटेलको

१८ अप्रैल, १९३०

चि० रावजीभाई,

मैंने तुम सबको बड़ी उम्मीदोंके साथ भेजा है। महादेव लिखते हैं कि खेड़ामें अन्धाधुन्ध खर्च हो रहा है। इसपर अंकुश रखना। तुममें से किसीको अब्बास साहबके साथ रहना चाहिए जिससे कि कोई उन्हें पैसोंके लिए परेशान न करे। वहाँ अब कोई राह दिखानेवाला नहीं रहा। तुम ही वह स्थान ग्रहण करना और स्थितिपर काबू रखना।

बहिष्कार भी विषपूर्ण जान पड़ता है। इस बारेमें भी खोज-खबर रखना। जिन पटेलोंने त्यागपत्र दिये हैं उनके सम्पर्कमें आना और यदि कोई अत्याचार करता हो तो उसे रोकना। जिन्होंने त्यागपत्र नहीं दिये हैं, उनमें से यदि किसीको परेशानी होती हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। त्यागपत्र न देनेवालों को अभयदान देना। उनका दाना-पानी बन्द नहीं होना चाहिए।

हर बातपर विचार करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ८९८७)की फोटो-नकलसे।

२७९. पत्र : नारणदास गांधीको

१९ अप्रैल, १९३०

चि० नारणदास,

पैसा अनेक व्यक्तियोंके हाथमें चला जाता है; इस बारेमें तो मैं 'नवजीवन'में लिख चुका हूँ। इस सम्बन्धमें जो-कुछ किया जा सकता हो सो करनेके लिए मैंने महादेवको भी लिखा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८१०१)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

२८०. पत्र : क० मा० मुन्शीको

जलालपुर चौकी
१९ अप्रैल, १९३०

भाईश्री मुन्शी,

आपका पत्र मिला। मैं क्या सलाह दूँ? वकालत छोड़नेके बाद तो केवल वही केस लिया जाना चाहिए जो अधूरा हो। मोतीलालजी, दास इत्यादिने ऐसा ही किया था। आपको क्या करना चाहिए, सो तो केवल आप ही समझ सकते हैं।

आपने मुझे बम्बई बुलानेका पक्का निश्चय तो नहीं किया है न? मैंने स्वामीको लिखा था। उसने उत्तरमें मुझे तार भेजा था जिसका आशय यह है कि जबतक वह न लिखे तबतक मुझे बम्बई नहीं आना चाहिए। वह आपसे मिला होगा। बम्बई आनेके लिए फिलहाल मेरे पास तनिक भी समय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यदि यहाँका काम पूरा हो जाये तो वही पर्याप्त है।

आपने भड़ौंच हो आनेका निश्चय किया, यह बहुत अच्छा हुआ।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५१२) से।
सौजन्य : क० मा० मुंशी

२८१. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

१९ अप्रैल, १९३०

चि० गंगाबहन,

सभी बहनोंसे कहना कि कोई यह न समझे कि मैं उन्हें यहाँ बुलानेवाला नही हूँ। मैं उन्हें जल्दी ही बुलाऊँगा, पर वहाँ किसे रहना चाहिए, इस बारेमें मुझे तुरन्त ही लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७४५)से।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

२८२. भाषण : पटेलोंकी सभा, वेजलपुरमें

१९ अप्रैल, १९३०

हमारा अहिंसा-धर्म ही ऐसा है कि वह धूलसे धान पैदा कर सकता है। सरकारका धर्म हिंसा है। इसीलिए वह नमकमें धूल मिलाती है, जबकि हम मिट्टीसे नमक बनाते हैं। सरकार उसे मिट्टीमें मिलाती है और हम उत्पादन करते हैं। सरकारके पास तोपें और बन्दूकें हैं, हमारे पास कुछ नही है। उसके पास बड़े-बड़े कारखाने हैं और हमारे पास वैसा कुछ भी नही है। हमारे कारखाने हमारी झोंपड़ियोंमें है और हमारी मिलें हमारी यह तकली है। किन्तु आपको यह विश्वास होना चाहिए कि इसमें स्वराज्य दिलानेकी शक्ति है। स्वराज्य तो विश्वासकी बात है। आपने छः महीनेमें स्वराज्यका रचनात्मक कार्यक्रम पूरा कर दिखानेकी प्रतिज्ञा ली थी। आप उस प्रतिज्ञाको पूरा करके मेरे विश्वासको सिद्ध कर दिखायें। यदि आप ऐसा करें तो बारडोली हिन्दुस्तानको स्वराज्य दिला सकती है।

अब जबकि आपने सरकारकी पटेलगिरी छोड़ दी है तो जनताकी पटेलगिरी कीजिए। जिस गाँवमें आप [झूठी] पटेलगिरी करते थे उसी गाँवमें अब सच्ची पटेलगिरी करे अर्थात् गाँवके लोगोंकी सेवा करें।

सेवा तो बहुत प्रकारकी है, किन्तु इतनी सेवा तो अवश्य करे।

हरएक भाई नमक-कानून तोड़े, और वह अपने घरखर्च लायक नमक बनाये इतना ही नही बल्कि वह इतना अधिक नमक बनाकर संग्रह कर ले कि समुद्रके किनारेसे दूरके भागोंमें भी वह नमक पहुँचाया जा सके।

किन्तु आपका पूरा दिन तो इस काममें नही लगेगा। इसलिए आपका दूसरा काम है विदेशी कपडेका बहिष्कार करना। यदि आप सचमुच विदेशी कपडेका बहिष्कार करना चाहते हो तो आपको अपने घरमें बैठकर तकली घुमानी चाहिए, जिसके बनानेमें एक पाई भी खर्च नही होती। यदि आप-जैसे पटेल यह काम करने लगें तो गाँवके सभी लोग आपका अनुकरण करने लगेंगे। कहावत है कि सख्यामें बल है। और गाँवमें सभीको खादी पहनाकर आप गाँवसे बाहर खिंचे चले जा रहे पैसे बचा सकेगे।

इसके अतिरिक्त यदि आप सब मिलकर निश्चय कर ले तो गाँवकी शराबकी दुकानोको तुरन्त बन्द कर सकते है क्योकि गाँवमें रहनेवाले सभी लोगोकी रग आप पहचानते है।

इसके अलावा पंचका महत्त्वपूर्ण कार्य भी आपको ही करना चाहिए। आप ऐसे सभी काम-काज करनेके अभ्यस्त है। बहुत-से लोगोको तो इसका चस्का पड गया होगा। पटेलगिरी छोड़ देनेके बाद यदि वे बेकार रहेगे तो दु.खी हो जायेंगे और शायद उन्हे पटेलगिरी छोड़ देनेका पछतावा भी हो। मै खुद वकालत करता था किन्तु उसे छोड देनेके बाद मुझे कभी पछतावा नही हुआ। क्योकि मैंने ऐसा धन्धा खोज लिया जो मुझे वकालतकी अपेक्षा कही अधिक व्यस्त बनाये रखता है। पटेल पटेलगिरी छोड सकते है किन्तु उनके घर दरबार तो भरना ही चाहिए। वे पचायतोकी स्थापना करे। उनका गाँवके मामलोसे परिचय होनेके कारण वे झगडोका निबटारा बहुत ही सन्तोषजनक ढगसे कर सकते है।

ये सब काम आप सगठित रूपसे कर सके इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप एक 'भूतपूर्व पटेल मण्डल'की स्थापना करे। यदि ऐसा मण्डल होगा तो उसके कामकाजकी रिपोर्ट मुझे नियमित रूपसे मिलती रहेगी तथा आपकी सभी प्रवृत्तियोकी मुझे जानकारी रहेगी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २५-५-१९३०

२८३. बारडोलीमें दिये गये भाषणके अंश

१९ अप्रैल, १९३०

पटेल और तलाटी अब भी भयभीत नजर आते हैं। अब भी यह बात उनके मनमें बैठी हुई है कि वे सरकारकी मारफत प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, साहबी ठाठ-बाटसे रह सकते हैं और सरकारके नामपर जनताको लूट सकते हैं। इसीलिए आज भी आपको उन्हें इस्तीफे देनेके लिए समझाना पड़ता है और उनके विरुद्ध बहिष्कारका शस्त्र उठाना पड़ता है। सच बात तो यह है कि इस सम्बन्धमें अब किसीको समझाने या बहिष्कार द्वारा किसीपर दबाव डालनेकी जरूरत ही नही होनी चाहिए। लोगोंको यह बात अपने-आप सूझ जानी चाहिए कि यह बुरी नौकरी और गन्दी सत्ता त्याज्य है। पटेल और तलाटियोके बारेमें ही क्यों कुछ कहा जाये? क्योंकि मैं यह नही मानता कि इन लोगोके अतिरिक्त अन्य सभी लोगोके मनमें इस लड़ाईके प्रति पूरा विश्वास बैठ गया है। किन्तु जनतामें जितनी हिम्मत आई है उसीकी नीव पर हमें निर्माण करना होगा। मैं चाहता हूँ कि जिन पटेलों और तलाटियोंने अभीतक इस्तीफे नही दिये हैं वे तुरन्त इस्तीफे दे दें। किन्तु यदि इस्तीफे दें तो पूरी तरह दें। यदि इस्तीफे देनेके बाद वे अपने पास बहीखाते रखे रहें, अधिकारियोंकी बराबर सेवा करते रहें तो यह जनताको धोखा देना माना जायेगा। इसकी अपेक्षा तो उन्हें साहसपूर्वक यह कह देना चाहिए कि "आप हमारा बहिष्कार करना चाहें तो करें किन्तु हमें अभी इस्तीफे देनेकी कोई आवश्यकता नही जान पड़ती।"

नमक-कानून तोड़ना हमारे कार्यका सिर्फ एक अंग है। हमें तो स्वराज्य लेना है। इसके लिए कुछ अन्य कार्य करने भी आवश्यक हैं। जितनी भी शराबकी दुकानें हैं वे सभी बन्द होनी चाहिए। फिलहाल थोड़ी-सी बहनें हिम्मत करके निकल पड़ी है और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। सभी बहनोंको घरसे बाहर निकलनेकी आवश्यकता नही है। वे अपने-अपने गाँवोंसे ही शराबको निकालें। हमें किसीको भला-बुरा नही कहना है, किसीपर हाथ नही उठाना है। शराबकी दुकानवालेसे जाकर कहें कि कृपा करके आप अपनी दुकान बन्द कर दें। पीनेवालों को भी विनयपूर्वक समझायें। बहनोके लिए यह काम करना सहज है। पुरुषोंको चाहिए कि वे समझानेमें बहनोंकी मदद करें और खजूरके पेड़के मालिकोंके हितके लिए वे पेड़ काट दें। बहन और भाई घर बैठे यह सब कर सकते हैं।

तीसरी चीज विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार है। यह काम भी हमने बहनोंके हाथमें सौपा है। आप लोगोंको यह काम कठिन जान पड़ता है किन्तु मेरे जैसे व्यक्तिके लिए वह सहज है। अथवा यह काम जितना कठिन है उसी अनुपातमें इसके द्वारा स्वराज्य लेना सहज है। यह कहनेमें तनिक भी अत्युक्ति नही है कि यह सरकार विशेष रूपसे कपड़ेके व्यापारके लिए इस देशमें पड़ी हुई है। ६६ करोड़ रुपयेके इस सीधे व्यापारके पीछे

अन्य इतनी तरहके धन्धे जुड़े हुए हैं कि हम उनका अनुमान भी नही लगा पाते। कराडीके लोगोंकी तरह विदेशी कपड़ोंको इकट्ठा करके जला तो देना ही चाहिए। बारडोलीके भाइयो और बहनो, आपके पास जितने भी विदेशी कपड़े हों उन्हें आप श्रद्धापूर्वक जला दें किन्तु साथ-साथ यह प्रतिज्ञा करें कि आप खादी ही पहनेंगे। यदि आप खादी पहनेंगे तो आपका कपड़ेपर होनेवाला बहुत-सा खर्च बच जायेगा। यदि आप बारीक विदेशी या मिलके बने कपडे पहनेंगे तो आपको १०-२० कपडोकी आवश्यकता होगी किन्तु खादीके एक कच्छे या एक साड़ीसे काम चल जायेगा। फिर खादीकी प्रतिज्ञा तो ऐसी प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मैं अपने ही कते सूतकी खादी बुनवाकर पहनूंगा। ऐसा करना कुछ कठिन नहीं है। बुनना तो आप तुरन्त नही सीख सकते किन्तु तकलीपर कातना तो मैं आपको तुरन्त सिखा सकता हूँ। आप सूत कातने लगें तो उसे बुन देना आश्रमोका काम है। यहाँ जो आश्रम है वे सब खादीके कामके लिए ही हैं। वहाँ काम तो हुआ है; किन्तु जितना होना चाहिए, अबतक उससे बहुत कम हुआ है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २५-५-१९३०

२८४. 'पब्लिक फिनांस एंड आवर पावर्टी'की प्रस्तावना

कराडी

२० अप्रैल, १९३०

यह पुस्तिकाकी दूसरी आवृत्ति है। इसमें सकलित लेखोंके लेखक हैं प्रोफेसर कुमारप्पा। ये लेख पहले-पहल 'यंग इंडिया' में छपे थे। इस आवृत्तिमें जहाँ-कही आवश्यक हुआ है, सशोधन-परिवर्धन भी किया गया है। इन लेखोंमें अंग्रेज-सरकारकी आर्थिक नीति तथा भारतके सर्वसाधारणपर उसके प्रभावपर विचार किया गया है। इसलिए ये लेख बहुत समयानुकूल हैं। इस आवृत्तिमें खुद लेखकने ही बहुत सावधानीसे तैयार की गयी और काफी विस्तृत सांकेतिका भी जोड़ दी है। इससे इसका महत्त्व और भी बढ जाता है। मैं भारतीयो तथा पाश्चात्य देशोंके लोगोंसे भी यह पुस्तिका पढ़नेका अनुरोध करता हूँ।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

पब्लिक फिनांस एंड आवर पॉवर्टी से तथा जी० एन० १००८५ से भी।

२८५. टिप्पणियाँ

सावधान

महान् आन्दोलनके समय उदार लोग अपनी जेबें खाली करते हैं और उनके पास पहुँचनेवालोंमें से सभीको जनताका सेवक मानते हैं। दगाबाज लोग इस अवसरका लाभ उठाते हैं और जहाँसे लूटा जा सके वहाँसे लूटते हैं। चाहे जो व्यक्ति स्वदेशी नमक बेचता फिरता है, जिस किसीके मनमें आता है वह चन्दा इकट्ठा करने लगता है; और लोग भोलेपनमें पैसा देते हैं। ऐसे समय लोगोंको सावधान रहना चाहिए। देनेवाला जिसे जानता-पहचानता हो, उसे ही पैसा दे और उससे रसीद लिये बिना तो कदापि न दे। रसीदपर कांग्रेसके अधिकारीके हस्ताक्षर और कार्यालयकी मुहर होनी चाहिए। समितियोंको चाहिए कि वे पाई-पाईका हिसाब रखें और नामके साथ उसे प्रकाशित करें। रसीद बहियोंकी गिनती होनी चाहिए और इन गिनी हुई बहियोंमें से ही रसीदें दी जानी चाहिए और बादमें उनके आधारपर ठीक तरहसे हिसाब कर लेना चाहिए। इतनी सावधानी बरतनेके बावजूद चोरी तो होगी ही। चोरकी सौ और साहकी एक ही नजर होती है। परन्तु प्रत्येक सार्वजनिक संस्थाका यह धर्म है कि जितनी सावधानी बरती जा सकती है, वह उतनी सावधानी अवश्य बरते।

अहमदाबादके मिल-मजदूर

अहमदाबादके मिल-मजदूर स्वराज्य-यज्ञमें उत्तम ढंगसे अपना योगदान दे रहे है। उनमें से अनेकों खादी पहनते है। वे नही तो उनके बच्चे कातते हैं और शराबकी दुकानोंपर धरना देते है। कुछ-एकने नमक-कानूनकी सविनय अवज्ञा भी की है। मद्यपान-निषेध-आन्दोलनके कारण शराबकी दुकानोंकी आय बहुत कम हुई है। १८२८-२९ के दौरान अहमदाबादकी शराबकी ६ दुकानोंमें औसतन २३१$\frac{३}{४}$ गैलन शराबकी बिक्री हुई थी। इस साल ४५$\frac{१}{४}$ गैलन शराबकी बिक्री हुई है। अर्थात् ८१ प्रतिशतकी कमी हुई है; अथवा कहें १९ प्रतिशत खपत ही बाकी बची है। यदि यह आन्दोलन चलता ही रहा तो इस हिसाबसे हम आशा कर सकते हैं कि अहमदाबादकी शराबकी दुकानें अवश्य बन्द हो जायेंगी। ऐसे शुभ परिणामके लिए मिल-मजदूर तथा कार्यकर्त्तागण बधाईके पात्र हैं। दुकानोंपर धरना भी मजदूर ही देते हैं और कह सकते है, उनके धरना देनेका ढंग आदर्श है। पूर्ण शान्तिका वातावरण है। यदि अन्य मजदूर भी इन मजदूरोंका अनुसरण करें तो मजदूरोंकी आय एकदम बढ़ जायेगी, क्योंकि बचे हुए पैसे तो कमाये हुए पैसोंके समान ही हैं; और इसके अतिरिक्त घरमें जो शान्ति बढ़ेगी, सो अलग।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०-४-१९३०

२८६. सन्देश: धोलेरा और वीरमगाँवके लोगोंको

धोलेरा और वीरमगाँवके आसपाससे जो खबरे आ रही है, उन्हें सुनते रहना असह्य हो गया है। बर्बरतापूर्ण अत्याचार किये जानेकी जो बातें कही जा रही है उन्हें मानते हुए रोमाच हो आता है। जिन्होने विवरण भेजा है वे सावधान रहे और उसे सिद्ध करनेको तैयार रहे। अमानुषिक अत्याचारका जो विवरण दिया गया है, उसके बारेमें कहा जाता है कि वह लुके-छिपे नही बल्कि खुले आम हुआ है। मुझे आशा है कि उक्त विवरण गलत होगा। किन्तु यदि यह सही हो तो सत्याग्रहके जो साधन आजतक प्रयोगमें आये हैं उनकी अपेक्षा कही उग्र साधन भी हैं जो काममें लाये जा सकते है। उनके द्वारा इन अमानुषिक कृत्योको तो रोका ही जा सकता है। जिनपर अत्याचार हुआ है वे लोग घबरायें नहीं। मै स्वय उस ओर जानेको बेचैन हूँ। और यदि ये अत्याचार बन्द नही हुए, और ईश्वरकी कृपा होगी तो मै वहाँ पहुँचकर उनके निवारणके उपाय सुझाऊँगा। वे लोग यह मान ले कि सूरत जिलेका काम करते हुए भी मेरा मन धोलेरा और वीरमगाँवमें ही अटका रहेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०-४-१९३०

२८७. कलकत्ता और कराची

कलकत्ता-कराचीसे मिली हुई खबरे चौंकानेवाली है। इनमें सचाई कितनी है, सो तो समय आनेपर पता चलेगा। अखबारोमें इतनी झूठी बातें छपती है कि उनसे सत्यको जान लेना बहुत मुश्किल है। हिंसक शासनको हमेशा धूर्तताके सहारे-की आवश्यकता बनी ही रहती है। यह कौन नही जानता कि बारडोली सत्याग्रहके दिनोमें सत्याग्रहियोंके बारेमें बेसिर-पैरकी बातें फैलाई गई थी? मेरे सम्बन्धमें आये दिन जो झूठी खबरें फैलती रहती है, उनका क्या मुझे अनुभव नहीं है? इतना होते हुए भी हमारे विपक्षमें कुछ-न-कुछ सत्य तो है ही। यह सच है कि कुछ हिन्दुस्तानियोंने किसी-न-किसीकी जानमालको कुछ-न-कुछ नुकसान पहुँचाया है। इस तरह उन्होंने इस लड़ाईको नुकसान पहुँचाया है, और मेरी स्थितिको विषम बना दिया है। लोग मुझसे जिस सेवाकी आशा रखते हैं, ऐसी घटनाओंके कारण उसमें रुकावट पड़ती है। यह दु:खकी बात है। ऐसी घटनाएँ मुझे झकझोर देती है। यह मेरा स्वभाव है, उससे मैं कैसे बचूँ?

फिर भी मेरा रास्ता तो सीधा-सादा है। कुछ भी क्यो न हो, मै इस लडाईको बन्द नही कर सकता। मेरे पास अपनी अहिंसाको मापनेका कोई पैमाना नही है। मै श्रद्धापूर्वक काम कर रहा हूँ। यदि शुद्ध अहिंसा ही काम कर रही होगी तो सब-कुछ

ठीक ही होगा। जो भी कदम उठाये जा रहे हैं, उनका आखिरी परिणाम अच्छा ही होगा।

'नवजीवन' के पाठकोंका एक ही मार्ग और कर्त्तव्य है। वे जहाँ जायें, शान्तिका ही प्रचार करें, किसीसे कोई कड़वी बात न कहें, अंग्रेजोंके प्रति तिरस्कारके भाव पैदा न करें और अपने ही देशके अफसरोंके प्रति भी किसीके दिलमें नफरत पैदा न करें। अत्याचारीसे भी प्रेम करना हमारा कर्त्तव्य है। हमें उसपर आँच तक नहीं आने देनी चाहिए। बढ़ते हुए अत्याचारका मुकाबला हमें अधिकाधिक दुःख सहकर करना है।

कलकत्ता-कराचीके समाचारोंमें एक सुखद समाचार भी है। जयरामदासकी जाँघमें गोली लगी है। जयरामदाससे बढ़कर सहृदय और सरल व्यक्तिको मैं नहीं जानता। जैसी उनकी निर्मलता है, वैसी ही निर्मल बुद्धि है और वैसी ही उनकी प्रतिष्ठा है। जयरामदास कांग्रेसकी कार्यसमितिके सदस्य और विदेशी वस्त्र-बहिष्कार समितिके मन्त्री हैं। वे पूर्णतः अहिंसावादी हैं। इस युद्धमें ऐसे ही पुरुषोंके बलिदानकी आवश्यकता है। अतएव जयरामदासको मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उनके हिस्सेमें यह पहली गोली आई। अगर वहाँ उपद्रव हो गया था तो जयरामदास उपद्रव कराने वहाँ नहीं गये थे बल्कि लोगोंको शान्त करने गये थे। उनका घायल होना अच्छा ही है। ऐसे ही भारतीयोंके रक्तसे स्वराज्य-मन्दिर चुना जायेगा। यदि हम भी इस यज्ञमें अन्तिम बलिदान देना चाहते हों तो हमें जयरामदासके समान निर्मल, सरल और दृढ़ बनना होगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०-४-१९३०

२८८. विदेशी वस्त्रोंके व्यापारी

अभी-अभी दिल्लीसे मुझे एक तार मिला है, जिसमें लिखा है:

> "चौबीसों घंटे धरनेके फलस्वरूप विदेशी कपड़ेके व्यापारी कुछ विशेष शर्तोंपर समझौता करना चाहते हैं। जिस आर्डरका माल नहीं आया है उसे रद करने और जो माल पड़ा है उसे निर्धारित अवधिके भीतर बेच देनेकी अनुमति चाहते हैं।"

प्रश्न यह है कि क्या ऐसी शर्तें स्वीकार की जा सकती हैं। मैंने अपनी यह राय लिख भेजी है:

> "अवधि कदापि नहीं दी जा सकती। यदि व्यापारियोंमें श्रद्धा हो तो वे विश्वास रखें कि स्वराज्यमें ऐसे गरीब व्यापारियोंको, जिनका नुकसान होगा, समुचित मुआवजा मिलेगा। सुखी-सम्पन्न व्यापारियोंको मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि जमा मालके कारण उन्हें हानि उठानी पड़े तो वे इसे अपने पिछले पापोंका यत्किंचित् प्रायश्चित्त समझें।"

मेरे विचारसे स्वराज्यके इच्छुकोके लिए यह आवश्यक है कि वे इसे भली-भाँति स्पष्ट कर दें। जो दुःसाहसी लोग मैदानमें उतरे है, वे जीतें या मरे, परन्तु मरते-मरते भी स्वयं बहुत-सी बातोको साफ कर ही जायेंगे। इस ससारमें ऐसी कोई लड़ाई नही हुई, जिसमें हजारों आदमियोको नुकसान न उठाना पड़ा हो।

परन्तु यह सग्राम यदि अन्ततक शान्तिमय बना रहा तो फल अधिकसे-अधिक मिलेगा और नुकसान कमसे-कम होगा। इस तरह नुकसानको कम करनेकी दृष्टिसे भी सत्याग्रहियोको दृढ़ बनना चाहिए। जिस बहिष्कारको हमें आज ही सफल बनाना है, उसके लिए अवधि कैसी? विदेशी कपडोके सभी व्यापारी यदि अवधिकी माँग करने लगे तो हम कहाँके रहेंगे? तब तो बहिष्कार आन्दोलनकी शक्ति व्यर्थ ही नष्ट हो जायेगी और दगाबाजीके आगे-पीछे और अगल-बगलके दरवाजे खुल जायेंगे। कौन किस व्यापारीपर निगाह रखेगा? हाँ, जिस व्यापारीको हमारी जीतका भरोसा नही है, परन्तु जो दगा भी नही देना चाहता, वह इतना कर सकता है कि फिलहाल अपने मालको सुरक्षित रख छोडे। यदि जनता हार जाये और गुलामीका दूसरा पट्टा लिख दे तो वे अपना माल सहजमें ही बेच सकेंगे। ऐसे व्यापारी जाने-पहचाने स्वय-सेवकोंको अपने मालकी फेहरिस्त सौंप दें और उसपर काग्रेसकी मुहर लगवा लें, जिससे उचित समयपर यदि उन्हें मुआवजा देना ठीक जान पड़े तो स्वराज्य सर-कार मुआवजा दे सके। दूसरा रास्ता यह है कि ऐसे व्यापारी अपना माल वहाँ भेज दें, जहाँ विदेशी कपड़ा बिकता हो। जो कुछ करना ही चाहता है, उसे अनेक सीधे रास्ते मिल जाते है। अन्यथा, नाचना न जाननेवालेको आँगन टेढ़ा ही लगता है।

परन्तु व्यापारीके दुःखका क्या रोना? पढ़े-लिखे वकीलोके बारेमें क्या कहा जाये? जैसे-तैसे एक कन्हैयालाल मुशीको अपना मार्ग स्पष्ट सूझ पड़ा और उन्होने अपनी अच्छी चलती हुई वकालत तथा सरकारी समुदाय जिसे 'कैरियर' मानता है, उसका बलिदान कर दिया। दूसरे वकील सविनय अवज्ञा करते हुए डरते है। कही 'किताब' में से नाम कट जाये तो? ये भले भीरु वकील सोचें तो समझ सकते है कि यदि सब सविनय अवज्ञा करे तो किसीका नाम 'किताब' से न निकले। लेकिन यदि सब वैसा न करे तो? तो भी डर क्या है? त्यागी वकील यह विश्वास क्यों न रखे कि वह अपना भाग अदा करके स्वराज्यको अधिक निकट लायेगा। वह इस बातको क्यो न माने कि इस महायुद्धका अन्तिम परिणाम स्वराज्य ही होगा। उस समय 'किताब' से काटे गये नाम भी ससम्मान फिर लिखे जायेंगे। डाक्टर क्राउजे ट्रान्सवालके प्रसिद्ध वकील थे। वे फाँसीपर लटकनेसे बचे थे। उनकी वकालत छीन ली गई थी। लेकिन उन्होने पुनः प्रतिष्ठापूर्वक अपनी वकालत शुरू की और न सिर्फ खोया हुआ पाया, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। ऐसे बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते है।

इस लडाईमें सबसे महँगी चीज विश्वास है। यदि हममें थोड़ा-सा भी आत्म-विश्वास आ जाये तो स्वराज्य हमारी मुट्ठीमें है। अन्यथा भ्रमवश हम बगलमें बैठे हुए बालकको सारे गाँवमें ढूँढ़ते फिरेंगे।

जैसे व्यापारी और वकील हैं, वैसे ही विद्यार्थी हैं। हम कितने नीचे गिर गये हैं, इसका हम विचार तक नहीं कर पाते। इसी कारण हमें अपनी गिरी हुई हालतसे जितनी अरुचि होनी चाहिए उतनी अरुचि नहीं होती। अपनी स्थितिके बारेमें यह अज्ञान हमारे आड़े आता है।

इसके बावजूद आज जिस तेजीके साथ हम बढ़े जा रहे हैं, यदि वह तेजी बनी रहे तो व्यापारी, वकील, विद्यार्थी, वैद्य और नाई तक सबमें तेज और साहस आ जायेगा और हम अपनी इच्छित वस्तु शीघ्र ही पा लेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०-४-१९३०

२८९. पत्र: नारणदास गांधीको

२० अप्रैल, १९३०

चि० नारणदास,

मैंने छोटेलालको आज अहमदाबाद भेजा है, उसी तरह जिस तरह प्यारेलालको भेजा है। उन दोनोंको अपनी सेवामें रखनेसे उनकी और मेरी आरामतलबी बढ़ती जा रही थी और मैं उनका पूरी तरहसे उपयोग नहीं कर पाता था। इसीसे प्यारेलालको बढवान और अन्य स्थानोंपर भेजा तथा छोटेलालको विद्यापीठ तथा अन्यत्र रहने और तकली, चरखे आदिका प्रचार करनेके लिए भेजा है। किन बहनोंको हर हालतमें वहाँ रहना चाहिए, सो लिखना।

छोटेलालके हाथ जो २५० रुपये भेजे हैं वे एक मारवाड़ी सज्जनसे मिले हैं। उन्हें सत्याग्रह-कोषमें डाल देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८१०२)से।
सौजन्य: नारणदास गांधी

२९०. पत्र : जमनादास गांधीको

२० अप्रैल, १९३०

चि० जमनादास,

मैं तेरे पत्रकी राह देख रहा था। तू ठीक काम कर रहा जान पड़ता है। तेरा गला ठीक है या नही? खुशालभाई यदि आन्दोलनमें शामिल हो जायें तो बहुत अच्छा हो। मेरे विचारसे तो इसमें शामिल होना शुद्ध धर्म है। मुझे ब्योरेवार पत्र लिखते रहना।

बापूके आशीर्वाद

चि० जमनादास गांधी
मिडिल स्कूलके सामने
नवापारा, राजकोट
काठियावाड

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९३०७) से।
सौजन्य : जमनादास गांधी

२९१. पत्र : क० मा० मुंशीको

२० अप्रैल, १९३०

भाईश्री मुंशी,

आज एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है :

> श्री मुंशीने अपने साहसपूर्ण कदमसे लोगोंपर अच्छा प्रभाव डाला है लेकिन उन्होंने अपने वकील मित्रोंको एक गश्ती चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे दोपहरको एक बजेसे चार बजे तक अपने चेम्बरमें कामकाज देख सकेंगे।

सात व्यक्तियोके हस्ताक्षरोसे युक्त एक और पत्र मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें आपको गालियाँ दी गई हैं। हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्तियोकी इच्छा है कि यह पत्र प्रकाशित किया जाये। मैंने ऐसा करनेसे साफ इनकार कर दिया है। यह तो केवल आपकी जानकारीके लिए है।

श्री मुकुन्द मालवीयने मुझे एक लम्बा पत्र लिखा है। जिसमें उन्होने लिखा है कि अभी उनमें से कोई भी यह नही चाहता कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं कांग्रेसके नेताओंसे

भी मिला हूँ। उनका भी यही कहना है। वे कहते हैं कि जब हम आपके मनोनुकूल कोई काम कर दिखायें तभी आप आयें।

अभी तो आप मुझे वहाँ आनेके लिए विवश न करेंगे। यहाँके कामसे मुझे पल-भरकी भी फुरसत नहीं है। बम्बईमें उत्साहका प्रसार करनेकी आवश्यकता अधिक नहीं है। [अपने लिए] शान्तिकी दृष्टिसे मेरा तो यही सुझाव है। कांग्रेसके चन्द नेताओंको लेकर यहाँ आ जाओ। मुझे तो अभी इससे उबार लोगे न?

लीलावतीसे कहना कि उससे मैं अलगसे और भारी योगदानकी अपेक्षा रखता हूँ। हमारे पुराने सम्बन्धका स्मरण आपने सार्वजनिक रूपसे कराया है, इसमें यदि उसकी सम्मति रही हो तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा वह पुराना सम्बन्ध बाप-बेटीका था। एक बिछुड़ा हुआ बाप अपनी खोई हुई बेटीको पाकर उससे क्या-क्या आशाएँ करेगा?

मोहनदासके वन्देमातरम्

[पुनश्च :]

इस पत्रको समाप्त करनेके बाद मुझे एक और पत्र मिला है जिसमें आपकी प्रशंसा की गई है। इसे तो मुझे आपको भेजना ही चाहिए। मुझे वापस मत भेजना। फाड़ देना।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५१३)से।
सौजन्य : क० मा० मुंशी

२९२. पत्र : महादेव देसाईको

साढ़े ९ बजे रातको, २० अप्रैल, १९३०

चि० महादेव,

दो दिनसे तुम्हारा पत्र नहीं आया। मैं वीरमगाँव और धोलेराके बारेमें जाननेको उत्सुक हूँ। लिखना अथवा किसीसे लिखवाना। चटगाँवमें तो बलवा ही हो गया जान पड़ता है। राम जैसा रखे वैसा रहें।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११४८३)की फोटो-नकलसे।

२९३. भेंट : 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिको

जलालपुर
२० अप्रैल, १९३०

देखता हूँ, बहुत-से मित्र अगले सप्ताह बम्बईमें मेरी उपस्थितिकी आशा लगाये हुए है। श्रीयुत मुशीके आग्रहपूर्ण निमन्त्रणके उत्तरमें मैंने लिखा था कि अगर मौसम ठीक रहा तो मै अगले सप्ताह बम्बई आ सकता हूँ। लेकिन मै देखता हूँ कि इन इलाकोमें मेरी उपस्थिति बहुत आवश्यक है और बम्बईसे कई मित्रोने मुझे पत्र लिखे है कि जबतक बम्बई और अच्छी तरह तैयार न हो जाये, मुझे गुजरातसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। जहाँतक अखबारोंसे मालूम होता है, बम्बईमें उत्साहकी कमी नही है। अनुशासनकी बात मुझे मालूम नही। इस समय तो हम जो चाहते हैं वह है कठोरतम अनुशासन — रक्तरंजित युद्धमें भाग लेनेके लिए खडी की गई सेनासे भी अधिक कठोर अनुशासन; और इस अनुशासनके साथ-साथ चुने हुए कानूनोंका और केवल उन्हीका, अहिंसा और सत्यके सिद्धान्तोके अनुरूप अधिकतम प्रतिरोध। फिर, लगातार रचनात्मक कार्यक्रमको भी चलाते रहना है — इस प्रकार कि मानों आज ही स्वराज्य स्थापित होना है। यह सब बम्बईमें कहाँ तक हो रहा है, यह मैं नही जानता। इसलिए मैं बम्बईवासी भाइयोसे कहता हूँ कि वे मुझे बम्बई बुलानेकी जल्दी न करे। यदि केवल गुजरातके स्त्री-पुरुष ही, उनके सामने जो काम रखा गया है, उसके प्रति यथेष्ट उत्साह दिखायें तो वह स्वराज्यप्राप्तिकी दिशामें एक बहुत बड़ी बात होगी।

आखिरकार यह सघर्ष एक सार्वजनिक आन्दोलनका रूप लेता जा रहा है। इसलिए किसीकी भी उपस्थिति अनिवार्य नही है। सबसे जरूरी बात यह है कि आज सर्वत्र जो एक विलक्षण उत्साहका ज्वार उठ रहा है उसे जहाँतक सम्भव हो, विशुद्ध अहिंसात्मक ढंगकी स्थायी और सक्रिय शक्तिका रूप दिया जाये। दुनियाको गत १२ मार्चसे हमारे उत्साहका पर्याप्त परिचय मिल चुका है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २१-४-१९३०

२९४. विदेशी वस्त्र-विक्रेताओंको सलाह

२० अप्रैल, १९३०

गांधीजी ने कहा कि मुझे लगता है, जहाँ कहीं विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारका संगठन सर्वथा अहिंसात्मक ढंगसे किया जा सकता है, वहाँ इसे यदि बन्द किया जा सकता है तो केवल यही वचन देनेपर कि हम विदेशी वस्त्र नहीं बेचेंगे।

यह सौदेबाजीका समय नहीं है। जिनका इस आन्दोलनमें विश्वास है और जो मानते हैं कि इसके परिणामस्वरूप स्वराज्य मिलना निश्चित है तथा जो यह मानते हैं कि विदेशी वस्त्र खरीदना बन्द कर देना अच्छा है, उन्हें कुछ समयके लिए नहीं, बल्कि सदाके लिए विदेशी वस्त्र खरीदना छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिनका इसमें विश्वास तो नहीं है, लेकिन जनमतके बढ़ते हुए तकाजेका खयाल करके विदेशी वस्त्रोंकी बिक्री बन्द कर देना चाहते है, उन्हें मै निम्नलिखित सलाह दूँगा। ऐसे लोग धरना देना बन्द करनेको कहनेके बजाय फिलहाल विदेशी वस्त्र बेचना छोड़ दें और अगर यह आन्दोलन विफल हो जाये तो भविष्यमें फिर बेचना शुरू कर दें। अगर आन्दोलन सफल हो जाता है तो उन्हें अपने मालके लिए अन्यत्र बाजार मिल जायेगा। यदि इससे उन्हे घाटा होता है और वे इतने गरीब है कि घाटा बरदाश्त नही कर सकते तो उनको भरोसा रखना चाहिए कि भावी राष्ट्रीय सरकार उन्हें वाजिब मुआवजा देगी। लेकिन धरना देनेवालों को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि वे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हर प्रकारकी हिंसा करनेसे बचें। जिन कारणोंसे मैंने यह योजना बनाई कि शराब और विदेशी वस्त्रोंकी दुकानोंपर सिर्फ स्त्रियाँ ही धरना दें उनमें एक यह भी था। लेकिन जहाँ स्त्रियाँ इसके लिए तैयार न हों और पुरुषोंमें पूरा आत्म-विश्वास हो कि वे धरना देनेका काम अहिंसात्मक ढंगसे सम्पन्न कर सकेंगे, वहाँ बखूबी उन्हें भी धरना देना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २१-४-१९३०

२९५. काला शासन

करादी

२१ अप्रैल, १९३०

पिछला सप्ताह सिर्फ खुशीका ही सप्ताह नही था। उस सप्ताह कलकत्ता[1] और कराचीमें उपद्रव हुए। और अब चटगाँवसे दु:खद समाचार आया है। उससे प्रकट होता है कि देश-भरमें अहिंसाकी वृत्तिका जो जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, उसके बावजूद वातावरणमें हिंसा है और उस वृत्तिके घर है देशके नगर। कलकत्ता और कराचीकी घटनाओ और चटगाँवकी घटनाओमें भेद किया जा सकता है। उन दो नगरोमें हुई घटनाएँ क्षणिक आवेशके कारण हुई प्रतीत होती हैं। चटगाँवमें उनके पीछे पूर्व योजना प्रतीत होती है। वे जैसी भी रही हो, मगर हैं बहुत खेदजनक और उनसे आन्दोलनकी प्रगतिमें बाधा पडी है। वैसे यह आन्दोलन बहुत ठीक चल रहा है और दिन-दिन ज्यादा जोर पकडता जा रहा है। मैं तो हिंसामें विश्वास रखनेवालों से यही अनुरोध कर सकता हूँ कि वे अहिंसात्मक प्रदर्शनके सहज प्रवाहमें विघ्न न डालें। चाहे वे मेरी बात सुनें या न सुनें, यह आन्दोलन तो चलता ही रहेगा। यह बात निश्चित है कि हिंसासे स्वराज्यकी ओर हमारी प्रगति रुकेगी। मै यह नही समझा सकता कि यह कैसे होगा। जो लोग इस सघर्षके बाद जीवित रहेंगे वे देखेंगे कि वह हमारी प्रगतिके लिए किस प्रकार बाधक सिद्ध हुई।

फिलहाल सत्याग्रही लोग तो दूनी शक्तिसे अपना काम जारी रखें। हमें अपने खिलाफ खड़ी दोतरफा हिंसाका मुकाबला करना है। मेरे लिए तो जनता द्वारा की गई हिंसा हमारे मार्गमें उतनी ही बडी बाधा है जितनी बडी बाधा सरकारकी हिंसा है। सच तो यह है कि मैं सरकारकी हिंसाका मुकाबला जनताकी हिंसाकी तुलनामें अधिक सफलतापूर्वक कर सकता हूँ। एक बात तो यह है कि जनताकी हिंसाका मुकाबला करनेके लिए मुझे वह समर्थन नही मिलेगा जो सरकारकी हिंसाका मुकाबला करनेके लिए मिलेगा। फिर, चूँकि हिंसामें विश्वास रखनेवाली जनताका उद्देश्य भी उतना ही नेक है जितना कि सत्याग्रहियोका, इसलिए उसकी हिंसाका मुकाबला करनेके लिए तरीके भी उससे भिन्न अपनाने होंगे जो हम सरकारकी हिंसाका मुकाबला करनेके लिए अपना सकते हैं।

मुझे उम्मीद है कि कराचीकी ही तरह कलकत्ता और चटगाँवमें भी सत्याग्रही लोग हिंसात्मक कार्रवाईको रोकनेकी कोशिश कर रहे थे। बहादुर युवक दत्तात्रेय माने का सत्याग्रहसे कोई मतलब नही था। एक कसरती जवान होनेके कारण वह सिर्फ व्यवस्था बनाये रखनेमें मदद देनेकी गरजसे मौकेपर गया था। लेकिन उसे

१. जवाहरलाल नेहरू और जे० एम० सेनगुप्तकी गिरफ्तारीके विरोधमें १९ अप्रैलको कलकत्तामें हुई हड़तालके दौरान दंगा हो गया था।

गोली लग गई और वह चल बसा। इसी तरह १८ वर्षीय मेघराज रेवाचन्दको गोली लगी और वह भी चल बसा। इस प्रकार जयरामदास सहित सात व्यक्तियोंको गोलियाँ लगीं। जयरामदासको गोली लगनेकी खबर सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई — विशुद्ध प्रसन्नता। नेताओंको लगे घावोंसे ही इस अन्यायका निराकरण होगा। बलिदानका नियम संसारमें सर्वत्र एक-सा है। वह प्रभावकारी तभी होगा जब परम-वीर और सर्वथा निष्कलंक व्यक्ति बलिदान देंगे। और जयरामदास ऐसे ही परमवीर और सर्वथा निष्कलंक व्यक्ति हैं। इसलिए जब मुझे जयरामदासके जख्मी होनेका समाचार मिला तो मैं इस आशयका तार भेजे बिना नही रह सका कि जेलमें बन्द रहनेसे जाँघमें गोली लगना बेहतर है और सीनेमें लगा घाव तो जाँघमें लगे घावसे भी अच्छा होता है।[1]

अतएव यद्यपि मैं दोनों दिवंगत वीर युवकोंके माता-पिताओंके प्रति अपनी समवेदना प्रकट करता हूँ, किन्तु मेरे अन्तरतममें यही इच्छा उठ रही है कि यदि वे स्वीकार करें तो मैं उनके सपूतोंके इस सुशोभन बलिदानके लिए उन्हें बधाई दूँ। योद्धाकी मृत्यु पर आँसू नही बहाये जाते और सत्याग्रही योद्धाकी मृत्युमें तो इसके लिए और भी कम अवकाश है। स्वतन्त्रताके लिए आकुल राष्ट्रको जो सबक सीखने पड़ते हैं उनमें से एक यह है कि भय-मात्रका त्याग कर दिया जाये; उपाधियाँ खोनेका भय, धन-ऐश्वर्य छिननेका भय, कारावासका भय और शरीरको चोट आने तथा अन्ततः मृत्युका भय, सबको त्याग देना है।

भारत-भरसे मिली तमाम खबरोंसे मुझे यही जान पड़ता है कि लोग अधिकाधिक निर्भीक होते जा रहे हैं। हम अन्यत्र बिहारसे आया एक पत्र छाप रहे हैं। उसे पढ़कर आत्मा झंकृत हो उठती है।

एक चीज ऐसी है, जिससे हमें जल्दी ही छुटकारा पा लेना चाहिए। अर्थात् शारीरिक शक्तिके मनमाने प्रयोगको जैसे भी हो, बन्द कराना है — चाहे उसके लिए हमे सरकारको अपनी संगीनों और बन्दूकोंका प्रयोग करनेके लिए ही बाध्य क्यों न करना पड़े।

वीरमगाँवमें पुलिसने कुत्सित तरीकेसे जो मारपीट की उसके अनेक उदाहरणोंमें से मैं यहाँ केवल एक नमूना दे रहा हूँ :

दक्षिणामूर्त्ति विद्यार्थी भवनके छात्र अनिरुद्ध व्यास,
स्वयंसेवक सं० ३५ / ३ का बयान

> मैं अपने कई साथियोंके साथ ६-३० शामकी डाकगाड़ीसे नमककी बोरियोंके साथ वीरमगाँव रेलवे स्टेशनपर उतरा। तभी पुलिसके ८-१० लोगोंने हमें घेर लिया। नमकको न छिनने देनेके खयालसे मैं बोरीके साथ जमीनपर बैठ गया और पूरी ताकतसे बोरीसे चिपक गया।

१. देखिए "तार : एन० आर० मल्कानीको", १८-४-१९३०।

> जब मुझे उठानेके लिए पुलिसके सारे प्रयास विफल हो गये तो उनमें से एकने मेरी टाँगोंके बीचमें हाथ डालकर मेरे गुप्तांगोंको दबा दिया ताकि मैं उठ जाऊँ। लेकिन मेरे शरीरके वजन और वहाँ मौजूद पुलिसके लोगोंकी धक्का-मुक्कीके कारण उसके हाथसे मेरे गुप्तांग छूट गये और मैं गिर पड़ा। इसके बाद मुझे फिर खींचा गया। लेकिन मैंने झुककर नमककी बोरीको दोनों बाँहोंमें जकड़ लिया। इसपर पुलिसके आदमीने मेरी पीठपर अपने बूटसे ठोकरें मारकर मुझे सीधा किया। उसकी ठोकरोंसे मुझे बड़ी पीड़ा हुई। इसके बाद दो पुलिसवालों ने मुझे जोरसे झँझोड़ दिया और मेरी अँगुलियोंको जैसे चाहा वैसे मरोड़ा और मेरी बाँहोंकी पकड़ ढीली करके मुझसे नमककी बोरी छीन ली। इसके बाद एक अफसरने मेरा नाम और नम्बर लिखकर मुझे छोड़ दिया।

महादेव देसाईने बताया है कि फिलहाल इस तरहकी मारपीट रुक गई है। लेकिन हम यह तो नहीं कह सकते कि मारपीट सदाके लिए बन्द हो गई है, और ऐसा माननेका तो कोई आधार ही नहीं दिखाई देता कि इस प्रकारकी घटनाएँ गुजरातके दूसरे हिस्सों या अन्य प्रान्तोमें नही होगी। भडौंचमें स्थिति बदसे बदतर होती जा रही है। इस बर्बरतापूर्ण, अनावश्यक और अकारण मारपीटसे गोली लग जाना लाख दर्जे बेहतर है। किसी भी नागरिकके शरीरको चोट पहुँचानेकी छूट नही होनी चाहिए। उसका स्पर्श तो गिरफ्तार करने या उस व्यक्तिको हिंसात्मक कार्रवाई करनेसे रोकनेके लिए ही करना चाहिए, जो-कुछ किया जा रहा है, वह तो हरगिज न होना चाहिए। नमक-कानूनोका प्रयोग सत्याग्रहियोंके खिलाफ करना तो इन बुरे कानूनोंका भी दुरुपयोग है। इन धाराओकी रचना इस कानूनकी नई धाराओको खुले-आम चुनौती देनेवाले जनसमुदायोका मुकाबला करनेके लिए नही, बल्कि उन्हें चोरी-छिपे तोड़नेवालोंका मुकाबला करनेके लिए की गई थी, हालाँकि इन धाराओको मैं इस रूपमें भी अनुचित मानता हूँ। यदि सरकार लोगोको इस तरह निर्ममतापूर्वक मारने-पीटनेकी कार्रवाई बन्द नही करती तो शीघ्र ही सत्याग्रही लोग उसे इस बातके लिए मजबूर कर देंगे कि वह अपनी बन्दूकोंका प्रयोग उनके खिलाफ करे। मैं नही चाहता कि ऐसा हो। लेकिन अगर सरकार यही चाहती हो तो मुझे उसको इसका अवसर देनेमें कोई संकोच नही होगा। उसे सत्याग्रहियोकी मण्डलियोको नमक बनाने या बेचनेसे रोकनेके लिए उनको किसी भी हालतमें शारीरिक चोट नही पहुँचानी चाहिए। हाँ, वह चाहे तो प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चेको गिरफ्तार भले कर ले। और यदि वह न तो लोगोको गिरफ्तार करेगी और न नमक परसे प्रतिबन्ध उठायेगी तो देखेगी कि लोग उसके इन अत्याचारोको सहनेकी बजाय उसकी गोलियोकी बौछारके सामने आगे बढ़ रहे है।

यह सच है कि लोगोपर ऐसा बर्बरतापूर्ण शारीरिक अत्याचार करने तथा उन्हें अभद्र तरीकेसे मारने-पीटनेकी परम्परा अतीतसे ही चली आ रही थी। इस सरकारने अपनी अकथित सहमति देकर उसे ऐसा व्यापक रूप दे दिया है जैसा पहले कभी नही दिया गया था।

यह लेख लिखते समय अभी दो स्वयंसेवक मेरे पास ऐसा नमक लेकर आये हैं जिसे विषाक्त बताया जाता है। अधिकारीगण न केवल नमक और नमककी कड़ाहियोंको मनमाने ढंगसे नष्ट करते हैं, बल्कि कहते हैं, अब वे उसके उद्गम-स्थलको विषाक्त भी करने लगे हैं। अगर यह खबर सही है तो इस शासनका कलंक और भी गहरा हो जाता है। और यह सब किया किनके खिलाफ जा रहा है? उन लोगोंके खिलाफ जो किसीको किसी प्रकारकी चोट पहुँचाये बिना कष्ट-सहन करके स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी कोशिश कर रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-४-१९३०

२९६. पत्र : मीराबहनको

२१ अप्रैल, १९३०

चि० मीरा,

मुझे पेंसिलसे पत्र लिखनेसे चिढ़ है। लेकिन यह खत मैं प्रार्थना-स्थलपर और लोगोंके आनेकी प्रतीक्षा करते हुए लिख रहा हूँ। ४ बजकर २० मिनट हुआ ही चाहता है।

तुम्हें प्रेमाबाईसे अपने हृदयका सम्पूर्ण प्रेम ढालकर बातचीत करनी चाहिए। ऐसा करोगी तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगी। वह योग्य और भली लड़की है। वह अपने तई अच्छेसे-अच्छा काम करना चाहती है। उसे अपनी खामियोंका पता है। जरूरत सिर्फ इसी बातकी है कि कोई स्नेहपूर्वक उसकी सहायता करे। मैं उसे भी लिख रहा हूँ।

रेजिनाल्डका क्या हाल है?

मैं लगातार[1] घूम रहा हूँ और कताईपर ध्यान केन्द्रित कर रहा हूँ। कताईके बिना विदेशी वस्त्रका बहिष्कार हमें उलझा देनेवाला एक जाल बनकर रह जायेगा। और कताईको सार्वत्रिक बनानेवाली एकमात्र वस्तु तकली है। इसलिए तुमसे वहाँ ज्यादा खादी तैयार करनेके लिए जो-कुछ हो सके, करना।

मैं तुम्हारे ही बारेमें एक कतरन तुम्हें भेज रहा हूँ।

सस्नेह,

बापू

[पुनश्च:]

स्याहीवाला भाग प्रार्थनाके बाद लिखा गया था।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३९३) से; सौजन्य : मीराबहन; जी० एन० ९६२७ से भी।

१. यहाँतक पत्र पेंसिलसे लिखा गया है।

२९७. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

सोमवारकी रात्रि [२१ अप्रैल, १९३०][1]

चि० गंगाबहन,

अब रातके सवा ग्यारह बजे है, इसलिए अधिक नही लिखूंगा। मुझे अब भी बहुत काम है।

जो बहनें वहाँ रहती है वे भी लडाईके काममें ही लगी है। मैंने अनेक बार समझाया है, आश्रम और हमारी यह लड़ाई दो भिन्न वस्तुएँ नही है। जिन्होने जेलका भय त्याग दिया है उनके लिए तो जेल और घर दोनो एक समान है। जहाँ सहज ही सेवा करनेका अवसर मिले वहाँ उसका लाभ उठाना चाहिए। यदि धरना देनेके लिए बहनोकी जरूरत पडी तो उसके लिए सब बहनोका निकल पडना ही ठीक है। जब कोई कार्यकर्त्ता न बच रहे और सब ओर भयका वातावरण हो तब तुम सब लोग आश्रमको खाली करके कार्य करनेके लिए निकल पडना और सघर्ष करते हुए अपने प्राण उत्सर्ग कर देना। इस समय जब कि अनेक बहनें धरना देनेके कार्यमें आगे आ रही है उस समय आश्रमकी बहनोको जो कार्य मिले उन्हें वही करते रहना चाहिए।

कुसुमसे मैंने कहा है कि आश्रमके भाई-बहनोंके दो भाग कदापि नहीं हो सकते। यदि वह आश्रमकी ओरसे शामिल होती है तो उसे प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करने ही चाहिए। यदि वह प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर नही करती और आश्रममें रहना-भर चाहती है तो वह आश्रमके अन्य नियमोको मानते हुए भी वहाँ रह सकती है।

यह सुनकर जिस दिन अन्य बहनें यहाँ आईं उसी दिन वह अपनी माँके साथ सलाह-मशविरा करनेके लिए गई। बादमें क्या हुआ, सो मैं नही जानता।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७४६)से।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

१. तारीख बापुना पत्रो–६ : गं० स्व० गंगाबहेनने से ली गई है।

२९८. पत्र : महादेव देसाईको

कराडी
अर्धरात्रि, सोमवार, २१ अप्रैल, १९३०

चि० महादेव,

प्यारेलाल पहुँच गया है। तुम्हारा वक्तव्य तो काममें नहीं आया। मेरा लेख जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें मालूम होगा। भड़ौंचमें जो घटनाएँ हो रही हैं और विहारमें जो घटनाएँ हुई हैं उन्हें देखते हुए धोलेरा और वीरमगाँवमें हुई घटनाएँ कुछ भी नहीं लगती। अब चूँकि वहाँका उपद्रव शान्त हो गया है इसलिए अब इसकी ज्यादा चर्चा करनेसे क्या लाभ? तुमने अपनी साप्ताहिक चिट्ठीमें जो थोड़ा-कुछ लिख दिया है उसमें कोई हर्ज नहीं। तुम्हारे वक्तव्यका कुछ भाग तो निकाल देने लायक लगा। ऐसा मुझे क्यों लगा, यह समझा सकनेका फिलहाल मेरे पास समय नहीं है। मैं पूरे दिन लिखता रहा। बादमें मैं नवसारी अस्पतालमें भरती एक व्यक्तिको देखने गया; उसे खजूरका वृक्ष काटते समय बड़ी जबरदस्त चोट आई थी और अब वह अन्तिम साँसें गिन रहा है। वहाँसे वापस आनेपर मैं कताई-यज्ञको पूरा कर रहा हूँ और तुम्हें यह पत्र लिखवा रहा हूँ। प्यारेलालको भड़ौंच भेज रहा हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि तुम तो पहले ही किसीको भेज चुके हो और अधिक सावधानीके तौरपर मैं प्यारेलालको भेज रहा हूँ। कल छोटेलालको वहाँ [तुम्हारे पास] भेजा है। उसको भेजनेका उद्देश्य तो खादी-प्रचारमें उससे काम लेना है। काकाको मैंने समझा दिया है। यों छोटेलालको शतावधानी कहा जाता है। तात्पर्य यह कि उससे जो काम लेना हो, लेना। अन्तिम निर्देश देनेकी दिशामें मैं विचार कर रहा हूँ। कह नहीं सकता, लेकिन एक-दो दिनमें किसी निश्चयपर पहुँच जाऊँगा। कल दोपहरको सूरत पहुँचूँगा और शामतक वहीं रहूँगा। शामको वापस आऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

सारे हलफनामे भेज रहा हूँ। 'यंग इंडिया'का पुलिन्दा सीधे भेजा गया है। एक हलफनामेका अनुवाद मेरे लेखमें लिया गया है। प्यारेलालका अनुवाद अधूरा और दोषपूर्ण है। मैंने प्यारेलालको [भड़ौंच] भेजनेका विचार त्याग दिया है।

गुजराती (एस० एन० १६८२४)की फोटो-नकलसे।

२९९. भेंट: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको

नवसारी
२१ अप्रैल, १९३०

चटगाँवका समाचार पढकर मन व्यथित हो जाता है। इससे प्रकट होता है कि बगालमें कमोवेश तादादमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो अहिंसामें विश्वास नही रखते — न तो सिद्धान्त और न नीतिके रूपमें। मुझे यह तो मालूम ही था कि ऐसे लोग सारे देशमें है, लेकिन मैंने आशा यह की थी कि वे अहिंसाको एक मौका देंगे। कलकत्ता और कराचीकी घटनाओको तो मै किसी हिंसात्मक वृत्तिका लक्षण नही, बल्कि आकस्मिक घटनाएँ मानता हूँ। लेकिन चटगाँवकी घटनाएँ शायद हिंसात्मक वृत्तिका लक्षण है और यदि ऐसा है तो यह बात बहुत गम्भीर है। लेकिन परिस्थिति चाहे जितनी गम्भीर हो जाये, अब सघर्षको स्थगित नही किया जा सकता। हम अपना कदम पीछे नहीं हटा सकते। देखता हूँ, वाइसराय महोदयने चटगाँवके उपद्रवोंके जवाबमें अपनी असाधारण सत्ताका प्रयोग किया है। मगर इसकी आशा तो की ही जाती थी। जबतक अग्रेज लोग अनिच्छुक जनतापर अपना शासन थोपनेका निश्चय किये बैठे है तबतक तो वे वास्तवमें बिना कानूनका ही शासन करेंगे। हम भारतीय लोग सहज ही इस भ्रममें पड जाते है कि हमारे यहाँ विधिवत् गठित विधानमण्डल है। अब बहुत जल्द सबका भ्रम दूर हो जायेगा। इसलिए सत्याग्रहियोको एक अद्वितीय सघर्ष करना है — एक ओर तो सरकारकी हिंसाके खिलाफ और दूसरी ओर हममें से जो लोग अहिंसामें विश्वास नही करते, उनकी हिंसाके खिलाफ। सत्याग्रही लोग यदि अपने धर्मके प्रति ईमानदार हैं तो वे या तो इस सघर्षसे विजयी होकर निकलेंगे या फिर इन दो चक्कियोके बीच बिलकुल पिस जायेंगे।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २२-४-१९३०

३००. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

२२ अप्रैल, १९३०

भाई सतीशबाबु,

बंगालमें जो-कुछ हो रहा है उसका सत्य वर्णन मुझे कहींसे मीलता नहिं है। तुमारे संघका[1] क्या चलता है उसका भी पता नहिं है। किसीको कह दो कि मुझको सच्ची हकीकत भेजते रहे।

शरीर प्रवृत्ति कैसी है?

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

यह लिखनेके बाद उपवासका तार देखा। मैंने तार दिया है। उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा हुं।

जी० एन० १६१७ की फोटो-नकलसे।

३०१. पत्र : हेमप्रभा दासगुप्तको

२२ अप्रैल, १९३०

प्रिय भगिनी,

तुमारा खत कई दिनोंसे नहिं है। मुझे पता नहिं है कहां तक मुझे जेल बहार रखेंगे। कैसे हि हो मुझको लिखते रहो। जब जेलमें चला जाऊं तब देखा जाय।

तुमारा शरीर अब कैसे रहता है?

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १६६६ की फोटो-नकलसे।

१. अनुमानतः सोदपुरका आश्रम।

३०२. भाषण : पटेलोंके समक्ष, सूरतमें

२२ अप्रैल, १९३०

याद रखिए कि आपने देशहितमें अपनी सेवाएँ अर्पित करनेकी शपथ ली है। अब आपका यह कर्त्तव्य हो गया है कि आप लोग स्वराज्य 'सरकार' के लिए पूरे मनसे कार्य करे।

अगर आप लोगोने अनिच्छासे अपने पद छोड़े हैं तो मै मानता हूँ कि आप अपने देशकी बहुत बड़ी कुसेवा कर रहे है। आप लोगोको अपने-आपमें और इसलिए स्वराज्यमें विश्वास हो तभी मैं आपको इस संघर्षमें सम्मिलित होनेका निमन्त्रण देता हूँ।

अपना भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने पटेलोंसे अपील की कि उन्हें राष्ट्रके लिए उपयोगी रचनात्मक कार्योंमें प्रमुख हिस्सा लेना चाहिए।

सरकारी नमक मत खरीदिए। विदेशी कपडा मत पहनिए और शरावसे दूर रहिए। आप स्वराज्यके लिए कदम बढ़ा रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २३-४-१९३०

३०३. पत्र : नारणदास गांधीको

२२ अप्रैल, १९३०

चि० नारणदास,

सारजाके[1] बारेमें तुमने ठीक ही लिखा है।

साथका पत्र[2] गंगाबहनके लिए है। पढ़कर उन्हें दे देना। अधिक लिखनेका समय नही है, अब कुछ ही देरमें रातके साढ़े ग्यारह होनेवाले है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८१०३) से।

सौजन्य : नारणदास गांधी

१. सारजा आप्टे अपने पतिसे अलग होना और कुछ काम करना चाहती थी।

२. गंगाबहनके नाम इस तिथिका कोई पत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि यह हवाला २१ अप्रैलके पत्रका है।

३०४. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको

२३ अप्रैल, १९३०

भाई हरिभाऊ,

आपका पत्र मिला। आप सबके पकड़े जानेपर यदि मैं मुक्त रहा तो 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' में लिखूंगा। 'नवजीवन' में तो आज ही लिखना है। इसलिए कुछ लिख डालूंगा। रामनारायणने वहाँ आनेकी माँग की है और मैंने अपनी सम्मति भी दे दी है। लड़ाई खूब रंग पकड़ रही है। यदि हमारी ताकत ऐसी ही बनी रही तो मेरा विश्वास है कि हम थोड़े ही समयमें अपने उद्देश्यको प्राप्त कर लेंगे।

कल इतना लिखनेके बाद मुझे बाहर जाना पड़ा। नवसारीमें आपका तार मिला। आपका पत्र भी मिला। इस पत्रका ही उपयोग करते हुए मैंने 'हिन्दी नवजीवन' में[1] लिखा है। 'यंग इंडिया' के आगामी अंकके लिए यदि मैं कुछ लिख सका तो लिखूंगा। अपने शरीरका ध्यान रखना।

शायद अगले सप्ताह में गिरफ्तार कर लिया जाऊँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६०७२) से।
सौजन्य : हरिभाऊ उपाध्याय

३०५. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

कराडी
२३ अप्रैल, १९३०

चि० ब्रजकृष्ण,

तुम्हारा खत मिला। यहां बुलाकर मैं क्या करूं। दिल्लीके हाल मैं अच्छी तरह जानता हुं। जितना हो सके उतना किया जाय। अगर दिल्हीमें या उसके इर्द-गिर्दमें खद्दर उत्पतिका ज्यादा काम हो सके तो करो। बांसकी तकली बनाओ दूसरोंको बनानेका सिखा दो और सूतका संगठन करो। और नायरसे मिलकर जो-कुछ भी हो सकता है वह किया जाय। आश्रम स्थायी रखनेमें मैं कोई हानि देखता नहिं हुं। लेकिन हमारी प्रतिज्ञामें विश्वास है तो जानो कि आश्रम वैसे ही स्थायी बन जाता है क्युंकी यह लड़ाई आखरीका फैंसला है इसलिये स्वराज्यकी स्थापना होने तक तो वो रहता ही है। और स्वराज्य मिल जानेके बाद तो सब आश्रम वैसे ही स्थायी

१. देखिए "सलाम अथवा बेंत?", २४-४-१९३०।

हो जाते हैं। माताजी इत्यादिने खद्दर ग्रहण कर ली है वो वहोत अच्छी बात हुई। तुम्हारा शरीर कैसा है?

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २३८१ की फोटो-नकलसे।

३०६. पत्र : नारणदास गांधीको

२३ अप्रैल, १९३०

चि० नारणदास,

इसके साथ चेक भेज रहा हूँ। इसका ब्योरा भी साथमें है। रसीद इलाहाबाद भेजना।

अभी रातके दस बजे हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८१०४)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

३०७. पत्र : विट्ठलदास जेराजाणीको

२३ अप्रैल, १९३०

भाईश्री विट्ठलदास जेराजाणी,

खादी-आन्दोलनमें और इसलिए तुम्हारे काममें समय-समयपर परिवर्तन होता आया है। मेरी मान्यता है कि जो परिवर्तन किये गये हैं वे खादीके लिए अर्थात् दरिद्रनारायणके लिए आवश्यक थे। हालांकि उस समय [कुछ लोगोंकी] बुद्धि इन परिवर्तनोंको स्वीकार नहीं करती थी। अभीतक तो अनुभव भी यही कहता है कि अन्ततः वे सारे परिवर्तन बुद्धिग्राह्य ही ठहरे और उनके उचित परिणाम निकले; तथा हमने देखा कि वे आवश्यक ही थे। मैं इस समय जिस परिवर्तनका सुझाव देने जा रहा हूँ वह मेरे विचारसे पहलेके परिवर्तनोंसे कहीं अधिक भय उपजानेवाला लगेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि खादी-प्रेमियोंको ऊपर-ऊपरसे विचार करनेपर यह परिवर्तन जितना खतरनाक जान पड़ेगा खादीके लिए वह उतना ही उपयोगी और आवश्यक है। विदेशी वस्त्रके बहिष्कार-शास्त्रके मर्मज्ञ लोग इस परिवर्तनकी आवश्यकताको तुरन्त समझ लेंगे। अभी खादीकी जितनी माँग है उसके अनुरूप हमारे

पास खादीका भण्डार नही है। माँग रोज बढती जाती है और हम उतनी खादी तैयार नही कर पाते। इसलिए यदि हम किसी तरहसे खादी तैयार करनेकी शक्ति पैदा नही करेंगे तो खादीकी तंगी हो जायेगी और यदि खादीकी तंगी हो गई तो वहिष्कार व्यर्थ जायेगा, यह वात हम अंकगणितके हिसावसे भी सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए मेरा नया सुझाव यह है:

जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अर्थात् आज-कलमें ही तुम्हें वम्वईकी जनताको वता देना चाहिए कि जो लोग खादी चाहते हैं उन्हें खादी पैसोसे नही मिल सकती। वे खादी हाथकता सूत देकर ही प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा करनेसे ही लोग समझ सकेंगे कि खादी विदेशी वस्त्रका व्यापार करने जैसा सौदा नही है; बल्कि यह तो जनताकी शक्ति, उसकी भावनाका मापदण्ड है। खादीका शास्त्र तो ऐसा है कि जवतक कपास मिल सके तबतक खादीकी तंगी हो ही नही सकती। लेकिन उसके लिए लोगोंमें कातनेकी भावना पैदा होनी चाहिए। यदि इस कठिन और स्वराज्यकी स्थापनाके समय कातनेकी भावना व्यापक नही हो सकती तो खादीका कोई अर्थ ही नही है। इसके अलावा इतने थोड़े समयमें हम एक करोड़ रतल वजनकी खादी तैयार कर ही नहीं सकते। इसलिए हमारा धर्म सरल और स्पष्ट है। यदि लोगोंमें सचमुच खादीकी भावना हो तो उन्हें कातना ही चाहिए। मेरा सुझाव ऊपर-ऊपरसे देखनेमें जितना डरावना जान पड़ता है वह वस्तुतः उतना डरावना नहीं है। क्योंकि खादी खरीदनेवाले से माँग यह नही है कि वह अपने हाथका कता हुआ सूत दे, वल्कि माँग खादीके वदले किसी भी व्यक्तिके हाथका कता हुआ सूत देनेकी है। इसलिए वम्बई-निवासी जैसे चाहें वैसे कता हुआ सूत पैदा कर सकते हैं। उन्हें थोड़ी-सी तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी और यदि वे लोग इतना-सा कष्ट भी नही उठा सकते तो उनका, खादीका और सवका हित इसीमें है कि वे खादीके विना ही रहे। सूत किस प्रकारका होना चाहिए तथा कौन-कौनसी वस्तुएँ अब भी पैसेसे दी जा सकती हैं, इन सब बातोका तुम स्वयं ही विचार कर लोगे। मुझे उम्मीद है कि वम्वईके लोग, जो इस लड़ाईमें डटकर भाग ले रहे हैं, इतनी सरल वातको समझ जायेंगे और अपनी जरूरतकी खादी प्राप्त करनेमें उनपर प्रयास करनेका जो थोड़ा वोझ आ पड़ेगा, उसे झेल लेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९७७२)की फोटो-नकलसे।

३०८. हिन्दू-मुस्लिम एकता

कौमी सवालके बारेमें मेरे रुखको लेकर आजकल तरह-तरहकी गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं। अतएव यहाँ किसी तरहकी दलील न करके मैं जितने स्पष्ट शब्दोमें अपनी स्थिति बता सकता हूँ, बतानेकी चेष्टा करूँगा।

१. पिछले चालीस वर्षोंसे इस बारेमें मैं जो विचार रखता आया हूँ, वे आज भी कायम है।

२. मै मानता हूँ कि और बातोंकी तरह ही, जिन्हे मै बार-बार दोहराता रहा हूँ, कौमी एकताके बिना भी स्वराज्य कायम नही हो सकता।

३. वर्तमान आन्दोलनका मंशा स्वतन्त्रता प्राप्त करना नही, बल्कि लोगोमें उसे पानेकी शक्ति उत्पन्न करना है।

४. जब यह शक्ति पैदा हो जायेगी और पूर्ण स्वराज्य कायम करनेका समय आयेगा, तब मुसलमानों और दूसरी सभी अल्पसख्यक जातियोके लोगोको सन्तुष्ट करना होगा। अगर वे सन्तुष्ट न हुए तो आपसमें ही लड़ाई शुरू हो जायेगी। लेकिन मैं तो इसी आशापर जी रहा हूँ कि अगर हम यह ताकात पैदा करनेमें कामयाब हो गये तो हमारी आपसी फूट और एक-दूसरेके प्रति अविश्वासकी भावना अपने-आप मिट जायेगी। आज हममें ये दुर्गुण हमारी कमजोरीके कारण ही हैं। जब हममें ताकत आ जायेगी तो हम उन्हें सहज ही त्याग देंगे।

५. नेहरू संविधानके रद हो जानेसे कौमी सवालके निपटारेकी बात भी स्वभावतः रद हो गई है। लाहौर कांग्रेसके प्रस्तावमें यह बात स्पष्ट कही गई है कि सिखो और मुसलमानोंको नेहरू संविधानके अनुसार कौमी सवालके हलसे सन्तोष नहीं हुआ है, इसलिए सभी पक्षोको सन्तुष्ट करनेके लिए इस सवालपर फिरसे विचार करना होगा।

६. मैं जो एकमात्र अहिंसात्मक हल जानता हूँ वह यह है कि हिन्दू अल्पसख्यक जातियोको, वे जो चाहें, लेने दें। मुझे तो अल्पसंख्यकोके हाथोमें देशके शासनको सौंपते हुए भी हिचकिचाहट न होगी। यह कोई कल्पना-जगत्की बात नही है। मेरे विचारसे यह हल सब तरहके खतरोसे बरी है, क्योकि स्वतन्त्र राज्यमें वास्तविक सत्ता तो जनताके हाथोंमें रहेगी। जनताकी उस सत्ताका परिचय तो आज ही दिया जा रहा है। अगर जनता अपनी शक्तिका अनुभव करके संयमके साथ सार्वजनिक हितके लिए उसका उपयोग करे तो सरकार चाहे जितनी शक्तिशाली हो, वह उसके सामने सर्वथा निरुपाय बन जायेगी। गुजरातमें आज लोग जिस शक्ति और सगठनका परिचय दे रहे हैं यदि वह सच्चा है और उसका स्रोत कोई अन्धविश्वास नहीं है, तो कहना होगा कि यहाँके लोग सफलताके निकटतक पहुँच चुके है। लोग यह याद रखें कि देशके शासनमें उसकी आबादीके मुकाबलेमें बहुत ही थोड़े लोग जिम्मेदारी और हुकूमतकी जगहोंपर काम किया करते है। सारी दुनियाका यही अनुभव रहा

है कि सच्ची ताकत और सम्पत्ति तो उन्हीं लोगोंके हाथोंमें होती है, जो शासनकी बागडोर थामनेवाले समूहसे बाहर होते हैं। हम लोग अपने देशमें सत्ताके पीछे इसलिए पागल बने हुए हैं कि हमारे देशवासी भोले हैं, और सहज ही उनका शोषण किया जा सकता है। आजकी सत्तामें ऊपरसे नीचेतक सड़ाँध पैदा हो गई है। अहिंसात्मक शक्तिसे प्राप्त स्वतन्त्रता स्वभावतः ऐसी होगी कि वह इस तरहकी बुराइयोंको प्रायः मिटा देगी। अतएव ऊपर मैंने कौमी झगड़ोंको सुलझानेका जो तरीका बताया है, वह मेरी व्यावहारिक बुद्धिकी उपज है। सचाई यह है कि आज हम अपने वर्तमान अथवा विरासतमें मिले अनुभवोंके खिलाफ कुछ सोचनेमें असमर्थ हैं तथापि इससे अधिक स्पष्ट और क्या हो सकता है कि स्वतन्त्र भारत हमारे वर्तमान अनुभवोंकी परिधिसे बाहरकी ही कोई चीज होगा? आलोचक चाहें तो कह सकते हैं कि अहिंसा और उसके द्वारा प्राप्त भारतकी स्वतन्त्रता केवल मेरे कल्पना-जगत्की ही चीजें हैं। इसका मैं यही जवाब दूंगा कि अगर इस लड़ाईके बावजूद भारत गुलाम ही बना रहा अथवा यदि उसे हिंसाके बलपर तथाकथित स्वतन्त्रता ही मिली तो ईश्वर-कृपासे मैं उस भारतको देखनेके लिए जीवित न रहूँगा। मैं यह कबूल करता हूँ कि हिंसात्मक तरीकेसे प्राप्त स्वराज्यमें अल्पसंख्यकोंको अपनी रक्षा आप ही करनी पड़ेगी। परन्तु इस सरकारकी कृपासे उन्हें इसके लिए विशेष परिश्रम नहीं करना होगा। क्योंकि वर्तमान सरकार तो एक जातिको दूसरी जाति या जातियोंसे भिड़ाकर ही अपना उल्लू सीधा करती रही है। मेरे आलोचकोंकी शंकाका कारण यही है कि वे या तो मेरे सिद्धान्तकी उपेक्षा कर देते हैं या उसमें उन्हें विश्वास नहीं है। लेकिन मैं तो अविचलित ही हूँ, क्योंकि अब अधिक समय तक वे उसकी उपेक्षा या उसमें अविश्वास नहीं कर सकेंगे।

७. मेरी मान्यताओंकी तथाकथित असंगतियाँ उन लोगोंके लिए असंगतियाँ नहीं हैं जो अहिंसाके फलितार्थोंको — बौद्धिक धरातलपर ही सही — समझते हैं।

८. नमक-कर या शराब तथा मादक पदार्थोंकी बुराई अथवा अवांछनीय विदेशी वस्त्रोंके प्रतिरोधमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, जिसपर शंका की जा सके। इसलिए मैं इस संघर्षमें हाथ बँटानेके लिए निस्संकोच भावसे सबको आमन्त्रित करता हूँ। जो लोग इसमें हाथ नहीं बँटायेंगे, वे हर सम्भावित स्थितिमें बुराईका प्रतिरोध करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके एक अवसरसे अपने-आपको वंचित करेंगे।

९. मैंने अहिंसाके अतिरिक्त और कोई भी शर्त लगाये बिना सविनय अवज्ञा सिर्फ इसी सीधे-सादे और अनिवार्य कारणसे आरम्भ की है कि इस देशकी लड़ाई जो मोड़ ले रही थी उसमें तो खुद अहिंसाका ही वारा-न्यारा हो जानेका खतरा पैदा हो गया था। ऐसी आपदामय स्थितिकी आशंका हो और मैं चुपचाप बैठा रहूँ, यह मुझसे नहीं हो सकता था। मैंने तत्काल अनुभव किया कि अगर अहिंसा एक सक्रिय और बड़ी शक्ति है तो यह हिंसाके बीचसे भी अपना रास्ता बनाती हुई अन्तमें उसे पीछे छोड़ सकती है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २४-४-१९३०

३०९. जन-आन्दोलन

जन-आन्दोलनके अद्भुत कर्तृत्वसे प्रभावित होकर एक भाईने 'कॉमर्स ऐंड फाइनैन्स' में प्रकाशित सर मार्टिन कानवेके एक लेखका निम्नलिखित अंश भेजा है:[1]

कोई भी पीढ़ी आस्था और विकासके क्षेत्रमें जितना-कुछ प्राप्त कर सकती है, वह पिछली पीढ़ियोंकी उपलब्धियोंकी तुलनामें नगण्य ही होता है। यह बात मनुष्य द्वारा प्राप्त भौतिक समृद्धि और दुनियाकी कलात्मक निधिसे काफी स्पष्ट हो जाती है, लेकिन संसारने विचारोंकी दुनियामें जो-कुछ प्राप्त करके दिखाया है, उससे तो यह बात और भी अधिक उजागर होती है। ये विचार ही उसकी सबसे मूल्यवान निधियाँ हैं, और इन विचारोंकी रक्षाके लिए संसार व्यक्तियोंका ऋणी नहीं है, चाहे वे कितने ही महान् क्यों न हों। इसके लिए वह ऋणी है जन-समुदायका। क्योंकि मैं एक बार फिर कहता हूँ कि विचारोंका निवास जन-समुदायके मानसमें होता है। वही इन्हें ग्रहण करता है। और वही मानव-समाजमें इसे धीरे-धीरे प्रचारित करता है। व्यक्ति भले ही किसी विचारका आविष्कार करे, लेकिन जबतक वह उसे जनमानसमें उतार नहीं देता तबतक वह निष्प्रभाव ही होता है और आविष्कर्त्ताके साथ ही दम तोड़ देता है। भीड़की असहिष्णुता, अहंकार, चंचलता, संयमका अभाव तथा उसके ऐसे ही उन अनेक दोषोंके लिए, जिनकी ओर हमारा ध्यान बहुत जल्दी जाता है, हम उसकी चाहे जितनी निन्दा करें, लेकिन इस सत्यसे इनकार नहीं कर सकते कि हमारे वैचारिक जीवनका आधार जन-समुदायपर ही है, उसीसे हमें जीवनमें कुछ करनेका उत्साह प्राप्त होता है, उसीसे हमें स्नेह और संक्षोभ, महिमा और महत्ताकी वे दीप्तियाँ प्राप्त होती हैं जो इस वास्तविकताको चरितार्थ करती हैं कि व्यक्तिका जीवन एक सुन्दर सुयोग है।

जिस जन-समुदायके सदस्य कभी एक स्थानपर सशरीर एकत्र न हुए हों, उस पूरे जन-समुदाय अथवा उसके एक अंशको भी यदि इस प्रकार एकत्र किया जा सके तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। एक स्थानपर एकत्र ऐसे जनसमूहका देखनेवालों पर बड़ा आकर्षक प्रभाव पड़ता है — वह आकर्षक प्रभाव जो हर जनसमूहमें मौजूद होता है। यदि यह जनसमूह स्वयं अपनेको देख सके तो इसका जोश उबल पड़ेगा। . . .

जनसमूहके आकर्षणके सिद्धान्तका एक और भी अधिक स्थूल एवं प्रत्यक्ष प्रयोग है जलूसोंका आयोजन। जलूस जितना ही बड़ा होगा, उसकी उपयोगिता

१. इसके कुछ ही हिस्सोंका अनुवाद यहाँ दिया जा रहा है।

> उतनी ही अधिक होगी और अलगसे देखनेवालों के लिए उसका आकर्षण उतना ही अधिक होगा, उनपर उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा पड़ेगा। . . . इंग्लैंडके किसी भी आन्दोलनकी सफलताकी शुरुआत उस दिनसे होती है जिस दिन अलबर्ट हॉल उस आन्दोलनके हिमायतियोंकी गरजती-चीखती भीड़से भर जाता है। और यह तो एक प्रकट तथ्य है कि प्रचारकी दृष्टिसे जितनी फलदायी अलबर्ट हॉलमें सफलतापूर्वक और उत्साहके साथ आयोजित और सम्पन्न एक सभा होती है, उतनी फलदायी मामूली हॉलों और गिरजाघरोंमें आयोजित छोटी-छोटी बीस सभाएँ भी नहीं हो सकतीं।

इस समय इस लेखकी उपयोगिता इस बातमें निहित है कि यह अहिंसाकी प्रगतिका अनुमान लगानेमें सहायता देता है। कोई विचार चाहे अच्छा हो या बुरा, वह सफल हुआ तभी माना जायेगा जब वह जनमानसमें अपना स्थान बना ले। भीड़ जो-कुछ करती है, वह सब बराबर अच्छा ही हो, यह जरूरी नहीं। इसी तरह कुछ लोग जो यह कहते है कि अहिंसा तो अनिवार्यतः व्यक्तिका धर्म है, वह भी ठीक नहीं है। इसके विपरीत अहिंसामें किसीकी आस्थाकी सचाईका मापदण्ड यह है कि उसे जनसाधारण किस सीमा तक स्वीकार करता है। यदि अहिंसा जनसाधारणको प्रभावित नहीं कर सकती तो व्यक्तियों द्वारा उसकी उपासना करना बिलकुल बेकार है। अहिंसाको मैं ईश्वरकी सबसे बड़ी देन मानता हूँ। ईश्वरकी सारी देनपर उसकी सृष्टिके सभी प्राणियोंका समान अधिकार है। उसपर संसार-त्यागी संन्यासियों और संन्यासिनियोंका एकाधिकार नहीं होता। वे अहिंसामें विशेषज्ञता भले ही प्राप्त कर ले, वे भले ही हमें इसके आश्चर्यजनक प्रभावोंसे अवगत करायें, लेकिन अगर उनकी खोज और उनका दावा सही है तो उसे जन-ग्राह्य भी होना चाहिए। यदि सत्य पर कुछ थोड़े-से लोगोंकी इजारेदारी नहीं हो सकती तो अहिंसा पर ही, जो सत्यका ही दूसरा रूप है, क्यों होनी चाहिए? मैंने दुनियाके धर्मग्रन्थोंका अध्ययन बड़ी श्रद्धा-पूर्वक किया है और उस अध्ययनके आधारपर मैं इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि इन सभी धर्मग्रन्थोंमें इस बातके जोरदार और स्पष्ट साक्ष्य मौजूद हैं कि अहिंसाका पालन सभी कर सकते हैं — और सो भी अलग-अलग व्यक्तियोंके रूपमें ही नहीं, बल्कि एक समग्र समुदायके रूपमें भी। सम्पूर्ण विनम्रताके साथ मैंने अकसर ऐसा अनुभव किया है कि चूँकि मुझे अपना कोई मतलब नहीं साधना है, इसलिए मैं हिन्दुओं, ईसाइयों, मुसलमानों या अन्य धर्मावलम्बियोंके धर्मग्रन्थोंकी औरोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सही व्याख्या करता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे इस विनम्रतापूर्ण दावेके लिए सनातनी, ईसाई और मुसलमान भाई मुझे क्षमा करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-४-१९३०

३१०. खरा हिसाब रखनेकी जरूरत

सीधे-सादे लोग नमक बेचनेवाले अथवा अन्य प्रकारसे चन्दा करनेवाले स्वयं-सेवकोंकी झोलियोंमें अपनी-अपनी सामर्थ्यके अनुसार पैसा, रुपया अथवा नोट डाल रहे हैं। जिन स्वयसेवकोंको चन्दा इकट्ठा करने या उचितसे अधिक मूल्यपर नमक बेचनेका अधिकार न दिया गया हो, वे न तो चन्दा इकट्ठा करें और न इस तरह नमक ही बेचें। हिसाब ठीक-ठीक रखा जाये और उसे जब-तब प्रकाशित भी किया जाये। हिसाबकी किताबोंकी जाँच हर हफ्ते लेखा-परीक्षकसे कराई जाये। यदि ऐसे धनाढ्य लोग, जिनकी ईमानदारी अच्छी तरहसे देखी-परखी हो, चन्दोंकी राशियोंके कोषाध्यक्ष बन जायें और कांग्रेसी स्वयंसेवकोंके साथ पूरा सहयोग करते हुए चन्दा इकट्ठा करें तो बहुत अच्छा हो। सक्रिय कार्यकर्त्ताओंको बड़ी तेजीसे गिरफ्तार किया जा रहा है और हो सकता है कि जल्दी ही ऐसी स्थिति आ जाये कि स्थानीय संस्थाओंके लिए चन्देका पैसा सँभालना और उसका ठीक हिसाब रखना मुश्किल पड़ जाये। अभी तो स्थिति यह है कि जनताने इस आन्दोलनके खर्चका बोझ अपने सिर उठा लिया है। तो अब हमें इस कार्यको दायित्वकी भावनाके साथ और व्यवस्थित ढंगसे सम्पन्न करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २४-४-१९३०

३११. शराबकी दुकानोंपर धरना

एक पारसी भाई लिखते हैं[१]:

> यदि शराबके व्यापारसे ज्यादा लाभ न हो तो पारसी इसे तुरन्त छोड़ देंगे और आपके सभी कार्योंमें हाथ बँटाने लगेंगे। क्या आप कोई ऐसा उपाय निकाल सकते हैं जिससे शराबकी दुकानोंकी आमदनी बहुत मामूली स्तर पर आ जाये? यह एक जाना-माना तथ्य है कि ये दुकानदार दो तरहसे इतना ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। एक तो यह है कि ये नापमें जितनी चाहिए उससे कम शराब देते हैं, और दूसरे, ये मिलावट करते हैं। इस सबके लिए ये आबकारी विभागके कर्मचारियोंको रिश्वत देकर मिलाये रहते हैं।
>
> बिचौलियोंके इस मुनाफेको रोकनेका जो एकमात्र उपाय मैं सुझा सकता हूँ, वह यह है कि सरकारसे इन्दौर और ग्वालियर राज्योंकी तरह 'बोतल-प्रणाली' शुरू करवानेका आग्रह किया जाये। . . .

१. इसके कुछ अंशोंका ही अनुवाद दिया जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि आजकल नासिकमें जो शराब तैयार की जाती है, वह आदमीके पीने लायक नहीं होती। . . . सरकारको समान शक्ति (जैसे ३५° से लेकर ४५° तक) की शराब तैयार करानी चाहिए और उसे नासिकमें बोतलबन्द करके बिक्रीके लिए वितरित कर देना चाहिए। . . .

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि शराबकी दुकानोंपर शान्तिपूर्ण ढंगसे धरना देना कठिन है। फिर ऐसा क्यों न किया जाये कि सभी बड़े शहरों और कुछ बड़े-बड़े गाँवोंमें चित्रक्षेपी लालटेनकी पद्धति अथवा सिनेमाके द्वारा लोगोंको शराबके हानि-लाभ समझाये जायें? . . . ऐसे मद्य-निषेध आन्दोलनका प्रभाव अवश्य होगा। सरकार भी ऐसे आयोजनोंको नहीं रोक सकती और इससे मद्य-निषेध सम्पन्न हो सकेगा।

यह पत्र सच्चे मनसे लिखा गया है। इसमें इस बातको साफ तौर पर स्वीकार किया गया है कि यदि पारसियोंको शराबका व्यापार छोड़नेपर राजी किया जा सके तो सारे भारतमें नहीं तो कमसे-कम बम्बईकी हदतक तो मद्यपानकी समस्याका समाधान बहुत आसान हो जायेगा। लेकिन पत्र-लेखकने जो उपाय सुझाये हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। चाहे कुछ भी किया जाये, दुनियाके हर कोनेमें शराबका व्यापार अनैतिक ही माना जायेगा। इसलिए इसका एकमात्र सच्चा उपाय मद्य-निषेध ही है। जिस प्रकार निषेधके बिना चोरीको नहीं रोका जा सकता उसी प्रकार मद्य-निषेधके बिना शराबके व्यापारका नियमन नहीं किया जा सकता।

इसमें सन्देह नहीं कि धरना देनेमें हिंसा भड़कनेका खतरा मौजूद है। मगर इसीलिए तो मैंने भारतकी बहनोंसे इस कामको अपने हाथोंमें लेनेका अनुरोध किया है। यदि पढ़ी-लिखी बहनें भय और अविश्वास त्याग दें तो अन्य बहनें भी निश्चय ही उनका अनुसरण करेंगी।

और जहाँतक पारसी शराब विक्रेताओंका सम्बन्ध है, परोपकारी और दानवीर पारसी लोग उनका भार अपने सिर ले सकते हैं और उनके लिए उपयुक्त धन्धेकी व्यवस्था कर सकते हैं। पारसी नेता इस व्यापारके खिलाफ वातावरण तैयार करके धरना देनेके कामको आसान बना सकते हैं। जो भी हो, अगर आत्म-शुद्धिकी इस लहरके साथ ही इस व्यापारका अन्त नहीं हो जाता तो मुझे आश्चर्य होगा। इसके लिए जरूरत बस इतनी ही है कि बहनें जुटकर थोड़ा-सा प्रयत्न करें। श्रमिक संघ द्वारा धरना देनेके परिणामस्वरूप अहमदाबादके छः मद्य-गृहोंमें, जहाँ मजदूर लोग पीने आते हैं, अब पहलेकी अपेक्षा सिर्फ १९ प्रतिशत रोजगार चल पाता है। यद्यपि मेरे पास ठीक आँकड़े नहीं हैं, लेकिन मीठूबाईके कार्य-क्षेत्रमें भी शराबका व्यापार काफी कम हो गया है। और मुझे मालूम है कि इन दोनों स्थानोंमें धरना देनेका काम बड़े ही शान्तिपूर्ण ढंगसे चलता रहा है। कहते हैं, सूरतमें हजारों लोगोंने स्वेच्छासे आगे आकर शराब न पीनेकी कसम ली है।

मीठूबाई पेटिटके उल्लेखसे मुझे मद्य-निषेधके क्षेत्रमें काम करनेवाले दो अन्य पारसियोंका भी स्मरण हो आता है। लोगोंके बीच दरबारी साधु या भिक्षु अथवा

संन्यासीके नामसे विख्यात धनजी शाह, जो अब नमक-कानूनके अधीन जेल चले गये हैं, जहाँ मैं यह लेख लिख रहा हूँ, उस गाँवमें कई वर्षोंसे काम करते रहे हैं। मैंने जो दाडीसे कराडी आनेका निर्णय किया वह एक हद तक उन्हींका खयाल करके किया था। दूसरे पारसी सज्जन हैं बहराम मेहता, एक स्नातक असहयोगी। वे लोगोंके सम्मान और स्नेहके पात्र थे, इसलिए पुलिसने उन्हें ओलपाडमें गिरफ्तार कर लिया। भारतके पितामह दादाभाई नौरोजीकी चार पौत्रियोंका उल्लेख करनेकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। वे चारों बहनें बिना किसी दिखावेके देश-कार्यमें लगी हुई हैं। वे जिस एकान्त निष्ठासे काम कर रही हैं, वह उनके उदारमना पितामहके योग्य ही है। इस काममें निःस्वार्थ भावसे मदद देनेवाले और भी बहुत-से पारसी भाइयोंके नाम मैं गिना सकता हूँ। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि पारसी शराब-विक्रेता अपनी बहनोंके अनुरोधको ठुकरायेंगे नहीं। नमक-करकी तरह ही शराबके व्यापारका भी अन्त निश्चित है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २४-४-१९३०

३१२. धरना कैसे दें

१. किसी भी शराब अथवा विदेशी कपड़ेकी दुकानपर धरना देनेके लिए कमसे-कम दस स्त्रियोंका होना आवश्यक है। इन दसोंको अपनेमें से एकको नेता चुन लेना चाहिए।

२. इनको सबसे पहले तो एक शिष्टमण्डलके रूपमें विक्रेतासे मिलकर उससे अपना व्यापार बन्द करनेका अनुरोध करना चाहिए और यदि वह शराबका व्यापारी हो तो शराबसे सम्बन्धित और विदेशी कपड़ोंका व्यापारी हो तो विदेशी कपड़ोंसे सम्बन्धित तथ्यों तथा आँकड़ोंसे युक्त पर्चे देने चाहिए। कहनेकी जरूरत नहीं कि पर्चे ऐसी भाषामें होने चाहिए जिसे व्यापारी समझता हो।

३. यदि व्यापारी व्यापार बन्द करनेको तैयार न हो तो स्वयंसेविकाओंको दुकानमें जानेके रास्तेको छोड़कर दुकानकी चौकसी करनी चाहिए और जो लोग वहाँ शराब अथवा विदेशी कपड़े खरीदनेकी इच्छासे आयें उनसे व्यक्तिगत रूपसे वैसा न करनेका अनुरोध करना चाहिए।

४. स्वयंसेविकाओंको अपने हाथोंमें ऐसी प्रचार-पताकाएँ अथवा गत्ते आदिके हलके प्रचार-फलक रखने चाहिए जिनपर, यदि वे शराबकी दुकानपर धरना दे रही हों तो शराबके खिलाफ और विदेशी कपड़ोंकी दुकानपर धरना दे रही हों तो विदेशी कपड़ोंके खिलाफ, बड़े-बड़े अक्षरोंमें चेतावनियाँ लिखी हों।

५. यथासम्भव स्वयंसेविकाओंको वर्दी पहने हुए होना चाहिए।

६. उन्हें बीच-बीचमें अपने विषयसे सम्बन्धित उपयुक्त भजन गाते रहना चाहिए।

७. यदि पुरुष उनकी ओरसे जोर-जबरदस्ती अथवा दस्तन्दाजी करें तो उन्हें उनको रोकना चाहिए।

८. किसी भी हालतमें अश्लील भाषा, गाली-गलौज, धमकियों अथवा अशोभन भाषाका प्रयोग नहीं करना चाहिए।

९. लोगोंको अपनी बात डरा-धमकाकर या जोर-जबरदस्ती नहीं, बल्कि अनु-नय-विनय और तर्कके द्वारा समझानी चाहिए।

१०. जहाँ धरना दिया जा रहा हो, वहाँ पुरुषोंको किसी भी कारणसे एकत्र न होना चाहिए और न आने-जानेका रास्ता ही रोकना चाहिए। इसके विपरीत उन्हें आम तौर पर आसपासके क्षेत्रोंमें विदेशी कपड़ों और शराबके खिलाफ प्रचार करना चाहिए। उन्हें स्त्रियोंके ऐसे जलूस निकालने चाहिए और इस तरहके जलूस निकालनेमें मदद करनी चाहिए जो आसपासके इलाकोंमें घूम-घूमकर मद्य-निषेध और खादीका सन्देश पहुँचायें तथा लोगोंको शराब और विदेशी कपड़ोंके त्यागकी आवश्यकता समझायें।

११. इन धरना एकांशोंके पीछे ऐसे संगठनोंका एक पूरा जाल-सा बिछा होना चाहिए जो तकली और चरखेका सन्देश फैलायें और सोच-सोचकर नये-नये पर्चे और प्रचारके नये-नये तरीके निकालें।

१२. सारी आमदनी और खर्चका बिलकुल ठीक-ठीक और व्यवस्थित हिसाब रखना चाहिए। इस हिसाबको समय-समयपर लेखा-परीक्षकसे जँचवा लिया जाये। यह काम भी स्त्रियोंकी देख-रेखमें पुरुष ही करें। इस सारी योजनाकी अवधारणा यह मानकर की गई है कि पुरुष स्त्रियोंके प्रति सच्चे आदर-भावसे काम लेंगे और उनकी उन्नतिकी सच्ची भावनासे अनुप्राणित होंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-४-१९३०

३१३. हमारी मिलें और विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार

यदि हम अपना कर्त्तव्य पूरा करेंगे और विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारके उद्देश्य और उसकी सफलताकी शर्तोंको समझनेकी कोशिश करेंगे तो यह बहिष्कार अब सम्पन्न होने ही वाला है। नीचे मैं अपनी जो मान्यताएँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वे किन तर्कों पर आधारित हैं, इसका विचार मैं यहाँ नहीं करूँगा। वे तर्क तो इन स्तम्भोंमें कई बार पेश किये जा चुके हैं। छापनेके लिए आँकड़े मैं तैयार करवा रहा हूँ। लेकिन इस समय तो मैं जिन लोगोंकी मेरे निष्कर्षोंमें रुचि हो उनके लिए अपने निष्कर्ष ही दे रहा हूँ। पक्ष-विपक्षके सभी कारणों और दलीलोंपर निष्पक्ष भावसे विचार करनेके बाद ही मैंने ये निष्कर्ष निकाले हैं :

१. हम सम्पूर्ण बहिष्कारके जितने समयमें सम्पन्न हो जानेकी आशा रखते हैं, उतने समयमें देशी मिलें अपनी क्षमता इतनी बढ़ा लेंगी कि वे बहिष्कारके परिणाम-स्वरूप होनेवाली कपड़ेकी कमीको पूरा कर पायेंगी, यह सम्भव नहीं है।

२. भारतमें खड़ी सभी मिले स्वदेशी नहीं हैं। कुछ तो उतनी ही विदेशी ह जितनी विदेशी यह सरकार है; सो इस तरह कि वे देशके धनको विदेशमें ले जानेके साधनका काम कर रही हैं। ये यूरोपीयोकी स्वार्थ-सिद्धिके गढ़ हैं, जहाँ भारतीय केवल मजदूरोकी हैसियतसे ही काम करते हैं।

३. अधिकांश स्वदेशी मिलें केवल — या मुख्य रूपसे भी — राष्ट्रीय हितोंके लिए काम नही करेंगी।

४. अगर वे करेंगी भी तो सरकार उन्हें तरह-तरहसे कुचल दे सकती है।

५. अधिकाश मिले वर्तमान अनुकूल अवसरसे नाजायज फायदा उठानेका लोभ संवरण नही कर पायेंगी।

६. बहुत-सी मिलें बुनाईके लिए — विशेष रूपसे किनारोंके लिए — विदेशी सूत इस्तेमाल करती हैं।

७. मिलोका उपयोग हमारे लिए तभी है जब हम यह मानकर चले कि बहिष्कारसे होनेवाली कपड़ेकी कमी पूरी करना उनके बसकी बात नही है और ऐसा समझकर हम उन्हे अपनी शक्ति और सूझ-बूझ तथा ईमानदारीके भरोसे काम करनेको छोड़ दें।

८. यह अन्तिम बात तभी सम्भव हो सकती है जब हम बहिष्कारसे हुई कपड़ेकी कमीको ऐसे कपड़ोंसे पूरा कर सके जो हमारी मिलोंके बने हुए न हों। यह कमी तो खादीसे ही पूरी की जा सकती है।

९. यदि लोगोंमें खादीकी भावना और खादी तैयार करनेका संकल्प जगा दिया जाये तो महीने-भरके अन्दर बिना किसी कठिनाईके बेशुमार खादी तैयार की जा सकती है।

१०. कुशल बुनकर सारे भारतमें मिल सकते हैं। समस्या सिर्फ बुनाईकी है।

११. जिनमें सीखनेकी इच्छा और मेहनत करनेकी तत्परता हो वे कताई तथा उससे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया हफ्ते-भरमें सीख सकते हैं।

१२. भारत जितनी रुई पैदा करता है, वह उसकी तमाम जरूरतोंके लिए काफी है।

१३. इसलिए विदेशी वस्त्रोके बहिष्कारके लिए काम करनेवाले सभी लोगोको अपना ध्यान हाथ-कताई द्वारा खादी-उत्पादनपर केन्द्रित करना चाहिए। इसका मतलब कोई स्वदेशी मिलोंके कपड़ोका बहिष्कार न लगाये। यह तो बस बुद्धिपूर्वक इस तथ्यको स्वीकार करना ही है कि मिलोंको अपने कपड़े बेचनेके लिए किसी खास कोशिशकी जरूरत नहीं है और बहिष्कार आन्दोलनसे स्वदेशी मिलोको मदद भी काफी मिलती है, क्योंकि इसका उद्देश्य अपने देशके बाजारसे उस विदेशी कपडेको हटाना है जो स्वदेशी मिलोके कपडोसे होड़ लेता है और उसका दम उसी तरह घोट रहा है जिस तरह उसने चरखेका सफाया कर दिया। इसलिए मिलोके लिए विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारको सम्पन्न करानेसे अधिक कुछ करनेका मतलब खादीको नुकसान पहुँचाना होगा।

यदि मिल-मालिक चाहें तो जिन मिलोंका स्वामित्व, नियन्त्रण और प्रवन्ध भारतीयोंके हाथोमें है, जो वुनाईके लिए विदेशी सूतका उपयोग विलकुल नहीं करती, जो खादीसे मिलता-जुलता कपड़ा तैयार नहीं करेगी, अपने कपड़ोंके लिए खादी नामका इस्तेमाल न करेंगी और न अपने कपड़ोंपर चिपकाये जानेवाले लेवलोंपर चरखेकी तसवीर ही छापेंगी तथा जो मूल्योंमें भी वृद्धि नही करेंगी, ऐसी मिलोंकी सूची प्रकाशित करके खादीके वलपर वहिष्कारकी योजनाको सफल वनानेमें सहायता दे सकते हैं।

मेरा यह निश्चित मत है कि जो लोग वहिष्कारके लिए प्रचार तो करते हैं, लेकिन इस वातपर जोर नही देते कि वहिष्कार करनेवाले लोगोंको खुद सूत कातकर अथवा अन्य लोगोको कातनेके लिए राजी करके खादी-उत्पादनमें सहायता देनी चाहिए और इस प्रकार जो लोग स्वदेशीके अर्थोको पूरी तरह समझे विना उसकी वात करते रहते हैं, वे इस आन्दोलनको यदि वास्तवमें हानि नहीं पहुँचाते तो इसकी प्रगतिके मार्गमें वाधक तो जरूर होते हैं। वहिष्कार करनेवालों को अपने निश्चित मार्गसे विचलित नही होना चाहिए, भले ही फिलहाल वे खादीकी माँग पूरी करनेमें असमर्थ ही क्यों न हों। वे यह याद रखें कि यही क्षण खादीके उत्पादनके लिए सवसे उपयुक्त है। आवश्यकता आविष्कारकी जननी है। आवश्यकता किसी नियमको नही जानती, क्योंकि वह तो नये नियमोंका आविष्कार करती है। यदि लोग कातनेको कहे जानेपर विदेशी कपड़ेको त्यागनेसे इनकार कर दें तो इसपर उन्हें चिन्ता नहीं होनी चाहिए। यह संयम वहिष्कार-आन्दोलनको वास्तवमें गति देगा। यह कोई थोथा सिद्धान्त नही है। जिस प्रकार हम स्वराज्य अंग्रेजोंको सजा देनेके लिए नही, वल्कि इसलिए चाहते हैं कि हम उसके विना जी नहीं सकते, उसी प्रकार हमें विदेशी वस्त्रोंका वहिष्कार भी अंग्रेजोंको सजा देनेके लिए नही, वल्कि करोड़ों क्षुधार्त्त लोगोंको चरखेके द्वारा काम और इस प्रकार भोजन देनेके लिए करना है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २४-४-१९३०

३१४. तकलीके द्वारा वहिष्कार

डॉ० पट्टाभिसीतारमैया वर्षोंसे सहकारी वैंकिंगमें दिलचस्पी रखते आये है और इसके सिवा वे आन्ध्रमें खादीके विशेषज्ञ हैं; अतः यह माना जा सकता है कि उन्होंने जो आँकड़े दिये हैं वे सोच-समझकर दिये हैं। उन्होंने हिसाव लगाया है कि ५० लाख चरखोंपर प्रतिदिन पाँच घंटेके हिसावसे इतना सूत काता जा सकता है जिससे उस सारे विदेशी वस्त्रकी कमी पूरी की जा सकती है जिसका हमें वहिष्कार करना है। उनका विचार है कि भारतके घरोंमें पहलेसे ही इतने चरखे विद्यमान हैं। लेकिन उन चरखोंको प्रकाशमें लाने और उनपर कताई शुरू करवानेमें अभी हमें थोड़ा समय लगेगा। कताईके वातावरणसे उत्पन्न होनेवाली माँगको पूरा करनेके लिए हमें जितनी जल्दी नये चरखे वना सकने चाहिए उतनी जल्दी हम नही वना सकते। और फिर

चरखोंपर हमें पूंजी भी लगानी पड़ेगी, चाहे वह कितनी ही कम क्यों न हो। जब हम करोड़ों लोगोंका विचार करते हैं तो एक रुपया प्रति व्यक्तिके हिसाबसे भी यह पूँजी करोड़ों रुपये तक पहुँच जाती है। और हम यथासम्भव कमसे-कम पूंजीसे काम करना चाहते हैं। हम ज्यादासे-ज्यादा लोगोंको कमसे-कम समयमें कातना सिखाना चाहते हैं। ऐसा केवल तकलीके द्वारा ही हो सकता है। यदि चरखेसे प्रति घंटा औसतन ३०० गज सूत काता जा सकता है तो तकलीसे १०० गज सूत काता जा सकेगा। अतएव पचास लाख चरखोंसे जितना सूत काता जा सकता है उतना सूत तैयार करनेके लिए हमें १ करोड़ ५० लाख तकलियोंकी जरूरत होगी। और यदि लोग ५ घंटे न कातकर केवल १ घंटा ही कातें तो हमें ७ करोड़ ५० लाख तकलियोंकी जरूरत पड़ेगी। यह संख्या भारतकी आबादीकी एक चौथाई है।

लेकिन चूंकि हममें विश्वास नहीं है इसलिए यह सुनते ही हमारा तो सिर घूमने लगता है कि आठ करोड़ व्यक्ति राष्ट्रके लिए प्रतिदिन एक घंटा काम कर सकते हैं। लेकिन यदि लोगोंमें सच्ची राष्ट्रीय चेतना हो तो इसमें कोई अनोखी बात न होगी कि भारतमें रहनेवाले हर चार व्यक्तियोंमें एक व्यक्ति गुलामीसे मुक्ति-की कीमतके रूपमें प्रतिदिन एक घंटा चरखेको दे।

जो भी हो, कार्यकर्त्ताओंको पूरे विश्वासके साथ तकलीको हाथमें लेना चाहिए। उन्हें लोहेकी तकलीकी बात नहीं सोचनी चाहिए, जो मगनलाल गांधीने नगरके लोगोंके लिए बनाई थी। यदि आठ करोड़ लोहेकी तकलियोंकी एकदम माँग हो तो उनपर एक अच्छी रकम खर्च होगी तथा उनके बननेमें भी काफी समय लगेगा। इसलिए हमें अपने मनसे लोहेकी तकलीका विचार निकाल देना चाहिए। तकलियाँ चिरे हुए बाँस तथा टूटी खपरिया अथवा अधन्नेके आकार और वजनके खोटे सिक्कोंसे बनाई जा सकती हैं। औजारके नामपर बस एक नुकीला और तेज चाकू चाहिए। नोककी जरूरत टिकुलीमें छेद करनेके लिए है। ये रहे निर्देश :

तकली कैसे बनायें

१. मंगलौर खपरे अथवा स्लेट अथवा ऐसी ही किसी चीजका एक टुकड़ा ले और उसकी पैसेके आकारकी टिकुली बना ले। टुकड़ेके किनारोंको धीरेसे तोड़कर और उसे किसी खुरदरी चीजपर रगड़कर, गोल बनाकर ऐसा किया जा सकता है।

२. टिकुलीके बीचो-बीच एक छेद बनायें, छेद एक तरफसे तनिक बड़ा हो।

३. सात इंच लम्बा एक अच्छा सूखा चिरा हुआ बाँस ले। उसे चाकूसे छील-कर गोल करें, उसकी मोटाई अन्तमें पेंसिल जितनी रह जानी चाहिए। उसका एक छोर घिसकर बुननेकी सलाई-जितना नुकीला बना लें। नुकीले छोरसे आधा इंच नीचे एक खाँचा बनायें जिसमें धागा अटकाया जा सके।

४. अब इस बाँसकी छड़को टिकुलीमें डालो। छड़ उस ओरसे डाली जाये जिस ओरका छेद तनिक बड़ा है, जिससे कि छड़के मोटे छोरका आधा इंच लम्बा हिस्सा छेदके उस ओर रह जाये।

५. तकलीकी जाँच करनेके लिए उसे समतल जगहपर घुमायें। अगर यह लट्टूके समान घूमती हो तब तो यह ठीक है। अगर नहीं घूमती तो समझ लें कि या तो छेद सीधा नहीं है अथवा टिकुलीके बीचों-बीच नही है अथवा बाँसकी छड़की नोक एक-जैसी नही है। तकलीके दोषका पता लगाना और उसे ठीक करना बहुत आसान है।

तकलीपर लगातार एक सप्ताह तक अभ्यास करनेके बाद जो सबसे ज्यादा सूत काता गया वह प्रति घंटा ११० गज था। और तकली बनानेमें केवल आधा घंटा लगता है।

तकली बनाना समय-व्यापनका अच्छा साधन है। और कातना एक रचनात्मक मनोरंजन। यह व्यथित हृदयको शान्ति प्रदान करता है और एक मूक साथी है। चरखा गुंजन करता है और इसलिए कह सकते हैं, वह आपका ध्यान बँटाता है। तकलीमें कोई आवाज नही होती, यह उसकी एक खूबी है। और इस तरह यह शायद करोड़ों मूक प्राणियोंका सही प्रतिनिधित्व करती है। आप भी इसे चलायें और आप भी उसी प्रसन्नताका अनुभव करेंगे जिस प्रसन्नताका अनुभव हममें से कई लोग करते हैं। कुछ भी हो, जो भी स्त्री अथवा पुरुष चरखा चलाता है वह देशकी सम्पत्तिमें वृद्धि करता है और बहिष्कार-आन्दोलनको गति प्रदान करता है तथा इस तरह स्वराज्यको दिन-प्रति-दिन निकट लाता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-४-१९३०

३१५. विदेशी कपड़ोंके व्यापारी

मैंने विदेशी वस्त्र-बहिष्कारके प्रश्नके सम्बन्धमें पत्र-प्रतिनिधियोंके सम्मुख अपने विचार रख दिये हैं। व्यापारियोंमें जो घबराहट पाई जाती है उससे देशके प्रति उनके विश्वासका अभाव सूचित होता है। यदि उन्हें इस बातका पूरा यकीन है कि निकट भविष्यमें स्वराज्य आनेवाला है तो वे शर्तोंकी और समय दिये जानेकी माँग क्यों करते हैं? वे बिना किसी शर्तके आगे क्यों नहीं आते और इसे ज्यादा निश्चित क्यों नही बना देते? अनिश्चयकी यह स्थिति स्वराज्यके वातावरणको बल प्रदान करनेके स्थानपर कमजोर बनाती है और लोगोंके हृदयोंमें सन्देह उत्पन्न करती है। यह आन्दोलन मुख्य रूपसे विश्वासपर आधारित है। हममें ऐसा कोई मूलभूत दोष नहीं है जिससे हम स्वराज्यके अनुपयुक्त ठहरते हों। यह तो हमारा भ्रम है, जो हमें, तीस करोड़की आबादीवाले इस राष्ट्रको, असहाय और अपनी क्षमताके विषयमें शंकालु बनाता है। विदेशी कपड़ेके व्यापारी अपनी गोलमोल बातोंके द्वारा इस भ्रमको पुष्ट न करें। उन्हें अपने-आपको इससे मुक्त करना चाहिए तथा उसे दूर करनेमें औरोंकी भी सहायता करनी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें

कोई शर्तें नहीं रखनी चाहिए, अपितु साहसपूर्वक यह कह देना चाहिए कि वे विदेशी कपड़ोंका व्यापार बन्द नहीं करेंगे।

जो लोग कमजोर हैं और जिन्हें स्वराज्यकी प्राप्तिके बारेमें सन्देह है उन्हें मैं एक ठोस सुझाव देता हूँ। अभी जो माल आया नहीं है उसे वे न मँगवायें। यदि स्वराज्य नहीं मिलेगा और यदि वे अपने पुराने धन्धेमें वापस जाना चाहेंगे तो उन्हें ऐसा करनेसे दुनियाकी कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। उनके पास इस समय जो विदेशी माल मौजूद है उसे तबतकके लिए सन्दूकमें बन्द करके रख देना चाहिए जबतक वे उसे बाहर विदेशोंमें बेचनेकी व्यवस्था नहीं कर लेते और जो व्यापारी अपेक्षाकृत गरीब हैं उन्हें स्वराज्य सरकार पर भरोसा रखना चाहिए कि वह उनकी जितनी आवश्यक समझेगी उतनी क्षतिपूर्ति कर देगी। लेकिन उन्हें चाहिए कि वे अपने पास पड़े मालकी एक तालिका बना लें और उसे ऐसे स्वयसेवकोंसे प्रमाणित करवा लें जिन्हें ऐसा करनेका अधिकार प्राप्त हो। धनाढ्य व्यापारियोको किसी क्षतिपूर्तिकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हे जो नुकसान होगा वह राष्ट्रके प्रति किये गये उनके पापका आंशिक प्रायश्चित्त होगा। और अन्तमें, हालाँकि यह अन्तिम सुझाव एक बुरा सुझाव है, वे लोग अपना माल सुरक्षित रखें और जब विदेशी कपड़ेके बहिष्कारका यह सार्वजनिक आन्दोलन पर्याप्त समर्थनके अभावमें खत्म हो जाये अथवा बलपूर्वक उसका दमन कर दिया जाये तब अपने मालको बाहर निकालकर बेचे। किन्तु भगवान् न करे कि वर्तमान उत्साह पानीका एक बुलबुला-मात्र ही सिद्ध हो अथवा उग्र दमनके द्वारा उसे दबाना संभव हो जाये! इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आन्दोलनका चाहे जो भी परिणाम क्यो न हो, विदेशी कपड़ेके व्यापारियोको स्पष्ट रूपसे यह समझ लेना चाहिए कि उन्होंने जो शर्तें रखी हैं वे हमारे उद्देश्यके लिए हानिकारक है और यह कि शर्तोंके बिना भी पर्याप्त संरक्षण दिया गया है। उनमें देशभक्तिकी इतनी भावना तो होनी चाहिए कि वे कसौटीपर खरे उतरें; उन्हें अपनी ओरसे विदेशी कपड़ेकी बिक्री बन्द कर देनी चाहिए जिससे धरना देनेकी जरूरत ही न रह जाये।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २४-४-१९३०

३१६. सलाम अथवा बेंत?

अजमेरसे श्री हरिभाऊ उपाध्याय लिखते हैं:[१]

यदि हरिभाऊजी को मिली हुई खबर सच है तो जेलमें भी सत्याग्रह करनेका काफी सामान मौजूद है। आम तौर पर कैदीका जेलरको सलाम करना ही अच्छा है। परन्तु यदि कोई सत्याग्रही सलाम न करे तो उसके साथ जबरदस्ती कभी न की

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकका कहना था कि जेलके अधिकारियोंको 'सलाम' न करने के कारण सत्याग्रही बाबा नृसिंहदासको काल-कोठारीमें डाल दिया गया है और शायद उन्हें बेंत भी लगाये जायें।

जानी चाहिए। अतएव जब सलाम करानेके लिए किसीके साथ जबरदस्ती की जाये तो दूसरोंका भी धर्म हो सकता है कि वे भी सलाम न करें।

आश्चर्य यह भी है कि कई जगहोंमें सत्याग्रही कैदियोंको जो रियायतें दी गई हैं वे इन कैदियोंको नहीं मिली हैं। मेरे विचारसे तो किसी भी सत्याग्रही कैदीको अन्य कैदियोंसे अलग न माना जाना चाहिए। परन्तु यदि एक सत्याग्रहीके साथ खास बरताव किया जाता है तो दूसरोंके साथ भी वैसा ही बरताव किया जाना चाहिए। कांग्रेसके नजदीक तो पथिकजी और नृसिंहदासजी का वही स्थान है, जो राष्ट्रपतिका। परन्तु कोई इस सल्तनतसे न्याय-बुद्धिकी — इन्साफकी अपेक्षा कैसे रख सकता है?

हिन्दी नवजीवन, २४-४-१९३०

३१७. भेंट : 'हिन्दू' के प्रतिनिधिको

कराडी
२४ अप्रैल, १९३०

मैंने श्री प्रकाशम्‌की गिरफ्तारी और डा० पट्टाभिको सजा दिये जानेका समाचार सुनाया।

हाँ, सभी प्रमुख व्यक्तियोंको गिरफ्तार किया जा रहा है और यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

आप सब लोग तो जेलसे बाहर रहेंगे।

थोड़ा रुककर गांधीजी ने हँसते हुए कहा कि यह बात उन्होंने पत्र-प्रतिनिधियोंके लिए कही थी। इसपर मैंने उनसे कहा कि लगता है आपको इस समय तो सरकार भी गिरफ्तार करनेका इरादा नहीं रखती; इसलिए आप भी मुक्त रहेंगे।

हाँ, मैं भी पत्रकार हूँ। हम सब पत्रकार मुक्त रहेंगे।

इसके बाद बातचीत रासमें 'कर नहीं देंगे' का जो संघर्ष छेड़नेका विचार चल रहा है, उसकी ओर मुड़ गई। गांधीजी का कहना था कि यदि रास संघर्षके लिए पूरी तरहसे तैयार हो और वहांके लोगोंको अपनी सफलताके बारेमें पूरा विश्वास हो तो गांधीजी उनके रास्तेमें नहीं आयेंगे। उन्होंने आगे कहा :

बेशक, उन्होंने संघर्ष आरम्भ करनेसे पूर्व मुझे सूचना भेजी है और मैंने उन्हें ऐसा करनेकी अनुमति दी है, लेकिन उन्हें संघर्षको अपने-आप चला सकना चाहिए। यदि वे इसके लिए तैयार हों तो भले शुरू कर दें।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २५-४-१९३०

३१८. पत्र : रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको

११ बजे रात, २४ अप्रैल, १९३०

प्रिय रेनॉल्ड्स,

सिर्फ एक पंक्ति।

देखना है, महादेवकी अनुपस्थितिमें अब तुम 'यंग इंडिया' का कार्य-भार कैसे निभाते हो? उम्मीद है, तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४५३५)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : स्वार्थ मोर कालेज, फिलाडेल्फिया

३१९. पत्र : मीराबहनको

[२४ अप्रैल, १९३०के बाद][1]

तुम्हारा पत्र अभी-अभी मिला, उसी डाकसे जिस डाकसे महादेवके बारेमें समाचार मिला है।

हाँ, तुम छोटेलालके साथ खादी-कार्यमें लगना चाहो तो लग जाओ। बालकोबासे मुझे पत्र लिखनेको कहना। उसे दूध और फल अवश्य लेने चाहिए।

मैं अन्तिम उपायपर[2] विचार कर रहा हूँ, जिससे कुछ निर्णयात्मक कार्यवाही अनिवार्य हो जाये। लेकिन सब-कुछ भगवान्‌के हाथमें है।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३८५)से; सौजन्य : मीराबहन; जी० एन० ५३८५ से भी।

१. 'महादेवके बारेमें समाचार' से तात्पर्य सम्भवतः २४ अप्रैलको अहमदाबादमें उनकी गिरफ्तारीसे है।

२. लगता है 'अन्तिम उपाय' से तात्पर्य धरासणाके नमक डिपोपर प्रस्तावित धावेसे है; देखिए "पत्र : वाइसरायको" ४-५-१९३०।

३२०. पत्र : डोरोथी डि' सूवाको

मुकाम कराडी
२५ अप्रैल, १९३०

प्यारी बच्ची,

जलूसवालों के किसी भी कामसे तुम डरो मत। वे तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते और यदि तुम ईश्वर पर भरोसा रखती हो तो फिर तुमको किसी भी चीज या आदमीसे डरनेकी कोई जरूरत ही नहीं। फिर भी मैं जरूरतके मुताबिक कार्रवाई करूँगा।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

कुमारी डोरोथी डि' सूवा
नं० ४७, गॉफ रोड
आगरा (सं० प्रा०)

अंग्रेजी (जी० एन० १३६९)की फोटो-नकलसे।

३२१. पत्र : अब्बास तैयबजीको

२५ अप्रैल, १९३०

प्यारे सफेद दाढ़ीवाले,

लो, अब मणिबहन भी आपके पास आ रही है। उम्मीद है, उसके आगमनसे आपको, रावजीभाईको तथा अन्य लोगोंको हार्दिक प्रसन्नता होगी। खेड़ाकी स्त्रियोंमें जागृति लानेके लिए उसकी सेवाओंका बेरहमीसे प्रयोग करना।

हमीदा[1] ओलपाडमें अद्भुत काम कर रही है। वह अपने पिताके समान ही होनहार है। भगवान् उसका भला करे।

सस्नेह,

मो० क० गां०

अंग्रेजी (एस० एन० ९५७१)की फोटो-नकलसे।

१. अब्बास तैयबजीकी पुत्री।

३२२. पत्र : महादेव देसाईको

२५ अप्रैल, १९३०

चि० महादेव,

तुम्हें मेरा आशीर्वाद तो है ही। तुम्हारा लारीसे यात्रा किये बिना काम नही चल सकता था; फिर भी मेरी दृष्टिसे दोष तो हुआ ही है। यह दोपदर्शन वस्तुतः अन्य लोगोके हितके लिए है, लेकिन तुम्हारे लिए भी हो तो हर्ज नही। मोटर जब्त होना जरूरी नही था। मैने तो सोचा था कि जैसे गगाजल कांवरमें [पैदल] लाया जाता है, तुम नमक ले जानेकी वही पद्धति अपनाओगे और मुझे यह बात पसन्द भी बहुत आई थी। मान लो कि पाँच-पाँच मीलपर अथवा लगभग इतनी ही दूरीपर पडाव रखें और हर पड़ावमें २५ व्यक्ति हो। २५ लोगोकी टुकड़ीमें हर व्यक्ति पाँच-पाँच सेर लेकर निकले तो उसका मतलब होगा तीन मन, पाँच सेर नमक। वह टुकडी दूसरे मुकामपर नमक पहुँचा दे और वही रहे। वहाँकी टुकड़ी तीसरे मुकामपर पहुँचाये। दूसरी टुकडी वापस आये और पहली टुकड़ी धोलेरा पहुँचे। इससे तो लोगोको बहुत-कुछ तालीम मिल जाती और नमक भी अच्छी तरह पहुँचता। और किसी किस्मका नुकसान भी न होता। तुमने जो किया उसमें गाड़ी जब्त होनेकी आशंका तो थी ही; और [नमककी] बोरी तो जब्त होती ही। फिर इसमें कुछ छिपाकर रखनेकी बात भी थी; तुम्हारी विजय भी उसमें छिपानेकी कलापर अवलम्बित थी; जब कि हमारे पास इस तरह छिपाने लायक तो कोई बात होनी ही नही चाहिए। इस तरह छिपा रखना सामान्य युद्धकी चतुराईके अन्तर्गत आता है। यह हमारे लिए वर्जित है। फिर, बोरीमें रखे हुए नमकको कब्जेमें लेनेके लिए पुलिसको काफी शक्ति लगानी पड़ेगी। ऐसा हमें अकारण ही नही करना चाहिए। फलतः तुम्हारी इस योजनामें बहादुरी तो खूब थी, चतुराई भी थी; लेकिन उसमें शुद्ध अहिंसाका अभाव था। किन्तु आजके वातावरणमें तुम्हें यह वस्तु सूझ नही सकती थी। सम्भव है, मैं स्वयं भी कहीं भूल कर जाता होऊँगा। अलबत्ता, मै एक भी कदम बिना सोचे-विचारे नही उठाता और प्रत्येक नया कदम उठानेके समय मुझे सोचने-विचारनेका समय मिलता है। आजकल मै जो विचार करता हूँ वह केवल प्रार्थना-रूप है। इसमें मै बुद्धिका प्रयोग नही करता। केवल अपने हृदयको टटोलकर देख लेता हूँ।

स्वामीने भायन्दरसे नमक ले जानेकी बात सोची थी। उसमें भी यही दोप आ जाता। धारासणा मेरी नजरमें है, लेकिन मै किसीको उसके पास भी नही फटकने देता। अन्ततः यदि उसपर कब्जा करनेका निश्चय किया गया तो संघ[1] प्रकट रूपसे नोटिस देकर निकलेगा।

मैंने जो-कुछ लिखा है उसे पढ़कर तनिक भी पश्चात्ताप न करना, दुःख मत मानना। मैंने तो यह इसलिए लिखा है, जिससे तुम्हें जेलमें अहिंसाका सूक्ष्म

१. तीर्थ-यात्रियोंका दल।

दर्शन करनेको मिले और काका तथा नरहरिको भविष्यमें मार्गदर्शन मिले। इसके बावजूद तुम पकड़ लिये गये, यह ठीक ही हुआ। बाहर रहनेसे कुछ मिठाई तो मिलनेवाली थी नही और सम्भावना अत्यधिक कामकी वजहसे तुम्हारे बीमार पड़ जानेकी थी। तुम्हारे जेलसे लौटने तक कई हजार व्यक्ति अपने प्राणोंसे हाथ धो चुके होंगे। ईश्वरकी कैसी कृपा है कि कुछ चुने हुए लोग अनायास ही बच जायेंगे। जो लोग बलि हो जायेंगे और जो बचे रहेंगे वे सब समान रूपसे ही पुण्यको प्राप्त करेंगे। मरनेवाले लोग ही पुण्यवान सिद्ध होंगे अथवा अपेक्षतया अधिक पुण्यवान सिद्ध होंगे, ऐसा माननेका कोई कारण नही।

मेरा खयाल है कि पेशावर और चटगाँवमें हुई घटनाओंके बाद निर्दोष व्यक्तियोंके दो-चार कत्लेआम और होंगे। अथवा निर्दोष व्यक्तियोंको जान-बूझकर और दृढ़ताके साथ जेलमें ठूँस दिया जायेगा। कराचीमें तो निर्दोष व्यक्ति ही मरे अथवा घायल हुए है। सच बात तो यह है कि सरकार खुद भी नहीं जानती कि उसकी स्थिति क्या है और वह क्या करना चाहती है। यह सब उसके लिए और संसारके लिए नई बात है।

अब खूब आराम करना। लकड़ीकी तकली बना लेना। और डटकर कातना। खादी तैयार हो रही है। दूसरे कैदियोंसे कतवाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९८५८)की फोटो-नकलसे।

३२३. पत्र : नारणदास गांधीको

२५ अप्रैल, १९३०

चि० नारणदास,

आश्रमके लिए नमक प्रान्तीय समितिसे ले लेना। यदि वहाँ या अन्यत्र कहीं भी न मिल सके तो मुझे लिखना।

नमकको बेचनेके बारेमें इमाम साहबसे पूछना।

सारजाबहनने अपनी बच्चीको कहाँ भेजा है?

मैं खुशालभाईको लिखूंगा। उड़ीसाके लिए बहनोंने मुझसे तो कोई माँग नही की है। सोनामणि आदिको यदि अभी नहीं भेजा जा सकता तो उन्हें वहीं रहने दो और शिक्षा प्राप्त करने दो।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

भाई भणसाली काम माँगते है। रातकी पहरेदारी तो वे अवश्य चाहते है। उचित लगे तो उन्हें वह सौंप देना। कदाचित् सफाई भी करें।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८१०५) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

३२४. पत्र : जमनादास गांधीको

२५ अप्रैल, १९३०

चि० जमनादास,

तुम्हारा पत्र मिला। तार देनेकी जरूरत नही थी। सरकार किसी भी हालतमें खुशालभाईको नही पकड़ेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। उनके साथ यदि टुकड़ी हो तो यह अच्छी बात होगी। उन्हें इतनी बात जरूर सोच लेनी चाहिए कि सरकार सविनय अवज्ञा करनेके कारण कदाचित् उनकी पेंशन बन्द कर दे। यदि वह ऐसा करे तो मेरी दृष्टिसे यह ठीक ही होगा। वह जितना अन्याय करेगी, उसका परिणाम भी उतनी ही जल्दी सामने आ जायेगा। लेकिन यदि पेंशन-रूपी इस विपत्तिका सामना करनेकी उनमें हिम्मत नहीं है तो उन्हें सविनय अवज्ञा करनेका विचार छोड़ देना चाहिए। इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नही है कि फिलहाल तो सविनय अवज्ञा करना परमधर्म बन गया है। वे वीरमगांव न उतरे; बल्कि उन्हें अच्छा लगे तो लखतर अथवा उचित जान पड़े तो जहाँ छावनी हो वहाँ रहें; और बादमें वापस घर जायें। फिर प्रसंग उपस्थित होनेपर सविनय अवज्ञा करे और यदि कही पर गोली चलनेकी नौबत आ जाये तो गोलियोकी बौछारको झेले। तात्पर्य यह कि पूरी तैयारी होनी चाहिए। यदि देवभाभी सहमत हो तभी वे ऐसा करें। नही तो उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है ही। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। जब तुम्हें आना हो तब आकर मिल जाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९३०८) से।
सौजन्य : जमनादास गाधी

३२५. भाषण: पन्नारमें[1]

२५ अप्रैल, १९३०

गांधीजी ने ग्रामवासियोंसे कहा कि आपको जेल जानेके लिए तैयार रहना चाहिए लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा संघर्ष अहिंसात्मक है। पुलिस भले ही आपको मारे-पीटे, लेकिन आपको उसके खिलाफ अँगुली भी नहीं उठानी चाहिए।

पण्डित मोतीलाल नेहरू और उनकी पत्नी देशसेवा करते-करते बूढ़े हो गये हैं, अब उन जैसे लोग भी इस संघर्षमें कूद पड़े हैं। फिर आप लोग ही पीछे क्यों रहें?

गांधीजी ने कानूनकी आड़में कुछ इलाकोंमें पुलिस द्वारा किये जुल्मका उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिसको कैदियोंके भी विरुद्ध शक्ति-प्रयोग करनेका अधिकार नहीं है। उन्होंने पुलिसके अत्याचारोंकी निन्दा करते हुए कहा कि उसके इन कारनामोंकी कोई सफाई नहीं दी जा सकती। लेकिन इससे हमें संघर्षके अहिंसात्मक स्वरूपको कायम रखनेमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए।

इसके उपरान्त गांधीजी ने ग्रामीण लोगोंसे सूत कातने तथा अपनी जरूरतका कपड़ा स्वयं तैयार करनेका अनुरोध किया और कहा कि कपड़ेके लिए आप गाँवके बाहरके लोगोंपर आश्रित न रहें।

विद्यार्थियोंको उनका सन्देश यह था कि वे कमसे-कम एक तोला सूत रोज कातें। उन्होंने कहा शराबबन्दी भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। शराब और विदेशी कपड़ोंके कारण देशके करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष विदेश जा रहे हैं।

गांधीजी के यह पूछनेपर कि क्या इस गाँवके पटेलने अपना त्यागपत्र दे दिया है, एक खादीधारी ग्रामीण व्यक्तिने उठकर बताया कि उसने बहुत पहले त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने बच्चोंके माता-पिताओंसे अनुरोध करते हुए कहा कि आप अपने बच्चोंको सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलोंसे निकाल लें और राष्ट्रीय स्कूलकी स्थापना करें। ब्रिटिश शासनसे आपका कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। गाँवके मुखियाने बताया कि खजूरके ५०० पेड़ काट डाले गये हैं और सरकारी अधिकारियोंका सामाजिक बहिष्कार करनेकी घोषणा की गई है।

यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको विदेशी कपड़ेका जोरदार बहिष्कार भी करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २६-४-१९३०

१. भाषणके पूर्व गांधीजी ने महादेव देसाईसे प्राप्त पत्र पढ़कर सुनाया जिसमें श्री देसाईने अपनी गिरफ्तारीका वर्णन करते हुए लिखा था कि उनके साथ गुजरातके उन नौजवान स्नातकोंको भी गिरफ्तार कर लिया गया जो गैरकानूनी ढंगसे बनाये नमककी लारियोंके साथ चल रहे थे।

३२६. पत्र : ए० सुब्बारावको

२६ अप्रैल, १९३०

प्रिय मित्र,

तुम्हें सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें[1] शामिल नहीं होना चाहिए अपितु अपने-आपको धुनाई और कताई तक ही सीमित रखना चाहिए।

तुम्हारा,
मो० क० गांधी

श्रीयुत ए० सुब्बाराव
राजावरम् आत्रेयपुरम्
वरास्ता कोठपेटा
पूर्व गोदावरी जिला

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२८६) से।
सौजन्य : ए० सुब्बाराव

३२७. पत्र : नारणदास गांधीको

२६ अप्रैल, १९३०

चि० नारणदास,

मेरे खयालसे मेरे गिरफ्तार होनेमें अभी आठ-दस दिनकी देर है।

खुर्शीदबहन जिन्हें पसन्द करती है और जो उनके साथ-साथ रहेंगी, उन बहनोंके बारेमें मालूम होनेके बाद ही मैं अन्य बहनोंके सम्बन्धमें विचार करूँगा। खुर्शीदबहनके साथ जितनी ज्यादा बहनें जायें उतना ही अच्छी है। यह बहन अत्यन्त पवित्र है। क्या सरोजिनीदेवी कुछ काम आ सकती है?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मैंने अंजनादेवीको लिखा है कि उन्हें रामनारायणके साथ जाना चाहिए।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८१०६) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

१. सुब्बारावने गांधीजीसे सलाह माँगते हुए लिखा था कि वे सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें शामिल होना चाहते हैं लेकिन उनके वृद्ध माता-पिता उन्हें ऐसा करनेसे रोकते हैं।

३२८. पत्र : नारणदास गांधीको

२६ अप्रैल, १९३०

चि० नारणदास,

मौल्वी सैयद रऊफ पाशा कोलम्बोमें प्रोफेसर हैं। वे आश्रम देखने और कदाचित् कुछ दिनों रहनेके लिए वहाँ आ रहे हैं। उनकी खातिरदारी करना और इमाम साहब तथा मीराबहनसे उन्हें मिलाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८१०७) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

३२९. पत्र : महालक्ष्मी एम० ठक्करको

२६ अप्रैल, १९३०

चि० महालक्ष्मी,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें खुराक बदलनेकी बिलकुल जरूरत नहीं है। तुम्हें दूध और फलों पर ही रहना चाहिए। ताराबहनको मैंने ही यह लिखा था कि जहाँ तुम्हारे जानेकी बात है, वहाँ अगर फल न मिलें तो मुश्किल होगी। इसीसे मैंने तुम्हें उसके साथ भेजनेका विचार छोड़ दिया है। हाँ, मैं तुम्हें ऐसे स्थानपर अवश्य रखूंगा जहाँ तुम किसी अनुभवी और ऐसी बहनके सम्पर्कमें आ सको जो तुम्हें सिखा सके। बहुत करके आज रातको मैं वहाँ आ जाऊँगा। तब इस विषयपर और बात-चीत करेंगे। तुम तनिक भी घबराना नहीं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६७९६) की फोटो-नकलसे।

३३०. भाषण : अंभेटीमें

२६ अप्रैल, १९३०

'मृत्युका वरण करो : देशकी सेवा करो', यही महात्माजी के सन्देशका सार था।

उन्होंने कहा कि मैं विट्ठलदासकी वृद्ध माताजी से मिलने गया था — अपनी समवेदना प्रकट करनेके लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने पुत्रको देश-सेवाके लिए अर्पित कर देनेपर बधाई देनेके लिए। हर मांको अपना बेटा देशसेवाके लिए भेंट कर देना चाहिए। विट्ठलदास मरे नहीं हैं, बल्कि वे तो देशकी स्मृतिमें अमर हो गये हैं। भारतको स्वतन्त्र करानेके लिए इस तरह बहुत-से लोगोंको मरना होगा।

जिस क्षण हम मृत्युके भयसे मुक्त हो जायेंगे, उसी क्षण स्वराज्य हमारे निकट आ जायेगा। सरकारने अत्याचारका सहारा लेना शुरू कर दिया है और हमें उसके खिलाफ लड़ते समय मृत्युके लिए तैयार रहना चाहिए।

आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि गाँवसे खजूरके सारे पेड़ोंको समाप्त करके और शराब पीनेकी आदतसे बिलकुल छुटकारा पाकर आप विट्ठलदासके अधूरे कामको पूरा करें।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २८-४-१९३०

३३१. भाषण : बलसाड़में

२६ अप्रैल, १९३०

मैं कुछ दिन पहले ही बलसाड़ आया था। उसके बाद यदि आपने कोई विशेष कार्य करके मुझे उसीको दिखाने बुलाया होता तो अच्छा होता। किन्तु वैसा कोई काम न तो आपने किया और न सरकारने ही किया है। रमणीकलाल मोदी दांडी-कूचमें मेरे साथी थे। सरकारने यहीसे उन्हें जेल भेजकर सम्मानित किया; आपने उसके उपलक्ष्यमें उत्सव मनानेके लिए मुझे बुलाया है। किन्तु इसमें मेरे लिए उत्सव-की क्या बात है? मेरे साथीको सिर्फ एक वर्ष! इस बार तो हम सच्चा खेल खेल रहे हैं। जेल अब हमारे लिए जानी-पहचानी जगह बन गई है और जेलके कष्टोंको हम कष्ट नहीं मानते। अब तो हमारे यहाँ स्त्रियाँ और बच्चे भी जेल जानेकी माँग करते हैं; मानो वह कोई बहुत सुखदायी वस्तु हो। इस प्रकार हमारे मनसे जेलका भय निकल चुका है और लोगोंने यह समझ लिया है कि जेल जानेका मतलब स्वराज्यके आन्दोलनमें हाथ बँटाना है। यह सब मुझे अच्छा लगता है। किन्तु जेल

जानेके बारेमें मेरे लेखे कोई रस नहीं बचा है। यह सुनकर कि मेरे किसी साथीको बरस, दो बरस या पाँच बरसकी जेल हो गई, मुझे उसमें कोई आनन्द नहीं आता। किन्तु जब मैं यह सुनता हूँ कि जयरामदास-जैसे मेरे साथीको गोली लगी या ऐसे ही किसी निरपराध साथीकी खोपड़ी फूट गई तो इसमें मुझे अच्छा लगता है। सरकारने अब अपने कृत्यों द्वारा यह घोषित कर दिया है कि "हम तुम्हारी खोपड़ियाँ तोड़ देंगे किन्तु नमक-कर नही उठायेंगे।" हम सरकारसे कहते हैं कि "तुम्हें जितनी चाहिए उतनी खोपड़ियाँ हम दान कर देंगे किन्तु कृपा करके नमक-कर तो उठा ही लो।" यदि रमणीकलालने यहाँ अपनी खोपड़ी दान कर दी होती और बलसाड़की धरती पर उनके खूनकी परत जम गई होती तो आपका मुझे बुलाना उचित होता। ऐसी बहादुरी न तो रमणीकलालने दिखाई और न सरकारने। ऐसी बहादुरी आनन्द और दहेवाणमें दिखाई जा रही है। वहाँ स्वयंसेवकोंको रातमें पीटा गया और पिटाईमें पुलिसको मजा आये इसलिए बत्तियाँ मँगवाकर पीटा गया। यदि वहाँके लोग मुझे बुलायें तो मैं तुरन्त जाऊँ। यह अवसर वहाँ उत्सव मनाने लायक है। जब आपके यहाँ ऐसा अवसर आये तो मुझे अवश्य बुलायें। किन्तु ऐसा दिन आयेगा या नहीं यह तो बलसाड़के भाई-बहनोंके हाथमें है।

आपके यहाँ तो पटेल अब भी नौकरियोसे चिपके हुए हैं। उनके इस्तीफोंकी घोषणामें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इससे तो उलटे हमारी हँसी होती है। यदि इस सभामें कोई पटेल उपस्थित हों तो उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसके बजाय वे अपने इस्तीफे वापस ले लें। यदि पटेल न आये हों तो कार्यकर्त्ता मेरी यह प्रार्थना उन तक पहुँचा दें। बलसाड़की नगरपालिका अबतक हरिजनोंके लिए कुँआ नही बनवा सकी। यदि इस कामके लिए आपको कोई ठेकेदार न मिलता हो तो मुझे ठेका दे दें। बलसाड़के लोगोंको प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि जबतक भंगियोंको पानी नहीं मिलेगा तबतक सभी लोग पानी लेना बन्द रखेंगे। एक दिनके लिए आप मुझे बलसाड़का शासन सौंप दें फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि यह कैसे नहीं हो सकता। यदि आप इतना भी नही कर सकते तो बलसाड़को स्वराज्य नही दिला सकते। यह तो सभ्य शहर कहलाता है और आपके यहाँ ४५ हजार रुपयेकी ताड़ी बिकती है; तो फिर इसका अर्थ हुआ कि यह सभ्यताकी निशानी है। [यदि ऐसा है] तो फिर मेरे-जैसे व्यक्तिको आदरपूर्वक यह निवेदन कर देना चाहिए कि जो स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए अधीर है, जो नमक-कर रद करवा देनेके लिए अधीर है और जो सरकारके जंगलीपनको बन्द करवा देनेके लिए अधीर हो उठा है, उसे ऐसे सभ्य शहरमें फिलहाल आपको नहीं बुलाना चाहिए था।

आपने ताड़ी और शराब बन्द करनेके लिए क्या किया है? कमसे-कम स्थानीय बहनें तो सुधरी हुई हैं। मैंने ऊपर जिस सभ्यताका उल्लेख किया, उस दृष्टिसे नही। वे मधुर स्वरमें गीत गाती हैं। यदि वे अपने मधुर भजन शराब पीनेवालोंको सुनायें तो उनपर बहुत अच्छा असर पड़े। इस प्रकारसे बहनोंने आज ओलपाड, जलालपुर और सूरतमें अच्छा प्रभाव उत्पन्न किया है। ठेकेवालों को इस बातकी चिन्ता है कि

यदि उनका रोजगार नही चलेगा तो क्या होगा? लोगोको ठेकेवालो के पास जाकर कहना चाहिए कि यदि वे कोई दूसरा काम करना चाहें तो वह उन्हें सुझाया जाये। कल कराडीमें चार पारसी भाई मुझसे मिलने आये थे। वे कहने लगे कि "अब सिर्फ दो महीने बचे है, इतने दिन हमें शरावका धन्धा और कर लेने दें।" कुछ देर विनोद कर लेनेके बाद मैंने उनसे कहा, "अब जबकि पूरे देशमें जागृतिकी लहर आई हुई है, तो क्या आपके धन्धेकी खातिर मैं लोगोंसे शराब न छोड़नेकी प्रार्थना करूँ?" उन्होने कहा, "नही, ऐसा नही, किन्तु धरना क्यो दिया जाता है?" "यदि धरना देनेसे लोग शर्मिन्दा होकर लौट जाते हो तो मैं वैसा क्यो न करूँ?" मैंने उनसे पूछा कि "क्या किसी महिला स्वयसेविकाने आप पर या पीनेवालो पर जोर-जुल्म किया है?" उन्होने स्वीकार किया कि ऐसा तो नही कहा जा सकता।

सभी स्थानोपर बहनें ही धरना देती है और इसका अच्छा परिणाम निकलता है। यहाँ इतनी बहनें बैठी है यदि वे सब मिलकर इसके अनुसार काम करे तो वे २४ घंटोके भीतर शराबके ठेके बन्द करवा सकती है। चाहे जितना बडा पियक्कड क्यो न हो किन्तु वह आप बहनोकी प्रेमपूर्ण विनतीको कैसे ठुकरा सकता है? आप उनके पास जाकर दीन भावसे कहें, "भाइयो, आप ऐसा क्यो करते है?" इस प्रकार विनती करनेसे केवल पीनेवाले ही नही, ठेकेके मालिक भी सुधर जायेंगे। लोग जोर-जबरदस्तीको बरदाश्त नही कर सकते, बल्कि यदि आप उन्हें प्रेमसे शराबोर कर दें तो इस प्रेमरसको चखकर उनका मद्यरस सूख जायेगा। 'श्रीमद्-भगवद्गीता' में कहा गया है कि निराहार रहनेवाले मनुष्यके विषय मन्द पड़ जाते है किन्तु उनका रस नही जाता। वह रस तो ईश्वरकी कृपा होनेपर ही जाता है।[1] आपका प्रेम प्रभुका प्रसाद है। और मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नही कि ऐसा करनेसे पीनेवाले का शराबके प्रति जो रस है वह काफूर हो जायेगा। यदि आप सचमुच कुछ करना चाहते हो तो आपके यहाँ ताड़ी या शराबके जितने ठेके या अड्डे हों उन्हे बन्द करवा दें और जितने खजूर हो उन्हे काटकर फेंक दें।

मुझे बताया गया है कि आपके शहरमें १०० तकलियाँ और ७ चरखे है। किन्तु इनसे हम विदेशी वस्त्रोका बहिष्कार नही कर पायेंगे। घर-घरमें तकली चलनी चाहिए। आप सबकी चरखोकी माँगको पूरा करना मेरे लिए सम्भव नही। वलसाड़का कोई परोपकारी बढई यदि चाहे तो यह उसके बसकी भी बात नही है। तकली आप खुद ही बना सकते है। यदि आपको अधन्नेमें छेद करना न आता हो तो बच्चोकी टूटी हुई स्लेटके टुकड़े या ठीकरेको काममें लायें। यदि आप यह आशा करते हों कि मैं आपके लिए बम्बईसे खादी मँगवाऊँगा और पहनाऊँगा तो यह सम्भव नही है। बम्बईमें खादीका भडार तो कबका समाप्त हो चुका है। यदि आप खादी पहनना चाहते हो तो तकली चलायें।

आप नमक-कानून तोड़ते है; किन्तु सिर्फ इतनेसे स्वराज्य नही मिलेगा। इससे नमक-कानून तो उठ ही जायेगा, अतः इस बारेमें कोई शंका न करे। किन्तु यदि

१. अध्याय २-५९।

आप स्वराज्य स्थापित करना चाहते हों तो उसके लिए आपको प्राण देने पड़ेंगे। लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह चटगाँवमें लोग मरे। इस तरह चार दिनमें मिलनेवाले स्वराज्यमें चार महीने तो लग ही जायेंगे। मैं नहीं कह सकता कि स्वराज्य कब मिलेगा। किन्तु निर्दोष कार्यकर्त्ताओंको रातमें पीटा जाता है, यह क्या है? क्या यह गुण्डोंकी सरकार है? अभी तो ऐसा ही लगता है। मुझे जो-कुछ सुननेको मिला है उसे गुण्डागर्दीके सिवा और क्या कहा जा सकता है। मवाली तो अज्ञानी होते हैं इसलिए हमें उनकी गुण्डागर्दी सहनी पड़ती है, किन्तु इस गुण्डागर्दीको कैसे बरदाश्त किया जाये? जितने भाई-बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यदि वे सिर्फ तमाशा देखने नहीं बल्कि कुछ करनेके विचारसे यहाँ एकत्रित हुए हों तो आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि आप इस गुण्डागर्दीको बरदाश्त नहीं करेंगे और जितने भी कानून नीति विरुद्ध होंगे उन सबको सविनय तोड़कर आप इसका उत्तर देंगे। चटगाँवने जो रास्ता अपनाया है हम उस रास्तेको अपनाना नहीं चाहते। ज्यों-ज्यों हमारे कष्ट बढ़ते जायेंगे त्यों-त्यों हम अधिकाधिक कष्टोंको निमन्त्रित करते जायेंगे।

आप सभी सभ्य हैं, अतः मैंने थोड़ेमें जो कहा, उसे विस्तारपूर्वक मनमें समझ लें और कृपा करके उस पर अमल करें। आपकी सीमासे रमणीकलाल-जैसा साधु पुरुष पकड़ लिया गया है। यह तो ठीक है वह साधु है, तपश्चर्या करनेवाला है। ऐसे निर्मल व्यक्तिके जेल जानेसे स्वराज्य अवश्य कुछ पास खिसक आया है। अब आपको यह सिद्ध करना है कि आप रमणीकलाल, मोहनलाल पण्ड्या, ईश्वरलाल, नानूभाई और नीछाभाई-जैसे कार्यकर्त्ताओंके योग्य हैं।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ४-५-१९३०

३३२. भाषण: छरवाड़ामें

२६ अप्रैल, १९३०

लोगोंने मुझे महात्माके बजाय अब नमक-चोरकी उपाधि प्रदान की है। मुझे उनकी यह बात अच्छी लगी है। किन्तु नमक-चोर बनना आसान नहीं है। महात्मा होना आसान है। खाने-पीनेमें थोड़ा ढोंग करे और लँगोटी लगा ले तो इस देशमें महात्माका पद आसानीसे मिल जाता है। यों तो अभी-अभी मैं आप लोगोंके साथ जाऊँगा और पासकी खाड़ीसे थोड़ा-सा नमक लाऊँगा। सरकारने इस नमकमें बहुत-सारी मिट्टी मिला दी है। इसलिए हमें शुद्ध नमक नहीं मिलेगा किन्तु जैसा भी मिलेगा वैसा हम अभी ले आयेंगे। किन्तु किसी आदमीको चोर कब कहा जा सकता है? किसीको चोर तो तभी कहा जा सकता है जब उसे चोरीके लिए दण्डित किया जाये। हम चोरी करें और कोई हमारे विषयमें पूछताछ भी न करे तो यह

चोरी कैसी? हम थोडी-सी मिट्टी उठा लायेंगे। सरकारी कानूनमें भले ही इसे चोरी कहा जाये किन्तु दुनिया इसे चोरी नही मानती और सरकार भी नही मानती। हम चोरी करे और उसके अपराधमें हमारा हाथ तोड़ दिया जाये तभी चोरी सफल और सच्ची हुई। आज हम नमक उठायेंगे लेकिन सम्भव है कि मेरे या आपके किसीके भी हाथ टूटनेका अवसर न आये।

सच्ची चोरी तो तब होगी जब हम नमकके उन पहाडोको लूटें। जब मै ऊँटडी गया था तो मैंने दूरसे इन पहाडोको देखा था और वे बहुत सुन्दर प्रतीत हुए थे। आज उन्हें पाससे देखा तो वे बहुत मैले और कुरूप मालूम हुए। लेकिन जैसे भी हो हम इन पहाड़ोपर हाथ डाले। और हमारे हाथ या कलाइयाँ तोड़ दी जायें या हमें जेलमें ठूंस दिया जाये तभी हम सच्चे नमक-चोर साबित होंगे।

किन्तु मैं तो कहता हूँ कि केवल जेल जानेसे ही किसी व्यक्तिको नमक-चोरकी वह कीमती उपाधि नही दी जानी चाहिए। जेल जानेसे हमारी पसलियाँ तो नही टूट जायेंगी। अभी-अभी मेरे पास एक पत्र आया है कि खेड़ा जिलेमें कुछ लोगोको मारा-पीटा गया है। मार खानेवाले ये सब आदरणीय जनसेवक थे। मारनेवाले सरकारी आदमी थे, किन्तु वे सब भी हमारे ही थे। मारनेमें मजा आये इसलिए उन लोगोने बत्तियाँ भी बुझा दी थी। इस समय ६-७ आदमी अस्पतालमें पड़े हैं। किसीके मरनेका डर नही है, किन्तु उनमें से यदि कोई मर जाये तो हम यह अवश्य कह सकते है कि वह हम नमक-चोरोका सच्चा सरदार था। आप आज मेरे साथ इस खाडीमें से नमक लानेके लिए चलेगे, किन्तु इतनेसे ही आपको नमक-चोरकी उपाधि नही मिल सकती। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि हम नमक-चोरीके उम्मीदवार है। जब हम सचमुच नमककी चोरी करेंगे तब तो देशमें कोई नमक-चोर रह ही नही जायेगा। उस समय सरकार कह देगी कि आप सभी नमक-कानूनको माननेसे इन्कार करते है, तो अब जाइये नमकके ये सारे पहाड़ आजसे आपकी सम्पत्ति हो गये। इस सम्पत्तिका मूल्य केवल सात करोड रुपये नही है, सात करोड तो कर के रूपमें हम सरकारको सीधे दे डालते हैं। लेकिन यह सारा कर वसूल करनेमें जो खर्च पडता है उसे भी जोडें तो इस तरह हम लगभग २० करोड़की सम्पत्तिके मालिक बनते है। इतनी बडी सम्पत्ति छोड़नेके लिए भला सरकार कैसे राजी हो सकती है? इस समय देशमें नमककी चोरीके हजारो ही नही लाखो उम्मीदवार है। सही, लेकिन क्या इसीलिए सरकार अपनी इतनी बडी आय छोड़ देगी? उसे छोडनेके पहले वह जरूर ही दस-बीस आदमियोको घायल करेगी। उन्हें मार तक डालेगी, लेकिन उसके बाद ऐसी अत्याचारी सरकारको फिर यह आय छोड़नेके सिवा कोई चारा नही रह जायेगा। वैसी स्थिति उत्पन्न होनेपर आपको यह अधिकार होगा कि आप मुझे नमक-चोर कहें और मैं इस उपाधिको स्वीकार करूँ।

इस समय तो मेरी अपेक्षा महादेव कही ज्यादा बड़ा नमक-चोर साबित हुआ है। सरदारके जानेके बाद महादेवको एक पलका भी अवकाश नही मिला। पुलिस सुपरिंटेंडेंट तो उन्हें गिरफ्तार करनेके लिए बहुत आतुर नही था। उसे लगता था

कि यह जबतक है तबतक सच्ची खबर तो देता है; लेकिन वह बेचारा क्या करता। लोग धोलेरासे नमककी लारी भरकर ला रहे थे और महादेव छलाँग लगाकर उस पर बैठ गया। इस तरह महादेव गिरफ्तार हो गया तथापि मैं महादेवको भी चोर नहीं कहूँगा। मैंने महादेवको लिखा है कि वह जेल गया सो ठीक हुआ, किन्तु उसका धर्म तो मरनेका था। आश्रममें कुछ लोगोंके हाथ टूटे और सिर फूटे। यह बहुत अच्छा हुआ। जेलमें क्या दुःख है? और फिर 'अ' वर्गमें भी आये तब तो फिर साहब क्या पूछें? आश्रममें जितना मिलता है, उससे ज्यादा अच्छा खाने और पीनेको मिलेगा, एक आदमी खाना बना देगा, खाना पका देगा, दूसरा पानी भर देगा, तीसरा धोती धो देगा। ये क्या कैदीके लक्षण हैं? महादेव और जयरामदास-जैसे व्यक्तियोंके तो सिर रँग जायें, गरम-गरम खूनसे उनके कपड़े रच जायें तब कहीं दुनियाके किसी कोनेसे दयाका सोता फूटे बिना नहीं रहेगा। दुनियामें ईश्वर कहीं तो है ही। ऐसे व्यक्तियोंके सिरसे जब रक्तकी धारा बहेगी तब नमकका कर तो जायेगा ही, उसके साथ और भी कुछ समुद्रमें बह जायेगा। तब हमारे बहुतसारे पाप मिट्टीमें उसी प्रकार विलीन हो जायेंगे, जिस प्रकार कि आज नमकके ढेर मिट्टीसे ढक दिये गये हैं।

मुझे नमक-चोर तो उसी समय कहना जब हम धरासणाकी नमककी जमीन पर कब्जा कर लें। इस तरह इस या उस कोनेसे सेर-दो सेर नमक ले आनेका कोई अर्थ नहीं है। यह देखकर तो सरकार अपने मनमें कहती होगी कि यह लड़कोंकी तरह खेल-जैसा क्या करते हो। सच्चा खेल खेलना हो तो आओ और धरासणा या भायन्दरा या खारगोडाकी उन जमीनों पर कब्जा करो जहाँ नमक बनाया जाता है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस समय हम लड़कोंका ही खेल खेल रहे हैं। लेकिन किसी दिन यह खेल ही रंग लायेगा। वह दिन आये तब आप छरवाड़ा और धरा-सणाके भाई और बहनें सब हमारे साथ आना। किन्तु अभी नहीं। धरासणापर हमारी चढ़ाईका यह वर्णन जब लिखा जायेगा तब इस जमीनके आसपास रहनेवाले आप लोग अपने विषयमें क्या लिखवाना चाहेंगे? वे उस समय भाग गये थे ऐसा लिखायेंगे या ऐसा कि 'वे उस अवसरपर छाती खोलकर खड़े रहे थे?' जिन्होंने सत्याग्रहियोंको बत्ती बुझाकर मारा-पीटा उनपर हम क्रोध न करें, उन्हें गालियाँ भी न दें। हमें तो एक भिन्न मार्गपर चलना है। हमारी एक कहावत है—'अँगुली पकड़ने दी तो कलाई पकड़ ली' यह लोग हमारी अँगुली पकड़ें तो हम उनसे कहेंगे कि तुम उँगली ही क्यों कलाई भी पकड़ लो; कलाई पकड़ेंगे तो हम कहेंगे कि पूरी बाँह गह लो और बाँह पकड़नेपर हम उन्हें अपनी गर्दन देनेके लिए तैयार हो जायेंगे। उन्होंने हमारे स्वयंसेवकोंको मारना-पीटना आरम्भ किया है। तो अब हम ऐसा सीधा खेल खेलेंगे कि ये सारी-मारपीट हमारे सिर आ जाये।

किन्तु हम जो भी करें वह शुद्ध और निर्दोष होना चाहिए। पेशावरमें जो-कुछ हुआ वह मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे आदमियोंके हाथमें यदि राज्यसत्ता आ गई तो क्या वे भी इसी तरह राज्य नहीं चलायेंगे? क्या वे भी गरीबोंके सिर

नही फोड़ेंगे? मै तो यह चाहता हूँ कि देशमें सबके सिर सुरक्षित रहे; एक छोटी-सी लड़की भी देशके किसी भी भागमें सुरक्षापूर्वक घूम-फिर सके। यह तो आत्म-शुद्धिकी लड़ाई है और मै चाहता हूँ कि आप लोग शुद्ध बनें। यह सम्भव नही है कि 'अ' ये काली टोपियाँ या विलायती साड़ियाँ पहनकर धरासणाकी उस जमीन पर, जहाँ नमक बनाया जाता है, चढाई कर सके। मै खुद तो ऐसे लोगोको अपने साथ कदापि नही ले जाऊँगा। आप सब वहाँ चढाई करने जायें उस समय हर एकके शरीरपर खादी होनी चाहिए, सारी पोशाक खादीकी न हो तो मात्र खादीकी लँगोटी पहननी चाहिए। नमककी चोरीकी उम्मीदवारीके लिए आज भले आप मेरे साथ आयें किन्तु जिस दिन मै सच्ची लूट करनेके लिए आऊँ उस दिन कोई ऐसा व्यक्ति मेरे साथ न आये जो खादीधारी न हो या जो तकली न चलाता हो। मैं तो इस बातके लिए इच्छुक हूँ कि इस कार्यके लिए लोग मेरे साथ शरीक हो, किन्तु यदि आपने आत्मशुद्धिकी आवश्यकताओंका पालन न किया हो तो मुझे अकेले जानेमें भी कोई संकोच नही होगा।

ऐसा न कहिए कि खादी मिलती नही है। तकली बनाओ और उसपर सूत कातो। यह सूत मुझे दो और उसके साथ बुनाईका खर्च दो, तो आपकी खादीकी जरूरत पूरी करनेकी जिम्मेदारी मेरी रही। हाँ, यदि आप बुनाईका खर्च नही देंगे तो उस सीमातक खादीकी कमी महसूस होगी। खादीका उत्पादन बढानेके लिए मैंने जो कहा, वैसा किया जाये तो खादीकी कमी कभी हो ही नही सकती; यह काम मैंने बहनोंको सौंपा है। पुरुष तो नमक बनाकर केवल ७ करोड ही बचायेंगे। किन्तु यदि स्त्रियोने यह कार्य (खादीका) सीख लिया तो वे देशके ६० करोड़ रुपये बचा सकेंगी।

मैंने धरासणाकी चढ़ाईकी बात कही। ऐसा न समझना कि इसमें दो-चार वर्ष लगनेवाले हैं। मेरे जैसा बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र ६० के ऊपर है और जो मृत्युके पास पहुँच गया है, वर्षोकी बात नही कर सकता। वह तो ज्यादासे-ज्यादा महीनोकी ही बात कर सकता है। और यदि आप लोग मेरा साथ दें तो मैं महीनो-की नही केवल दिनोकी ही बात करूँ। किन्तु यदि मैं यह देखूँ कि धरासणाके निवासी तो झूठे है, शराबी या व्यभिचारी है तो मै फिर यहाँ आऊँगा ही क्यो? या आऊँगा भी तो तुम्हारी नही, अन्य लोगोकी सहायता लेकर उनके द्वारा लड़ूँगा।

मैंने आपसे स्पष्ट कह दिया है कि आप खादी पहनें और शराब या ताड़ीको छोड़ें, तभी मैं आपको धरासणाकी इस लूटमें अपने साथ लूँगा। यदि आप ऐसा नही करेंगे और मेरी अस्वीकृति होते हुए भी वहाँ आयेंगे तो याद रखें मै आपके विरुद्ध सत्याग्रह करूँगा। मुझे जिस तरह पुलिसकी सगीनोके खिलाफ सत्याग्रह करना आता है उसी तरह मैं आपके खिलाफ भी सत्याग्रह कर सकता हूँ। मै शराबी और विदेशी वस्त्र पहननेवाले लोगोंके द्वारा धरासणापर कब्जा नही करना चाहता। यह काम मैं शुद्ध और निर्मल व्यक्तियोके द्वारा ही कराना चाहूँगा। यहाँ जो स्वयंसेवक उपस्थित है वे घर-घर जाकर लोगोको मेरा यह सन्देश कह दें। लोग अपने घर बैठे रहें,

यह मुझे अच्छा लगेगा। किन्तु यदि वे शर्तोका पालन न करते हुए मेरे काममें शामिल होते है तो यह मुझे असह्य होगा। आपको यह बात नापसन्द हो तो भले आप मेरा त्याग कर दें, मुझे खानेको न दें, एक कटोरा पानी भी न दें। मै भूखे रह-कर नमककी लूटकी यह चढ़ाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ १०-१५ दिनमें पुनः आनेकी उम्मीद करता हूँ उस समयतक यदि आपने मेरा कहा हुआ न किया हो तो दूर खड़े होकर देखना और भजन गाते रहना। बल्कि मैं तो ऐसा कहूँगा कि ऐसे अशुद्ध लोगोंके मुँहसे तो मैं भजन या जयघोष भी नही सुनना चाहता।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ४-५-१९३०

३३३. सन्देश : अमेरिकाको

[२७ अप्रैल, १९३०के पूर्व][1]

हम लोग यह नही चाहते कि हमें अभी तुरन्त ही स्वाधीनता दे दी जाये, हमारी माँग तो एक ऐसा सम्मेलन बुलानेकी है जिसमें कुछ मुख्य शिकायतों, विशेष-कर आर्थिक और नैतिक शिकायतोंपर विचार किया जा सके, उन्हें दूर किया जा सके। यदि सरकार शान्तिपूर्ण वातावरणमें स्वाधीनताकी स्थापना करना चाहती है तो ऐसे सम्मेलनका बुलाया जाना बहुत जरूरी है। इन शिकायतोंका मैंने अपने उस पत्रमें अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें उल्लेख किया है, जिसे वाइसरायके नाम मेरा 'अल्टीमेटम' माना गया है, यद्यपि ऐसा मानना बिलकुल गलत है। इन शिकायतोंमें नमक-कर भी शामिल है जो अमीर और गरीब दोनोंको समान रूपसे प्रभावित करता है और जो लागत मूल्यसे १,००० प्रतिशतसे भी ज्यादा है। चूँकि इसे एकाधिकारकी चीज बना दिया गया है, इसलिए हजारों लोग अपने पूरक धन्धेसे वंचित हो गये है तथा नमककी कृत्रिम रूपसे बढ़ाई गई कीमतके कारण गरीब लोगोके लिए अपने ढोरों और अपनी भूमिको पर्याप्त मात्रामें नमक प्रदान करना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया है।

इस अस्वाभाविक एकाधिकारको ऐसे कानूनों द्वारा कायम रखा जा रहा है, जो कानून न होकर वस्तुतः कानूनकी अवहेलना है। इन कानूनोके द्वारा पुलिसको, जो भ्रष्ट है, बिना किसी वारंटके निर्दोष लोगोंको पकड़ने, उनकी सम्पत्ति जब्त करने तथा अन्य अनेक तरीकोंसे उन्हें परेशान करनेकी निरंकुश सत्ता दी गई है। कानूनोके प्रति सविनय प्रतिरोधने जनमानसको जैसा प्रभावित किया है और उन्होंने उसे जिस उत्साहसे अपनाया है, मेरी जानकारीमें अन्य किसी वस्तुने वैसा नही किया है। यही कारण है अनेक गाँवोंसे स्त्रियों और बच्चों-समेत हजारों लोगोंने, निषिद्ध नमक बनाने और बेचनेमें खुलकर भाग लिया है।

१. यह २७-४-१९३० के संडे टाइम्समें प्रकाशित हुआ था।

इस सविनय प्रतिरोधको सरकारने नृशंस और कायरतापूर्ण उपायो द्वारा दबानेकी कोशिश की है। जिन व्यक्तियोंने नमक देनेसे इनकार करे दिया उन व्यक्तियोको गिरफ्तार करनेके बजाय पुलिस-अधिकारियोने उन्हे मारा-पीटा है। नमक आम तौर पर लोगोंकी मुट्ठियोमें बन्द था। उनकी मुट्ठीको खोलनेके लिए उनकी अँगुलियाँ तोड़ दी गईं, गर्दनोको दबाया गया; उनपर अशोभनीय ढंगसे इतने प्रहार किये गये कि वे बेहोश हो गये। इनमें से कुछ लोगों पर सैकडो-हजारों लोगोकी उपस्थितिमें प्रहार किये गये जो कि इन लोगोंको बचानेमें समर्थ थे और यदि वे चाहते तो प्रतिकार कर सकते थे। लेकिन इन लोगोने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योकि वे अहिंसा-की प्रतिज्ञासे बँधे हुए थे। यह सच है कि कलकत्ता, कराची, चटगाँव और अब पेशावरमें हिंसाकी घटनाएँ हुई हैं। कलकत्ता और कराचीमें जो घटनाएँ हुई हैं, उन घटनाओको चटगाँव और पेशावरमें हुई घटनाओसे भिन्न समझना चाहिए। कलकत्ता और कराचीमें हिंसाकी जो घटनाएँ हुईं, वे प्रसिद्ध नेताओकी गिरफ्तारी पर लोगोके क्रोधके एकाएक भड़क उठनेसे हुईं। चटगाँव और पेशावरमें भी वे हुई तो इसी कारण है, लेकिन लगता है कि वे ज्यादा गम्भीर प्रकारकी है और पहलेसे सुनियोजित योजनाके आधारपर हुई हैं, हालाँकि चटगाँवके सुदूर पूर्वमें और पेशावरके भारतके दक्षिण-पश्चिमी सीमापर स्थित होनेके कारण इन दोनोका एक-दूसरेसे कतई कोई सम्बन्ध नही है।

इन उपद्रवोंका भारतके अन्य भागो पर कोई असर नही हुआ है, इन भागोमें ६ तारीखसे सविनय अवज्ञा आन्दोलन बहुत व्यवस्थित ढंगसे और बडे पैमाने पर चल रहा है। यहाँ लोग बहुत ज्यादा उकसाये जानेके बावजूद अहिंसक और शान्त रहे हैं। साथ ही मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि हमें सावधान रहनेकी जरूरत है, लेकिन मै निस्संकोच कह सकता हूँ, सविनय अवज्ञाकी योजनाकी सीमाओंके भीतर रहते हुए इस बातकी भी पूरी-पूरी सावधानी बरती गई है कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी ओटमें कोई व्यक्ति हिंसा न करने पाये। यह याद रखना चाहिए कि कराचीमें जो सात व्यक्ति घायल हुए थे और जिनमें से दो व्यक्तियोकी मृत्यु हो गई है, वे स्वयसेवक थे और जनताके क्रोधको भडकनेसे रोकने तथा शान्ति बनाये रखनेके कार्यमें लगे हुए थे। कराचीमें गोली चलनेके समय जो लोग घटनास्थल पर उपस्थित थे उनका कहना है कि गोलीका चलाया जाना सरासर अन्यायपूर्ण था और भीड़को सावधान करनेके लिए पुलिसने पहले हवामें अथवा टाँगोको लक्ष्य करके गोलियाँ नही चलाई।

वस्तुत: लोगोंको उत्तेजित करनेके लिए सरकारने कोई मौका हाथसे नही जाने दिया। अनेक श्रेष्ठ, पवित्रतम तथा अत्यन्त आत्मत्यागी नेता गिरफ्तार कर लिये गये है और उन्हें सजाएँ दी गई है और ये सजाएँ, कई मामलोंमें तो मुकदमोका मात्र स्वाँग रचकर दी गई हैं। इन सबका अपराध एक ही था, लेकिन सजा देनेवाले मजिस्ट्रेटोके स्वभावकी विलक्षणताओंके अनुसार सजाएँ भिन्न-भिन्न ही दी गई हैं। कुछ मामलोंमें तो जाने-माने लोगोको १२ महीनेकी सपरिश्रम कठोर कारावासकी

सजा दी गई है। सजाएँ ज्यों-ज्यों दी गई हैं, त्यों-त्यों लोगोंका उत्साह अभीतक तो बढ़ता ही गया है। हजारों लोग अवैध नमक बनानेकी बातको अपनी दिनचर्या-का एक हिस्सा मानते हैं। संसारके किसी भी भागमें, जहाँ सरकार लोकमतके प्रति तनिक भी उत्तरदायी है, नमक-कानून अब तक कभीका खत्म हो चुका होता। परन्तु सविनय प्रतिरोधका यह वातावरण यदि आगे भी ऐसा ही बना रहा, और लगता है कि वह ऐसा ही बना रहेगा, तो अभी या बादमें नमक-कानून खत्म होकर ही रहेगा।

यह आन्दोलन आत्मशुद्धिका आन्दोलन है, यह चीज इसी बातसे पर्याप्त रूपसे सिद्ध हो जाती है कि स्त्रियाँ भी बहुत बड़ी संख्यामें इसमें शामिल हो गई हैं और शराबकी दुकानोंपर धरना देनेके कामका संगठन वही कर रही हैं। हजारों लोगोंने शराबसे दूर रहनेकी प्रतिज्ञा ली है। मजदूरोंके जबरदस्त गढ़ अहमदाबादमें शराबखानोंकी आयमें १९ प्रतिशतकी कमी हो गई है और अभी कमी होना जारी ही है। सूरत जिलेमें भी ठीक यही बात हो रही है। स्त्रियोंने विदेशी कपड़ोंके बहिष्कारके प्रश्नको भी अपने हाथमें ले लिया है। बहिष्कारका प्रसार पूरे भारतमें हो रहा है। लोग अपने विदेशी वस्त्रोंकी होली जला रहे हैं। खादी अर्थात् हाथ-कते कपड़ेकी माँग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि खादीका वर्तमान भण्डार करीब-करीब खुट गया है। चरखेकी माँग भी बहुत ज्यादा है और लोग अब दिन-प्रतिदिन भारतके सात लाख गाँवोंके झोपड़ोंमें हाथ-कताईको पुनः प्रतिष्ठित करनेकी आवश्यकता-को अधिकाधिक महसूस कर रहे हैं। मेरी विनम्र रायमें हिंसासे सर्वथा मुक्त हमारे इस संघर्षमें भारतसे बाहरके देशोंके लिए भी एक सन्देश है। मुझे इस बारेमें तनिक भी सन्देह नही है कि ६ अप्रैलसे जो बलिदान दिया जा चुका है उसके बाद लोगोंका उत्साह तबतक बना रहेगा जबतक मानवताके विकासमें अपना योगदान देनेके लिए भारत स्वतन्त्र नही हो जाता।

[अंग्रेजीसे]

मॉडर्न रिव्यू, जून १९३०

३३४. वाइसरायको लिखे पत्रका मसविदा[1]

[२७ अप्रैल, १९३० अथवा उसके पूर्व][2]

परमश्रेष्ठ,

नीचे हस्ताक्षर करनेवाली हम गुजरातकी महिलाएँ इस निष्कर्षपर पहुँची है कि इस समय हिन्दुस्तानमें जो महान् राष्ट्रीय जागृति आ रही है उससे हम अपने-आपको अलग नही रख सकती। नमक-कानूनको लेकर जो सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया जा रहा है, उसके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। गाँवोमें रहनेवाली हमारी बहनोने अवैध नमक बनाना शुरू भी कर दिया है।

लेकिन हम यह महसूस करती हैं कि महिलाओके रूपमें हमें अपने लिए एक अतिरिक्त और विशिष्ट कार्य-क्षेत्र चुनना चाहिए। शराब और मादक द्रव्योंके निषेध और विदेशी कपड़ोके बहिष्कारका प्रश्न हमारे मनको जँचता है। शराबने अनेक घर तबाह कर दिये है तथा विदेशी वस्त्रोंके कारण भारतकी लाखो स्त्रियाँ फुरसतके समय जो धन्धा करती थी, वे उससे वंचित हो गई हैं, और वर्षमें कमसे-कम चार महीने तो उन्हें फुरसत रहती ही है।

इसलिए ये दो प्रश्न ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंसे अधिक है। और जहाँतक इन दोनो समस्याओको धरना देकर अर्थात् इन चीजोंका व्यापार करनेवालों तथा शराब और मादक द्रव्योका सेवन करनेवालो या विदेशी वस्त्रोंके मोहमें पड़े लोगोके हृदयोंको अनुनय-विनयसे प्रभावित करके हल किया जा सकता है, वहाँतक हमारा खयाल है कि हम अपने प्रयत्नोंमें पुरुषोसे अधिक सफल हो सकती हैं। और चूँकि स्त्रियाँ इस कामको करेंगी, इसलिए स्वाभाविक है कि यह काम शान्तिपूर्ण ढंगसे सम्पन्न होगा।

संघर्ष आरम्भ करते हुए हमें आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करना आवश्यक जान पड़ता है कि यह अनिवार्य रूपसे राज्यका कर्त्तव्य है कि वह शराब और मादक द्रव्योके व्यापारपर रोक लगाये, क्योंकि ये चीजें, जो लोग इनका सेवन करते है, उनके शरीर और मस्तिष्क तथा घर-परिवारको बरबाद कर देती है। इसी तरह विदेशी कपड़ोंके आयातपर भी रोक लगाना उसका कर्त्तव्य है, क्योंकि इसके कारण इस अभागे देशके असंख्य गाँव आर्थिक दृष्टिसे तबाह हो गये हैं।

जहाँतक विदेशी कपड़ोंके आयातका सवाल है, यह कहा जा सकता है कि जो बात विदेशी कपड़ो पर लागू होती है वही बात एक हदतक भारतीय मिलोंमें तैयार

१. मसविदा गांधीजी ने तैयार किया था।

२. यह मसविदा २७ अप्रैल, १९३० को हस्ताक्षरके लिए तैयार था; देखिए "पत्र: अमीना तैयबजीको", २७-४-१९३०।

होनेवाले कपड़ों पर भी लागू होती है। अन्तर केवल इतना ही है कि मिलोंमें जो कपड़ा तैयार होता है वह जरूरतको देखते हुए इतना कम होता है कि खादीको उससे डरनेकी कोई जरूरत नही है।

हमारी यह तीव्र इच्छा है कि समय होता तो हम अपनी बहनोंके इस मतका प्रचार देशके अन्य प्रान्तोंमें भी करते। लेकिन हम जानती है कि इस बारेमें उनकी राय क्या होगी। आखिरकार हम किन्ही नई समस्याओसे तो निबट नही रही हैं। ये समस्याएँ तो देशकी राष्ट्रीय संस्था कांग्रेसके द्वारा देशके सम्मुख पहले ही रखी जा चुकी हैं। देश अनेकानेक समस्याओंके समाधानका प्रयत्न कर रहा है और उनमें ये दो समस्याएँ भी शामिल हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य उन सबकी अपेक्षा इन्ही दो समस्याओंके समाधानके लिए अपना जीवन समर्पित कर देना है।

हम हैं,
आपकी विश्वस्त,

शारदा मेहता
इन्दुमती सी० दीवान
मनोरमा चिनुभाई
पार्वतीबहन गिरधरलाल अमृतलाल
विजयागौरी दुर्गाप्रसाद लश्करी
महालक्ष्मी मनसुखराम
चतुरलक्ष्मी जीवनलाल दीवान
विजयागौरी बलवन्तराव कानुगा
अमीना कुरैशी
लक्ष्मीबाई खरे
मीठूबहन पेटिट
अमीना तैयबजी
रेहाना तैयबजी
कंचनगौरी मंगलदास गिरधरदास
सुलोचना चिनुभाई
तनुमती चिनुभाई एम० रणछोड़लाल
सरलादेवी अम्बालाल साराभाई
वसन्तगौरी नरसीदास
श्रीमती चिमनलाल नगीनदास
अनसूया साराभाई
मोतीबाई रणछोड़लाल
लीलावती हरिलाल देसाई
निर्मला बकुभाई मनसुखभाई
सन्तोक एम० गांधी
दुर्गा महादेव देसाई
गंगाबहन रणछोड़दास भाटिया
सविता त्रिवेदी
श्रीमती जयन्तीलाल अमृतलाल

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १-५-१९३०

३३५. गुजरातकी महिलाओंसे अपीलका मसविदा

[२७ अप्रैल, १९३० के आसपास][1]

बहनो,

इसके साथ वाइसरायके नाम लिखा गया पत्र है। यदि आप कर सके तो इसपर अपने हस्ताक्षर करनेकी कृपा करे। मूल पत्र अंग्रेजीमें है; सलग्न पत्र उसका अनुवाद है। आप इसे अच्छी तरह समझ ले और यदि इस कार्यमें भाग लेनेकी आपकी इच्छा हो, तभी हस्ताक्षर करे। यदि आप इसपर हस्ताक्षर करे तो अपना नाम-धाम, आयु आदि पूरा विवरण दें। ये नाम अखबारोमें भी प्रकाशित होंगे और यदि आप उसपर हस्ताक्षर करेगी तो उसका मतलब होगा कि आप शरावके ठेको और विदेशी वस्त्रोकी दुकानपर धरना देने तथा निम्न हस्ताक्षर करनेवाली महिलाओ द्वारा स्वगठित समितिके सुझावोके अनुसार काम करनेको तैयार रहेगी।

इसके अतिरिक्त आपके लिए काम करनेका एक अन्य मार्ग भी है। आप इस समितिसे अपना कोई सम्बन्ध न रखकर अपनी स्वतन्त्र समिति बनाकर अपना क्षेत्र निर्धारित कर सकती हैं। अर्थात् आप शरावके उन ठेको और विदेशी कपडोकी उन दुकानोपर धरना दे सकती है जिनकी आपको जानकारी हो। आप ऐसा करेगी तब भी हम आखिरमें एक बिन्दुपर आकर मिल सकेगे। यदि आप इस पुण्य कार्यमें भाग लेना चाहें तो हस्ताक्षर करते समय यह भी सूचित करे कि आप अपनी अलग समिति बनाकर काम करेंगी या इसी समितिके अन्तर्गत काम करेगी।

हम है,
भारतकी स्वयसेविकाएँ

गुजराती (एस० एन० १६८४५)की फोटो-नकलसे।

१. सम्भवतः इस अपीलका मसविदा और पिछला शीर्षक करीब-करीब एक साथ ही लिखे गये जान पडते हैं।

३३६. विट्ठलभाई लल्लूभाईका श्राद्ध

इस लड़ाईमें बहुतोंकी जान जायेंगी। मरे बिना स्वर्ग नही मिलता। हममें से हजारोंके मरे बिना शायद स्वर्गसे भी महँगा स्वराज्य हमें नही मिलेगा। बलिदान जितना अधिक शुद्ध होगा, स्वराज्य उतनी ही जल्दी मिलेगा, और उतना ही कम बलिदान करना पड़ेगा। यदि सब लोग अपने कर्तव्यको समझ लें और उसका पालन करें तो किसीको मरना न पड़े। लेकिन ऐसी आदर्श स्थिति संसारमें बहुत कम देखनेमें आती है। स्वयं निर्दोष होते हुए भी दूसरोके दोषोंके लिए जान देना ही बलिदान है। अतः यदि कोई दोष ही न करे तो बलिदानकी भला क्या आवश्यकता होगी?

बलिदानका मतलब स्वेच्छासे सरकारकी ओरसे मिलनेवाली मौतकी सजाका स्वागत करना ही नही है। लड़ाईमें भाग लेते हुए, निर्दोष होते हुए कष्ट भोगना पड़े और मृत्यु हो जाये तो वह भी बलिदान है। लड़ाईके सिलसिलेमें खजूरका पेड़ काटते समय अनहोनी हो जाना और फलतः मरना भी बलिदान है।

ऐसा बलिदान कल विट्ठलभाई लल्लूभाईने दिया। विट्ठलभाई राष्ट्रीय शालाके शिक्षक थे। बड़े उत्साहपूर्वक वे स्वयंसेवक बने थे। खजूर काटते समय उनके पैर पर कुल्हाड़ी पड़ी और हड्डी टूट गई, हाथोंमें काँटें चुभ गये। डाक्टरने इलाज करनेमें कोई कसर न रखी। परन्तु ईश्वरेच्छा तो कुछ और ही थी। चौथे दिन उन्होंने प्राण त्याग दिये।

जिस दिन वे घायल हुए उसी दिन मै विट्ठलभाईसे मिला था। उनकी वीरता अद्भुत जान पड़ी। इतनी कठोर शल्य क्रियाके अवसर पर भी वे प्रसन्न रहे। डाक्टरने मुक्त कण्ठसे उनकी बहादुरीकी प्रशंसा की थी। हम सबको आशा थी कि वे बच जायेंगे। परन्तु पूर्णकाम विट्ठलभाई अपने धर्मका पालन करते हुए मातृभूमिका सोलहों आना ऋण चुकाकर चल बसे।

नवसारी गाँव भी इस मर्मको समझ गया। घायलकी चारपाईके आसपास लोग चक्कर काटते रहते थे। शव-यात्रामें बहुत-से लोग थे। किन्तु वह यात्रा मातमी नही, खुशीकी मालूम होती थी। नवसारीने हडताल मनाई।

ऐसी श्रेयस्कर मृत्यु कौन न चाहेगा? विट्ठलभाईकी माता, उनके भाई, उनकी पत्नी, ये सब मेरे लेखे बड़भागी हैं।

ऐसी मौत क्योंकर चाहने योग्य है? क्योंकि उसका अनुसरण करनेवाले पवित्र बनते हैं, उनमें सेवाकी और अधिक इच्छा जाग्रत होती है। क्या हमपर भी ऐसा ही असर पड़ा है? यदि पड़ा हो तो हम श्राद्ध करें। विट्ठलभाईने मद्यपान-निषेधके लिए अपने प्राण दिये। अब हमें चाहिए कि हम मरते दमतक इस काममें जुटे रहें। विट्ठलभाईने जलालपुर ताल्लुकेमें देह छोड़ी है। अतएव विशेष रूपसे जलालपुर ताल्लुकेके लोगोंका यह धर्म है कि वे उनके रक्तसे सने हुए खजूरके पेड़ोंको निर्मूल कर दें, शराब और ताड़ीकी दुकानें बन्द कर दें और शराबी शराब पीना छोड़ दें।

कल मैं बोदाल गया था। वहाँके लोगोने बड़े सुन्दर ढंगसे श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरी प्रार्थनापर वहाँके जाने-माने लोगोने अपने खजूरोको काट डालनेकी अनुमति दे दी।

जो बात विट्ठलभाईके लिए ठीक है, वही दत्तात्रेय और मेघराजके बारेमें भी है। इन भाइयोने कराचीमें गोलीके शिकार बनकर देह छोडी। विट्ठलभाई शराव-खोरीको बन्द करनेमें लगे हुए थे, अतएव मैंने उनके श्राद्धकी विधि बताई। दत्तात्रेय और मेघराज शान्ति-रक्षाके काममें लगे हुए थे, इसलिए उनका श्राद्ध शान्तिका प्रसार करके किया जा सकता है। जितनी अशान्ति होगी उतनी ही अधिक संख्यामें ज्यादा कठोर बलिदान हमें देने होगे, और स्वराज्य दूर हटता जायेगा। पर शान्ति जितनी ज्यादा होगी, बलिदान भी उतने ही कम देने पड़ेंगे। पत्थर और ढेले फेंककर, कोलाहल मचाकर, कचहरी, अदालत वगैरापर हमला करके, ट्राम गाडियाँ जलाकर तो गरीबोके लिए हम कभी स्वराज्य प्राप्त कर ही नही सकते।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २७-४-१९३०

३३७. रासका उत्साह

रासकी प्रतिज्ञा मैंने देखी है। रासके लोग जानते है कि यह प्रतिज्ञा उन्होने अपनी जिम्मेदारीपर ली है। खेड़ा जिला इस समय आश्चर्यजनक बल दिखा रहा है। त्यागी अब्बास साहब खेड़ा जिलेमें जाकर रह रहे है। अपनी कोमल बच्ची हमीदाको उन्होंने मद्यपान-निषेध-यज्ञमें होम दिया है, उनकी बेगम तो पहलेसे ही इसमें लगी हुई है। शरीरसे असमर्थ रेहाना रात-दिन हिन्दुस्तानकी चिन्तामें ही निमग्न रहती है। ये बुजुर्ग महानुभाव खेडामें जाकर बैठ गये है और उन्हें कोई भयभीत नही कर सकता।

खेड़ाको इस तरहके पुरुषोकी सहायता प्राप्त है। आश्रमकी टुकड़ीके सधे हुए लोग खेड़ामें जा बैठे हैं और अब सरदारकी लडकी, जो अत्यन्त निडर है और जिसको ईश्वरने कार्य करनेकी अक्षय शक्ति प्रदान की है, भी खेड़ा चली गई है। तात्पर्य यह कि खेड़ाको जितनी मददकी आवश्यकता है उतनी उसे प्राप्त है।

यदि खेड़ामें शान्ति बनाये रखनेकी सामर्थ्य नही हुई, अथवा अन्ततक संघर्षमें टिके रहनेका धीरज न हुआ तो खेड़ा अपनी और गुजरातकी नाक काट लेगा।

कर न भरनेकी बातको सरकार कदापि सहन नही करेगी। कर न भरनेकी दिशामें क्या कदम उठाये जायें, इस बारेमें अभी हमारा कार्यक्रम निश्चित नही हुआ है। लेकिन, जिनमें हिम्मत हो वे चाहें तो कर न दें। पाँचिया पटेलने अकेले ही वैसा किया था न? लेकिन ऐसा करनेवालेको खुद भारी जोखिममें पड़ना होता है। घरबार, ढोर आदि बिक जायें तो इसमें लोगोको आश्चर्य नही मानना चाहिए। बारडोलीके समान खेड़ामें नही हो सकता। बारडोलीकी लड़ाई एक खास किस्मकी

और सीमित लड़ाई थी। वह तो एक अधिकार प्राप्त करनेकी थी और यह हुकूमत छीननेकी है। दोनोंके बीच जमीन-आसमानका अन्तर है।

इसलिए रासके लोगोंने जो कदम उठाया है उसपर दृढ़ रहनेके लिए उन्हें चाहिए कि वे आत्मशुद्धि करें, त्यागी बनें और जो अन्य गाँव रासका अनुकरण करना चाहें वे शान्तचित्त हो अपनी शक्तिका अन्दाज लगायें। यों तो जिस जिलेसे सरकार सरदारको ले गई, जिस जिलेसे वह दरबारको ले गई, जो जिला मोहनलाल पण्ड्या और रविशंकरका निवासस्थान है, वह जितना करे उतना कम है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २७-४-१९३०

३३८. टिप्पणियाँ

हड़तालें

आये दिन होनेवाली हड़तालोंके सम्बन्धमें एक व्यापारीने दुःख प्रकट किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर अवसर और हर नेताकी गिरफ्तारीपर हड़ताल नहीं की जानी चाहिए। सभी मामलोंमें मध्यम मार्ग ही उचित होता है। अतिका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। जब किसी गाँवमें स्थानीय नेताको गिरफ्तार किया जाये तो वहाँ भले ही उस दिन हड़ताल मनाई जाये, किन्तु कहीं भी किसी जाने-माने नेताके पकड़े जानेपर सब जगह हड़ताल हो, यह बात मुझे उचित नहीं जान पड़ती। ऐसा सुननेमें आया है कि यदि मुझे गिरफ्तार किया गया तो कुछ व्यापारियोंका विचार सात दिनकी हड़ताल करनेका है। मैं समझता हूँ कि यह खबर गलत है। यदि सच हो तो आशा करता हूँ कि वे लोग अपना विचार बदल देंगे। सात दिनकी हड़ताल करनेसे स्वराज्य नहीं मिलनेवाला है, बल्कि इसके बजाय सात दिन ही नहीं, स्वराज्य मिलने तक हमें जो रचनात्मक कार्य करने हैं, उन्हें करते रहने पर ही स्वराज्य मिलेगा और वे सब, जो जेलमें बन्द हैं, छूट सकेंगे। यह समय विचार, विवेक और शान्तिपूर्वक काम करनेका है।

धरनेमें जोखिमें

एक बहन लिखती है कि धरना देनेसे कलह बढ़नेकी सम्भावना है। इसकी बजाय स्वदेशीका प्रचार ही हमारे लिए पर्याप्त होना चाहिए। मेरी विनम्र सम्मतिमें तो इन दोनोंकी आवश्यकता है। यदि पुरुष बीचमें न आयें और बहनों द्वारा ही धरना दिया जाये तो कभी कलह नहीं हो सकता। बहनोंमें सहनशक्ति और धीरज होना चाहिए। इस धरनेका मतलब दबाव डालना नहीं बल्कि अनुनय-विनय करना है। और प्रार्थना तो सभी वर्गोंसे की जा सकती है। मुहल्ले-मुहल्लेमें सभाओंका आयोजन करना, जलूस निकालना, स्वजातिकी सभाओंमें प्रस्ताव पास करना, भजन गाते हुए निकलना आदि बातें धरनेकी योजनाके अन्तर्गत आती हैं। धरनेका यह मतलब

बिलकुल नहीं है कि किसीको जोर-जबरदस्तीसे रोका जाये। अन्यथा सही बात तो यह है कि यदि हम बहिष्कार करना चाहते हो तो हमें खादी-उत्पादनका कार्य करना चाहिए। जो बहनें घरनेसे डरती हो वे चाहें तो पीजें, कातें और उसके लिए वातावरण तैयार करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २७-४-१९३०

३३९. इमाम साहब

इमाम साहब अब्दुल कादिर बावजीरको महादेव अपनी जगह नियुक्त कर गये है। इमाम साहबको सारा गुजरात जानता है। मैंने तो इमाम साहबको आश्रमकी चारदीवारीमें बन्द कर रखा था। मेरे लिए तो वे सगे भाईके समान है। वे प्रारम्भमें मेरे मुवक्किल थे, बादमें मुवक्किलसे सत्याग्रही, सत्याग्रहीसे फीनिक्सवासी बने और इतनेपर ही न रुककर वे आश्रमवासियोंके साथ भारत आये। १९०२ की जान-पहचान १९३० तक निभ रही है। इसलिए हमारा यह पारस्परिक सम्बन्ध कोई आज-कलका नही है।

इमाम साहब आधुनिक ढगके मुसलमान न होकर एक कट्टर मुसलमान है। वे न तो नमाज पढनेसे चूकते है और न रोजा रखना ही भूलते हैं। उनके पिता बम्बईकी जामा मसजिदके मौलवी थे। उन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें इमामगिरी की थी, इसी कारण ये इमामके नामसे पुकारे जाते हैं।

उन्हें आश्रम-जीवनसे बाहर लाये सरदार। सरदार कोई ऐसे व्यक्ति तो नही कि वे इमाम साहबकी खुशामद करनेकी खातिर उन्हे आश्रम-जीवनसे बाहर लाते। उन्होंने उनमें निहित मुक्त आत्माको पहचाना और उन्हें सार्वजनिक जीवनमें ले आये; और अब वे जहाँ भी जाते है उन्हे साथ ले जाते हैं।

इमाम साहब अपढ होते हुए भी चतुर है, दुनियाके व्यवहारको समझते है। अनेक बातें वे इशारेसे ही समझ जाते है। इमाम साहब कोई आज पहली बार ऐसे महत्त्वपूर्ण पदपर नही आये है। वे दक्षिण आफ्रिकामें अनेक बार सभापति रह चुके है। यदि इमाम साहब गिरफ्तार न हुए तो उनके सम्पर्कमें आनेवाले लोग समझ जायेंगे कि इमाम साहब कुर्सीपर कठपुतलीके समान बैठे रहनेवाले व्यक्ति नही है। वे सभाका दिशा-निर्देशन कर सकते है और विचारपूर्वक निर्णय दे सकते है।

इमाम साहबके चुनावमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने महादेवको कभी इमाम साहबका नाम सुझाया हो, सो मुझे स्मरण नही पडता। हाँ, महादेवके सुझानेपर मैंने उसे स्वीकार अवश्य किया है।

कुर्सीपर पुतला बैठानेका युग अब चला गया है। जो हमारा दिशा-निर्देशन कर सकता है, जनताके हुकमकी तामील कर सकता है अथवा न करनेपर त्यागपत्र दे सकता है, वही जनताका प्रथम सेवक बन सकता है।

और आज? आज तो जो अपना शीश हँसते-हँसते देश-सेवामें चढ़ा सकता है, वही सभापति हो सकता है।

इमाम साहब ऐसे ही व्यक्ति हैं। वयोवृद्ध अब्बास तैयबजी भी ऐसे ही व्यक्तियोंमें से है। स्वामीने ऐसे एक और सज्जन, अब्दुल्लाभाईको खोज निकाला है। अब्दुल्ला भाईको पसन्द करनेमें स्वामी खुद कसौटीपर चढ़े है और उन्होंने इस संघर्षकी मर्यादा निर्धारित की है। स्वामी अब्दुल्लाभाईको कुर्सी देंगे, यह बात मैंने स्वप्नमें भी नही सोची थी। मै स्वयं ऐसा नहीं कर सकता था; हालाँकि अब्दुल्ला भाईको पहले-पहल मैंने ही जाना था और उन्हें आश्रममें लानेवाला भी मै ही था। स्वामीने तो मानों अपने हाथसे सिर काटकर थालीमें रख देनेवाले व्यक्तिको ढूंढ़ निकाला है। तथापि इन तीनों व्यक्तियोंको गुजरातियोंने ही चुना है, और उसका कारण उनका मुसलमान होना नहीं है। किसी व्यक्तिको प्रसन्न करनेकी खातिर भी इन्हें नही चुना गया है, बल्कि इसलिए चुना गया है कि उन्हें जिन-जिन स्थानोंपर नियुक्त किया गया है, वे उनके उपयुक्त है, अपने प्राण दे देनेके लिए तत्पर है, त्यागी है और जितने साफ दिल मुसलमान है, उतने ही साफ दिल हिन्दुस्तानी भी है।

यह लड़ाई न तो हिन्दुओंकी है, न मुसलमानोंकी और न अन्य किसी एक जातिकी। यह तो भारतीय-मात्रकी लड़ाई है और यदि एक कदम आगे बढ़ें तो यह लड़ाई जगत्को अर्थलोभ-रूपी राक्षसके आतंकसे मुक्त करवानेकी है और यह बात सिद्ध करनेकी है कि पैसा परमेश्वर नही है, बल्कि परमेश्वर ही सब-कुछ है और उसके सिवा और कुछ नही है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २७-४-१९३०

३४०. बहिष्कार और खादी

जो यह मानते है कि बगैर खादीके बहिष्कार सफल नही हो सकता वे जानते है कि बहिष्कृत कपड़ेके बदलेमें जितनी खादी मिलेगी उतना ही बहिष्कार भी सफल हुआ माना जायेगा, और पीछे पछताना नही पड़ेगा। इसलिए बहिष्कारके सिलसिलेमें हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल खादीके उत्पादनका ही है। यदि ऐसा न हुआ तो विदेशी वस्त्र, सामनेके दरवाजेसे न सही तो पिछले दरवाजेसे हिन्दुस्तानमें आते ही रहेंगे। ऐसी हालतमें खादी-भण्डारोंको क्या करना चाहिए, यह विचारणीय है।

बम्बईवासियोंसे

इनमें भी बम्बईका भण्डार क्या करे? बम्बईका खादी-भण्डार पूरे हिन्दुस्तानमें सबसे बड़ा है। उसके पास चारों ओरसे खादी आती है; लेकिन सब जगह खादीकी माँग बढ़ जानेके कारण वह बड़ी मुश्किलसे बहुत-थोड़ी खादी लोगोतक पहुँचा सकता है। इस हालतमें यदि बम्बईका भण्डार इसका कोई हल नहीं खोज लेता तो

उसे अपने दरवाजे बन्द कर देने चाहिए। इस सम्बन्धमें बातचीत करते हुए मैंने श्री विट्ठलदास जेराजाणीसे कहा: "भविष्यमें आप ग्राहकोंसे पैसोंके बजाय हाथकता सूत माँगें। ऐसा करनेसे वही लोग खादी खरीदने आयेंगे, जो सचमुच खादी द्वारा ही बहिष्कारको सफल बनाना चाहते हैं। इस तरकीबसे खादीकी खपतमें स्वच्छता आयेगी, कातनेवालों की संख्या बढ़ेगी और पर्याप्त सूत तैयार होने लगेगा। और जब प्रत्येक काम व्यवस्थित हो जायेगा तो फिर खादीका पहाड़ ही खड़ा हो जायेगा। सूत स्वयं पहननेवाले के हाथका कता हुआ हो तो बेहतर है, पर यदि ऐसा न हो सके तो सारे कुटुम्बका सूत इकट्ठा किया जाये। चतुर लोग गाँवोंमें जाकर सूत कतवाकर ले आयें। करोड़ो लोगोंको सूतके उत्पादनमें लगा सकना बिलकुल आसान है। सूत मिलते ही उसे बुनवानेकी व्यवस्था आपको कर लेनी चाहिए। बम्बईमें बहुतेरे जुलाहे हैं। बहिष्कार होनेपर बाजारमें विदेशी सूत आना ही नही चाहिए। स्वदेशी मिलोंका सूत हो सकता है। ये मिले भी, यदि समझें तो, हाथकते सूतके साथ कभी होड न करे। जिन जुलाहोमें स्वदेश-प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है वे भी हाथकता सूत ही बुनेंगे।"

"लेकिन हम ऐसा करे और यदि लोग खादी न अपनायें तो?" भाई जेराजाणीने पूछा।

"जानकार तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, अनजान करें तो भले करें। यदि वे खादी नही पहनेंगे तो नुकसान उठायेंगे, इससे खादीकी कोई हानि नही होगी।"

मेरी इस पद्धतिके अनुसार अमल करनेवालेको इस बातका ठीक-ठीक पता चल जायेगा कि बहिष्कारमें खादीका स्थान कहाँ है। यदि हमें इस बातका पक्का विश्वास हो कि खादीके बिना बहिष्कार सफल हो ही नही सकता तो फिर हम सच बात कहनेसे क्यों डरें? हमारा कर्त्तव्य सही काम करने-करानेका है, पर परिणाम ईश्वराधीन है।

लेकिन यदि मैं बम्बईको पहचानता हूँ, तो मुझे विश्वास है कि बम्बईवासी मेरी इस युक्तिको समझ जायेंगे, वे इस तरीकेके प्रति कभी उदासीनता नही दिखायेंगे, बल्कि यथाशक्ति मदद ही करेंगे।

तकलीको आपद्धर्म समझकर बाँस और खपरेके टुकडेको गोल करके सुन्दर तकली बनाकर तथा खुद ही रुई पींजकर सब लोग सूत कातना शुरू कर दें। यदि हर रोज दो घंटे भी दिये जायें तो काफी होंगे। खादी-भण्डारके सब कर्मचारी भी तकली विशारद बन जायें; और जो लोग आयें उन्हें तकली बनाना, पीजना तथा सूतकी पहचान करना सिखा दें। यदि इस रफ्तारसे छः महीनेतक लगातार काम चलता रहे तो कभी खादीकी कमी न पड़े। यहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि यदि खादीकी भावना व्यापक रूप धारण कर ले तो गाँवोमें खादीकी कमी कभी होगी ही नही। क्योंकि गाँववाले तो फौरन ही अपनी जरूरतकी खादी पैदा कर लेंगे।

एक सवाल बम्बईमें सर्वत्र पूछा जा सकता है: "आप एक ओर तो सामूहिक सविनय अवज्ञा करा रहे है और दूसरी ओर तकली चलानेको कहते है। सविनय अवज्ञा

करनेवाले को कानून-भंगकी उत्तेजनामें तकली चलाना कैसे सूझेगा।" "स्वयं कानून-भंगमें उत्तेजना हो सकती है, किन्तु सविनय अवज्ञामें उसकी क्या जरूरत? सविनय अर्थात् शान्तिमय। शान्ति तो उत्तेजनाका विरोधी शब्द है। हमारी अवज्ञामें यदि सच्ची शान्ति होगी तो तकली और जोरसे चलेगी, क्योंकि तकली तो शान्तिकी मूर्ति है।" स्वयं-सेवकोंकी छावनियोंमें घूमते हुए मैं देखता हूँ कि बहुत-से स्थानोंपर सैनिक आलस्यमें समय बिताते हैं और कहते हैं: "हमें काम दो या गिरफ्तार कराओ।" गिरफ्तार कराना कोई मेरे हाथकी बात नहीं है। मैं काम दे सकता हूँ और वह तकली है, पिंजाई है। आज तो हजारों सैनिक हजारों तोले सूत रोज दे सकते हैं। हजार तोले सूतका मतलब [कच्चा] २५ सेर सूत होता है। अर्थात् कमसे-कम पौन सौ वर्ग गज खादी। हमारी कपड़ेकी एक दिनकी औसत आवश्यकता सवा इंच मानी जाती है, इस हिसाबसे प्रतिदिन २,१०० आदमियोंकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। यह परिणाम हरएकको आश्चर्यमें डालनेवाला है। लेकिन जो कहते हैं कि 'अब बहुत कत चुका' उन्हें इससे आश्चर्य नहीं होगा। एक तोला सूत कातनेवाला अपने लिए और दूसरे सवा आदमीके लिए खादीका सामान तैयार करता है। एक आदमी एक तोला सूत हँसते-खेलते कात सकता है। और यदि हम शान्तिपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हों तो धरना देते हुए या गोली खाते हुए भी तकली चला सकते हैं। हमें शरीरकी रक्षा तो करनी नहीं है। मान लीजिए कि हम नमककी सरकारी क्यारियोंपर कब्जा करने गये और वे कब्जा करने नहीं देते। हम मोर्चा बाँधकर खड़े हुए हैं, इसपर वे या तो हमें पकड़ेंगे, गोली चलायेंगे या लाठियोसे मारेंगे। ऐसी स्थिति आनेतक क्या हम सब शान्तचित्तसे तकली नहीं चला सकते? तकली सत्याग्रहीका हथियार है। उनकी बन्दूकोंके मुकाबले हमारी ठीकरे तथा बाँसकी बनी हुई तकलियाँ हैं। मुझे तो इससे बढ़कर और कुछ भव्य नहीं लगता। क्या बम्बई तथा दूसरे शहर और गाँव इस सुझावका स्वागत नहीं करेंगे?

और अब सोचिए। करोड़ों आदमी गोली खानेको मैदानमें नहीं आयेंगे, पूरे दिन नमक नहीं बनायेंगे और न करोड़ों लोग जलूसोंमें ही शामिल होंगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े क्या करेंगे? यदि ये सब लोग भी सूत कातें तो वे भी स्वराज्य-यज्ञमें पूरी तरह हाथ बँटायेंगे।

[गुजरातीसे].

नवजीवन, २७-४-१९३०

३४१. मेरी कसौटी

सरकार मुझे अच्छी तरह कसौटी पर कस रही है। उसे ऐसा करनेका अधिकार है। सरकार सोचती होगी कि यदि वह मेरे हाथ काट डाले तो शायद मै हार जाऊँगा, या अगर न हारा तो भी अकेला तो पड ही जाऊँगा। सासारिक दृष्टिसे यह बात ठीक भी मालूम होती है। इसी कारण महादेव पकडे गये, स्वामी पकडे गये। दूसरे पुराने और भाई मुशी-जैसे नये साथियोको मै छोडे देता हूँ।

महादेव और स्वामी अर्थात् 'यंग इडिया' और 'नवजीवन'। स्वामी अलग भले हो गये हो, किन्तु इसका यह मतलब नही कि उनका सम्बन्ध 'नवजीवन' से टूट गया है। यहाँ तो वैसी ही स्थिति है कि मै आश्रमके संरक्षकोमें नही हूँ, तो भी आश्रमका हूँ। 'नवजीवन' अर्थात् स्वामी। बम्बईमें बैठे हुए भी वे 'नवजीवन' की देखभाल किया करते थे। अथक परिश्रमपूर्वक उन्होने जमनालालजी को अस्पृश्यता-निवारणके काममें मदद दी थी। रात-दिन मेहनत करके उन्होने विलेपार्लेके कामको चमकाया था। महादेवने आजकल जो काम अपने हाथमें ले रखा हुआ था उसे, यहाँ इस कोनेमें बैठे हुए, जितना मै जानता हूँ उससे कही अधिक अहमदाबादके निकट रहनेवाले गुजराती भाई-बहन जानते है।

लेकिन जहाँ महादेव और स्वामी गये हैं, वहाँ मेरा प्रत्येक साथी चला जाये तो भी चिन्ताकी क्या बात है? मै अपनेको अकेला मानता ही नही। मेरा साथी, रक्षक, सलाहकार — जो भी कहूँ — एक ईश्वर है। महादेव, स्वामी या सरदार अथवा किसी मनुष्यके भरोसे यह जग नही छोडी गई है। अतएव चाहे जितने साथी क्यो न चले जायें, मै तो निश्चिन्त हूँ। निर्बलको चिन्ता किस बातकी? बलवानके बलको नष्ट किया जा सकता है, पर निर्बलके बलका नाश कौन कर सकता है?

लेकिन निर्बल होते हुए भी मै अपनेको बलवान मानता हूँ; क्योकि मैं ईश्वर के बलपर जूझता हूँ। उसकी प्रेरणासे खाता हूँ, पीता हूँ, लिखता हूँ, बोलता हूँ। इसलिए मै अपनेपर किसी तरहके बोझका अनुभव नहीं करता। महादेव, स्वामी या रमणीकलालकी गिरफ्तारी मुझे खटकती नही। उन्हें तो जेलमें आराम मिल जायेगा, आरामकी उन्हें जरूरत भी थी। यदि मैं चिन्ता करूँ ही तो मुझे चटगाँव और पेशावरकी चिन्ता करनी होगी। यो इन घटनाओका प्रभाव हृदयपर पडता है, परन्तु चिन्ता नही होती।

यह हिंसा-अहिंसाका द्वन्द्व है। मुझमें जिस हदतक अहिंसा होगी उस हदतक मुझे अहिंसक उपाय सूझते रहेंगे और जबतक मैं बाहर हूँ, उन्हें जनताके सामने रखता रहूँगा। अगर अहिंसा व्यापक होगी तो मेरी गैरहाजिरीमें भी लोग उसी रास्ते पर चलते रहेगे। यदि लोगोमें सच्ची अहिंसा आ गई होगी तो जो अहिंसाके निकट नही आये है वे भी आखिरकार उसके निकट आये बिना न रहेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २७-४-१९३०

३४२. पत्र : अमीना तैयबजीको

२७ अप्रैल, १९३०

प्रिय बहन,

साथमें वाइसरायको लिखा पत्र[1] भेज रहा हूँ। कृपया इसपर हस्ताक्षर कर इसे ले जानेवाले व्यक्तिको लौटा दें ताकि इसे वाइसरायको भेजा जा सके।

रेहाना कैसी है?

हमीदा ओलपाडमें बहुत अच्छा काम कर रही है।

आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० ९६८८)की फोटो-नकलसे।

३४३. आसफअलीको लिखे पत्रका अंश

२७ अप्रैल, १९३०

व्यक्तिगत रूपसे मेरा विचार यह है कि धरना देना कहीं भी स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु यदि स्थानीय कांग्रेस कमेटीने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे धरना स्थगित करनेका वचन दिया है तो हर हालतमें और किसी भी कीमत पर उसे अपना वचन निभाना चाहिए।

प्रतिज्ञाका सम्पूर्ण पालन ही सत्याग्रहका सार है।

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० की फाइल संख्या १८२-एफ, १९३०।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालय

१. देखिए "वाइसरायको लिखे पत्रका मसविदा", २७-४-१९३० अथवा उसके पूर्व।

३४४. पत्र : लीलावती आसरको

२७ अप्रैल, १९३०

चि० लीलावती,

तेरा पत्र मिला। पढ़कर खुशी हुई। इसी तरहसे यदि तू विचारपूर्वक सयमका पालन करेगी तो अधीरता समाप्त हो जायेगी। मुझे नहीं लगता कि छालेपर मरहम लगानेसे कोई नुकसान होगा। लेकिन तू यदि कटि-स्नान लेगी तो मासिक धर्म अवश्य आयेगा। यदि तू कवायदमें भाग न ले तो अच्छा हो। यदि तू मनको शान्त रखेगी और सीमासे बाहर मेहनत नही करेगी तथा खुले आकाशके नीचे सोयेगी तो तेरे मूर्च्छाके दौरे बन्द हो जायेंगे।

पाखाना न आनेपर एनीमा लेना ही चाहिए। अँतड़ियाँ २४ घंटेसे ज्यादा साफ हुए बिना नही रहनी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९५६२)की फोटो-नकलसे।

३४५. पत्र : रामेश्वरदास बिड़लाको

जलालपुर
२८ अप्रैल, १९३०

भाई रामेश्वरदासजी,

आपका खत मीला है। आपका खादीका प्रेम मुझे मालुम है। इसलिये आपकी योजनाकी टीका करनेमें संकोच होता है। तदपि इतना कह दुं कि योजना चलनेवाली नहिं है। क्योंकि मिल-मालेक स्वार्थ नहिं छोड़ेंगे।

सलतनतकी मदद बहोत चीजोंमें आवश्यक है जो बहिष्कारके लिये कभी नहिं मीलेगी।

यदि मिल-मालेकोंके उद्योगसे बहिष्कार सफल हो सकता है तो बहिष्कारमें खादीको कुछ स्थान नहिं होना चाहिये।

परंतु मेरा विश्वास है कि खादीसे हि बहिष्कार सिद्ध हो सकता है।

इसका मतलब यह नहिं है कि मिलको स्थान हि नहिं है। खादी-भावनासे ही मिलको अपना योग्य स्थान मिल जाता है। भगवानमें देवतादिका समावेश होता हि है के न्याय से। और देवताकी स्वतंत्र पूजासे देवताका नाश होता है क्योंकि उसका स्वतंत्र हसति नहिं है और भगवान मिलता नहिं है।

इन सब कारणोंसे मिलका क्षेम और बहिष्कारकी सफलता खादी-भावना पैदा करनेसे और खादी उत्पन्न करनेसे हि हो सकती है।

सुज्ञेषु किं बहुना?

मेरे अक्षर पढ़नेमें कष्ट नहिं होगा।

आपका,
मोहनदास

[पुनश्च :]

जमनालालका कष्ट कालांतरसे दूर हो जावेगा। थोड़े दुःखका भले अनुभव कर लें।

सी० डब्ल्यू० ६१८४ से।
सौजन्य: घ० दा० बिड़ला

३४६. पत्र: नरहरि परीखको

[२८][1] अप्रैल, १९३०

भाई नरहरि,

काकाके गिरफ्तार होनेकी मुझे अभी-अभी खबर मिली है। एक तरहसे अच्छा ही हुआ, बशर्ते कि वे जेलमें लड़कर भी दूध आदि आवश्यक खुराक लेते रहें। अब तुम क्या करना चाहते हो सो बताना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

शराबकी दुकानवाले पारसीके बारेमें मैंने खुर्शीदबहनको समझा दिया है। स्त्रियाँ उसकी दुकानपर धरना दें, जलूस निकालें, उसके पास जायें; प्रस्ताव भी पास करें। यह सब अनसूयाबहनकी इच्छा हो तभी करें।

गुजराती (एस० एन० ९०४७) की फोटो-नकलसे।

१. काका कालेलकर इसी तारीखको गिरफ्तार किये गये थे।

३४७. भेंट: 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिको

जलालपुर
२८ अप्रैल, १९३०

सरकारके नमक-भण्डारोंपर धावा बोलना अवश्यम्भावी है, लेकिन यह काम किस तरह किया जाये, इसकी योजना अभी पूरी तरहसे तैयार नही हुई है।

महात्माजी से जब यह पूछा गया कि धरासणा नमक-भण्डारपर धावा बोलनेकी बात क्या अन्तिम रूपसे तय हो गई है, तो उन्होंने कहा:

मैंने अभी कोई अन्तिम निर्णय नही लिया है। मैं भगवान्‌से प्रकाशके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ।

इस प्रश्नके उत्तरमें कि क्या वे धावा बोलने पहलेसे वाइसरायको उसके बारेमें सूचित करेंगे, गांधीजी ने कहा:

वाइसरायको सूचित किये बिना मैं निश्चय ही कोई कदम नही उठाऊँगा। यदि धावा बोला ही गया तो ऐसा बहुत जल्द होगा।

यह पूछनेपर कि यदि नमक बनानेकी जगहतक जानेका रास्ता रोककर पुलिस खड़ी रहे तो यह काम कैसे किया जायेगा, गांधीजी ने कहा:

यह तो मैं नही कह सकता; लेकिन जब मेरे रास्तेमें व्यवधान आयेगा तब मुझे कोई-न-कोई रास्ता सूझ ही जायेगा। जब मैं धावा बोलनेकी बात करता हूँ, तो समझना चाहिए कि वास्तवमें, जैसी कि मेरी आदत है, प्रकट चिन्तन ही कर रहा हूँ। लेकिन जहाँतक मैं देख सकता हूँ, धावा अवश्यम्भावी है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २९-४-१९३०

३४८. पत्र: नरहरि परीखको

२९ अप्रैल, १९३०

चि० नरहरि,

ऐसी शका भी मनमें क्यों लाते हो कि मैं यदि तुम्हें धरासणा नहीं ले जाता तो वह तुम्हारी अयोग्यताके कारण ही। लेकिन इस समय हम-जैसोका सयम धरासणा पर कब्जा करते हुए मरनेमें नही, बल्कि उस भोगका त्याग करके शान्त चित्तसे अपने कर्त्तव्यका निर्बाध पालन करनेमें है। अभी तो तुम्हारा कर्त्तव्य इमाम साहबके निकट रहकर उनकी सेवा करना है। तथापि मुझे आवश्यक या उचित लगा तो तुम्हें बुला लूँगा। यदि मौका आये तो तुम भी काकाकी तरह समर्पित हो जाना।

महादेवके कार्यके बारेमें क्या तुम्हें मेरा पत्र मिला? उसमें मैंने उसके कार्यका विस्तारसे निरूपण किया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९०४८) की फोटो-नकलसे।

३४९. भाषण : बिलीमोरामें

२९ अप्रैल, १९३०

गांधीजी ने सभाको सम्बोधित करते हुए कहा कि हम भाषण द्वारा अथवा नमक-कानून तोड़कर देशी रियासतोंको अटपटी स्थितिमें नहीं डालना चाहते। हम पहले ब्रिटिश सरकारके साथ हर बातका निबटारा कर लें और देशी रियासतोंके साथ हमें जो-कुछ भी तय करना है वह बादमें किया जायेगा।

मैं आपसे नमक-कानून तोड़नेके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपसे खद्दर अपनाने और शराबके विरुद्ध जबरदस्त अभियान चलानेके लिए अवश्य अपील करूँगा। आप विदेशी कपड़े और शराबकी दुकानें, इन दो तरहके बहिष्कारोंमें शामिल हो सकते हैं। शराबके व्यापारने हमारे श्रमिक-वर्गको तबाह कर दिया है और यह प्रत्येक नागरिकका — चाहे वह देशी रियासतकी प्रजा हो अथवा ब्रिटिश सरकारकी — कर्त्तव्य है कि उन्हें इस तबाहीसे बचाये, और केवल महिलाएँ ही शराबियोंका हृदय-परिवर्तन कर सकती हैं, जो इतना जरूरी है।

कुछ हलकोंमें ऐसी धारणा फैली हुई है कि मैं केवल पारसी मालिकोंकी शराबकी दुकानोंके विरुद्ध ही धरना दिलाने जा रहा हूँ। लेकिन यह बात सच नहीं है। धरना तो शराबकी सभी दुकानोंपर दिया जायेगा, चाहे उनके मालिक हिन्दू, मुसलमान, सिख अथवा अन्य किसी भी जातिके हों। पारसी तो मेरे भाइयोंके समान हैं।

मैं तो अंग्रेजोंकी दुकानोंपर भी धरना दिलाना चाहूँगा, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा करनेसे डरता हूँ। वे हमारे भाई नहीं बनना चाहते, वे हमारे स्वामी ही बने रहना चाहते।

यदि हम शराबकी बुराईको अपने बीचसे दूर नहीं करते तो हम अहिंसा द्वारा स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हम नहीं चाहते कि स्वराज्यमें कोई शराबी हमारा राष्ट्रपति हो और न हम किसी शराबीको मतदाताके रूपमें ही देखना चाहते हैं। हमें शैतानके इस प्यालेको, जहाँ-जहाँ वह हमें दिखाई दे, तोड़ देना चाहिए।।

और अन्तमें उन्होंने सभामें उपस्थित लोगोंसे कहा कि उन्हें अपने झगड़ोंका निपटारा पंचायत द्वारा कराना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ३०-४-१९३०

३५०. छद्म सैनिक कानून[1]

[बिलीमोरा
२९ अप्रैल, १९३०]

जिस प्रेस अधिनियमको सर्वथा निष्प्राण-निष्प्रभाव माना जाता था, उसे एक अध्यादेशके रूपमें फिरसे लागू कर दिया गया है। मगर इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं; यह तो वही हुआ है, जिसकी आशा की जाती थी। इस नये रूपमें उक्त अधिनियममें कई अतिरिक्त धाराएँ भी हैं, जिनके कारण इसकी धार पहलेसे भी अधिक तेज हो गई है। चाहे हम इस चीजको महसूस करें या न करें, लेकिन वास्तविकता यही है कि पिछले कुछ दिनोंसे हम एक प्रकारके छद्म सैनिक कानूनके अन्तर्गत रह रहे हैं। आखिरकार सैनिक कानूनका मतलब यही तो होता है कि कुछ समयके लिए सेनाध्यक्षकी इच्छा ही देशका कानून बन जाये। वह सेनाध्यक्ष वाइसराय हैं और उनको जहाँ-कहीं भी जरूरी लगता है, वहाँ वे देशके लिखित और प्रथागत दोनों तरहके कानूनोंको रौंदकर उनके स्थानपर एक ऐसे जन-समाजपर अपने अध्यादेश थोप देते हैं जो इतना दब्बू है कि वह न इसपर कोई नाराजगी जाहिर कर सकता है और न उसका विरोध ही कर सकता है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अंग्रेज शासकोंके प्रत्येक आदेशका दुम हिलाकर पालन करनेका समय अब सदाके लिए समाप्त हो गया है। आशा है, लोग इस अधिनियमसे नहीं डरेंगे। पत्रकार लोग यदि जन-मतके सच्चे प्रतिनिधि हैं तो वे इस अध्यादेशसे भयभीत नहीं होंगे। हमें थोरोके इस सूत्र-वाक्यके मर्मको समझ लेना चाहिए कि अत्याचारपूर्ण शासनमें ईमानदार लोगोंके लिए धनी होना कठिन है। और यदि हमने अपने शरीरको तनिक भी आनाकानी किये बिना खुशी-खुशी सत्ताधारियोंके हवाले कर देनेका निश्चय किया है तो हमें इसी तरह अपनी सम्पत्ति भी उनके सुपुर्द कर देनेके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन अपनी आत्माको हरगिज न बेचना चाहिए। इसलिए पत्रकारों तथा प्रकाशकोंसे मेरा अनुरोध है कि वे कोई जमानत न दें, और यदि उनसे जमानत देनेको कहा जाये तो वे या तो अपना प्रकाशन बन्द कर दें या फिर अधिकारियोंको, वे जो-कुछ चाहें, जब्त कर लेनेकी चुनौती दें। आज जब कि स्वतन्त्रता सचमुच हमारा दरवाजा खटखटा रही है और जब कि इसे प्राप्त करनेके लिए हजारों लोगोंने न जाने कितनी यातना सही है, आप किसीको यह कहनेका मौका न दें कि पत्रकारोंकी कसौटी हुई तो वे पूरी तरह खरे नहीं पाये गये। वे भले ही आपका टाइप और आपकी मशीनें जब्त कर लें, लेकिन आपकी कलम तो नहीं छीन लेंगे, और न आपकी वाणी ही छीन लेंगे। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि

१. बॉम्बे क्रॉनिकलके प्रतिनिधिके साथ हुई एक भेंट-वार्ताके आधारपर। भेंट-वार्ता इस टिप्पणीके साथ प्रकाशित हुई थी: "नीचे उस प्रेस अधिनियमके बारेमें गांधीजीका वक्तव्य दिया जा रहा है जो अंग्रेजीके अखबारोंमें कमोबेश काट-छाँटकर छापा गया है।"

वे ये दोनों चीजें भी छीन सकते हैं। मगर एक चीज ऐसी है जिसे वे कभी दबा नहीं सकेंगे। वह है राष्ट्रका संकल्प और वास्तवमें महत्त्वकी चीज भी तो यही है। आज भारतमें शायद ही कोई ऐसा पुरुष या स्त्री हो जिसकी हर साँससे असन्तोष, राजद्रोह, राज्यके प्रति अभक्ति, और वर्तमान शासन-प्रणालीको समाप्त कर देनेको कटिबद्ध राष्ट्रकी मनोवृत्तिका वर्णन चाहे जिस शब्दमें कीजिए, उसकी आहट न आती हो।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-५-१९३०

३५१. पत्र : मीराबहनको

२९ अप्रैल, १९३०

चि० मीरा,

मैं तुम्हें कल कुछ भी नहीं लिख सका, हालाँकि लिखनेका पूरा इरादा था। लेकिन मैं आधी राततक 'यंग इंडिया' का काम करता रहा। और अभी रेलगाड़ीमें तुम्हें ये चन्द पंक्तियाँ लिखकर भेज रहा हूँ।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३९४) से; सौजन्य : मीराबहन; जी० एन० ९६२८ से भी।

३५२. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

२९ अप्रैल, १९३०

भाई सतीशबाबु,

तुमारा पत्र पाकर मुझको बड़ा दुःख हुआ। कृष्णदासका खत भी आज आया। उसका खत इसके साथ भेजता हूं। कुछ गैरसमझ-सा लगता है। कृष्णदास जान-बूझकर द्वेषभाव रखे ऐसा तो मैंने तो कभी नहि सोचा है। उनसे मिलो और बातें करो। ऐसा उनको भी लिखा है। हमारे युद्धमें यह भी है ना कि एक-दूसरोंका विरोधको मिटानेकी चेष्टा करना। यदि हिंदीमे समझानेमें कष्ट हो तो इंग्रेजीमें लिखो। इस वखत तो काम यहि है कि हम एक-दूसरों कि बात पूरी समझ लें। यदि हिंदीसे न हो सके तो इंग्रेजीसे निपटावे। समय मीले तो दोनोंमें लिखो इंग्रेजी और हिंदी।

उपवासका कुछ असर अब है? हेमप्रभादेवीको कहो खत लिखे।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १६१८ की फोटो-नकलसे।

३५३. भेंट: 'लीडर' के प्रतिनिधिको

विलीमोरा
२९ अप्रैल, १९३०

कहनेकी जरूरत नही कि श्री विट्ठलभाई पटेल द्वारा त्यागपत्र देनेपर उन्हें जिन बेशुमार लोगोकी बधाइयाँ मिल रही है, उनमें मैं भी शामिल हूँ। हममें से अनेक लोग हर दिन उनसे यह कदम उठानेकी आशा कर रहे थे। और जब राष्ट्रके कदाचित् सबसे वयोवृद्ध सेवक पण्डित मालवीयजीने, जो १९२१ में असहयोगके चरमोत्कर्षके दिनोमें भी विरोधी आलोचनाओको बरदाश्त करके सरकारके साथ कन्धेसे-कन्धा मिलाकर खड़े रहे थे और विधान सभा छोड़नेको तैयार नही हुए थे, बहुत सोच-समझकर त्यागपत्र दे दिया तब तो हम श्री विट्ठलभाई पटेल द्वारा त्यागपत्र देनेकी और अधिक आशा करने लगे थे।

[अंग्रेजीसे]
लीडर, २-५-१९३०

३५४. वक्तव्य: नमककी क्यारीमें विष मिलाये जानेके सम्बन्धमें

जलालपुर
३० अप्रैल, १९३०

नमककी क्यारीमें विष मिलानेके समाचारका सरकार द्वारा खण्डन किये जानेके बाद मुझे सूचना देनेवाले व्यक्तिने इस विषयमें सावधानीपूर्वक और भी जाँच-पडताल करनेके पश्चात् कहा है कि उसने पहले जो-कुछ कहा था, उसपर वह अब भी दृढ है। मैंने नमूनेकी जाँच करवाई थी और मेरी सारी जाँच-पडतालसे यही नतीजा निकला है कि नमककी इस क्यारीमें कुछ मिलाया अवश्य गया था। उसमें जो चीज मिलाई गई उससे नमक विषाक्त हुआ या नही, यह तो मै नही कह सकता, लेकिन उससे नमक दूषित अवश्य हो गया। नमककी क्यारी तथा पानीका रग एकाएक बदल गया, इसमें तो सन्देहकी कोई गुजाइश ही नही है। इसलिए अब जिस बातका पता लगाना है वह यह है कि रंग किसी मनुष्य द्वारा कुछ किये जानेपर बदला या किसी प्राकृतिक कारणसे और यदि इसमें किसी मनुष्यका हाथ है तो वह सरकारका कोई आदमी है अथवा कोई अन्य। यह देखते हुए कि सरकारी अधिकारी नमककी क्यारियोको दूषित करते रहे हैं, उनमें कीचड़ मिलाकर और अन्य तरीकोंसे

उन्हें नष्ट करते रहे हैं, यह सिद्ध करना सरकारी अधिकारियोंका ही काम है कि इसमें ऐसा कुछ नही मिलाया गया जिससे नमक आदमीके उपयोगका न रह जाये।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ४-५-१९३०

३५५. दिल्लीके पत्रकारोंको बधाइयाँ

नवसारी

३० अप्रैल, १९३०

सरकारने प्रेस अधिनियमके अन्तर्गत दिल्लीके अखबारोंको तत्काल मुचलका देनेका आदेश दिया था। उसपर उनकी जो प्रतिक्रिया हुई है,[1] उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। यदि इस अध्यादेशके प्रयोगके पहले ही दौरमें महत्त्वपूर्ण अखबार इसमें निहित अपमानको चुपचाप पी जाते तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होती। मुझे आशा है कि उन्होंने जो मुचलके देकर अखबार न चलानेका निश्चय किया है, वह स्थायी होगा और दिल्लीके सम्पादकों तथा प्रकाशकों द्वारा पेश किये गये इस साहसपूर्ण उदाहरणका दूसरे अखबार भी अनुकरण करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १-५-१९३०

३५६. पत्र : नरहरि परीखको

३० अप्रैल, १९३०

चि० नरहरि,

चीखलीमें मुसलमानोंकी आबादीके कारण ही कुरैशीकी जरूरत है। कुछ समयके बाद तुम उसे भेज सकते हो।

महुड़ा-कानूनको भंग करना इस समय बुद्धिमानीका काम नहीं होगा। जो तीन वस्तुएँ हमने ले ली हैं वे ही काफी हैं और अब सरकारी प्रेस अधिनियमसे और भी मौके मिलेंगे। छोटेलाल वहाँ आ रहा है। उसका उपयोग करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९०४९) की फोटो-नकलसे।

१. उन्होंने विरोधस्वरूप अखबारोंका प्रकाशन स्थगित कर देनेका निश्चय किया था।

३५७. पत्र : नरहरि परीखको

३० अप्रैल, १९३०

चि० नरहरि,

इमाम साहब बीमार है, इसलिए तुम्हारा उन्हें आफिसमें बुलाना ठीक नही है। आश्रममें बैठे-बैठे वे जो निर्णय लेना चाहें, ले। उन्हें यदि शहर आना ही पड़े तो मोटरमें आयें। और अन्य तरीकोसे भी तुम उनकी शक्तिको बनाये रखना। जबतक वे लाचार नही हो जाते तबतक हमें अभी कोई परिवर्तन नही करना चाहिए। जब वे बिलकुल काम न कर सके, उस हालतमें क्या करना चाहिए, क्या इसपर तुम सबने अच्छी तरहसे विचार कर लिया है? ऐसा लगता है कि तब तुम्हें कारोबार सँभालना होगा। लेकिन मुझे स्थितिकी पूरी जानकारी नही है और वहाँकी परिस्थितियोंके बारेमें मुझे क्या मालूम हो सकता है? जो उचित लगे सो करना। बालुभाईका क्या हुआ?

'नवजीवन' के बारेमें मगनभाई तुमसे मिलेंगे तो बतायेंगे; इसलिए उस सम्बन्धमें कुछ नही लिखता। मैं पकड़ा जाऊँ तो मोहनलाल सम्पादक और प्रकाशक दोनो पदोको सँभाल ले। कमलनयन कैसा है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९०५०) की फोटो-नकलसे।

३५८. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

३० अप्रैल, १९३०

चि० गंगाबहन,

काका लिखते है कि उनके जेल जानेसे तुम्हारे मनकी व्याकुलता बढ जायेगी। उनका दृढ मत है कि तुम्हारा त्याग आश्रममें बने रहनेमें ही है। मेरा भी यही विचार है। सब-कुछ शान्तिपूर्वक सहन करना। आसपास होलिका-दहन होनेके बावजूद मनको शान्त रखना; इसीमें कला है, साधना है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७४८)से।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

३५९. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

३० अप्रैल, १९३०

चि० गंगाबहन,

तुम चने-मुरमुरे खाकर अपने स्वास्थ्यको ठीक रखो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अपने-आपको धोखा मत देना। शरीर जो खुराक माँगे वह खुराक उसे देना और इस तरह अपनेको सेवाके योग्य बनाये रखना।

जो लड़कियाँ और बहनें आदि मुझसे आकर नहीं मिल गई हैं यदि वे आना चाहें तो उन्हें लेकर तुम एक बार आ सकती हो। आनेसे कोई लाभ होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आकर वापस भी तो जाना होगा न।

शारीरिक सम्बन्ध झूठे हैं, मृगजलके समान हैं; इसलिए इनका मोह क्यों करें? शरीरके द्वारा आत्मिक सम्बन्ध स्थापित कर लें और जान लें कि वे कभी टूटते नहीं हैं और ऐसे ही सम्बन्ध निर्मल और मोहरहित होते हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७४७)से।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

३६०. पत्र : वसुमती पण्डितको

[३० अप्रैल, १९३०][1]

चि० वसुमती,

मैं तो पत्रकी बाट जोह रहा था। अब रातके दस बज गये हैं; इसलिए अधिक नहीं लिखता। कमलाबहनको भी पत्र लिखना चाहिए। कूच करनेमें एक सप्ताहका समय लग जायेगा। इस बीच तुम आ जाना।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती वसुमतीबहन
सत्याग्रह पड़ाव, भीमराड
बरास्ता — सूरत

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ५४४) से; सौजन्य : वसुमती पण्डित; एस० एन० ९२८० से भी।

१. डाककी मुहरसे।

३६१. पत्र : मणिबहन पटेलको

[अप्रैल १९३०][1]

चि० मणि,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने जो टिप्पणी माँगी थी वह कल आखिरकार मैं लिख ही नही पाया। अब तुम तो जाओगी ही। इसके साथ वह टिप्पणी भेज तो रहा हूँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नही है।

देखना, मेरी, बापूकी तथा अपनी लाज रखना, नाम रोशन करना। 'गीता' तथा गुजराती पुस्तके पढना और उन्हें समझनेकी कोशिश करना।

मुझे नियमपूर्वक पत्र लिखती रहना।

खेडामें नमककी क्यारियोको जहरीला बनानेकी खबर सुनी थी, उसकी जाँच करना तथा मुझे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

चि० मणिबहन पटेल
नडियाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन पटेलने

३६२. स्वराज्यके कार्यकर्त्ताओंके लिए प्रतिज्ञा

[अप्रैल १९३०][2]

हम, निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता, पूर्ण स्वराज्यकी लड़ाईमें भाग लेना स्वीकार करते है, और जबतक स्वराज्य नही मिल जाता तबतक सौंपे गये कार्यके अतिरिक्त हम अन्य कोई काम हाथमें नही लेगे।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८१०८) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

१. नमककी क्यारियोंमें विष मिलानेकी बातसे लगता है कि यह पत्र अप्रैल १९३० में लिखा गया होगा।

२. बापुना पत्रो – ९ : श्री नारणदास गांधीनेमें इसे २९-४-१९३० तथा ३-५-१९३० के पत्रोंके बीच रखा गया है।

३६३. पत्र : अमीना कुरैशीको

१०-३० बजे रात, बृहस्पतिवार
[१ मई, १९३० अथवा उसके पश्चात्][1]

चि० अमीना,

मैंने तुझे वाहर आनेको नही कहा, इसका कारण तो तू जानती है न? चिन्ता मत करना। वहाँ वैठे-वैठे जो भी किया जा सकता हो, सो करना। मुझे दिल खोलकर जो लिखना हो सो लिखा जा सकता है। अव इमाम साहव जल्दी ही जेल जानेवाले है। वे कदाचित् मुझसे भी जल्दी पहुँचेंगे। वे जेल जायें तो चिन्ता मत करना।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४२९४) की फोटो-नकलसे; सौजन्य: हमीद कुरैशी; जी० एन० ६६४९ से भी।

३६४. महादेव देसाई और उनके उत्तराधिकारी

मेरे पास जाने-माने भारतीयोंकी गिरफ्तारी और कैदकी ओर भी ध्यान देनेका समय नही रहता। यहाँतक कि गिरफ्तारी और कैदके समाचार मुझे जल्दी नहीं मिल पाते। मै वरावर यहाँ-वहाँ आता-जाता ही रहता हूँ और मेरा रहना भी आजकल एक गाँवमें ही होता है। इसलिए कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओंकी जानकारी मुझे अकसर चौवीस-चौवीस घंटे वाद मिल पाती है। जव वहुत-से महत्त्वशाली व्यक्ति मिलकर एक आदमीकी तरह काम करते और कष्ट-सहन करते हैं और जव वहुत-सी अहम घटनाएँ एक ही साथ घटित होती हैं तो वे सामान्य चीजें वन जाती है और यह एक शुभ लक्षण है। हम सूर्यकी किरणोंकी ओर ध्यान नही देते, हालाँकि प्रत्येक किरण उतनी ही महत्त्वपूर्ण होती है जितना कि स्वयं सूर्य। जव हम सूर्यकी पूजा करते हैं तो वास्तवमें प्रत्येक किरणको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते है, क्योंकि समस्त किरणें एक साथ जो-कुछ करती हैं, उस सवका कारणरूप वही है जो-कुछ सूर्य करता है। इसी प्रकार हम भारत-स्वातन्त्र्य-रूपी सतत् वर्धमान सूर्यकी प्रतिदिन आरावना करते है, उस सूर्यकी जो धीरे-धीरे भारतके आकाशमें उदित हो रहा है।

लेकिन महादेवको सजा दी जानेकी घटनाके वारेमें तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। आज देशमें सरकारके नामपर जो-कुछ चल रहा है वह अराजकता और अव्यवस्था ही तो है। लेकिन अराजकता और अव्यवस्थाके वीच महादेवको गिरफ्तार करनेमें

१. ५ मईको गांधीजीकी गिरफ्तारीके पहलेका यह अन्तिम वृहस्पतिवार था।

अधिकारियोंने शिष्टताका परिचय दिया और उन्होंने उनको काफी हिचकते हुए गिरफ्तार किया। यद्यपि उन्होंने वीरमगाँव और धोलेरासे लेकर अहमदाबाद तक सारे गुजरातमें उथल-पुथल मचा दी थी, लेकिन अधिकारी यह मानते थे कि यह जीवनदायिनी उथल-पुथल है, वे महादेवके शासनमें खुद अपने शासनकी अपेक्षा कही अधिक निरापद है और जिन शक्तियोको महादेवने जन्म दिया है, उन्हे नियन्त्रणमें रखनेकी भी उनमें पूरी सामर्थ्य है।

लेकिन महादेवने अधिकारियोंके लिए यह असम्भव बना दिया कि वे उन्हे स्वतन्त्र रहने दें। उन्होंने धोलेरासे लारी-भर नमक 'तस्करी से लाने' की व्यवस्था की थी। अधिकारी पूरी तरह चौकस थे। उन्होंने लारीको रास्तेमें रोक लिया। उनको आशा थी कि महादेव उसमें नही होगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुमूल्य नमक-सहित लारी पकडी जानेवाली है तो वे पीछे-पीछे जिस मोटरगाडीसे चल रहे थे उसमें से कूदकर लारीमें जा चढे। तो अब स्थिति यह हो गई कि अगर वे लारीको पकड़ते हैं तो महादेवको भी गिरफ्तार करना ही पडेगा। और उन परिस्थितियोमें महादेवके सामने लारीमें जा चढनेके अलावा और कोई सूरत भी नही थी। उनके साथ एक ऐसा नौजवान था जिसे अगले ही दिन एल० एल० बी० की अन्तिम परीक्षामें बैठना था। इसके अलावा दो युवक गुजरात कालेजके थे और दो किन्ही धनाढ्य लोगोके लडके थे। लारी श्रीयुत रणछोड़लालने दी थी। वे एक मिल-मालिक हैं। उन्हें जब चेतावनी दी गई थी कि उनकी लारीका क्या हश्र हो सकता है तो उन्होने कहा था: "मै तो स्वराज्यकी खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देनेको तैयार हूँ, फिर यह लारी गँवा देनेकी परवाह क्यो करूँ?"

महादेवको आरामकी सख्त जरूरत थी। उसे वह मिल गया है। सैकडो कर्मठ कार्यकर्त्ताओके लिए जेल आरामगाह ही तो बन गया है। जैसा कि महादेव खुद ही कहते हैं, वे तो 'इससे भी अच्छे सुयोगके लिए' लालायित थे, "किन्तु स्पष्ट ही अभी वे उसके सुयोग्य पात्र नही बन पाये थे।"

उन्होने इमाम साहब अब्दुल कादिर बावजीरको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। इमाम साहब दक्षिण आफ्रिकासे ही मेरे साथी रहे हैं। आजकल वे आश्रम-समितिके उपाध्यक्ष और उसके न्यासियोमें से एक हैं। इमाम साहब एक वयोवृद्ध व्यक्ति है और कडी मेहनत करना उनके बसकी बात नही है। कहा जा सकता है कि वे अनपढ़ हैं। लेकिन वे एक तपे-परखे सिपाही और एक सच्चे मुसलमानके सपूत हैं। उनके पिता अपनी मृत्युके समयतक बम्बईकी जुमा मसजिदके मुअज्जिम रहे थे। खुद उनको इमाम इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण आफ्रिकाकी कई मसजिदोमें एवजी इमामकी तरह काम किया है। वे कट्टर मुसलमान है — कट्टर इस अर्थमें कि वे नमाज और रोजोमे कभी चूक नही करते। लेकिन साथ ही वे मनसे बडे उदार भी है, अन्यथा तरह-तरहके लोगोके बीच लगातार लगभग बीस वर्षो तक वे मेरे निकटतम सम्पर्कमें नही रह पाते।

लेकिन मेरे — बल्कि कहिए, हमारे — सपनेका स्वराज्य जाति अथवा धर्मके नाम पर कोई भेद-भाव स्वीकार नही करता। इसी प्रकार इसपर न तो पढे-लिखे लोगोकी

इजारेदारी होनी है और न पैसेवाले लोगोंका एकाधिकार। स्वराज्य सबके लिए होना है। इसमें उक्त वर्गोंके लोग भी शामिल होंगे, लेकिन यह मुख्यतः अन्धों और अपंगोंके लिए होगा, करोड़ों मेहनतकश क्षुधार्त्त मानवोंके लिए होगा। जिस प्रकार इमाम साहब गुजरातके और अब्दुल्लाभाई नामक एक दूसरे सज्जन, जिनको और भी कम लोग जानते है, विलेपार्लेके प्रथम सेवक बन गये हैं उसी प्रकार ऐसा कोई भी अनपढ़ आदमी, जिसमें दिलेरी, ईमानदारी और समझदारी हो, सारे राष्ट्रका प्रथम सेवक बन सकता है। अब्दुल्लाभाई स्वामी आनन्दके उत्तराधिकारी है — उन्ही स्वामी आनन्दके उत्तराधिकारी, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और आश्चर्यजनक आत्मत्यागके बलपर जनकल्याणकी भावनासे चलाये जा रहे नवजीवन कार्यालयको एक ठोस कारोबारी संस्थाका भी रूप दे दिया। यह संस्था गुजरातियोंके घरोंमें गुजराती साहित्यका वह नवनीत पहुँचाती रही है, जिसे जनसाधारणकी बुद्धि ग्रहण कर सकती है। लेकिन ऐसे उदाहरणोंकी कोई कमी नही है। ये उदाहरण तो, यह संघर्ष पूरे भारतमें कैसा रंग ले आया है, उसके कुछ नमूने-भर हैं। सरकार सुदूर द्वीपोमें रहनेवाले गोरोंकी दुधारू गायके रूपमें भारतपर अपना अधिकार बनाये रखनेके लिए प्राणपणसे यह अन्तिम प्रयास कर रही है। लेकिन राष्ट्रके त्यागवीर सेवक अब यह बरदाश्त नही कर सकते कि गोरे इस गायके साथ बलात्कार करें, इसका मनमाना दोहन करें और इसकी तीस करोड़ सन्तान दुःख और यातनाका जीवन जिये।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १-५-१९३०

३६५. पत्र-लेखकोंसे

मेरे पास रोज-रोज ढेर-के-ढेर पत्र जमा होते जा रहे हैं। मैंने इन्हें निबटानेके लिए जान-बूझकर दूसरोंकी ज्यादा मदद नही ली। तपे-परखे कार्यकर्त्ता इस पत्रोत्तर देने-जैसे कामसे कही अधिक महत्त्वपूर्ण कार्योमें लगे हुए हैं। इसलिए रोज-रोज आनेवाले इतने सारे पत्रोके उत्तर देना मेरे लिए असम्भव है। मैंने अपने साथी कार्यकर्त्ताओंको इस आन्दोलनमें सहायता देनेके लिए आमन्त्रित किया और उन्हें देशके विभिन्न हिस्सोंमें भेज दिया ताकि वे मुझे इस बातकी खबर देते रहें कि उन क्षेत्रोंमें क्या-कुछ हो रहा है। स्वभावतः वे यह अपेक्षा तो रखते ही है कि मै कमसे-कम उनके पत्रोंकी प्राप्ति सूचित करता रहूँ। लेकिन देखता हूँ, इतना करना भी मेरे बसका नही है। वास्तवमें मुझे एक ऐसा आधा कैदी मान लेना चाहिए जिसे पत्र प्राप्त करनेकी तो छूट है, लेकिन उत्तर देनेकी सुविधा कभी-कभी ही दी जाती है और अब तो जल्दी ही मैं ज्यादा नही तो कमसे-कम पूरा कैदी बन जानेवाला हूँ। इसलिए जब साथी कार्यकर्त्ता तथा दूसरे लोगोंको मेरे पत्र न मिलें तो वे यह मान लें कि मुझे उनको लिखनेका समय नही मिल पाया।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १-५-१९३०

३६६. गुण्डा-राज

इन दिनो गुजरातमें जो-कुछ हो रहा है वह यदि देशके सभी हिस्सोमें वर्तमान स्थितिका सूचक है तो उसके सामने डायरशाही भी फीकी पड जाती है। पाठकोको यह बात शायद अतिरंजित लगे, किन्तु मै इसे अक्षरशः सत्य मानकर ही लिख रहा हूँ। जलियाँवाला बागके हत्याकाण्डमें जो-कुछ होना था, सो घडी-दो-घडी में ही तूफानी वेगसे हो गया। इसका लोगोंके मनपर एक असर हुआ — उस दिशामें भी जिस दिशामें इसके प्रणेता असर डालना चाहते थे, और उस दिशामें भी जिस दिशामें असर डालनेका उनका कोई मंशा नही था।

लेकिन गुजरातमें लोगोको जिस तरह तिल-तिल कर मारा जा रहा है, उसका न तो इस दिशामें कोई असर पडनेवाला है और न उस दिशामें, और यदि इस ओर ध्यान नही दिया गया तो हो सकता है कि यह मानवीय गुणोंके लिए सर्वथा घातक सिद्ध हो। इससे मजलूम लोग कमजोर हो सकते हैं; जुल्मी लोगोका तो अध.पतन हो ही रहा है।

अगर मुझे समय मिल पाया तो मै गत सप्ताहकी घटनाओंका संक्षिप्त विवरण इन पृष्ठोंमें दूँगा। जो भी हो, पाठकोको दैनिक पत्रोमें तो सारे सबूत देखनेको मिल ही जायेंगे।

महादेव देसाई ऐसा मान बैठे थे कि उन्होंने खुद वीरमगाँव जाकर जो कोशिशें की और फिर जो वकील मित्रोको वहाँ भेजा, उसके परिणामस्वरूप अब वहाँ सरकारी अमलोका बर्बरतापूर्ण अत्याचार समाप्त हो गया है। लेकिन यह नही होना था, सो नही हुआ। एक स्वयंसेवक कुछ क्षणोके लिए अपने साथियोसे अलग पड गया और इस तरह अमन और कानूनके पहरेदारोंको अपने उस शिकारपर झपट पडनेका मौका मिल गया। उन्होंने उसके साथ वैसा ही अमानवीय व्यवहार किया जैसा कि वीरमगाँवमें उसके पूर्ववर्ती स्वयंसेवकोंके साथ किया गया था।

और अब देखिए कि डॉ० नरसिंहभाई मेहता क्या कहते हैं। वे जूनागढके अवकाश-प्राप्त मुख्य चिकित्सा-अधिकारी हैं और उनकी उम्र ६६ वर्ष है, लेकिन इस उम्रमें भी सत्याग्रहकी भावना उनके मनमें हिलोरें मारने लगी और वे सत्याग्रही बन गये। उन्होंने अपनी आँखों-देखी घटनाका वर्णन इन शब्दोमें किया है:

> आज शामको मैं १२० सत्याग्रहियोंके दलको लेकर वढवान कैम्पसे यहाँ आया। प्रत्येक सत्याग्रहीके पास १०-१० पौंड अवैध नमकका एक-एक थैला था।
>
> जब मैं दलको लेकर उसके आगे-आगे आ रहा था तब एक निरीक्षक-दलसे सबसे पहले मेरा ही सामना हुआ। उस दलमें एक यूरोपीय अधिकारी, दो भारतीय अधिकारी और ४-५ पुलिसके सिपाही थे। इन सबके अलावा कोई पचास सिपाही जीनेके दरवाजेपर निगाह रखते हुए इधर-उधर खड़े थे।

मुझसे पूछा गया कि आपकी बगलमें दबे थैलेमें क्या है। मैंने जवाब दिया, "१० पौंड अवैध नमक।" इसपर उन्होंने कहा, "ठीक है वृद्ध डाक्टर, आप जा सकते हैं।" लेकिन मैंने कहा कि "मेरे साथ १२० सत्याग्रहियोंका एक दल है और उनमें से प्रत्येकके थैलेमें इसी तरहका अवैध नमक है। इसलिए मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आप लोग उनसे कैसे निबटते हैं, या कि उन्हें भी अन्य मुसाफिरोंकी ही तरह बेरोक-टोक जाने देते हैं।" उसने कहा, "ठीक है, आप बगलमें खड़े होकर देखिए।" सत्याग्रहियोंको एक-एक करके निरीक्षक-दलके बीचसे गुजरनेको कहा गया। ज्यों ही कोई सत्याग्रही उनके बीच प्रवेश करता त्यों ही उस यूरोपीय अधिकारी-सहित वे सातों-आठों उसे पकड़कर उससे नमकका थैला छीन लेते थे और इस प्रयत्नमें उसके साथ अत्यन्त असभ्य व्यवहार करते थे। लगभग प्रत्येक सत्याग्रही पर ऐसी ही गुजरी। यह बहुत ही अपमानजनक कार्रवाई थी। सारी उम्र अंग्रेजोंके बारेमें मेरे मनमें बहुत अच्छी धारणा रही थी। अपनी ६६ सालकी उम्रमें मुझे पहले-पहल ही ऐसा अनुभव हुआ था।

जब मैं उनका यह दुर्व्यवहार बरदाश्त न कर सका तो मैंने विरोध किया। इसपर उस अधिकारीने कहा: "हाँ, हाँ, बाहर जाकर लोगोंको यह सब बताओ और अखबारोंमें इसके बारेमें लिखो।" और सारी कार्रवाई पूर्ववत् चलती रही।

गौर कीजिए कि डॉ० मेहताके अनुरोधको उन्होंने किस निर्ममताके साथ ठुकरा दिया। नौजवानोंसे उनका कीमती नमक छीनना तो उस ब्रिटिश अधिकारी और उसके वफादार पिट्ठुओंके लिए एक मजेदार खेल था। उनसे यह सब कहना बेमानी था कि ये लोग भागे नही जा रहे है, और न कोई चीज छिपा रहे हैं। उन्हें तो तत्काल कानूनका सम्मान करना था। फिर भला कानूनके ये पहरेदार उतना विलम्ब भी कैसे कर सकते थे जितने विलम्बकी अपेक्षा स्वयं कानून रखता है?

लेकिन, जो दृश्य खेडा जिलेमें दिखाई पड़े उनके आगे तो यह घटना कुछ भी नही है। मै स्वीकार करता हूँ कि खेड़ाके बहादुर बेटे-बेटियाँ सरकारी अमलोंके उचित बहिष्कारमें काफी हदतक सफल रहे है। अब वे जनतासे अपनी मनचाही नही करवा सकते। उन्होंने गुजरात विद्यापीठके एक स्नातक और एक प्राध्यापकको बड़ी बेरहमीसे मारा-पीटा। उन दोनोंका अपराध इतना ही था कि जब उन्होने मार-पीटकी खबर सुनी तो यह देखनेके लिए कि क्या हो रहा है, वे मौकेपर आ गये। इसी जिलेमें बोरसदके पास कुछ पुलिसवालों ने उसी क्षेत्रके एक ठाकुर और बड़ी-बड़ी लकड़ियोंमें लगी हँसियोंसे लैस उसके कुछ चाटुकारोंकी सहायतासे बिना कोई पूर्व-सूचना दिये एक सभाकी वत्तियाँ बुझा दी और वे सब उपस्थित लोगोंपर बड़ी बेरहमीसे टूट पड़े। श्रोताओंमें पाटीदार और राजपूत लोग थे, जिनमें अपना बचाव करनेकी पूरी क्षमता थी। लेकिन किसीने एक पत्थर तक नहीं फेंका, एक

शब्द भी नही कहा। अनुशासनकी खातिर उन्होंने सब-कुछ सह लिया। एक व्यक्ति तो मरते-मरते बचा। सात आदमी अब भी अस्पतालमें पडे हुए है। कुल मिलाकर पैंतीस लोगोके जख्मी होनेका पता लगा है। यह जलियाँवाला बागका एक दूसरा संस्करण था — लेकिन कायरतापूर्ण।

अब अहमदाबादको लीजिए। एक शराब-विक्रेता अपनी गोलकको रोज-रोज खाली जाते देखकर इतना उतावला हो उठा कि उसने धरना देनेवालोपर बड़ी निष्ठुरतासे प्रहार कर दिया और धरना देनेवाला एक व्यक्ति चोट खाकर बेहोश होकर गिर गया। सभी यह स्वीकार करते है कि धरना अत्यन्त शान्तिपूर्वक दिया जा रहा था। किसी तरहका प्रदर्शन भी नही किया गया था। वे लोग केवल दुकानमें आनेवाले जाने-पहचाने ग्राहकोंके नाम-भर लिख लेते थे। यहाँ धरना देनेके कामकी सफलताका रहस्य यह है कि जातीय संगठनका सहारा लिया गया है और मजदूरोके बीच जातीय संगठनका अब भी काफी हदतक असर है।

क्या अमन और कानूनके पहरेदारोंने इस जगलीपनको रोकनेके लिए कोई इन्तजाम किया है? नही। उन्होने तो मन-ही-मन इसपर मोद मनाया है। वे मोद मनाते है तो शौकसे मनायें; लेकिन इतना करें कि इसे 'अमन और कानून' न कहकर, गुण्डा-राज कहे।

जनताका कर्त्तव्य तो स्पष्ट ही है। इस सगठित गुण्डागर्दीका वह अधिक कष्ट सहकर जवाब दे। यदि लोगोमें इच्छा और शक्ति है तो स्वतन्त्रता निश्चय ही प्राप्त होगी। कष्ट-सहनका फल स्वतन्त्रता होता है, हिंसाका स्वच्छन्दता। हम लोग जिस चीजके लिए आकुल है, वह है — स्वतन्त्रता, जो समाजकी खातिर अपने ऊपर अंकुश लगाये रहती है। स्वच्छन्दता समाजको कष्ट देती है ताकि वह स्वय ऐसी सुख-सुविधाओंका उपभोग कर सके जो अन्य लोगोंके लिए दुर्लभ है। यह सरकार सर्वथा स्वच्छन्द — स्वेच्छाचारी है, क्योकि यह ऐसी सरकार है जिसका एकमात्र नही तो मुख्य लक्ष्य भारतीय समाजका शोषण ही है।

[पुनश्च :]

उपर्युक्त लेख लिखनेके बाद मुझे बालासोर और मथुरासे भी ऐसे ही विवरण मिले है। उन्हें मैं अविकल रूपमें प्रकाशित कर रहा हूँ। स्पष्ट ही है कि सत्ता-समर्थित गुण्डागर्दी पूरे भारतमें फैल गई है या तेजीसे फैलती जा रही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-५-१९३०

३६७. टिप्पणियाँ

अध्यक्षका इस्तीफा

विट्ठलभाई पटेलके इस्तीफेसे हमें कोई आश्चर्य नही हुआ। यदि वे इस्तीफा न देते तभी आश्चर्य होता। अपने धैर्य और निष्पक्ष व्यवहारके कारण वे कांग्रेसियोंके प्रेमपात्र बने और विरोधियोंके प्रशंसा पात्र। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि अब विट्ठलभाई भी यह मानने लगे हैं कि विधानसभा द्वारा देशकी सेवा नही हो सकती। रक्तशोषण और लूट-खसोटके खेलमें भारतकी वर्तमान विधायक संस्थाएँ पासेका काम करती हैं। शुतुरमुर्गकी तरह हम अपना सर बालूमें छिपा लेते है और बाहरवालोंको जो बात बिलकुल साफ-साफ नजर आती है, हम उसे देखनेसे इनकार कर देते हैं। विट्ठलभाई पटेलके इस्तीफेसे सरकारकी प्रतिष्ठाको गहरा धक्का पहुँचा है। अध्यक्षकी हैसियतसे उनकी दृढ़ता निःसन्देह सरकारके लिए परेशानीका कारण थी; अब जिस तरह उन्होंने इस्तीफा दिया है, वह सरकारको और भी अधिक परेशान करनेवाला है।

सीमा-प्रान्त

जब मै दांडीके लिए चला, तभी सीमा-प्रान्तके कुछ मित्रोंने मेरी सहायताके लिए थोड़े-से स्वयंसेवक भेजनेकी इच्छा प्रकट की थी। मैंने उनकी इस कृपाके लिए उन्हें धन्यवाद लिख भेजा, लेकिन उनसे कोई सहायता नही ली। यदि उन्होंने इस आन्दोलनमें सक्रिय भाग न लिया होता तो क्या ही अच्छा होता? जिन्हें अहिंसाके पूरी तरहसे पालन किये जानेका विश्वास नही है, वे यदि इस लड़ाईमें सक्रिय भाग नही लेते तो निश्चय ही इस तरह वे इसमें सहायता करते हैं। जो मदद करनेकी इच्छासे हाथ बँटाते हैं परन्तु परिणाममें हिंसा होती है, जैसे कि पेशावरमें हुई, वे निस्सन्देह इस लड़ाईको नुकसान पहुँचाते हैं। इसमें तो मुझे जरा भी शक नही है कि पेशावरवासियोंका इरादा नेक था। वे स्वराज्य हासिल करनेके लिए शायद मुझसे भी ज्यादा अधीर हों। लेकिन आज इस देशमें सिवा अहिंसाके और किसी भी तरीकेसे कोई स्वराज्य नही पा सकता। हम मार-काटका तरीका अख्तियार करके अपने मुल्कको आजाद नही करा सकते। पर यदि हम आखिरतक अहिंसक बने रहें तो स्वराज नजदीक ही है। स्वराज्य बख्तरबन्द गाड़ियोंको जलाने और सरकारी तन्त्रको चलानेवाले अफसरोंको मारनेसे नही मिलेगा। इसे प्राप्त करनेका तरीका अनुशासित और संगठित ढंगसे कष्ट-सहन करना है। मुझे पेशावरकी घटनाओंके लिए बड़ा दुःख है। जो काम करना चाहते थे वह तो कुछ हुआ नहीं, उलटे कई बहादुर अपनी जानसे हाथ धो बैठे।

वादा पूरा करनेकी जरूरत

हममें बनियापनके भाव बहुत प्रबल हैं। विदेशी वस्त्रके व्यापारियोंने जो रुख अख्तियार किया है, वह इसी भावका सूचक है। वे विदेशी वस्त्रके व्यापारको इसी

शर्तपर छोड़ना चाहते है कि उन्हे कोई नुकसान न हो। लेकिन देशभक्ति और बनियापनकी कभी पटी नही। हिन्दुस्तानके भाइयो और बहनोसे इस समय तो यह आशा की जाती है कि वे स्व० दत्तात्रेयकी तरह मौतका मुकाबला करें, दक्षिण आफ्रिका-वाले श्री काछलियाकी तरह अनिवार्य दिवालियापनकी स्थितिको झेले, स्व० गोपबन्धु-दास और अन्य अनेक गुदडीके लालोकी तरह गरीबीको गले लगायें और अभेटीके विट्ठलभाईकी विधवा पत्नीकी तरह अपने प्रियसे-प्रिय सम्बन्धियोके वियोगका स्वागत करे। अतएव मेरे विचारसे विदेशी वस्त्रके व्यापारियोकी नुकसानसे बचनेकी यह वृत्ति उनमें देशभक्तिके अभावकी सूचक है।

लेकिन दिल्लीके व्यापारियोका कहना है कि वहाँकी काग्रेस कमेटीने कुछ शर्तोपर धरना न देनेका वादा किया है। अगर यह सच है तो किसी भी तरह क्यो न हो, वादा पूरा किया ही जाना चाहिए। अगर किसी काग्रेसी आदमी या सस्थाकी बातपर विश्वास न किया जा सके, तो आखिरकार इस लड़ाईमें हमारी हार होगी। सत्याग्रहका अर्थ सत्यका आग्रह है। वचन-भग सत्यका अधम कोटिका त्याग है। अत. मैंने सम्बन्धित पक्षोको यह सलाह दी है कि अगर वे किसी तरहके वादेके मसविदेपर सहमत न हो सकें तो किसीको पच बनाकर उसके द्वारा मामलेको सुलझा ले।

मुझे पता चला है कि दिल्लीमें स्त्री-पुरुष दोनो धरना देनेका काम करते है। मै लिख चुका हूँ कि धरना देनेका काम औरतें ही करे। यदि स्त्री स्वयसेविकाओकी कमीके कारण धरना देनेका काम स्थगित करना पडे तो चिन्ता नही। हिंसाकी हर सम्भावनासे बचना चाहिए। होशियारीके साथ प्रचार करके और खादीका उत्पादन बढ़ाकर पुरुष बहिष्कारके लिए अत्यन्त अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते है। परन्तु धरना देनेका काम जहाँ-कही भी हो, स्त्रियो द्वारा ही हो।

राष्ट्रीय स्त्री-सभा

इस संस्थाने अब एक उपसंघकी स्थापना की है, जिसका एकमात्र उद्देश्य शराब और विदेशी कपडोंका बहिष्कार है। इसने पैसेके लिए जनतासे अपील की है। मुझे इसमें कोई सन्देह नही कि जनताने अबतक इसे जितना सहयोग दिया है, उसकी अपेक्षा अब अधिक देगी। लोगोको मालूम होना चाहिए कि इस सघके लिए निरन्तर लगनसे जुटकर काम करते रहनेका श्रेय भारतके पितामह दादाभाई नौरोजीकी पौत्रियोको प्राप्त है। दादाभाईकी आत्मा उनकी आस्था और देशसेवाको बडे गर्व और सन्तोषसे निहार रही होगी।

समुद्र-पारसे

सत्याग्रह-युद्धकी सफलताकी कामना करते हुए मुझे मैक्सिको, फिलिपाइन, दक्षिण आफ्रिका, पूर्व आफ्रिका आदि देशोसे कई तार मिले है। मैने उन्हें जान-बूझकर प्रकाशित नहीं किया — इसलिए नही कि मै तार भेजनेवालोका कृतज्ञ नही हूँ, बल्कि इसलिए कि मै जानता हूँ कि यद्यपि दूसरे देशवालो की शुभकामनाएँ हमारे लिए बहुमूल्य है, परन्तु हमारे कार्यकी सिद्धिका आधार तो हमारी अपनी इच्छाओ और तदनुसार हमारे

काम करनेपर ही है। अगर हमारे कार्य सीधे और सच्चे रहे तो सारी दुनियाकी शुभकामनाएँ हमारे साथ होंगी, और जो आज हमें आशिष नहीं देते, कल वे भी देने लगेंगे। तथापि नीचेके दो सन्देश यहाँ देना मैं जरूरी समझता हूँ; क्योंकि वे अंग्रेज मित्रोंके भेजे हुए हैं। इस देशके सत्याग्रहियोंका ध्येय अंग्रेजोंका हृदय-परिवर्तन करना है। इंग्लैंडसे टीकाएँ भी काफी मिलती रहती हैं, जिनमें से कुछको मैंने इन पृष्ठोंमें छापा भी है। अतएव यहाँ कुछ अंग्रेज मित्रोंकी शुभकामनाओंको प्रकाशित करते हुए मुझे हर्ष होता है।

प्रिय महात्मा गांधी,

अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-प्रतिरोधक संस्थाकी कार्यकारिणीके हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले सदस्य भारतमें आपके संघर्षकी प्रगतिको अत्यन्त दिलचस्पीके साथ देखते रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-प्रतिरोधक संस्थाके सिद्धान्तोंके अनुसार हम मानते हैं कि शान्तिमय साधनों द्वारा साम्राज्यवादका नाश किया जा सकता है, इसलिए हमें यह देखकर बड़ा आनन्द होता है कि आप अहिंसात्मक साधनों द्वारा अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

यह मानी हुई बात है कि इस प्रयत्नमें आपको अनेक कष्ट और कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा। इन कष्टों और कठिनाइयोंमें हमारी सहानुभूति और हमारा प्रेम आपके साथ रहेगा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमसे जहाँतक बन पड़ेगा, सभी सम्भावित क्षेत्रोंमें प्रचार-कार्य करके, हम सत्य तथा न्यायकी खातिर चल रही आपकी इस लड़ाईमें पूरी मदद करेंगे।

हृदयसे आपके,
ए० फेनर ब्रॉकवे
हेरॉल्ड एफ० ब्रिग
मार्था स्टीनिज
स्टीफन जे० थॉर्न
एच० रनहम ब्राउन

अहिंसा विजयी हो!
अन्तर्राष्ट्रीय महिला शान्ति-स्वतन्त्रता संघ

वाइसरायसे महिलाओंकी अपील

इसी अंकमें अन्यत्र प्रकाशित की जा रही वाइसरायके नाम गुजरातकी महिलाओंकी अपील[1] सबके ध्यान देने योग्य है। यह अपील गुजराती महिलाओंकी ओरसे ही की जा रही है। अखिल भारतीय स्तरकी अपील तैयार करनेके लिए बहुत समयकी जरूरत होती है। लेकिन हमें आशा है कि गुजराती बहनोंके इस कार्यका अनुकरण शेष प्रान्तकी बहनें भी करेंगी। कहनेकी जरूरत नहीं कि वे अपनी अपीलोंमें इस अपील-

१. देखिए "वाइसरायको लिखे पत्रका मसविदा", २७-४-१९३० अथवा उसके पूर्व।

से जितना फर्क करना जरूरी समझें, कर सकती हैं। सगठनका विकास तो सहज रीतिसे ही होना है। इसलिए विविधताका भी स्वागत किया जा सकता है। जबतक मुख्य बातोंमें कोई हेर-फेर नहीं किया जाता तबतक ऐसी विविधतासे कोई हर्ज होनेवाला नहीं है। और वे मुख्य बातें हैं: (१) धरना सिर्फ औरतें ही दें, (२) केवल ब्रिटिश वस्त्रोंका नहीं, बल्कि सभी तरहके विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार किया जाये और बहिष्कारका साधन हो खद्दर।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-५-१९३०

३६८. प्रश्नोत्तर

मैं जब पिछली बार बलसाड़ गया था[1] तो वहाँ प्रोफेसर सैयद रऊफ पाशाने मुझसे मिलकर हिन्दू-मुस्लिम एकताके बारेमें कुछ उपयुक्त सवाल पूछे थे। मेरी प्रार्थनापर उन्होंने उन सवालोंको लिख डाला, जिससे मैं उनका ठीक-ठीक जवाब दे सका हूँ। नीचे सवाल और उनके जवाब दिये जा रहे हैं:

प्रश्न १. आप कहते हैं कि इस लड़ाईका उद्देश्य पूर्ण स्वराज्यकी स्थापना करना नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए जनतामें आवश्यक शक्ति पैदा करना है। अगर आपको ऐसा लगे कि नेहरू रिपोर्टके आधारपर दिये गये औपनिवेशिक स्वराज्यसे वह ताकत पैदा हो सकेगी और दूसरी ओर यदि मुसलमान यह मानें कि उससे सारे देशकी नहीं, बल्कि हिन्दुओंकी ही ताकत बढ़ेगी, तो उस हालतमें क्या आप वैसा स्वराज्य मंजूर करेंगे?

उत्तर: मैं यह तो कभी मान ही नहीं सकता कि किसी भी तरहके दानसे हममें ऐसी ताकत आ सकेगी। नेहरू-योजनाको तो अब किसी भी दशामें पुनरुज्जीवित किया ही नहीं जा सकता। इसका और कोई कारण न भी हो तो यह तो है ही कि इस योजनामें कौमी सवालका जो हल सुझाया गया है, उससे सभी सम्बन्धित कौमोंको सन्तोष नहीं हुआ। इसके अलावा, उसमें पूर्ण स्वराज्यकी शर्त-जैसी भी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि उस समय ऐसी कोई शर्त नहीं रखी जा सकती थी।

प्रश्न २. क्या आप यह मानते हैं कि सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करनेके समय और गोलमेज परिषद्में भाग लेनेके सवालपर अली-भाइयोंका आपके साथ जो मत-भेद हुआ, वह उनकी सच्ची मान्यताओंपर आधारित था? क्या आप ऐसा समझते हैं कि अपने इस रुखमें वे ब्रिटिश सरकारसे जरा भी प्रभावित नहीं थे?

[1] १. २६ अप्रैल, १९३० को।

उत्तर: निश्चय ही मैं ऐसा मानता हूँ कि अली-भाई जो भी कहते हैं, वे अपने हार्दिक विश्वासकी प्रेरणापर ही कहते हैं। यदि मैं ऐसा नही मानता या यह समझता कि वे ब्रिटिश सरकारसे प्रभावित हो सकते है तो ऐसी आशा कदापि नही रखता कि आज वे जो भारी भूल — उनकी कार्रवाईको मैं भारी भूल ही मानता हूँ, जैसा कि वे मेरे कार्योंको मानते है — कर रहे है, उसे एक दिन समझ जायेंगे और सच्चा रास्ता पकड़ लेंगे।

प्रश्न ३. आप यह महसूस करते हैं या नहीं कि देशके एक छोरसे दूसरे छोरतक मुसलमानोंके बीच आज भी अली-भाइयोंके अनुयायियोंकी संख्या बहुत बड़ी है और यदि अली-भाई उन्हें विश्वास दिला दें कि आपके साथ शामिल होनेसे उनके हितकी हानि नहीं होगी तो कल ही आपकी सेनामें बहुत वृद्धि हो जाये?

और क्या आप यह नहीं मानते कि जिस तरह अन्य मामलोंमें आपके नेतृत्व पर कोई शंका नहीं की जाती, लेकिन कौमी सवालके बारेमें आप हिन्दू जातिके मतको अपने अनुकूल नहीं कर सके हैं, उसी तरह, अली-भाई अपने सारे प्रभावके बावजूद मुसलमानोंको महासभावाले हिन्दुओंके प्रति जो अविश्वास है, उसे दूर करनेमें पहले भी असमर्थ थे और आज भी हैं?

उत्तर: उनके अनुयायियोंकी बड़ी संख्या होना तो स्वाभाविक है। अली-भाइयोंकी सेवा इतनी अधिक है कि मुसलमानोंमें उनके अनुयायी हमेशा रहेंगे। अतएव इसमें तो कोई सन्देह ही नही कि उनके आनेसे हमारे पक्षको और भी बल मिलेगा।

नेताओंका प्रभाव चाहे जितना हो, गहरे जमे हुए अविश्वासको वे दूर नही कर सकते।

प्रश्न ४. क्या आप यह मानते है कि हिन्दू — खासकर गुजरातके हिन्दू — अहिंसात्मक लड़ाईके लिए जितने प्रशिक्षित है उतने ही प्रशिक्षित मुसलमान — खासकर उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त और मलाबारके मुसलमान — भी है? और इन प्रान्तोंमें हालमें जो घटनाएँ घट चुकी है, उनको नजरमें रखते हुए क्या आप यह नहीं मानते कि जबतक ऐसे अप्रशिक्षित प्रान्तोंका पूरा-पूरा संगठन न हो जाये तबतक उन्हें लड़ाईमें शामिल होनेसे रोक दिया जाये, अन्यथा व्यर्थ ही मुसलमानोंकी जानें जायेंगी?

उत्तर: जो प्रान्त विशुद्ध अहिंसाका पालन करनेको तैयार नही है, उन्हें इस लड़ाईमें शामिल न होनेके लिए मै बार-बार चेतावनी दे चुका हूँ। उनकी सहानुभूति ही हमारे लिए काफी है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-५-१९३०

३६९. शराब और पारसी

बहुत-से पारसी भाइयोके मनमें ऐसी आशका दिखाई देती है कि शराबकी दुकानोपर धरना देनेका कार्यक्रम केवल पारसी शराब-विक्रेताओंकी दुकानो तक ही सीमित रहना है। यह बिलकुल गलत धारणा है। अब तो सारे भारतमें कमोवेश सगठित तरीकेसे धरना दिया जा रहा है। और गुजरातको छोडकर देशके अन्य हिस्सोमें पारसियोकी अपेक्षा हिन्दू-विक्रेताओकी सख्या कही अधिक है। और खुद गुजरातमें भी जो ताड़के हजारो पेड़ गिराये जा रहे है, वे मुख्यत: हिन्दुओकी ही सम्पत्ति है। हिन्दू मालिकोके ताडीखानों पर तो निश्चय ही बहुत बड़े पैमानेपर धरना दिया जाना है। स्मरण रहे कि सगठित रूपसे धरना देना अभी शुरू ही हुआ है। अपने भाषणोमें मैंने जो स्पष्ट रूपसे पारसी भाइयोसे ही अनुरोध किया है, उसका एक कारण तो यह है कि उनके साथ मेरा अविच्छेद्य सम्बन्ध है और दूसरा यह कि उनका समाज भारतमें सबसे अधिक प्रगतिशील और संगठित है और इसलिए उन्हें कोई बात ज्यादा आसानीसे समझाई जा सकती है। वे अखबार पढते हैं। पारसी शराब-विक्रेता मेरी सभाओमें आते हैं, जब कि हिन्दू-विक्रेता इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें सभाओमें आनेकी बात कभी सूझती ही नही; उनसे अपनी बात कहनेका एक ही उपाय है कि हम घरो या दुकानोमें जाकर उनसे व्यक्तिश: मिले। और सच तो यह है कि पारसी भाइयोने हमारे अनुरोधपर जो-कुछ किया है, वह काफी उत्साहवर्धक है, यद्यपि इतना करना पर्याप्त नही कहा जा सकता। सूरत जिलेमें एक पारसी बहन ही धरनेकी व्यवस्था कर रही हैं। वे हैं मीठूबाई पेटिट। उनके जो मददगार हैं, उनमें भी एक पारसी वकील शामिल है। बहराम मेहता और धनजीशा दरबारी इसी उद्देश्यकी खातिर जेल गये हैं। कहनेको तो उन्हे नमक-कानूनोको भंग करनेके लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा सन्देह है कि उन्हें इस सम्भावनाको ध्यानमें रखकर गिरफ्तार किया गया कि शराब-विक्रेताओके बीच तो उनका प्रभाव निश्चय ही फैलेगा। जो भी हो, इतना तो है ही कि वे मद्य-निषेध-का कार्य भी उसी तत्परतासे कर रहे थे जिस लगनसे नमक-सत्याग्रह कर रहे थे। मुझे इस बातपर भी बडा हर्ष हुआ कि अभी पिछले दिनो जो पारसी शराब-विक्रेता मुझसे मिलने आये थे, वे मेरे इस आश्वासनसे सन्तुष्ट होकर लौटे कि शराबकी दुकानोकी तरह ताडीखानोपर भी धरना देनेका मेरा पूरा इरादा है। एक शिकायत यह थी कि पासके बड़ौदा राज्यकी शराबकी दुकानोके बारेमें हम कुछ नहीं कर रहे है। आरोप उचित था। लेकिन मैं यह आशा करता हूँ कि बडौदा राज्यके लोग बडौदाके मद्यगृहोपर धरना देनेकी व्यवस्था अवश्य करेंगे। मद्य-निषेध सबसे पहले और सबसे बढकर एक नैतिक सुधारका कार्य है। देशी राज्योंकी भी इसमें उतनी ही रुचि है जितनी कि शेष भारतकी। देशी राज्योके लोग इस सुधारके लिए प्रयत्न कर सकते है, बल्कि उन्हें करना चाहिए।

मुझसे मिलनेवाले भाइयोंने अपनी जीविकाका सवाल भी उठाया था। यही वह समस्या है जिसके समाधानके लिए पारसियोंको एक समाजके रूपमें आगे आना है। जिन पारसियोंको अपनी आयका एकमात्र साधन समाप्त हो जानेपर–और इसे समाप्त तो कब-का हो जाना चाहिए था–राहतकी जरूरत होगी, उन्हें कोई रोजगार देनेके लिए पारसियोंके संगठनोंको जरूरी आँकड़े तैयार करने चाहिए और 'ब्यूरो' खोलने चाहिए। यह कोई गौरवकी बात नहीं है कि इस महान् समाजके इतने सारे सदस्य जीविकाके लिए एक अनैतिक व्यापारपर निर्भर है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-५-१९३०

३७०. 'अहिंसाकी विजय'

श्री राजेन्द्र प्रसाद को कौन नहीं जानता? वे पटनासे लिखते है:[1]

हिन्दुस्तानमें आजकल जो हवा वह रही है, उसका जितना अनुभव करता हूँ उतना ही मुझे यह प्रतीत होता जाता है कि जनताने शान्तिका सबक ठीक-ठीक सीख लिया है। इसमें अभी कुछ कमी तो है। परन्तु यदि लोग आखिरतक निर्भय और शान्त बने रहे तो स्वराज्य दूर नही है।

स्वराज्यके लिए तीन गुण बहुत ही जरूरी है: शुद्धि, निर्भयता और उद्यम। शराब आदि नशीली चीजोंका त्याग शुद्धिकी निशानी है। नमक-कानून-जैसे कानूनोंकी सविनय-अवज्ञासे जनता निर्भयताका पाठ पढ़ और पढ़ा रही है, और चरखे या तकलीके सर्वव्यापक होनेपर जनता उद्यमी बन सकती है। इन तीनोंकी सफलतासे जो आर्थिक लाभ होता है सो तो है ही। शराब वगैरा नशीली चीजोंके त्यागसे २५ करोड़ रुपये बचेंगे। नमक-करके रद होनेसे कमसे-कम ६ करोड़ और तकलीके उद्यमसे अर्थात् खादीके द्वारा ६० करोड़की बचत होगी।

भगवान् इस देशकी जनताको बल दे कि वह इन कार्योंको कर सके।

हिन्दी नवजीवन, १-५-१९३०

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। राजेन्द्र बाबूने पटनामें हुई घटनाका विवरण देते हुए लिखा था कि २३ अप्रैलको पन्द्रह हजार लोगोंका एक जलूस निकला और पुलिस की ज्यादतीके बावजूद वहाँ उपस्थित लोग पूरी तरह शान्त और अनुशासनमें रहे। इसे उन्होंने अहिंसाकी पूर्ण विजय कहा था।

३७१. पत्र : अब्बास तैयबजीको

१ मई, १९३०

प्रिय सफेद दाढ़ीवाले,

आपका पत्र मिला। खेड़ा तो तूफानका केन्द्र बन गया है। असली खतरा वही है। आप बहिष्कारको नितान्त शुद्ध रखें और यह कोशिश करें कि उसमें किसी तरहकी जोर-जबरदस्ती न की जाये। बाल-स्वयंसेवकोंके साथ किसी भी तरहका दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ, आपको जहाँ देहवणके ठाकुर रहते हैं, वहाँ चले जाना चाहिए। यदि आपको पूरा विश्वास हो जाये कि वहाँ बर्बरता की गई है तो आप मुझे प्रकाशनके लिए एक संक्षिप्त विवरण लिख भेजें। यदि सम्भव हो तो ठाकुरसे मिलनेका प्रयत्न करें। यह फौजदार मुन्शी कौन है?

मैं यह पत्र चलती हुई गाड़ीमें लिख रहा हूँ। मैं हमीदाके कार्य-क्षेत्रमें जा रहा हूँ और वहाँ उससे मिलनेकी आशा कर रहा हूँ।

सस्नेह,

आपका,
मो० क० गां०

अंग्रेजी (एस० एन० ९५७२) की फोटो-नकलसे।

३७२. पत्र : नरहरि परीखको

१ मई, १९३०

चि० नरहरि,

चि० लिखनेका अभ्यास होनेमें अभी मुझे कुछ समय लगेगा।[1]

१. छोटे-छोटे पुलिस-अधिकारियोंका बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें सीधा आदि अवश्य मिलते रहना चाहिए।

२. लेकिन जब वे पुलिसके अधिकारीकी हैसियतसे आयें तब उनकी अवज्ञा की जानी चाहिए। पुलिसके रूपमें यदि वे हमसे कोई सेवा करवाना चाहें तो वह सेवा हमें नहीं करनी चाहिए।

३. बड़े अधिकारियोंको उन घरोंसे निकलनेके लिए नहीं कहना चाहिए जिन घरोंमें वे रह रहे हों।

१. गांधीजी ने पहले "भाईश्री ५" लिखा और फिर उसे काट दिया।

४. बहिष्कारके बावजूद बहिष्कृत व्यक्तिके साथ हमारा सम्बन्ध मधुर होना चाहिए। यदि सम्बन्ध कड़वा हो तो समझो कि बहिष्कार विषमय है।

बहिष्कार तो अमलदारका नहीं, अमलदारीका है। हमें डायरका नहीं, डायरशाही-का बहिष्कार करना चाहिए। इसका विचार हमें इस तरह करना चाहिए कि मान लो अमलदार सगा भाई हो तो हम उसके प्रति कैसा व्यवहार करेंगे? हरिलालके साथ मैं कैसा व्यवहार करता हूँ? इससे बातको कुछ अधिक स्पष्ट रूपसे समझ सकोगे।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मैंने पत्र फिरसे नहीं पढ़ा है।

गुजराती (एस० एन० ९०५१)की फोटो-नकलसे।

३७३. ओलपाडमें दिये गये भाषणके अंश

१ मई, १९३०

नेताओंको गिरफ्तार कर-करके सरकार हमारी अच्छी परीक्षा ले रही है। सरकार यह मानती है कि नेताओंको गिरफ्तार कर लेनेपर या तो हम घरके कोनोंमें जा दुबकेंगे या फिर हिंसापर उतर आयेंगे। यदि हम कोनोंमें जा छिपते हैं तो उसके लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सरकारको इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए कि हम सिर न उठा सकें, बरस-पर-बरस कर चुकाते रहें, शराब पीते रहें, सवा रुपये मनका नमक खाते रहें और विदेशी कपड़े पहनते रहें। दूसरी ओर यदि हम हिंसा करेंगे तो यह बात भी उनके पक्षमें जायेगी, क्योंकि उस स्थितिमें इनके गोला-बारूदकी बिक्री बढ़ जायेगी, इनके देशके व्यापारको लाभ पहुँचेगा और इनके जनरलों, कैप्टनों और सिपाहियों, सबको इनाम-इकराम भेंटमें मिलेंगे। एक ही बात सरकारके पक्षमें नहीं जाती और वह यह कि न तो हम उसके कानूनों-को मानें और न उसके सामने झुकें।

हम नमकहराम थे, इसीलिए तो हमने अपने पवित्र और गरीब भाई-बहनोंके हाथके बुने कपड़ोंको छोड़कर बाहरसे कपड़ा मँगाया। इस्लाममें एक महान् खलीफा हो चुके हैं। बगदादसे रेशमी अँगरखे पहनकर आये बड़े-बड़े सूबेदारोंसे उन्होंने क्या कहा था? आपके पैगम्बर साहब तो खादी पहनते थे, आप इतने मुलायम कपड़े कैसे पहनने लगे? तत्कालीन धर्मात्माओंका ऐसा प्रताप था कि लोग यों ही थरथर काँपने लगते थे। अर्थात् वे उनकी तलवारसे काँपते थे, ऐसा नहीं, बल्कि उनके तेजसे काँपते थे। आज क्या हिन्दू और क्या मुसलमान, वे मुझसे कहते हैं कि खादी मोटी और खुरदरी होती है। यह सुनकर मैं मन-ही-मन हँसता हूँ, हालाँकि 'यह है तो रोनेकी बात।

मैंने सुना है कि सूरतमें जब कुछ बहनें शराबके विरोधमें चक्कर लगाने निकलीं तो ठेकेके मालिकोंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। किसीने उनपर ढेला फेंका था; यह सुनकर मुझे शर्म आई। जो व्यक्ति इन बहनोंसे गुस्ताखी करे या उन्हें भला-बुरा कहे या उनपर ढेला चलाये, उसे तो इसके पहले ही डूब मरना चाहिए। वह शराबी हो तो भी क्या हुआ? क्या शराबियोंके माँ-बहनें नहीं होतीं? ये बहनें आकर किसीसे दुर्वचन नहीं कहतीं। वे तो दीनतापूर्वक विनय करती हैं। तो क्या वह उनका अपराध हो गया? इतना ओज तो इस देशके हर व्यक्तिमें होना चाहिए कि बहनोंको ऐसा अपमान न सहना पड़े। किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि गाली देनेवाले पर गुस्सा किया जाये। बल्कि किसी पुरुषकी यह हिम्मत ही कैसे होती है कि वह किसी बहनको गालियाँ दे या ढेला मारे? बल्कि उसे तो यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं ऐसा अत्याचार करूँ, उसके पहले तू मेरा हाथ तोड़ देना।

हाथ किसपर उठाया जा सकता है? यदि कोई आपसे लड़ता हो तो उसपर हाथ उठाया जा सकता है, हालाँकि इसकी भी आज मनाही है। बहनोंपर हाथ उठाना तो चींटीके विरुद्ध सेना लेकर चढ़ाई करने-जैसी बात हुई। यह एक अनहोनी-सी बात है। मैं मानता हूँ कि इसमें किसी हिन्दुस्तानीका हाथ नहीं होगा और जो ढेला आया वह आकस्मिक घटना ही हो। मैंने यह मान लिया है कि राक्षसीसे-राक्षसी स्वभावका हिन्दुस्तानी होगा तो भी वह इतनी मर्यादाका पालन तो करेगा ही। किन्तु इसके बावजूद कुछ भाइयोंकी खोपड़ियाँ टूटी हैं और यदि दो-चार बहनोंकी खोपड़ियाँ भी टूटनेवाली होंगी तो टूटेंगी, किन्तु ईश्वरका नाम लेकर हमने जो काम आरम्भ किया है वह कदापि बन्द नहीं होगा। बहनोंके भाग्यमें यदि मार खाना बदा होगा तो वे मार खायेंगी, किन्तु पीनेवाले और ठेकेवाले भी शराबको अब गया ही समझें।

रघुकुल रीति सदा चलि आई,
प्राण जाहिं बरु बचन न आई।

यह चौपाई अब हम सब बहन-भाई गाने लगे हैं। हम कोई अभिनेता नहीं हैं कि जो गायें उसे कार्यरूपमें परिणत न करें। जिस तरह हमें इस बातका विश्वास हो गया है कि नमक-कानून टूट चुका है, उसी प्रकार हमें इसका विश्वास हो जाना चाहिए कि शराब भी अब चली ही गई।

मेरी इस विनम्र प्रार्थनाको याद रखें। मैं चाहता हूँ कि आपकी मारफत मेरा यह सन्देश — इस बूढ़ेकी विनय — सम्बन्धित लोगों और सूरतके ठेकेवालों तक भी पहुँच जाये।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ११-५-१९३०

३७४. भाषण : रांदेरमें

१ मई, १९३०

मुसलमान भाइयोंसे मेरी प्रार्थना है कि आजकल हम आत्मशुद्धिकी लड़ाई हाथमें ले बैठे हैं और अभी बँटवारा करनेका समय नही आया है। जब वह समय आयेगा तो हम आपसमें निबट लेंगे और यदि लड़ना ही हमारे भाग्यमें होगा तो हम लड़ लेंगे। किन्तु मुझे तो यह विश्वास है कि जब वह दिन आयेगा तो हिन्दुस्तानमें हमें लड़नेकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसमें अविश्वास करने या एक-दूसरेसे लड़नेका कोई कारण नही होगा। आजकल हमारी सीधी लड़ाई नमक-कानूनके खिलाफ है। इस्लाममें भी नमक-कर हराम माना गया है। सभीको नमककी आवश्यकता होती है। हिन्दू-मुसलमानोंमें अधिकतर लोग गरीब हैं और इस कर का बोझ उनके सिरपर पड़ता है। किन्तु रांदेरमें तो करोड़पति और लखपति रहते हैं। वे मेरे साथ गाँवोंमें चलें तभी यह-सब देख पायेंगे।

इसी प्रकार हमारा दूसरा काम विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारका है। चरखा-संघके आँकड़ोंसे कोई भी यह बात जान सकता है कि इसके परिणामस्वरूप हम हजारों रुपये मुसलमान बहनों और बुनकरोंको दे पाते हैं। बीजापुरकी बहुत-सी बहनें रोजी पाकर मुझे दुआएँ देती हैं; वे सभी मुसलमान हैं। मेरे कार्यकर्त्ता जब उनकी पूनियोंकी माँगको पूरा नही कर पाते तो वे बेचारी रो पड़ती हैं।

तीसरा काम शराबबन्दीका है। यह किस धर्ममें हराम नही है? मैं तो अपनी जिन्दगीमें मुसलमानोंसे बहुत मिला-जुला हूँ और उनकी बहुत-सी दावतोंमें भी गया हूँ। हिन्दुस्तानमें शराबको हराम माननेकी लड़ाई चल रही हो और उसमें मुसलमान शामिल न हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। अहमदाबादमें शराबके ठेकोंपर धरना देनेवाले, मार और गालियाँ शान्तिपूर्वक सहन करके ठेकेवालों और पियक्कड़ोंको समझानेवाले भी मुसलमान ही तो हैं न?

यह तो खुदाका काम है। इसे वही कर सकता है जो अपनी जानकी बाजी लगा सके। जो समुद्रमें कूदेगा वही मोती निकाल सकेगा। अपने मुसलमान भाइयों तथा अन्य लोगोंसे मैं इतना चाहता हूँ कि इस आत्मशुद्धिकी लड़ाईपर किसी वर्गकी इजारेदारी नही है, इसलिए आप सब उसमें जी-जानसे हिस्सा लें। बादमें जब सरकार हमसे यह पूछने आयेगी कि हमें क्या चाहिए तो हम आपसमें तय कर लेंगे। किन्तु उस दिनके बारेमें मेरी भविष्यवाणी तो यह है कि तब हम आपसमें लड़ेंगे नहीं, बल्कि एक भाई दूसरेसे यह कहेगा कि तुझे जो चाहिए सो माँग ले। तबतक हममें शराफत आ जायेगी और हमारी वणिक-वृत्ति निकल चुकी होगी। हमें तो यह काम खुदाके नामपर, गरीबोंके नामपर करना है। इस काममें सभी कौमें मदद करें और रांदेर कस्बेके लोग उसमें जी-जानसे मदद करके अपनी कीर्ति बढ़ायें!

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ११-५-१९३०

३७५. पत्र : सुशीला गांधीको

[१ मई, १९३० के पश्चात्][1]

चि० सुशीला,

तेरा पत्र मिला। जो बहन मुझसे नाराज है उसका नाम क्या है? उसे यही भेज देना। तुम सबको कामसे मतलब है या बाहरी तड़क-भड़कसे? मेरा वजन ठीक रहे, मनमें उत्साह बना रहे तो मैं फल खाऊँ अथवा न खाऊँ उससे क्या? यदि स्वास्थ्यके लिए आवश्यक जान पड़ा तो मैं फल लूँगा, ऐसा मार्ग मैंने अपने लिए खुला रखा है। व्रत नहीं लिया है। लेकिन जरूरत न हो तो क्यों खाये जायें? तू शराबकी दुकानों पर धरना देनेके लिए जाती है, यह बात मैंने समाचार-पत्रमें पढ़ी थी।

तुम सबको,

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११८४) की फोटो-नकलसे; सौजन्य : सुशीला गांधी; जी० एन० ४७७२ से भी।

३७६. पत्र : पुरुषोत्तम गांधीको

२ मई, १९३०

चि० पुरुषोत्तम,

मैं तेरे पत्रकी राह ही देख रहा था। यदि आश्रममें तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो तेरा वहाँ अथवा बीजापुरमें रहना ही ठीक होगा। यदि मनसे मृत्युका भय दूर हो गया हो तो चाहे कैसी भी स्थिति क्यो न हो, उसे एक समान समझकर तुझे निरन्तर अबाध गतिसे काम करते चले जाना चाहिए। जो लोग रह गये हैं उन्हें बुला लेनेकी अभी मेरी कोई इच्छा नही है। तथापि यदि तेरे मनमें कोई और इच्छा उठती हो तो मुझे बताना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८९८)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

१. ११-५-१९३० के नवजीवनके अनुसार अहमदाबादमें स्त्रियोंने इसी तारीखसे शराबकी दुकानोंपर धरना देना शुरू किया था।

३७७. पत्र : विट्ठलदास जेराजाणीको

२ मई, १९३०

भाईश्री ५ विट्ठलदास,

आपका पत्र मिला। आपने मददके लिए एक व्यक्ति माँगा है। भाई मगनभाई आ रहे हैं। ये हर तरहसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। आप उनसे बहुत काम ले सकेंगे। आप विजयश्री प्राप्त करें।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९७७३)की फोटो-नकलसे।

३७८. पत्र : राधा गांधीको

२ मई, १९३०

चि० राधा,

मीठूबहन कह रही थी कि तू उनके साथ काम करनेको तैयार है। मीठूबहन तुझे उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपना चाहती हैं। यदि तू सचमुच ऐसा चाहती हो तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। लेकिन खुर्शीदबहन भी यही कहती थी। तू यदि पहले ही उनके साथ बँध गई है तो तुझे उन्हीं की देखरेखमें काम करना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८६८२)से।
सौजन्य : राधाबहन चौधरी

३७९. पत्र : कुसुम देसाईको

२ मई, १९३०

चि० कुसुम,

अपने पिछले अधूरे पत्रमें तूने जो पत्र लिखनेकी बात कही थी वह अभीतक नहीं मिला।

इसके साथ तुझसे प्राप्त दो पत्र रखकर भेज रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १७९८)की फोटो-नकलसे।

३८०. पत्र : जानकीदेवी बजाजको

२ मई, १९३०

चि० जानकीबहन,

मदालसाका पत्र आज मिला है। तुम्हारा पत्र मिलनेकी मुझे याद नहीं है। मुझे रोष किस बातपर चढेगा? ऐसा लगता है, वहाँ तुम काममें जुट गई हो, इसलिए वहाँ पेरीनबहनके साथ तुम्हारा काम करना मुझे ठीक लगता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० २८८६)की फोटो-नकलसे।

३८१. पत्र : नरहरि परीखको

२ मई, १९३०

चि० नरहरि,

मुखियाके बारेमें सारी हकीकत तो मैं नही जानता। लेकिन वह अपना बचाव क्यो करना चाहेगा? यदि उसमें साहस हो तो जो हो सो उसे भोगना चाहिए। लेकिन यदि उसमें साहस न हो तो वह अपना बचाव कर सकता है। मैं तो केवल एक ही अवसरपर बचाव करनेकी बात सोच सकता हूँ और वह यह कि जब किसी पर झूठा आरोप लगाया जाये तब यदि वह अपना बचाव करना चाहे तो वह कर सकता है। लेकिन इस बारेमें स्थानीय व्यक्ति ही सही निर्णय दे सकते है।

भगवती कहता है कि तुम्हारे पीछे वहाँ अँधेरा-ही-अँधेरा है। पूरे दिन काम कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति नही है। इस बारेमें विचारकर मुझे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९०५२)की फोटो-नकलसे।

३८२. सन्देश : बम्बईकी साहू सभाके लिए

करांडी
२ मई, १९३०

मैं आशा करता हूँ कि साहू सभाको सभी ब्राह्मणेतर देश-भक्तोंका सहयोग मिलेगा। मौजूदा संघर्ष किसी विशेष वर्ग या जातिके कल्याणके लिए नहीं, बल्कि करोड़ों लोगोंकी भलाईके लिए चलाया जा रहा है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ३-५-१९३०

३८३. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

३ मई, १९३०

प्रिय कुमारप्पा,

केवल 'इं० सो० रि०'[1] में ही प्रकाशित करो।[2] तुम अपना काम बड़ी बहादुरीसे कर रहे हो। यदि 'इं० सो० रि०' छापनेसे इनकार करे तो बताना।

बापू

श्रीयुत जे० सी० कुमारप्पा
गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद

अंग्रेजी (एस० एन० १००८६ और १००८७)की फोटो-नकलसे।

१. इंडियन सोशल रिफॉर्मर

२. यह वाक्य गांधीजी की लिखावटमें नहीं है। किन्तु पोस्टकार्डपर टाइप किये चार वैकल्पिक वाक्योंमें से इसे बरकरार रखा गया है।

३८४. पत्र : नारणदास गांधीको

३ मई, १९३०

चि० नारणदास,

भाई सुन्दरम् पुराने आश्रमवासी हैं। यथा नाम तथा गुण। हिन्दू विश्वविद्यालय छोड़कर आये हैं। थोड़े दिन वहाँ रहेंगे। उनसे मिलना तथा दूसरोंसे उन्हें मिलाना। और अधिक डाक आनेपर ही लिख सकूंगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८१०९) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

३८५. वी० ए० सुन्दरम्‌को प्रमाणपत्र[1]

[३ मई, १९३०के आसपास][2]

वी० ए० सुन्दरम् १९१५से मेरे सम्पर्कमें हैं तथा सत्याग्रह आश्रमकी स्थापना होनेके बाद काफी अरसेतक ये वहाँ रहे हैं। इन्होंने पण्डित मालवीयजी का आशीर्वाद लेकर संघर्षमें शामिल होनेके लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय छोड दिया है। उनके इस निर्णयमें उनकी पत्नी[3] भी पूरे हृदयसे शामिल हैं। इन दोनोंकी सेवाओंका सबसे अच्छा उपयोग यही हो सकता है कि ये तमिलनाड जाकर नमक-कानून तोड़ें तथा वहाँ, विशेषकर अपने जिले कोयम्बटूरमें, विदेशी कपड़े और शराबके बहिष्कारके कार्यमें सहयोग दें।

मो० क० गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ३२०७)की फोटो-नकलसे।

१. मूलमें इसे कोई शीर्षक नहीं दिया गया, तथापि जी० एन० रजिस्टरमें इसे प्रमाणपत्र कहा गया है।
२. ऐसा लगता है कि यह पिछले पत्रके साथ ही लिखा गया था, क्योंकि उसमें भी गांधीजीने यही बातें लिखी हैं।
३. सावित्री।

३८६. खेड़ावासियोंके प्रति

गुजरातमें इस समय खेड़ा जिला हमारी लड़ाईका केन्द्र बन गया जान पड़ता है। खेड़ामें जो अत्याचार हो रहे हैं वे गुजरातके किसी अन्य भागमें हुए प्रतीत नहीं होते। वहाँ तो अधिकारिगण चाहे जिसे पकड़ लेते है, चाहे जिसे छोड़ देते है, चाहे जिसे मारते हैं और चाहे जिसे गालियाँ देते हैं। इतना सब होनेके बावजूद लोग भली-भाँति शान्ति बनाये हुए है। परन्तु काका साहबको कुछ कमियाँ दिखाई दी है। लोग अत्याचारको बरदाश्त तो कर रहे हैं, परन्तु उनके तीव्र बहिष्कारमें क्रोध है, द्वेष है और इसलिए हिंसा है। वे सरकारी अधिकारियोको छोटी-छोटी बातोंमें सताते है, उनकी निन्दा करते है। इस तरह तो वे जीतनेवाले नही। नौकरशाहीकी जी-भरकर निन्दाकी जा सकती है; लेकिन सरकारी अधिकारियोंकी नही की जा सकती। वे लोग तो बेचारे हम-जैसे ही है। एक समय ऐसा था जब हम नही तो हमारे सगे-सम्बन्धी पटेल बननेकी इच्छा रखते थे, मामलतदार बननेकी कोशिश करते थे। हम मामलतदारकी खुशामद किया करते थे। अब हमारा मोह दूर हो गया है, इसलिए उनका भी तुरन्त दूर हो गया होगा, ऐसा हम क्योंकर मान सकते है? यह ठीक है कि हो जाना चाहिए; किन्तु इसके लिए हम विनयपूर्वक प्रयत्न करें। मामलतदारी, दरोगागिरी आदिके दोष बतायें, लेकिन मामलतदार, दरोगा पर क्रोध न करें। हमारे तीव्रतम बहिष्कारमें भी माधुर्य और विनय होनी चाहिए। ऐसा नही होगा तो किसी दिन उत्पात भी हो जायेगा। मामलतदार, दरोगा आदि मर्यादा खो बैठेंगे। दरोगा तो मर्यादा खो ही बैठे हैं। दरोगाने मगनभाई देसाई-जैसे व्यक्तिका अपमान किया, उन्हें मारा-पीटा, सो तो मै जानता ही हूँ। और यदि इसी तरह लोग भी मर्यादा छोड़ बैठें तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात होगी? यदि कुछ लोग गाली देनेकी बातको मर्यादाके भीतर मानते है, उस हालतमें यदि अन्य लोग हाथ चला बैठनेको मर्यादाकी सीमा समझते हों तो गाली देनेवाले लोग उन्हें कैसे दोष दे सकते हैं? और एक बार हाथ चलाबैठनेपर सीमा कहाँ रह पायेगी? अतएव बाजी अभी हाथमें है। इस बीच खेड़ा जिलेके निवासियोंको सावधान हो जाना चाहिए और जहाँ-जहाँ सुधार करनेकी आवश्यकता हो वहाँ-वहाँ सुधार कर लिया जाना चाहिए। मैंने जो मर्यादा बताई है, उसमें रहकर वे खुशीसे बहिष्कारोको जारी रख सकते है। मै मर्यादा बताये देता हूँ। काकाका लेख पढ़नेवाले पाठकगण इसे भी उसके साथ ही समझ लें। हम पटेलका ही उदाहरण लें।

पटेल यदि गाँवका ही हो तो उससे उसका घरबार न छीना जाये, उसका खाना-पानी बन्द न हो। उसका बहिष्कार केवल उसके पदके कारण हो। तात्पर्य यह कि उसके हुक्मको न माना जाये, पदके आधार पर यदि वह एक बूँद पानी भी माँगे तो वह न दिया जाये। यदि पदके आधारपर वह अधिकारियोके लिए सीधा-सामान आदि माँगे तो वह न दिया जाये। लेकिन यदि वह बीमार पड़ जाये तो प्रेमपूर्वक

उसकी तीमारदारी करे। यदि हममें ऐसा करनेकी शक्ति न हो अर्थात् यदि हममें इतना प्रेम न हो तो हम बहिष्कारको छोड़ दें। इसको विधाताके लेखके समान अटल मानना चाहिए कि यदि बहिष्कार वैरभावसे प्रेरित होकर किया गया होगा तो जहाँतक इस लड़ाईका सम्बन्ध है, इसका कोई शुभ परिणाम कदापि नही निकल सकता।

कोई कहेगा कि यह अहिंसा तो बड़ी कठिन है। बात सच है। अहिंसा जितनी कठिन है उतनी ही सरल भी है। जो समझ ले उसके लिए तो आसान है, न समझनेवाले व्यक्तिके लिए आकाशमें उड़नेसे भी कठिन है। इस बातको मैं अच्छी तरह जानता था, इसी कारण मैंने जनताके सामने बहिष्कारको नही रखा। चूँकि गुजरातने खुद-ब-खुद इसे अपने हाथमें ले लिया, इसलिए मैंने इसे चलने दिया और अपने भाषणोंमें उसे प्रोत्साहन भी दिया। तथापि मैंने हमेशा उसकी मर्यादाकी चर्चा भी की है। यदि बहिष्कारमें ऐसी मर्यादा और अहिंसका पालन नहीं किया जा सकता और उसे छोड दिया जाता है तो अब भी कुछ नहीं बिगडा है।

मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं हार-जीतके बारेमें तटस्थ हूँ। क्योकि मैं जानता हूँ, अहिंसासे ही विजय प्राप्त की जा सकती है और हिंसासे अभी चाहे कितने ही शुभ परिणाम निकलते दिखाई देते हो तथापि अततः उसमें हार ही होगी। क्षय रोगसे पीड़ित मनुष्यके चेहरेकी लालिमा आरोग्यकी द्योतक नही, बल्कि वह तो निकट भविष्यमें आनेवाली मृत्युकी सूचक है; सच पूछिए तो उस लालिमासे मृत्यु झाँकती है। लेकिन इतना कहने-भरसे मेरा हिसाब पूरा नही हो जाता।

बिना प्रतिरोध किये मार खानेकी अहिंसा यदि लोगोके गले न उतरे तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तथापि यह बात तो हमारी मूल प्रतिज्ञामें निहित है। मै जानता हूँ कि जब देहवणके ठाकुरने पुलिसके साथ मिलकर लोगोपर आक्रमण किया, उस समय लोग उसका प्रतिरोध कर उसे हटा सकते थे। इसी तरहके अन्य अनेक प्रसग भी आये है। तथापि लोगोने शान्ति कायम रखी और इस तरह बहादुरी दिखाई। उसके लिए वे लोग बधाईके पात्र है। लेकिन जहाँ लोग इस तरह शान्ति बनाये रखना अपना धर्म नही समझते और मन-ही-मन दूसरोको दुःख देनेकी बात सोचते है वहाँ शान्ति लम्बे समयतक नही चल सकती। ऐसे लोग या तो भाग खडे होगे अथवा अपना बचाव करनेके लिए प्रतिरोध करेंगे। इन दोनो बातोका इस लड़ाईमें निषेध है। इसमें न तो लोग भाग सकते है और न प्रतिरोध कर सकते है। यह लड़ाई तो 'मर कर जीने' का मन्त्र साधनेकी है।

किसीने अभीतक यह नही कहा कि यदि हम मर जायेंगे तो विजयश्री हमारे हाथ नही आयेगी। मर-मिटनेकी शक्तिके बारेमें कुछ-एक लोगोंको सन्देह अवश्य है। लेकिन इस बारेमें अनेक लोगोका सन्देह तो मिट चुका है। गत संघर्षके आँकडे निकालकर बताया जा सकता है कि इस चार सप्ताहके संघर्षमें जितने व्यक्ति मारे गये है और हमारे जितने पैसे खर्च हुए है, वे यूरोपके दारुण युद्धमें जितने व्यक्ति कत्ल हुए थे और प्रत्येक राज्यके जितने पैसे खर्च हुए थे उससे बहुत कम है; और इसके अलावा हम काफी आगे भी बढ़े है। यदि हमारा यह संघर्ष अन्ततक अहिंसक

ही रहा तो यूरोपके युद्धके दौरान एक दिनमें जितने मनुष्योंकी जानें गईं और जितना पैसा खर्च हुआ, हमारे यहाँ कुल मिलाकर उतना नही होगा और हम स्वतन्त्रता भी प्राप्त कर लेंगे। इतना जाननेके बाद किसी व्यक्तिके लिए सन्देहका कोई कारण नहीं रह जाता और यदि सन्देह दूर हो जाये तो जनतामें अपेक्षित वातावरण अवश्य तैयार हो जायेगा।

इतना तो सामाजिक बहिष्कारके सम्बन्धमें।

और अब अनुशासनके बारेमें।

स्वयंसेवकोंमें यदि अनुशासनमें रहनेकी शक्ति नही होगी तो हम किसी-न-किसी दिन संकटमें पड़ जायेंगे। संघर्षमें अनुशासन ही सब-कुछ होता है। क्रीमियाके युद्धमें अंग्रेज अधिकारियोंने भारी भूल की थी, जिसके फलस्वरूप अनेक सिपाही मारे गये। बेचारे सिपाही तो आदेशानुसार काम करते जाते थे और मरते जाते थे। लोग अंग्रेज अधिकारियोंकी जड़ताको तो भूल गये, परन्तु योद्धाओंकी वीरताको प्रख्यात कवि टेनिसनने एक सुन्दर काव्य लिखकर अमर कर दिया। उसमें उन्होंने सच्चे सिपाहीके गुणोंका वर्णन किया है, जिसका भावार्थ निम्नलिखित है:

> सच्चा सिपाही कारणके विषयमें वादविवाद नही करता: सच्चा सिपाही सामने उत्तर नही देता; वह तो आदेशका पालन करता है और मरता है।

मुझे लगता है कि यह बात सच है। इसका मतलब यह नही कि उसकी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है अथवा वह उसका उपयोग नहीं करता। सिपाहियोंमें अपना नाम दर्ज करानेसे पहले उम्मीदवार बुद्धिका पूर्ण उपयोग करता है। वह सेनापतिको अच्छी तरहसे जानने और सेनाके नियमोंकी भली भाँति जाँच करनेके बाद ही उसमें शामिल होता है। इतना सब करनेके पश्चात् उपनियमोंकी रचना होनेपर यदि वह पग-पगपर उनकी चर्चा करे, आदेश जारी होनेपर उसके औचित्य-अनौचित्यका विचार करे, तो उसका समय सोच-विचार और उन नियमोंकी चर्चामें ही निकल जायेगा और उसका काम अटक जायेगा। यदि प्रत्येक सिपाही सेनापतिसे वाद-विवाद करनेका दावा करे तो लड़ाईमें हार खानी पड़े। इसलिए सेनामें शामिल होनेके बाद बुद्धिको अलग रखना पड़ता है। सिपाही बननेके बाद सिपाहीके कर्त्तव्यको लेकर जो वाद-विवादमें पड़ता है, उसकी बुद्धि व्यभिचारिणी हो जाती है। अतः ऐसा करना बुद्धिका दुरुपयोग करना होगा।

इस बातको जो खेड़ा-निवासी समझ ले, उसे चाहिए कि वह सूक्ष्म रूपसे अनुशासनके नियमोंका पालन करे।

अनुशासनके इन नियमोंमें कातने-पींजनेकी क्रिया अनिवार्य है। जो सिपाही ऐसा नही करता वह स्वराज्यकी लड़ाईमें नहीं रह सकता; क्योंकि 'सूतके धागेके द्वारा स्वराज्य' को हमने मन्त्र-रूपमें स्वीकार किया है। और यदि यह बात सच है तो अब यह चर्चाका विषय नही रह जाता, बल्कि इसे कर दिखाना हमारा धर्म हो जाता है। नमक-सत्याग्रहके अन्तर्गत कातनेकी आवश्यकता भले ही न हो, परन्तु स्वराज्य-अन्दोलनमें तो उसकी आवश्यकता है ही। और यद्यपि नमक-कानून अभीतक हटा नहीं

है, तथापि इस समय जो लड़ाई चल रही है वह केवल नमक-कर हटवानेके लिए ही नहीं है, बल्कि स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए है।

यह कहनेकी जरूरत नहीं कि जैसे पीजना-कातना आवश्यक है, उसी तरह सिरसे पैर तक खादीकी पोशाक पहनना भी आवश्यक है।

खेड़ा-निवासियोके उत्साहकी कोई सीमा नही है। लेकिन वह उत्साह यदि सात्विक हो, अहिंसामय हो तो कातनेकी शान्त क्रिया उसका चिह्न है, उससे उसका पोषण होता है। शान्त उत्साह हमेशा क्रियात्मक होता है। अशान्त उत्साहका आरम्भ और अन्त आवेशमें ही होता है।

मैं एक बात विशेष रूपसे कहना चाहता हूँ। केवल रासने ही नही, अन्य गाँवोने भी भूमि-कर न देनेकी प्रतिज्ञा की है। यह प्रतिज्ञा मुझे अच्छी लगी है। इसका पालन करनेवाले लोग भारतके इतिहासमें वीर पुरुषोमें गिने जायेंगे। लेकिन इस प्रतिज्ञाके क्या परिणाम होंगे, यह बात विचार करने लायक है।

ऐसी प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्तिको जमीन, घर, ढोर-डंगर आदिसे हाथ धो बैठनेके लिए तैयार रहना चाहिए और तिसपर भी उसे मारपीट नही करनी चाहिए, न दूसरोसे मारपीट करवानी चाहिए। जिसे स्वराज्य मिलनेके बारेमें विश्वास होगा, उसे किसी बातकी चिन्ता नहीं होगी; उसके मनमें ऐसी कोई दुविधा नही होती कि उसे घरबार खो देना पड़ेगा। आज घरबार छिन भी जाये तो बादमें वापस मिल ही जायेगा। सरकार उसे कभी हजम नही कर सकती। लेकिन स्वराज्य मिलनेके बारेमें जिसे सन्देह हो उसे फिलहाल कर न भरनेकी जोखिम नही उठानी चाहिए। कांग्रेसके कार्यक्रममें कर न भरनेकी बात कतई नहीं है। इसलिए लगान भरनेमें किसीकी लाज नही जानेवाली है। लेकिन जिन्हें आत्मविश्वास है, जिनमें दु:ख सहन करनेकी शक्ति है, जिनमें देश अथवा अपने सरदारकी खातिर त्याग करनेकी शक्ति है वे लोग अवश्य अपनी जिम्मेदारीपर लगान न भरे; उन्हे न भरनेका अधिकार है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ४-५-१९३०

३८७. वकीलोंका धर्म

वकीलोकी आलोचना करनेमें मैंने कभी कोई कसर नही रखी। महादेवने भी अपने थोड़े दिनोके राज्यमें वकीलोंकी जी-भरकर आलोचना की। परन्तु वकीलोंने उसका गलत अर्थ नही लगाया। उन्होने समझ लिया कि ये तो प्रेमबाण थे। निन्दाके पात्र होते हुए भी स्वराज्यकी लड़ाईमें वकीलोका हिस्सा कम नही है। बम्बईके बेताजके बादशाह फीरोजशाह मेहता सुप्रसिद्ध वकील थे, लोकमान्य वकील थे, मनमोहन घोष और लालमोहन घोष वकील थे, पंजाब-केसरी लालाजी वकील थे और देशबन्धु भी, जिन्होने लाखों रुपये देशसेवामें खर्च किये थे, वकील थे। मोतीलालजी वकील है, मालवीयजी वकील है, विट्ठलभाई पटेल वकील हैं, सरदार वकील है, जयरामदास, राजगोपालाचारी, प्रकाशम्, वेंकटप्पैया, सन्तानम्, मुंशी, कामदार, पुरुषोत्तमदास त्रिकमदास और ब्रोकर

वकील हैं, तथा स्वयं राष्ट्रपति भी वकील ही हैं। यह सूची पूरी नहीं है। जो नाम मुझे याद पड़े वे मैंने लिख दिये हैं। लेकिन ऐसे तो अन्य अनेक नाम गिनाये जा सकते हैं।

अतएव यद्यपि वकीलोंके लिए लज्जित होनेका कोई कारण नहीं है, तथापि मन-ही-मन फूल उठनेकी भी कोई वजह नहीं। इतने वकीलोंके त्यागको देखते हुए भी लोग वकीलोंकी निन्दा करते हैं; मेरे जैसोंने भी उनकी निन्दा की है, सो सकारण ही है।

लोग यह आशा रखते हैं कि जैसे ब्राह्मण-मात्रको ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए वैसे ही प्रत्येक वकीलको देशभक्त होना चाहिए। वकीलका अर्थ ही लोगोंकी हिमायत करनेवाला, कानूनका पण्डित, राजनीतिको जाननेवाला और राज्य द्वारा सताये हुए लोगोंको सन्तापसे मुक्त करानेवाला होता है। अतएव जिन लोगोंका धन्धा ही देशसेवा करना होना चाहिए वे जब स्वार्थी बन जाते हैं, भोग विलासमें पड़े रहते हैं या लोगोंको आपस में लड़ाकर पैसा कमानेके चक्करमें पड़ जाते हैं, तो लोग उनकी निन्दा करने लगते हैं। यद्यपि स्वतंत्र रूपसे विचार करते हुए उपर्युक्त देशभक्त वकीलोंकी संख्या हमें कम न भी लगे तो भी वकीलोंकी संख्या और उनके कर्त्तव्यको देखते हुए देशसेवक वकीलोंकी संख्या उनकी कुल संख्याके अनुपातमें कम ही जान पड़ेगी।

इस बार जो जागृति आई है, वकील उससे मुक्त नहीं हैं। श्री मुन्शी वगैराका बलिदान इस लड़ाईका ही परिणाम है। मुझे लगता है कि जो वकील डरके कारण अपना धन्धा छोड़ना नहीं चाहते या छोड़ नहीं सकते वे भी डरते-डरते कुछ-न-कुछ सेवा करना चाहते हैं। मैंने सुना है कि बम्बईके बहुत-से वकीलोंने विलायती टोपी और विदेशी कपड़ोंका त्याग कर दिया है। गुजरातके अनेक वकील लोगोंपर किये जा रहे अत्याचारकी जाँच करने निकल पड़े हैं। यह सब अभिनन्दनीय है। परन्तु वकालत छोड़नेकी बात यदि छोड़ भी दें तो भी बड़ी बात तो यह है कि वे बड़ी संख्यामें सविनय कानून भंग करें और यदि अदालत सनद छीन ले तो भी निर्भय बने रहें। सनदकी खातिर देशको नहीं बेचा जा सकता। देशसेवा करते हुए यदि सनद छिन जाये तो यह समझना चाहिए कि पाप कटा। यदि उनमें इतनी निडरता आ जाये तो वे अपने-अपने जिलोके लोगों की बहुत मदद कर सकते है। यदि वकील निडर बन जायें तो:

१. जनताके पैसेका हिसाब-किताब रख सकते हैं;

२. कानूनकी बारीकियाँ लोगोंको समझा सकते है;

३. सविनय अवज्ञाको लेकर कारण मनमाने ढंगसे चलाये गये मामलोंका निरीक्षण करके उन्हें प्रकाशमें ला सकते हैं;

४. जहाँ मारपीटका भय हो वहाँ वे हाजिर रह सकते है;

५. जो अन्याय हो रहे हों, उनका पृथक्करण जनताके सामने कर सकते हैं;

६. वर्तमान अन्यायोंकी जाँच करके सरकारके दोषोंका परिचय करा सकते हैं;

७. खादीके उत्पादनमें हाथ बँटा सकते हैं;

८. बहिष्कारके काममें बहनोंकी सहायता कर सकते हैं; और

९. सब प्रान्तोंके लगभग सभी सुप्रसिद्ध नेताओंके पकड़े जानेसे जहाँ जरूरत हो, वहाँ जनताका पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं और वर्तमान वातावरणको अधिक निडरतापूर्ण बनानेमें सहायक हो सकते हैं।

ये बातें मैंने मिसालके तौर पर सुझाई हैं। पर जिन्हें सेवा ही करनी है उन्हें तो सेवाके बहुतेरे तरीके सूझ जायेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ४-५-१९३९

३८८. टिप्पणियाँ

शराबकी दुकानोंपर धरना

अहमदाबादमें एक मद्य-विक्रेताने निरीह मजदूरोको बिना किसी अपराधके मार-मारकर अधमरा कर दिया। सूरतमें बहनोंको गन्दी-गन्दी गालियाँ दी गईं और उनपर मिट्टीके ढेले फेंके गये और जलालपुरमें तो बहनोको बीभत्स और गन्दी गालियाँ देना शुरू किया गया है। इस सबको बहनोंने सहन किया, इसके लिए वे बधाईकी पात्र हैं। लेकिन पुरुषोका क्या? बहनोंको जब गालियाँ दी जायें उस समय किसी पुरुषको बीचमें पड़नेकी जरूरत नहीं है। शराबियों अथवा शराब बेचनेवालो की गालियोसे घबरानेकी भी कोई आवश्यकता नहीं। तथापि पुरुष निष्क्रिय होकर नही बैठ सकते। उन्हें चाहिए कि वे स्वयं मद्य-विक्रेताओसे मिले, उन्हें विनयपूर्वक समझायें, लोकमत तैयार करके उसे प्रकाशमें लायें। मद्य-विक्रेताओंके हाथों भी बहनोका अपमान नहीं हो सकता, न होना चाहिए। मेरा दृढ़ मत है कि यदि प्रत्येक बातको सभ्य भाषामें प्रस्तुत किया जाये और मद्य-विक्रेताओंको लोगोंकी भावनासे अवगत कराया जाये तो वे यह धन्धा अवश्य छोड़ देंगे। मद्य-विक्रेताओको चाहिए कि जिस धन्धेका नाश हो रहा है उस धन्धेका स्वयमेव त्याग कर दें।

एक पारसी बालिकाकी भेंट

एक पारसी बालिकाकी ओरसे मुझे जो पत्र मिला है उसे मैं ज्यो-का-त्यो नीचे दे रहा हूँ।[1]

ठीक इसी तरह वापीके पारसी बालकोंने ३०० रुपये दिये थे और उनमें से एक नन्ही बच्चीने मुझसे पूछा था, "क्या मैं लड़ाईमें भाग नही ले सकती?" ऐसे निर्दोष बच्चे जब इस तरहकी सेवा करना चाहें तब कौन यह माने बिना रह सकता है कि इसमें ईश्वरका हाथ नही है? मैं इन बच्चियोंमें कृत्रिमता नही देखता।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ४-५-१९३०

१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें उपर्युक्त सात वर्षीय बालिकाने लिखा था कि वह वर्तमान आन्दोलनके लिए अपने योगदानके रूपमें १० रुपये भेज रही है।

३८९. मुद्रणालयोंपर छापा

मुझे उम्मीद है कि वाइसराय महोदयने मुद्रणालयोंके सिरपर जो तलवार लटकाई है उससे कोई नहीं डरेगा।

नौकरशाहीकी निन्दा करना प्रजाका कर्त्तव्य है, उसका नाश चाहना हमारा धर्म है, सविनय अवज्ञा धर्म है, नौकरोंको सरकारी नौकरी छोड़नेके लिए समझाना धर्म है, सिपाहियोंको सरकारी सिपाहीगिरी छोड़नेको समझाना धर्म है, और जब लोगोंमें ऐसी ताकत आ जाये तब कर न देनेके लिए लोगोंको समझाना भी धर्म है। तो भी सरकारी कानूनकी रूसे ऊपरकी हर बात गुनाह है। इस नये कानूनके अनुसार जो प्रेस इनमें से एक भी गुनाह करेगा, सरकार उसे जब्त कर सकेगी। अच्छा हो, यदि तमाम समाचार-पत्रोंके संचालक और प्रकाशक ऐसे कानूनको मानना पाप समझें। इस समय जब कि साधारणजन निडर होकर अनीतिमय कानूनोंकी सविनय अवज्ञा कर रहे हैं, यदि पत्रकारोंने कमजोरी दिखाई तो देशको हानि पहुँचेगी। अतः जिसके नाम जमानत देनेका नोटिस आये वह प्रेस जमानत देनेके बजाय अपना काम ही बन्द कर दे। अगर सब मुद्रणालय इस तरह करें तो सरकारके नये कानून पर अमल ही न हो सकेगा।

इस लड़ाईमें समाचार-पत्रोंकी पूरी तरहसे सहायता ली जा रही है, तो भी यह लड़ाई समाचार-पत्रोंपर तनिक भी निर्भर नहीं है। लोग अपनी शक्तिको समझने लगे है, और क्या करना है, यह भी जान गये हैं। अतएव आजकल अखबारोंमें उन्हें बहुत थोड़ी बातें जानने योग्य मिलती हैं। दूर-दूरकी कुछ खबरें नहीं मिल सकेंगी, लेकिन उनके बिना भी हम अपना काम चला सकते हैं। अतएव मुझे आशा है कि कोई मुद्रणालय जमानत नहीं देगा। यदि वे इस हद तक संयत रहेंगे तो देखेंगे कि यह कानून अधिक समय तक नहीं चल सकेगा।

हाथके लिखे समाचार-पत्र भी हो सकते हैं; यदि लोगोंमें देशहितके लिए मेहनत करनेकी शक्ति पैदा हो गई है, तो असंख्य हस्तलिखित अखबार रोज प्रकाशित किये जा सकते हैं। यदि लोग चाहें तो श्रीफल न्यायसे हाथसे लिखे गये अखबारोंकी हजारों प्रतियाँ तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं ५० आदमियोंसे एक अखबार लिखवाकर उसे जुदा-जुदा जगहोंमें ५० आदमियोंको दूँ। यदि ये पचास आदमी अपने-अपने मित्रोंसे उसकी उतनीकी प्रतियाँ तैयार करायें तो २,५०० प्रतियाँ तैयार हो जायें। और यदि वे २,५०० आदमी भी ऐसा ही करें तो? उपर्युक्त ढंगसे काम करनेमें गरीबोंको तो कोई आपत्ति हो नहीं सकती। आवश्यकता केवल इस तरहकी भावना पैदा करने की है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ४-५-१९३०

३९०. खादीके विषयमें चेतावनी

ऐसे समय जब खादी बाजारमें मिलनी मुश्किल हो गई है, कुछ व्यापारी, जिन्हें न तो देशसे प्रेम है और न जिन्हें अपनी प्रतिष्ठाकी चिन्ता है बल्कि चाहे जिस तरह पैसा कमाना ही जिनका ध्येय है, चाहे जहाँसे कैसी भी खादी खरीद लेना चाहते हैं, और खादीके नाम पर दो रुपये गजका मिलका बना कपड़ा आठ रुपये गजके भाव बेचनेमें नही हिचकिचाते। ऐसे व्यापारियोंसे खादी पहननेवाले लोगोंको बचानेके इरादेसे श्री शंकरलाल बैंकर निम्नानुसार लिखते है।[1]

इन विचारोंसे मैं पूर्णतया सहमत हूँ और मुझे उम्मीद है कि जिसे चरखा संघने प्रमाणपत्र न दिया हो, ऐसे स्थानसे खादीके नामपर बेचा जानेवाला कपड़ा कोई नहीं खरीदेगा। जो बहिष्कारकी रीतिको अच्छी तरहसे समझ गये है और जो जानते है कि खादीके बिना बहिष्कार सफल हो ही नही सकता, वे लोग यदि खादी न मिले तो प्रतीक्षा करें, परन्तु उतावलीमें, धोखेमें आकर खादीके नामपर कोई दूसरा कपड़ा न पहनें।

चरखा संघ द्वारा स्वीकृत भण्डारोंमें खादी रखनेका प्रयत्न किया जा रहा है। जो नया तरीका मैंने बताया है यदि लोग उसे समझ लेंगे तो थोड़े ही दिनोंमें खादीका ढेर लग जायेगा। खादी पहननेवाले लोग सूत कातें और कतवायें। कतवानेवाले बाजारमें जानी-मानी दुकानोसे सूत न खरीदें बल्कि नये लोगोको कातनेमें लगायें, अर्थात्

१. स्वयं कातें;

२. अपने सगे-सम्बन्धियोसे कतवाय;

३. अपने पडोसियोंसे कतवायें;

४. अपने आसपासके गाँवोमें नये चरखोंका प्रवेश करायें अथवा तकलीसे कतवायें, और

५. उनके प्रभावमें जो स्कूल आदि हो वहाँके विद्यार्थियो और शिक्षकोंसे कतवायें।

यह तो मैंने कुछ-एक क्षेत्र ही गिनाये है। ३० करोड़की आबादीवाले इस देशमें कपास पीजने और सूत कतवानेके असंख्य तरीके सोचे जा सकते है और यदि कातना-पीजना आदि जाननेवाले सब भाई-बहन मेहनत करें तो देशका नक्शा बदल जायेगा, इस बारेमें मुझे तनिक भी सन्देह नही है।

लालची व्यापारियोंसे मेरी विनती है कि वे खादीको अपनी लालचकी परिधिसे दूर रखें। वे खादीका व्यापार ही न करें; और यदि करें तो शुद्ध खादीका ही व्यापार करें और वह भी पूरी ईमानदारीके साथ। खादीके बारेमें ऐसा कहनेका मौका न दें

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

कि जब खादीकी तंगी होती है तभी खादी महँगी हो जाती है। खादी जब अपना उचित स्थान प्राप्त कर लेगी तब खादीकी तंगी ही नहीं होगी। घरकी रुई और मेहनत भी घरकी हो तो फिर तंगी किस बात की? आज तो हम दिवालियों-जैसा व्यापार करते हैं। रुई घरमें होनेके बावजूद उसे परदेश भेजते हैं और हाथका धन्धा होनेपर भी हाथ चलानेमें आलस्य करके विदेशसे मँगवाया हुआ कपड़ा पहनते हैं। जागृति और शुद्धिके इस समय हम अपना आलस्य त्यागकर उद्यमी बनें और खादीके लिए विदेशी कपड़ेके बहिष्कारको पूर्णतया सफल बनायें।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ४-५-१९३०

३९१. काकासाहब

काका भी महादेवके पीछे गये, इसलिए कह सकते हैं कि 'नवजीवन' की ओरसे संघर्षमें ठीक योगदान दिया गया है। लेकिन फिलहाल तो काकाका सम्बन्ध 'नवजीवन' की अपेक्षा विद्यापीठके साथ ज्यादा था; और वे उसके आचार्य थे, इसलिए उनके जेल जानेसे विद्यापीठकी शोभा बढ़ी है। विद्यापीठके कुलपति जेलमें हैं, आचार्य जेलमें है, स्नातक और विद्यार्थी तथा अध्यापकगण जेल जाने अथवा उससे उच्च पद प्राप्त करनेके उम्मीदवार हैं। इससे बढ़कर विद्यापीठका मूल्यांकन और कैसे किया जा सकता है?

लेकिन अब तो ऐसा समय आ रहा है कि जेल जानेमें प्रशंसाके बदले निन्दा होगी। जब कोई वस्तु सामान्य हो जाती है तो वह प्रशंसाके लायक नहीं रह जाती। हर हालतमें प्रशंसा की ही जाये, यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। जिस वस्तुकी हम प्रशंसा करते हैं, हम चाहते हैं कि वह वस्तु सामान्य हो जाये। और जब वह वस्तु सामान्य बन जाती है तब हम उसकी प्रशंसा करना छोड़ देते हैं। एक समय जेल जाना प्रशंसनीय बात समझी जाती थी। अब तो मार खाना, गोली खाना प्रशंसाकी बात हो गई है। इसलिए थोड़े ही समयमें जेल जानेवालोंके सम्बन्धमें लोग शंका करने लगेंगे। वे कहेंगे 'फलाँ आदमी गोली खानेके भयसे जेलमें जा बैठा है।' महादेव और काकाके मामलेमें यही बात प्रतिध्वनित होती जान पड़ती है, और वह उचित भी है।

सच पूछिए तो बात यहींतक नहीं रहती, इससे भी आगे जाती है। किसी भी व्यक्तिको जेल जाने, मार खाने अथवा फाँसीपर चढ़नेकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। इन सबके लिए अथवा इनसे भी कुछ विशेष हो तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। जिनके लिए फाँसीका फन्दा और फूलोंका हार एक समान है वे घरमें रहकर सेवा करें, तो उसकी कीमत फाँसीके तख्ते पर चढ़ने-जितनी ही है, कदाचित् ज्यादा ही हो। फाँसी चढ़नेमें बहुत मान है। सिर झुकाकर रोज लिखते रहना, हिसाब रखना या रोज विवेकपूर्वक लोगोंकी बातें सुनना और दिशा-निर्देश करना — इनमें सामान्यतया कोई

मान नहीं देखता। लेकिन अनेक बार ऐसे कार्यका मूल्य मौतका आलिंगन करनेकी अपेक्षा अधिक हो सकता है।

काकाका वक्तव्य हमें एक और पाठ भी पढ़ाता है। खेड़ामें होनेवाले अत्याचारों का जो चित्रण किया गया है उसे प्रामाणिक साक्षी कहा जा सकता है। उसमें हमें गुंडाशाहीकी झाँकी देखनेको मिलती है। कुछ लोग मार पड़नेपर भाग खड़े हुए, यह बात काकाको चुभी और चुभनी चाहिए भी। जब लोग मार पड़ने पर भागनेकी बात बिलकुल भूल जायेंगे तब मार पड़ना अपने-आप बन्द हो जायेगा और उस शक्तिमें से गोलीसे मरनेकी शक्ति सहज ही उत्पन्न हो जायेगी।

अपने वक्तव्यमें काकाने एक अन्य बातकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। खेड़ामें अहिंसाका वातावरण है। किन्तु सभी अहिंसाको हृदयंगम नहीं कर सके हैं। खेड़ाको देखकर ही काकाने बहिष्कारकी मर्यादाके नियमोंकी रचना की है। सब लोग उन्हें देखें, समझें और उन पर अमल करें। सत्याग्रहीके बहिष्कारमें द्वेष अथवा रोषको स्थान नहीं है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ४-५-१९३०

३९२. तार: मोतीलाल नेहरूको

जलालपुर
४ मई, १९३०

चूँकि १२ तारीखको सोमवार है और सोमवारके दिन मेरा मौनव्रत होता है इसलिए मैं कार्य-समितिकी बैठकके लिए १० अथवा १३ तारीखका सुझाव देता हूँ। बेशक पहले की तारीख ज्यादा अच्छी रहेगी और बैठकके स्थानके रूपमें मैं जलालपुरका सुझाव रखता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ६-५-१९३०

३९३. पत्र : वाइसरायको

[४ मई, १९३०][1]

प्रिय मित्र,

ईश्वरकी इच्छा हुई तो मेरा इरादा अपने साथियोंके साथ . . . को यहाँसे चलकर . . . को धरासणा पहुँचकर वहाँके नमक-कारखानेका कब्जा देनेकी माँग करनेका है। लोगोंको बताया गया है कि धरासणा कारखाना निजी सम्पत्ति है। यह बिलकुल झूठ है। सरकारका जितना नियन्त्रण वाइसराय हाउस पर है उतना ही इस कारखाने पर भी है। अधिकारियोंकी अनुमतिके बिना वहाँसे चुटकी-भर नमक भी नहीं लिया जा सकता।

इस आक्रमणको — कौतुकवश और दुष्टतापूर्वक कुछ हलकोंमें हमारी इस प्रस्तावित कार्रवाईको आक्रमण ही कहा गया है — आप तीन उपायोंसे रोक सकते हैं :

१. नमक-करको समाप्त करके;

२. मेरे और मेरे साथियोंको गिरफ्तार करके, बशर्ते कि जितने लोग गिरफ्तार हों, मेरी आशाके विपरीत उनका स्थान लेनेके लिए देश और स्वयंसेवक मुहैया न कर सके;

३. केवल गुंडागर्दीके जोर पर, बशर्ते कि मेरी यह आशा फलवती न हो कि इसमें जिन सत्याग्रहियोंके सिर फूटते हैं और इस तरह जो कुछ भी करनेमें असमर्थ हो जाते हैं, उनका स्थान लेनेके लिए नये लोग आगे आ जायेंगे।

हमने यह कदम उठानेका फैसला बहुत हिचकके साथ किया है। मैंने आशा की थी कि सरकार सत्याग्रहियोंका मुकाबला सभ्य तरीकेसे करेगी। यदि सत्याग्रहियोंसे निबटनेमें सरकारने कानूनकी सामान्य प्रक्रियाका पालन करनेका खयाल रखा होता तो मेरे पास कहनेको कुछ न होता। इसके बजाय, जहाँ जाने-माने नेताओंके साथ कानूनी औपचारिकताका कमोबेश निर्वाह किया गया है, साधारण लोगोंके साथ अकसर बर्बरतापूर्ण और कभी-कभी तो अशोभन व्यवहार भी किया गया है। यदि ऐसा कुछ छिट-पुट मामलोंमें ही हुआ होता तो इस बातको नजरअन्दाज किया जा सकता था। लेकिन बंगाल, बिहार, उत्कल, संयुक्त प्रान्त, दिल्ली और बम्बईसे प्राप्त विवरणोंसे पता चलता है कि सर्वत्र वही तरीका अपनाया गया है जो गुजरातमें अख्तियार किया गया है और गुजरातमें बरती गई बर्बरताके तो मेरे पास पर्याप्त प्रमाण हैं। शायद आपको भी लगेगा कि कराची, पेशावर और मद्रासमें बिना उत्तेजनाके और बेवजह गोलियोंकी बौछार की गई। स्वयंसेवकोंसे नमक — जिसका सरकारकी दृष्टिमें कोई

१. यह पत्र गांधीजी ने अपनी गिरफ्तारीसे कुछ ही समय पहले लिखा था। वे ५ मईको रातके १२ बजकर ४५ मिनटपर गिरफ्तार हुए थे।

मूल्य नहीं है किन्तु जो स्वयंसेवकोंकी दृष्टिमें अमूल्य है — छीननेके लिए उनकी हड्डियाँ तोड़ी गईं, उनके गुप्तांगोको दबाकर उन्हें पीड़ा पहुँचाई गई। कहते हैं, मथुरामें एक सहायक मजिस्ट्रेटने एक दस वर्षके लड़केके हाथसे राष्ट्रीय झण्डा छीन लिया। समाचार है कि जिस भीड़ने इस प्रकार गैरकानूनी तरीकेसे छीने गये झण्डेको वापस माँगा उसे निर्ममतासे मारा-पीटा गया। झण्डा बादमें लौटा दिया गया। इससे तो यही सिद्ध होता है कि छीननेवाले का मन यह स्वीकार करता था कि उसने गलत काम किया है। ऐसा जान पड़ता है कि बगालमें नमकके सिलसिलेमें बहुत ही कम लोगो पर मुकदमे चलाये गये हैं और मारा-पीटा भी कम ही लोगोको गया है, लेकिन कहते हैं कि स्वयंसेवकोंसे झण्डे छीननेमें अकल्पनीय क्रूरता बरती गई। समाचार है कि धानके खेत जला दिये गये, खाने-पीनेकी चीजें जबरदस्ती छीन ली गईं। गुजरातमें एक सब्जी-मण्डीको लूट लिया गया, क्योंकि विक्रेतागण अधिकारियोंके हाथों सब्जी बेचनेको तैयार नहीं थे। ये सब करतूतें भीड़ोके सामने ही की गई है, लेकिन भीडोमें शामिल लोगोने कांग्रेसके आदेशका खयाल करके कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की और यह सब चुपचाप सह लिया। ये सब विवरण सत्यके पालनके लिए प्रतिश्रुत व्यक्तियोने दिये हैं। इसलिए मै कहूँगा कि आप इन विवरणोको सच मानें। इस तरहके आरोपोका बड़े-बड़े अधिकारियो द्वारा किया गया खण्डन भी अकसर गलत साबित हुआ है; उदाहरणके लिए बारडोलीके मामलेको ले सकते है। मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि अधिकारियोंने गत पाँच सप्ताहोमे भी लोगोकी जानकारीके लिए सरासर झूठी बातें प्रकाशित करनेमें कोई संकोच नही किया। गुजरातमें कलक्टरोंके कार्यालयोंसे जारी की गई सरकारी विज्ञप्तियोंके नीचे लिखे नमूने देखिए :

> १. वयस्क लोग प्रतिवर्ष पाँच पौंड नमकका उपयोग करते हैं, और इस प्रकार सरकारको सालाना तीन आना कर देते हैं। . . . यदि सरकार नमक-एकाधिकारको समाप्त कर दे तो जनताको नमककी ऊँची कीमतें देनी पड़ेंगी और इस एकाधिकारके समाप्त किये जानेसे सरकारको राजस्वका जो घाटा होगा, उसे पूरा करना पड़ेगा सो अलग। . . . आप समुद्रके किनारेसे जो नमक लेते हैं वह खाने लायक नहीं होता इसलिए सरकार उसे नष्ट कर देती है।
>
> २. श्री गांधी कहते हैं कि सरकारने इस देशमें हाथ-कताईके धन्धेको खत्म करवा दिया, जब कि सभी जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देश-भरमें ऐसा एक भी गाँव नहीं है जहाँ आज रुईसे हाथ-कताई न चल रही हो। इसके अतिरिक्त हर प्रान्तमें रुई कातने वालोंको सरकार कताईके अच्छे तरोके सुझाती है और उन्हें कम कीमत पर कताईके अच्छे उपकरण देती है और इस प्रकार उनकी सहायता करती है।
>
> ३. सरकारने जो कर्ज लिया है, उसका ८० प्रतिशत जनताके कल्याणके लिए खर्च किया गया है।

ये तीन वक्तव्य मैंने तीन अलग-अलग पर्चोंसे लिये हैं। मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि इनमें से प्रत्येक वक्तव्य झूठा है और इनका झूठापन आसानीसे देखा जा सकता है। जितना इस वक्तव्यमें बताया गया है प्रत्येक वयस्क व्यक्ति उससे तिगुनी मात्रामें नमकका उपयोग करता है और इस प्रकार सरकारको सालाना ९ आने व्यक्ति-कर — और यह व्यक्ति-कर तो है ही — देता है। और यह कर प्रत्येक स्त्री, पुरुष, बच्चे और घरेलू जानवरपर लिया जाता है — उनकी उम्र अथवा स्वास्थ्यकी अवस्थाका कोई खयाल किये बिना।

यह कहना दुष्टतापूर्ण झूठ है कि प्रत्येक गाँवमें एक चरखा है और सरकार कताई-आन्दोलनको किसी भी रूपमें प्रोत्साहन या सहायता दे रही है। सरकार कर्ज ली हुई राशिका ८० प्रतिशत जन-कल्याण पर खर्च करती है, इस झूठका रहस्योद्घाटन तो वित्त-व्यवस्थाके जानकार लोग ही ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन ये झूठ, जनताको सरकारके साथ अपने रात-दिनके व्यवहारमें जो अनुभव होते हैं, उनके कुछ नमूने-भर हैं। अभी पिछले ही दिनों एक बहादुर गुजराती कविको अधिकारियों द्वारा पेश किये गये जाली सबूतके आधारपर सजा दे दी गई, यद्यपि वे जोर देकर कहते रहे कि जिस समय उक्त घटना हुई बताई जाती है उस समय वे किसी और जगह गहरी नींदमें सो रहे थे।

और अब अधिकारियोंकी अकर्मण्यताके बारेमें सुनिए। शराब-विक्रेताओंने ऐसे धरनेदारोंको मारा-पीटा है जिनके बारेमें अधिकारी भी यह स्वीकार करते हैं कि वे सर्वथा शान्तिपूर्ण ढंगसे धरना दे रहे थे। शराब-विक्रेताओंने सरकारी विनियमोंको भंग करके भी शराब बेची है। अधिकारियोंने न तो मार-पीटकी ओर कोई ध्यान दिया और न शराबकी अवैध बिक्रीकी ओर। जहाँतक मार-पीटका सम्बन्ध है, यद्यपि सभी लोगोंको इसकी जानकारी है, फिर भी अधिकारीगण शायद यह दलील देकर अपना दोष छिपा सकते हैं कि उन्हें तो इसके बारेमें कोई शिकायत मिली ही नहीं।

और अब आपने देशमें एक ऐसा प्रेस अध्यादेश लागू कर दिया है जैसा अब-तक यहाँ कभी नहीं किया गया था। आपने भगतसिंह और अन्य लोगोंके मुकदमेकी सुनवाईमें कानूनकी सामान्य प्रक्रियाको तिलांजलि देते हुए मामलेको जल्दी निबटानेका उपाय ढूंढ़ निकाला और इस तरह कानूनके हकमें होनेवाली जरूरी देरसे नजात पा ली। फिर यदि मैं अधिकारियोंके इन तमाम कार्योंको और जहाँ उन्हें कुछ करना चाहिए वहाँ उनकी अकर्मण्यताको छद्म सैनिक कानून कहता हूँ तो इसमें क्या आश्चर्य? और यह सब इस संघर्षके पाँचवें सप्ताहमें ही किया जा रहा है।

आतंकके शासनका यह पहला ही चरण है और मुझे लगता है कि यदि सारे देशको इसकी चपेटमें आकर तबाह होनेसे बचाना है तो मुझे कोई ज्यादा बड़ा कदम उठाना चाहिए और इस प्रकार यदि सम्भव हो तो आपके क्रोधको ऐसा मोड़ देना चाहिए जिससे भले ही आप और भी कठोरतासे काम लें लेकिन जो-कुछ करें वह साफ ढंगसे करें। मैंने यहाँ जो-कुछ बताया है उससे शायद आप वाकिफ न रहे हों

और हो सकता है कि मेरे बतानेके बाद भी आप इस सबको सच न मानें। लेकिन मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकता हूँ कि इन सब बातोकी ओर आपका ध्यान दिलाकर इन पर आपको गम्भीरतासे विचार करनेकी प्रेरणा दूँ।

जो भी हो, मुझे लगता है कि यदि मै सत्तारूपी सिंहके खूनी पजोको उसकी पूरी भयंकरताके साथ देशके सामने प्रकट कर देनेके लिए आपको आमन्त्रित न करूँ तो यह मेरी कायरता होगी। मैं ऐसा न करूँ तो लोग, जो तरह-तरहकी यातनाएँ सह रहे है और जिनकी जमीन-जायदाद बरबाद की जा रही है, यही मानेंगे कि मैंने, जिसपर उन्हें वह सब करनेको प्रेरित करनेको शायद मुख्य दायित्व है जिसके कारण सरकार अपने असली रूपमें सामने आई है, सत्याग्रह कार्यक्रमको वर्तमान परिस्थितियों में जहाँतक सम्भव था वहाँतक लागू करनेके लिए पूरा प्रयत्न नही किया।

कारण, सत्याग्रह-शास्त्रके अनुसार सत्ताधारी जितना अधिक दमन और कानूनकी अवहेलना करें, जिनपर अत्याचार किया जाये उन्हें उतने ही अधिक कष्टको वरण करना चाहिए। और यदि घोरतम यातनाएँ स्वेच्छासे सही जायें तो सफलता निश्चित है।

मेरे अपनाये तरीकेमें जो खतरे हैं, उनसे मै वाकिफ हूँ। लेकिन देश मेरे मन्तव्यको ठीक-ठीक नही समझेगा, ऐसी आशंका नहीं दिखाई देती। मैं जो करना चाहता हूँ और सोचता हूँ वही कहता हूँ। और मैं भारतमें पन्द्रह वर्षोंसे और उससे पहले भारतके बाहर बीस वर्षों तक जो कहता रहा हूँ और जिसे आज मैं फिर दोहराता हूँ वह यही है कि हिंसाको केवल शुद्ध और स्वच्छ अहिंसासे ही जीता जा सकता है। मैंने यह भी कहा है कि हर हिंसात्मक कार्य, शब्द और यहाँतक कि विचारसे भी अहिंसात्मक प्रयत्नकी प्रगतिके मार्गमें बाधा पडती है। यदि बार-बार ऐसी चेतावनी दिये जानेके बावजूद लोग हिंसा पर उतर आयें तो मै अपने-आपको इसके लिए उससे अधिक जिम्मेदार नही मान सकता जितना कि एक मनुष्य को दूसरे मानव प्राणीके कार्य-व्यवहारके लिए अपनेको अनिवार्यत: जिम्मेदार मानना चाहिए। लेकिन चाहे उसकी जिम्मेदारी मुझपर आये या न आये, यदि अहिंसामें सचमुच वैसी ही शक्ति है जैसी शक्तिका दावा उसके लिए ससार-भरके तत्त्वदर्शियोने किया है और अगर मै इसके प्रयोगके अपने निजी अनुभवोको झूठा साबित न करना चाहता होऊँ तो मैं किसी भी कारणसे इस सघर्षको बन्द करनेकी हिम्मत नही कर सकता।

लेकिन मुझे बडी खुशी होगी, यदि मुझे यह कदम न उठाना पड़े। इसलिए मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस कर को समाप्त कर दें। खुद आपके देशके कई जाने-माने लोगोने भी इस कर की तीव्र निन्दा की है और जैसा कि आपको मालूम ही होगा, इसके खिलाफ सर्वत्र विरोध और क्षोभका वातावरण व्याप्त हो गया है, जो सविनय अवज्ञाके रूपमें प्रकट हो रहा है। आप सविनय अवज्ञाकी चाहे जिस तरह भी निन्दा कर ले, लेकिन क्या आप इसके मुकाबले सशस्त्र विद्रोहको ज्यादा पसन्द करेंगे? उत्तरमें अगर आप यह कहते है, जैसा कि आपने कहा भी है, कि

सविनय अवज्ञाका अन्त हिंसाके रूपमें ही होगा तो इतिहासका फतवा यह होगा कि ब्रिटिश सरकार चूँकि अहिंसाको समझती नही थी इसलिए वह उसे बरदाश्त नही कर सकी और परिणामतः लोगोंको हिंसाके लिए उकसाया, क्योंकि हिंसाको वह समझती थी और इसलिए उससे निबट सकती थी। लेकिन मै तो यही आशा रखूंगा कि आपके उकसाने-भड़कानेके बावजूद ईश्वर भारतके लोगोंको ऐसी शक्ति देगा जिससे हिंसात्मक तरीका अपनानेके तमाम प्रलोभन और उत्तेजनाएँ उनपर बेकार साबित होंगी।

इसलिए अगर आपसे नमक-कर को समाप्त करते और निजी तौरपर नमक बनाने पर लगे प्रतिबन्धोंको हटाते नहीं बना तो मुझे लाचार होकर वह कूच आरम्भ कर ही देनी होगी जिसका उल्लेख मैंने पत्रके प्रारम्भिक अनुच्छेदमें किया है।

आपका सच्चा मित्र,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ८-५-१९३०

३९४. पत्र : डा० सैयद महमूदको

डाकघर — जलालपुर
४ मई, १९३०

प्रिय डॉ० महमूद,

ऐसी साफगोईके साथ लिखी आपकी चिट्ठी पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई। निराशा तभी होती जब आपने अपना विचार छिपाया होता।

मैं अपना अपराध स्वीकार नहीं करता। मैंने उदासीनता नही बरती। मुझसे मिलने आनेवाले एक-एक मुसलमानका मैंने पूरा-पूरा खयाल रखा। उनमें से कई मुलाकातियोंके साथ मैने घंटों बिताये। यह कोई प्रदर्शनकी चीज नही है। मैंने तो वही किया जो मैं अपनी आदतके अनुसार हमेशा करता हूँ। उसमें कोई खास बात नही थी। लेकिन आपके साथ मैंने कोई शिष्टाचार नही बरता। मुझे लगा कि आपकी ओर खास ध्यान देनेकी मुझे क्या जरूरत है। मैं यह उम्मीद रखता था कि जिस किसी मुद्देमें आलोचना या परिवर्तनकी गुंजाइश होगी, उसके सम्बन्धमें तो आप मुझसे बात करेंगे ही। आपको शायद मालूम नही कि जो लोग मुझे जानते हैं और जिनको मैं जानता हूँ तथा जिनके साथ काम करता हूँ उनकी ओर मैं बहुत अधिक ध्यान नही देता। मेरे सामने जो काम है, उसे किसी और तरीकेसे मैं निबटा भी नहीं सकता। पता नहीं, मेरी बात आपकी समझमें आई या नही और आपको अब भी तसल्ली हुई या नहीं। अगर न हुई हो तो कृपया मुझे फिर लिखें।

आपने एक अपील भेजनेकी बात कही थी, जो अभी तक नहीं मिली। लेकिन मैंने उसका उल्लेख अवश्य देखा है। फिर भी, मैं कोई फार्मूला तैयार कर रहा हूँ और अगर तैयार कर पाया तो उसे 'यंग इंडिया' में प्रकाशित कर दूंगा।

कार्य-समितिकी[1] बैठकके दौरान आपसे मिलनेकी आशा रखता हूँ, बशर्ते कि मैं तबतक गिरफ्तार न हुआ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[पुनश्च :]

इस पत्रको मैंने तीन जगहोंमें लिखकर पूरा किया है — कैम्पमें, रेलगाड़ीमें और फिर सूरतमें।

अंग्रेजी (जी० एन० ५०८२) की फोटो-नकलसे।

३९५. पत्र : पद्मावतीको

४ मई, १९३०

चि० पद्मावती,

तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे साथ हुई बातचीत मुझे अच्छी तरह याद है। ली हुई प्रतिज्ञाका पालन करना। वहाँके कार्यमें खूब व्यस्त हो जाना। निर्भय हो बाहर निकलना, तभी और बहनें भी निकलेंगी। गुजराती, मद्रासी आदिका भेद भूल जाना और द्रौपदीके समान ईश्वर पर विश्वास रखकर भय-मात्रको त्याग देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४५८७) की फोटो-नकलसे।

१. कांग्रेसकी कार्य-समिति; देखिए "तार : मोतीलाल नेहरूको", ४-५-१९३०।

. . .

३९६. भेंट : जे० बी० कृपलानीको[1]

४ मई, १९३०

महात्माजी ने कहा कि आज जो स्थिति सामने आई है, उसका अनुमान मैंने पहले ही लगा लिया था। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे सहायक मुझसे अलग कर दिये जायेंगे और यह देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि नौजवानोंका जोश पहलेकी ही तरह कायम है और वे ज्यादा काम करनेको आकुल हैं। लेकिन मुझे इस बातकी बड़ी फिक्र है कि इस शक्तिका उपयोग रचनात्मक कार्यके लिए किया जाये। यदि सरकार स्वयंसेवकोंको गिरफ्तार नहीं करती तो मुझे लगता है कि उन्हें रचनात्मक कार्यों — जैसे कि अधिक सूत तैयार करने और चरखा तथा तकलीको लोकप्रिय बनानेके लिए विस्तृत प्रचार-कार्य — में लग जाना चाहिए। मैं यह भी चाहता हूँ कि वे शिविर-जीवन जीना और सिपाहियोंकी तरह रहना सीखें। सिपाही सफाईका काम खुद करते हैं, अपने जूतों पर खुद पालिश करते हैं, कृत्रिम युद्धका अभ्यास करते हैं और लाभदायक खेलकूदमें भाग लेते हैं। स्वयंसेवकोंको भी ऐसा ही करना चाहिए। उन्हें कवायदकी उपेक्षा तो कभी नहीं करनी चाहिए। अनुशासनका मतलब होगा आधी लड़ाई जीत लेना।

महात्माजी का खयाल था कि सरकारकी चाल यह है कि साधारण अवज्ञाकारियोंको गिरफ्तार न करके वे जो-कुछ कर रहे हैं, उन्हें वह-सब तबतक करने दिया जाये जबतक कि वे थक न जायें। स्वयंसेवकोंको धीरजसे काम लेना चाहिए, अन्यथा सरकारकी चाल सफल हो जायेगी। राष्ट्रीय पुर्नानर्माणके हर क्षेत्रमें — जैसे खादी-उत्पादनके क्षेत्रमें, जो बहिष्कारके फलस्वरूप होनेवाले कपड़ेकी कमीके कारण और अधिक जरूरी होगा — काम करते जायें। उन्हें मद्य-निषेधके गहन कार्यक्रमको सफल बनानेके लिए भी जुटकर काम करना चाहिए। इसके लिए उन्हें प्रचार करना चाहिए, धरना देना चाहिए और खजूरके पेड़ोंको काट गिराना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि यह सब केवल औरतें ही करें — विशेषकर बिहार और संयुक्त प्रान्तमें, जहाँ इस कामको करनेवाली स्त्रियोंकी संख्या बहुत कम है। ऐसे प्रान्तोंमें पुरुषोंको स्त्रियोंकी मदद करनी चाहिए। इन प्रान्तोंमें पुरुषोंको ही पहल करनी चाहिए।

. . . महात्माजी का यह भी खयाल था कि जहाँ-कहीं ऐसी सुविधा हो, वहाँ लोगोंको दूसरे कानून भी तोड़ने चाहिए। मगर नमक-कानूनको तो हर हालतमें तोड़ना

१. जे० बी० कृपलानी गांधीजी की गिरफ्तारीसे कुछ ही घंटे पहले उनसे मिले थे। यह उनके साथ हुई गांधीजी की बातचीतके एक विवरणपर आधारित है।

ही हैं। महात्माजी का खयाल था कि दूसरे कानूनोंको तोड़नेका काम विशेषकर उन प्रान्तोंमें करना चाहिए जहाँ नमक बनाना आर्थिक दृष्टिसे लाभकर नहीं है या जहाँ नमक बनानेकी सुविधा ही नहीं है। इस सम्बन्धमें महात्माजी के मनमें बिहारका चौकीदारी-कर और मध्य प्रान्तके जंगल-कानून थे।

महात्माजी का यह भी विचार था कि धरासणामें की जानेवाली कार्रवाई बहुत-से स्वयंसेवकोंको खपा लेगी, क्योंकि अगर सरकारने "आक्रमणकारियों" को गिरफ्तार किया तो वहाँ देशके दूसरे हिस्सोंसे भी स्वयंसेवकोंकी जरूरत हो सकती है। उन्होंने कहा कि धरासणा गुरुका दूसरा बाग साबित हो सकता है। मुझे लगता है, वह स्थिति आ गई है कि रचनात्मक कार्य कर सकनेवाले लोगोंके लिए जेल जानेकी आवश्यकता नहीं रह गई है। यदि वर्तमान उत्साहका उपयोग देशके स्थायी लाभके लिए करना हो तो उस उत्साहको रचनात्मक दिशामें उसी प्रकार मोड़ देना चाहिए जिस प्रकार डाइनमोके जरिये विद्युत्प्रवाहको इच्छित दिशा दी जाती है।

धरना देनेके सवालके बारेमें आचार्य कृपलानीने कहा कि मैंने उनको ऐसी दुकानोंपर धरना देनेका अपना अनुभव बताया जहाँ विदेशी और स्वदेशी दोनों तरहके कपड़े बिकते हैं। बहुत-से व्यापारी खद्दर बताकर बाजारमें मिलके कपड़ोंकी भरमार कर रहे हैं। इसके उत्तरमें महात्माजीने कहा कि मैं जानता था कि धरना देना पूरी तरहसे कारगर साबित नहीं होगा, लेकिन स्वदेशीके लिए वातावरण तैयार करना आवश्यक है और स्वदेशी तो बहुत बड़े पैमानेपर खादीके उत्पादनसे ही सम्भव है। इसमें मिल-एजेंट भी मदद कर सकते हैं। इसका तरीका यह है कि वे राजनीतिक कार्यकर्त्ताओंके साथ सहयोग करें और एक खास अंकसे कम अंकोंके सूतका कपड़ा न बनायें तथा इस प्रकार हाथ-कताईको प्रोत्साहन दें।

महात्माजी ने कहा कि मैंने इस सम्बन्धमें सेठ अम्बालाल साराभाई और श्री बिड़लासे कई बार बातचीत की है। श्री बिड़लाने मेरा दृष्टिकोण समझ लिया है और मारवाड़में अपने गाँवके पास अपनी देख-रेखमें एक खादी-संगठन खोलनेका निश्चय किया है। सेठ अम्बालालने भी मेरा दृष्टिकोण लगभग समझ लिया। लेकिन लगता है अन्य मिल-मालिक मेरा उपयोग केवल अपने विज्ञापन एजेंटकी तरह करना चाहते हैं। मुझे ऐसी आशंका है कि यदि व्यापक पैमाने पर तत्काल हाथ-कताई शुरू नहीं हुई तो खादीके पर्याप्त उत्पादनके अभावमें स्वदेशी आन्दोलन विफल हो जायेगा और व्यापारियोंके लिए जनताको ठगना सम्भव होगा। जब जनता एक बार यह जान लेगी कि वह सन्देहास्पद मालके लिए ऊँची कीमतें दे रही है तो राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओंपर से उसका विश्वास इस तरह उठ जायेगा कि वह फिर कभी उनकी बात नहीं सुनेगी, बल्कि उनका विरोध भी करने लगेगी। इसलिए मिल-मालिकोंके लिए लंकाशायर और जापानका मुकाबला करनेका एकमात्र उपाय यही है कि वे एक खास

अंकसे कम अंकोंके सूतसे कपड़ा बुनना बन्द करके राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओंके साथ सहयोग करें और इतनी ही महत्त्वपूर्ण यह बात भी है कि वे कीमतोंपर नियन्त्रण रखें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १४-५-१९३०

३९७. भाषण: सूरतमें

४ मई, १९३०

हम अपना व्रत अपनी बौद्धिक क्षमताके बलपर नहीं निभा सकते।[1] उसके लिए सम्पूर्ण हृदय-परिवर्तन और ईश्वरमें आस्था आवश्यक है। यही आस्था हमें अपने व्रतका निर्वाह करनेके लिए आवश्यक शक्ति दे सकती है। हम पुरुष तो मद्य-निषेध आन्दोलनमें विफल हो गये हैं। इसलिए अब मैंने स्त्रियोंसे इसमें सहायता देनेको कहा है। अगर कोई शराबियोंके हृदयको पिघला सकता है तो वह स्त्री ही है। मैंने आबकारी विभागके मन्त्रियोंसे अक्सर शराबका व्यापार बन्द करनेको कहा है। उनका उत्तर यह होता है कि तो फिर राजस्वका कोई नया स्रोत बताइए। मैं उनसे बच्चोंको शिक्षा देना बन्द करनेको कहता हूँ तो यह सुझाव माननेको वे तैयार नहीं होते। यदि स्वराज्यके अन्तर्गत हम शराबका व्यापार करेंगे तो हमारे राष्ट्राध्यक्षको भी आगे चलकर ऐसी ही समस्याका सामना करना पड़ेगा। हम अमरीकियोंकी तरह साहसी और उद्यमी भी नहीं हैं। वे लोग अमेरिकामें नशाबन्दीका काम सफलतापूर्वक चला रहे हैं। हमारा पौरुष चुक गया है और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले इस समस्याका हल निकालिए।

यह समय इस कामके लिए सबसे अधिक उपयुक्त और शुभ है। मैं आपसे पूरे आग्रहके साथ अनुरोध करता हूँ कि आपने जो प्रतिज्ञा ली है, उसका आप पालन करें। मुझे धोखा न दें। अगर आप मद्यपान न छोड़ सकते हों तो मुझे साफ-साफ वैसा बतायें। मैं उसके लिए भी आपको बधाई दूँगा। खुद मेरा लड़का ईमान-दारीके साथ यह कहता है कि उससे शराब छोड़ते नहीं बनता और मैं उसकी इस सत्यवादिताके लिए उसे बधाई देता हूँ। इसी तरह आपको भी सत्यवादितासे काम लेना चाहिए ताकि स्थितिका अनुमान लगानेमें मुझसे गलती न हो। मेरे लड़के और मद्यपान छोड़नेमें असमर्थ आप लोगोंकी सहायता भगवान् ही करेगा। अगर आप मुझे धोखा देते हैं तो उसका मतलब यह होगा कि आप अपने समाज और देशको धोखा दे रहे हैं।

१. सूरत नगरकी पंचायतोंने अपने-अपने समाजके लोगोंसे मद्यपान छोड़ देनेका अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पास किये थे।

कुछ स्थानोंमें धरना देनेवाली कतिपय महिलाओंके अपमानित किये जानेकी चर्चा करते हुए गांधीजी ने कहा कि यदि लोग उन्हें मर्दोंके लिए काम करनेवाला निम्नतर कोटिका प्राणी न समझते और वासनाकी पूर्तिका साधन-मात्र न मानते होते तो कोई भी उन महिलाओंका स्पर्श करनेकी हिम्मत न करता।

लेकिन वे यदि उन महिलाओंपर पत्थर बरसायेंगे तब भी वे धरना देती ही रहेंगी। 'पुसीफुट' को अमेरिकामें मद्य-निषेध करानेके लिए अपनी आँखसे हाथ धोना पड़ा, लेकिन तब भी उसने प्रयत्न करना नहीं छोड़ा। भारतकी महिलाओंके साथ किये गये एक-एक अपमानके लिए भारतको जवाबदेह होना पड़ेगा। यह मेरी आखिरी बाजी है और मैं अपना सब-कुछ दाँवपर लगा देनेको तैयार हूँ। लेकिन यह सब मैं भारतकी मुक्तिके लिए कर रहा हूँ। अगर एक भी जिला तैयार हो तो हमें स्वराज्य मिलकर रहेगा। आपको स्वयंको शुद्ध बनाना चाहिए; आपको उद्यमी होना चाहिए। स्वराज्य-प्राप्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ६-५-१९३०

३९८. अल्पसंख्यकोंकी समस्या

[५ मई, १९३० के पूर्व][1]

पण्डित जवाहरलाल नेहरूने १६ मार्चको महादेव देसाईको निम्नलिखित पत्र[2] भेजा है। महादेव देसाई बहुत व्यस्त थे, इसलिए वे इस सम्बन्धमें कार्रवाई नहीं कर सके। अब वह पत्र मुझे भेज दिया गया है और अल्पसंख्यकोंके उलझे हुए सवाल पर मैं अध्यक्षके विचार जनताके सामने बेहिचक पेश कर रहा हूँ। अब चूँकि वे जेल चले गये हैं, इसलिए उनके इन विचारोंका महत्त्व और भी बढ़ गया है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-५-१९३०

१. यह स्पष्टतः ५ मईको गांधीजी की गिरफ्तारीके पूर्व लिखा गया था।

२. देखिए परिशिष्ट-३।

३९९. टिप्पणी : जे० बी० पेनिंगटनके पत्रपर[1]

[५ मई, १९३० के पूर्व]

मुझ-जैसे अनुभवी व्यक्तिके मनपर श्री पेनिंगटनके पत्रका कोई असर नही हो सकता। अनुभवकी कोई बात किये बिना दलीलोंका पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। स्वर्गीय सर टी० महादेव रावके प्रति मेरे मनमें बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं विनम्रता-पूर्वक कहूँगा कि ब्रिटिश शासनकी उन्होंने जो प्रशस्ति की है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। किसी समय मेरे विचार भी इन दिवंगत राजनयिकके विचारोंके ही समान थे। लेकिन कटु अनुभवोंने मुझे वास्तविकताका बोध करा दिया। श्री पेनिंगटन द्वारा दी गई एक-एक दलीलका जवाब इन पृष्ठोंमें दिया जा चुका है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-५-१९३०

४००. पत्र : बम्बईकी सत्याग्रह-समितिको

[५ मई, १९३० के पूर्व]

बहुत-से बम्बई-निवासी मित्र मुझसे मिलने आये हैं और यह मानते हुए कि धरासणापर हम निश्चित रूपसे 'आक्रमण' करनेवाले हैं, मुझसे कहा है कि मैं आक्रमणकारी-दल कराड़ीके बजाय बम्बईसे लेकर चलूँ। यदि कुछ प्रारम्भिक शर्तें पूरी हो जायें तो उस आक्रमणका नेतृत्व करनेमें मैं अपना गौरव और सौभाग्य मानूँगा। देखता हूँ, इस आक्रमणकी योजनाके सम्बन्धमें बहुत-सी गलत धारणाएँ फैली हुई हैं। इन गलतफहमियोंका कारण 'आक्रमण' (रेड) शब्दका प्रयोग है। बात यह है कि गुजरातमें तो मैं अपने सभी भाषण गुजरातीमें ही देता रहा हूँ। इसलिए 'रेड' शब्दका प्रयोग मैंने नहीं किया। लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह ठीक अनुवाद है। लेकिन मेरे श्रोताओंको मालूम था कि मूल शब्द 'धाड़' था और इसका उपयोग मैंने धरासणाके 'धार' अंशके साथ तुक मिलानेके लिए कौतुकवश किया था। इसे सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, अहिंसक लड़ाईके लिए भी सैनिक शब्दावलीका प्रयोग करना ही पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार ऐसे शब्दोंके प्रयोगसे किसीके मनमें कोई भ्रम पैदा नहीं होता, उसी प्रकार यदि 'आक्रमण'को विनयपूर्ण अहिंसक या सत्याग्रही होना हो तो इस शब्दके प्रयोगसे किसीको परेशान होनेकी जरूरत नही है। उस महत्त्वपूर्ण विशेषणके प्रयोगसे सारी योजनाका रूप ही

१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

बदल जाता है, लेकिन यह आक्रमण चाहे जितना निर्दोष हो, यदि सचमुच आक्रमण किया गया तो वह हिंसक आक्रमणके परिणामोंसे भी अधिक गम्भीर परिणामोकी सम्भावनासे आपूरित होगा। इसलिए इस प्रस्तावित आक्रमणमें शामिल होनेकी इच्छा रखनेवालों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी और चूंकि इस सघर्षका उद्देश्य केवल नमक-कर की समाप्ति नही, बल्कि पूर्ण स्वराज्यकी स्थापना है, इसलिए शर्तें उसी उद्देश्यके अनुकूल होनी हैं। वे तीन शर्तें इस प्रकार हैं: १. पूर्ण अनुशासनका पालन। २. मद्यपानका पूर्ण त्याग और कभी भी मद्यका स्पर्श न करनेकी स्थायी प्रतिज्ञा लेना। ३. हाथ-कते सूतसे बुनी खादीके प्रयोगके लिए भी स्थायी प्रतिज्ञा लेना और सिवा उस स्थितिके जब कि कोई समयाभाव अथवा शारीरिक अक्षमताके कारण कातनेमें असमर्थ हो, प्रतिदिन कमसे-कम एक घटे तकलीपर सूत कातना। यदि बम्बईमें ऐसे एक लाख व्यक्ति भी हो तो मुझे उनका नेतृत्व करनेमें कोई हिचक नही होगी। मै जानता हूँ कि बम्बईके नागरिक मेरी इन शर्तोंपर हँसेगे नही और न वे इन्हें पूरा करना असम्भव ही मानेंगे। उन्हें यदि कोई कठिनाई हो सकती है तो सिर्फ तकलीके सम्बन्धमें हो सकती है। निश्चय ही यदि बम्बईके एक लाख लोगोमें कातने-की सच्ची इच्छा उत्पन्न हो जाये तो तकलीपर कातना तो बच्चोके खेलके समान आसान है। बम्बईके आरामतलब नागरिकोंको प्रतिदिन नियमित रूपसे काम करना शायद कठिन मालूम पड़ सकता है, लेकिन तब यह भी सच है कि आजादीकी लड़ाई कभी भी आरामतलब लोगोने नही जीती। मैंने ऐसी शर्तें रखी हैं, इसपर किसीको मुझसे चिढ़नेकी जरूरत नही है, क्योकि ये शर्तें किसी भी तरह बन्धनकारी तो नही हैं। ये तो एक ऐसे अनुबन्धकी शर्तोंके रूपमें विचारार्थ ही पेश की गई है, जिस अनुबन्धमें शामिल होना या न होना लोगोकी मर्जीपर निर्भर है। बम्बईके लोग चाहें तो मेरी शर्तोंको अस्वीकार करके अपनी इच्छानुसार बरतनेको स्वतन्त्र है। इन शर्तोंको अस्वीकार कर देनेसे वे आजकी अपेक्षा कुछ कम कांग्रेसी बन जायेंगे, ऐसी बात भी नही है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ५-५-१९३०

४०१. मध्यरात्रिमें गिरफ्तारी

कराड़ी
५ मई, १९३०

मजिस्ट्रेटने गांधीजी की झोंपड़ीमें पहुँचकर उन्हें जगाया।[1] उसने कहा: "मैं आपकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया हूँ।" इसपर गांधीजी ने विनम्रतापूर्वक कहा:

मुझे इसका कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन क्या आप वारंट पढ़कर मुझे सुनायेंगे?

मजिस्ट्रेटने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और वारंट पढ़कर सुनाया। वह बम्बईके गवर्नर सर फ्रेड्रिक साइक्सके हस्ताक्षरसे जारी किया गया था। वारंट इस प्रकार था:

"चूंकि सरकार श्री मो० क० गांधीकी गति-विधियोंको बड़ी चिन्ताकी दृष्टिसे देखती है, इसलिए उसका निर्देश है कि १८२७के विनियम २५के अधीन उनपर रोक लगाई जाये और जबतक सरकार उचित समझे तबतक उन्हें कैदमें रखा जाये तथा उन्हें तत्काल यरवडा केन्द्रीय जेलमें भेज दिया जाये।"

जब वारंट पढ़ा जा रहा था तो गांधीजी मुसकरा रहे थे। उन्होंने पूछा:

मैं आपके साथ चलनेको तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुझे हाथ-मुँह धो लेनेकी इजाजत देंगे?

मजिस्ट्रेटने कहा: 'बेशक।'

इस बीच आश्रमके सभी लोग जाग चुके थे। सभी विदाईके समय गांधीजी के दर्शन करनेको उत्सुक थे। गांधीजी प्रार्थना करनेके लिए अपनी झोंपड़ीसे बाहर आये। सभी आश्रमवासी प्रार्थना करनेके लिए घुटनोंके बल बैठ गये और पुलिस-अधिकारी उनकी निगरानी करते रहे। प्रार्थना गांधीजी ने स्वयं कराई; इसके बाद उन्होंने अपने कागजात इकट्ठा करके एक स्वयंसेवकके सुपुर्द कर दिये। इसी स्वयंसेवकको उन्होंने अपने कारावास-कालके लिए नायक चुना था।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ६-५-१९३०

१. पुलिस सुपरिंटेंडेंट और २० सशस्त्र सिपाहियोंके साथ मजिस्ट्रेट १२-४५ पर गांधीजी के शिविरमें पहुँचा। उस समय वे सो रहे थे।

४०२. भेंट: 'डेली टेलीग्राफ' के प्रतिनिधिको[1]

बोरीवली
५ मई, १९३०

मुझे और मेरे साथीको देखकर गांधीजी के चेहरेपर आश्चर्यका भाव उमड़ आया जान पड़ा, क्योंकि वे हम दोनोंको पहलेसे जानते थे। उन्होंने अत्यन्त सौहार्द-पूर्वक हमारा स्वागत किया।

मैंने पूछा: "श्री गांधी, क्या आप कोई विदाई-सन्देश देना चाहेंगे?" उनका उत्तर था:

अभी दूं या कुछ समय बाद?

मैंने कहा: "अभी दें तो अच्छा रहे।"

वे कुछ देर चुपचाप सोचते रहे। ऐसा जान पड़ा कि घटना-क्रमसे वे कुछ स्तम्भित हो गये हैं और अपनी बात कहनेको उन्हें ठीक शब्द नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कुछ देर रुककर उन्होंने कहा:

आप अमेरिकाके लोगोंसे कहें कि वे इस संघर्षसे सम्बन्धित सवालोंका निकटसे अध्ययन करें और उनके गुण-दोषोंके आधारपर ही उनके विषयमें कोई राय कायम करें।

मैंने पूछा: "आपके मनमें किसीके प्रति कोई कटुता या दुर्भावना तो नहीं है?"

नहीं, किसीके प्रति नहीं। गिरफ्तारीका इन्तजार तो मैं बहुत पहलेसे ही कर रहा था।

क्या आप ऐसा मानते हैं कि आपकी गिरफ्तारीसे भारत-भरमें काफी उपद्रव होंगे?

नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझता। जो भी हो, इतना तो मैं ईमानदारीसे कह सकता हूँ कि उपद्रवोंको रोकनेके लिए मैंने हर सम्भव पूर्वोपाय किया है।

तो आपको किसी उपद्रवकी आशंका नहीं है?

यह सवाल सुनकर महात्माजी कुछ क्षण संकोच-विकोचमें पड़े रहे और फिर उन्होंने उत्तर दिया:

उम्मीद तो यही करता हूँ कि उपद्रव नहीं होंगे। मैंने उन्हें रोकनेकी भरसक व्यवस्था की है।

१. गांधीजी को रेलगाड़ीमें बैठाकर बोरीवली ले जाया गया और वहाँसे मोटर गाड़ीमें यरवडा। देखिए परिशिष्ट-४।

हमारी इतनी ही बातचीत हो पाई थी कि बीचमें कानूनी कारंवाईकी अड़चन आ पड़ी। इन्स्पेक्टर गार्डनने कहा: "श्री गांधी, अब अगर आप तैयार हों तो कृपया चलें।" रेलगाड़ीमें गांधीजी के साथ केवल एक ही सज्जन आये। वे थे भारतीय चिकित्सा-सेवाके एक डाक्टर। वे बराबर एक मूक दर्शककी भाँति चुप रहे। अब वे महात्माजी की बगलमें बैठ गये और इन्स्पेक्टर गार्डन शोफरकी बगलमें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २७-५-१९३०

४०३. पत्र: ई० ई० डॉयलको[1]

यरवडा

१० मई, १९३०

प्रिय मेजर डॉयल,

हमारे बीच हुई बातचीतपर विचार करनेके बाद मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि सरकार मुझे जो विशेष सुविधाएँ देनेको तैयार है, उनका लाभ मुझे यथासम्भव नही लेना चाहिए।

मैं सरकारकी मार्फत कितावें और अखवार लेना नही चाहता। अगर मुझे इजाजत मिली तो अखबारोंमें से तो मैं निम्नलिखित मँगवाऊँगा:

'बॉम्बे क्रॉनिकल',
'टाइम्स ऑफ इंडिया',
'इंडियन सोशल रिफॉर्मर',
'मॉडर्न रिव्यू',
'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' (हिन्दी तथा गुजराती)

अगर ये पत्र-पत्रिकाएँ मँगानेकी इजाजत दी जाती है तो मैं यह माने लेता हूँ कि उनमें कोई कतर-ब्योंत नही की जायेगी।

सरकारने १०० रुपये मासिक भत्ता देनेकी बात कही है। मुझे उम्मीद है कि मुझे इतने पैसोंकी जरूरत नही होगी। मैं जानता हूँ कि मेरा आहार व्ययसाध्य है। इस वातका मुझे दुःख है, लेकिन अब तो यह मेरे शरीरके लिए आवश्यक हो गया है।

मैं जो इन सारी सुविधाओंको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए, मुझे उम्मीद है, सरकार या आप मुझको कृतघ्न न मानेंगे। मेरे मनपर तो यह चीज (अगर ऐसा कहा जा सकता हो तो कहिए) एक भूतकी तरह छाई हुई है कि हम सब करोड़ों मेहनतकश लोगोंको चूसकर सुखका जीवन जी रहे है। मैं यह भी जानता हूँ कि मेरी मितव्ययितासे होनेवाली बचत, मैं अपने चारों ओर जो फिजूलखर्ची और

१. डॉयलने इसका पाठ १२ मईको गृह-विभागको भेज दिया था।

बरबादी होते देख रहा हूँ — चाहे वह जेलमें हो या जेलके बाहर — और बाहर तो और भी अधिक हो रही है, उस विशाल समुद्रमें बूँदके समान है। लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मनुष्यके बूतेका तो बहुत थोड़ा करता ही है। मगर उस थोड़ेकी उपेक्षा उसे हरगिज न करनी चाहिए।

इसके अलावा जेलमें किये जानेवाले व्यवहारके सम्बन्धमें भी मेरे विचार बड़े तीव्र हैं।

हालमें कैदियोंका जो वर्गीकरण किया गया है, वह मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैं मानता हूँ कि किसी हत्यारेको अपनी आवश्यकताएँ पूरी करवानेका उतना ही हक है जितना किसी अन्य कैदीको। इसलिए जरूरत यान्त्रिक ढंगकी कामचलाऊ व्यवस्थाकी नहीं, बल्कि इस समस्याको मानवीय दृष्टिसे हल करनेकी है।

एक बात मुझे अवश्य कह देनी चाहिए। इस जेलमें जो सत्याग्रही कैदी हैं, मुझे उनसे सम्पर्क स्थापित करनेकी जरूरत महसूस होती है। मुझे उनसे अलग रखना बिलकुल अनावश्यक और क्रूरतापूर्ण है।

भवदीय,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स, ७५० (५) – ए; तथा एस० एन० १६९७१ से भी।

४०४. पत्र : मीराबहनको[1]

यरवडा
१२ मई, १९३०

चि० मीरा,

जेलसे सबसे पहले तुम्हींको पत्र लिख रहा हूँ और वह भी मौनवारको।

मैं बिलकुल स्वस्थ सानन्द हूँ। बहुत दिनोंसे आराम नहीं मिला था, सो अब खूब आराम कर रहा हूँ। यहाँकी रातें ठंडी होती हैं और मुझे खुलेमें रखा जाता है। इसलिए नींद अच्छी आती है और उठनेपर खूब ताजगी महसूस होती है। भोजन-पद्धतिमें जो परिवर्तन किया है, उसकी जानकारी तुम्हें सबके नाम लिखे सामान्य पत्रसे मिल जायेगी।

चरखा इतनी समझदारीसे और उसके साथकी चीजें इतनी सावधानीसे बाँधकर भेजी गई हैं कि उसे देखकर तबीयत खुश हो गई। जेल-अधीक्षकने बताया है कि धुनकी तो, जो भाई उसे यहाँ ला रहे थे, उन्होंने रास्तेमें ही खो दी। लेकिन अभी मुझे उसकी जल्दी भी नहीं है। तुमने खूब-सारी पूनियाँ भेज दी हैं।

१. यह पत्र वास्तवमें १६ मईको डाकमें डाला गया था; देखिए "पत्र : मीराबहनको", १८-५-१९३०।

पता नही, पुस्तकें मुझे किसने भेजीं। ये तो वे नही हैं जिन्हें मैं चाहता था। इन पुस्तकोंको तो वापस पुस्तकालयमें भेजना था। मुझे जो पुस्तकें भेजनी थीं, उनकी सूची मैंने गिरफ्तार होनेपर कुसुमको दे दी थी। लेकिन लगता है, कौन-सी पुस्तकें भेजनी हैं, यह हिदायत किसीको दिये बिना वह आश्रमसे चली गई या अगर उसने हिदायत दी तो गलत दी। फिर भी, इस भूलके कारण मुझे कोई खास कठिनाई नही हो रही है, क्योंकि अभी मुझे उनकी कमी नही खलती। इस समय तो मैं जितना भी समय हो सकता है उतना तकलीको दे रहा हूँ। देखता हूँ, उसमें तो मेरी कोई गति ही नहीं है। घंटे-भरमें मुश्किलसे ३० तार निकाल पाता हूँ। पहले दिन तो मैंने सात घंटे लगाये और इतने समयमें कुल १६० तार ही निकाल पाया। और इतना करते-करते मैं थककर चूर हो गया। मुझे अधिक गति पानेकी युक्ति सीखनी है। इसलिए मुझे पुस्तकें पानेकी जल्दी नही है।

आशा है, तुम्हें माताजी से उनके स्वास्थ्य और दूसरी बातोंके बारेमें शुभ समाचार मिले ही होंगे।

जेल-अधिकारी बड़े भले हैं और मेरा खूब खयाल रखते हैं।

सस्नेह,

बापू

[पुनश्च :]

लगता है, मुझे आश्रमसे डाक प्राप्त करनेकी सुविधा दी जायेगी। इसलिए तुम आश्रमकी डाकके साथ हर हफ्ते एक पत्र भेज सकती हो।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३९५) से; सौजन्य : मीराबहन; जी० एन० ९६२९ से भी।

४०५. पत्र : नारणदास गांधीको

[१२ मई, १९३०][1]

चि० नारणदास,

यह पत्र सबको पढ़वा देना ताकि मुझे एक ही चीज बार-बार न लिखनी पड़े।

बहुत करके मैं हर सप्ताह एक पत्र लिख सकूँगा और तुम मुझे उत्तर लिख सकोगे।

मेरी तबीयत ठीक रहती है। यहाँ आश्रमके नियमानुसार ही सवेरे उठता और नित्य-कर्म आदि करता हूँ। चूंकि बिजली है इसलिए 'गीता' के अध्यायका पाठ भी नियमपूर्वक करता हूँ। मैं आजकल बहुत दिनोंकी थकान उतार रहा हूँ इसलिए दिनमें करीब दो-तीन घंटे सोता हूँ। सामान्यतः मैं सवेरे आठ बजेके करीब और दोपहरको बारह बजेके आसपास सोता हूँ। कूचमें नारंगीको छुट्टी दे दी थी, उसे फिरसे लेना शुरू कर दिया है। पहले दिन ठण्डा दूध लिया था इसलिए अभी तक

१. तारीख बापुना पत्रो–९ : श्री नारणदास गांधीने, भाग १ से ली गई है।

तो ठण्डा दूध ही लेता हूँ। लगभग तीन सेर दूध पीता हूँ। कुछ कम करना पड़ेगा; अथवा दही बना लूँगा। सवेरे भी गरम पानी पीनेके बदले ठण्डा पानी पी लेता हूँ। यह तो प्रयोगके लिए है। जेल-अधिकारियोंने पानी गरम करनेकी पूरी सुविधा दे रखी है। लेकिन यदि ठण्डे पानीसे शरीर अच्छा रहे तो गरम पानीकी झंझटमें क्यों पड़ा जाये? शहद छोड़ दिया है। नहाना भी मैंने ठण्डे पानीसे शुरू कर दिया था; परन्तु कलसे गरम पानीसे नहानेका निश्चय किया है। बकरीको मेरे सामने लाकर उसका दूध दुहा जाता है इससे दूधकी स्वच्छताके बारेमें कुछ कहनेकी गुंजाइश नही रह जाती। ठण्डे दूधसे काम नहीं चलेगा तो अवश्य ही गरम दूध लेने लगूँगा। बर्तन आदि साफ करनेके लिए मुझे एक व्यक्ति दिया गया है। खजूर और मुनक्का तो खुराकमें हैं ही। मेरी खुराकके बारेमें किसीको चिन्ता करनेका कोई कारण नही है। जमनाबहन आदिको लिख देना कि मुझे फलादि भेजनेकी कतई जरूरत नहीं है; वे यह सब भेजनेके झमेलेमें न पड़ें। यदि जरूरत हुई तो यहींसे मिल जायेंगे। अनसूयाबहनसे कहना कि यहाँ पहलेकी तरह कोई पैसे न दे। उसकी कोई जरूरत नही है। हमारे पास किसी वस्तुकी अनावश्यक सँभाल करनेका समय नहीं है और न होना चाहिए। अनावश्यक खर्च करनेके लिए पैसा नही है, न होना ही चाहिए।

यहाँकी हवा अच्छी मानी जाती है। मुझे वहाँकी तरह यहाँ भी खुले आकाशके नीचे सोनेको मिलता है।

कातनेका काम तो नियमपूर्वक चलता ही है। मैं रोज जितना कातता हूँ उसकी आँटी बना लेता हूँ। मुझे 'वणाटशास्त्र' और 'तकली-शिक्षक' ये दोनो पुस्तकें अन्य पुस्तकोंके साथ भेजना। मैंने आश्रमसे बाहर तकलीपर अपनी गतिकी जाँच कभी नहीं की, यहाँ करनेपर पता चला कि एक घंटेमें मुश्किलसे ३० तार होते हैं। मुझे अपनी इस गतिपर शर्म आनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ, मैंने काता तो जरूर लेकिन उसकी कलाको नही जाना। अब तो प्रयोगके द्वारा ही उस कलाको जानूँगा। इसलिए उसे जितना चाहिए उतना समय देता हूँ। अभ्यास बाँसकी तकली पर करता हूँ। सबको तकलीपर पूरा अधिकार कर लेना चाहिए। यदि कोई बतानेवाला व्यक्ति होता तो आसानीसे अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। मै कराडीमें बालकोको खेल-खेलमें तार निकालते देखता था। उन्हें उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। उसमें रस उत्पन्न होना चाहिए। वर्धामें लोग आध घंटेमें ८० तारकी गतितक पहुँच गये हैं। कान्तिलाल पारेख इतना कातता है, ऐसा कहा जाता था। वहाँ जो अच्छी तरहसे सीख गये हैं वे अपनी गतिकी जाँच करें और उसके बारेमें तुम मुझे लिखो।

पुरुषोत्तमकी तबीयत कैसी रहती है? कनु क्या करता है?

खुशालभाईका समाचार लिखना। उन्हें मैंने पत्र लिखा था।

क्या मैथ्यूका मन शान्त है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८११०) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

४०६. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

यरवडा
मौनवार, १२ मई, १९३०

चि० प्रेमा,

तूने तो पत्र लिखना ही बन्द कर दिया था। लेकिन मै समझ गया था कि मेरा समय बचानेके लिए तू नही लिखती और तेरे पास भी समय नही होगा। लेकिन तेरे समाचार तो मैं प्राप्त कर ही लेता था। तेरा संयम मुझे बहुत पसन्द आया। मुझे तुझसे ऐसी आशा नही थी। अब तो हर हफ्ते मुझे पत्र अवश्य लिखना।

मेरे समाचार नारणदासके पत्रसे मिल जायेंगे।

कुसुमने आश्रमसे जाते समय मेरी चीजें किसे सौंपी थीं? मेरे जेल चले जाने पर जो पुस्तकें मुझे भेजी जानी थीं वे उसने तुझे सौंपी थीं क्या? उनमें 'रामायण', 'कुरान' वगैरा पुस्तकें थी। इस बारेमें पता लगाना और पुस्तकें आसानीसे मिल जायें तो भेज देना। मुझे जल्दी नही है।

वहाँ कौन-कौन है और क्या करते हैं, मुझे लिखना। तेरा खास काम क्या है? मेरे बारेमें किसीको चिन्ता करनी ही नही चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

पुस्तकालय कौन सँभालता है?

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६६६९) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक

४०७. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

यरवडा
मौनवार, १२ मई, १९३०

चि० गंगाबहन,

आशा है, तुम निश्चिन्त होगी। तुम्हारी याद आती रहती है। मुझे पत्र लिखना। नाथ आ गया क्या? अब कितने लोगोंकी रसोई करनी पड़ती है? अन्य बहनोंको मैं आज पत्र नहीं लिख रहा हूँ।

मेरा हाल-चाल तुम्हें नारणदासको लिखे पत्रसे मालूम होगा। कमलनयन विद्यापीठमें है। उसकी तबीयत कैसी रहती है, यह नरहरिसे मालूम करके मुझे लिखना।

हरी और विमलाकी सार-सँभाल विशेष रूपसे कौन करता है? लक्ष्मी कैसी है? हरी और विमलाकी सार-सँभालमें हमारे प्रेमकी कसौटी है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३०८३) की फोटो-नकलसे।

४०८. पत्र : आश्रमके बालकोंको

यरवडा महल
मौनवार [१२ मई, १९३०][1]

पंछियो,

सच्चे अर्थोंमें पंछी तो वही है जो बिना पंखके उड़ सके। पंख हो तो सभी उड़ सकते हैं। यदि बिना पंखके उड़ना तुम्हे आता हो तो तनिक भी नही घबराना चाहिए। इस तरह उड़ते-उड़ते ही तुम सीखोगे। देखो न, मेरे पंख नहीं हैं; फिर भी मैं हर रोज उड़कर तुम्हारे पास आ जाता हूँ, क्योकि मैं विचारोंसे तुम्हारे पास होता हूँ। वह रही विमला, ये रहे हरि, मनु और धर्मकुमार। तुम भी खयालोंमें उड़कर मेरे पास पहुँच सकते हो। जिसे विचार करना आता हो उसे अध्यापककी ज्यादा जरूरत नही। अध्यापक तो हमें दिशा-ज्ञान करा सकता है, विचार-शक्ति प्रदान नही कर सकता। विचार तो हममें होते ही हैं। समझदार बच्चेको हमेशा अच्छे विचार ही आयेंगे। तुममें से प्रभुभाईके[2] साथ ठीक तरहसे प्रार्थना कौन नही करता? सबके हस्ताक्षरोंसे युक्त पत्र भेजना। जो बच्चा हस्ताक्षर नही कर सकता वह स्वस्तिक बनाये।

बापूके आशीर्वाद

१८-५-१९३० के गुजराती आश्रम समाचारकी माइक्रोफिल्मसे : एस० एन० १६८३४-ए।

१. साधन-सूत्रकी तारीख १८ मई, १९३० है। अतः उससे पहले सोमवारकी तारीख १२ मई, १९३० ठहरती है।

२. साधन-सूत्रमें नाम छोड़ दिया गया है। यहाँ यह नाम २२-५-१९३० के यंग इंडियामें प्रकाशित मीराबहन द्वारा अनूदित पत्रसे लिया गया है।

४०९. पत्र : बलभद्रको[1]

[१२ मई, १९३० या उसके पश्चात्][2]

चि० बुद्धिचक्र,

तुम्हारा बुद्धिचक्र नाम तो स्थायी हो गया ही जानो। यह कोई खराब नाम नहीं। जिसकी बुद्धि चक्रके समान है, वह सम्पूर्ण व्यक्ति है; कारण कि चक्र हमेशा सम्पूर्ण होता है। सीधी रेखाके समान उसका आदि-अन्त नही होता, और फिर भी जिसकी वृत्ति अन्तर्मुखी होती है उसे भी चक्र-समान मानते है। बुद्धि वही अच्छी होती है, जो अन्तर्मुख बनाती है।

बापूके आशीर्वाद

१८-५-१९३० के गुजराती आश्रम समाचारकी माइक्रोफिल्मसे: एस० एन० १६८३४-ए।

४१०. पत्र : कस्तूरबा गांधीको[3]

[१२ मई, १९३० या उसके पश्चात्]

इस पत्रको सबके लिए समझना। कितना अच्छा हुआ कि रविवारकी रातको मैं तुम सबसे मिल लिया और तुम्हें तुम्हारे कैम्प तक पहुँचा आया; ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लगा! ईश्वरकी कृपाका मेह बरस रहा है। सब बहनें मुझे पत्र लिखें। सभी पत्र एक ही लिफाफेमें होने चाहिए। मुझे पत्र मिलेगा तो अवश्य। नही मिला तो भी चिन्ता नही। तुम सब घबराना नही। स्त्रियोंकी प्रार्थनाके श्लोक सोच-समझकर रखे गये हैं। पहले श्लोकमें ही बहुत-कुछ आ जाता है। 'गीता'के जो अन्तिम तीन श्लोक इसमें रखे गये हैं उनसे इसके सौन्दर्यमें निखार आ गया है। मन्दिरके ऊपरके कलश जिस तरह मन्दिरकी शोभामें चार चाँद लगाते है उसी तरह 'गीता'के ये तीन श्लोक प्रार्थनाको और भी सुन्दर बना देते हैं। उम्मीद है, रोज सबेरे मनोयोगपूर्वक इन श्लोकोंका पाठ किया जाता होगा।

बापूके आशीर्वाद

१८-५-१९३० के गुजराती आश्रम समाचारकी माइक्रोफिल्मसे: एस० एन० १६८३४-ए।

१. देखिए खण्ड ४४।
२. गांधीजी ने १२ मई, १९३०के बाद जेलसे पत्र लिखना शुरू किया था।
३. साधन-सूत्रमें यह नहीं बताया गया कि पत्र किसे लिखा गया था, परन्तु २२-५-१९३०के यंग इंडियामें लिखते हुए मीराबहनने कहा है कि यह पत्र कस्तूरबा गांधीको लिखा गया था।

४११. आश्रमवासियोंको लिखे गये पत्रोंके अंश[1]

[१२ मई, १९३० या उसके पश्चात्][2]

(१)

यह पत्र सब लड़कियोंके लिए है। तुम सब ठीक तरहसे रहती हो न? काम करती हो? क्या गंगाबहन तुम्हें प्रमाणपत्र देंगी? जल्दी उठनेकी आदत जारी है क्या? भूल गई हो तो फिरसे शुरू करना।

बापूके आशीर्वाद

(२)

चि०

मैं सुनता रहता था कि तू आश्रमसे बाहर जाने और काम करनेके लिए अधीर हो रही है। तू अब समझदार है। हमारे ऊपर जो काम आ पड़े उसे हमें पूरे उत्तर-दायित्वके साथ करना चाहिए। बाहर निकलें तो क्या, अन्दर रहें तो क्या?

बापूके आशीर्वाद

(३)

चि०

तेरी घबराहट तुरन्त दूर हो गई होगी। मैं तुझे ऐसी लड़की नहीं समझता था जो तुरन्त ही घबरा उठे। लेकिन कोई हर्ज नहीं। तू और कस्तूरबहन दोनों अभी साथ-साथ हो या अलग हो गई हो? हमेशा साथ रहनेकी जरूरत नहीं होनी चाहिए और स्वतन्त्र रूपसे जिम्मेदारी उठानी आनी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

१८-५-१९३० के गुजराती आश्रम समाचारकी माइक्रोफिल्मसे: एस० एन० १६८३४-ए।

१. ये पत्र जिन लड़कियोंको लिखे गये थे उनके नाम मालूम नहीं हो सके।

४१२. पत्र : कुसुम देसाईको

यरवडा मन्दिर
[१२ मई, १९३० या उसके पश्चात्]

चि० कुसुम (बड़ी),

तुम बड़ी हो, इसका क्या मतलब ! बड़े होनेसे खोटा होना चाहिए या खरा? तुमने आश्रम छोड़ दिया, परन्तु सेवा-धर्मके मार्गको न छोड़ना। मुझे पत्र लिखती रहना। ईश्वर तुम्हारा भला करे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १७९९) की फोटो-नकलसे।

४१३. पत्र : रमाबहन जोशीको

यरवडा मंदिर
मौनवार [१२ मई, १९३० या उसके पश्चात्][1]

चि० रमा,

तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश होता था। तुम इतने धैर्य और साहसका परिचय दोगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। महालक्ष्मी कैसी है? दोनों डाहीबहनें कैसी हैं?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५३२१) की फोटो-नकलसे।

१. बर्षे बापुना पत्रो–७ : श्री छगनलाल जोशीने से लिया गया है।

४१४. देवदास गांधीको लिखे पत्रका अंश[1]

यरवडा मन्दिर
१३ मई, १९३०

चि०,

तू कहाँ है, इसकी मुझे खबर न होनेके कारण यह पत्र मैं आश्रमके पतेपर लिख रहा हूँ। अब सारी फिक्र करनेवाला ईश्वर है। इसलिए हमें एक-दूसरेकी फिक्र नही करनी चाहिए। मेरे बारेमें तो तू जानता ही है। मुझे तो कही कोई भी दिक्कत नही होती। ईश्वर रास्ता साफ कर देता है। उसके जैसा भंगी जगत्‌में क्या कोई दूसरा मिल सकता है? यदि वह हमारा मानसिक मैल साफ न करता होता तो संसार कभीका सड़ गया होता। बाहरका मैल तो मानसिक मैलका सूचक-भर है। जबतक अन्तरको नही धोते तबतक अपनेको बाहरसे हम कितना भी साफ क्यो न करे, कुछ भी नही होगा। यह विचार मुझे बहुत ढाढ़स बँधाता है। . . .[2]

बापूके आशीर्वाद

१८-५-१९३० के गुजराती आश्रम समाचारकी माइक्रोफिल्मसे: एस० एन० १६८३४-ए।

४१५. पत्र: वाइसरायको

यरवडा सदर जेल
१८ मई, १९३०[3]

सेवामें
भारतके परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदय

प्रिय मित्र,

अधिकारियोने मुझे अखबारोके उपयोगकी अनुमति दे दी है, इसलिए देशमें क्या-कुछ हो रहा है, इसकी थोड़ी-बहुत जानकारी मुझे रहती है। अगर आपके ताजा

१. २२-५-१९३० के यंग इंडियामें मीराबहन लिखती हैं कि यह पत्र देवदास गांधीको लिखा गया था।

२. साधन-सूत्रके अनुसार।

३. पत्रका मसविदा १२ मईको तैयार किया गया था, अन्तिम रूप १८ मईको दिया गया और अगले दिन यह जेल-अधीक्षक मेजर मार्टिनको सौंप दिया गया।

वक्तव्यपर[1] मैं अपनी राय नहीं जाहिर करता तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने कर्त्तव्य-पालनमें चूक जाऊँगा।

ऐसा जान पड़ता है कि आपने इस सीधे-सादे तथ्यको नजरअन्दाज कर दिया है कि जिस क्षण जनसाधारण बहुत बड़ी तादादमें अवज्ञाका सहारा लेना शुरू करता है उस क्षणसे वह अवज्ञा अवज्ञा नहीं रह जाती। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि ऐसे सैकड़ों लोग जेलोंमें पड़े हुए हैं जिनके बारेमें सभी जानते हैं कि वे बड़े ही शान्त प्रकृतिके हैं, उन्होंने दीर्घ कालतक सुन्दर सेवा-कार्य किया है[2] और उनकी प्रामाणिकतामें किसी प्रकारके सन्देहकी गुंजाइश नहीं है? ये कानूनका उल्लंघन करनेवाले लोग नहीं हैं; अंग्रेजोंके प्रति उनके मनमें कोई द्वेष भी नहीं है। और हजारों भोले-भाले ग्रामीणोंने, जिनका स्वभाव सामान्यतः कानूनका पालन करनेका ही है, इस आन्दोलनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करनेके लिए जो-कुछ किया है उसे आप क्या मानेंगे? मेरे विचारसे ऐसे पुरुषों और स्त्रियोंके आन्दोलनको अराजकता कहना भाषाके साथ अत्याचार करना है। यहाँ तो वह मन्तव्य ही देखनेको नहीं मिलता जो अपराधका सार होता है। उस[3] मन्तव्यको तो उदात्ततम मन्तव्य ही कहा जायेगा जिससे प्रेरित होकर अब्बास तैयबजी-जैसा वयोवृद्ध व्यक्ति आराम और चैनकी जिन्दगी छोड़कर जेल-जीवनको स्वीकार करे।[4]

आप भारतके प्रति अपना प्रेम जतलाते हैं। आप जो-कुछ जतलाते हैं, उसमें मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन भारतके रोगका आपने जो निदान किया है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। जिन शिकायतोंकी ओर जनताका ध्यान केन्द्रित है, उन्हें जबतक तुरन्त दूर नहीं किया जाता तबतक अच्छेसे-अच्छा संविधान भी देशको शान्ति और सन्तोष नहीं दे पायेगा। नमक-कर नहीं चल सकता। शराबसे होनेवाली सरकारी आयको समाप्त होना ही है। विदेशी वस्त्रोंका आयात, जिसके कारण ग्राम्य जीवन पंगु हो गया है, बन्द होना ही चाहिए। इन विषयोंमें जनताकी भावना कितनी तीव्र है, इसकी ओर क्या आपने ध्यान नहीं दिया? या कि आप ऐसा मानते हैं कि इस आन्दोलनमें जो लाखों स्त्री-पुरुष हिस्सा ले रहे हैं वे सब दुष्ट हैं, या गुमराह अथवा मूर्ख हैं और अंग्रेज अधिकारी ही इस बातके सबसे योग्य निर्णायक हैं कि भारतके लिए क्या अच्छा है?

अगर मेरा अन्दाजा गलत न हो तो चाहे जितना[5] कठोर दमन किया जाये, आप देखेंगे कि जनतापर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। आप करोड़ों लोगोंको

१. १२ मईको वाइसरायने यह घोषणा करते हुए कि गोलमेज परिषद् बुलानेके लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं, कहा था कि "जिस नीतिकी घोषणा करनेका सौभाग्य मुझे गत नवम्बर महीनेमें प्राप्त हुआ था, उस नीतिका पालन करनेके लिए मेरी और महामहिमकी सरकारें कृतसंकल्प हैं और देशमें होनेवाली ये दुःखद घटनाएँ हमें उस संकल्पसे डिगा नहीं सकतीं।"

२. यहाँ मसविदेमें कुछ शब्द नहीं हैं।

३. यहाँ मसविदे और इस अन्तिम रूपसे संशोधित प्रतिमें एक शाब्दिक अन्तर है।

४. अब्बास तैयबजी १२ मईको गिरफ्तार हुए थे।

५. यहाँ मसविदे और अन्तिम रूपसे संशोधित प्रतिमें किंचित् शाब्दिक अन्तर है।

जबरदस्ती गुलाम बनाकर नहीं रख पायेंगे। भारतको इंग्लैंडके हित-साधनके लिए खपते नही रहना है। उसे खुद अपने लिए जीना चाहिए, ताकि वह संसारकी प्रगतिमें अपना योगदान दे सके। एक गुलाम राष्ट्रके रूपमें वह दुनियापर बोझ बना हुआ है, क्योंकि वह जो जिन्दगी जी रहा है वह झूठी है। इसलिए जबतक आप स्थितिको हमारे दृष्टिकोणसे नही देखते और बलप्रयोगको छोड़कर केवल तर्कबुद्धि द्वारा कायल कराकर काम करवानेका तरीका नही अपनाते तबतक गोलमेज परिषद्से कुछ बननेवाला नही है। और जहाँतक अन्तिम माँगोके आग्रहका प्रश्न है उस सम्बन्धमें तो वे लोग भी कांग्रेसियोके ही साथ हैं जिन्हे आप अपने साथ समझते हैं।

आपका सच्चा मित्र,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स, ७५०(३४); तथा एस० एन० १९९७२ से भी।

४१६. पत्र : मीराबहनको

१८ मई, १९३०

दोबारा नहीं पढ़ा

चि० मीरा,

मेरा पिछले मौनवारका पत्र[1] तो तुम्हें मिल ही गया होगा। लगता है, उसे शुक्रवारसे पहले डाकमें नही डाला जा सका। यह शायद जल्दी जायेगा। आज रविवार है और अभी रातके ८ बज चुके हैं। मैं आम तौरपर रविवारको ३ बजे दिनसे ही मौन धारण कर लेता हूँ।

यहाँके मेरे जीवनके बारेमें तो तुम्हें आश्रमवासियोके नाम लिखे सामान्य पत्रसे मालूम हो जायेगा। अब मैं दूनेसे भी ज्यादा सूत कातने लगा हूँ। ४०० तार चरखे पर कातता हूँ और ५५ से ६० तार तकलीपर। सारे सूतको अच्छी तरह नम कर दिया जाता है और उसे ठीकसे बन्द करके रखा जाता है। चरखेके सूतके ७५-७५ तारोंकी ५ लच्छियाँ रोज तैयार करके रखी जाती हैं और तकलीपर कते लगभग १६० तारोंकी एक लच्छी प्रतिदिन रखी जाती है। यह जाननेकी उत्सुकता है कि यह सूत कितना मजबूत होता है। इस सारे कामपर प्रतिदिन ६ घंटे देने पड़ते हैं। मगर इतना समय देना भी मुझे खलता नहीं। मैं इस बार ज्यादा अध्ययन नहीं करता और न पिछली बारकी तरह यहाँ बहुत-सारी पुस्तकें ही इकट्ठी करना चाहता हूँ। बने तो मैं कताईके काममें ही पूर्णता प्राप्त करना चाहूँगा। कुछ ही दिनोमें मुझे धुनाई भी करनी पडेगी। अभी १० दिनोके लायक पूनियाँ मेरे पास है। एन० को लिखे पत्रमें ये सब बातें नही बताई है।

१. देखिए "पत्र : मीराबहनको", १२-५-१९३०।

और रेनॉल्ड्सका क्या हाल है? गरमीको वह कैसे बरदाश्त करता है? उसे मेरा स्नेह देना। अपने साप्ताहिक पत्रमें तुम मुझे ऐसे सभी समाचार देना जो राजनीतिक न हों।

मेरा खयाल है, पिछले पत्रमें मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने 'भजनावली' के भजनों और श्लोकोंका अनुवाद शुरू कर दिया है। सुबहकी प्रार्थनामें गाये जानेवाले श्लोकोंका अनुवाद पूरा होने ही वाला है।

आशा है, तुम स्वस्थ होगी। किसी भी वजहसे शक्तिसे बाहर काम मत करना।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३९६) से; सौजन्य: मीराबहन; तथा जी० एन० ९६३० से भी।

४१७. पत्र: गंगाबहन वैद्यको

मौनवार [१९ मई, १९३०][1]

चि० गंगाबहन,

सब बहनों और बच्चोंका मुझे रोज ध्यान आता है, लेकिन मैं उनके बारेमें कोई चिन्ता नही करता। मै हर क्षण काममें लगा रहता हूँ और इसीमें शान्ति है। मैं काममें ही प्रभुके दर्शन कर सकता हूँ। वह तो कहता है कि मैं एक क्षण भी आराम किये बिना, आलस्य किये बिना निरन्तर अपना काम करता रहता हूँ। हम इसके अतिरिक्त उसे अन्य किस तरहसे पहचान सकेंगे?

'गीता' का अनुवाद यदि तुमने न पढा हो और यदि फुरसत मिले तो पढ़ जाना। लेकिन यदि समय न मिले तो पढ़नेकी कोई जरूरत नही। सेवा-धर्म सजीव 'गीता' है; बाकी सब झूठ है।

मुझसे जितने बन पड़े मैंने उतने पत्र लिखे हैं लेकिन जिन भाई-बहनोंको नही लिखा उन्हें भी याद तो करता ही हूँ। और फिर सबको थोड़े ही लिखा जा सकता है? जिन्हें खास आश्वासन देनेकी जरूरत होती है मैं केवल उन्हींको पत्र लिखता हूँ।

तुम्हारे दामाद कैसे हैं?

क्या नाथ आते हैं? जब तुम उन्हें पत्र लिखो तो लिखना कि मैं उन्हें याद करता हूँ। उन्हें आश्रमका चक्कर लगाना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७४९) से। सौजन्य: गंगाबहन वैद्य

१. बापुना पत्रो-६: गं० स्व० गंगाबहेनने के आधारपर।

४१८. पत्र : मणिबहन पटेलको

१९ मई, १९३०

चि० मणि,

ईश्वर तेरी रक्षा करेगा। मै रोज तुझे याद करता हूँ। आशा है अब तू उदास नही रहती होगी।

बापूके आशीर्वाद

चि० मणिबहन पटेल
नडियाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन पटेलने

४१९. पत्र : नरहरि परीखको

२० मई, १९३०

चि० नरहरि,

तुम्हारी जीभ नाचती है या नहीं, सो मैं नही जानता, लेकिन देखता हूँ तुम्हारी लेखनी नर्तन कर रही है। मेरे जेल-महलमें रहनेके कितने लाभ हैं?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९०५३) की फोटो-नकलसे।

४२०. पत्र : प्रेमलीला ठाकरसीको

यरवडा जेल
२० मई, १९३०

प्रिय बहन,

मुझे सिलाईकी मशीनपर थोड़ा-बहुत सीना तो आता है। लेकिन चूंकि मुझे यहाँ काफी फुरसत है, इसलिए मैं इसे अच्छी तरहसे सीख लेना चाहता हूँ। जेल-अधिकारियोंने मुझे मशीन प्राप्त करनेकी अनुमति दे दी है। आप अनेक बहनोंका पालन-पोषण करती है, इसलिए आपके पास सिलाईकी मशीनें तो अवश्य होगी, यह सोचकर मैं आपको यह तकलीफ दे रहा हूँ कि यदि आपके पास मशीनें हो और

आप उनमें से एक मुझे भेज सकती हों तो भेज दें। न हो तो मुझे उत्तर दें। आपका पत्र मुझे मिल जायेगा।

मोहनदासके वन्देमातरम्

लेडी प्रेमलीला विट्ठलदास ठाकरसी
पूना

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४८१३) की फोटो-नकलसे; सौजन्य : प्रेमलीला ठाकरसी; जी० एन० ७१ से भी।

४२१. पत्र : प्रभावतीको

२० मई, १९३०

चि० प्रभावती,

तुझे किस तरह सान्त्वना दूं? भगवान् तेरी रक्षा अवश्य करेगा। मुझे पत्र लिखा जा सकता है, लिखना। कमलाबहनसे[1] कहना, अपनी तबीयतका ध्यान रखे। स्वरूपरानीको[2] मेरा प्रणाम। सरूप[3], कृष्णाको[4] आशीर्वाद। जयप्रकाशको आशीर्वाद, यदि वह [जेलसे] बाहर हो तो। अपना पत्र आश्रमके पते पर भेजना। मैं आनन्दमें हूँ। जो खुराक [जेलसे] बाहर थी वही खुराक यहाँ भी लेता हूँ।

मेरी चिन्ता न करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३८८) की फोटो-नकलसे।

१. जवाहरलाल नेहरूकी पत्नी।
२. मोतीलाल नेहरू की पत्नी।
३. विजयलक्ष्मी पण्डित।
४. कृष्णा हठीसिंह।

४२२. भेंट: 'डेली हैरॉल्ड' के प्रतिनिधिको[1]

२० मई, १९३०

हमारी बातचीत ब्रिटिश और भारतीय राजनीतिके सम्बन्धमें विचारोंके आदान-प्रदानसे शुरू हुई। इसके बाद मैंने उनसे साफ-साफ यह बतानेको कहा कि स्वतन्त्रतासे उनका क्या मतलब है। मैंने पूछा कि क्या आप वैसी ही स्वतन्त्रता चाहते हैं जैसी स्वतन्त्रता अन्ततः औपनिवेशिक स्वराज्यसे प्राप्त होगी? या ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डलसे अलग होनेका आपका आग्रह है?

मैंने बराबर यही सुना है कि इंग्लैंडमें औपनिवेशिक स्वराज्यका मतलब स्वतन्त्रता माना जाता है, लेकिन भारतीय अधिकारीगण वैसा नहीं समझते। इसलिए जब वे औपनिवेशिक स्वराज्यसे एक उलटी चीजके रूपमें स्वतन्त्रताका विरोध करते है तो स्वभावतः हम स्वतन्त्रताकी ही माँग करते है।

जब मैंने उनसे यह पूछा कि क्या कनाडा और दक्षिण आफ्रिका सभी तात्त्विक विषयोंकी दृष्टिसे स्वतन्त्र नहीं है तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे स्वतन्त्र हैं। साथ ही उन्होंने यह महत्त्वपूर्ण वाक्य भी कहा:

लेकिन हमें तो उनके समान दर्जा देनेके लिए अंग्रेजी हुकूमत तैयार नहीं है।

इसके बाद मैंने यह पूछा कि क्या आपने सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें निहित तमाम खतरोंपर विचार कर लिया है? उन्होंने कहा कि हाँ, कर लिया है और फिर आगे बताया:

मैंने वह कदम उठाया है, जिसे पागलपन-भरा कदम कहा गया है। लेकिन यह खतरा ऐसा है, जिसे उठानेका औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। खतरा उठाये बिना कोई महान् लक्ष्य कभी सिद्ध नहीं हुआ है।

फिर भी उन्होंने कहा कि शोलापुरमें जो हिंसा होनेकी खबर है, उससे मुझे बहुत चिन्ता हो रही है। वहाँ जो दो पुलिसवाले मारे गये हैं, उसका मुझे बड़ा दुःख है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हिंसा सत्याग्रहियोंने नहीं की है। उन्हें तो सब-कुछ, यहाँतक कि मार-पीट और हिंसाको भी, बिना कोई प्रतिरोध किये सहनेका आदेश दिया गया है।

जब मैंने पूछा कि क्या आप ऐसा मानते है कि कानून तोड़नेवालों और अधिकारियोंके बीच हो रहे इस संघर्षमें सरकार हार मान लेगी, तो गांधीजी मुस्करा उठे और उन्होंने कहा:

१. भेंटकर्ता जॉर्ज स्लोकॉम्ब थे।

मैं तो आशावादी आदमी हूँ। चालीस वर्षोंके संघर्षमें मुझसे बार-बार ऐसा कहा गया है कि मैं असम्भवकी प्राप्तिके लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बराबर यह सिद्ध कर दिया है कि बात ऐसी नहीं है।

फिर भी, बातचीत करके कोई हल निकालनेसे उन्हें कोई इनकार नहीं है।

मेरा जीवन तो समझौतोंकी एक लम्बी गाथा ही है। अगर सरकार सचमुच भारतको सन्तुष्ट करना चाहती है तो उसे वाइसरायके नाम लिखे मेरे अन्तिम पत्रमें पेश की गई ग्यारह माँगें स्वीकार कर लेनी चाहिए।

मैं तो वृक्ष कैसा है, यह उसके फलको देखकर ही कह सकता हूँ। जबतक हमें सन्तुष्ट नहीं किया जाता, हम अन्ततक लड़ेंगे और अगर भारतकी आजादीके लिए हमारे प्राण देनेकी आवश्यकता हुई तो हम वह भी देंगे। हम भारतकी सारी जेलोंको सत्याग्रहियों और नमक-कानून भंग करनेवालो से भर देंगे और हम अपने विरोधके द्वारा प्रशासनको बिलकुल असम्भव बना देंगे।

लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जब हमें विजय मिलेगी — जो अभी बहुत दूर है — तब भी सरकारसे सुलहवार्त्ता आवश्यक होगी और यदि रक्तपात और कष्ट-सहनसे बचनेसे भारतके असली राष्ट्रीय हितोंकी हानि नहीं होती तो उससे बचनेके लिए मैं सब-कुछ करनेके लिए तैयार हूँ।

आगे गांधीजी से मेरी जो बातचीत हुई उससे मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि इस कठिन घड़ीमें भी समझौता सम्भव है और श्री गांधी निम्नलिखित शर्तोंपर कांग्रेससे सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द करने और गोलमेज परिषद्में सहयोग करनेकी सिफारिश कर सकते हैं:

(१) गोलमेज परिषद्के विचारार्थ जो मुद्दे सौंपे जायें उनमें भारतके लिए एक ऐसा संविधान बनानेकी भी बात हो जिससे उसे 'सार-रूपमें स्वतन्त्रता' प्राप्त हो सके।

(२) श्री गांधीकी तीन माँगों अर्थात् नमक-करकी समाप्ति, मद्य-निषेध और विदेशी कपड़ोंपर रोक लगानेके सम्बन्धमें उन्हें सन्तुष्ट किया जाये।

(३) राजनीतिक अपराधोंके लिए सजा भोग रहे कैदियोंको सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी समाप्तिके साथ ही रिहा कर दिया जाये।

(४) वाइसरायके नाम श्री गांधीके पत्रमें उठाये गये शेष सात मुद्दोंको भावी वार्त्ताके लिए छोड़ दिया जाये।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २३-५-१९३०

४२३. पत्र : नारणदास गांधीको

यरवडा मन्दिर
१८/२१ मई, १९३०

चि० नारणदास,

गत सोमवारको मैंने तुम्हें पत्र लिखा था लेकिन लगता है कि वह शुक्रवारको ही डाकमें डाला जा सका। ऐसा न हो तो जेल किसे कहें?

मेरे पत्रोको कही प्रकाशित न होने देना।

ठक्कर बापाको लिखकर पूछना कि अन्त्यजोके लिए कूओका काम तो जारी ही है न? यदि पैसे कम पड़ जायें तो हमारे पास जो पैसे है उनमें से दे देना। मतलब यह कि जो हमने जमनालालजीको दिये है उनमें से।

मेरा समय इस तरहसे बँटा हुआ है:

दातुन, शौच, स्नान	२ घंटे
दो बारकी प्रार्थना	१ घंटा
दिनको सोना	१½ घंटा
भोजन और उसकी तैयारी	३ घंटे
चरखेकी मरम्मत और सफाई आदि	३½ घंटे
तकली	२½ घंटे
सैर	१½ घंटा
पढ़ना और जेलरसे मिलना	२ घंटे
सवेरे ४ बजेसे रातके ९ बजेतक	१७ घंटे

मैंने अनुभवसे देखा है कि नारंगीकी जरूरत नही है। इसलिए फिलहाल तो नारंगियोको छुट्टी दे दी है। आजकल मेरी खुराक खजूर, मुनक्का, दूध, दही, खट्टा नीबू और सोडा है। यदि जरूरत महसूस हुई तो नारंगी भी शामिल कर लूँगा। कच्चे दूधमें दही लगा देनेसे दही अच्छी तरह जम जाता है, यह बात मैंने आज ही देखी है। कल मैंने कच्चे दूधका दही जमाया था। दूध तो मै अभी कच्चा ही लेता हूँ। मेरी तबीयत अच्छी रहती है, वजन लिया था, कम नहीं हुआ है।

जहाँतक पढनेका सवाल है मै आजकल एडविन अर्नाल्डकी 'लाइट आफ एशिया' पढ़ रहा हूँ। अखबार तो आता ही है, 'टाइम्स' [ऑफ इंडिया]। अब [बॉम्बे] 'क्रॉनिकल' भी आया करेगा। 'यंग इंडिया' तथा 'नवजीवन', 'माडर्न रिव्यू' एवं 'इंडियन सोशल रिफॉर्मर' की अनुमति मिल गई है। अगर मैं चाहूँ तो पढनेके लिए और पत्र-पत्रिकाएँ भी मिल सकती है।

मैंने गरम पानीसे स्नान करना शुरू कर दिया है, यह बात मै पहले ही लिख चुका हूँ।

मेरी चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नहीं। आजकल तो जेल जाना सुखोपभोग करना है।

'यंग इंडिया' में कुमारप्पाका नाम देखकर बड़ी खुशी हुई। वह निस्सन्देह एक योग्य व्यक्ति है।

तुम मुझे सामान्य जानकारीसे भरा पत्र लिख सकते हो और उसके साथ उसी तरहके अन्य पत्र भी भेज सकते हो।

मैं तुम्हें राजनीति-सम्बन्धी सन्देश नहीं दे सकता। सबकी खबर तुम ही दे सकते हो।

रुखीका पत्र आता है क्या? वह कैसी है? उमियाका पत्र आता है? छोटी कुसुमसे कहना कि उसने मेरे विशेष पत्रका उत्तर नहीं दिया। वह बहुत शैतान है। उम्मीद है, नवीन और धीरू सानन्द होंगे। बालक और बालिकाएँ, सभी मुझे पत्र लिख सकते हैं।

जिन डा० कानुगाके लिए आश्रमसे ही हरी सब्जियाँ जाती हैं उनकी तबीयत कैसी है?

अमीनाकी प्रसूतिके लिए ठीक व्यवस्था कर दी होगी? इमाम साहब कहाँ हैं? कैसे हैं?

जिन चार लड़कोंको छोटा जानकर सजा नहीं दी गई, वे कौन हैं और अब कहाँ हैं? बहनें अलग-अलग कहाँ-कहाँ बिखरी हुई हैं?

दुग्धालय, चर्मालय और खेती कैसी चल रही है? कितने करघे चल रहे हैं?

आफिसके पासवाले कूएँकी सफाई होनेवाली थी। यदि अभी तक सफाई न हुई हो और सफाई करवाई जा सके तो करवा लेना। केशू शान्त है क्या? उसकी तबीयत कैसी है?

राधासे पत्र लिखने को कहना। मैं उसे अलगसे नहीं लिख रहा हूँ। यों तो बहुतोंको लिखनेका मन करता है, लेकिन सबको कैसे लिखा जा सकता है?[1]

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

कच्चे दूधसे दही जमानेका प्रयोग पूर्णतः सफल नहीं हुआ। पहले दिन तो ठीक लगा था। दही लगानेकी मात्रामें कुछ दोष है अथवा कोई और दोष है; लेकिन पहले दिनके बाद दूध अच्छी तरह नहीं जमा। फिर भी प्रयोग तो अभी चालू ही है।

बापू

[पुनश्च :]

प्रभावतीका पता यह है: अ० भा० कां० क० कार्यालय, इलाहाबाद।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८१११) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

१. यहाँतक का अंश १८/१९ मई को लिखा गया था। पुनश्च वाले अंश २१ मई को लिखे गये थे।

४२४. पत्र : रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको

२२ मई, १९३०

प्रिय रेनॉल्ड्स,

मुझे तुम्हारा प्रेम-पत्र मिला और मीरासे तुम्हारे बारेमें समाचार भी मिले। तुम बखूबी जाओ। जानेसे पहले यदि तुम्हारी यहाँ आने और मुझसे मिलनेकी इच्छा हो तो जरूर आना। मुझसे मिलनेमें तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी।

जहाँ-कहीं भी रहो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे।

सस्नेह,

बापू

[पुनश्च :]

मैं तुम्हारी मँगेतरको पत्र लिखना चाहता था, लेकिन नहीं लिख सका। लेकिन यदि तुम मुझे उसका पता भेज दो तो मैं उसे अब भी लिखनेकी कोशिश करूँगा। उससे कहना कि मुझे उसका पत्र अपने गिरफ्तार होनेके दिन मिला था।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४५३६) से।
सौजन्य: स्वार्थमोर कॉलेज, फिलाडेल्फिया

४२५. पत्र : मीराबहनको

यरवडा आनन्द-भवन
२५ मई, १९३०

चि० मीरा,

इस बार भी मैं पत्र रविवारको मौन धारण करने और शामकी प्रार्थनाके बाद शुरू कर रहा हूँ।

जब तुम मिलने आई थीं, तब मालूम हो रहा था जैसे समय तेजीसे भागा जा रहा है। इसीलिए मैंने स्वयं बात करने और बहुत-से सवाल पूछनेके बजाय तुम्हीको बोलने दिया। तुम अच्छी नहीं दीख रही थी। तुम दुबली मालूम होती थीं। यह नहीं चलेगा। तुम्हे उचित भोजन और उचित व्यायाम करना ही चाहिए। तुम्हे जितने भी फलोंकी जरूरत हो उतने लेने चाहिए और तन्दुरुस्त रहना चाहिए।

मैं अब पहलेसे कहीं ज्यादा अनुभव कर रहा हूँ कि बड़ी धुनकी लगानेके बारेमें सब बातें न सीखकर मैंने कितनी लापरवाही बरती। चूँकि मुझमें थोड़ी-सी यान्त्रिक योग्यता है, मैंने उसे लटका लिया है और पिछले गुरुवारसे उसपर काम कर रहा हूँ। मेरे पास पूनियोंका खासा ढेर हो गया है; लेकिन धुनकी लटकानेमें कुछ-न-कुछ खामी जरूर है। लम्बी रस्सी छतसे लटकती है। बाँससे दो रस्सियाँ

लटकती है। मैंने उन दोनोंको जोड़ दिया है और जुड़ी हुई रस्सियों पर पतली डोरी इस तरह लगा देता हूँ :
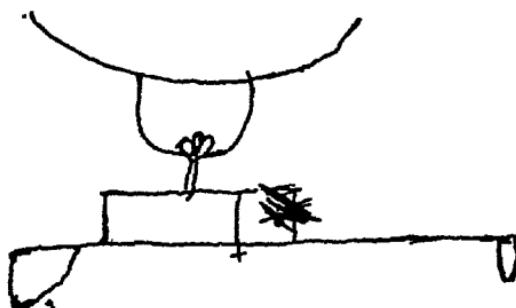
बाँस स्थिर नहीं रह पाता, बल्कि घूम-घूम जाता है। अलबत्ता, दीवार उसे रोकती है। लेकिन मेरे खयालसे अगर रोकनेको दीवार न हो, तो भी उसे घूमना बिलकुल न चाहिए। मैंने जो वर्णन किया है, उसे तुमने समझ लिया हो और उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे बताना।

तुम्हारी तकली अच्छी बनी है, लेकिन वह बारीक कताईके लिए बहुत भारी है। मुझे कोई सन्देह नहीं कि इसके लिए बाँस ही सही चीज है। मेरी गति अब पहलेसे अच्छी है। मैंने आज डेढ़ घंटेमें ६५ तार काते हैं—इतना मेरे लिए बुरा नहीं है। जब मेरी घबराहट मिट जायेगी और मैं टूटनेके डरके बिना तार निकालूँगा, तब मेरी गति और भी बढ़ जायेगी।

'भजनावली'का एक श्लोक रोजाना अनुवाद करनेका मेरा काम जारी है। काश, मैं अधिक कर सकता। लेकिन कताई और धुनाईके बाद ज्यादा समय बचता ही नहीं। और अब मुझे सीनेकी मशीनके लिए समय निकालना पड़ेगा। तुम्हारे आनेसे मुझे बड़ी खुशी हुई।

सस्नेह,

बापू

[पुनश्च :]

तकुएकी गिर्री ढीली हो जाये तो तुम उसे कसती कैसे हो?

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३९७) से; सौजन्य : मीराबहन; जी० एन० ९६३१ से भी।

४२६. पत्र : सरलादेवीको[1]

यरवडा मन्दिर
२५ मई, १९३०

प्रिय बहन,

आपके भेजे फल मुझे मिल गये। मुझसे कहा गया है कि मै आपको लिख दूं कि अब आगेसे आप फल न भेजें। मुझे जितने भी फलोकी जरूरत होती है यहांसे मिल जाते हैं। आम और संतरे जेलरको खानेके लिए दे दिये जाते हैं। जब चारो तरफ आग लगी हो तब मै मजेमें आम कैसे खा सकता हूँ? दो या चार दिन मैंने संतरे लिये, फिर छोड़ दिया। मुझे उनकी जरूरत महसूस नही होती। जरूरत महसूस होनेपर निश्चय ही मै लेने लगूंगा। फल भेजनेके पीछे जो प्रेम-भाव है, उसे मै कभी नही भूलूंगा। आशा है सभी बच्चे भले-चंगे होंगे।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी : सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७४।

४२७. पत्र : चन्द्रशंकर शुक्लको[2]

यरवडा मन्दिर
२५ मई, १९३०

प्रिय चन्द्रशंकर,

जेल सुपरिंटेंडेंटने तुम्हारा पत्र मुझे दिखा दिया है। फिलहाल मैं कोई भी पुस्तक नही मँगाऊँगा। यहाँ जो पुस्तकें मौजूद हैं, वे भी यों ही पड़ी हैं। अवकाश का सारा समय कताई और पिंजाईमें खप जाता है। थोडा समय पढ़ने में लगाता हूँ।

आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अब बिलकुल ठीक होगा। यदि न हो तो उसे सुधारो। [जुदाईकी] पीडा तो अब तुम भूल चुके होगे। काकासे मुलाकात होती होगी। कमलनयन कहाँ है? वहाँ हो तो पत्र लिखनेको कहना।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी : सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७३।

१ व २. ये अंग्रेजीमें अनूदित पत्रोंके अनुवाद हैं। मूल पत्र उपलब्ध नहीं हैं।

४२८. पत्र : सुशीला गांधीको

यरवडा मन्दिर
२६ मई, १९३०

चि० सुशीला,

तुझे मैंने कैसा पति दिया है? लेकिन मैंने कहाँ दिया है? पसन्द तो तेरी अपनी है। इसलिए तू मुझसे कुछ नही कह सकती। मैंने तो तुझे खूब चेता दिया था; सो याद है न? लेकिन जब तू खुद ही सेर पर सवा सेर-जैसी है, तो कहनेको रह ही क्या जाता है? आशा है सीता उर्फ धैर्यबाला मजेमें होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११८०) की फोटो-नकलसे; सौजन्य: सुशीला गांधी; जी० एन० ४७६८ से भी।

४२९. पत्र : नारणदास गांधीको

यरवडा मन्दिर
२६ मई, १९३०

चि० नारणदास,

गुजराती पत्र पिछले सप्ताह यहाँ आ गये थे; लेकिन वे अभी तक मुझे नहीं दिये गये हैं। मीराबहन और मैथ्यूके पत्र मिल गये क्योंकि वे अंग्रेजीमें थे। ऐसी परिस्थिति है? लेकिन यदि ईश्वरकी कृपा हुई तो यह हाल अब अधिक दिनों तक नही चलेगा।

कह सकते हैं, मेरा वजन ठीक उतना ही है। कदाचित् आधा पौंड बढ़ गया हो।

खुराक भी वही है। अब कच्चे दूधमें दही मिलानेसे अच्छा दही जमता है। यह दही २४ घंटेमें जमता है। दही ठीक मात्रामें मिलाया था।

पढ़ाईमें 'लाइट ऑफ एशिया' और 'सैंट्स ऑफ इस्लाम' ये दो पुस्तकें खत्म की हैं। अब किसी मित्रने पंजाबके जेल-अधीक्षक द्वारा जेलखाने पर लिखी एक पुस्तक भेजी है, उसे पढ़ रहा हूँ। पढ़नेका समय ही कहाँ है? सात घंटे तो चरखा, तकली और पींजनेमें चले जाते हैं। किसी दिन जब चरखेमें कुछ मरम्मत नहीं करनी होती तो कम समय लगता है और किसी दिन ज्यादा समय चला जाता है। मुझे इसका दुःख नहीं। मुझे काम करना अच्छा लगता है। सब-कुछ खुद ही करना पड़ता है; इससे सुभीता होता है और सूक्ष्म दोष दिखाई पड़ जाते हैं और उन्हें दूर भी कर देता हूँ। तकलीके सूतमें बहुत सुधार हुआ है और अब रफ्तार भी बढ़ गई है।

बाहरका विचार बहुत कम आता है। काममें विचारको अवकाश नही है। 'गीता'के मध्यबिन्दु पर अपना ध्यान केन्द्रित रखता हूँ। इससे शान्ति रहती है। नहीं तो समाचार-पत्रोसे सब-कुछ जाननेके बाद शान्ति बनाये रखना मुश्किल हो जाता है। दोनो समय प्रार्थना और 'गीता'का पाठ मेरे लिए एक बहुत बड़ा आधार है।

कृष्णन् नायर, सूरजभान और जयन्तीप्रकाशकी क्या कोई खबर है? सतीश-बाबू कैसे हैं? तुम जिन-जिनको पत्र लिखो उन्हें लिख देना कि पत्र प्रकाशित नही किये जाने चाहिए। हाँ, मित्र-मण्डलको अवश्य पढ़वा सकते है।

जमनाकी तबीयत कैसी है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८११२) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

४३०. पत्र : जानकीदेवी बजाजको[1]

यरवडा मन्दिर
मौनवार [२६ मई, १९३०][2]

प्रिय जानकीबहन,

कैसी हो? आशा है, तुम्हारा साहस नही छूटा होगा। मदालसा कैसी है? कमलनयनके बारेमें चिन्ता मत करो। क्या विनोबाके गीता-प्रवचन सुनकर तुम इतना भी नही समझ पाईं कि हमें किसी भी बातकी चिन्ता नही करनी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]
महात्मा गांधी : सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७५।

१. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।
२. साधन-सूत्रमें इस शीर्षकको जिस क्रममें रखा गया है, उसके आधारपर तिथिका अनुमान लगाया गया है।

४३१. पत्र : जमनाबहन गांधीको[1]

यरवडा मन्दिर
मौनवार [२६ मई, १९३०][2]

प्रिय जमनाबहन,

यह पत्र तुमसे यह कहनेके लिए लिख रहा हूँ कि मेरे बारेमें किसी भी बहनको चिन्तित नहीं होना चाहिए। मैं रोज ही तुम सबकी याद कर लेता हूँ। मेरे नाम एक पत्र लिखवाकर उसे आश्रमके जरिये भिजवा दो।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी : सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७६

४३२. पत्र : निर्मला गांधीको[3]

मौनवार [२६ मई, १९३०][4]

प्रिय निमु,

बा ने बतलाया है कि तुम और तुम्हारी माताजी दोनों आश्रममें लौट आई हैं। यह अच्छा हुआ। लेकिन तुम्हारी कब्जकी शिकायत अब कैसी है? क्या तुम बहादुर नहीं? सावित्री[5] कैसी है? उसे इसी नामसे बुलाते हैं या किसी दूसरे नामसे?

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी : सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७६।

१. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

२. साधन-सूत्रमें इस शीर्षकको जिस क्रममें रखा गया है, उसके आधार पर तिथिका अनुमान लगाया गया है।

३. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

४. साधन-सूत्रमें इस शीर्षकको जिस क्रममें रखा गया है उसके आधारपर तिथिका अनुमान लगाया गया है।

५. निर्मला गांधीकी कन्या 'सुमित्रा' के स्थानपर यह शायद भूलसे लिखा गया है।

४३३. पत्र: राधा गांधीको[1]

मौनवार [२६ मई, १९३०][2]

प्रिय राधा,

तुम्हारा पत्र मुझे मिला नही। यह डाकमें ही होगा। तुमने यदि मुझे अबतक कोई पत्र न लिखा हो, तो अब लिखना और सारे समाचार देना। रुखी कहाँ है? कैसी है?

बड़ी जल्दीमें हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७८।

४३४. पत्र: मैत्री गिरिको[3]

मौनवार [२६ मई, १९३०][4]

प्रिय मैत्री,

कुछ समझदारी आई तुझमें? अपने पिताका नाम ऊँचा करो। कृष्णमैयादेवी कैसी है? मुझे पत्र लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७८।

१. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

२. साधन-सूत्रमें इस शीर्षकको जिस क्रममें रखा गया है उसके आधार पर तिथिका अनुमान लगाया गया है।

३. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

४. साधन-सूत्रमें इस शीर्षकको जिस क्रममें रखा गया है उसके आधारपर तिथिका अनुमान लगाया गया है।

४३५. पत्र : गंगाबहन झवेरीको[1]

यरवडा मन्दिर
मौनवार [२६ मई, १९३०][2]

प्रिय गंगाबहन झवेरी,

तुम और नानीबहन सकुशल होगी। क्या अब तुम अकेली रह सकती हो? अँधेरा बढ़ चुका है, इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं लिखूंगा।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७६।

४३६. पत्र : गोमती मशरूवालाको[3]

यरवडा मन्दिर
मौनवार [२६ मई, १९३०][4]

प्रिय गोमती,

मैंने सुना है कि किशोरलालका स्वास्थ्य अच्छा है। विस्तारसे लिखो। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? तारी कहाँ है? वहीं हो तो उससे मुझे पत्र लिखनेको कहना। नाथू कहाँ है? क्या वह आश्रम जाता है? वहाँ कौन-कौनसी बहनें है?

बापूके आशीर्वाद

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७५।

१. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

२. साधन-सूत्रमें इस शीर्षकको जिस क्रममें रखा गया है उसके आधारपर तिथिका अनुमान लगाया गया है।

३. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

४. साधन-सूत्रमें इस शीर्षकको जिस क्रममें रखा गया है उसके आधारपर तिथिका अनुमान लगाया गया है।

४३७. पत्र : मोतीबहनको[1]

मौनवार [२६ मई, १९३०][2]

प्रिय मोतीबहन,[3]

बा ने बतलाया कि तुम उदास रहती हो। ऐसा क्यों? 'गीता' का पाठ करनेवालेको उदासी घेर ही नहीं सकती। नित्य प्रति ईश्वरका ध्यान करने और उसे अपने हृदयमें प्रतिष्ठित माननेवाला कोई व्यक्ति उदास हो ही कैसे सकता है? उदासीको मार भगाओ।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७७।

४३८. पत्र : डा० प्राणजीवनदास मेहताको[4]

यरवडा मन्दिर
२६ मई, १९३०

प्रिय प्राणजीवन भाई,

जेलमें अकसर आपकी याद आती रही है। आप भले-चंगे तो होंगे ही। मेरे बारेमें चिन्तित न हों।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७७।

१. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

२. साधन-सूत्रमें इस शीर्षकको जिस क्रममें रखा गया है उसके आधारपर तिथिका अनुमान लगाया गया है।

३. मथुरादास पुरुषोत्तमकी पत्नी।

४. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

४३९. पत्र : रतिलाल मेहताको[1]

२६ मई, १९३०

प्रिय रतिलाल,

चम्पाके किरायेका तुमने क्या किया? तुम क्या काम करते हो? क्या तुम बापूको[2] पत्र लिखते हो?

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७८।

४४०. पत्र : मणिबहन परीखको[3]

२६ मई, १९३०

प्रिय मणिबहन,

नरहरि आखिर जेल पहुँच ही गया। उसने मार भी खाई है। वह दूना भाग्यशाली निकला। क्या तुम पूर्णतः साहसी बनी हुई हो? अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखना।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७७।

१. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।
२. रतिलालके पिता डा० प्राणजीवन मेहता।
३. यह अंग्रेजीसे अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

४४१. पत्र : मीठूबहन पेटिटको[1]

यरवडा मन्दिर
२६ मई, १९३०

प्रिय मीठूबहन,

ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७६।

४४२. पत्र : अमीना कुरैशीको[2]

२६ मई, १९३०

प्रिय अमीना,

इमाम साहब आखिर जेल-महलमें पहुँच ही गये। शायद कुरैशी भी [जेल] चला गया हो। क्या तुम्हारी सेहत ठीक है? आपके लिए क्या इंतजाम किया गया है? बच्चे कैसे हैं?

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७८।

१ व २. ये अंग्रेजीमें अनूदित पत्रोंके अनुवाद हैं। मूल पत्र उपलब्ध नहीं हैं।

४४३. पत्र : शान्ताको[1]

मौनवार [२६ मई, १९३०][2]

प्रिय शान्ता,

कैसी हो, मन अब बिलकुल शान्त तो है न? हो सकता है कि डाकमें तुम्हारा कोई पत्र हो, जो मुझे न मिल पाया हो। तुमने यदि कोई पत्र लिखा ही न हो तो अब लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७८।

४४४. पत्र : सोनामणिको[3]

मौनवार [२६ मई, १९३०][4]

प्रिय सोनामणि,

तुम दोनों बहनें कैसी हो? हिन्दी अच्छी तरह सीख ली है? सारे समाचार देना।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७६।

१. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

२. साधन-सूत्रमें इस शीर्षकको जिस क्रममें रखा गया है उसके आधारपर तिथिका अनुमान लगाया गया है।

३. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

४. साधन-सूत्रमें इस शीर्षकको जिस क्रममें रखा गया है उसके आधारपर तिथिका अनुमान लगाया गया है।

४४५. पत्र : कलावती त्रिवेदीको[1]

मौनवार [२६ मई, १९३०][2]

प्रिय कलावती,

तुम्हारे पत्रका इंतजार है। इन दिनों तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसी है? क्या कर रही हो? मुझे अपना सारा हाल लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७५।

४४६. पत्र : गंगाबहन वैद्यको[3]

[२६ मई, १९३०][4]

प्रिय गंगाबहन (वड़ी),

बारहवाँ और तेरहवाँ अध्याय पढते समय मुझे तुम्हारी याद आई। अपेक्षाकृत छोटे-से बारहवें अध्यायके अनुवादके[5] शीर्ष पर मैंने लिख दिया है कि यह सब लोगोंको कंठस्थ कर ही लेना चाहिए — यदि संस्कृतमें नहीं तो कमसे-कम गुजरातीमें अवश्य कर लेना चाहिए। गुजरातीमें उसे समझना आसान है। उसमें बतलाये गये भक्ति-मार्गको समझ लेनेके बाद जाननेके लिए कुछ रह ही नहीं जाता। निस्सन्देह तुमने पत्र लिखा होगा, लेकिन अबतक वह मेरे पास नहीं पहुँचा है।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७५।

१. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

२. साधन-सूत्रमें इस शीर्षकको जिस क्रममें रखा गया है उसके आधारपर तिथिका अनुमान लगाया गया है।

३. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

४. साधन-सूत्रमें इस शीर्षकको जिस क्रममें रखा गया है उसके आधारपर तिथिका अनुमान लगाया गया है

५. अनासक्तियोगके; देखिए खण्ड ४१।

४४७. पत्र : पी० जी० मैथ्यूको

२६ मई, १९३०

प्रिय मैथ्यू,

तुम्हारा पत्र पाकर मुझे खुशी हुई। यदि तुममें धैर्य है तो भगवान् तुम्हें प्रकाश और शान्ति देगा।

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १५५२) की फोटो-नकलसे।

४४८. पत्र : पैट्रिक क्विनको

२७ मई, १९३०

प्रिय श्री क्विन,[1]

क्या आप दो पौंड दाख और एक पौंड किशमिशका आर्डर देने और लिखनेके लिए कुछ सादा कागज या साधारण पैड भेजनेकी कृपा करेंगे?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी : सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ २४०।

१. परवडा सदर जेलके सुपरिंटेंडेंट।

४४९. पत्र : मोहनलाल भट्टको[1]

मंगलवार [२७ मई, १९३०][2]

प्रिय भाई मोहनलाल,

सचमुच तुम काफी अच्छा कर रहे हो। 'गीता' [के अनुवाद]में दो भूलें मिली हैं। मैं उनको फिरसे लिख लूँगा। 'इंडियन सोशल रिफॉर्मर' और 'मॉडर्न रिव्यू' मुझे भेजो। दोनों हमारे पास आते थे। यदि न आये हों तो कृपया मैसर्स नटराजन् और रामानन्द बाबूको लिख दीजिए।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ ५७७।

४५०. पत्र : ई० ई० डायलको

यरवडा सदर जेल
३० मई, १९३०

प्रिय मेजर डायल,

आज चार व्यक्ति मुझसे मिलने आये। इनमें एक तो थीं श्रीमती कैप्टेन और दूसरे श्री रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्स। शेष दो थे कुमारी स्लेड (मीराबाई) और श्री मथुरादास त्रिकमजी। इनमें से अन्तिम दो को मुझसे मिलनेकी इजाजत दी गई। लेकिन चूँकि पहले दो व्यक्तियोंको सुपरिंटेंडेंट मिलनेकी अनुमति न दे पाये, इसलिए मैंने इन दोनोंसे भी मिलनेसे इनकार कर दिया। आपको याद होगा कि हम दोनोंके बीच हुई पहली ही बातचीतमें मैंने आपसे साफ कह दिया था कि मैं अपने रक्त-सम्बन्धियों और अन्य लोगोंमें कोई फर्क नहीं करता और यह कि अगर सरकार यह चाहती है कि मैं अपने रक्त-सम्बन्धियोंसे मिलूँ तो उसे मेरे दृष्टिकोणको स्वीकार करना चाहिए और मुझे अन्य लोगोंसे भी, जो श्रीमती कैप्टेन और श्री रेनॉल्ड्सकी तरह मेरे लिए रक्त-सम्बन्धियोंके ही समान हैं, मिलनेकी छूट देनी चाहिए। मैंने यह समझा था कि

१. यह अंग्रेजीमें अनूदित पत्रका अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

२. साधन-सूत्रमें इस शीर्षकको जिस क्रममें रखा गया है उसके आधारपर तिथिका अनुमान लगाया गया है।

आपने मेरी बात मान ली है। लेकिन हो सकता है, मैंने गलत समझा हो। मै किसी पर दोषारोपण नही करना चाहता। मै अपने लिए कोई विशेष सुविधा नही चाहता। मै तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप मेरी स्थितिको समझें और सरकारको मेरा दृष्टिकोण मालूम हो जाये, फिर वह उसे भले ही स्वीकार न करे। अगर मैं अन्य लोगोंसे नहीं मिल सकता तो मुझे अपने रिश्तेदारोंसे भी नही मिलना चाहिए। मेरा यह दृष्टिकोण मेरे लिए कोई नया नही है। १९२२में भी मैंने यही दृष्टिकोण अपनाया था। उस समय मुझे उन लोगोंसे मिलनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई थी जो मेरे रिश्तेदार नही थे। यह कहनेकी तो जरूरत ही नही है कि यह बात मेरे ध्यानमें है कि मुझे मुलाकातियोंसे न तो कोई राजनीतिक सन्देश प्राप्त करना चाहिए और न उनके द्वारा भेजना चाहिए।

मेरे साप्ताहिक पत्र भी अधरमें लटके हुए है। ये पत्र भी मैंने हमारे बीच हुए समझौतेके मुताबिक ही लिखे और इस समझौतेको मैंने जिस रूपमें समझा वह यह था कि आश्रमवासी मित्रोंके नाम एक लिफाफेमें भेजे सभी गैर-राजनीतिक पत्रोको[1] एक ही पत्र माना जायेगा।

यदि इन दोनों मामलोमें आप स्थितिको स्पष्ट करते हुए जल्दी ही सूचना भेज दें तो कृपा होगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स, ७५०(५) ए, पृष्ठ ६५ तथा एस० एन० १९९७३ से भी।

४५१. पत्र : पैट्रिक क्विनको

४ जून, १९३०

प्रिय श्री क्विन,

अधिकसे-अधिक आधा घंटेके लिए ही सही, यदि आप किसी जेलर इन्स्पेक्टरको भेज दें तो कृपा होगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
महात्मा गांधी : सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ २४१।

१. यहाँ बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्समें 'अफेयर्स' (मामले) शब्द आया है, लेकिन एस० एन० १९९७३ में उपलब्ध मसविदेमें प्रयुक्त 'लेटर्स' शब्दके अनुसार अनुवाद किया गया है।

४५२. पत्र : आर० वी० मार्टिनको

यरवडा सदर जेल
११ जून, १९३०[1]

प्रिय मेजर मार्टिन,

आपने मुझे बताया है कि सरकार सप्ताहमें दो बार मेरे सात रक्त-सम्बन्धियोको मुझसे मिलने देगी और अन्य लोग सरकारकी विशेष अनुमति लेकर ही मुझसे मिल सकते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि मेरी पत्नीको, जो मेरी रक्त-सम्बन्धी नही है, और इसलिए उसके भाइयों तथा अन्य सम्बन्धियोको मुझसे मिलनेके लिए विशेष अनुमति लेनी पडेगी। मुझे विश्वास है कि यह एक शब्द-सम्बन्धी चूक-भर है। लेकिन स्पष्ट ही अधिकारियोका मन्शा यह है कि जिन लोगोका मुझसे खूनका रिश्ता नही है अथवा जिनकी विवाहादिके सूत्रसे मुझसे कोई रिश्तेदारी नही है, वे मुझसे सरकारकी अनुमति लेकर ही मिल सकते है और इसका एकमात्र अपवाद श्रीमती मीराबाई स्लेड हैं।[2] यदि इस निर्णयको बदला नहीं जाता तो मुझे लगता है कि मुझे अपने किसी भी रिश्तेदारसे न मिलना चाहिए। आश्रममें तथा आश्रमसे बाहर ऐसी अनेक विधवाएँ, लडकियाँ, लड़के और आदमी है जो मेरे लिए शायद रिश्ते-दारोंसे भी बढकर हैं। यदि ये लोग मुझसे उसी प्रकार नही मिल सकते जिस प्रकार मेरे रिश्तेदार मिल सकते हैं तो इनके साथ न्याय करनेके लिए मुझे अपने रिश्तेदारोसे भी कतई नही मिलना चाहिए।[3]

यद्यपि अब एक पखवाड़ा बीत गया है, लेकिन मुझे इस सम्बन्धमें कोई जान-कारी नही मिल पाई है कि आश्रमसे यहाँ जो पत्र आये और जो पत्र मैंने आश्रमको लिखे उनका क्या हुआ। आपने मुझे बताया था कि उन्हें[4] आपने आई० जी० के पास भेज दिया है।

एक बात और है। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ मेरा कोई साथी हो, इस-लिए श्रीयुत कालेलकरको यहाँ लाया जा रहा है। वे मेरे एक सम्मानित सहकार्यकर्त्ता

१. यह पत्र जेल-सुपरिंटेंडेंट आर० वी० मार्टिनको १२ तारीखको मिला था।

२. एस० एन० १९९७४ में इस पत्रका जो मसविदा उपलब्ध है उसमें "एकमात्र अपवाद श्रीमती मीराबाई स्लेड", ये शब्द नहीं हैं।

३. गांधीजी को दी जानेवाली सुविधाओंके सम्बन्धमें गृह-सचिवने १७ जूनको जेलोंके इंस्पेक्टर जनरलको लिखा कि "...मुझसे ऐसा सूचित करनेको कहा गया है कि 'रक्त-सम्बन्धी' के स्थानपर 'सम्बन्धी' शब्द लिखा जाये।...स्पष्ट ही श्री गांधी की पत्नी या उनके साले और ऐसे ही अन्य लोगोंको इस सुविधासे वंचित रखनेका मंशा नहीं था। मुझे यह भी सूचित करनेका निर्देश दिया गया है कि अगर श्री गांधी अपने सम्बन्धियोंसे मिलनेसे इनकार करें तो एक ही रास्ता रह जाता है कि ऐसे सम्बन्धियोंको भी अजनबी 'मानकर मुलाकातोंका नियमन तदनुसार किया जाये।..."

४. यहाँ मसविदेमें 'बोथ' (दोनों) शब्द आया है।

है, लेकिन अगर आप लोगोंको मेरी किसी बातसे ऐसा लगा हो कि मेरा साथ देनेके लिए उन्हें यहाँ लाया जाये तो मुझे इस बातका खेद है। मैं नहीं चाहूँगा कि वे साबरमती जेलमें जिन अनेक साथियोंके साथ रखे गये है, उनसे अलग करके उन्हें यहाँ इसलिए लाया जाये कि वे मेरे इस एकाकीपनके सहभागी बनें। अगर उन्हें अन्य सत्याग्रही कैदियोंके साथ बेरोक-टोक मिलने-जुलनेकी सुविधा दी जाये तो मुझे उनका साहचर्य प्राप्त करके प्रसन्नता होगी, लेकिन उनको नुकसानमे रखकर उनके साहचर्यका सुख पानेकी मेरी कोई इच्छा नही है। स्वभावतः मैं जो चाहूँगा वह यही कि इस जेलके अपने सभी सत्याग्रही-मित्रोसे मिल-जुल सकूँ। और मैंने अक्सर आपसे जो बात कही है, उसीको फिर दोहराता हूँ: मै अपने लिए कोई विशेष सुविधा नहीं चाहता। लेकिन, अगर किसी साधारण कैदीको, संयोगसे उसके जो साथी उसी जेलमें हों जिसमें वह है, उनके साहचर्यकी सुविधा दी जा सकती है तो मेरे लिए भी मनमें ऐसी इच्छा रखना शायद अनुचित न होगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३१६) की फोटो-नकलसे; तथा एस० एन० १९९७४ से भी।

४५३. पत्र: प्रेमाबहन कंटकको

यरवडा मन्दिर
मौनवार [१६ जून, १९३० या उसके पूर्व][1]

चि० प्रेमा,

ऐसा लगता है, तुम्हारे पत्रको जेल-अधिकारियोंने ही रोक लिया है। मुझे विश्वास है, उसमें ऐसा कुछ नही होगा जिसको लेकर आपत्ति की जा सके, लेकिन क्या किया जाये? यदि सारे पत्र मुझे मिल जायें तो जेलका कोई अर्थ ही न रहे। फिर लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६६७६) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: प्रेमाबहन कंटक

१. बापुना पत्रो-५: कु० प्रेमाबहेन कंटकने नामक पुस्तकमें ऐसा कहा गया है कि शायद यह पत्र १२ मईसे लेकर २३ जूनके बीच किसी दिन लिखा गया होगा।

४५४. पत्र : रामानन्द चटर्जीको

यरवडा सदर जेल
१८ जून, १९३०

प्रिय रामानन्द बाबू,

आपका २५ मईका पत्र मुझे अभी तीन दिन पहले दिया गया। इसमें आपने जो-कुछ लिखा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कविवर राजचन्द्र पर लिखा मेरा छोटा-सा लेख[1] आपके हाथोमें सुरक्षित पहुँच गया। मैं चिन्तामें था कि पता नही, वह आपको मिला या नही।

मुझे अन्य पत्रिकाओके अलावा 'मॉडर्न रिव्यू' मँगानेकी भी छूट दी गई है। क्या आप मई अंकसे लेकर आगे तककी उसकी प्रतियाँ भेज सकेंगे? कुछ दिन पहले मैंने 'यंग इडिया' कार्यालयसे यह पत्रिका भेजनेको कहा था, लेकिन पता नही, मुझे अबतक प्रतियाँ क्यो नही मिल पाई है। मैंने खुद नही लिखा था।

आशा है, जल्दी ही 'यग इडिया' में आपका कोई लेख देखनेको मिलेगा।

पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदीसे मेरा नमस्कार कहे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत रामानन्द चटर्जी
१२०-२, अपर सर्कुलर रोड
कलकत्ता

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३१४) से।
सौजन्य : सीतादेवी

१. देखिए "महान् तत्त्वदर्शी", १८-३-१९३०।

४५५. पत्र : पैट्रिक क्विनको

१८ जून, १९३०

प्रिय श्री क्विन,

कृपया इन चीजोंके लिए आर्डर दे दीजिए :

दाख दो पौंड

खजूर दो पौंड

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी : सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ २६६।

४५६. पत्र : मीराबहनको

२२ जून, १९३०

चि० मीरा,

कई सप्ताह बाद फिर आश्रमके पत्र लिखनेको कलम उठा रहा हूँ। मुझे मालूम हो गया था कि जो पत्र मैंने तुम्हारे पास भेजे थे और इसी तरह जो पत्र आश्रमसे मेरे पास भेजे गये थे वे रोक लिये गये हैं। ऐसी सूरतमें मैं लिखना नहीं चाहता था। अब रास्ता काफी साफ हो गया दीखता है, यद्यपि मुझे सारे साप्ताहिक पत्र अभीतक नही मिले हैं और मुझे पता है कि कुछ रोक लिये गये हैं। वे बच्चोंके लिखे पत्र हैं। मैं उन्हें प्राप्त करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। कभी-कभी तो मुझे यह महसूस कराया ही जाना चाहिए कि यह जेल-जीवन है।

जबतक मौजूदा कठिनाई दूर नही हो जाती, तबतक मैं किसीसे मुलाकात करनेको तैयार नही हूँ। अगर सम्मानपूर्ण शर्तोंपर मुलाकातें नहीं हो सकती, तो हमें पत्र लिखकर ही सन्तोष कर लेना चाहिए, बशर्ते कि पत्र-व्यवहार भी इज्जतके साथ जारी रखा जा सके। इसलिए अगर तुम्हें मेरे पत्र नियमित रूपसे न मिलें, तो समझ लो कि मैं कैदी हूँ। अगर मैं सचमुच बीमार हुआ तो दीवारें बोल उठेंगी। पिछली बारकी तरह खुद अधिकारी ही घोषणा कर देंगे; और जब कभी तुम्हें अफवाहें सुनाई दें, तुम उनसे हमेशा पूछताछ कर सकती हो और मुझे आशा है कि वे तुम्हें

फौरन जानकारी दे देंगे। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि जहाँतक पत्र लिखनेका सम्बन्ध है, स्थिति ठीक ही रहेगी। अभी तो मामूली कब्जके सिवा मेरे स्वास्थ्यमें कोई खराबी नही है। किसी भी तरहकी चिन्ताका कोई कारण नही है।

सबसे हालमें तुम्हारा ९ तारीखका पत्र मिला है। उसके बाद कोई पत्र नहीं मिला। धुनकीके बारेमें तुमने जो सुझाव दिये है, वे बहुत अच्छे और काफी है। फिर भी मैंने उसे उलटा लटका रखा है और वह भली-भाँति काम कर रही है। खुद धुनकीको लेकर कोई कठिनाई नही हुई। मेरे पास जितनी रुई थी, सब पीज ली है। ताँत अभीतक जरा भी खराब नही हुई है। मैंने नीमके पत्ते इस्तेमाल नही किये। उसके बदले इमलीसे मिलते-जुलते किसी और ही पेड़के पत्ते काममें लाता हूँ। वे ठीक काम दे रहे है। पूना आनेवाले किसी भी आदमीके हाथ तुम दो पौंड रुई भेज सकती हो। बहुत जल्दी नही है। मेरे पास कमसे-कम १५ जुलाईतक चलने लायक पूनियाँ है। तबतक मुझे धुनकीको छूनेकी जरूरत नही है। जब मुझे जरूरत होगी तो तुम्हारे सुझावोके अनुसार धुनकीको ठीकसे जमा लूँगा।

तकुए पर गिर्रीको ठीक तरह लगानेके बारेमें भी मै समझ गया हूँ। लेकिन यहाँ भी प्रकृतिने मुझपर कृपा की है। मैंने गिर्रीको अपने ही ढंगसे लगा लिया और वह बिलकुल स्थिर हो गई है। अगर गड़बड़ हुई तो तुम्हारा नुस्खा आजमाऊँगा।

तुमने अपने कामके बारेमें जो-कुछ लिखा है, वह सब मेरे ध्यानमें है। तुम्हें ईश्वर जैसा रास्ता बताये, अपनी शक्तिके अनुसार वैसा ही करो। भगवान् तुम्हारा कल्याण करे। और बातें सामान्य पत्रसे जान लेना।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३९८) से; सौजन्य: मीराबहन; जी० एन० ९६३२ से भी।

४५७. पत्र : पैट्रिक क्विनको

२२ जून, १९३०

प्रिय श्री क्विन,

(१) क्या आप दो पौंड खजूरके लिए आर्डर देनेकी कृपा करेंगे?

(२) मेरे साथीको कल सब्जियाँ और नमक नही मिला।

(३) उनको कमोड पॉट अभीतक नही दिया गया; ढाँचा उनके पास है।

(४) उनके अपने बर्तन-भांडे, चार्ट इत्यादि अबतक उनको लौटाये नही गये है।

मुझे उनके लिए इसलिए लिखना पड़ रहा है कि उनको मेरी खातिर ही यहाँ लाया गया है। इसलिए उनकी असुविधा मुझे अपनी ही असुविधा महसूस होती है। इस प्रकार मै बिलकुल स्वार्थवश ही उनके बारेमें लिख रहा हूँ।

और फिर चिट्ठियाँ न मिलनेकी बात तो है ही।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी: सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ २६६।

४५८. पत्र: नारणदास गांधीको

यरवडा मन्दिर
२२/२३ जून, १९३०

चि० नारणदास,

तुम्हारी भेजी डाक मुझे धीरे-धीरे मिलती जा रही है। तुम देखोगे कि मैंने मीराबहनको जो पत्र लिखा है उसमें मैंने इसकी चर्चा की है। १९, २६ मई और १० जूनको लिखे तीनों पत्र इन पिछले छः दिनोंमें मुझे एक-एक करके मिले हैं। अन्य पत्र जो तुमने मुझे भेजे होंगे, अभी इधर-उधर भटक रहे होंगे। मेरे हिसाबसे मुझे अभी दो डाक और मिलनी चाहिए। अर्थात् २ या ३ जूनके तथा १६ जूनके पत्र। अबसे तुम जो पत्र लिखो उसमें पत्रके साथ भेजे जानेवाले पत्रोंके लेखकोंके नाम भी लिखना। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ पत्र मुझे नहीं दिये गये हैं।

रतिलालको जिस तरह सन्तुष्ट किया जा सकता हो, उस तरह सन्तुष्ट करना। मैं उसे पत्र लिख रहा हूँ।

जापानके जो भाई 'सत्यके प्रयोग' का अनुवाद करना चाहते हैं उन्हें अनुमति दे देना। बंगाली बहनोंका पत्र इसके साथ है। रावजीभाई, शिवाभाई अब बिलकुल अच्छे हो गये होंगे।

जगन्नाथ किस काममें लगे हुए हैं?

कच्चे दूधसे दही जमानेका प्रयोग पूर्णतः सफल हुआ है। मैं ज्यादातर दूधके बदले दही लेता हूँ। इसलिए इस समय मेरी खुराक यह है, दही, खजूर अथवा मुनक्का और एक बार नीबूका रस। मैं अभी तो कोई गरम पेय नहीं लेता। एरंडीका तेल सिर्फ एक दिन पीना पड़ा था। और उस दिन मैंने दो बार गरम पानी, नीबू और नमक लिया था। दूध भी पी लिया था; लेकिन कच्चा ही। उसका कोई खराब असर देखनेमें नहीं आया। इसलिए देखता हूँ, अभी तो ऐसे ही काम चलेगा। वजन जो था वही है। एकाध पौंड इधर-उधर हो जाता है। फिलहाल तो १०५ है।

काकासाहब चार दिनसे आ गये हैं। आनन्द है। उनकी खुराक दूध, रोटी और घी है तथा मेरे हिस्सेके फलोंमें से कुछ ले लेते हैं। हरी सब्जियोंकी माँग की है, उम्मीद है उसे स्वीकार कर लिया जायेगा।

काममें मैंने सिलाईके कामको और जोड़ दिया है। लेडी विट्ठलदाससे मशीनके लिए कहा था, सो आ गई है। उसपर फिलहाल मैं जेलकी टोपियाँ सीता हूँ। इस काममें ४५ मिनटसे एक घंटेका समय लगता है।

कातनेकी रफ्तार तो कमसे-कम ३७५ तार है। औसतन ४०० तार होते होंगे। तकली पर काम जारी है। तकली बनानेमें भी पर्याप्त समय देता हूँ। आजकल महीन कताई पर जोर दे रहा हूँ। उसका अच्छा अभ्यास होता जा रहा है। तकलीके गुण मुझ पर दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक प्रकट होते जाते हैं। वह कदाचित् चरखेकी अपेक्षा दुखियोंका अधिक सहारा हो, हालाँकि दोनों ही शान्ति प्रदान करते हैं। आज सिलाईकी मशीनके साथ तुलना करते हुए मुझे हाथके कामकी सात्विकता स्पष्ट दिखाई देती है। मैं सिलाईकी मशीनको अमूल्य वस्तु तो मानता हूँ, लेकिन वह शान्ति देने-वाली चीज नहीं है। उसको चलाते हुए गतिको उत्तरोत्तर तेज करनेकी इच्छा होती है और अन्ततः दिमाग थक जाता है। परन्तु तकली पर अधिकार प्राप्त करनेके बाद जिस तरह सुन्दर बैलगाड़ीको हाँकनेवाला धीमे-धीमे और शान्तिपूर्वक अपनी मंजिल तय करता है, तकली कातनेवाला उसकी अपेक्षा अधिक शान्तिसे अपना कार्य सम्पन्न करता जाता है। मेरा अनुभव तो यही है; जबकि अभी मैं तकली चलानेमें पारंगत नहीं हुआ हूँ। उस पर पूरा अधिकार प्राप्त करनेके बाद कैसा अनुभव होता है, यह देखना अभी बाकी है। काकासाहब भी तकली चला रहे हैं, लेकिन उसका रहस्य अभी उनके हाथ नहीं लगा है। उनके लिए ये वस्तुएँ कष्टसाध्य हैं। इनमें श्रेय है, यह बात तो वे जानते हैं। इसीसे उससे प्रेम करनेकी कोशिशमें हैं। वे अभी चरखा नहीं चलाना चाहते; अभी तो वे तकलीकी साधनाको ही पूरा करना चाहते हैं।

पढ़ाई तो मैं सूत्र-यज्ञसे फुरसत मिलने पर ही कर पाता हूँ। सिलाईके कामको भी मैं सूत्र-यज्ञका एक हिस्सा मानता हूँ। मथुरादासने मुझे जो सुझाव भेजा था उसका मैंने स्वागत किया। संयोग मिलने पर मैं उस पर अमल करता हूँ। काकाके आने पर लोभ हो आया। इससे मैंने कलसे मराठी शुरू की है। थोड़ी-सी भी आ जाये तो अच्छा होगा। 'गीता' कण्ठस्थ करनेकी बात सबसे कहता हूँ, तो स्वयं क्यों न करूँ? लेकिन ऐसा करना तो पक्के घड़ेको साँचेमें ढालनेके समान है। लेकिन यदि इस दिशामें प्रयत्न करना सकारथ है तो यह यहीं हो सकता है, ऐसा सोचकर मैंने आठ दिन पहले 'गीता' कण्ठस्थ करना आरम्भ किया था। बारहवाँ अध्याय कण्ठस्थ कर लिया है। तेरहवाँ शुरू किया है। काकाके आनेपर स्वाभाविक रूपसे इस क्रममें तनिक व्यवधान पड़ गया है। सूत्र-यज्ञके समयमें से तो मैं इसके लिए समय चुरानेवाला नहीं हूँ; इसलिए 'चलते-फिरते पुस्तकालय'[१] आदिमें यह काम करता हूँ। 'पुस्तकालय' में 'गीता' कण्ठस्थ करनेकी बातसे कोई न चौंके। ईश्वर सर्वव्यापी है, यह बात हमने बचपनसे सीखी है। इसलिए वहाँ भगवान्का नाम लेते हुए अथवा उसका काम करते हुए किसीको क्षोभ न होना चाहिए। हाँ, इससे यह बात अवश्य स्पष्ट हो जाती है कि हमारे 'पुस्तकालय' पुस्तक-भण्डारके समान ही स्वच्छ और निर्मल होने चाहिए।

१. गांधीजी शौचालयमें किताबें रखते थे और उसे 'पुस्तकालय' कहते थे।

मेरा तो ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ तो रहनेके स्थानपर ही सबको सब क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। मुझे तीन कोठरियाँ दी गई हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो दक्षिण आफ्रिका और यहाँ भी जेलमें एक ही कोठरीमें सब क्रियाएँ की हैं, करनी पड़ी हैं।

तुम्हारा २६ मईका पत्र, हम दोनोंको, लम्बा होनेके बावजूद संक्षिप्त और पर्याप्त लगा है। उसमें एक शब्द भी फिजूल नहीं है। यदि कुछ रह गया हो तो पत्र उसी हद तक अपूर्ण है। लेकिन उससे कुछ रह जानेका आभास नहीं होता। २६ मईका यह पत्र १० जूनके पत्रके बाद मिला। कल ही मिला है।

अब और अधिक नहीं लिखूंगा। मेरा खयाल है मैंने तुम्हारे सब प्रश्नोंका उत्तर दे दिया है।

अबसे तुम जो पत्र लिखो उसमें जिन लोगोंके पत्र साथ हों उनके नाम अवश्य देना। यह पत्र दो हिस्सोंमें लिखा गया है। एक हिस्सा कल रात लिखा था। खुशालभाईकी सेवामें तो अभी पुरुषोत्तम ही है न?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मीराबहन यदि वहाँ न हो अथवा अत्यन्त व्यस्त हो तो रुई भेजनेकी बातपर तुम फुरसतसे अमल करना। बालकृष्णका उत्तर अब फिर कभी।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८११३) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

४५९. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

यरवडा मन्दिर
२३ जून, १९३०

चि० प्रेमा,

मुझे तुम्हारा सुन्दर पत्र मिला। यदि मुझे सचमुच तुम्हारे पत्रकी जरूरत महसूस न हो तो केवल औपचारिकतावश मैं तुमसे उसकी माँग न करूँ।

धुरन्धर और कमला मुझे बहुत अच्छे लगे। दूसरी बहनसे तो न जाने कब मिलना हो।

तुम्हें कच्ची सब्जियोंका उपयोग छोड़ना नहीं चाहिए। कच्चा करेला भी अवश्य खाया जा सकता है। मैंने तो खाया है। कुछ ताजे करेले लो, उनको पीस लो और उसमें नीबू निचोड़ दो; लेकिन किसी समय कोई सब्जी न मिले तो उसके बिना ही काम चलाना चाहिए। उसके बदले किशमिश लेनी चाहिए। सुधरे हुए स्वास्थ्यको

फिरसे बिगाड़ नहीं लेना। भूख यदि ज्यादा लगती है तो दूध-दहीका प्रमाण बढ़ाया जा सकता है। खर्चका खयाल न करना। अपने अन्तिम निर्णयके बारेमें बताना।

किसी बातका उत्तर रह गया हो, तो फिर पूछ लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६६७१)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक

४६०. पत्र : कलावती त्रिवेदी

यरवडा मन्दिर
२४ जून, १९३०

चि० कलावती,

अब तो तुम गूजराती अच्छी तरह समजती होगी। मुझे पत्र लीखो और सब ख्यालात बता दो। अब चित्त स्थिर है? क्या काम करती है?

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ५२४५ की फोटो-नकलसे।

४६१. पत्र : पैट्रिक क्विनको

२६ जून, १९३०

प्रिय श्री क्विन,

आशा है आपने खजूरोंके लिए आर्डर भेज दिया होगा।

कृपया नमक और कमोड पॉट भिजवा दीजिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी : सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खण्ड ३, भाग ३, पृष्ठ २६९।

४६२. पत्र : प्रभावतीको

२७ जून, १९३०

चि० प्रभावती,

अब तो तुझे मेरे पत्र नियमपूर्वक मिलते ही होंगे। यह बात तुझे समझ लेनी चाहिए कि मैं जबतक यहाँसे पत्र लिख सकता हूँ तबतक तो लिखता ही रहूँगा। मेरा वजन अच्छा है, १०३ पौंडसे तनिक ऊपर; इसलिए चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं। पिताजी की तबीयत सुधरती जाती है यह बात तो मनको प्रसन्नता देनेवाली है। तेरा वजन कम हो गया है। यह कैसे?

प्रयत्न करके तबीयतको सुधार लेना। तुझे दूध अथवा दही तथा फल लेने चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। जयप्रकाशके लिए एक पत्र इसके साथ है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३६०)की फोटो-नकलसे।

४६३. पत्र : प्रभावतीको

यरवडा मन्दिर
२९ जून, १९३०

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र मिला। मेरा पत्र लिखना ही बन्द हो गया था, इसलिए तुझे मेरा पत्र कहाँसे मिल सकता था? कदाचित् अब नियमपूर्वक लिख सकूँगा। मेरा शरीर ठीक रहता है। खानेमें दूध अथवा दही और मुनक्का अथवा खजूर, खट्टा नींबू, बस यही सब लेता हूँ। दूध भी अभीतक कच्चा ही पीता हूँ। इससे कोई नुकसान नही हुआ है। उन लोगोने एक सप्ताहसे काका साहबको मेरे साथ रखा है।

तुम दोनोंके खाने-पीनेका क्या प्रबन्ध है? नौकर रखा है अथवा खुद ही खाना पकाती है? कुछ पढ़ती भी है या नही? 'अनासक्तियोग'[1] पुस्तक तुझे भेजी थी वह मिली या नही। उसे पढ़ा? कुछ समझी?

पिताजी को लिखना कि मैं उन सबको बहुत याद करता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३९२)की फोटो-नकलसे।

१. गांधीजी कृत भगवद्गीताका गुजराती अनुवाद; देखिए खण्ड ४१।

४६४. पत्र : रुक्मिणी बजाजको

यरवडा मन्दिर
२९ जून, १९३०

चि० रुक्मिणी,

तेरा पत्र मिला। अब तो तू आश्रममें पहुँच गई होगी। तेरा पहला कर्त्तव्य शरीरको मजबूत बनाना है। अब ऐसा न करनेका कोई कारण नहीं। ससुराल जाकर बीमार तो नहीं पडा जा सकता न? उसमें बड़ोंकी लाज जाती है न?

ससुरालके अपने अनुभव भी लिखना। झूठी शरम छोडकर लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९०४९)की फोटो-नकलसे।

४६५. पत्र : कलावती त्रिवेदीको

यरवडा मन्दिर
[२९ जून, १९३०][1]

चि० कलावती,

तुमारा खत मीला है। अगला मुझे नहिं दिया गया। शाता बहीन भले आइ। अब तो उनका शरीर अच्छा होगा। तुमारे अक्षर अच्छा करना।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ५२४४ की फोटो-नकलसे।

४६६. पत्र : बनारसीलाल बजाजको

यरवडा मन्दिर
२९ जून, १९३०

चि० बनारसीलाल,

तुमारे हालातका थोडा पता तो मीला है। मेरी आशा है कि चि० रुक्मिणीने तुमको सतुष्ट किया है। दिल खोलके लिखो।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ९०५०की फोटो-नकलसे तथा सी० डब्ल्यू० ९३०३ से भी।

१. मूलमें "२९-३-१९३०" है जो भूल प्रतीत होती है।

४६७. पत्र : रेहाना तैयबजीको

यरवडा मन्दिर
३० जून, १९३०

प्रिय रेहाना,

मुझे आशा है कि तुम बहुत पहले ही रोग-शय्या छोड़ चुकी होगी। लिखना कि तुम कैसी हो। क्या पिताजी से मिली? अपनी माताजी से मेरा नमस्कार कहना।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० ९६१७)की फोटो-नकलसे।

४६८. पत्र : मीराबहनको

यरवडा मन्दिर
३० जून, १९३०

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र मिला।

मेरा खयाल है कि अब आश्रमके पत्र मुझे और मेरे पत्र तुम सबको नियमपूर्वक मिला करेंगे। शर्त यही है कि किसी भी तरहसे राजनीतिकी कोई चर्चा न की जाये। लेकिन अगर तुम फिर पत्रोंका सिलसिला टूटते पाओ तो समझ लो कि कोई बाधा उपस्थित हो गई है।

मुझे खुशी है कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, इतना ही है कि तुम्हारा वजन कमसे-कम जितना होना जरूरी है, उससे घटना नहीं चाहिए। तुम्हारे शरीरके लिए वह ११६ पौंड तो होना ही चाहिए।

हाँ, मैं कुछ सिलाई नियमपूर्वक कर लेता हूँ। अलबत्ता, यह सब जेलका ही काम है। जब मथुरादासने खादीको सस्ता बनानेके लिए सिलाईकी बात सुझाई तो उसका सुझाव मुझे कुछ जँच गया। मैंने सोचा मैं यहाँ मशीनपर अभ्यास करूँगा। मशीन लेडी विट्ठलदासने भेजी है। शायद तुम्हें याद हो वे कुछ दिन आश्रममें भी रही थीं।

चूँकि अब मुझसे मुलाकात करनेवालोंके आनेकी सम्भावना नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम तीन पौंड रुई मेरे पास भेज दो। पिछले पत्रमें मैंने २ पौंड कहा था,[1] लेकिन शायद ३ पौंड भेजना भी ठीक ही रहेगा। काकासाहबको भी पूनियोंकी

१. देखिए "पत्र : मीराबहनको", २२-६-१९३०।

आवश्यकता होगी। रुईको कागजमें लपेटकर वादमें टाटसे सी देना। यह सुझाव खादी-को बचानेके लिए दिया गया है।

सब भाई-बहनोंको मेरा प्यार।

सस्नेह,

बापू

[पुनश्च :]

रुईके बारेमें जो करना है, उसे अगर तुम नही कर सकती तो किसी औरसे ही करनेको कहो।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३९९)से; सौजन्य : मीरावहन, जी० एन० ९६३३ से भी।

४६९. पत्र : पुरुषोत्तम गांधीको

यरवडा मन्दिर
मौनवार, ३० जून, १९३०

चि० पुरुषोत्तम,

तेरा पत्र नही आया। अपनी दैनन्दिनी मुझे भेजना। वजन कितना है? अभी दवा लेता है या नही? बड़े लोगोको मेरे दण्डवत् प्रणाम।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८९९) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

४७०. पत्र : लीलावती आसरको

यरवडा मन्दिर
३० जून, १९३०

चि० लीलावती,

तेरा पत्र मिला। तुझे यहाँसे मोहरबंद पत्र नही भेजा जा सकता। लेकिन जिसका हृदय स्वच्छ हो उसके पास छिपाने लायक हो ही क्या सकता है? तुझे जो पत्र मिला है तू उसे मनसे निकाल देना। एक बार विवाहका विचार त्याग देनेके बाद अब फिर उसका विचार क्यो? और फिर अब तो तूने अपने कर्त्तव्यके साथ पाणिग्रहण किया है; यही सच्चा विवाह है। इसीमें सच्चा सन्तोष है, इसमें कभी विपत्ति नहीं आती, इसमें वैधव्य नही झेलना पड़ता। ऐसा समझकर तू अपने मनसे

विवाहका विचार बिलकुल निकाल देना। 'गीता' के दूसरे अध्यायके अन्तिम भागका हम जो रोज पाठ करते हैं उसका मनन करना। अभी मनको शान्ति न मिली हो तो मुझे फिर लिखना। लिखनेमें कोई संकोच न करना। भूतकालको भूल जाना। वर्तमानको सँभालना; उससे भविष्य तो अपने-आप सुधर जायेगा। यह अनासक्तिका सीधा और सहज अर्थ है। आज हमारा जो धर्म है यदि हम उसका पालन करते हैं तो भविष्यके धर्मका स्वरूप स्वयमेव स्पष्ट हो जाता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९५६३) की फोटो-नकलसे।

४७१. पत्र : मुन्नालालको

यरवडा मन्दिर
३० जून, १९३०

भाई मुन्नालाल,

तुम भाग निकले यह सुनकर दुःख और आश्चर्य दोनों ही होते हैं। जबतक शरीर है तबतक प्रवृत्तिसे मुख कैसे मोड़ा जा सकता है? और फिर शारीरिक कर्म बिलकुल बन्द कर देनेकी बात किसी साधारण व्यक्तिके लिए कदापि नहीं हो सकती। पूर्णताको प्राप्त व्यक्ति भले ही उससे मुक्ति पा जाये। तुम्हारी अव्यवस्थाकी ओर मैंने तुम्हारा ध्यान तो खींचा ही है। चेतो और प्रवृत्त होओ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६६४८) की फोटो-नकलसे; सौजन्य: मुन्नालाल; जी० एन० ८६४८ से भी।

४७२. पत्र : सुशीला गांधीको

यरवडा मन्दिर
३० जून, १९३०

चि० सुशीला,

तेरा पत्र मिला। तू तो सच्चे अर्थमें पारसिन ठहरी न? यदि पारसिन न होती तो 'अनधार्यो'[1] न लिखती, वनिये तो 'अणधार्यो' कहते हैं। तू तो किसी पारसिनसे भी बढी-चढी जान पडती है। तूने भय-मात्र छोड़ दिया प्रतीत होता है। मणिलाल शरीर नही, आत्मा है; यह बात तूने समझ ली है, इसीसे तेरे मुखसे वीरागनाको शोभा देनेवाले वचन निकलते है। मेरी पसन्दगी फलीभूत हुई जान पडती है। ईश्वर तुझे दीर्घायु करे।

अपने माता-पिताको मेरे आशीर्वाद कहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११८१) की फोटो-नकलसे; सौजन्य : सुशीलावहन गांधी; जी० एन० ४७६९ से भी।

४७३. पत्र : नारणदास गांधीको

यरवडा मन्दिर
३० जून, १९३०

चि० नारणदास,

अब तुम्हारे सारे पत्र मिल गये हैं।

भरवाडोके उपद्रवके बारेमें मैंने बहुत विचार किया। इसमें मै अपना धर्म स्पष्ट रूपसे देखता हूँ। हमारा धर्म समस्त ससारके प्रति एक-जैसा ही है। भरवाडोको हमें प्रेमसे जीतना चाहिए। और जो चीज हमारे सरक्षणमें है, हमें उसका बचाव करना चाहिए। यह हम भरवाडोको अपने प्राणोकी आहुति देकर ही कर सकते है। तात्पर्य यह कि अपनी चीजोको भरवाडोसे बचाते हुए हमें मर जाना चाहिए; लेकिन उनपर कभी प्रत्याक्रमण नही करना चाहिए। तिसपर भी जो हुआ है, उसमें मैं दोष

१. सुशीला गांधीने इस शब्दके हिज्जे उस तरह किये थे जिस तरहसे आमतौरपर पारसी करते हैं।

नहीं निकालना चाहता। हमें अपनी शक्ति-भर ही धर्मका पालन करना चाहिए; नही तो उसमें कृत्रिमता आ जाती है; अर्थात् उस समय जो सूझ पड़े, वही सच है। वह हमारी शक्तिका मापदण्ड है। भविष्यके बारेमें मैं जो कहता हूँ, वह बात हमारे धर्मके सम्बन्धमें भी लागू होती है, इसमें मुझे तनिक भी शंका नही है। लेकिन इस रक्षा-धर्मका पालन करनेसे पूर्व हमारे दो कर्त्तव्य हैं। मैं पन्द्रह वर्षोसे यह कहता और देखता आ रहा हूँ कि हमने अपने पड़ोसियोंके जीवनमें घुल-मिलकर नहीं देखा है। दुःख तो यह है कि मैंने स्वयं भी उसपर अमल करानेका प्रयत्न नही किया। इस दिशामें शुरुआत तो की गई, किन्तु बीचमें कोई विघ्न पड़ जानेसे यह काम रह गया। इस तन्द्रा और आलस्यका परिणाम आज हम भोग रहे हैं। परन्तु भूतकालसे शिक्षा ग्रहण करनेके उपरान्त उसका स्मरण करना भी व्यर्थ है। हमें वर्तमानको सँभालना चाहिए। इसलिए फिलहाल तो हमें उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्हें अपने और उनके जाननेवालों के माध्यमसे समझाना चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं, सो भी कहना चाहिए। वे हमारी भूमिपर अपने ढोर चराना चाहें तो उन्हें चाहिए कि वे एवजमें कुछ दें अथवा हमारे पास यदि जगह ही न हो तो इसके बारे हमें उन्हें समझाना चाहिए। आसपासके लोगोंसे भी उन्हें समझानेके लिए कहें। दूसरी तरहसे उनकी जो सेवा की जा सकती है, वह हम करें। यह सेवा तो हमें उनके हर तरहके व्यवहारके बावजूद जारी रखनी चाहिए। उन्हें आश्रमकी उत्पत्ति और कार्यके बारेमें समझायें। इस सबके बावजूद सम्भव है वे आश्रमपर हमले करते रहें। वे चढ़ आयें तो यथाशक्ति अपने प्राणोंकी बलि देकर हम अपनी चीजकी रक्षा करें और हमें मारकर वे भले ही जो ले जा सकें सो ले जायें। यदि इतनी इच्छाशक्ति और सामर्थ्य हममें न हो तो तुम सबको जो उचित जान पड़े सो करना। मैंने तो आश्रम-धर्म क्या है, सो अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हें बताया है। लेकिन मैंने यह-सब जो लिखा है उसे अप्रस्तुत जानना। क्योंकि मैं राय देनेके बाद कुछ नही कर सकता और दूर बैठे हुए राय देनेमें दोष होना भी सम्भव है। मैं वहाँ होऊँ और मुझे कुछ सूझे तो वह एक बात है और यहाँ रहकर राय देना दूसरी; और फिर कैदमें पड़ा व्यक्ति चाहे कितने ही तटस्थ भावसे विचार क्यों न करे उसके विचारमें दोष आ जाना सम्भव तो है ही। इसलिए मेरी रायको बहुत महत्त्व देनेकी जरूरत नही है। तुम्हारे निर्णयमें यदि यह सहायक हो सके, तो उतना ही पर्याप्त है। तुम लोगोंने बादमें भरवाड़ोंकी देखभाल की, सो अच्छा ही किया।

भाई भणसालीको मैं पत्र लिख रहा हूँ, उसे देख जाना। चन्द्रकान्ता और गिरिराज-सम्बन्धी तुम्हारा निर्णय मुझे उचित लगा।

मेरा कार्यक्रम यथापूर्व चल रहा है। आजकल 'गीता'को कण्ठस्थ करनेका प्रयत्न भी ज़ारी है। १२वाँ अध्याय पूरा कर लिया, १३वाँ अभी आधा हुआ है। मनुष्य क्या चाहता है, इसकी उसे ही खबर नही है। काका आये, मनको अच्छा लगा। साथ ही यह भी देखता हूँ कि काका आकर विघ्नरूप बन गये हैं। उनकी

अनुपस्थितिमें 'गीता' का पाठ मैं जल्दी कर लिया करता था। मैंने तो उनको यहाँ आनेसे रोकनेका प्रयत्न भी किया था; लेकिन वह निष्फल गया। प्रयत्न करनेका कारण भिन्न था। वे भी मेरी तरह कोठरीमें बन्द हो जायें, यह बात मनको रुचती नहीं थी। लेकिन सरकारको मुझे साथी अवश्य देना था सो उसने दिया इसलिए काकाको सहन करता हूँ और काकाको साबरमतीके बड़े मण्डलका वियोग सहना पड़ा – इस तरह सब रस उपस्थित हो गये हैं। करुण रस, हास्य रस और वीर रस तो पहले से ही हैं। लेकिन यदि मेरा एक स्वाध्याय मन्द पड़ा तो मराठी शुरू हुई। मैं बहुत स्वावलम्बी बन जाता तो मनमें अभिमान आ जाता। अब मैं काकासे छोटी-मोटी सेवा करवाता रहता हूँ। यह सेवा मुझे अपनी स्थितिका भान करानेमें सहायक होगी। तथा 'गीता' आदि सम्बन्धी मधुर सवादके साथ-साथ विचारशक्तिको जो व्यायाम मिलता है, सो अलग। इस तरह मुझे आत्मनिरीक्षण करनेका कोई-न-कोई अवसर मिलता ही रहता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यदि काका न मिले होते तो भी मैं सन्तुष्ट रहता और अब जबकि वे आ ही गये हैं, तब भी मैं सन्तुष्ट हूँ। बिना माँगे जो-कुछ मिलता है वह ईश्वर प्रदत्त ही होता है, ऐसा माननेवाले को हर स्थितिमें लाभ ही होता है — वह ईश्वरका प्रसाद होता है। इसलिए काकाका आना ईश्वरका प्रसाद है। 'गीता' का अभ्यास भले ही धीमे-धीमे चले।

वल्लभभाईको राम-राम। काकाकी खुराक तय हो गई है। एक सेर दूध, १० तोले मक्खन, ताजी हरी सब्जी २० तोले, रोटी २० तोले। दूधका दही जमा लेते हैं। गाड़ी ठीक चल रही है। वज़न एक पौंड बढ़ गया है। एक सप्ताहमें बैंगन और मूली बारी-बारीसे मिलते हैं। वे बैंगन पका लेते हैं और मूली कच्ची खाते हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८११४)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

४७४. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

यरवडा मन्दिर
मौनवार [३० जून, १९३०][1]

चि० गंगाबहन,

हम सब अपने ध्येयसे दूर हैं और रहेंगे। हमारा कर्त्तव्य तो उस ध्येयको प्राप्त करनेमें है। मनुष्यका ध्येय नित्य प्रति बढ़ता जाता है इसीसे वह उससे दूर रहता है। इसलिए तुम प्रयत्न करती हो, इसीमें सब-कुछ आ जाता है। हमारा प्रयत्न शुद्ध और सतत होना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

काकाकी अलगसे खबर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सब समाचार बड़े पत्रमें हैं।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७५१)से।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

४७५. पत्र : कमला नेहरूको

३० जून, १९३०

चि० कमला,

तुम्हारा खत पाकर मुझे बहोत आनन्द हुआ। शरीरको बिगड़ने मत दो। उससे बहोत काम लेना है। इन्दुका शरीर अब कैसा है? कुछ बढ़ी है?

माताजी को प्रणाम। सरूप, कृष्णाको आशीर्वाद।

बापूके आशीर्वाद

गांधी-नेहरू कागजात, १९३०।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालय

१. पत्रमें काका कालेलकरका जो जिक्र किया गया है उसके आधारपर यह तारीख दी गई है; देखिए पिछला शीर्षक।

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

नमक-अधिनियमके दाण्डिक खण्ड[1]

छीनना, रोकना, तलाशी लेना और गिरफ्तार करना

बम्बई नमक-अधिनियमका खण्ड ३९, जो भारतीय नमक-अधिनियम (१८८२ के १२ वें)के खण्ड १६-१७ के लगभग समान ही है, किसी भी नमक राजस्व-अधिकारीको अन्य बातोंके साथ-साथ निम्नलिखित सत्ता देता है:

१. जहाँ गैर-कानूनी तौरपर नमक तैयार किया जाता हो, ऐसे किसी भी स्थानमें प्रवेश करनेकी सत्ता;

२. "प्रतिरोध किये जानेपर ऐसी किसी भी जमीन, मकान, घिरे स्थान या अहातेके दरवाजेको तोडने या अधिकारीके उसमें प्रवेश करनेमें डाली गई किसी भी अन्य बाधाको बलपूर्वक हटानेकी सत्ता,"

३. गैर-कानूनी ढगसे तैयार किये गये नमकको अपने कब्जेमें लेने या उसे नष्ट करनेकी सत्ता;

४. "खुले स्थान या मार्गमें ऐसी किसी भी वस्तुको, जिसे वह किन्ही कारणोसे विधि-निषिद्ध नमक समझता हो, और ऐसी किसी भी गठरी या थैले आदिको, जिसमें ऐसा नमक हो, या साथ ही ऐसी गठरी या थैलेमें कुछ और हो तो उसे भी और जिस जानवर, नौका या गाडीका उपयोग उसे ढोनेमें किया जा रहा हो या करनेका इरादा हो उसे छीन लेनेकी सत्ता;"

५. "उसके पास जिस व्यक्तिको इस कानून या नमक-राजस्वके विषयमें लागू किसी अन्य कानूनके अन्तर्गत कोई दण्डनीय अपराध करनेका दोषी माननेका कारण हो और जिस व्यक्तिके पास विधि-निषिद्ध नमक पाया जाये उसे रोकने, उसकी तलाशी लेने और वह ठीक समझे तो उसे गिरफ्तार करनेकी सत्ता।"

जो चीजें जब्त की जा सकती हैं

बम्बई नमक-अधिनियम (जिसमें भारतीय नमक-अधिनियमका खण्ड १२ शामिल कर लिया है) के खण्ड ५० में यह व्यवस्था की गई है कि

"सारा विधि-निषिद्ध नमक और ऐसा नमक ढोनेके लिए काममे लाई जाने-वाली प्रत्येक नौका, जानवर या गाड़ी और ऐसा सारा माल, गठरियाँ और थैले आदि

१. देखिए "नमक-कानूनके दण्ड-विषयक खण्ड", ६-३-१९३०।

जिनमें या जिनके बीच विधि-निषिद्ध नमक मिले, और बिना किसी परवानेके नमक तैयार करने, खोदने, जमा करने या एक स्थानसे उठाकर कहीं और ले जानेके लिए या इस अधिनियमकी धाराओं और इसके अधीन बनाये जानेवाले किसी नियमके विरुद्ध प्राकृत नमक या नमकवाली मिट्टीको काममें लानेके लिए इस्तेमाल किये जानेवाले औजार, बर्तन या सामान जब्त किये जा सकते हैं।"

अपराधकी पुनरावृत्ति पर अतिरिक्त दण्ड

भारतीय नमक-अधिनियम (१८८२ के १२ वें)के खण्ड १० में व्यवस्था की गई है कि

"जिस व्यक्तिको पहले ही खण्ड ९ के अधीन या १८७५ के अन्तर्देशीय चुंगी अधिनियमके खण्ड २ के अधीन अथवा उस अधिनियमके द्वारा रद किये गये किसी अन्य कानूनके अधीन सजा हो चुकी हो उसे यदि फिर खण्ड ९ के अधीन किये गये अपराधके लिए दण्डनीय पाया जाये तो उसे छः महीने तकके कारावासकी सजा दी जा सकती है जो उस सजाके अतिरिक्त होगी जो उसे खण्ड ९ के अधीन दी गई हो, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति खण्ड ९ के अधीन किये जानेवाले प्रत्येक परवर्ती अपराधके लिए छः महीने तकके कारावासका भागी होगा और यह दण्ड उस दण्डके अतिरिक्त होगा जो उसे उसके पिछले अपराधके लिए दिया गया हो।"

अधिकारियोंके कर्त्तव्य

बम्बई नमक-अधिनियमके खण्ड ४१ के अनुसार "प्रत्येक ग्राम-अधिकारी (पटेल-मुखिया)का यह अनुल्लंघनीय कर्त्तव्य है" वह अन्य कार्योंके साथ-साथ निम्नलिखित कर्त्तव्य भी करे :

१. इस अधिनियमके तहत किये गये अपराधकी सूचना सरकारकून या दारोगाके दर्जेके किसी नमक राजस्व-अधिकारीको देना;

२. "ऐसे अपराधको रोकनेके लिए या रोकनेके उद्देश्यसे अपनी शक्ति-भर सभी उचित उपाय करना"।

खण्ड ४८ ए में अन्य बातोंके अलावा यह व्यवस्था भी है कि जो भी नमक-राजस्व-अधिकारी

"कायरताका दोषी होगा उसका दोष किसी मजिस्ट्रेटके सामने सिद्ध हो जाने पर वह तीन महीनेतक के कारावासका या तीन महीने तकके वेतनकी रकमके बराबर जुर्मानेका या दोनोंका भागी होगा।"

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-३-१९३०

परिशिष्ट २

गांधीजी के साथ दांडी-कूच करनेवाले लोगोंकी सूची[1]

गुजरात, ३१ : १. छगनलाल जोशी, २. जयन्ती पारेख, ३. रसिक देसाई, ४. विट्ठल, ५. हरखजी, ६. तनसुख भट्ट, ७. कान्ति गाधी, ८. छोटूभाई पटेल, ९. वालजीभाई देसाई, १०. पन्नालाल झवेरी, ११. अब्बास, १२. पूंजाभाई शाह, १३. सोमाभाई, १४. हँसमुखराम, १५. रामजीभाई वणकर, १६. दिनकरराव, १७. भानुशंकर, १८. रावजीभाई पटेल, १९. शिवाभाई, २०. शंकरभाई, २१. जशभाई, २२. हरिदास वरजीवनदास गांधी, २३. चिमनलाल, २४. रमणीकलाल मोदी, २५. हरिदास मजुमदार, २६. अम्बालाल पटेल, २७. माधवलाल, २८. मणिलाल गांधी, २९. लालजी, ३०. रत्नाजी ३१. पुरातन बूच।

महाराष्ट्र, १३ : ३२. पण्डित खरे, ३३. गणपतराव गोडसे, ३४. बाल कालेलकर, ३५. द्वारकानाथ, ३६. गजानन, ३७. गोविन्द हरकरे, ३८. पाडुरग, ३९. विनायकराव आप्टे, ४०. केशव चित्रे, ४१. विष्णु पन्त, ४२. हरिभाऊ मोहनी, ४३. विष्णु शर्मा, ४४. चिन्तामणि शास्त्री।

सं० प्रा०, ८ : ४५. रामदिहल राय, ४६. मुशीलाल, ४७. सुमगलप्रकाश, ४८. जयन्तीप्रसाद, ४९. हरिप्रसाद, ५०. ज्योतिरामजी, ५१. भैरवदत्त, ५२. सुरेन्द्रजी।

कच्छ, ६ : ५३. पृथ्वीराज आसर, ५४. माधवजीभाई, ५५. नारणजीभाई, ५६. मगनभाई वोरा, ५७. डूंगरसीभाई, ५८. जेठालाल।

केरल, ४ : ५९. राघवनजी, ६०. टाइटसजी, ६१. कृष्ण नायर, ६२. शकरन्।

पंजाब, ३ : ६३. प्यारेलालजी, ६४. सूरजभान, ६५. प्रेमराजजी।

राजपूताना, ३ : ६६. सुलतानसिंह, ६७. मदनमोहन चतुर्वेदी, ६८. नारायणदत्त।

बम्बई, २ : ६९. दाऊदभाई, ७०. हरिलाल महिमतुरा।

सिन्ध, १ : ७१. आनन्द हिंगोरानी।

नेपाल, १ : ७२. महावीर।

तमिलनाड, १ : ७३. तपन नायर।

आंध्र, १ : ७४. सुब्रह्मण्यम्।

उत्कल, १ : ७५. मोतीवास दास।

कर्नाटक, १ : ७६. महादेव मार्तण्ड।

बिहार, १ : ७७. गिरिवरधारी चौधरी।

बंगाल, १ : ७८ दुर्गेशचन्द्र दास।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-३-१९३०

१. देखिए पृष्ठ ६४-६५।

परिशिष्ट ३

अल्पसंख्यकोंके विषयमें जवाहरलाल नेहरूकी टिप्पणी[1]

भारतीय रंगमंचका पर्दा फिर उठ गया है और सारी दुनिया हमारी आजादीकी लड़ाईको देख रही है। यह एक अलग ढंगकी लड़ाई है और हमारे तरीके नये हैं। लेकिन साथ ही यह एक कठिन लड़ाई भी है और जो प्रतिज्ञा भारतने २६ जनवरी-को स्वतन्त्रता-दिवसपर ली थी उसे कभी भुलाया नहीं जायेगा। हमारे महान् नेताने साबरमतीके किनारे जो चिनगारी छिटकाई थी वह सूखी घाससे भरे किसी सपाट मैदानमें लगी आगकी तरह तेजीसे सारे देशमें फैलती जा रही है और अब बहुत जल्दी ही पूरा देश उस प्रतिज्ञाको पूरा करनेका प्रयत्न करेगा। उस विशाल रंगमंचपर भारतकी स्वतन्त्रताके रूपमें अन्तिम रूपसे पटाक्षेप होनेके पूर्व अनेक दुःखद दृश्य अभिनीत किये जायेंगे, अनेक अभिनेता कष्ट और यातनाएँ सहेंगे।

लेकिन जब यह संघर्ष अपनी सम्पूर्ण भयंकरताके साथ चल रहा होगा और हमारी सारी शक्तिका नियोजन उसीमें हो रहा होगा, उस समय भी हमें यह याद रखना होगा कि हमारी समस्याओंका सच्चा समाधान तभी प्राप्त होगा जब हम अल्प-संख्यकोंको अपने पक्षमें करके चल सकेंगे और उन्हें पूरा सन्तोष देंगे। किन्तु दुर्भाग्यसे आज तथ्य यह है कि उनमें से कुछ बहुसंख्यकोंसे भयभीत हैं और इस स्वातन्त्र्य-संग्रामसे किनारा किये बैठे हैं। यह बड़े दुःखका विषय है कि आज ऐसे कुछ लोग हमारे साथ नहीं हैं जो दस साल पूर्व हमारे संघर्षके साथी थे। हममें से जिन लोगोंको तब उनके साथ कन्धेसे-कन्धा मिलाकर चलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था वे कभी नहीं भूल सकते कि उन्होंने कैसी वीरतापूर्ण भूमिका निभाई थी और कैसे त्याग-बलिदान किये थे। उस स्मृतिको हमने अपने मनमें प्रेमसे सहेजकर रखा है और हमें भरोसा है कि जब संघर्ष गम्भीर रूप धारण करेगा, उस समय वे निश्चय ही आगेकी पंक्तिमें आकर उस स्थानको ग्रहण करेंगे जिसके वे अधिकारी हैं।

भारत तथा यूरोपके अनेक देशोंके इतिहासने यह बात सिद्ध कर दी है कि जबतक किसी देशमें अल्पसंख्यकोंको कुचलने या उन्हें बहुसंख्यकोंके तौर-तरीकोंको अपनानेपर विवश करनेके प्रयत्न जारी रहते हैं तबतक वहाँ कोई स्थायी व्यवस्था और सन्तुलन कायम नहीं हो सकता और जिस चीजसे अल्पसंख्यकोंके क्षुब्ध होने और फलतः अपने-आपको शेष राष्ट्रसे अलग रखकर चलनेकी सबसे अधिक आशंका रहती है, वह है ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना जिनके कारण उन्हें लगे कि उनको अपने तौर-तरीकोंपर कायम रहनेकी स्वतन्त्रता नहीं मिली हुई है। दमन और बलप्रयोग द्वारा किसी अल्पसंख्यक समुदायको कभी दबाया नहीं जा सकता। इससे तो वह अपनी अस्मिताके प्रति और भी जागरूक हो उठता है और जिस चीजको वह अपना मानता

१. देखिए "अल्पसंख्यकोंकी समस्या", पृष्ठ ४१७।

है उसको प्रेम और सम्मानकी दृष्टिसे देखने तथा उससे चिपटे रहनेको और भी कृतसंकल्प हो जाता है। युक्ति उसके पक्षमें है या नही अथवा उसकी संस्कृति-विशेष इतने त्याग-बलिदानके योग्य है या नहीं, इसका तो कोई प्रश्न ही नही रह जाता। बस उसे खोनेका भय ही उसके मनमें उसके लिए मोह जगा देता है। उसे कायम रखनेकी स्वतन्त्रता दी जाये तो उसकी दृष्टिमें उसका मूल्य अपने-आप कम हो जायेगा। नये रूसने अपने यहाँके प्रत्येक अल्पसख्यक समुदायको सास्कृतिक, शैक्षणिक एवं भाषा-विषयक पूरी स्वतन्त्रता देकर इस समस्याको हल करनेमें काफी सफलता प्राप्त की है।

इसलिए हम भारतवासियोको सबके सामने यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारी नीति अल्पसख्यक समुदायोको यह स्वतन्त्रता देनेकी आधारशिला पर खडी है और उनका दमन या उनके साथ बल-प्रयोग सहन नही किया जायेगा। यो तो अल्पसंख्यक समुदायोंपर, ऐसे समुदायोके रूपमें आर्थिक प्रश्नोका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़नेकी आशंका नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो हम इस बातको भी अपनी सुविचारित नीतिके रूपमें स्पष्टतापूर्वक निर्धारित कर दे सकते है कि अल्पसख्यकोंके साथ इस दृष्टिसे कोई अनुचित व्यवहार नही किया जायेगा। सच तो यह है कि हम इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहेगे कि अल्पसख्यको और पिछड़े समुदायोके साथ विशेष कृपापूर्ण व्यवहार करना राज्यका कर्त्तव्य होगा।

स्वतन्त्र भारतमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे ही हो सकता है। मै चाहूँगा कि यह प्रतिनिधित्व आर्थिक आधार पर हो, क्योकि वह आधुनिक परिस्थितियो में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वकी अपेक्षा बहुत अधिक उपयुक्त होगा और वह समाजका साम्प्रदायिक आधारपर विभाजन करनेवाली रेखाओंको भी अपने-आप मिटा देगा। इस तरह जब धार्मिक, सास्कृतिक और भाषा-विषयक स्वतन्त्रता दे दी जायेगी तब हमारे विधान मण्डलोमें जो प्रश्न उठेंगे वे मुख्यतः आर्थिक होगे और उन पर मत-विभाजन साम्प्रदायिक आधार पर होनेकी सम्भावना समाप्त हो जायेगी। बहरहाल, प्रतिनिधित्वका चाहे जो भी तरीका अपनाया जाये, वह ऐसा होना चाहिए जिसे अल्पसख्यक समुदायोकी सद्भावना और समर्थन भी प्राप्त हो।

यदि ये सिद्धान्त स्वीकार कर लिये जाते है और इनका पालन किया जाता है तो मै नही समझता कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदायको कोई शिकायत हो सकती है या ऐसा लग सकता है कि उसकी उपेक्षा की जा रही है। लेकिन सम्भव है, इन सिद्धान्तोंको स्वीकार करनेमें अल्पसख्यक समुदायोके मनमें बहुसख्यको द्वारा इन पर अमल किये जानेके बारेमें शंका उठे। इस शकाका ठीक-ठीक निवारण तो इन सिद्धान्तो पर अमल करके ही किया जा सकता है। दुर्भाग्यकी बात है कि इन पर अमल करनेकी सामर्थ्य हममें राज-सत्ता प्राप्त करनेके बाद ही आ सकती है। यदि बहुसंख्यकोकी प्रामाणिकतामें सन्देह किया जाता है—और बहुत सम्भव है कि सन्देह किया जाये—तो समझौतों आदिका भी कोई मतलब नही रह जायेगा। कुछ मोटे सिद्धान्तोको आमतौर पर सारे देशके स्वीकार कर लेनेसे ऐसा प्रबल लोकमत तैयार हो सकता है जो आक्रामक और बदनीयत बहुसंख्यक समुदायको भी मनमानी न

करने दे। लेकिन व्यक्तियों या प्रतिनिधियोंके बीच हुए अस्थायी ढंगके समझौतोका भी ऐसा महत्त्व नहीं हो सकता।

ये सिद्धान्त सभी अल्पसंख्यक समुदायों पर लागू होने चाहिए — मुसलमानों पर भी, जो भारतमें इतनी बड़ी संख्यामें हैं कि किसी बहुसंख्यक समुदाय द्वारा उनके दबाये जा सकनेकी कल्पना ही नही की जा सकती; इसी तरह सिखों पर, जो संख्यामें कम होते हुए भी बड़े शक्तिशाली और संगठित हैं; साथ ही पारसियों पर; और आंग्ल-भारतीयों या यूरेशियाइयों पर, जो धीरे-धीरे राष्ट्रीयताकी ओर खिंचते आ रहे हैं; तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायोंपर भी।

इस अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समस्याके बारेमें कांग्रेसका वर्तमान दृष्टिकोण क्या है? नेहरू रिपोर्टकी मियाद अब खत्म हो चुकी है, परन्तु उसके वे अंश जिन पर कोई मतभेद नही है, निश्चय ही आज भी कायम हैं। उसमें निरूपित मूलभूत अधिकारोंमें धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और शैक्षणिक स्वतन्त्रता शामिल थी। उसकी यह घोषणा आज भी मान्य रहनी चाहिए; और इससे एक अल्पसंख्यक समुदायकी सभी बड़ी-बड़ी शंकाओंका पूर्ण समाधान हो जाता है। जहाँतक अन्य विषयोंकी बात है, उनसे अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यकोंके रूपमें तो प्रभावित नहीं होंगे; और लाहौर कांग्रेसने यह घोषणा कर ही दी है कि स्वतन्त्र भारतमें ऐसी समस्याओं-को पूर्णतः राष्ट्रीय दृष्टिसे ही हल किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उसमें इससे भी आगे बढ़कर मुसलमानों, सिखों तथा अन्य अल्पसंख्यकोंको आश्वस्त कर दिया गया है कि भविष्यमें यदि किसी साम्प्रदायिक समस्याका कोई हल पेश किया गया तो कांग्रेस उसे तबतक स्वीकार नहीं करेगी जबतक कि सम्बन्धित पक्षको उस हलसे पूरा सन्तोष नही होगा। इससे बड़ी कोई गारन्टी हो भी नही सकती; और यदि कांग्रेस अपने वचनके पालनपर दृढ़ रहती है तो किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय-को शंका करनेकी तनिक भी गुंजाइश नहीं रह जाती।

कांग्रेसने इस प्रकार उन सिद्धान्तोंको अमली रूप देनेकी कोशिश की है जिनके आधारपर अल्पसंख्यकोंके प्रति व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि इसके बाद भी कुछ लोगोंके मनमें कांग्रेसके प्रति कुछ शंकाएँ हैं, तो इसका कारण यह नहीं कि कांग्रेसने कुछ ऐसा किया है जिससे शंकाएँ उत्पन्न हुई हैं, बल्कि इसका कारण विश्वास-का अभाव और अनुचित भय ही है। मुझे भरोसा है कि कांग्रेस इन सिद्धान्तोंके प्रति वफादार रहेगी और देशवासियोंके सामने सिद्ध कर दिखाएगी कि साम्प्रदायिक मामलोंमें वह न तो दाहिनी ओर झुकेगी न बायी ओर, वह निष्पक्षताके साथ मध्यम मार्गपर ही दृढ़ रहेगी। मुझे आशा है कि वह अल्पसंख्यक समुदायोंको पूरा विश्वास दिला सकेगी कि हम जिसकी प्राप्तिके लिए प्रयत्नशील हैं उस स्वतन्त्र भारतमें उनको एक सम्मानपूर्ण तथा विशेष सुविधापूर्ण स्थान प्राप्त होगा; और वह स्वतन्त्रता-संग्राममें अपने बलिदानों तथा अपने अडिग साहसके बलपर सभी लोगोंको अपनी सदाशयताका कायल कर देगी।

यंग इंडिया, १५-५-१९३०

परिशिष्ट ४

'डेली टेलीग्राफ' के विवरणसे उद्धरण[1]

'डेली टेलीग्राफ' के विशेष सम्वाददाता, श्री अश्मीड बार्टलेट उसके इसी महीने-की ६ तारीखके अंकमें लिखते हैं: पैगम्बर अब आजाद नहीं रह गया, उसे बड़ी हिफाजतसे पूनाके पास 'प्रेसीडेंसी' की सबसे आरामदेह जेल, यरवडामें नजरबन्द किया जा चुका है।

उनके अनुयायियोंपर स्पष्ट अभियोग लगाये गये हैं, लेकिन गांधीके साथ ऐसा नहीं किया जायेगा। उनको १८२७ के अध्यादेश २५ के तहत, बिना कोई मुकदमा चलाये, बम्बईमें नजरबंद रखा जायेगा।

इस अध्यादेशकी शब्दावली ऐसी सामान्य रखी गई है कि सरकार उसके बल पर जिस-किसीको भी ऐसे किसी भी अभियोगमें नजरबन्द कर सकती है जिसका किसी तरह यह अर्थ लगाया जा सके कि उससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग होनेका अंदेशा है, या वह आंतरिक उपद्रव रोकनेके लिए नजरबन्द कर सकती है। इस अध्यादेशका प्रयोग आखिरी बार १९०६ में ट्रान्सवाल-हत्याकांडके बाद नाटू भाइयोंको नजरबन्द करनेके लिए किया गया था।

उनकी गिरफ्तारी भी रातके सन्नाटेमें बहुत ही गुपचुप ढंगसे की गई।

महात्मा सूरतके पास कराडीमें अपने शिविरमें गहरी नींद सो रहे थे। रातमें करीब १ बजे जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंटने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिसके बीस सशस्त्र सिपाहियोंके साथ उनके कमरेमें प्रवेश किया। उन्होंने उनपर टार्चकी रोशनी डाली। महात्मा तुरन्त जाग गये।

गांधी इस सबपर बहुत ही शांत-चित्त बने रहे। उन्होंने बस इतना कहा कि वारंट उनको पढ़कर सुना दिया जाये और उनको अपने दाँत साफ करनेकी अनुमति दी जाये। हिन्दुओंमें सोकर उठनेपर यह एक अनिवार्य धार्मिक कर्म होता है।

दोनों अनुरोध मान लिये गये। थोड़ी ही देर बाद उनको एक लारीमें बैठा दिया गया। लारी पुलिसवालोंके साथ रेलवे स्टेशनकी ओर चल दी। वहाँ वे अपने पहरेदारोंके साथ अहमदाबाद-बम्बई एक्सप्रेसमें लगे विशेष डिब्बेमें बोरीवलीके लिए सवार हुए, जहाँसे उनको मोटर द्वारा यरवडा जेल पहुँचाया जाना था।

जेल पहुँचनेपर, वे अत्यन्त ही स्वस्थ तथा प्रफुल्लित दिख रहे थे और उन्होंने अपनी यात्राके सुप्रबन्धके लिए कृतज्ञता प्रकट की।

कल समूची बम्बई नगरीमें यह एक आम चर्चा थी कि गांधीजी बस गिरफ्तार होने ही वाले हैं; और दोपहर बाद सरकारने अपनी कार्रवाईकी योजनाका ब्योरा

१. देखिए पृष्ठ ४२१-२२।

विदेशी सम्वाददाताओंको वतला दिया था, लेकिन पिछले तीन दिनोंके सख्त सेंसरके कारण उसके वारेमें एक शब्द भी तार द्वारा देशसे वाहर नही भेजा जा सका था। . . .

सरकारका मुख्य उद्देश्य यह था कि आम जनताको इसकी खवर लगनेसे पहले ही गांधीको जेलमें वन्द कर दिया जाये, जिससे कि पूना तक उनकी यात्राके दौरान प्रदर्शनोंके फलस्वरूप दंगों और रक्तपातसे वचा जा सके। तार-कार्यालयसे विदेशी समाचार-पत्रोंको तार द्वारा यह खवर भेजे जानेसे ही वम्बई-भरके लोगोंको सरकारी योजनाकी जानकारी हो जाती।

गांधीकी गिरफ्तारीका निर्णय अन्तिम रूपसे कुछ ही दिन पहले शिमलामें राज्य परिषद् (काउन्सिल ऑफ स्टेट) की बैठकमें किया गया था और तव ४ मईको गिरफ्तार करनेकी योजना थी। लेकिन उस दिन रविवार पड़नेके कारण, उसे वदलनेका निर्णय किया गया और इसलिए सोमवारको रातके एक वजे (भारतीय समय) अर्थात् रविवारकी रातके १२ वजेके वाद सोमवार शुरू होनेपर सूरतमें उनको गिरफ्तार करनेका निर्णय किया गया था।

श्री हाट्सनने मुझे अपना कार्यक्रम सूचित करनेकी कृपा की। उसके अनुसार गांधीको वम्वईसे १३ मीलकी दूरी पर वोरीवली नामक एक छोटे-से स्टेशनपर उतारकर वहाँसे कार द्वारा उनको पूना भेजा जाना था। . . .

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २७-५-१९३०

सामग्रीके साधन-सूत्र

अ० भा० का० क० की फाइलें: नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालय, नई दिल्लीमें सुरक्षित।

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली: गांधी-साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९ (अगस्त १९५८ का संस्करण) और पृष्ठ ३५५ (जून, १९७० का संस्करण)।

साबरमती संग्रहालय: पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय, जिसमें गांधीजी के दक्षिण आफ्रिकी काल और १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित हैं, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९ (अगस्त १९५८ का सस्करण) और पृष्ठ ३५५ (जून १९७० का सस्करण)।

'अमृतबाजार पत्रिका': कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी समाचार-पत्र; इसका प्रथम अंक १८६८ में बंगला साप्ताहिकके रूपमें निकला था; १८९१ से यह दैनिक बन गया।

'आश्रम समाचार' (गुजराती): साबरमती आश्रम, अहमदाबादसे समय-समय पर निकलनेवाला हस्तलिखित बुलेटिन।

'इंडियन ओपिनियन' (१९०३-६१): डर्बनमें संस्थापित और बादमें फीनिक्समें स्थानांतरित अंग्रेजी साप्ताहिक, जिसमें अंग्रेजी और गुजराती विभाग थे।

'गुजराती': बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'प्रजाबन्धु': अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'बॉम्बे क्रॉनिकल': बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'मॉडर्न रिव्यू': कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी मासिक।

'नवजीवन' (१९१९-३१): (गुजराती): गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित सप्ताहिक जो कभी-कभी सप्ताहमें दो बार भी निकलता था।

'यंग इंडिया' (१९१८-३१): गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक।

'लीडर': इलाहाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हिन्दी नवजीवन' (१९२१-३२): गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक।

'हिन्दू': मद्रासंसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'ए बंच ऑफ ओल्ड लैटर्स' (अंग्रेजी): जवाहरलाल नेहरू, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९५८।

'एट द फीट ऑफ बापू' (अंग्रेजी): ब्रजकृष्ण चाँदीवाला, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, १९५४।

'एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी' (अंग्रेजी) : डा० राजेन्द्रप्रसाद, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९६१।

'बापुना पत्रो–४ : मणिबहेन पटेलने' (गुजराती) : सम्पादक – मणिबहन पटेल, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, १९५७।

'बापुना पत्रो–५ : कु० प्रेमाबहेन कंटकने' (गुजराती) : सम्पादक – द० बा० कालेलकर, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, १९६०।

'बापुना पत्रो–६ : गं० स्व० गंगाबहेनने' (गुजराती) : सम्पादक – द० बा० कालेलकर, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, १९६०।

'बापुना पत्रो–७ : श्री छगनलाल जोशीने' (गुजराती) : सम्पादक – छगनलाल जोशी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद।

'बापुना पत्रो–९ : श्री नारणदास गांधीने', भाग–१ (गुजराती) : सम्पादक – नारणदास गांधी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, १९६४।

'बापूकी विराट् वत्सलता': काशिनाथ त्रिवेदी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, १९६४।

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्स, १९३० : बम्बई सरकारका सरकारी रिकार्ड।

'पब्लिक फाइनेंस एण्ड आवर पॉवर्टी' (अंग्रेजी) : जे० सी० कुमारप्पा, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी : स्वराज्य आश्रम, बारडोलीमें सुरक्षित।

'महात्मा गांधी : सोर्स मैटिरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया' खण्ड ३, भाग ३ (अंग्रेजी)।

'स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ महात्मा गांधी' (अंग्रेजी) : जी० ए० नटेसन एण्ड कम्पनी, मद्रास।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१ मार्च, १९३० से ३० जून, १९३० तक)

१ मार्च: गांधीजी सत्याग्रह आश्रम, साबरमतीमें।

२ मार्च: वाइसरायको नमक-कानून भंग करनेके अपने कारण बतलाते हुए पत्र लिखा।
आश्रममें एक विवाहोत्सवमें भाषण दिया।

५ मार्च: प्रार्थना-सभामें भाषण करते हुए महिलाओंसे कहा कि वे दांडी-कूचमें उनके साथ न आयें।

७ मार्च: वल्लभभाई पटेलकी गिरफ्तारीपर एक बयान जारी किया और जनतासे आम हड़तालकी अपील की।

८ मार्च: अहमदाबादकी एक आम सभामें भाषण दिया और लोगोंसे नमक-सत्याग्रहके दौरान शान्त और अहिंसक बने रहनेका आग्रह किया।

१० मार्च: साबरमतीमें प्रार्थना-सभामें भाषण किया और सत्याग्रहियोंका ताँता टूटने न देनेके लिए अनगिनत स्वयंसेवक जुटानेको कहा।

११ मार्चके पूर्व: आन्ध्र देशको सन्देश भेजा।

११ मार्च या उसके पूर्व: एच० डी० राजा तथा 'मैंचेस्टर गार्जियन' के प्रतिनिधिसे भेंट की।
प्रार्थना-सभामें भाषण करते हुए कहा: "या तो हम उस ध्येयको प्राप्त करेंगे अथवा उसको प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हुए अपने प्राण दे देंगे।"

११ मार्च: प्रार्थना-सभामें कहा कि उनके गिरफ्तार हो जानेपर जनता अहिंसाका पालन करे।

१२ मार्च: नमक-कानून भंग करने तथा सविनय अवज्ञा-आन्दोलन आरम्भ करनेके लिए ७८ स्वयंसेवकोंके साथ, प्रातः ६-३० बजे साबरमतीसे दांडीके लिए कूच किया। प्रातः ८-३० बजे चन्दोलासे चलते समय जनताको विदाई-सन्देश दिया।
असलालीमें भाषण दिया।

१३ मार्च: बारेजा और नवागाँवमें भाषण दिया।

१४ मार्च: नवागाँवमें पत्र-प्रतिनिधियोंसे बातचीत की। वासणामें भाषण दिया।

१५ मार्च: डभाण और नडियादमें भाषण दिया।

१६ मार्च: बोरीयावीमें भाषण दिया।

१७ मार्च: आनन्दमें भाषण दिया। स्वयंसेवकोंसे बातचीत की।

१७ मार्च या उसके पश्चात्: सत्याग्रहियोंके समक्ष भाषण दिया।

१८ मार्च: बोरसदकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

१९ मार्च : रासकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

२० मार्च : कारेली और गजेरामें भाषण दिया।

२१ मार्च : अंखीमें भाषण दिया।

२२ मार्च : यूसुफ मेहरअलीसे भेंट।

२३ मार्च : बुवा और समनीमें भाषण दिया।

२५ मार्च : अ० भा० कां० क० ने साबरमतीमें हुए अधिवेशनमें गांधीजी को सविनय अवज्ञाका सूत्रपात तथा नियंत्रण करनेका पूरा अधिकार दिया।

गांधीजी ने त्रालसाकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

२६ मार्च : अंकलेश्वरमें भाषण दिया।

भड़ौंचमें हिन्दू-मुस्लिम एकतापर भाषण दिया।

२७ मार्च : हिन्दुस्तानी सेवा दलको सन्देश भेजा।

सजोद और माँगरोलमें भाषण दिया।

२८ मार्च : रायमा और उमराछीमें भाषण दिया।

स्वयंसेवकोंके समक्ष भाषण दिया।

२९ मार्च : भटगाममें स्वयंसेवकों और दांडी-कूचके अपने साथियोंके समक्ष भाषण करते हुए और अधिक आत्म-शुद्धिकी आवश्यकतापर बल दिया।

३० मार्च : साँधियेर और देलाडमें भाषण दिया।

१ अप्रैल : छापरभाठा और सूरतमें भाषण दिया।

२. अप्रैल : डिंडोलीमें भाषण दिया।

३ अप्रैल : वांझ, नवसारी और धामणमें भाषण दिया।

४ अप्रैल : वेजलपुरमें भाषण दिया।

५ अप्रैल : दांडी पहुँचे। 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया' को वक्तव्य जारी किया।

अमेरिकाको सन्देश भेजा।

दांडीकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया और जनताको सरकारी नमक न खानेकी सलाह दी।

६ अप्रैल : दांडीमें गांधीजी और उनके जत्थेने नमक-कानून भंग किया।

अहमदाबाद, सूरत, भड़ौंच, खेड़ा, बम्बई और दिल्लीमें भी नमक-कानून भंग किया गया। सायंकाल सार्वजनिक सभामें गांधीजी ने जनताको आगेसे ऐसे नमकका इस्तेमाल बन्द कर देनेकी सलाह दी जिसपर कर लगाया गया हो।

सारे देशमें सविनय अवज्ञा की गई।

७ अप्रैल : गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलनके प्रभावके सम्बन्धमें समाचार-पत्रोंको वक्तव्य दिया।

आटमें स्वयंसेवकोंके समक्ष भाषण दिया।

काठियावाड़ और गुजरातको सन्देश भेजे।

८ अप्रैल : आटमें भाषण दिया।

भीमराड जाते हुए सूरत रुके।

९ अप्रैल : राष्ट्रके नाम सन्देश बोलकर लिखवाया कि उनकी गिरफ्तारीके बाद जनताको कैसा आचरण करना चाहिए।

भीमराडमें भाषण दिया।

१० अप्रैल : दांडीमें। बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बम्बईकी जनताको सन्देश भेजा।

जलालपुरमें स्वयंसेवकोंके समक्ष भाषण दिया।

'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया' तथा 'हिन्दू'के प्रतिनिधियोंसे भेंट।

अबरामाकी सार्वजनिक सभामें पूर्ण मद्यनिषेध और खादीके अधिक प्रचारकी आवश्यकतापर जोर दिया।

११ अप्रैल : जलालपुरमें 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधिके साथ हुई भेंटमें गुजरातपर ही अपनी शक्ति केन्द्रित करनेका इरादा प्रकट किया।

१२ अप्रैलके पूर्व : श्रीमती हंसा मेहताको सन्देश भेजा कि बम्बईकी महिलाओंको शराबबन्दीका काम सँभालना चाहिए।

१३ अप्रैल : दांडीमें : गुजरात महिला परिषद्में भाषणके दौरान अहिंसामें अपनी आस्था पर जोर दिया।

सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

बिहारके २७ विभिन्न केन्द्रोंमें नमक-सत्याग्रह प्रारम्भ किया गया।

जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य कई प्रमुख कांग्रेसी नेताओंको गिरफ्तार करके जेलकी सजाएँ सुना दी गईं।

१४ अप्रैल : गांधीजी ने स्कूलों और कालेजोंको त्याग देनेके लिए विद्यार्थियोंका आह्वान किया।

१५ अप्रैल : उंबेरमें भाषण दिया।

१७ अप्रैल : जलालपुरमें 'फ्री प्रेस ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधिसे भेंट की।

स्वयंसेवकोंके समक्ष भाषण दिया।

१९ अप्रैल : वेजलपुर और बारडोलीमें भाषण दिये।

२० अप्रैल : जलालपुरमें 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिसे भेंट की।

२१ अप्रैल : नवसारीमें चटगाँवके दंगोंके बारेमें 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधिसे भेंट की।

२२ अप्रैल : सूरतमें पटेलोंसे रचनात्मक कार्यमें प्रमुख भूमिका निभानेकी अपील की।

२४ अप्रैल : कराडीमें 'हिन्दू' के प्रतिनिधिसे भेंट की।

२५ अप्रैल : पन्तारमें भाषण दिया।

२६ अप्रैल : अंभेटी, बलसाड़ और छरवाड़ामें भाषण दिया।

२७ अप्रैलके पूर्व : अमेरिकाको सन्देश भेजा।

२८ अप्रैल: 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिसे भेंट की।

२९ अप्रैल: बिलीमोरामें भाषण दिया।

'लीडर' के प्रतिनिधिसे भेंट की।

३० अप्रैल: जलालपुरमें। नमककी क्यारियोंमें विष मिलाये जानेके सम्बन्धमें बयान जारी किया।

दिल्लीके पत्रकारोंको प्रेस-अध्यादेशके विरोधस्वरूप समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओंका प्रकाशन बन्द करनेके निर्णय के लिए बधाई दी।

१ मई: ओलपाड और रांदेरमें भाषण दिया।

४ मई: वाइसरायके नाम पत्रका मसविदा तैयार किया।

जे० बी० कृपलानीसे भेंट की।

सूरतमें भाषण दिया।

५ मई: कराडीमें। मध्यरात्रिमें गिरफ्तार करके, एक बस द्वारा यरवडा जेल ले जाये गये।

पूना जाते हुए बोरीवलीमें 'डेली टेलीग्राफ' के प्रतिनिधिसे भेंट की।

१२ मई: यरवडासे आश्रमवासियोंको अपना पहला पत्र लिखा।

१८ मई: वाइसरायको पत्र लिखा।

२० मई: 'डेली हेरॉल्ड' के प्रतिनिधिसे भेंटके दौरान सरकारके साथ समझौतेकी अपनी शर्तें बताई।

३० मई: सरकारको सूचित किया कि अगर उनके घनिष्ठ परिचित व्यक्तियोंको उनसे मिलनेकी आज्ञा न दी गई, तो वे अपने सगे-सम्बन्धियोंसे भी नहीं मिलेंगे।

३० जून: कांग्रेसके कार्यकारी अध्यक्ष मोतीलाल नेहरूको इलाहाबादमें गिरफ्तार कर लिया गया।

शीर्षक-सांकेतिका

अपील: भारतके नौजवानोंसे, २६७
अपीलका मसविदा: गुजरातकी महिलाओंसे अपीलका मसविदा, ३५५
टिप्पणी: जे० बी० पेनिंगटनके पत्रपर, ४१८; –[णियाँ], ११०-१३, १४३-४४, १७३-७५, १९८-९९, २२८-३०, ३००, ३५८-५९, ३८२-८५, ४०३; –साबरमती आश्रमकी प्रार्थना-सभामें, १३-१४
तार: एन० आर० मलकानीको, २९४; –एन० सी० केलकरको, २४७; –जवाहरलाल नेहरूको, २३; –जॉन हेनीज होम्सको, २६; –भवानीदयाल संन्यासीको, ५२; –मोतीलाल नेहरूको, २६६, २७०, २९३, ४०७
(दो) पत्र: १-२
पत्र: अब्दुल कादिर बावजीरको, ११९; –अब्बास तैयबजीको, ९०, २३८, ३३६, ३८९; –अमीना कुरैशीको, ३७६, ४५१; –अमीना तैयबजीको, २१८, ३६४; –आर० वी० मार्टिनको, ४५७-५८; –आश्रमके बालकोंको, ४२७; –ई० ई० डॉयलको, ४२२-२३, ४५५-५६; –ए० सुब्बारावको, ३४१; –क० मा० मुन्शीको, २९५, ३०५-६; –कपिलराय मेहताको, १७८; –कमला नेहरूको, ४७४; –कलावती त्रिवेदीको, २१७, ४५३, ४६५, ४६७; –कस्तूरबा गांधीको, ४२८; –कुसुम देसाईको, ७३, ७९, ९४, ११९, १२४-२५, २६८-६९, ३९४, ४३०; –गंगादेवी सनाढ्यको, ११८; –गंगाबहन झवेरीको, ७२, ४४८; –गंगाबहन वैद्यको, ९६, १७१, २९६, ३१३, ३७३, ३७४, ४२६-२७, ४३४, ४५३, ४७४; –गुलाम रसूल कुरैशीको, २६५; –गोमती मशरूवालाको, ४४८; –घनश्यामदास बिड़लाको, २३६; –चन्द्रशंकर शुक्लको, ४४३; –चिमनलालको, २५१; –जमनादास गांधीको, ३०५, ३३९; –जमनाबहन गांधीको, ४४६; –जयप्रकाश नारायणको, ९६; –जयसुखलाल गांधीको, २३, २४२; –जवाहरलाल नेहरूको, २५, ५१-५२, ७१, १०७, १६५-६६; –जानकीदेवी बजाजको, ३९५, ४४५; –जे० सी० कुमारप्पाको, ३९६; –डा० प्राणजीवनदास मेहताको, ४४९; –डा० सैयद महमूदको, ४१२-१३; –डोरोथी डि'सूजाको, ३३६; –तहमीना खम्भाताको, २४; –दुर्गा गिरिको, ८५; –नरहरि परीखको, ३६६, ३६७-६८, ३७२, ३७३, ३८९-९०, ३९५, ४३५; –नानुभाई दवेको, २५४; –नारणदास गांधीको, ६९, ८२, ९१, ९५, ११०, १९१-९२, २०८, २१४, २३८, २४८-४९, २८६-८७, २९५, ३०४, ३१७, ३१९, ३३८, ३४१, ३४२, ३९७, ४२४-२५, ४३९-४०, ४४४-४५, ४६२-६४, ४७१-७३; –निर्मला गांधीको, ४४६; –पद्मावतीको, ४१३; –पी० जी० मैथ्यूको, ४५४; –पुंजाभाईको, २५; –पुरुषोत्तम गांधीको, ३९३, ४६९; –पैट्रिक क्विनको, ४५४, ४५६, ४६०, ४६१-६२, ४६५; –प्रभावतीको, ९४, २१४, २४१, ४३६, ४६६; –प्रेमलीला ठाकरसीको, ४३५-३६; –प्रेमाबहन

कंटकको, ७२, १२५, १७१-७२, २४०, ४२६, ४५८, ४६४-६५; –बनारसीलाल बजाजको, २४२, ४६७; –बम्बईकी सत्याग्रह-समितिको, ४१८-१९; –बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षको, २७०; –बलभद्रको, ४२८; –बहरामजी खम्भाताको, २४-२५; –ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको, ११, २८, ८२, १२८, २५१-५२, २५४, ३१८; –मणिबहन पटेलको, ३७, ३७५, ४३५; –मणिबहन परीखको, ४५०; –मणिलाल वी० देसाईको, २६६; –मनमोहनदास गांधीको, ११-१२; –महादेव देसाईको, ७३-७४, १२६, २०७-८, २१३, २१९, २२२-२३, २३९, २४८, २४९-५०, २५९-६०, २६८, २६९, २७१, ३०६, ३१४, ३३७-३८; –महालक्ष्मी माधवजी ठक्करको, २७४, ३४२; –मीठूबहन पेटिटको, ४५१; –मीराबहनको, ७०, ९२, १२४, १२७, १३४, २०९, २१७, २३७, २६६, २९१, ३१२, ३३५, ३७०, ४२३-२४, ४३३-३४, ४४१-४२, ४६०-६१, ४६८-६९; –मुन्नालालको, ४७०; –मैत्री गिरिको, ४४७; –मोतीबहनको, ४४९; –मोतीलाल नेहरूको, २६७-६८; –मोहनलाल भट्टको, ४५५; –रतिलाल मेहताको, ४५०; –रमाबहन जोशीको, ४३०; –राधा गांधीको, ३९४, ४४७; –रामानन्द चटर्जीको, १०३, ४५९; –रामेश्वरदास पोद्दारको, २१८; –रामेश्वरदास बिड़लाको, ३६५-६६; –रावजीभाई एन० पटेलको, २९४; –रुक्मिणी बजाजको, २४१, ४६७; –रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको, ७१, १६४-६५, १८३, २०४, ३३५, ४४१; –रेहाना तैयबजीको, १३, २४७, ४६८; –लक्ष्मीदास श्रीकान्तको, २६५, २७१; –लॉर्ड इर्विनको, २-९; –लाला दुनीचन्दको, २०४; –लीलावतीको, २४०; –लीलावती आसरको, ३६५, ४६९-७०; –वसुमती पण्डितको, ७८, ९०, ३७४; –वाइसरायको, ४०८-१२, ४३१-३३; –विट्ठलदास जेराजाणीको, १४, ३१९-२०, ३९४; –शान्ताको, ४५२; –शान्तिकुमार मोरारजीको, १४८, २१५; –शिवानन्दको, २५०; –शौकत अलीको, २९१-९२; –सतीशचन्द्र दासगुप्तको, ५२, ९३, ३१६, ३७०; –सतीन डी० गुप्तको, ३८; –सरलादेवीको, ४४३; –सीतलासहायको, २५२; –सुशीला गांधीको, ७९, ९३, १२९-३०, ३९३, ४४४, ४७१; –सोनामणिको, ४५२; –हरिभाऊ उपाध्यायको, ३१८; –हेमप्रभा दासगुप्तको, ३१६

पत्रका अंश: आश्रमवासियोंको लिखे गये पत्रोंके अंश, ४२९; –आसफअलीको लिखे पत्रका अंश, ३६४; –देवदास गांधीको लिखे पत्रका अंश, ४३१; –बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षको लिखे पत्रका अंश, २५३

बातचीत: समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे, ७७-७८

भाषण: अंकलेश्वरमें, १३३-३४; –अंखीमें, १२१; –अंभेटीमें, ३४३; –अबरामाकी सार्वजनिक सभामें, २४५-४६; –असलालीमें, ६७-६९; –अहमदाबादमें, २९-३०; –आटमें, २१९-२०; –आनन्दमें, ९७-१००; –उंबेरमें, २७२-७३; –उमराछीमें, १५०-५१; –ओलपाड ताल्लुकेमें, १५९-६०; –कारेलीमें, ११८; –गजेरामें, १२०; –गुजरात महिला परिषद्, दांडीमें, २६०-६१; –छरवाड़ामें, ३४६-५०; –छापरमाठामें, १६६-

६७; –डभाणमें, ८३-८४; –डिंडोलीमें, १७२-७३; –ग्रालसाकी सार्वजनिक सभामें, १२८-२९, –दाडीमें, १८७-९१, २०६-७, २६१-६५; –देलाडमें, १६२-६३; –धामणमें, १८२: –र्नाडयादमें ८४-८५; –नवसारीमें, १७९-८१; –नवागाँवमें, ७५-७७; –पटेलोकी सभा, वेजलपुरमें, २९६-९७; –पटेलोंके समक्ष, सूरतमें, ३१७; –पन्नारमें, ३४०; –प्रार्थना-सभा, सजोदमें, १४५-४६; –प्रार्थना-सभा, साबरमती आश्रममें, ३२, ३८-४०, ४८, ४९-५१, ६४-६५; –बलसाडमें, ३४३-४६; –बारेजामें, ७४-७५; –विलीमोरामें, ३६८; –बुवामें, १२५; –बोरसदमें, १०३-६; –बोरीयावीमें, ९१-९२; –भटगाममें, १५१-५४; –भड़ौंचमें, १३०-३३; –भीमराडमें, २२४-२५; –माँगरोलमें, १४७-४८; –रांदेरमें, ३९२; –रायमामें, १४९; –रासमें, १०७-१०; –वाँझकी प्रार्थना-सभामें, १७८-७९; –वासणामें, ८०-८१; –वेजलपुरमें, १८३-८४; –वेजलपुरमें स्वयंसेवकोंके समक्ष, २८९-९०; –सजोदमें, १४६-४७; –सत्याग्रहियोंके समक्ष, १०१; –समनीमें, १२६; –साँधियेरमें, १६०-६२; –साबरमती आश्रममें, ९-१०; –सूरतमें, १६७-७०, ४१६-१७; –स्वयंसेवकोंके समक्ष, १५०, २४४

भाषणके अंश: ओलपाडमें दिये गये भाषणके अंश, ३९०-९१; –बारडोलीमें दिये गये भाषणके अंश, २८९-९०; –सूरत जिलेमें दिये गये भाषणोंके अंश, १९३-९५

भेंट: एच० डी० राजाके साथ, ४१; –एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको, २४३-४४, ३१५; –जे० बी० कृपलानीको, ४१४-१६; –'डेली टेलीग्राफ'के प्रतिनिधिको, ४२१-२२; –'डेली हैरॉल्ड'के प्रतिनिधिको, ४३७-३८; –फ्री प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको, २०५-६, २८७-८९; –'बॉम्बे क्रॉनिकल'के प्रतिनिधिको, ३०७, ३६७; –'मैंचेस्टर गार्जियन'के प्रतिनिधिको, ४२; –युसूफ मेहरअलीको, १२२-२४; –'लीडर'के प्रतिनिधिको, ३७१; –हरिदास टी० मजुमदारसे, ६६-६७; –'हिन्दू'के प्रतिनिधिको, २४४-४५, ३३४

मसविदा: वाइसरायको लिखे पत्रका मसविदा, ३५३-५४; –गुजरातकी महिलाओंसे अपीलका मसविदा, ३५५

वक्तव्य: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको, १८५-८६, २५२; –नमककी क्यारीमें विष मिलाये जानेके सम्बन्धमें, ३७१-७२; –वल्लभभाई पटेलकी गिरफ्तारीपर, २६; –समाचारपत्रोंको, २१२-१३

(एक) सन्देश, १८६

सन्देश: अमेरिकाको, १८६, ३५०-५२; –आंध्रदेशके लिए, ४०; –काठियावाड़के लोगोंके लिए, २१६; –गुजरातके नाम, २१६-१७; –धोलेरा और वीरमगाँवके लोगोंको, ३०१; –ब० प्र० कां० कमेटीको, २३७; –बम्बईकी साहू सभाके लिए, ३९६; –बम्बईके नागरिकोंको, २३६; –बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके लिए, ५३; –महाराष्ट्रको, १२२; –राष्ट्रके नाम, २२०-२२; –स्वयसेवकोंको, आटमें, २१५; –हंसा मेहताके लिए, २५३; –हिन्दुस्तानी सेवा दलको, १४५; –'हिन्दू'के लिए, २५९; देखिए उपशीर्षक "विविध" के अन्तर्गत "चन्दोलासे चलते समय दिया गया विदाई-सन्देश" भी

विविध

अध्यक्षका सम्मान, २८१; अनैतिक आधार, २३०-३१; अन्तिम परीक्षा, ३३-३४;

अन्त्यजोंके लिए कुएँ, १९७; अल्पसंख्यकोंकी समस्या, ४१७; अशासन बनाम कुशासन, २१-२२; अश्लील साहित्य, २२-२३; अस्पृश्यता, २७४-७६; अहमदावादके मिल-मालिकोंसे, २०२-४; अहिंसाकी विजय, ३८८; इमाम साहब, ३५९-६०; उस पत्रके बारेमें १५-१७; एक अंग्रेज भाईकी समस्या, २३२-३४; एक पुस्तककी प्रस्तावना, २७; कलकत्ता और कराची, ३०१-२; कांग्रेस-अध्यक्ष जेलमें, २८६; काकासाहब, ४०६-७; काला शासन, ३०९-१२; कुछ शर्तें, २३५; कुछ सुझाव, १४०-४३; खरा हिसाब रखनेकी जरूरत, ३२५; खादीके विषयमें चेतावनी, ४०५-६; खेड़ावासियोंके प्रति, ३९८-४०१; खोदा पहाड़ निकली चुहिया, १३५-३६; गिरफ्तारियाँ और जंगली न्याय, २५५-५६; गुण्डा-राज, ३७९-८१; चन्दोलामे चलते समय दिया गया विदाई-सन्देश, ६६; चहुँमुखी अभिशाप, ५६-५८; छद्म सैनिक कानून, ३६९-७०; ६ अप्रैलको याद रखें, १७६; जन-आन्दोलन, ३२३-२४; जैसा वह नही है, ५९-६२; ठक्कर बापाकी झोली, १; तकलीके द्वारा बहिष्कार, ३३०-३२; तलवारका न्याय, १४४-४५; दिल्लीके पत्रकारोंको बधाइयाँ, ३७२; 'द्रौपदीना चीर' की प्रस्तावना, २७; धरना कैसे दें, ३२७-२८; नई दिशा, ६२-६४; नमक-कानूनके दण्ड-विषयक खण्ड, १४-१५; पत्र-लेखकोंसे, ३७८; 'पब्लिक फिनांस एंड आवर पावर्टी' की प्रस्तावना, २९९; परिचित उत्तर, ५५-५६; प्रयाण, ८७-८९; प्रश्नोत्तर, ४३-४८, ३८५-८६; बंगाल आसाममें हिन्दी, ६९-७०; बर्बरतापूर्ण, २१०-१२; बहनोंके प्रति, १९५-९७; बहनोंसे, २५७-५८; बहिष्कार और खादी, ३६०-६२; बहिष्कारकी मर्यादा, १५५-५७; 'भगवद्गीता' अथवा 'अनासक्तियोग', ८९-९०; भारतकी महिलाओंसे, २२६-२८; मद्यपान-निषेध, १७७; मध्यरात्रिमें गिरफ्तारी, ४२०; महादेव देसाई और उनके उत्तराधिकारी, ३७६-७८; महान् तत्त्वदर्शी, १०२-३; मिल-मालिक और खादी, २५६-५७; मिल-मालिक संघके सदस्योंसे बातचीत, ३१; मुखियों और मतादारोंके बारेमें, १५८-५९; मुद्रणालयोंपर छापा, ४०४; मेरी कसौटी, ३६३; मेरे बारेमें भ्रामक प्रचार, ५९; यदि सच है तो अच्छा, ११६; राक्षसी कर, २७६-७८; राजद्रोह धर्म है, १३७-३९; 'राजाका प्राप्य राजाको दो', १३६-३७; 'राजकथा' की प्रस्तावना, २८; रासका उत्साह, ३५७-५८; वकीलोंका धर्म, ४०१-३; विट्ठलभाई लल्लूभाईका श्राद्ध, ३५६-५७; विदेशी कपड़ोंके व्यापारी, ३३२-३३; विदेशी वस्त्र-विक्रेताओंको सलाह, ३०८; विदेशी वस्त्रोंके व्यापारी, ३०२-४; विद्यार्थी और चारित्र्य, १७-१८; विद्यार्थी क्या पसन्द करेंगे?, ११३-१४; वी० ए० सुन्दरम्को प्रमाणपत्र, ३९७; शराब और पारसी, ३८७-८८; शराबकी दुकानों पर धरना, ३२५-२७; सत्याग्रह-युद्ध, २८५; सत्याग्रही-दलका कूच, ३५-३७; सन्देश रिकार्ड किये जानेके सम्बन्धमें, ४२-४३; सरकारकी क्षुद्रता, ११५-१६; सरकारी कर्ज, १९-२०; सरकारी कर्जका विश्लेषण, १५; सरदार वल्लभभाई पटेल, ५३-५४; सलाम अथवा बेंत?, ३३३-३४; सिंहावलोकन, २७८-८०; स्त्रियोंका विशेष कार्यक्षेत्र, २८१-८५; स्वदेशी, १९९-२०२; स्वयंसेवकोंका प्रतिज्ञा-पत्र, १३९-४०; स्वयंसेवकोंको सलाह, २९३; स्वयंसेवकोंसे बातचीत, १००; स्वराज्य और रामराज्य, ११७; स्वराज्यके कार्यकर्त्ताओंके लिए प्रतिज्ञा, ३७५; हम सब एक है, ८६-८७; हमारी मिलें और विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार, ३२८-३०; हिन्दू-मुस्लिम एकता, ३२१-२२

सांकेतिका

अ

अंग्रेज, २-३, ६-७, २७४-७५; -और गांधीजी, १६; -और स्वराज्य, १३०-३१; -[ों]को भारतके स्वतन्त्रता-संघर्षको ठीकसे समझना चाहिए, २३२-३४

अंग्रेज-सरकार (ब्रिटिश सरकार); -का भारतमें अनैतिक आधार, २३०-३१; -की सत्याग्रहियोंको गिरफ्तार करनेमें हिचक, १८७; -की हस्तक्षेप न करनेकी नीति, १८५; -के अधिकारियोंके प्रति धारणा, १२१; -के अन्यायी शासनके खिलाफ असहयोग आवश्यक, १३७-३९; -के खिलाफ द्रोह करना प्रत्येक व्यक्तिका धर्म, १०३-४, १०८-९, १२१, १३७-३९, १६७, २३२-३४; -गुण्डा-राज, ३७९-८१; -द्वारा किया गया दमन-कार्य, २१, ४३२; -द्वारा प्रमुख सत्याग्रहियोंकी गिरफ्तारी, १९०, २१०; -द्वारा प्रवंचनापूर्ण प्रचार, ४०८-९; -द्वारा भारतका शोषण तथा उसकी समाप्तिकी आवश्यकता, ३-८, १०४-६, १२१, २३२-३४; -ने भारतके प्रति नैतिक और आत्मिक दृष्टिसे अन्याय किया है, ५६-५८; -हमारी कमजोरियों और दोषोंपर खड़ी है, २७४

अकबर, १२

अखा भगत, १५२

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, १४०, १४२; -के स्वयंसेवकोका प्रतिज्ञा-पत्र, १३९

अखिल भारतीय चरखा संघ, १४३, १५९, २५७, ४०५

अणे, २७८

अनसूयाबहन, ३५४, ३६६, ४२५

अनासक्तियोग, देखिए भगवद्गीता

अनुशासन, ४००

अन्तरात्माकी आवाज, २२, ३४, ५१

अन्तर्नादकी प्रेरणा, देखिए अन्तरात्माकी आवाज

अन्तर्राष्ट्रीय महिला शान्ति-स्वतन्त्रता संघ, ३८४

अन्त्यज, १२०; -[ों]की सेवा, ८०; -के लिए कुएँ, १९७

अन्सारी, डॉ०, २९२

अब्दुल्ला, ३६०, ३७८

अभय आश्रम, २६३

अमीन, मोतीभाई, ९७

अमीर, अफगानिस्तानका, १५८

अमृतलाल सेठ, देखिए सेठ, अमृतलाल

अमेरिका; -और भारतका स्वतन्त्रता-संग्राम, १८६; -को भारत द्वारा अहिंसाका सन्देश, ३५०-५२; -में मद्य-निषेध आन्दोलन, ४१६

अम्बालाल साराभाई, देखिए साराभाई, अम्बालाल

अय्यर, एस० सुब्रह्मण्यम्, २४५
अर्जुन, ८९
अर्नाल्ड, एडविन, ४३९
अली (अहमद काछलियाके पुत्र), १८२
असहयोग, देखिए सविनय अवज्ञा
अस्पृश्यता, २३५, २७४-७६; –और मन्दिर-प्रवेश, २७५
अहिंसा, ४२-३, ४९, ७०, ८०, ८३, ११६, १३६, २४६, ३६३, ३९९, ४११; –और चेचक आदिका टीका, ३२; –और धर्म, ३२४; –और सविनय अवज्ञा, ६-७, २६, ४४, २७९-८०; –और स्वराज्य, ५१, ३२१-२२, ३८२, ४००; –और हिंसा, ३४, ३१५; –के प्रभावके कारण गांधीजी की गिरफ्तारी नही हो रही थी, १७१; –ब्रिटिश शासनके खिलाफ लड़नेका अस्त्र, १६३, २३१; –विश्वको भारतका एक सन्देश, १८६, २२०-२१

आ

आत्म-त्याग; –और स्वतन्त्रता, १-२
आत्म-निरीक्षण, १००
आत्म-बल, ६७
आत्म-संयम; –और ब्रह्मचर्य, १०
आत्माका आदेश, देखिए अन्तरात्माकी आवाज
आनन्द भवन; –देशको समर्पित, १७५
आनन्द, स्वामी, २६८-६९, २९५, ३३५, ३६०, ३६३, ३७८
आप्टे, सारजा, ३१७
आबिदअली, २३७
आशाभाई, २५५
आसफअली, ३६४
आसर, लीलावती, ३६५, ४६९

इ

इंडियन ओपिनियन, १६ पा० टि०
इंडियन डेली मेल, ५६, १६४
इंडियन सोशल रिफॉर्मर, ४५५
इन्दु, ४७४
इमाम साहब, देखिए बावजीर, अब्दुल कादिर
इर्विन लॉर्ड, ३, ११ पा० टि०, ३३, ४७, ५३, ५६, ३१५, ३६४, ३६७, ३६९; –और पुलिसका सत्याग्रहियों पर अत्याचार, ४०८-१२; –और प्रेसकी आजादी, ४०४; –से महिलाओंका अनुरोध, ३५३-५४

ई

ईश्वर, १३, २४, ३२, ५१, ६५, ६६, ७०, ७२, ७६, ७७, ७९, ८१, ८७, ९४-५, ९९, १०१, १०४, १०६, १३६, १४६, १४७, १५१-५२, १६०, १६७, १७०, १८९, १९०, १९४, २१८-१९, २६४-६५, ३२४, ३३६, ३६०, ३६५, ४१२, ४३१, ४४९, ४६३; –और सविनय अवज्ञा तथा स्वराज्यके लिए संघर्ष, १३०-३१, १३२, १७२, २२१-२२, २२४, २५८, २८८, ३६३; –की अभिव्यक्ति भारतके करोड़ों लोगोंके साथ तादात्म्य स्थापित करके, १५०; –के दर्शन, ८६; –के दर्शन श्रममें, ४३४
ईश्वरलाल देसाई, २१९, २६०, ३४६
ईसा मसीह, १६४; –की शिक्षा और सविनय अवज्ञा, १३६-३७

ईस्ट इंडिया कम्पनी; –द्वारा भारत-विजय, १६१

उ

उकाभाई राम, २११, २१९, २२५
उपाध्याय, हरिभाऊ, ३१८, ३३३
उमिया, ९, ४४०

ए

एन्ड्रयूज, सी० एफ०, ८६, ११२

ओ

ओ'डायर, १२१

क

कंचनगौरी मंगलदास गिरधरदास, ३५४
कंटक, प्रेमाबहन, ७२, ९१, १२५, १७१, २४०, ४२६, ४५८, ४६४
कताई; –और बन्दी सत्याग्रही, १९८; –और बुनाई, १२; –और स्वराज्य, ४००-१; –तकली पर, २३५; देखिए तकली भी
कनिंघम, जी०, ५५
कनु, २४९, ४२५
कमलादेवी, २०८, २४०, २४७, ३७४
कल्याणजी, २३९, २६०
कस्तूरबहन, ४२९
काछलिया, अहमद, १८२, ३८३
कानजीभाई, २६०
कानवे, सर मार्टिन, ३२३
कानुगा, विजयागौरी बलवन्तराव, ३५४
कानून; –१८१८का, १९०
कामदार, ४०१
कालाकांकरके राजा, २५२
कालेलकर, द० बा०, ८५, २२३, २३९, ३१४, ३३६, ३६६-६७, ३७३, ३९७, ४४३, ४५७; –को कारावास, ४०६-७; –यरवडा जेलमें, ४६३, ४६६, ४६८, ४७२-७३
काशिनाथ त्रिवेदी, देखिए त्रिवेदी काशिनाथ
काशीबहन, ११
किशोरलाल मशरूवाला, देखिए मशरूवाला, किशोरलाल
कीकूभाई, २५५
कुमारप्पा, जे० सी०, २१, २९९, ३९६, ४४०
कुरान, ५९, ४२६
कुरैशी, अमीना, ३५४, ३७६, ४४०, ४५१
कुरैशी, गुलाम रसूल, ११९, २६५, ३७२, ४५१
कृपलानी, जे० बी०, ४१४
कृष्ण [भगवान्], २२२
कृष्णकुमारी, ७९
कृष्णदास, १९१, २४९, २६०, ३७०
कृष्णमैयादेवी, ४४७
कृष्णा हठीसिंह, ४३६, ४७४
केलकर, न० चि०, २४७, २७८
केवलराम, ९५, २२२
केशवभाई गणेशजी, २१०, २५५
केशवराम, २६९
कैदी; –और जेलके नियम, १९८, ३३३
कैप्टेन (श्रीमती), ४५५
कोठारी, मणिलाल, २०७, २१०, २१६, २५५
क्राउजे, ३०३
क्विन, पैट्रिक, ४५४, ४५६, ४६०-६१, ४६५

ख

खम्भाता, तहमीना, २४
खम्भाता, बहरामजी, २४
खरे, नारायण मोरेश्वर, ९३, ९७

खाडिलकर, ५४
खादी (खद्दर), २, ३४, ७७, ८१, १२६, १४६-४७, १६९, १८८, २०५, २१२, २२५, २३५, २४६, २६१, २६३-६४, २९३; –और अहिंसा, ३८-९; –और महिलाएँ, १५९, १९५, २२५, २५८, २८२-८५; –और विदेशी वस्त्र, १९९-२०२, ३२८-३०, ३६०-६२, ३६५-६६; –और सत्याग्रही बन्दी, १९८; –और स्वराज्य, ७४, ११७, १६६-६७, १९४; –की कमीकी पूर्तिके उपाय, १४३-४४, ३१९-२०
खुर्शेदबहन, देखिए नौरोजी, खुर्शेदबहन
खेड़ा-सत्याग्रह, ४०

ग

गंगाबहन झवेरी, देखिए झवेरी, गंगाबहन
गंगाबहन वैद्य, देखिए वैद्य, गंगाबहन
गांधी, कस्तूरबा, ७३, २६९, ४२८, ४४६; –द्वारा धरना, २५९
गांधी, केशु, ९१, ९५, १२७, २८७, ४४०
गांधी, खुशालभाई, १०, ३०५, ३३६, ३३८, ४२५, ४६४
गांधी, छगनलाल, ११
गांधी, जमनादास, ३०५, ३३९
गांधी, जमनाबहन, ४४६
गांधी, जयसुखलाल, २३, २४२
गांधी, देवदास, २३९, २४१, २५५, ४३१
गांधी, नारणदास, ६९, ८२, ९१, ९५, ११०, १२४, १२७, १३४, १४३, १९१, १९७, २०८, २१४, २३८-९, २४८-५०, २६०, २८६, २९५, ३०४, ३१७, ३१९, ३३६, ३४१-४२, ३९७, ४२४, ४२६-२७, ४३९, ४४४, ४६२, ४७१
गांधी, निर्मला, ४४६
गांधी, पुरुषोत्तम, ९१, ९५, २०८, २४९, ३९३, ४२५, ४६४, ४६९
गांधी, मगनलाल, १०, ३३१, ४७२
गांधी, मणिलाल, ६४-५, ७९, १२९, २०९, २१४, २२५, ४७१
गांधी, मनमोहनदास, ११
गांधी, मोहनदास करमचन्द; –और सेवा संघ, ८२ पा० टि०; –का स्वास्थ्य जेलमें भी ठीक, ४६१, ४६६; –की खुराक, ४४४; –की गिरफ्तारी और उनका यरवडा जेल भेजा जाना, ४२०; –की 'गीता'की शिक्षाके अनुकूल आचरण करनेकी कोशिश, ८९-९०; –की दिनचर्या, ४३९-४४; –की पुनः गिरफ्तारी, १०९; –को यरवडा जेलमें सुविधाएँ, ४२२-२३; –द्वारा 'गीता' कंठस्थ करनेका प्रयत्न, ४७२; –द्वारा जेलमें विशेष सुविधा लेनेसे इनकार, ४३१-३३, ४५५, ४५७-५८; –द्वारा पिंजाई, कताई और सिलाईका काम, ४४३, ४६२-६३, ४६८-६९; –द्वारा मराठी सीखना, ४७३; –विद्रोही क्यों बने, १०६
गांधी, राधा, १७२, ३९४, ४४०, ४४७
गांधी, रामदास, २०७, २१४, २४१, २५५
गांधी, संतोक, १०, ३५४
गांधी, सुशीला, ७९, ९४, १२९, २५५, ३९३, ४४४
गांधी, हरिदास, २२२
गांधी, हरिलाल, ३९०

गाँव; –[वों] की सफाई, १६१; –की सफाई और स्वराज्य, १७५; –में गरीबी, १६२-६३
गॉर्डन (इन्स्पेक्टर), ४२२
गिरधारी, २७१
गिरि, खड्गबहादुर, ८६
गिरि, दलबहादुर, ८६
गिरि, दुर्गा, ८५
गिरि, मैत्री, ८५, ४४७
गिरिराज, १९३, ४७२
गीता, देखिए भगवद्गीता
गुजरात विद्यापीठ; –और सविनय अवज्ञा, ११३-१४, ४०६
गुप्त, सतीश डी०, ३८
गोखले, गो० कृ०, २७५
गोरक्षा, ७५, ८३-४
गोवर्धनराम, ८५
गोलमेज परिषद्, ३, ४२

घ

घीया, २६९
घोष, मनमोहन, ४०१
घोष, लालमोहन, ४०१
घोष, शैलेन्द्रनाथ, २६ पा० टि०

च

चटर्जी, रामानन्द, १०३, ४५९
चतुर्वेदी, बनारसीदास, देखिए बनारसीदास चतुर्वेदी
चन्दूबहन, २८२
चन्दूभाई, १३०, १३३
चन्दूलाल, डॉ०, १७४, २५५
चन्द्रकान्ता, ७९, ४७२
चम्पा, ४५०
चरोतर शिक्षा-मण्डल, १७४
चाँद, २२
चाँदीवाला, व्रजकृष्ण, ११, २७, ८२, १२८, २४९, २५१, २५४, ३१८
चिमनलाल, २५१
चिमनलाल प्राणशंकर, २१०, २५५
चिमनलाल नगीनदास, श्रीमती, ३५४

छ

छगनलाल जोशी, देखिए जोशी, छगनलाल
छोटेलाल, ३०४, ३१४, ३३५, ३७२

ज

जगन्नाथ, ४६३,
जमना, ९१
जमनाबहन, ४२५
जमनालाल बजाज, देखिए बजाज, जमनालाल
जयन्तीप्रकाश, ४४५
जयन्तीप्रसाद, २१४, २२२
जयन्तीलाल अमृतलाल, श्रीमती, ३५४
जयप्रकाश नारायण, ९४, ९६, ४३६, ४६६
जयरामदास दौलतराम, २८८, २९४, ३०२, ३१०, ३४८, ४०१
जलियाँवाला बागका हत्या-काण्ड, १४०, ३७९; –से शिक्षा, २७९
जिन्ना, मु० अ०, ६८
जुगतराम, २६९
जेराजाणी, विट्ठलदास, १४, ३१९, ३६१, ३९४
जोशी, छगनलाल, ६५
जोशी, रमाबहन, ४३०

झ

झवेरी, गंगाबहन, ७२, ४४८

ट

टाइम्स, १६

टाइम्स ऑफ इंडिया, २४३, २४६, ४२२, ४३९

टेनिसन, ४००

ठ

ठक्कर (बापा), अ० वि०, १, १९७, ४३९

ठक्कर, महालक्ष्मी माधवजी, २७४, ३४२, ४३०

ठाकरसी, प्रेमलीला, ४३५

ड

डॉयल, ई० ई०, ४२२, ४५५

डाह्याभाई पटेल, देखिए पटेल, डाह्याभाई

डि'सूजा, डोरोथी, ३३६

डेली टेलीग्राफ, ४२१

डेली हैरॉल्ड, ४३७

त

तकली, २२७, २३५, २३७, २५६, २६३, २६५, ३१२, ४४२, ४२५; —की आवश्यकता और निर्माणकी विधि, ३३०-३२; —खादी उत्पादन तथा विदेशी वस्त्रके बहिष्कारका साधन, ३४५, ३४९, ३६१-६२

तकली शिक्षक, ४२५

तनुमती चिनुभाई एम० रणछोड़लाल, ३५४

तलाटी, देखिए मुखिया

तलाटी, गोकुलदास, २१६, २५५

तारावहन, ३४२

तारी, ४४८

तिलक, बाल गंगाधर, ४०१

तुलसीदास, ७६, ९८

तैयबजी, अब्बास, १३, ६८, ९०, १३१ पा० टि०, २०८, २११, २१५, २१८, २२२, २२५, २३८, २५०, २९४, ३३६, ३५७, ३६०, ३८९, ४३२

तैयबजी, अमीना, २१८, २८५, ३५४, ३६४

तैयबजी, रेहाना, १३, २४७, ३५४, ३५७, ३६४, ४६८

तैयबजी, श्रीमती, २३८, २५९, २८२

तोताराम, १३४

त्रिवेदी, कलावती, २१७, ४५३, ४६५, ४६७

त्रिवेदी, काशिनाथ, २१७

त्रिवेदी, सविता, २८३, ३५४

थ

थॉर्न, स्टीफन जे०, ३८४

थोरो, ३६९

द

दक्षिण आफ्रिका; —के सत्याग्रहका नमक-सत्याग्रहके सन्दर्भमें उल्लेख, ४५-६, ६७

दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन, ३१०

दयालजी, २२२

दरबार गोपालदास, १०९, २१०, २१३, २१६, २३८, २५५

दवे, नानुभाई, २५४

दलाल, डॉ०, २२९, २५०

दांडी, —स्वराज्यका रणक्षेत्र, १८७-८८

दांडी-कूच, २३, ३०, ३३; —का आरम्भ, ६४-५; —की दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहसे तुलना, ६७; —सम्पन्न, १८५; देखिए नमक सत्याग्रह भी

दादूभाई, २३८, २५०

दास, गोपबन्धु, ३८३

दास, चित्तरंजन, ९८, २९५, ४०१

दासगुप्त, सतीशचन्द्र, ५२, ९३, ११५, ३१६, ३७०
दासगुप्त, हेमप्रभादेवी, ५२, ९३, ३१६, ३७०
दीवान, इन्दुमती सी०, ३५४
दीवान, चतुरलक्ष्मी जीवनलाल, ३५४
दुनीचन्द, लाला, २०४
दुनीचन्द, श्रीमती, २०४
दूधीबहन, ७३, १२५
देवभाभी, १०, ३३९
देसाई, ईश्वरलाल, देखिए ईश्वरलाल देसाई
देसाई, कुसुम, ७२-३, ७९, ९३, ११९, १२४, २६८, ३१३, ३९४, ४२४, ४२६, ४३०, ४४०
देसाई, डॉ० चन्दूलाल, २१०
देसाई, डॉ० हरिभाई एम०, ७३, ७९
देसाई, दुर्गा, ७४, ३५४
देसाई, मगनभाई, ३७३, ३९४, ३९८
देसाई, मणिलाल बी०, २६९
देसाई, महादेव, ११, ३७, ७३, ९०, ९४, ११९, १२६, १४३, १४८, १९२, २०७, २१३, २१९, २२२, २३९, २४८-५०, २५९, २६८, २६९, २७१, २७७, २७९, २८६, २९४-५, ३०६, ३११, ३१४, ३३५, ३४७, ३४८, ३५९, ३६३, ३६८, ३७९, ४०६, ४१७; —और नमक-सत्याग्रह, ३३५; —को जेल, ३७६-७७
देसाई, रोहिणी, २८२
देसाई, लीलावती, ३५४
देसाई, वालजी गोविन्दजी, २७
द्रौपदी, ४१३
द्रौपदीना चीर, २७

ध

धनजी शाह, २५५, ३२७, ३८७
धरना; —के खतरे, ३५८-५९; —महिलाओं द्वारा, ३२७-२८; देखिए बहिष्कार भी
धर्म, ४७२
धर्मकुमार, ४२७
धीरू, ६५, ७९, ४४०
धुरन्धर, २४०, ४६४
धैर्यबाला, देखिए सीता
धैर्यमाता, देखिए गांधी, सुशीला

न

नटराजन्, ४५५
नमक-कानून तथा नमक-कर, २८, ८१, ११७, १४६-४७, १६७; —का उल्लंघन, ४९-५०, ११०, १५७, २०५-६, २१२, २२०, २३५, २३६, २८९-९०, ३४७, ३५०; —के उन्मूलनकी माँगके साथ स्वातन्त्र्य आन्दोलनका प्रारम्भ, ८-९; —के खिलाफ मुसलमान तथा अन्य सारी जातियाँ संघर्ष करें, १०६, ११७, १२८, १३३, १९४, १७०; —द्वारा दरिद्रोंपर प्रहार, १३३, १७२
नमक-सत्याग्रह, २५९; —और ईश्वर, १३२-३३; —और नवयुवक, १२२-२३; —और महिलाएँ, २७२-७३; —और महादेव देसाई, ३३५; —और मुसलमान, ५९; —और सविनय अवज्ञा, ८८, १०९; —का उद्देश्य, १०४-५; —का प्रारम्भ, २०५; —के दौरान गांधीजी की गिरफ्तारी, ४२०; —दांडीमें, २०६; —धरासणामें, ४०८; —में मुसलमानों

तथा सभी जातिके लोगोंको सम्मिलित होनेकी सलाह, १२५; –स्वराज्य-प्राप्तिकी अन्तिम लड़ाई, ९९-१००

नमक-सत्याग्रही, ११४; –पुलिससे न डरें, २२०, २२४; –[ह्रियों]के सम्बन्धमें सरकार द्वारा झूठी अफवाह, ४०८-९; –को गिरफ्तार करनेकी अनिच्छा, १९४; –को सलाह, २८९; –पर पुलिसकी हिंसात्मक कार्रवाई, १९०, २११, २२०-२१, २४३-४५, २५५-५६, २८०, २८७-८९, ३०९-११, ३३६, ३४०, ३४५-४६, ३५०, ३५१, ३७९-८१, ४०८-९, ४३२

नरसिंहभाई, ९७

नरीमान, २३६

नवजीवन, १६ पा० टि०, २४, ३२ पा० टि०, ८२, १६०, १९७, २४१, २८६, २९५, ३०२, ३१८, ३६३, ३७३, ४०६, ४२२, ४३९

नवजीवन कार्यालय, २८५, ३७८

नवाकाल, २४० पा० टि०

नवीन, ४४०

नाथजी, १७१, ४२६, ४३४

नाथू, ४४८

नानीबहन, ७२, ४४८

नानुभाई, २६०

नायडू, सरोजिनी, ७३, २०८, २११, २१५, ३४१

नायर, ३१८

निर्मला बकुभाई मनसुखभाई, ३५४

निषाद, १२०

निस्पृहता, २१५

नीछाभाई, ३४६

नृसिंहदास, बाबा, २३४

नेहरू, कमला, ७१, ७८, ४३६, ४७४

नेहरू, जवाहरलाल, १५, २३, २५, ५०-१, ७१, १०७, १६५, १७५, २१६, २६६-६७, २६९, २७२, २८१, ४३६ पा० टि०; –की गिरफ्तारी और जेल, २६६-६७, २८१, २८६, ३०९

नेहरू, मोतीलाल, ३, १७०, २१६, २६६-६७, २७०, २९२ पा० टि०, २९३, ३४०, ४०१, ४०७, ४३६ पा० टि०

नैयर, प्यारेलाल, ७३, २५४, ३०४, ३१४

नोनामी, १२७

नौरोजी, खुर्शेदबहन, १२६ पा० टि०, १७५, २४८, २६०, ३४१, ३६६, ३९४

नौरोजी, दादाभाई, ४८, १२६, १६१, १७९, ३२७

न्यू टेस्टामेंट, १३६

प

पटेल, गोरधनभाई, १९२

पटेल, डाह्याभाई, २७९

पटेल, पाँचिया, ३५७

पटेल, मणिबहन, ३७, २८२, ३७५, ४३५

पटेल, रावजीभाई मणिभाई, २५५, २९४, ३३६

पटेल, (सरदार) वल्लभभाई, ३३, ३९-४०, ९०-१, ९७, ११८, १३५, १५८, १९२-९३, २२४, २७२, २७९, ३३१, ३५८-५९, ३६३, ४०१, ४७३; –की गिरफ्तारी, २६, २८-९, ५३-४, ६८, ७४-५, ८०, ८४, १०७-९, ११५, १५७, १८५; –जेलमें, १६६

पटेल, विट्ठलभाई, ४०१; –द्वारा त्याग-पत्र, ३७१, ३८२
पटेल, –और तलाटियों द्वारा पद-त्याग, १६०-६१, १६८, १७२, १८८, १९३, २९७-९८, ३४४; –[ों] के त्याग-पत्र और मालवीयजी के त्यागपत्रकी तुलना, १८३-८४
पण्डितजी, देखिए खरे, नारायण मोरेश्वर
पण्डित, वसुमती, ७८, ९०, ३७४
पण्डित, विजयलक्ष्मी, ४३६, ४७४
पण्ड्या, मोहनलाल, २६०, २६९, ३४६, ३५८
पतकी, वामनराव, २२२
पत्रकारिता; –में ईमानदारीकी आवश्यकता, १५-७, २२-३
पद्मावती, ४१३
परीख, नरहरि, ३३६, ३६६-६७, ३७२-७३, ३८९, ३९५, ४२६, ४३५, ४५०
पारसी;–और मद्यपानका बहिष्कार, १८०-८१
पार्वतीबहन गिरधारीलाल अमृतलाल, ३५४
पाश्चात्य सभ्यता, २७५
पुंजाभाई, २५, ६९
पुरातन, २२२
पुरुषोत्तमदास त्रिकमदास, ४०१
पेटिट, मीठूबहन, १५९, १६१, १६९, २८२, २८३, ३५४, ४५१, –द्वारा धरना, २५९, –द्वारा शराबबन्दीके लिए कार्य, १८०-८१, १९४, १९६, २२३, २२५, २८३, ३२६, ३८७, ३९४
पेनिंगटन, जे० बी०, २१, ४१८
पेरीनबहन, २७९, ३९५
पोद्दार, रामेश्वरदास, २१८
प्यारेलाल, देखिए नैयर, प्यारेलाल
प्रकाशम् ३३४, ४०१
प्रतापसिंह, १८
प्रभावती, ९४, ९६, २१४, २४१, ४३६, ४४६, ४६६
प्रभुदास, ८२, ९५, ४२७
प्राइमस स्टोव, १९९
प्रार्थना, ३८, ३३५
प्रीतम, ९७
प्रेमाबाई, ३१२
प्रेस अधिनियम; –का विरोध, ३७२; –के अधीन जमानत देनेके आदेशका विरोध करनेकी सलाह, ४०४; –द्वारा समाचारपत्रोंका दमन, ३६९-७०

फ

फौजदार मुन्शी, ३८९

ब

बजाज, कमलनयन, ३७३, ४२३, ४२६, ४४५
बजाज, जमनालाल, ५३, ७१, १७५, २१९, २३६, २४१, २५५, २७६, ३६३, ४३९
बजाज, जानकीदेवी, २५९, ३९५, ४४५
बजाज, बनारसीलाल, ९, १०, २४२, ४६७
बजाज, मदालसा, १७२, ३९५, ४४५
बजाज, रुक्मिणी, ९, २४१, ४४७, ४६७
बनर्जी, डॉ० सुरेशचन्द्र, २६३, २७८
बनारसीदास चतुर्वेदी, ४५९
बबू, २५१
बलभद्र, ४२८
बहिष्कार; –अहिंसात्मक होना चाहिए, २६४; –विदेशी वस्त्रों और शरावका, १४६-४७, १६१, १६९-७०, १७६,

२२१, २२३, २२५, २५६, २५९-६०, २८६, २९८-९९, ३२७-३०, ३४०, ३६८; –सरकारी अधिकारियों, नम्बरदारों आदिका, १५५-५७, ३८९-९०, ३९८-९९
बॉम्बे क्रॉनिकल, ३०७, ३६७, ४२२, ४३९
वालकृष्ण, ४६४
वालकोवा, ३३५
वालूभाई, ३७३
वावजीर, इमाम अब्दुल कादिर, ५९, ११९, १४३, १९२, ३३८, ३४२, ३६७, ३७३, ३७६-७७, ४४०, ४५१; –और उनकी सेवाएँ, ३५९-६०
विग, हेरॉल्ड एफ०, ३८४
विड़ला, घनश्यामदास, ६९, १९२, २३६
विड़ला, जुगलकिशोर, १
विड़ला, रामेश्वरदास, ३६५
बुनाई और कताई, १२
वेदी, कर्नल, ११६ पा० टि०
वेसेंट, डॉ० एनी, २४५
वैंकर, शंकरलाल, ९, १४, ४०५
ब्रह्मा, १५९
ब्रॉकवे, ए० फेनर, ३८४

भ

भंगी, ७५, ३४४
भगतसिंह, ४१०
भगवती, ३९५
भगवद्गीता, १३, ५२, ७३, ७८, ९१, ९४, ९५, १२०, १२८, १६२, २१५, ३४५, ३७५, ४२५, ४२८, ४३४, ४४५, ४४९, ४५५, ४६६, ४७०; –का यरवडामें अध्ययन, ४७२-७३; –की शिक्षा और गांधीजी, ८९-९०
भगवान्, देखिए ईश्वर
भट्ट, मोहनलाल, ४५५
भड़ौंच सेवाश्रम, २२२
भणसाली, १९२, ३३८, ४७२
भवानीदयाल संन्यासी, देखिए संन्यासी, भवानीदयाल
भरवाड़ जाति; –और सत्याग्रह आश्रम, ४७१-७२
भाटिया, गंगाबहन रणछोड़दास, ३५४
भारत; –यूरोपसे कम नहीं, २२९
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, २८६; –और मुसलमान, १२३; –और सविनय अवज्ञा, ४९
भावे, विनोबा, ४४५
भिक्षु, देखिए धनजी शाह
भूमि-राजस्व; –की अदायगी पर रोक, ४०१; –की वृत्ति अनैतिक, २३१; –के विरुद्ध सत्याग्रह १४५

म

मंगलदास, ३१ पा० टि०, २०३
मजुमदार, हरिदास टी०, १५, ६६
मणिबहन पटेल, देखिए पटेल, मणिबहन
मणिलाल नभुभाई, ८५
मथुरादास पुरुषोत्तम, ४४९ पा० टि०
मथुरादास त्रिकमजी, ४५५
मदालसा बजाज, देखिए बजाज, मदालसा
मद्यपान, १८८, १९४, ३२६-२७, ३५३, ३९१-९२; –और शराबकी दुकानोंका बहिष्कार, १४२, १४६-४९, १६१,

१६९-७०, २३५, २३७; —की आदत छुड़ानेके लिए पारसियोंसे सहायताका आग्रह, १८०-८१, ३२६, ३८७-८८; —की बुराईसे महिलाएँ संघर्ष करें, १५९, १८१, २२३, २८१-८५, ३५३-५५, ४०३
मद्य-निषेध, २४६; —अमेरिकामें, ४१६; —के लिए आन्दोलन १७७; —के लिए महिलाओं द्वारा कार्य, १६९, १९६-९७, २०५, २२५, २५९-६४; —देशी राज्योंमें, ३८७
मनु, ४२७
मनुभाई, २५५, २६३
मनोरमा चिनुभाई, ३५४
मन्दिर-प्रवेश; —और अस्पृश्य, २७५
मलकानी, एन० आर०, २८७, २९४
मशरूवाला, किशोरलाल, २४१, ४४८
मशरूवाला, गोमती, ४४८
महमूद, डॉ० सैयद, ४१२
महादेव देसाई, देखिए देसाई, महादेव
महालक्ष्मी मनसुखराम, ३५४
महावीर, ८५-७
महिलाएँ; —और कताई, ८१; —और खादी, २०४, २२५, २५८, २८२-८५; —और नमक-सत्याग्रह, २७२-७३; —और विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार, २४६-४७, २५६-५७, २६०-६३, २८१-८५, ३२७-२८, ३५३-५५; —और शराब-बन्दी के लिए संघर्ष, १५९, १६९, १८१, १९६-९७, २०५, २२२, २२५, ४१६; —और स्वराज्य, १५९, १७५, २१३, २५८; —[ओं]की वाइसरायसे अपील, ३८४; शराबकी दुकानोंपर धरना देनेवाली —पर प्रहार, ३९१, ४०३, ४१६
मॉडर्न रिव्यू, ४२२, ४३९, ४५५, ४५९
माने, दत्तात्रेय, ३०९, ३५७, ३८३
मार्टिन, आर० वी०, ४३१ पा० टि०, ४५७
मालगुजारी; —की व्यवस्थाको बदलनेकी माँग, ४-५
मालवीय, मदनमोहन, ६८, २३५, ३७१, ३९७, ४०१; —का विधान-सभाकी सदस्यतासे त्यागपत्र, १८३-८४, २२८
मालवीय, मुकुन्द, २७९, ३०५
मिलका कपड़ा; —और स्वदेशी, १९९-२०२
मिल-मजदूर; —और शराब, ३००
मिल-मालिक; —और नकली खादीका विक्रय, २५६-५७; —और राष्ट्रीय कार्य, २०२-४, [ों]; —से राष्ट्रीय पाठशालाओंके लिए दान देनेकी अपील, ३१
मिलर, प्रो०, ३१
मीराबहन, ७०, ८६, ९२, १२४, १२७, १३४, १७२, १९२, २०९, २१७, २३७, २६६, २९१, ३१२, ३३५, ३४२, ३७०, ४२३, ४३३, ४४१, ४४४, ४५५, ४५७, ४६०, ४६२, ४६४, ४६८
मीर आलम, १२१ पा० टि०
मुक्ति-सेना, १८१
मुखिया; [ो]को पदत्यागके बाद जनताकी सेवा करनी चाहिए, २९६-९७; —द्वारा इस्तीफा, ७६, ८१, ८३, ८५, १०८-९, १२६, १३४, १५८-५९

मुन्नालाल, ४७०
मुन्शी, क० मा०, २९५, ३०३, ३०५, ३०७, ३६३, ४०१
मुन्शी, लीलावती, ३०६
मुसलमान; –और नमक-कर, ५९; –और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १२३; –[ों] को सविनय अवज्ञाका समर्थन करना चाहिए, ५९-६२, ३९२
मुहम्मद अली, १३२, २९२, ३८५-८६
मृत्यु और पीड़ा, ३२
मृदुलाबहन, १७२, २५०
मेघराज रेवाचन्द, ३१०, ३५७
मेयो, कुमारी, २६२-६३
मेहता, कपिलराय, १७८
मेहता, डॉ० जीवराज, २२९, २५३ पा० टि०
मेहता, डॉ० नरसिंहभाई, ३७९
मेहता, डॉ० प्राणजीवनदास, ९८, १०२, ४४९
मेहता, फीरोजशाह, ४०१
मेहता, रतिलाल, २०८, ४५०, ४६३
मेहता, रोहित, २५५
मेहता, हंसा, २५३, २६३
मेहरअली, २३७
मेहरअली, युसूफ, १२२
मैंचेस्टर गार्जियन, ४२
मैडॉक, कर्नल, २२९
मैथ्यू, पी० जी०, ८२, ४२५, ४४५, ४५४
मोतीबहन, २४८, २६०, ४४९
मोदी, रमणीकलाल, ३४३, ३४४, ३४६, ३६३
मोहनलाल, २०७, ३७३

य

यंग इंडिया, १६ पा० टि०, १७, २१ पा० टि०, २४, ७१, १२६, १२७, १६५, १८३, १९०, २०७, २०९, २१३, २३४, २६८, ३१४, ३१८, ३३५, ३६३, ३७०, ४१२, ४२२, ४३९-४०, ४५९
युवक; –और सत्याग्रह, १२२-२३

र

रणछोड़भाई, ६९, २४८
रणछोड़लाल, ३७७
रणछोड़लाल अमृतलाल, २५६
रमाबहन जोशी, देखिए जोशी, रमाबहन
रविशंकर, २१०, २१६, ३५८
रस्किन; –और गांधीजी, १०२
राजकथा, २८
राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती, ११५, ४०१
राजचन्द्र, कवि, ४५९; –का गांधीजीपर प्रभाव, १०२
राजा, एच० डी०, ४१, ५७
राजेन्द्रप्रसाद, ३८८
राम (रामचन्द्र), १२०, १४५, १६०, ३०६; –और सविनय अवज्ञा, १५४; –ब्रिटिश साम्राज्यसे संघर्षमें भारतीयों-का सहायक, १७२
रामनाम, ७७, २१८, २६४, ३१८
रामनारायण, ३४१
रामराज्य; –और स्वराज्य, ११७
राव, ए० सुब्बा, ३४१
राव, सर टी० महादेव, ४१८
रावजीभाई, ४६२

राष्ट्रीय स्त्री-सभा; –और शराब तथा विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार, ३८३
रुखी, देखिए बजाज, रुक्मिणी
रुस्तमजी, सेठ, १७९
रेनॉल्ड्स, रेजिनाल्ड, ९ पा० टि०, ११ पा० टि०, १६, ७०, ७१, ८६, १३४, १६४, १८३, १९१, २०४, ३१२, ३३५, ४३४, ४४१, ४५५

ल

लक्ष्मी, ४२७
लक्ष्मीदास श्रीकान्त, २६५, २७१
लक्ष्मीबहन, ९६
लश्करी, विजयागौरी दुर्गाप्रसाद, ३५४
लांसिट, २२९
लाइट ऑफ एशिया, ४३९, ४४४
लाजपतराय, ४०१
लीडर, ३७१
लाहौर कांग्रेस, ३२१
लैंग, १७९

व

वकील; –[ों]को वकालत छोड़ देनेकी सलाह, ३०३; –द्वारा सविनय अवज्ञा, ४०१-२
वणाटशास्त्र, ४२५
वसन्तगौरी नरसीदास, ३५४
वाइसराय, देखिए इर्विन, लॉर्ड
विट्ठलदास, ३४३
विट्ठलदास, लेडी, ४६३, ४६८
विट्ठलभाई लल्लूभाई; –की सेवाओंकी प्रशंसा, ३५६-५७
विदेशी वस्त्र; –का बहिष्कार, १४२, १४६-४९, १६१, १६९, १७०, १७६, २३५, २३७, २५१, ३१९, ३९२; –का महिलाओं द्वारा बहिष्कार, २५६-५७, २६०-६३, २८२-८५, ३५३-५५; –का मुकाबला खादी-उत्पादनमें वृद्धि करके, १९९-२०२, ३२८-३०, ३६०-६२, ३६५-६६, ४०५-६; –की होली, २५६; –के विक्रेताओंसे स्वराजके लिए उसके त्यागका आग्रह, ३०२-३, ३०८, ३३२-३३; –बेचनेवाली दुकानोंके सामने धरना, ३२७-२८
विद्यार्थी, ८०-८१; –और सविनय अवज्ञा, ९८-९, १०५-६, ११३-१४, २८१; –और स्वतन्त्रताकी लड़ाई, १२३; –[र्थियों]में अनुशासनहीनताकी निंदा, १७-८
विनोबा भावे, देखिए भावे, विनोबा
विमला, ४२७
विलसन, १६४, २०४
विश्वयुद्ध, प्रथम, ४००
वेंकटप्पैया, कोण्डा, ११५, ४०१
वेद, २३५
वैद्य, गंगाबहन, ९६, १२४, १७१, २१३, २१४, २४०, २८६, २९६, ३१३, ३१७, ३७३, ३७४, ४२६, ४२९, ४३४, ४५३, ४७३
व्यापारी; –और ब्रिटिश व्यापारी, १६१; –और स्वराज्य, ३०२-३, ३०८; विदेशी वस्त्रोंके –और धरना, ३८२-८३
व्यास, अनिरुद्ध, ३१०
व्यास, रविशंकर, २५५

श

शंकर, ८५
शर्मा, देव, १७७
शान्ता, ४५२
शान्ताबहन, ४६७
शान्तिकुमार मोरारजी, १४८, २१४
शान्तु, ७३, ७९
शामलाल, लाला, १९१, २०४, २०७-८
शारजाबहन, देखिए आप्टे, शारजा
शारदा कानून, १२९, १८२
शारदाबहन, २२३, २५०, २८२, ३५४
शारीरिक व्यायाम, १७४
शाह, फूलचन्द कस्तूरचन्द, २१०, २१८, २५०, २५५
शिक्षा, १८
शिवानन्द, २५०
शिवाभाई, २४२, ४६२
शुक्ल, चन्द्रशंकर, ४४३
शौकतअली, १३२, २९१, ३८५-८६; –के इस आरोपका खण्डन कि सविनय-अवज्ञा आन्दोलन हिन्दू राज्यकी स्थापनाके लिए है, ५९-६२

स

संन्यासी, भवानीदयाल, ५२
सत्य, ७६, ७८, ८१; –और अहिंसा स्वराज्य-प्राप्तिके साधन, ५०
सत्याग्रह, ८७; –अनुचित भूमि-कर के विरुद्ध १४५; –में कष्ट-सहनकी आवश्यकता, १४३-४४; देखिए नमक सत्याग्रह भी
सत्याग्रह-आश्रम, साबरमती; –और भरवाड़ लोग, ४७१-२; –में स्वराज्य-प्राप्तिके बाद ही लौटनेका गांधीजी का संकल्प, ४९, ६५, १५४, १८०
सत्याग्रह-कोष, २४८, ३०४
सत्याग्रह-दिवस, १७६
सत्याग्रह-युद्ध, २८५
सत्याग्रह समाचार, २४२
सत्याग्रही; –की परिभाषा, ९७; –की सहायता ईश्वर करता है, १३१; –में अनुशासन, ४००; देखिए नमक सत्याग्रही भी
सनाढ्य, गंगादेवी, ११८
सनातनी, देखिए हिन्दू
सन्तानम्, ४०१
सरकारी अधिकारी; –और नौकरी तथा सविनय अवज्ञा, ५०; –[रियों]का बहिष्कार, १५५-५७; –को नौकरी छोड़नेकी सलाह, ८५
सरकारी कर्ज, १५, १९-२०
सरलादेवी, २२३, २४८, ३५४
सरूप, देखिए पण्डित, विजयलक्ष्मी
सरूपरानी, २६६, ४३६
सविनय अवज्ञा, १३, २०, २८, ३९, ५६, ९९; –आजादीके लिए अन्तिम संघर्ष और नमक-कर न देनेका निश्चय, १११, ११४, १६८-६९; –आन्दोलनको समर्थन देनेके लिए सभी जातियोंसे आग्रह, ३२२; –और असहयोग, ५१-२; –और एकता, ४६; –और मुसलमान, ५९-६२; –और वकील, ४०१-२; –और विश्व-युद्ध, ४००; –और सरकारी नौकरी, ५०; –का आरम्भ, १८५, २०५; –का १९२० के संघर्षसे

भेद, ११४; –किन स्थितियोंमें करें, ४०६-७, ४१८-१९; –के कारणोंकी इर्विनको सूचना, २-९; –के प्रति विदेशियोंकी सहानुभूति और सहायता, ३८३-८४; –के सम्बन्धमें स्वयंसेवकोंको निर्देश, १७६; –के स्वयंसेवकोंको रचनात्मक कार्य करनेकी सलाह, ४१४-१५; –कैसे करें, ८४, २८६; –को अहिंसात्मक होना चाहिए, १४०-४१; –को समर्थन देनेके लिए सभी वर्गोंसे आग्रह, १६८, ३४०, ३६०, ३९२; –ब्रिटिश सरकारके खिलाफ, १३७-३९; –ब्रिटेनवालोंके विरुद्ध नहीं, १६८; –में सादगीकी जरूरत, १५२-५४, १६२-६३; –में हिंसा, २८७-८९, ३०१, ३५१, ४३७; –विश्वको भारतका सन्देश, १३८-३९; –हिंसाके बावजूद चलानेका निर्णय २८९-९०, ३०१-३, ३०९, ३१५, ३५१

सहाय, रामजी, २८६

साइक्स, सर फ्रेड्रिक, ४२०

साम्प्रदायिक एकता, देखिए हिन्दू-मुस्लिम एकता

साराभाई, अनसूया, देखिए अनसूयाबहन

साराभाई, अम्बालाल, १७२, ४१४

सार्वजनिक कोष; –के हिसाबको निर्दोष रखनेकी आवश्यकता, ३२५

सावित्री, ३९७ पा० टि०

साहू सभा, ३९६

सिंह, कुँवर सुरेश, २५२ पा० टि०

सीतलासहाय, २५, २५२

सीता, (धैर्यबाला) ७९, ९३, १२९, ४४४

सीतारमैय्या, पट्टाभि, ३३४

सीमान्त प्रदेश; –में हिंसात्मक घटनाओंकी निन्दा, ३९२

सुन्दरम्, ३९७

सुमंगलप्रकाश, ९५ पा० टि०

सुमन्त, डॉ० २२३, २६०

सुमित्रा, ४४६ पा० टि०

सुरेन्द्र, २२२

सुलोचना चिनुभाई, ३५४

सूरजभान, लाला, २०४, २०८, २२२, ४४५

सूरजबहन मणिलाल, २६०, २८२

सैंड्स ऑफ इस्लाम, ४४४

सेठ, अमृतलाल, २१०, २१६, २१९, २५५

सेन, अतुल, २५०

सेनगुप्त, जे० एम०, १०९, २७८, ३०९ पा० टि०; –की गिरफ्तारी, ११५, १२५, १३५, १८५, २६३

सैयद महमूद, डॉ०, देखिए महमूद, डॉ० सैयद

सैयद रऊफ पाशा, मौलवी, ३४२, ३८५

सैलिसबरी, लॉर्ड, २३१

सोनामणि, ३३८, ४५२

सोशल रिफॉर्मर, ३९६, ४२२, ४३९

स्टीनिज, मार्था, ३८४

स्टीफेन, न्यायमूर्ति, १३७

स्लेड, देखिए मीराबहन

स्लोकॉम्ब, जॉर्ज, ४३७ पा० टि०

स्वतन्त्रता, ३०, ७४, ७५; –प्राप्त करनेके लिए अहिंसा बरतना आवश्यक, ३८२; –प्राप्त करनेके लिए कष्ट उठाना आवश्यक, ३८१; –बलिदान द्वारा ही सम्भव, २२४; देखिए स्वराज्य भी

स्वदेशी; –और मिलके कपड़े, १९९-२०२
स्वदेशी मिलें; –और विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार, ३२८-३०
स्वराज्य, १०४, १०६, २९६, ३०३, ३५८, ४१७; –और अस्पृश्यता, २६४-७५; –और ईश्वर, १३०; –और खादी, १४८, १५९, १६६-६७, १९३-९४; –और ग्रामवासियोंकी सेवा, १७५, १७६, २२१, २२३, २५६, २९८; –और तकली तथा कताई, ३३०-३२, ४००-२; –और दलित वर्ग, १५४; –और महिलाएँ, १५९, २१३, २५८; –और रामराज्य, ११६; –और विदेशी वस्त्र, शराब तथा नमक-कानूनका बहिष्कार, १४६-४७, १४९, १६१-६२, १६९, १७०; –की प्राप्ति सविनय अवज्ञा तथा अहिंसा द्वारा, ३४, ५१, १६८, १६९, ३२१-२२; –की शर्तें, २३५, ३८८; –के लिए संकल्प, ३७५; –के लिए सभी वर्गोंके लोगोंको संघर्ष करनेकी सलाह, १३०; –प्राप्त करनेके लिए आत्म-बलिदान करनेकी सलाह, ८८, २८९-९०, ३५६; –प्राप्त करनेके लिए लाखों व्यक्तियोंका संघर्षके लिए आह्वान, १९०; –प्राप्तिकी शर्तें, ११२, ३८८; –प्राप्तिके लिए काम करनेकी सलाह, ९२; –प्राप्तिके लिए बलिदान व त्याग करनेकी सलाह, २२१; देखिए स्वतन्त्रता भी

ह

हड़ताल; –[ों]में संयमकी आवश्यकता, ३५८
हमीदा, २६०, ३३६, ३५७, ३६४, ३८९
हरिप्रसाद, २५५
हरिभाऊ उपाध्याय, देखिए उपाध्याय, हरिभाऊ
हरी, ४२७
हिंसा, –और अहिंसा, ३३-४, ३१५; –और सविनय अवज्ञा, ३०९, ४३७; –के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगोंका उकसाया जाना, ४१२
हिन्दी, २२-३; –का प्रचार, ६९-७०
हिन्दी नवजीवन, १६ पा० टि०, २१७ पा० टि०, २८५, ३१८
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, २३
हिन्दुस्तानी सेवादल, १४५
हिन्दू, २४४, २५९, ३३४
हिन्दू; –और अस्पृश्यता, २७४-७६
हिन्दू-मुस्लिम एकता, ६५, २३५, २७४-७५, ३२१-२२, ३८५-८६
हेली, सर मैलकम, २०
होम्स, जॉन हेनीज, २६